

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२६

(जनवरी - अप्रैल १९२५)



भद्रासकी सार्वजनिक सभामें, एस० सत्यमूर्ति और एस० श्रीनिवास आर्यगरके साथ

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२६

(जनवरी - अप्रैल १९२५)



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

अप्रैल १९६८ (वैशाख १८९०)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६८

साढ़े सात रुपये

कापीराइट

नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमे १६ जनवरीसे लेकर ३० अप्रैलतक साढे तीन महीनेका समय आता हे। इस अवधिमे गाधीजीका अधिकाश समय दौरेमे व्यतीत हुआ। लण्डका आरम्भ गुजरातमे हुई कई परिपदोमें दिये गये भाषणोसे होता है। फरवरीके आरम्भमे गाधीजीने रावर्लपिंडी जाकर कोहाटके हिन्दुओ और वहाँकी मुस्लिम आवादीके बीच मेलजोल करानेकी कोशिश की, किन्तु व्यर्थ। वहाँसे लौटकर उन्होने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्रका दौरा किया और तत्पश्चात् उन्होने एक माह दक्षिणमे, ज्यादातर त्रावणकोरमे, व्यतीत किया। वहाँ वाडकोममे एक विशेष रूपसे अपमानजनक ढगकी अप्सृश्यताके विरुद्ध पिछले एक वर्षसे सत्याग्रह चल रहा था। अप्रैलके आरम्भमे उन्होने सौराष्ट्रका दौरा पूरा किया और अप्रैलके मध्यमे दक्षिण गुजरातका दौरा पूरा किया। २५ अप्रैलको उन्होने सी० एफ० एन्ड्रयूजको एक पत्रमे लिखा 'मै एक जगहसे दूसरी जगहका दौरा ही करता रहता हूँ और साँसतक नही ले पाया हूँ। बगालकी आगामी कठिन परीक्षाकी तैयारीके खयालसे मै चार दिन तिथिलमे रहकर कुछ शक्ति संचित कर रहा हूँ' (पृष्ठ ५३७)। १ मईको वे कलकत्तामे थे।

कांग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतसे गाधीजीने १९२५ के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लिया था। १६ अप्रैलको 'यग डडिया' मे लिखते हुए उन्होने कहा "मुझे तो अपने-आपको ऐसे कार्यकर्ताओको तैयार करनेमे लगाना है जो कार्यदक्ष हो, अहिंसापरायण हो, आत्म-त्यागी हो, जो चरखे और खादीमे, हिन्दू-मुस्लिम एकतामे, और यदि वे हिन्दू हो तो अप्सृश्यता-निवारणमे भी जीवन्त विश्वास रखते हों। कमसे-कम इस सालके लिए तो राष्ट्रका यही कार्यक्रम है, दूसरा नही" (पृष्ठ ५०५)। गाधीजीका पक्का विश्वास था कि इस तीन-सूत्री कार्यक्रमका सफल कार्यान्वयन ही ऐसी आन्तरिक शक्ति उत्पन्न करनेका एकमात्र साधन था जिसके बिना विधान परिपदोमें स्वराज्यवादी दलका काम निष्प्रभावी होगा। किन्तु वह अच्छी तरह समझते थे कि यह एक दुष्कर कार्य है। लोग उनकी सभाओमे बड़ी सख्यामे उपस्थित होते थे, किन्तु कताई और खादीके प्रति गाधीजीके आग्रहका उनपर कोई प्रभाव नही पडता था। कलकत्ता जाते हुए नागपुर स्टेशनपर उन्हें इस सत्यका प्रत्यक्ष ओर कटु अनुभव हुआ। प्लेटफार्मपर बहुत बडी भीड उनके दर्शनोके लिए इकट्ठी हो गई थी। "वे मेरे दर्शन हर्षविह्वल होकर कर रहे थे। परन्तु उनका यह हर्ष मेरे लिए व्यथा ही था। जवान-पर तो मेरा नाम और सिरपर काली टोपी। कैसा भीषण विरोध? कितना असत्य? इस भीडको साथ लेकर मै स्वराज्यकी लडाई नही लड सकता" (पृष्ठ ५७२)। इस अनुभवने उन्हें उदास कर दिया, लेकिन हतोत्साह नही किया। "यह खादीके प्रति विद्रोह नही तो उदासीनता अवश्य है। इसे देखकर खादीके प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ जाती है" (पृष्ठ ५७१)। गाधीजीकी रायमे खादी कुछ हदतक बेरोजगारी कम करनेके एक साधनके रूपमे महत्त्व रखती थी, किन्तु इसके अलावा उनकी रायमे खादी

कार्यक्रमका राजनीतिक महत्त्व भी था जिसे उन्होंने एक अंग्रेज मित्रको इस प्रकार समझानेकी कोशिश की "स्वराज्य गान्तिपूर्ण उपायोगे तभी मिल सकता है जब, किसी बहुत थोटी ही अवधिके लिए और बहुत सामान्य कामके लिए ही क्यों न हो, हिन्दुस्तानकी सारी जनता एक मनसे कोई रचनात्मक और उपयोगी काम करे। ऐसा प्रयत्न राष्ट्रके पूरी तरह जागरूक हो चुकनेकी अपेक्षा तो रखता ही है। यह उद्देश्य केवल चरखेके द्वारा ही साध्य हो सकता है" (पृष्ठ ४७)। तथापि अपने सार्वजनिक भाषणोमे वह खादीके आर्थिक और मानवके लिए कल्याणकारी फलितायोंकी ही चर्चा करते थे।

हिन्दू-मुस्लिम समस्या इतनी जटिल हो गई थी कि गाधीजीने फिलहाल उसके सम्बन्धमे कुछ न करनेमे ही बुद्धिमानी मानी। अपने धर्मसंकटको ७ मार्चको मद्रासकी एक सार्वजनिक सभामे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा "फिलहाल मैंने इस समस्याको ताकपर रख दिया है, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे इसके सुलझनेकी कोई आशा नहीं रही है। जबतक मुझे इसका कोई हल नहीं मिलता तबतक मेरा मस्तिष्क इस समस्यापर विचार करता ही रहेगा। किन्तु मुझे यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि मैं कोई ऐसा व्यवहार्य हल, जिसकी आप आशा करते हैं, फिलहाल प्रस्तुत नहीं कर सकता" (पृष्ठ २३९)। उन्होंने 'मेरी स्थिति' (१६-४-१९२५) शीर्षक लेखमे अपनी लाचारी पुनः स्वीकार की "मैं हिन्दू मुस्लिम एकतामे जान नहीं डाल सकता। सो उसके लिए मुझे कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही करनेकी जरूरत नहीं। एक हिन्दूकी हैसियतसे मैं उन तमाम मुसलमानोकी सेवा करूँगा जो मुझे करने देगे। जो मेरी सलाह चाहेगे मैं उन लोगोको सलाह दूँगा। उन दूसरोकी मैं चिन्ता करना छोड़ देता हूँ जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अपने मनमे पूर्ण विश्वास है कि एकता जरूर होगी, चाहे वह कुछ घमासान लडाइयोके बाद ही क्यों न हो, किन्तु होगी जरूर" (पृष्ठ ५०६)।

ऐसे पारस्परिक अविश्वासके वातावरणमे गाधीजीने दो सवालोपर अपने-आपको एक ऐसी स्थितिमे पाया जिसे आसानीसे गलत समझा जा सकता था। गत सितम्बरमे कोहाटके दगोके कारणोकी जाँच करने और दोनो सम्प्रदायोके बीच मेलजोल स्थापित करनेका काम शौकत अली और गाधीजीने सयुक्त रूपसे करनेका बीडा उठाया था। इस जाँच-कार्यमे स्थानीय मुसलमानोने उनकी मदद करनेसे इनकार कर दिया, और जो भी साक्ष्य उपलब्ध था उसके आधारपर गाधीजी और मौलाना अलग-अलग निर्णयोपर पहुँचे। इस आपसी मतभेदको सार्वजनिक रूपसे स्वीकार करनेमे यह खतरा था कि उसे गलत रूपमे पेश किया जायेगा और साम्प्रदायिक तत्त्व उसका नाजायज लाभ उठायेगे। १९२०-२१ मे खिलाफत आन्दोलन आरम्भ होनेके समयसे ही गाधीजी और मौलाना शौकत अलीने मिलजुलकर काम किया था और गाधीजीने जनसाधारण मुसलमानकी सद्भावना जीत ली थी। एक साम्प्रदायिक प्रश्नपर इन दोनो नेताओके मतभेदका उनके निजी सम्बन्धोपर असर पडता या न पडता, लेकिन उसका देशके सामान्य वातावरणपर बुरा असर पडना निश्चित था। गाधीजीने मामलेको बड़ी सावधानीके साथ और सम्यक् रूपसे मौलाना और सामान्य जनताके सामने प्रस्तुत किया। अपने आपसी

मतभेदता नासंज्ञित रूपने स्वीकार करनेके सम्भावित परिणामोमे वह अवगत थे। " मैं आरत रातभ्य प्रकाशित करनेके विचारतक मे कांप उठता हूँ। उमके प्रकाशनमे कटुता-पूरा विचार छिट जायेगा " (पृष्ठ १८५)। लेकिन मत्स्यकी शक्तिमे उनकी निष्ठा पूर्ण थी सो उन्हें लगा कि रत्न अवश्य उटाय जाना चाहिए। " लेकिन यदि एक ही शिखरपर पहुँचते हमारे सभी उपाय विफल हो जाये तो हमे जनताके समक्ष अपने मतभेद प्रस्तुत करने और उनपर यह बात जाहिर कर देनेका माहस अवश्य रहना होगा कि उन मतभेदोंके बावजूद हम दोनोंके बीच प्रेम बना रहेगा, और हम नाशनाश राम रहने रहेंगे " (पृष्ठ १८५)। हकीम जमलखाने मुझाव दिया, और पण्डित गायीत्री नेहम् उर्ध्वो नमस्त ये, कि वक्तव्योंको प्रकाशित नहीं करना चाहिये। पण्डित गायीत्रीने १९ मार्चका दोनों वक्तव्य उग स्पष्टीकरणके साथ अगवारोंको, दे दिये " लेकिन हम, हमने-हम से तो उन नतीजोंपर पहुँचा है कि जनताको, जो मुझे और अरी भाव्योंको कुछ नासंज्ञित प्रश्नोंपर हमेशा एक मानती थी, यह भी जान लेना चाहिए कि कुछ प्रस्ताव हमने भी मतभेद ही नकता है। इस मतभेदके बावजूद हमारे नामें यह बात नहीं आई कि हममें मे किनीने जानबूझकर पक्षपात किया है या मत्स्य प्रमाणातो तो-मराठक उग अपना मतलब निवाला है और न इससे हमारे आपसी प्रेममें कोई फर्क ही आया है। हम यदि मुझे तीर मे अपने मतभेदोंको स्वीकार कर लेंगे तो वह जनताके लिए आपसी सहनशीलताका एक पदावपाठ बन सकेगा " (पृष्ठ ३३३)।

दूसरा प्रश्न जिसे गायीत्रीके रूपमें विवाद उत्पन्न हुआ, वह भी बहुत नाजुक था। एक समाचारके अनुसार अफगानिस्तानमें अहमदिया मम्प्रदायके दो सदस्योंको अमन्दाके दण्ड-स्वरूप पत्थर फेंक फेंककर मार डाला गया था। इस समाचारपर 'वा उटिया' मे टिप्पणी करने हुए गायीत्रीने लिखा था " मुझे मालूम हुआ है कि 'कुरान' मे केवल कुछ अवस्थाओंमे ही सगमारीकी हिदायत दी गई है, किन्तु निम्न मामलोंपर हम विचार कर रहे हैं उनपर ये अवस्थाएँ लागू नहीं होती। मैं मनुष्य से और उम्माने उरता हूँ। उस रूपमे किन्ही भी स्थितियोंमे ऐसे तरीकोंकी नैतिकतापर मुझे शक नहीं चाहिए। प्रत्येक धर्मके प्रत्येक नियमको विवेकके उस वगमें पहँचे विरक्त और व्यापक न्यायकी अचूक कमीटीपर कसना होगा। तभी उनपर सनारकी स्वीकृति मागी जा सकती है। किसी भूलका समर्थन ससारके समस्त धर्मग्रन्थोंमे भी दिया गया है तो भी वह इस नियममे मुक्त नहीं हो सकती " (पृष्ठ १९५-९६)। कट्टरपन्थियोंके लिए यह खैया बहुत ही कान्तिकारी था और उनपर कुछ जासूसपूर्ण आपत्तियाँ की गईं। पंजाब खिलाफत समितिके अध्यक्षने लिखा " आपने अपने लोगों मुसलमान प्रशसकोंके दिलमे यह भावना पैदा कर दी है कि आप उनकी रहनुमाई करने लायक नहीं है " (पृष्ठ २२०)। गायीत्रीने स्पष्ट किया कि उन्होंने 'कुरान' की नहीं, केवल उसके व्याख्याकारोंकी जाशेचना की है। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि वह अपने वचावपर आ गये हो। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूपमे घोषणा की कि " खुद 'कुरान' को शिक्षाएँ भी आलोचनासे मुक्त नहीं रह सकती " (पृष्ठ २२१)। उन्होंने अपनी स्थिति और स्पष्ट करते हुए

लिखा "इस्लामके सम्बन्धमे लिखते समय मै उसकी उज्जतका खयाल उतना ही रखता हूँ, जितना हिन्दू धर्मकी उज्जतका। इस्लामकी व्याख्या करनेके लिए मै वही पद्धति अपनाता हूँ जो हिन्दू धर्मके लिए। मै हिन्दू धर्मग्रन्थोके किसी भी आदेशका समर्थन केवल इस आधारपर नहीं करता कि वह शास्त्रकी आज्ञा है। इसी तरह मै 'कुरान' की किसी बातको भी केवल इसलिए नहीं मान सकता कि वह 'कुरान' मे लिखी है। प्रत्येक बात विवेककी कसौटीपर कसी जानी चाहिए। लोगोकी विवेक-बुद्धिको इस्लाम जंचता है, तभी वह उन्हें पसन्द आता है" (पृष्ठ ४१०)।

धर्मके मामलेमे रुढ़ि और शास्त्रोके वारेमे गाधीजीका जो आलोचनात्मक रवैया था वह अस्पृश्यताके विरुद्ध उनके अनवरत अभियानसे बहुत सशक्त रूपसे प्रकट होता है। गुजरात और दक्षिण भारत, दोनो जगहोपर उन्होने लोगोकी विवेक बुद्धिको स्पर्श करनेकी कोशिश की। मद्रासकी एक सार्वजनिक सभामे उन्होने कहा "यदि कोई मुझे कहे कि शास्त्रोमे किसी ऐसी बुराईका समर्थन है तो मुझे ऐसे शास्त्रोकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस प्रकार सभामे हमारी उपस्थिति की बात निश्चित है उसी प्रकार मै निश्चित रूपसे जानता हूँ कि शास्त्रोमे ऐसी किसी पैशाचिकताका प्रतिपादन या आदेश नहीं है। यह कहना कि जन्मके कारण कोई भी मनुष्य अस्पृश्य, अनुपगम्य या अदर्शनीय हो जाता है, ईश्वरकी सत्ता माननेसे इनकार करना है" (पृष्ठ ३६८)। उन्होने इस बुराईको उसके सबसे खराब रूपमे ब्राह्मणकोर राज्यमे देखा था। "धर्मान्व लोग, कुछ लोगोको देखनातक पाप समझते हैं। नयाडी लोगोके लिए तो यह आवश्यक होता है कि वे सवर्णोकी नजरके सामने भी न आये। मैने त्रिचूरमे इस जातिके दो मनुष्य देखे थे जिनकी देह तो मनुष्यकी थी पर फिर भी वे मनुष्य नहीं थे। (हँसी) भाइयो, यह हँसनेकी बात नहीं, खूनके आँसू वहानेकी बात है" (पृष्ठ ३६८)। इस यात्रामे गाधीजीका मुख्य उद्देश्य था कि वे इन अभागी जातियोके लिए एक सार्वजनिक सडकको खुलवानेके लिए वाइकोम-मे चल रहे सत्याग्रहके पक्षमे जनमत तैयार करे। इस उद्देश्यसे वे राज्यके अधिकारियोसे तथा कट्टरपन्थियोके प्रतिनिधियोसे भी मिले। उन्होने इन प्रतिनिधियोके सम्मुख तीन वैकल्पिक प्रस्ताव रखे, जो तीनों ठुकरा दिये गये। इसपर भी गाधीजीने सत्याग्रहियोको सलाह दी कि वे सुधारके विरोधियोके प्रति सद्भाव रखे और उन्हें अपने उद्देश्यकी सचाईका श्रेय दे। "मैने पाया है कि जहाँ पूर्वग्रह युगो पुराने हो और तथाकथित धार्मिक प्रमाणोपर आधारित हो, वहाँ केवल तर्कद्वारा समझानेकी कोशिश बेकार जाती है। तर्कको कष्ट-सहन द्वारा मजबूत करना होगा और कष्टसहन विवेकको जगा देता है। इसलिए हमारे कार्योंमे जबरदस्ती लेश-मात्र भी नहीं होनी चाहिए" (पृष्ठ २६५)।

अपने अस्पृश्यता-विरोधी अभियानके दौरान गाधीजीसे जाति प्रथा तथा अतर्जातीय भोज और विवाहोपर लगे प्रतिबन्धोके वारेमे उनके विचार पूछे जाते थे। उन्होने कहा "मै अस्पृश्यता और वर्ण या जातिमे बहुत बडा अन्तर मानता हूँ। अस्पृश्यताका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मेरी रायमे वर्ण-व्यवस्थाका आधार वैज्ञानिक

हे” (पृष्ठ २८५)। एक अन्य सन्दर्भमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ण-व्यवस्था ‘जन्मके आधारपर किया गया स्वस्थ कार्य-विभाजन’ है (पृष्ठ ५३२)। लेकिन उन्होंने तुरन्त ही यह भी कहा कि जातियो-सम्बन्धी वर्तमान विचार मूल व्यवस्थाके विकृत रूप हैं। गाधीजी अनर्जातीय भोज या विवाहपर लगे प्रतिबन्धोको हटानेकी आवश्यक सुधार भी नहीं मानते थे। “स्वयं लगाये गये प्रतिबन्धोका स्वच्छता तथा आध्यात्मिकताकी दृष्टिसे अपना मूल्य है। किन्तु इनका पालन न करनेमें आदमी न तो नरकमें चला जाता है और न इनका पालन करनेसे स्वर्गमें पहुँच जाता है” (पृष्ठ ५६५)। पारम्परिक ब्राह्मण सस्कृतिमें जो चीज गाधीजी बहुत मूल्यवान् मानते थे, वह इन प्रतिबन्धोमें निहित आत्मसयमका सिद्धान्त था। “मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मणोको बरवाद करके अनाह्मण ऊँचे उठे। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि वे उस ऊँचाईको पहुँच जायें जहाँ अवतक ब्राह्मण पहुँचे हुए थे” (पृष्ठ ३२७)।

अपने तीन लेखोमें (शीर्षक ६२, २६७ और ३२०) एक क्रान्तिकारीको मुखातिव करते हुए गाधीजीने स्पष्ट रूपसे और धीरजके साथ उस जीवन-दर्शनका प्रतिपादन किया जिसका वे उपदेश कर रहे थे और स्वयं अमलमें लानेका प्रयत्न कर रहे थे। “किसी शैतानी व्यवस्थाके मुकाबलेमें सशस्त्र पड्यत्र रचना मानो शैतानके मुकाबले शैतान खड़ा करना है। पर चूँकि एक ही शैतान मेरे लिए बहुतसे शैतानोके बराबर है, इसलिए मैं उसकी सख्या न बढ़ने दूँगा। मेरी प्रवृत्ति उद्योगहीन है या वह उद्योगमय है, यह तो आगे चलकर मालूम होगा। यदि तबतक उसके फलस्वरूप एक गज की जगह दो गज सूत कते तो उससे उतना हित तो होगा ही। भीरुता चाहे दार्शनिक हो, चाहे किसी दूसरी तरहकी, मैं उससे घृणा करता हूँ” (पृष्ठ ४८१-८२)। और उन्होंने मर्त्य लोगोके धर्ममें तथा अवतारी पुरुषोके रहस्योमें बहुत बड़ा अन्तर बताया। “श्रीकृष्णके नामको बीचमें घसीटना फिजूल है। यदि हम उन्हें मानते हो तो हम उन्हें साक्षात् ईश्वर माने अथवा फिर विलकुल न माने, यदि मानते हैं तो फिर हम उनमें सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता होना मानते हैं। ऐसी शक्ति अवश्य सहार कर सकती है। पर हम तो ठहरे पामर मर्त्य। हम हमेशा भूले करते रहते हैं और अपने विचार और राये बदलते रहते हैं। यदि हम ‘गीता’ के गायक कृष्णकी नकल करेंगे तो हम धोर विपत्तिमें पड़ेंगे” (पृष्ठ ५६३)।

गाधीजी पारम्परिक हिन्दू भावनासे पूरी तरह आप्लावित थे और उसे उन्होंने जिस प्रकार व्यावहारिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करनेकी कोशिश की उसे गोरक्षा सम्बन्धी उनके रुखसे देखा जा सकता है। उन्होंने गायके बचको रोकनेके लिए अन्य सम्प्रदायोके लोगोसे लड़नेकी अपेक्षा अपने हिन्दू भाइयोसे कहा कि वे आदर्श गोशालाएँ और दुग्धशालाएँ स्थापित करें जिनमें कमजोर और अपग गायोको भी प्रश्रय दिया जायें। उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओके साथ मिलकर अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल स्थापित किया और उसका सचिवालय तैयार किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरूको एक पत्र-लिखकर गायके प्रति अपने प्रेमको युक्तियुक्त ढँगसे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया। “गाय तो प्राणि-मात्रका मिर्फ प्रतीक है। गोरक्षाका अर्थ है दुर्बलो, असहायो, गूगो और बहरोकी

रक्षा। फिर तो मनुष्य सारी सृष्टिका प्रभु और स्वामी न रहकर सेवक बन जाता है। मेरी रायमें गाय दयाका जीता-जागता उपदेश है।” (पृष्ठ ५३९)।

तर्क और भावनाका यह मेल गाधीजीके धार्मिक दृष्टिकोणका सार था। एक मित्रको, जिन्होंने कांग्रेसकी शपथमें ईश्वरके नामके उल्लेखपर आपत्ति उठाई थी, उन्होंने पत्रमें लिखा “मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति और सदाचार ईश्वर है। निर्भयता ईश्वर है। ईश्वर अन्तरात्मा ही है। वह तो नास्तिककी नास्तिकता भी है” (पृष्ठ २१८)। लेकिन स्वयं गाधीजीके लिए ईश्वर एक कोरा सिद्धान्त या अनुमान नहीं था। उसकी उपस्थितिको वे बड़ी गहराईके साथ अनुभव करते थे। “हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ वही है; और अगर हम हो तो हमें सदा उसके गुणोंका गान करना चाहिए और उसकी इच्छानुसार चलना चाहिए। आइए, उसकी बसीकी धुनपर हम नाचें। सब अच्छा ही होगा” (पृष्ठ २१९)। गोरक्षा मडलकी अव्यथता स्वीकार करते हुए उनके मनकी जो अवस्था थी उससे उनकी धार्मिक भावनाकी शक्ति प्रकट होती है “लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं। आँखोंमें आँसू हैं। जिस प्रकार किसी बालकको खूब खानेकी इच्छा तो हो पर खानेकी शक्ति न होनेके कारण वह फूट-फूट कर रोता है, मेरी स्थिति भी कुछ वैसी है। मैं लोभी हूँ। मैं धर्मकी विजय देखने और उसे ससारके सामने रखनेके लिए बड़ा आतुर हूँ। तूफानी समुद्रमें मेरी अभिलाषा-रूपी नैया डोल रही है” (पृष्ठ ३१४-१५)। और भावनाका यह आवेग उनके मनमें एक दिन पहले कन्याकुमारीकी यात्राकी स्मृतिके कारण उमड़ा था। “कन्याकुमारीके दर्शन” शीर्षक लेखमें उन्होंने लिखा “समुद्रकी लहरोंका मद और मधुर सगीत तो समाधिमें सहायक होता है। . . . ‘गीता’कारका मन-ही-मन स्मरण करके मैं शान्त बैठा रहा” (पृष्ठ ४२०)।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुवार दी गई है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका मूलसे मिलान और सगोचन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमें सगय था, उनको वैसा ही लिखा गया है, जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमें दिये गये अंग सम्पादकीय हैं। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंग मूल रूपमें उद्धृत किया है वह हागिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, विना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है, जहाँ वह उपलब्ध नहीं है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमें दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' सकेत सावरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा सगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध परिशिष्ट तथा अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

	पृष्ठ
भविष्य	५
संगीत	११
पाठशाळा मंत्रालय	१२
१ पर मी० ए० ए० ए० ए० ए०, (१६-१-१९२५)	१
२ भाषण भविष्य परिषद्, नाशिकामें, (१६-१-१९२५)	१
३ भाषण भाषण परिषद्, नाशिकामें, (१६-१-१९२५)	४
४ भाषण भाषण परिषद्, नाशिकामें, (१६-१-१९२५)	६
५ भाषण भाषण परिषद्, (१६-१-१९२५)	७
६ भाषण भाषण परिषद्, (१६-१-१९२५)	९
७ भाषण भाषण परिषद्, (१६-१-१९२५)	१३
८ भाषण भाषण परिषद्, (१६-१-१९२५)	१७
९ पर भाषण परिषद्, (१०-१-१९२५)	२२
१० टिप्पणियां भाषण परिषद्, कुठ परिषद्, धाराश, अन्वयज, महिला परिषद्, काशीपरज, इनकी से प्रतिज्ञाएँ, परिषद्के प्राद, राम नाम, आदर्श पाठशाळामें, (२२-१-१९२५)	२२
११ पर परिषद्, (२२-१-१९२५)	२८
१२ पर परवन्द शास्त्री, (२२-१-१९२५)	३०
१३ पर भाषण परिषद्, (२२-१-१९२५)	३२
१४ भाषण सार्वभौमिक सम्मेलन समितिकी बैठकमें, (२३-१-१९२५)	३२
१५ ज० भा० मो० शास्त्रीपरवन्दके प्रतिज्ञानका मनविदा, (२४-१-१९२५)	३३
१६ भाषण सार्वभौमिक सम्मेलन समितिकी बैठकमें, (२४-१-१९२५)	३५
१७ टिप्पणियां काठियावाड, टीक हिमाच, १०० रुपयेके चरणे, किसान परिषद्, अध्यक्ष, धाराश, महिला परिषद्, अन्वयज, काशीपरज, प्रदर्शनी, मूत्र-चक्र, मन्त्रालय, प्रतिज्ञा, रामनाम, वारडोलीका कर्तव्य, (२५-१-१९२५)	३६
१८ पर पर जर्मनको, (२५-१-१९२५)	४३
१९ मोन-दिवसकी टिप्पणी, (२६-१-१९२५)	४३
२० पर मगनलाठ गांधीको, (२७-१-१९२५)	४४
२१ पर धनश्यामदाम विडलाका, (२७-१-१९२५)	४४
२२ भेट ममाचारपरवन्दके प्रतिनिधियोंमें, (२७-१-१९२५)	४५
२३ कुठ प्रश्नोंके उत्तर, (२९-१-१९२५)	४६

चीदह

२४ टिप्पणियाँ उलटा रास्ता, मियाँ फजल-ग-टुमैन, हमारी लाचारी, गवन होनेपर, अ० भा० खादी-बोर्डके प्रस्ताव, (२९-१-१९२५)	५०
२५ पत्र कृष्णदासको, (२९-१-१९२५)	५५
२६ तार डा० प्राणजीवन मेहताको, (३१-१-१९२५)	५५
२७ एक अनर्थ, (१-२-१९२५)	५६
२८ टिप्पणियाँ अनुकरणीय, खादी भण्डार, (१-२-१९२५)	५८
२९ टिप्पणियाँ चरखोकी कमी, स्वयसेवकोकी आवश्यकता, (१-२-१९२५)	६०
३० तार गोकुलदास ठाकूरको, (१-२-१९२५)	६०
३१ पत्र घनश्यामदास विडलाको, (१-२-१९२५)	६१
३२ कुछ उचित प्रश्न, (५-२-१९२५)	६१
३३ दूसरेकी जमीनपर, (५-२-१९२५)	६५
३४ गाबास, (५-२-१९२५)	६७
३५ टिप्पणियाँ एकताकी ओर, दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानी, क्या स्वराज्यवादी काग्रेसी है? , वाइकोमसे, सावधान, भूतकी वरवादी, खादीका आदी होना, क्या वे सरकारमे सम्बद्ध हो? तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, स्वयसेवक, सच हो तो फिर क्या पूछना, कुछ प्रसंगोचित आँकड़े, (५-२-१९२५)	६७
३६ तार सुरेन्द्रनाथ विश्वासको, (५-२-१९२५)	७८
३७ भाषण रावर्लपिडीमे, (५-२-१९२५)	७८
३८ कोहाटके दगोके वारेमे कमाल जिलानीसे जिरह, (६-२-१९२५)	८३
३९ कोहाटमे दगोके वारेमे अहमदगुलसे जिरह, (६-२-१९२५)	९३
४०. तार मदनमोहन मालवीयको, (७-२-१९२५)	१११
४१ काठियावाडियोसे, (८-२-१९२५)	११२
४२ मैसूरके महाराजा, (८-२-१९२५)	११४
४३. सच्ची शिक्षा, (८-२-१९२५)	११५
४४. कोहाटके हिन्दू, (९-२-१९२५)	११७
४५ तार मदनमोहन मालवीयको, (९-२-१९२५)	११९
४६ तार . जयरामदास दौलतरामको, (९-२-१९२५)	११९
४७ पत्र चमनलाल वैष्णवको, (९-२-१९२५)	१२०
४८ पत्र देवचन्द पारेखको, (९-२-१९२५)	१२०
४९ तार वाइसरायके निजी सचिवको, (९-२-१९२५)	१२१
५० पत्र प्रभाशकर पट्टणीको, (१०-२-१९२५ से पूर्व)	१२१
५१ तार प्रभाशकर पट्टणीको, (१०-२-१९२५)	१२२
५२ पत्र प्रभाशकर पट्टणीको, (१०-२-१९२५)	१२२
५३ पत्र फूलचन्द गाहको, (१०-२-१९२५)	१२३
५४ भाषण सत्याग्रह आश्रम सावरमतीमे, (१०-२-१९२५)	१२३

५५	पत्र माणिकलाल अमृतलाल गाधीको, (१०-२-१९२५)	१२५
५६	पत्र रामेश्वरदाम विटलाको, (११-२-१९२५)	१२६
५७	भाषण अकलावमे, (११-२-१९२५)	१२६
५८	भाषण वीरसदमे, (११-२-१९२५)	१२७
५९	भाषण भादरनमे, (११-२-१९२५)	१२८
६०	एक डायरीके पृष्ठ, (१२-२-१९२५)	१३२
६१	टिप्पणियाँ बिहारका डरादा, कानपुरमे, एक मूक सेवक, (१२-२-१९२५)	१३३
६२	एक क्रान्तिकारीका वचाव, (१२-२-१९२५)	१३४
६३	भाषण भादरनमे ब्रह्मचर्यपर, (१२-२-१९२५)	१३६
६४	भाषण वीरमदमे, (१२-२-१९२५)	१३९
६५	तार प्रभाशकर पट्टणीको, (१३-२-१९२५)	१४१
६६	भाषण पालेजमे, (१३-२-१९२५)	१४१
६७	विद्यार्थियोंके वारेमे, (१५-२-१९२५)	१४२
६८	टिप्पणियाँ एक मुग़ार, ऐमा ही चाहिए, (१५-२-१९२५)	१४३
६९	भाषण राजकोटमे, (१५-२-१९२५)	१४४
७०	भाषण राष्ट्रीय शालाके उद्घाटनपर, (१५-२-१९२५)	१४८
७१	भाषण जैन छात्रावासके उद्घाटन समारोहमे, (१५-२-१९२५)	१५०
७२	तार सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, (१६-२-१९२५)	१५१
७३	तार मदनमोहन मालवीयको, (१६-२-१९२५)	१५२
७४	सत्याग्रहीकी कमीटी, (१९-२-१९२५)	१५२
७५	हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न, (१९-२-१९२५)	१५४
७६	एस० डी० एन० को, (१९-२-१९२५)	१५८
७७	टिप्पणियाँ पहली मार्च याद रहे, पुरस्कार-निबन्धके सम्बन्धमे, बगालके अछूत, जेलसे, एक नई बात, (१९-२-१९२५)	१५८
७८	पत्र प्रभाशकर पट्टणीको, (१९-२-१९२५)	१६४
७९	तार वाइसरायके निजी सचिवको, (१९-२-१९२५)	१६४
८०	भाषण पोखन्दरमे, (१९-२-१९२५)	१६५
८१	भाषण पोखन्दरके अन्त्यजोकी सभामे, (१९-२-१९२५)	१७०
८२	तार मोतीलाल नेहरूको, (२०-२-१९२५)	१७१
८३	पत्र रेवाशकर झवेरीको, (२०-२-१९२५)	१७१
८४	पत्र धनश्यामदास विटलाको, (२१-२-१९२५)	१७२
८५	भाषण बढवान कैम्पकी सभामे, (२१-२-१९२५)	१७२
८६	भाषण बढवानकी सार्वजनिक सभामे, (२१-२-१९२५)	१७४
८७	भाषण बढवानके वाल-मन्दिरमे, (२१-२-१९२५)	१७५
८८	टिप्पणियाँ उत्कलमे खादी, सूत वनाम खादी, एक बहनकी कठिनाई, हम क्या करे! , खादी प्रदर्शनी, (२२-२-१९२५)	१७८

सोलह

८९ भेट . एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, (२२-२-१९२५)	१८१
९० तार कलकत्ता कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको, (२३-२-१९२५)	१८२
९१ तार गोविन्द दासको, (२३-२-१९२५)	१८२
९२ तार चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको, (२३-२-१९२५)	१८२
९३ तार लाजपतरायको, (२३-२-१९२५)	१८३
९४ तार आ० टे० गिडवानीको, (२३-२-१९२५)	१८३
९५ तार मोतीलाल नेहरूको, (२३-२-१९२५)	१८४
९६ पत्र शौकत अलीको, (२३-२-१९२५)	१८४
९७ तार रेवाशकर झवेरीको, (२५-२-१९२५)	१८६
९८ तार मथुरादास त्रिकमजीको, (२५-२-१९२५)	१८६
९९ तार रघुवीरसिंहको, (२५-२-१९२५)	१८६
१०० तार मुख्तार अहमद असारिको, (२५-२-१९२५)	१८७
१०१ तार चौडें महाराजको, (२५-२-१९२५)	१८७
१०२ पत्र फूलचन्द शाहको, (२५-२-१९२५)	१८७
१०३ भाषण विवाहोत्सवपर, (२५-२-१९२५)	१८८
१०४ निषेधादेश, (२६-२-१९२५)	१९०
१०५ सच हो तो अमानुष, (२६-२-१९२५)	१९१
१०६ फिर वाइकोम, (२६-२-१९२५)	१९२
१०७ टिप्पणियाँ २८ फरवरी, आचार्य गिडवानी रिहा, सगसारी, टेटे प्रश्न, एक वहम, भरुचाकी डायरी, भारतकी दुर्दशा, (२६-२-१९२५)	१९३
१०८ तार आर्यको, (२६-२-१९२५)	२००
१०९. पत्र अब्बास तैयबजीको (२७-२-१९२५)	२००
११० पत्र एस० वी० वापटको, (२७-२-१९२५)	२०१
१११ तार अब्दुल मजीदको, (२८-२-१९२५)	२०१
११२ तार आनन्दानन्दको, (२८-२-१९२५)	२०२
११३ पत्र डा० मैकूरको, (२८-२-१९२५)	२०२
११४ पत्र प्रभाशकर पट्टणीको, (२८-२-१९२५)	२०३
११५ पत्र फूलचन्द शाहको, (२८-२-१९२५)	२०३
११६ पत्र घनश्यामदास बिडलाको, (२८-२-१९२५)	२०४
११७ काठियावाडके सस्मरण-१, (१-३-१९२५)	२०५
११८ स्टेनकोनोवके प्रश्नोके उत्तर, (२-३-१९२५)	२०७
११९ तार आनन्दानन्दको, (२-३-१९२५)	२०८
१२० तार जयगकर वाघजीको, (२-३-१९२५)	२०८
१२१ तार वरदराजुलु नायडूको, (२-३-१९२५)	२०८
१२२ पत्र वीरेन्द्र नाथ सेनगुप्तको, (२-३-१९२५)	२०९
१२३ पत्र फजल-ए-हुसैनको, (२-३-१९२५)	२०९

सत्रेह

१२४	पत्र जफर अली खाँको, (२-३-१९२५)	२१०
१२५	पत्र सरोजिनी नायडूको, (२-३-१९२५)	२११
१२६	पत्र नरोत्तम लालजी जोशीको, (२-३-१९२५)	२११
१२७	वक्तव्य सर्वदलीय सम्मेलन उप-समितिकी बैठकके स्थगनपर, (२-३-१९२५)	२१२
१२८	पत्र दाभोलकर और जेष्ठरामकी पेढीको, (३-३-१९२५)	२१३
१२९	तार च० राजगोपालाचारीको, (४-३-१९२५ को या उसके पश्चात्)	२१४
१३०	टिप्पणियाँ-१ हिन्दू-मुस्लिम समस्या, अमहायता, सिलहटकी पुकार, दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबन्ध, (५-३-१९२५)	२१४
१३१	कांग्रेस और ईश्वर, (५-३-१९२५)	२१८
१३२	मेरा अपराध, (५-३-१९२५)	२२०
१३३	टिप्पणियाँ-२ मस्स्थलमे हरियाली, फरीदपुर सम्मेलन, पुनर्विचारके योग्य, (५-३-१९२५)	२२२
१३४	तार मद्रास नगरनिगमके अध्यक्षको, (५-३-१९२५)	२२५
१३५	तार डा० वरदराजुलु नायडूको, (५-३-१९२५)	२२५
१३६	तार एस० श्रीनिवास आयगारको, (५-३-१९२५)	२२५
१३७	पत्र एन० मेरी पीटर्सनको, (५-३-१९२५)	२२६
१३८	पत्र अमृतलाल खेतसीको, (५-३-१९२५)	२२६
१३९	पत्र घनश्यामदास विडलाको, (५-३-१९२५)	२२६
१४०	भेट पत्र-प्रतिनिधियोसे, (५-३-१९२५)	२२७
१४१	पत्र जनकधारी प्रसादको, (६-३-१९२५)	२२९
१४२	तार 'नवजीवन' को, (६-३-१९२५)	२२९
१४३	तार अलवाई यूनियन कालेजके प्राध्यापकको, (६-३-१९२५)	२३०
१४४	पत्र छगनलाल गावीको, (६-३-१९२५)	२३०
१४५	भेट 'स्वदेश मित्रन्' के प्रतिनिधिसे, (७-३-१९२५)	२३१
१४६	भेट फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, (७-३-१९२५)	२३३
१४७	भेट स्वराज्यके प्रतिनिधिसे, (७-३-१९२५)	२३४
१४८	भाषण मद्रासमे, (७-३-१९२५)	२३५
१४९	भाषण मद्रासकी सार्वजनिक सभामे, (७-३-१९२५)	२३७
१५०	काठियावाडके सस्मरण-२, (८-३-१९२५)	२४१
१५१	टिप्पणियाँ एक वहनकी भावना, कालीपरज लोगोमे, शिक्षामे क्या चाहिए? (८-३-१९२५)	२४८
१५२	भाषण एर्नाकुलममे, (८-३-१९२५)	२५०
१५३	भाषण कोचीनकी सार्वजनिक सभामे, (९-३-१९२५)	२५१
१५४	पत्र सुब्रह्मण्यम्को, (९-३-१९२५)	२५३
१५५	पत्र डा० वरदराजुलु नायडूको, (१०-३-१९२५)	२५४

अठारह

१५६ वाइकोमके सवर्ण हिन्दू नेताओके साथ वातचीत, (१०-३-१९२५)	२५५
१५७ भाषण वाइकोमकी सार्वजनिक सभामे, (१०-३-१९२५)	२५८
१५८. भाषण वाइकोमके सत्याग्रह आश्रममे, (११-३-१९२५)	२६३
१५९. राष्ट्रीय शिक्षा, (१२-३-१९२५)	२६८
१६० दक्षिण आफ्रिका, (१२-३-१९२५)	२७१
१६१ स्वदेशी और राष्ट्रीयता, (१२-३-१९२५)	२७३
१६२ सन्तति नियमन, (१२-३-१९२५)	२७४
१६३ टिप्पणियाँ और सदस्य, सभासदोकी सूची, १,००० रुपयेका इनाम, दिया हुआ सूत खरीदना, कुछ प्रभावकारी आँकड़े, सगमारी 'कुरान' मे नही है, एक खत, एक कार्यकर्त्ताको कैदकी सजा, में राजनीतिज्ञ ?, एक क्रान्तिकारी, हिन्दुओकी ज्यादाती, (१२-३-१९२५)	२७६
१६४ केनियाके मैदान, (१२-३-१९२५)	२८३
१६५ एम० वी० एन० से, (१२-३-१९२५)	२८५
१६६. आर० एस० एस० आर० से, (१२-३-१९२५)	२८५
१६७ भेटके सम्बन्धमे तार, (१२-३-१९२५)	२८६
१६८ भाषण क्विलोनमे, (१२-३-१९२५)	२८६
१६९ भाषण वर्कलामे, (१३-३-१९२५)	२८९
१७० भाषण महाराजा कालेज, त्रिवेन्द्रममे, (१३-३-१९२५)	२९५
१७१ भाषण त्रिवेन्द्रमकी सार्वजनिक सभामे, (१३-३-१९२५)	२९९
१७२. भाषण अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमे, (१४-३-१९२५)	३००
१७३ भाषण लॉ कालेज त्रिवेन्द्रममे, (१४-३-१९२५)	३०२
१७४ ज्ञानकी गोधमे, (१५-३-१९२५)	३०३
१७५ 'नवजीवन' के सम्बन्धमे, (१५-३-१९२५)	३०६
१७६. अहिंसाका मर्म, (१५-३-१९२५)	३०९
१७७ टिप्पणी एक शिक्षकका डु ख, (१५-३-१९२५)	३११
१७८ भाषण कोट्टयममे, (१५-३-१९२५)	३१२
१७९ अखिल भारतीय गोरक्षा मडल, (१६-३-१९२५)	३१३
१८० पत्र कल्याणजी वि० मेहताको, (१६-३-१९२५)	३१५
१८१ पत्र डब्ल्यू० एच० पिटको, (१८-३-१९२५)	३१६
१८२ भाषण परूरमे, (१८-३-१९२५)	३१७
१८३ भाषण अलवाईके यूनियन कालेजमे, (१८-३-१९२५)	३१८
१८४ भाषण अलवाईके अद्वैताश्रममे, (१८-३-१९२५)	३१९
१८५ भाषण त्रिचूरमे, (१८-३-१९२५)	३२१
१८६ टिप्पणियाँ वाइकोम सत्याग्रह, मनुष्यकी मनुष्यके प्रति बर्बरता, सहभोज, अवधके किसान, (१९-३-१९२५)	३२२
१८७ कठिन समस्या, (१९-३-१९२५)	३२५

उत्तीस

१८८	टिप्पणिया पागल या महात्मा, एक निन्दात्मक लेख, कैसे रहना चाहिए, (१९-३-१९२५)	३२८
१८९	तोहाटकी जाँच, (१९-३-१९२५)	३३३
१९०	भाषण पोरनरुमे, (१९-३-१९२५)	३४१
१९१	भाषण निरूपुनमे, (१९-३-१९२५)	३४२
१९२	भाषण पुनपालयमकी गामीण सभामे, (२१-३-१९२५)	३४४
१९३	भाषण पुनपालयमके आश्रममे, (२१-३-१९२५)	३४७
१९४	भाषण तिरुत्तमोउमे, (२१-३-१९२५)	३४९
१९५	जहाँ मज्जातान हों, वहाँ क्या करें? (२२-३-१९२५)	३५१
१९६	एक शिक्षककी उल्लान, (२२-३-१९२५)	३५३
१९७	टिप्पणिया निर्दयता, पतिता कर्तव्य, पिता-पुत्र भेद, अन्त्यजोका शिक्षक, हमारी मर्यादा, (२२-३-१९२५)	३५६
१९८	पत्र कुँवरजी नेतमीको, (२२-३-१९२५)	३५८
१९९	पत्र अनन्यामदाम चिउलाको, (२२-३-१९२५)	३५९
२००	भाषण मद्राममे, (२२-३-१९२५)	३६०
२०१	भाषण मद्रामकी महिला सभामे, (२२-३-१९२५)	३६२
२०२	भाषण 'हिन्दू' कार्यालयमे, (२२-३-१९२५)	३६३
२०३	भाषण मद्रामकी सार्वजनिक सभामे, (२२-३-१९२५)	३६७
२०४	भाषण विद्याथियोकी सभामे, (२२-३-१९२५)	३७२
२०५	भाषण मद्रामके मजदूरोंकी सभामे, (२२-३-१९२५)	३७५
२०६	क्या बम्बई मुक्त है?, (२३-३-१९२५)	३७७
२०७	पत्र कृष्णदामको, (२३-३-१९२५)	३८०
२०८	तार चित्तरजन दामको, (२४-३-१९२५)	३८०
२०९	तार उदयू० एच० पिटको, (२४-३-१९२५)	३८१
२१०	तार के० केलप्पन नायरको, (२४-३-१९२५)	३८१
२११	पत्र एमोमिण्टेड प्रेम आफ इडियाको, (२४-३-१९२५)	३८२
२१२	भाषण मद्राममे, (२४-३-१९२५)	३८२
२१३	भाषण मद्रामकी आयुर्वेदिक फार्मसीमे, (२४-३-१९२५)	३८३
२१४	भाषण शराबबन्दीके द्वारेमे, (२४-३-१९२५)	३८५
२१५	भाषण हिन्दी प्रचार कार्यालय, मद्राममे, (२४-३-१९२५)	३९०
२१६	भाषण महिला क्रिश्चियन कालेज, मद्राममे, (२४-३-१९२५)	३९१
२१७	भाषण स्वराज्य कार्यालय, मद्राममे, (२४-३-१९२५)	३९४
२१८	भाषण भगियोकी सभा, मद्राममे, (२४-३-१९२५)	३९५
२१९	भाषण अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमे, (२४-३-१९२५)	३९६
२२०	वाचनकोरके द्वारेमे, (२६-३-१९२५)	३९७
२२१	एक भूल-मुघार, (२६-३-१९२५)	४०७

बीस

२२२	सगसारीकी सजा, (२६-३-१९२५)	४०८
२२३.	तार मदनमोहन मालवीयको, (२६-३-१९२५)	४११
२२४	तार प्रभागकर पट्टणीको, (२६-३-१९२५)	४१२
२२५.	तार रणछोडलाल पटवारीको, (२६-३-१९२५)	४१२
२२६	तार जयशंकर वाघजीको, (२६-३-१९२५)	४१२
२२७	तार वल्लभभाई पटेलको, (२६-३-१९२५)	४१३
२२८	पत्र घनश्यामदास विडलाको, (२६-३-१९२५)	४१३
२२९	भेट 'वाँम्बे क्रॉनिकल' के प्रतिनिधिको, (२६-३-१९२५)	४१४
२३०	भाषण महिलाओकी सभा, बम्बईमे, (२६-३-१९२५)	४१५
२३१	भाषण दलित वर्गवालोकी सभा, बम्बईमे, (२६-३-१९२५)	४१६
२३२	भाषण कांग्रेस-भवनके उद्घाटनपर, बम्बईमे, (२६-३-१९२५)	४१७
२३३	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्युजको, (२८-३-१९२४)	४१८
२३४	मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंग, (२८-३-१९२५)	४१९
२३५	तार 'इंग्लिश मैन' को, (२९-३-१९२५ के पश्चात्)	४१९
२३६	कन्याकुमारीके दर्शन, (२९-३-१९२५)	४२०
२३७	आगामी सप्ताह, (२९-३-१९२५)	४२२
२३८	स्वर्णोद्यान, (२९-३-१९२५)	४२४
२३९	मेरी जवाबदेही, (२९-३-१९२५)	४२७
२४०	टिप्पणियाँ चार विवाह, (२९-३-१९२५)	४२८
२४१	पत्र वसुमती पण्डितको, (३०-३-१९२५)	४३०
२४२	पत्र घनश्यामदास विडलाको, (३०-३-१९२५)	४३१
२४३	पत्र रामेश्वरदास विडलाको, (३०-३-१९२५)	४३२
२४४	वाइकोम-सत्याग्रह, (२-४-१९२५)	४३२
२४५	टिप्पणियाँ सिखोका बलिदान, बगाल, मिलकी पूनियाँ, बगालमे खादी, (२-४-१९२५)	४३५
२४६	कुछ कठिन प्रश्न, (२-४-१९२५)	४३६
२४७	राष्ट्रीय सप्ताह, (२-४-१९२५)	४३९
२४८	दो प्रश्न, (२-४-१९२५)	४४१
२४९	कुछ तर्कोंका विवेचन, (२-४-१९२५)	४४२
२५०	घोलका ताल्लुकेके कण्ट, (२-४-१९२५)	४४८
२५१	भाषण मढडामे, (२-४-१९२५)	४४८
२५२	भाषण ढसामे, (२-४-१९२५)	४५०
२५३	भाषण बगसरामे, (२-४-१९२५)	४५२
२५४	भाषण . पालीताणामे, (३-४-१९२५)	४५३
२५५	पालीताणामे जैन मुनिसे वातचीत, (३-४-१९२५)	४५७
२५६	कातनेवालोकी कठिनाइयाँ, (५-४-१९२५)	४५९

इकाई

२५८	श्री गतांग, (५-८-१९२५)	४६०
२५८	सात जगत्पोग ? (५-८-१९२५)	४६३
२५९	रिपण आधिकारिक भारतीय, (५-४-१९२५)	४६५
२६०	रिपणिया अज्ञानमें जगत्, सूतके बदले पैसा, गादी न पहननेवाले पोग, आज्ञा नपाह (५-८-१९२५)	४६६
२६१	रिपणिया गायत्री रिपणिया, (५-४-१९२५)	४६८
२६२	भाषण गायत्री (५-८-१९२५)	४६९
२६३	पत्र पत्रपत्रपत्र रिपणिया, (६-८-१९२५)	४७०
२६४	पत्र पत्रपत्रपत्र रिपणिया, (८-४-१९२५)	४७०
२६५	रिपणिया प्रान्तीय मन्त्रियों, काठियावाड़में गहर, उपनिषदोंमें, गादी गायत्री-गादी रिपणिया, टागिल करना, (९-४-१९२५)	४७८
२६६	गायत्री, (९-८-१९२५)	८३८
२६७	एक गायत्री-गादी प्रश्न, (९-८-१९२५)	४७८
२६८	गहर 'देव' के नाम, (१२-४-१९२५ में पूर्व)	४८५
२६९	काठियावाड़ियों, (१०-८-१९२५)	४८५
२७०	विपण, (१०-८-१९२५)	४८९
२७१	गायत्री, (१०-८-१९२५)	४८९
२७२	पत्र पुष्पोंमें गायत्री, (१०-४-१९२५)	४९३
२७३	गहर 'वाग्देविक' के प्रतिनिधियों, (१३-४-१९२५ को या उसमें पूर्व)	४९४
२७४	पत्र पत्रपत्रपत्र रिपणिया, (१३-८-१९२५)	४९६
२७५	भाषण गायत्री गायत्री मन्त्रों, (१३-४-१९२५)	४९७
२७६	गायत्री गायत्री, (१५-४-१९२५ को या उसके पश्चात्)	४९९
२७७	भाषण गायत्री, (१५-४-१९२५)	४९९
२७८	रिपणिया पत्रपत्रपत्र, बंगालका दौरा, अगिल भारतीय गोरक्षा मण्डल, (१६-८-१९२५)	५०१
२७९	गैरी रिपणिया, (१६-४-१९२५)	५०४
२८०	अभाषणी बहनों, (१६-८-१९२५)	५०८
२८१	गगनांगिके बारेमें, (१६-८-१९२५)	५१०
२८२	गगनांगिके, (१६-८-१९२५)	५११
२८३	भाषण गगनांगिके गुणगुणमें, (१६-८-१९२५)	५१२
२८४	गगनांगिके लिए शुभकामनाएँ, (१६-४-१९२५)	५१४
२८५	भाषण गगनांगिके जन्मज आश्रममें, (१६-४-१९२५)	५१४
२८६	भाषण पारमियोंकी मन्त्रों, (१६-८-१९२५)	५१५
२८७	पत्र डाह्याभाई पटेलको, (१८-४-१९२५)	५१६
२८८	तार मधुगदान त्रिकमजीको, (१८-४-१९२५)	५१७
२८९	भाषण जम्बुसरमें, (१८-४-१९२५)	५१७

वाईस

२९०	भापण भडौचमे, (१८-४-१९२५)	५१८
२९१	भापण भडौचकी सार्वजनिक सभामे, (१८-४-१९२५)	५१९
२९२	टिप्पणियाँ भूल सुधार, अन्त्यजोकी कठिनाइयाँ, अन्त्यजोके दोष, आदर्ग गाँव, काठियावाडका रुई-कोप, कमजोर नौजवान, प्लेग, मुर्दा गाडी, खादी वुननेवालोसे, वाढ-पीडितोके सहायतार्थ चरखा, अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल, (१९-४-१९२५)	५२०
२९३	पत्र कल्याणजी वी० मेहताको, (२०-४-१९२५)	५२६
२९४	पत्र ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, (२०-४-१९२५)	५२६
२९५	तार, (२१-४-१९२५ को या उससे पूर्व)	५२७
२९६	टिप्पणियाँ वाइकोम, फिर बगाल, सिखोकी दुख कथा, (२३-४-१९२५)	५२७
२९७	अभीतक कोई लक्षण नही, (२३-४-१९२५)	५२९
२९८	पुन वर्ण-व्यवस्था, (२३-४-१९२५)	५३१
२९९	दिल्लीमे खादी, (२३-४-१९२५)	५३४
३००	कतैयोको इनाम, (२३-४-१९२५)	५३४
३०१	आन्ध्रमे खहर, (२३-४-१९२५)	५३५
३०२	पत्र अब्बास तैयवजीको, (२३-४-१९२५)	५३५
३०३	पत्र वसुमती पण्डितको, (२३-४-१९२५)	५३६
३०४	मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अग, (२३-४-१९२५)	५३६
३०५	पत्र मगनलाल गाधीको, (२३-४-१९२५)	५३७
३०६	पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, (२५-४-१९२५)	५३७
३०७	पत्र जवाहरलाल नेहरूको, (२५-४-१९२५)	५३९
३०८	गुजरातकी सडके, (२६-४-१९२५)	५४०
३०९	टिप्पणियाँ मेरा बोझ, दुखी मनसे, लालच, चरखेका अभाव, श्री जयकरका चरखा, टढा तकुआ, गन्दे कपडे, एक ऋषिकुल, (२६-४-१९२५)	५४१
३१०	पत्र वसुमती पण्डितको, (२६-४-१९२५)	५४६
३११	तार मथुरादास त्रिकमजीको (२७-४-१९२५)	५४७
३१२	पत्र फूलचन्द शाहको, (२७-४-१९२५)	५४७
३१३	भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, (२७-४-१९२५)	५४८
३१४	भापण अखिल भारतीय गोरक्षा सभा, बम्बईमे, (२८-४-१९२५)	५४९
३१५	भेट पत्र-प्रतिनिधिसे, (२९-४-१९२५)	५५३
३१६	भेट 'न्यू इंडिया' के प्रतिनिधिसे, (२९-४-१९२५)	५५४
३१७	टिप्पणियाँ स्वर्धके योग्य, क्या मेरे पास धन-सम्पत्ति है, हिन्दी और अंग्रेजी, विहारियोंके लिए, ट्रान्सवालके भारतीय, यह है कहाँ? (३०-४-१९२५)	५५५

तेईस

३१८	गुण वनाम गिनती, (३०-४-१९२५)	५५९
३१९	पी० एन० पी० (त्रिवेन्द्रम्) को, (३०-४-१९२५)	५६२
३२०	'क्रान्तिकारी वननेके आकाक्षी' से, (३०-४-१९२५)	५६२
३२१	पुन अन्तर्जातीय भोज, (३०-४-१९२५)	५६४
३२२	क्या ईश्वर हे?, (३०-४-१९२५)	५६६
३२३	सत्यान्वेपी, (३०-४-१९२५)	५६८
३२४	भाषण नागपुरमे, (३०-४-१९२५)	५७०
३२५	वस्तुस्थिति सूचित करनेवाले आँकड़े, (३०-४-१९२५)	५७१

परिशिष्ट

१	वाइकोम सत्याग्रहपर त्रावणकोरके दीवानके भाषणका अर्थ	५७६
	सामग्रीके साधन-सूत्र	५८०
	तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	५८१
	शीर्षक-साकेतिका	५८७
	साकेतिका	५९१

१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूचूजको

सोजित्रा

१६ जनवरी, १९२५

प्रिय चार्ली,

मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे श्री एलेक्जेंडरको^१ किस आशयका तार भिजवाना चाहते हो। क्योंकि पहले जो अधिकारपत्र भेजा जा चुका है वह पर्याप्त रूप से व्यापक है। फिर भी यदि तुम मुझसे दूसरा अधिकारपत्र भिजवाना चाहते हो तो मुझे मनविदा और पता भेज दो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अधिक नहीं लिखूंगा।

सत्नेह।

तुम्हारा,
मोहन

[पुनश्च]

मुस्लिम लीगके वारेमे मत सोचो। इस मामलेमें कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है।

अग्रेजी प्रति (जी० एन० २६१९) की फोटो-नकलसे।

२ भाषण : महिला परिषद्, सोजित्रामें^२

१६ जनवरी, १९२५

मैं वहनोंके सामने राम-राज्यकी बात करता हूँ। राम-राज्य स्वराज्यसे भी अधिक है। इसलिए वह कैमा होता है, मैं इसीके वारेमे बताऊंगा, स्वराज्यके वारेमें नहीं। राम-राज्य बही हो सकता है, जहाँ सीताका होना सम्भव हो। हम हिन्दू बहुतेरे श्लोकोका पाठ करते हैं। उनमें एक श्लोक स्त्रियोके विषयमें है। इसमें प्रातःस्मरणीय स्त्रियोके नाम लिए गये हैं। कौन है ये स्त्रियाँ? जिनके नाम लेनेसे पुरुष और स्त्रियाँ सभी पुनीत हो जाते हैं। सती स्त्रियोमे सीताका नाम तो सदा ही लिया जाता है। हम "राम-मीता" नहीं कहते, "सीता-राम" कहते हैं और इसी प्रकार "कृष्ण-राधा" न

१ होरेस प्लेवजेंडर, जेनेवामें होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलनमें 'सोसाइटी ऑफ फ्रेंट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन'क प्रतिनिधि। देखिए खण्ड २५, पृष्ठ २३६।

२ गुजरातके पेटलाद जिलेमें।

३ तारा, कुती, अद्विष्या, मदोदरी, द्रौपदी।

कहकर "राधा-कृष्ण" कहते हैं। सुगोको भी यही पढाया जाता है। हम सीताका नाम पहले लेते हैं, इसका कारण यह है कि पवित्र स्त्रियाँ न हो, तो पवित्र पुरुषोका होना असम्भव है। बालक माता जैसे ही बनेगे, पिता जैसे नहीं। माताके हाथमे बालककी चागडोर होती है। पिताका कार्यक्षेत्र बाहर है, इसीलिए मैं सदा कहता आया हूँ कि जबतक सार्वजनिक जीवनमे भारतकी स्त्रियाँ भाग नहीं लेती, तबतक हिन्दुस्तानका उद्धार नहीं हो सकता। सार्वजनिक जीवनमे वही भाग ले सकेगी जो तन और मनसे पवित्र है। जिनके तन और मन एक ही दिशामे—पवित्र दिशामे चलते जा रहे हो, जबतक ऐसी स्त्रियाँ हिन्दुस्तानके सार्वजनिक जीवनको पवित्र न करे, तबतक राम-राज्य अथवा स्वराज्य असम्भव है। अथवा स्वराज्य सम्भव हो, तो वह ऐसा स्वराज्य होगा, जिसमे स्त्रियोका पूरा-पूरा भाग नहीं रहेगा। और जिस स्वराज्यमे स्त्रियोका पूरा-पूरा भाग न हो, वह मेरे लेखे निकम्मा स्वराज्य है। पवित्र मन और हृदय रखनेवाली स्त्री सदा साष्टांग नमस्कार करने योग्य है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवनमे भाग ले।

हम किसे ऐसी स्त्री कहे? कहा जाता है कि सतीका तेज चेहरेसे प्रकट हो जाता है। कोई कह सकता है कि भारतमे जितनी वेश्याएँ हैं, क्या उन सबको भी सती माने, क्योंकि वे तो चेहरेको तेजवन्त रखनेका व्यवसाय ही करती हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है। मुख्य बात तो हृदयकी पवित्रता है। जिसका मन और हृदय पवित्र है, वह सती सदैव पूज्य है। हम जैसे भीतर होते हैं, बाहर भी वैसे ही प्रकट होते हैं। यही प्रकृतिका नियम है। यदि हम भीतरसे मलिन हो, तो बाहर भी वैसे ही दिखाई देगे। दृष्टि और वाणी, ये बाह्य चिह्न हैं किन्तु जाननेवाला गुण-अवगुणकी पहचान इन बाह्य चिह्नोंसे भी कर लेता है।

तब फिर पवित्रताका क्या अर्थ है? इसका क्या लक्षण है? मैं खादीको पवित्रताकी निशानी समझता हूँ, किन्तु यदि मैं यह कहूँ कि जो खादी पहनता है, वह पवित्र हो जाता है, तो इसे मानना ठीक नहीं हो सकता।

मैं कहता हूँ कि सार्वजनिक जीवनमे हाथ बटाओ। इसका भी क्या अर्थ है? सार्वजनिक जीवनमे भाग लेनेका अर्थ सभा-मण्डलोमे जाकर उपस्थित हो जाना नहीं है, बल्कि यह है कि लोग पवित्रताके चिह्नस्वरूप खादी पहनकर हिन्दुस्तानके स्त्री-पुरुषोकी सेवा करे। यदि हम राजा-महाराजाओकी सेवा करे, तो उससे क्या होगा? यदि हम वहाँ जाये, तो सम्भव है कि दरवान ही महाराजा साहबके पास न जाने दे। किसी घनिक व्यक्तिकी सेवा करनेकी इच्छाका भी 'ऐसा ही फल हो सकता है'। हिन्दुस्तानकी सेवाका अर्थ है गरीबोकी सेवा। ईश्वर अदृश्य है, इसलिए यदि हम दृश्यकी सेवा करे तो पर्याप्त है। दृश्य ईश्वरकी सेवाका अर्थ है गरीबोकी सेवा और यही हमारे सार्वजनिक जीवनका अर्थ है। यदि हमे जनताकी सेवा करनी हो तो भगवानका नाम लेकर हमे गरीबोके बीचमे जाकर चरखा चलाना चाहिए।

सार्वजनिक जीवनमे हाथ बँटानेका अर्थ गरीब बहनोकी सेवा करना है। इन बहनोकी हालत बहुत दयनीय है। गगाके उस तीरपर जहाँ जनक राजा हुए और सीताजी हुई, अपनी पत्नीके साथ मेरी इनसे मुलाकात हुई। बड़ी ही दयाजनक

स्थिति मीने इनकी देखी। शरीरपर पूरे कपडे नहीं थे। किन्तु उस समय मैं इन्हे कपडे नहीं दे सका, क्योंकि तबतक चरखा मेरे हाथ नहीं लगा था। हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंको कपडा मिलता है, फिर भी वे नग्न हैं। क्योंकि जबतक देशमें एक भी बहनको बिना कपडेके रहना पडता हो, तबतक यही माना जायेगा कि देशकी सारी स्त्रियोंके पास कपडे नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई स्त्री सोलह सिंगार किये हुए हो और उसका हृदय अपवित्र हो, तो उसे भी विवस्त्र ही माना जायेगा। हमें विचार करना है कि कैसे इन सबसे चरखा चलवाये ताकि वस्त्रहीनताका यह अभिशाप दूर हो।

आज तो जब सेवा करनेवाले लोग गाँवमें जाते हैं तो वहाँके लोगोंको ऐसा लगता है कि कोई चीथ बसूल करनेवाला आ गया। उन्हें ऐसा आभास क्यों होता है? आप लोगोंको यह समझ लेना चाहिए कि आप गाँवमें देनेके लिए जाते हैं, लेनेके लिए नहीं।

हमारी माताएँ सूत कातती थीं। क्या वे मूर्ख थीं? मैं जब आप लोगोंको कातनेको कहता हूँ तो मैं आपको मूर्ख लग सकता हूँ। किन्तु पागल गाधी नहीं है, आप खुद पागल हैं। आपके मनमें गरीबोंके लिए दया नहीं है। और इसके बाद भी आप अपने मनको धीरज देना चाहते हैं कि देश सम्पन्न हो गया है। ओर फिर आप लोग सम्पन्नताके गीत गाते हैं। यदि आप सार्वजनिक जीवनमें पाँव रखना चाहती हैं। तो जनताकी सेवा कीजिए, चरखा काटिए, खादी पहनिये। यदि आपका तन और मन शुद्ध हो गया, तो आप सच्ची देशभक्त बनेगी। भगवानका नाम लेकर सूत काटिए। भगवानका नाम लेकर सूत कातनेका अर्थ है, गरीब बहनोके लिए कातना। दरिद्रको दिया गया दान ईश्वरको पूजा चढाने जैसा है। दान तो वही है जो दरिद्रको सुख पहुँचाये। आप चाहे जिसको पैसा लुटाये, तो उसका तो यही अर्थ होगा कि आप अपनी सनक पूरी करती है। जिसे ईश्वरने दो हाथ, दो पाँव और स्वास्थ्य दिया है, यदि आप उसे दान देती हैं, तो कहना पडेगा कि आप उसे कगाल बनानेपर तुली हुई हैं। कोई ब्राह्मण है, केवल इसीलिए उसे भिक्षा न दी जाये। उससे चरखा चलाइए और फिर एक मुट्ठी ज्वार या चावल दे दीजिए। गरीबोंमें जाकर खादीका प्रचार करना मनकी पवित्रताका पहला लक्षण है।

दूसरा लक्षण है अन्त्यजकी सेवा करना। आजकलके ब्राह्मण और गुरुगण आदि अन्त्यजको छूनेमें पाप मानते हैं। मैं कहता हूँ कि यह पाप नहीं है, धर्म है। मैं इनके साथ खाने-पीनेकी बात नहीं कहता। मैं तो उनकी सेवाके लिए, उनके बीच जानेके लिए कहता हूँ। अन्त्यजके जो बच्चे बीमार हैं, उनकी सेवा करना धर्म है। अन्त्यज खाते हैं, पीते हैं, खडे होते हैं और बैठते हैं। हम सब भी यही करते हैं। इन सब क्रियाओंमें न कोई धर्म है, न कोई पवित्रता। निश्चित अवधिमें मेरी माता भी अस्पृश्य हो जाती थी और उस समय वह अपनेको छूने नहीं देती थी। मेरी पत्नी भी इसी तरह अस्पृश्य हो जाती थी। कह सकते हैं कि उस समय वह अन्त्यज हो जाती थी। जब हमारे भगी भैया फेरनेका काम करते हैं, तब वे अस्पृश्य होते हैं। जबतक वे नहा-धो न ले, तबतक उनको न छूनेकी बात समझमें आ सकती है। किन्तु नहा-वोकर साफ सुथरे बन चुकनेके बाद भी यदि हम उन्हें नहीं छूते, तो फिर उनके

नहाने-धोनेका अर्थ ही क्या है। उनका तो कोई ईश्वर भी नहीं है। वे सोचते हैं कि दूसरोके भी मेरे जैसे आँख, नाक इत्यादि है, फिर भी ये लोग हमारा तिरस्कार करते हैं ऐसी अवस्थामे हम क्या करें? जरा इस परिस्थितिपर विचार कीजिए। क्या रामचन्द्रने अन्त्यजोका तिरस्कार किया था? उन्होंने शवरीके जूठे बैर खाये थे; उन्होंने निपादराजको गले लगाया था। और शवरी तथा निपादराज दोनो ही अस्पृश्य थे। इसपरसे आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि हिन्दू धर्मके अन्तर्गत अस्पृश्यता है ही नहीं।

पवित्रताका तीसरा लक्षण है मुसलमानोके प्रति मित्रभावका विकास। "यह तो मियाँ ठहरा", "मियाँ और महादेव साथ-साथ कैसे बैठ सकते हैं" यदि कोई ऐसा कहे, तो उसे बताइए कि आप मुसलमानोके प्रति वैरभाव नहीं रख सकते।

यदि आप ये तीन बातें करें, तो कहा जा सकता है कि आपने सार्वजनिक जीवनमे पूरा भाग लिया है। इस तरहके आचरणसे आप प्रातः स्मरणीय बन जायेगी और ऐसा माना जायेगा कि आपने हिन्दुस्तानको तारनेका काम किया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी बनें।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी : खण्ड ७

३. भाषण : बारिया क्षत्रिय परिषद्, सोजित्रामें

१६ जनवरी, १९२५

भाइयो, मुझे दुःख है कि इस परिषद्का काम समाप्त करनेके लिए हमारे पास केवल १० मिनट बच रहे हैं, क्योंकि ४ वजे अन्त्यज भाइयोको बुलाया गया है। आपने तीन प्रस्ताव पास किये। ये तीनों अत्यन्त उपयोगी हैं। आपने शराब न पीनेका प्रस्ताव किया, यह अच्छी बात है। यह ठीक है कि शराब न पीनेकी जरूरत केवल आप ही की जातिको नहीं है। और भी दूसरी कौमे पीती हैं। आपने यह प्रस्ताव भी किया कि पैसा लेकर लडकी न दी जाये और स्त्रियोका अपहरण न किया जाये। ये भी अच्छी बातें हैं। आप लोग क्षत्रिय हैं, और मानते हैं कि आपमें क्षत्रियोके गुण हैं। यदि आप शास्त्रोके पन्ने उलटेंगे, तो आपको मालूम हो जायेगा कि सच्चा क्षत्रिय कदम बढ़ाकर फिर उसे पीछे नहीं रखता। इसके सिवा वह दूसरोका रक्षक होता है। मेरे लिए कहे बिना भी आप इस बातको समझते हैं कि ऐसा आचरण क्षत्रियका धर्म है। इस सिद्धान्तको मान लेनेके बाद आप पीछे नहीं हटेंगे। प्रतिज्ञा करनेका अर्थ है, वचन देना। किसी कामको करनेकी शपथ ईश्वरको साक्षी रखकर ही ली जानी चाहिए। आपने शराब न पीने, बेटों न बेचने और स्त्रियोका हरण न करनेकी प्रतिज्ञा ली है। यदि आप अपने इन वचनोका पालन नहीं करेंगे, तो समझना चाहिए कि आपने सारे ससारके प्रति गुनाह किया है। चारों वर्णोंको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार चलना चाहिए।

वचन-भग करनेका अर्थ है पीछे हटना। इसलिए यदि आप प्रतिज्ञा लेते नमय अपना हाथ ऊँचा करे और वादमे उसे भूल जाये, तो आप क्षत्रिय नहीं रहेंगे। वह आपके लिए लज्जाकी बात होगी, इतना ही नहीं, मेरे लिए भी लज्जाकी बात होगी। मेरे मनपर उसका बड़ा बोझ रहेगा। आपके बीचमे रविशकर' काम कर रहे हैं। यदि आप उन्हें वचन दे दे कि चोरी नहीं करेंगे और फिर चोरी करे, तो रविशकर क्या कर सकता है। सरकार आपको जेल भेज सकती है, किन्तु रविशकर तो उपवास करेगा और खुद भूखो मरेगा। उसके ऐसा करनेका अभिप्राय यह होगा कि आप लोगो द्वारा वचन-भग किये जानेकी अपेक्षा तो यह अच्छा है कि आप मुझे मार डाले। रविशकरके सामने आपने वचन लिया है, इसलिए आपके वचन तोड़नेका अर्थ होगा उसके लिए उपवासका अवसर उपस्थित करना। मैं भी रविशकरकी जातिका आदमी हूँ और उसके कदममे कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। मैं मारना तो नहीं जानता, किन्तु मरना जानता हूँ। आप समझ लीजिए कि रविशकर कोई अकेला आदमी नहीं है—एक पूरी पलटन उसके साथ है। आपको इस तरह गावधान कर देनेके वाद मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको अपनी प्रतिज्ञा कपूल है? यह कोई नाटक नहीं है। मुझे नाटक करना पसन्द नहीं है। कोई भी जाति नाटक करके ऊँचा नहीं उठ सकती। हम पड़े-लिये लोगोने आपके नामने नाटक कर-रुके आप लोगोको विगाड दिया है। इसलिए इस वार पूरी तरह मोच-विचारे करके आप अपने हाथ उठाये। वह समय चला गया कि जब हाथ ऊँचा करनेका मतलब ही प्रतिज्ञाका पालन मान लिया जाता था। इतना मैंने प्रतिज्ञाके विषयमे कहा।

अब दूसरी दो बातें कहता हूँ। एक बात यह है कि आप लोगोको गादी पहननी चाहिए। आप लोगोको यह नहीं मानना चाहिए कि केवल नर्मदा और सावरमतीके बीच बसा हुआ भाग ही आपका देश है। आपका देश एक बहुत बड़ा देश है। १९०० मील लम्बा और १५०० मील चौड़ा। यदि आप पैदल इसके आर-पार जाना चाहे, तो १९० दिन लगेंगे। उस बड़े देशमे रहनेवाले सभी व्यक्ति आपके भाई-बहन हैं। उसके लिए आपको सूत कातना चाहिए। कना हुआ सूत आपके पान भेजना चाहिए। गादीको सस्ता करनेका और कोई उपाय नहीं है। आप पैन अघा घटा काते। यदि करोड़ो लोग आधा घटा गोज काते, तो गादी मुफ्त मिलने लगे।

दूसरी बात है अन्त्यजोंको अपनावनेकी। क्षत्रियका अर्थ है गो-ग्राहण प्रतिपाद्य। गोकाम अर्थ दो सीगोवाला प्राणी ही नहीं है। गायका अर्थ है कोई भी दु-गो प्राणी। अन्त्यज एक दु-गो जाति है। जिम क्षत्रियने अन्त्यजको भुला दिया वह क्षत्रिय ही नहीं रहा। अपनेको क्षत्रिय जातिका माननेवाला यदि अन्त्यजको त्याग दे, तो वह क्षत्रिय ही नहीं कहा जा सकता।

मैं ईश्वरमे प्रार्थना करता हूँ कि वह प्रतिज्ञा पाठन करनेमें आसानी गवाय करे। यदि आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेके इच्छुत हो, तो मुझ गरीबकी बात मानिए। जिमे भी व्रत पालना हो, वह मखेरे उठकर गमरा नाप ले, मोदके परे

रामका नाम ले और प्रार्थना करे कि हे राम, मेरे सहायक बनो, मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनेमें सहायता दो। यदि आप ऐसा करेंगे तो शराव देखकर आपका मन विचलित नहीं होगा, किसी बहनको देखकर मनमें विकार उत्पन्न न होगा। लडकी बेचारी तो गाय है। उसे बेचते हुए स्वयं आपके मनमें अपने प्रति तिरस्कार पैदा होगा।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

४. भाषण : अन्त्यज परिषद्, सोजित्रामें

१६ जनवरी, १९२५

हमें अपने दुर्गुण न तो छिपाने चाहिए और न उनके कारण शरमाना चाहिए। बहनोको हुक्का पीते देखकर मुझे कष्ट होता है। उनके मुँहसे दुर्गंध आती है। जिन्हें शरावकी लत है उनका भी यही हाल है। शराव पीनेवालोकी क्या दशा होती है, मुझे इसका अनुभव है। भाँग पीनेवालोका भी मुझे अनुभव है। शराव और भाँग एक-सी चीजे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इन सब व्यसनोका त्याग करे और यदि आप मेरी बात सुने तो माँस खाना भी विलकुल छोड़ दे।

अन्त्यजोका स्पर्श न करनेवाले सज्जन अनेक आपत्तियाँ खड़ी करते हैं, जब मैं उन लोगोसे बहस करता हूँ, तब वे कहते हैं कि अन्त्यज बहुत गन्दे रहते हैं, शराव पीते हैं और माँस खाते हैं। मैं जवाब देता हूँ कि ब्राह्मणो, वैश्यो और दूसरी जातियोमें भी ऐसे लोग होते हैं, फिर भी उनके बच्चे शालाओमें जाते हैं, मन्दिरोंमें जा सकते हैं, यह उलटा न्याय किस लिए? तथापि आपसे तो मैं यही कहूँगा कि आपके खिलाफ जो-जो बातें कही जाती हैं उनसे आप अपनेको बरी रखे, जिससे फिर उन्हें भी कुछ कहनेकी गुजाइश न रहे। अपना काम करनेके वाद आपको रोज नहाना जरूर चाहिए। भगीका काम मैंने बहुत किया है। मेरे लडकोने भी यह काम बहुत किया है। आपके रावजीभाईने^१ भी किया है। इसमें शर्मकी कोई बात है ही नहीं, यह तो एक पवित्र काम है। जो शस्त्र गन्दगी हटाता है वह पवित्र काम करता है। आप यदि खाल उतारे या साफ करे तो उसके वाद नहाये। भले आदमी हमेशा दातून करते हैं, दाँत साफ करते हैं, और नहा बोक़र शरीर भी साफ रखते हैं। आप इतना सब करे और हाथमें माला लेकर रामनाम जपे। माला न हो तो उँगलियोपर रामनाम जपे। इस रामनामके लेनेसे आपके व्यसन छूट जायेंगे, आप स्वच्छ हो जायेंगे और सब आपको मान देंगे। सुबह उठकर रामनाम लेनेसे और सोते समय रामनाम लेनेसे दिन अच्छी तरह बीतेगा। और रातको बुरे सपने भी नहीं आयेंगे। स्वच्छ रहनेके लिए यह भी जरूरी है कि किसीकी जूठन या किसीका दिया हुआ वासी भोजन न लिया जाये। भेवा-मिठाई भी यदि जूठी दी जाये तो स्वीकार न करे और खुद हाथसे

१ रावजी भाइ पटेल, विगत कुछ वर्षोंसे वे जिलेके अन्त्यजोंमें काम कर रहे थे।

वनाकर साये। आपका जन्म जूठन खानेके लिए नहीं हुआ है। आपके भी आँख हैं, नाक ह, कान है। आप पूरे मनुष्य है, इसलिए आप मनुष्यत्वकी रक्षा करना सीखे।

ऐसे भी बहुतसे लोग हैं जो आपसे आकर कहेंगे कि तुम्हारा हिन्दू धर्म किसी कामका नहीं है। वह तुम्हें मदरसे या मन्दिर जानेकी इजाजत नहीं देता। तो उनसे कहना कि हम अपने हिन्दू भाइयोसे स्वयं निपट लेंगे, भाई-भाई या बाप-बेटे यदि लड़े तो जिस तरह कोई उनके बीच नहीं पड़ता उसी तरह आप भी हमारे बीच न पड़िए—आप उन्हें यह जवाब दे और अपने धर्मपर आरूढ़ रहे। मैं खुद जात-बाहर हूँ, मेरे जैसे कितने ही लोग जात-बाहर हैं, तो क्या इससे मैं अपना धर्म छोड़ दूँ? कितने ईसाई मित्र मुझसे कहते हैं कि तुम ईसाई हो जाओ। मैं उनसे कहता हूँ मुझे अपने धर्ममें कोई कमी नहीं मालूम होती, मैं क्यों उसे छोड़ूँ? मैं भले ही जात-बाहर रहूँ, पर यदि मैं पवित्र हूँ, स्वच्छ हूँ तो मुझे किस बातका दुःख हो सकता है? यदि कोई हिन्दू इसलिए मुझे सताये कि मैं अन्त्यजको गले लगाता हूँ, तो क्या मैं हिन्दू धर्म छोड़ दूँगा? हिन्दूपन मेरे अपने लिए है, मेरी आत्माके लिए है। ईसाई और मुसलमान दोनोंसे आप यह बात कहे और हिन्दू धर्ममें दृढ़ रहे। अन्त्यज लोग शतरजके मोहरे या वाजी नहीं हैं कि जो चाहे उनसे खेल करे। मैं आपको भाई-बहन कहता हूँ, आपके पाम आता हूँ, सो अपनी गरजसे। इसमें मेरा यह स्वार्थ है कि मेरे पूर्वजोंने आपके साथ जो पाप किया है, मैं उसे धो डालूँ। पर आपके प्रति यदि कोई कुछ पाप करता है तो पापका भागी वह होता है, आप नहीं। इसलिए आप धर्मका त्याग क्यों करे? प्रायश्चित्त तो हमें करना है। आप, रामनाम क्यों छोड़े? रामका यह न्याय है कि जो रामका मेवक है, रामका दास है, उसे वह दुःख दिया ही करता है और इस तरह उसकी आजमाइश करता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस आजमाइशमें पूरे उतरे।

आखिरमें मुझे आपसे यह कहना है कि मनमें दया रखें क्योंकि दुनियाके हम सब प्राणी परस्पर प्रेमके बलपर जीते हैं। और अन्तमें यह कहना चाहूँगा कि आप सब चरखा चलाये, खादी धुने और खादी ही पहने।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

५. भाषण : बारडोलीमें

१७ जनवरी, १९२५

यह नारियल, सूत और पैसा आदि लेकर मुझे सुख नहीं होता। मैं इसे ले लेता हूँ, वस इतना ही समझिए। किन्तु मैं तो सच्चे आदमीकी खोजमें हूँ। मैंने वराडमें एक बड़ी अच्छी पाठशाला देखी। वहाँ बहुतसे अच्छे-अच्छे शिक्षक हैं। किन्तु विद्यापीठके इस प्रस्तावके बाद कि अन्त्यज बालकोको शालामें प्रवेश दिया जाना चाहिए, उस राष्ट्रीय शालामें से बहुतसे अभिभावकोने अपने बालक हटा लिये हैं। मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूँ कि बादमें राष्ट्रीय शाला और गाँवकी शालाको एक करनेका प्रस्ताव भी पास हुआ है। किन्तु पहले अपने कर्त्तव्यको भूल जाना और फिर उसे याद करना इसमें क्या सार है? क्या हम सन् १९२१ में नाटक कर रहे थे? उन दिनों हमारा विश्वास था कि अस्पृश्यता-निवारणके विना यदि स्वराज्य मिलता है, तो भी वह निकम्मा है, खादीके विना स्वराज्य मिलता है तो वह निकम्मा है। किन्तु आज देखता हूँ कि बारडोलीमें श्रद्धा नहीं बची है, हिम्मत नहीं बची। सच्ची हिम्मत तो वही है कि सबके हार मान लेनेके बाद जो पाँच-पच्चीस आदमी बच रहे वे अन्ततक उठायें गये कामको पूरा करें। बारडोलीने न खादीका कार्यक्रम पूरा किया और न अस्पृश्यताका। और दुबलोका भी बुरा हाल किया। मैं तो चाहता हूँ कि जो भूल हो गई है, बारडोली आज भी उसे सुधार ले। मैं बारडोलीके प्रति अपनी आशाका त्याग करनेवाला नहीं हूँ। बहनोकी आँखोंमें जो प्रेम और चमक दिखाई देती थी, वह आज भी जैसी की तैसी है। वे सूत, पैसा आदि जो-कुछ लेकर आई हैं, अपने-आप लेकर आई हैं, किसीके कहे विना लाई हैं, ऐसा मैंने सुना है। शक्ति तो पुरुष ही गँवा बैठे हैं। भाई रायचुराको^१ यह कहनेके वजाय कि गुजरातने पजाब, बंगाल इत्यादिकी लाज रख ली, कहना यह चाहिए कि गुजरातने लाज छोड़ दी। गुजरातके लिए आज भी मौका है। मैं आज जेलमें जानेके लिए नहीं कहता। आज तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जो हमारा स्वाभाविक धर्म है और जिसे पालना अत्यन्त आवश्यक है, हम उसका पालन करें। मुझे यहाँ आनेकी धुन नहीं लगी थी। मैं जो यहाँ आया हूँ, सो अपना धर्म समझकर आया हूँ। मैं निराश नहीं हूँ, किन्तु उदास जरूर हुआ हूँ। कारण यह है कि आप आज भी आत्मविश्वासको खोकर बैठे हुए हैं। किन्तु समय चला नहीं गया है। बहिष्कारकी बात तो एक क्षणिक बात थी। उसे जाने दीजिये। जो बातें केवल स्वराज्य-प्राप्तिके लिए साधन-मात्र थी, उन्हें मैंने फिलहाल त्याग दिया है। फिर भी आपको उन सब बातोंका पालन तो करना ही चाहिए जो आत्मशुद्धिके साधन हैं—अर्थात् खादी, अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम एकता। आप इनका

१. संकेत असहयोग आन्दोलनकी ओर है।

२. स्थानीय कवि; कदाचित् उन्होंने उस दिन सभामें इस आशयकी कविता पढ़ी थी।

जाचरण तीजिए। स्वराज्य मिलता है या नहीं, इसकी चिन्ता किये बिना इन सबका धर्म मानकर पालन कीजिए, नहीं तो सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा। अस्पृश्यता-निवारणके बिना हिन्दू धर्मका नाश हो जायेगा और यदि खादीको व्यापक नहीं बनाया गया, तो देशमें ऐसी भुगमरी फैलेगी कि हम ककाल-मात्र बच रहेगे और हमारा मास होए-हुत्ते ना जायेंगे।

[गुजरातीमें]

नवजीवन, ८-२-१९२५

६ काठियावाड़के सस्मरण

प्रेम-सागरमें

मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ सभी जगह मुझे असाधारण प्रेम दिखाई देता है। इसलिए अब मुझे उममें कुछ अनोखापन नहीं लगता। मैं तो जहाँ जाता हूँ, वहाँ काठियावाड़के ही दशन करता हूँ। फिर भी काठियावाड़के प्रेमका प्रभाव कुछ जुदा ही पडना है। या तो मुझे काठियावाड़में प्रेमकी आवश्यकता ही महसूस नहीं होती बल्कि मुझे काठियावाड़की जोगमें प्रेमके प्रदर्शनकी इच्छा ही नहीं होती। मेरी भावना क्या है, मैं इसे समझ ही नहीं सकता। काठियावाड़में प्रेमका प्रदर्शन किस लिए? जो "प्रेम-पूतिके लिए विनय" की अपेक्षा करना है, वह कैसा स्नेह?

अतिरिक्त आशा

शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं काठियावाड़में कुछ अधिक आशा रखता हूँ और शायद इसलिए मुझे उमके वाह्य प्रेमसे सन्तोष ही नहीं होता। कही ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रेमके इन प्रदर्शनमें मन ही मन असन्तुष्ट हो रहा हूँ। यदि कोई माँ विधिका पालन करनेकी धुनमें बच्चेको रोटी परोसना भूल जाये और उसके लिए चौका लगाने बैठ जाये, तो जिन तरह बच्चेको उपेक्षाका भान ही होगा, कही मुझे भी तो वैसा नहीं लग रहा है? क्या मैं अपने व्यवहारसे इस बातको स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रेम-प्रदर्शन छोडकर यदि आप लोग मुझे वह वस्तु दे देगे, जिसे माँगनेके लिए मैं लाज-शर्म छोडकर आ गया हूँ, तो मुझे अधिक सन्तोष होगा। बात ऐसी ही है।

यान ऐसी हो या न हो, मैं भावनगरमें इस भावसे आकर बैठ गया कि यह मेरे पिताकी भूमि है और हवाई-महल बनाने लगा। मेरा भी सपना निष्फल नहीं हुआ। स्वागत समितिने तमाम प्रस्ताव पेश करनेकी तैयारी कर रखी थी। मैंने तो उन्हें लगभग अमान्य ही कर दिया। मैंने सुझाव दिया कि इन प्रस्तावोंको वापस ले लिया जाना चाहिए। किन्तु यह बात सभीके गले नहीं उतरी, फिर भी समितिने मेरी वह मलाह स्वीकार कर ली।

१ काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्क लिए। परिषद् ८ और ९ जनवरी, १९२५ को गांधीजीको अध्यक्षतामें हुई थी। देखिए पृष्ठ २५।

चरखा

मैं भावनगर ऐसा सोचकर नहीं गया था कि वहाँ चरखेको मताधिकारकी एक शर्तके रूपमें स्वीकार कर लिया जायेगा। इसलिए चरखेके बारेमें प्रस्ताव देखकर मैं तो प्रसन्न ही हुआ था। किन्तु उस प्रस्तावमें कुछ बातें जरूरतसे ज्यादा थीं। उसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष हर एक सदस्यको ५० रुपये मूल्यकी खादी बेचनी चाहिए और कार्यकारिणी समितिके सदस्योंको ५०० रुपये तककी। मैंने इस बातको वापस लेनेका सुझाव दिया। यदि सदस्यगण इस हदतक उत्तरदायित्व स्वीकार करनेके लिए तैयार हो जाये, तब तो हम अविलम्ब विदेशी कपडेका वहिष्कार कर सकते हैं। किन्तु मताधिकार पानेके लिए ऐसी कोई शर्त लगा देना, जो दूसरोके सहयोगके बिना पूरी नहीं हो सकती, मताधिकारके मूळ तत्त्वपर ही आघात कर देना है।

यद्यपि यह शर्त मताधिकारकी हदतक हटा ली गई है, फिर भी जो लोग खादीका प्रचार कर सकते हैं, वे लोग तो करेगे ही। विषय-समितिके जो चर्चा हुई वह मुझे अतिशय प्रिय लगी। सबने अपनी-अपनी बात निडर होकर कही। मैंने देखा कि कातनेके विरोधमें मत-प्रदर्शित करनेवाले लोग भी काफी थे। किन्तु उनका तर्क अधिकतर लोगोंको पसन्द नहीं आया। यहाँ अपरिवर्तनवादी और स्वराज्यवादियों जैसे कोई वर्ग कदापि नहीं थे, इसलिए चर्चा कातनेके गुण दोषोंको लेकर ही होती रही। इस सम्बन्धमें दो परस्पर विरोधी मत थे। एक कातनेके पक्षमें और दूसरा कातनेकी शर्तको मताधिकारके साथ जोड़नेके विरोधमें।

जिन लोगोंने कातनेके पक्षमें मत दिया है, उनका कर्त्तव्य विलकुल स्पष्ट है। उन्हें अपनी अविचल निष्ठा स्वयं कातकर और अन्य प्रकारसे खादीका प्रचार करके सिद्ध करनी है। यदि वे इस प्रकार खादीके पक्षमें मत देनेके बाद नियमसे नहीं कातते तो वे काठियावाड और मुझे, दोनोंको, दगा दे रहे हैं, ऐसा कहा जायेगा। और यदि वे निरन्तर कातते रहे, तो वर्षके अन्तमें देखेंगे कि जो कातनेवाले नहीं हैं, वे भी कातन लगे हैं।

खादी पहनो

जो बात कातनेके विषयमें है, वही खादी पहननेके विषयमें भी है। खादी पहननेकी बातका तो लगभग कोई विरोध ही नहीं था। खादी पहननेके पक्षमें इतने मत आनेके बाद भी काठियावाडमें खादी पहननेवालोंकी संख्या इतनी कम है, यह देखकर दुःख होता है। इसे बड़े दुःखकी बात कहना चाहिए कि काठियावाडकी खादी बाहर जाती है और उसकी स्थानीय बिक्री बहुत ही थोड़ी होती है। किन्तु अब चूँकि खादीके पक्षमें इतने मत आये हैं, आशा की जा सकती है कि उसकी बिक्री काठियावाडमें काफी बढ़ जायेगी।

आजन्म सदस्य

काठियावाड राजनीतिक समितिके लगभग ३६ आजन्म सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने उसका शुल्क पाँच रुपया एक ही बारमें दे दिया है। इन सदस्योंमें से एकने आजन्म

सदस्योंके अधिकारके विषयमे प्रश्न उठाया और मुझेसे अध्यक्ष होनेके नाते निर्णयकी माँग की। कताईसे सम्बन्धित प्रस्ताव अपनी विरोधी धाराओको रद्द कर देता है और इसलिए प्रश्न उठता है कि आजन्म सदस्योंका हक रहा या गया? अर्थात् प्रस्तावके अनुसार यदि वे नहीं कातते हैं और दूसरोसे भी नहीं कतवाते हैं, तो क्या शुल्क देकर आजन्म सदस्य होनेके उनके हक समाप्त हो जाते हैं—प्रस्तावके अनुसार हो जाने चाहिए। प्रश्न अटपटा था, किन्तु कोई निर्णय दिये बिना छुटकारा नहीं था। मैंने निर्णय दिया कि आजन्म सदस्य चाहे काते चाहे न काते, वे आजन्म सदस्य तो बने ही रह सकते हैं। कायदेके मुताबिक समिति ऐसे अधिकार रद्द करनेमे सक्षम है या नहीं, मैंने इस विषयमे कोई निर्णय नहीं दिया। मुझे इतना ही तय करके बताना था कि समितिका प्रस्ताव आजन्म सदस्योंके अधिकारोको प्रभावित करता है या नहीं और मैंने इस प्रश्नके उत्तरमे आजन्म सदस्योके पक्षमे अपना निर्णय दिया।

उनसे प्रार्थना

फिर भी मैं उनसे यह प्रार्थना करूँगा कि वे अपने अधिकारसे लाभ न उठाये, बल्कि परिषद्के मन्त्रीको पत्र लिखकर सूचित करे कि उन्होंने स्वेच्छासे परिषद्का प्रस्ताव स्वीकार करके अपना हक छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि अधिकांश सदस्य ऐसा कोई प्रश्न उठाना भी नहीं चाहते थे। उनमे से बहुतसे लोग कातनेके लिए तैयार भी हैं। इसलिए जब परिषद्ने कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं, तब मेरी नम्र सम्मतिमे उसके आजन्म सदस्योका अपने अधिकारपर जोर देकर प्रस्तावका सम्मान न करना अनुचित है।

सर प्रभाशकर पट्टणी

सर प्रभाशकर पट्टणीका कातनेकी प्रतिज्ञा लेना, मेरी समझमे परिषद्का एक बड़ा काम है। उन्होंने जिन शब्दोमे शपथकी घोषणा की, वे अतिशय गम्भीर थे। सदस्योपर उसका प्रभाव भी गहरा हुआ। प्रतिज्ञाका मूल कारण इस प्रकार था। बेलगाँव कांग्रेसके समाप्त होनेके बाद अनेक सज्जनोने यह निश्चय किया था कि वे पहली मार्चके पहले-पहले अमुक सख्यामे कातनेवाले सदस्य बनायेंगे। मैंने स्वयं ऐसे १०० सदस्य बनानेका उत्तरदायित्व लिया था और साथ ही यह भी कहा था कि मैं ऐसे दो व्यक्तियोंको भी कातनेवाले सदस्य बनाऊँगा जो कातनेका विरोध करनेवाले माने जाते हैं। मुझे काठियावाडमे तो आना ही था, इसलिए मैंने सोचा था कि ये दो नाम मैं काठियावाडमे ही खोज निकालूँगा। कातनेके विरोधी सदस्योमे मैंने पट्टणी साहबका नाम सोचा था। जब कातनेसे सम्बन्धित प्रस्ताव विषय-समितिके स्वीकार किया, तब मैंने १०० नामोवाली बात कही और यह वचन भी दिया कि मैं पट्टणी साहबको कातने पर राजी करूँगा। मेरा यह कहना था कि पट्टणी साहब खड़े हो गये और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि तवीयतके अच्छे रहते हुए वे भोजनसे पहले हमेशा नियमके साथ कमसे-कम आधा घटा अवश्य कातेगे। उन्होंने एक शर्त यह अवश्य रखी कि मैं उन्हें कातना

सिखाऊंगा। यह तो मेरे मनकी बात हुई। परिषद् समाप्त होनेके बाद मुझे उनका मेहमान रहना था। परिषद्के दूसरे ही दिन मैंने उन्हें आधा घंटा कातना सिखाया। उस आधे घंटेमें ही उन्होंने पूनीमें से तार निकालना सीख लिया। दूसरे दिन उन्होंने दो घंटेमें ८ नवरका ४८ गज खासा अच्छा सूत काता और तीसरे दिन एक घंटेमें २७ गज काता। इन दोनों दिनों नहाकर सूत कात लेनेके बाद ही उन्होंने भोजन किया। यदि अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी और राजवशी-गण इसी प्रकार सूत कातकर उदाहरण उपस्थित करे, तो देशके गरीब लोगोंके ऊपर बड़ी अच्छी छाप पड़ेगी और वे उद्यमी बन जायेंगे। मुझे आशा है कि पट्टणी साहबकी प्रतिज्ञा सर्वांशमें सफल होगी।

मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे कांग्रेस या काठियावाड राजनीतिक परिषद्के सदस्य नहीं बनेंगे। वे बने, यह मेरी मांग भी नहीं थी और न इच्छा ही थी। मेरी दृष्टिसे कातनेका राजनीतिसे सम्बन्ध है। किन्तु उस सम्बन्धकी बात सोचे बिना भी काता जा सकता है। कातनेमें गरीबके प्रति जो दयाकी भावना है, जो धार्मिक भावना है और उसके पीछे जो आर्थिक दृष्टि है वह तो सभीको स्वीकार्य होने योग्य वस्तु है। मैं तो चाहता हूँ कि लॉर्ड रीडिंग भी काते। यदि राजनीतिका खयाल किये बिना राजा और प्रजा दोनों सूत कातने और खादी पहनने लग जाये, तो मैं भलीभाँति जानता हूँ कि हिन्दुस्तानका उद्धार अपने आप हो जायेगा। यह ऐसा काम है कि जिसमें सभी निस्सकोच भाग ले सकते हैं और हिन्दुस्तानकी थोड़ी-बहुत सेवा भी कर सकते हैं।

कपासकी उगाही

परिषद् जैसे ही समाप्त हुई, वैसे ही भाई देवचन्द पारेख, भाई मणिलाल कोठारी, भाई वरजोरजी, भरूचा वगैरा इस विचारसे कपास उगाहनेके लिए निकल पड़े कि गरीबोंको कपास देकर उनसे उनके आधे घंटेका श्रम प्राप्त किया जा सके। भावनगर छोड़नेके पहले ही उन्होंने लगभग २७५ मन कपास इकट्ठी कर ली। उम्मीद है कि केवल काठियावाडके ही दानसे लगभग २,००० मन कपास मिल जायेगी। मैं आशा करता हूँ कि कपास इकट्ठा करनेका यह काम उत्साहपूर्वक किया जायेगा और जो कपास देनेकी स्थितिमें है, वे उसे देनेमें बिलकुल आगा-पीछा नहीं करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-१-१९२५

७. भाषण : भुवासणमें

१८ जनवरी, १९२५

आदमी सोचता क्या है और करता क्या है? मैं मेरे और आपके दु खकी बात नहीं सोचना चाहता। हमने वारडोलीकी मारफत हिन्दुस्तानका बहुत-सा काम करनेकी बात सोची थी।' किन्तु आदमी कितना विचार करता है और भगवान उसमें से कितना पूरा करता है, इसे कोई नहीं जानता। हम तो उसके हाथकी कठपुतलियाँ हैं।

मैं दो-चार मोटी-मोटी बातें कहूँगा। आप लोग खूब कातते थे और घुननेमें दिलचस्पी लेते थे। आपके बीच गकरलाल वँकर रहते थे। अभी भोजन करते-करते मैं उनसे पूछ रहा था कि जब तुम यहाँ रहते थे, तब तुम्हारी यहाँ क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा कि आप सब लोग उनसे कहा करते थे कि "और कुछ भी क्यों न हो जाये, किन्तु खादीका मन्त्र हम समझ गये हैं। हम अच्छेसे-अच्छे बीज बोकर कपास पैदा करते हैं। हमें उसकी जानकारी है और हमारे पास समय भी है। तब फिर हम अपना कपडा स्वयं क्यों न तैयार करें?"

यह अच्छी बात है। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि वारडोली ताल्लुका जिस तरह अन्नके सम्बन्धमें स्वावलम्बी है, उस तरह वह वस्त्रके सम्बन्धमें भी स्वावलम्बी बन जाये और वारडोलीके वच्चे, स्त्री और पुरुष आलसी होनेके बदले उद्यमी बने। ऐसा नहीं है कि जो लोग ईश्वरकी कृपासे पैसेवाले हो जाते हैं। उन्हीको उद्यमी होनेकी जरूरत है। जो बिलकुल कमजोर हैं यदि उनके पास भी कोई छोटा-मोटा उद्यम हो तो यह एक अच्छी बात है। यह कहावत बिलकुल सच है कि "नवरो बेठो नख्खोद वाल"। कातने, घुननेका काम करके हम अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और भुखमरीकी हालतको ममाप्त कर सकते हैं। सम्भव है, आप जैसे लोगोको भूख किस चिडियाका नाम है, सो मालूम न हो, किन्तु कालीपरजो या दुबल्लेके लिए यह एक वस्तुस्थिति है। उनकी हालत लगभग पशुओ जैसी है। जिनके पास जमीन है, उनकी स्थिति सायद अच्छी हो, किन्तु इनमेंसे जो लोग सफेदपोशोकी चाकरी बजाकर अपना पेट भरते हैं, अगर आप उनकी आँखोको गौरसे देखे तो लगेगा कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। मैंने एक गाँवमें ऐसे बहुतसे-दुबलोको देखा।

मैं किसीसे यह नहीं कहता कि फिलहाल तुम्हें जेल जाना है। केवल दयालजी^१, वल्लभभाई और मुझे जेल जाना पड सकता है, और सो भी आज नहीं। इसका सत्र यह है कि सन् १९२१ में जो नीति निश्चित हुई थी, उसके अनुसार हरएकको

१ १९२२ में सरकारकी खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य सम्बन्धी नीतिसे विरोध प्रकट करनेके लिए यहाँ सबसे पहले सामूहिक सविनय अवज्ञा करनेका फैसला किया गया था।

२ निठल्ला अपनी जड़ खोदता है।

३ दयालजी देसाई, सूरतके एक सार्वजनिक कार्यकर्ता।

अपनी इच्छासे जेल जाना था। किन्तु आज जेल जानेका समय नहीं है। आज जेल जानेके लिए दूसरी ही शर्तें लागू होंगी। भारतके सर्वसाधारण लोगोंने अभी उन गुणोका अर्जन नहीं किया है जो जेल जानेके लिए आवश्यक होते हैं। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि इने-गिने लोग ही इस कामके लिए काफी होंगे। ये इने-गिने लोग आप लोगोमे से चुने जा सके, यह मेरी महत्त्वाकांक्षा है। किन्तु वह एक अलग बात है। इस समय मेरी अपेक्षा कुछ और ही है।

आप एक अच्छा काम करते थे। सब लोगोको आशा थी कि हम वारडोलीमे चाहे और कुछ भी न कर सके, किन्तु खादीका उत्पादन अवश्य कर सकेंगे। आप समझ गये थे कि यह करनेमे ही आपकी शोभा है। किन्तु इस समय आप यह सब भूल गये हैं। आपकी श्रद्धा कहाँ चली गई? मेरे जैसा कोई आदमी यदि आप लोगोके बीचमे आये और उतावलीमे एकाध काम शुरू कर दे, ऐसा काम जो आप लोगोको पसन्द नहीं है, तो क्या आप उसकी बातोमे आकर अपने हाथका अच्छा काम भी छोड़ देंगे।

किन्तु आपने तो यही किया। आपने आश्रमकी स्थापना की थी। आश्रमके लिए एक पारसी भाईने पैसा दिया था। यह पारसी भाई हातमताई-जैसा उदार व्यक्ति था। उस जैसे उदार आदमी कम ही होंगे। वह राजा बलिके समान दानी था। इसका नाम था रुस्तमजी।^१ सरभोणकी वस्ती जबतक रहेगी, तबतक इसका नाम भी अमर रहेगा। उसका आप लोगोसे कोई ताल्लुक नहीं था। आपका और उसका धर्म भी एक नहीं था। किन्तु उसने इन सब बातोको नहीं सोचा। जब उसने सुना कि वारडोलीके लोग बहादुर हैं और आत्मत्यागी हैं, तो उसने पैसा भेज दिया और उस पैसेसे आपने जो दो आश्रम बनाये उनके कार्यकर्त्ताओको जीवन-वेतन दिया जा रहा है।

इन आश्रमोमे गुजरातके उत्तमसे-उत्तम सेवक भी आये। नरहरि^२ भी उनमे से एक थे। किन्तु उसने तो आपका गुनाह किया। अगर मैं अपने लडकेको अपनी जगह बिठा दूँ और वह गलती करे तो वह गलती मेरी मानी जायेगी—अगर वह बिगडा हुआ लडका हो तो बात दूसरी है। नरहरिको मैंने अपनी जगह बैठाया। आश्रममे यह मेरे साथ काम करनेवाला आदमी है और मेरा उसपर विश्वास है। हमने बाहरसे पैसा लाकर वारडोलीमे उँडेला। सारी दुनियामे हमने वारडोलीका नाम उजागर किया। सारे देशमे वारडोलीके गीत गाये गये। लोगोंने यह सोचकर वहाँ कार्यकर्त्ता भेजे कि अगर वारडोलीकी बदनामी हुई तो यह बहुत बुरी बात होगी। नरहरि भी इन्हीमे से एक था। उसने आपका जो अपराध किया, वह यह था कि उसने दुबलोको पढाना और उनकी सेवा करनी शुरू की। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि यह तो एक करने लायक अपराध था।

हिन्दू धर्म सिखाता है कि गरीबसे-गरीबकी सेवा करके ही हम अपने मुँहमे कौर डाले। हमारा धर्म हमसे कमजोर पशुओका रक्षण करनेके लिए भी कहता है।

१. पारसी रुस्तमजी; द० आफ्रिकामें गांधीजीके सहयोगी।

२. नरहरि द्वारकादास परीख।

उसरी ली-ली चिरी हो, तो भी वह उन्हें अवध्य कहता है। हमे चींटियोंको भी पूरा ज्ञान चाहिए, प्राणि-भाषण समझनी चाहिए। ऐसा शिक्षण देनेवाला धर्म हमने वह रोषा नहीं पाया कि हम मनुष्योंके साथ पशुओंके भी पराव व्यवहार करें। क तो हमें गरीब आरम्भीपर क्या करना ही सिखाता है। हमें उनके साथ मनु-मनुष्यवत्ता जैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत-से पुगने जुट-पुगने नीकर, नीकरकी मरग नहीं, मरिचकी मरग होता है। हम उनके बच्चाको जो हमारे ही बच्चाकी मरग है, क्या चिन्ता करेंगे वह करते हैं?

मे चीत हूँ और नरहरि चीत है? किसीके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। नरहरि, जुगतराम और अन्य जग आपके ऊपर जबरदस्ती करनेके लिए नहीं आये थे। किन्तु आप उन्हें दुःखान अनुभव होता है, तो वे क्या करें? अगर आदमी किसीका साथ करे और अपनी पत्नीको मार ता पत्नी क्या कर सकती है? वह रोयेगी और अन्न छोड़ देगी। आरम्भी गुन्ना करता है तो उसमे दोष आदमीका है कि ईश्वर का? मैं अपने आरम्भे कहता हूँ। मैं विवाहित हूँ और मुझे गृहस्थीका अनुभव है। यदि और पत्नीत रोचने यदि जगज हो जाये, तो जीरन या तो कटुशब्द कहेगी या रोयेगी, नरहरि ऐसा ही किया, जैसा स्त्री करती है। उगने जाना बन्द कर दिया और वह रोनेको माना कि उगने आपके ऊपर अत्याचार किया है। किन्तु बात सही नहीं थी। वह व्यक्ति अत्याग्रह कर चुका है। सरकारके विरोधमे मत्याग्रह करने-वाले व्यक्ति आपके चिन्तामें भी मत्याग्रह किया। सरकारके विरोधमे किये जानेवाले मत्याग्रह उपवासका म्यात ही नहीं है। आपने देगा है कि मैं मुद भी ऐसा नहीं करता। मैंने उग्ररुने उपवास किया था, किन्तु वह अपने ही लोगोंके विरोधमे था — मरग और विशाकनके आगाके विरोधमे। किन्तु आप लोगोंने जो काम किया है, उमें ता मेरी मोत ही समझिए। किसीको कष्ट देना, जैसा चीरी-चौराके लोगोंने किया, ऐसा काम करना सरकारके विरोधमे किया गया मत्याग्रह नहीं कहला सकता। मरगाने विरोधमे किये जानेवाले मत्याग्रहमे उल जाना शामिल था, किन्तु उसमे भूगने मरग समझा उग्ररु कानेकी बात शामिल नहीं थी। मरकारका हमारी तरफ वैरभाव था, किन्तु नरहरि का तो आपके साथ सेवाभाव और प्रेमभाव था, मित्रताका दावा था। उग्ररु मन नउप उठा, किन्तु आप क्रोधने भर गये। अगर आप उसे मार डालते, तो कोई बात नहीं होती। किन्तु आप स्वय अपने ऊपर क्रोधित क्यों हुए? आपने चारी क्या छोड़ी? आपने समझा कि नरहरि आपमे जगटना चाहता है। आप यह भी कह सकते थे कि आप दुःखलोकके लिए कुछ नहीं करना चाहते। किन्तु धुनना, कातना और मारी पहनना उग्ररुका क्या अर्थ है? यह कितना बडा जुल्म, कितना बडा अनय है?

उमलिए मैं आपमे कहना चाहता हूँ कि आप लोग उमे फिर अगीकार करे और अपने कियेका पश्चात्ताप करे। और वह इस रूपमे कि मिलके कपडेका व्यव-

१ जुगतराम दव, ऐखक, ओर शिक्षाविद, पिछदी हुई जातिपौकी सेवामें रत रचनात्मक कार्यकर्ता।

२ नवम्बर १९२१ में।

द्वार छोड़ना आप अपना धर्म माने और सूत कातने लगे। नरहरिने मुझसे पूछा कि नया हम लोग सरभोग छोड़ दे। मैंने कहा कि नहीं, यह तो कायरका काम है। यदि ऐसा करोगे तो लोग चिढ़ जायेंगे। तुम उन लोगोको छोड़कर भाग नहीं सकते, अपने स्थानसे भ्रष्ट नहीं हो सकते। तुम्हें तो वहाँ रहकर ही यह बतलाना चाहिए कि तुम उनका बुरा नहीं करना चाहते, यह बात सेवा करके ही बताई जा सकेगी, भाग कर नहीं। किन्तु काम डटकर बैठनेसे होगा। अगर कोई तुम्हारी सेवा स्वीकार न करे, तो तुम अपने स्थानपर ही रहकर कातो, बुनो और धुनो। मैंने ऐसा ही उससे कहा। इससे उसकी आत्माको शान्ति मिली या नहीं, सो मैं नहीं जानता। उसे आपका बरताव सहन न हो, तो बात अलग है। किन्तु उसका धर्म है कि वह दुबलो और अन्त्यजोको पढाये। वह आपके साथ झगडा नहीं करना चाहता, इस ओरसे मैं आपको निर्भय करता हूँ।

मैं आपसे भी अभय माँगना चाहता हूँ। अगर आपका एक हाथ रुठ जाये तो दूसरेको उसकी छूत न लगने दे। एक पक्षके क्रोधित होनेपर दूसरे पक्षको क्रोधित होने देनेमें न न्याय है, न बुद्धि, न विवेक और न दूरदेशी। यह तो 'पच्छिम बुद्धि' कहलाती है। जो सवाल पूछे जा रहे थे उन्हें मैं सुन रहा था। आप लोगोको—सरभोगके आसपासके भाइयोके लिए धुनना और कातना मुश्किल नहीं है। फिर भी वे अगर २,००० गज सूत नहीं दे सकते, तो कितनी शर्मकी बात है। जो वारडोली बहादुरोकी तरह बात करती थी, अब वह इतना करनेसे डरती है। वराडकी राष्ट्रीय शालामे सभी विद्यार्थी सूत कातते हैं। पढाई भी अच्छी तरह चल रही है। सुणावमे भी सभी कातते हैं। वराडके एक शिक्षकने २० दिनोतक १५ घंटे रोज काम करके ७०,००० गज सूत काता। यह स्थान भी तो वारडोली तहसीलमे ही है।

क्या आप सब लोग हम लोगोके प्रति शक्ति हैं? क्या हम आपको किसी खाईमे ढकेलना चाहते हैं? अगर आपके मनमें ऐसा कोई भय हो, तो उसे निकाल दीजिए। क्या एक भी ऐसा प्रसंग है, जब किसीने आपको धोखा दिया हो? मैं आपसे और क्या कहूँ?

बहनो, आप मुझे नारियल, सूत और पैसा देती हैं, इससे मुझे खुशी नहीं होती। मैं वारडोलीकी बहनोसे बड़ी आशा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप विदेशी कपडे को बिलकुल ही काममे न लाये। अगर आप अपने हाथकते सूतकी साडी बुनवाकर पहने तो कितना अच्छा हो। मैं आपकी मारफत रामराज्य लाना चाहता हूँ। आप लोग सीता जैसी हो जाये तो कितना अच्छा हो। आपके बच्चोको धर्म और कर्म दोनो सीखने चाहिए। आपमे से कुछ लोग दक्षिण आफ्रिकासे नाजायज तौरसे पैसे कमाकर भेजते हैं। लेकिन एक जुलाहा ४० रुपये महीना कमा लेता है। अगर आपके बच्चे यह काम सीख लें तो वे सुखी रहेंगे। आप लोग अन्त्यजोके प्रति स्नेह रखे। यदि कोई स्त्री अन्त्यजका बुरा चाहती है, तो वह अपने सती-धर्मका पालन नहीं करती। यदि आपके यहाँ कोई दुबला चाकर हो, तो उसपर स्नेह-दृष्टि रखे। उसे घी लगाकर रोटी दे। जिस घरमे नौकरके साथ अच्छा बरताव होता है, उस घरमे बरकत होती है। जो छल-कपटसे पैसा कमाता है, उसका क्या हाल होता है?

तो-तनि नियंती होते देगे गये हैं। भगवान् आपको ऐसा निर्मल हृदय और निर्मल आत्मा दे कि आपने जो प्रार्थना अभी यहाँ गुनी, आप उमका अनर्थ न करे और नरुवा जमें रयीतान करे।

[गुजरातीमें]

महादेवभाईनी उपरी, १७८ ७

८. भाषण : कालीपरज परिपद्, वेडछीमें

१८ जनवरी, १९२५

भाई जीमनभाई, कालीपरज तमा अन्य जातिगोके भाइयो और वहनो,

मैने अपने जीमनमें गुन-गो परिपदे देगी है। पचास लोग इकट्ठे हो तो उसे ताछेन रहने है और पांच इकट्ठे हो तो उो परिपद्। मैने कुछ परिपदे ऐसी भी देनी है जा तीनी वही जाओवाओ जातियोंके लोगोकी ही थी। मैने आज-जैमी सादी परिपदे भी बहुत देगी है। भारतमें ही नहीं, बल्कि आफ्रिका और यूरोपमें भी। किन्तु ऐना मुन्दर और मनोरम नम्मेरन तो मैने यह पहला ही देवा है। इसके लिए स्वागत-मिति और न्ययमेवरु दोनों धन्यवादके पात्र है। इसमें कमसे-कम रुपया पत्रं किया गया है, यह ठीक ही है, क्योंकि एक गरीब मुल्कको यही छाजता है। आपन नम्मेरनके साथ मुन्दर और आदर्श प्रदर्शनी भी रखी है। यदि कोई हिन्दु-स्तातो नेना इन प्रदर्शनीगो देगकर भी चरुगेके नम्मेरनमें अश्रद्धालु बना रहे तो मैं उसी गिनति दयनीय ही समजंगा। इसे देखनेके बाद कोई भी खयाल नहीं कर पायेगा कि कानना और घुनना आवश्यक नहीं है। यदि हम देशकी दरिद्रताको दूर करना चाहते हैं तो नवको उन्हे आवश्यक ही मानना चाहिए।

मुहम्मद अली नहीं आ सके है। उनके लिए उन्होंने तार भेजा है और क्षमा मांगी है। आप जायद यह जानते हैं कि वे किसी समय बहुत बड़े पदपर थे। बादमें जो-कुछ हुआ वह भी आपको मालूम होगा। उन्होंने उम समय कालीपरजके भाइयो और वहनोके मुन-मु गममें भाग लेनेका प्रयत्न किया था। अब वे फिर आपसे मिलकर जान-बहुचानको ताजा करना चाहते थे, किन्तु वे घीमार हो गये। इसके अतिरिक्त उन्हें दो पत्र निकालने पडते हैं। उन्होंने मुझे तार दिया है कि वे नहीं आ सकते, उनके लिए क्षमा चाहते हैं।

यह परिपद् तीन वर्षसे होती आ रही है। और प्रतिवर्ष ऐसी प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा रही हैं। पिछली मभी परिपदोके प्रस्ताव मैं देख गया हूँ, इस वार प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं। किन्तु कुछ मिनट बातचीत करनेसे पता चला है कि कुछ प्रस्ताव पास तो किये जाने हैं।

१ असहयोगके दिनोंमें।

२ कॉमरेड और हमदर्द।

कालीपरज या काली प्रजाका अर्थ यह नहीं है कि इस वर्गके लोगोका वर्ण काला होता है। कालीका अर्थ है निम्न श्रेणीकी वे जातियाँ जिन्हें मेहनत-मजूरी करके अपनी गुजर करनी पडती है। इन लोगोको परिपद् करनेकी जरूरत नहीं है। आज जमाना मजदूरोका है। जो मनुष्य श्रमको श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित नहीं मानेगा वह स्वयं भी प्रतिष्ठित नहीं रहेगा। भविष्यमें ऊँची जाति, नीची जाति, ऐसा कोई वर्गीकरण रहेगा ही नहीं।

आज तो पैसा परमेश्वर मान लिया गया है। किन्तु क्या ससारमें इसका स्थान सदा ऐसा ही बना रहेगा? क्या शैतानकी जगह हमेशा ऊँची बनी रहती है? जो ईश्वरसे डरते हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं माना है। पैसा और शैतान परस्पर पूरक है। कुछ धर्मग्रन्थ यह भी कहते हैं कि पैसेके अनेक शत्रु। मैं यह नहीं कहता कि आपको पैसेकी जरूरत ही नहीं है। पैसेकी जरूरत आपको भी है। किन्तु हर चीजकी अपनी जगह होती है और वह वही शोभा देती है। जो मनुष्य कोई चीज पैदा नहीं करता उसकी समाजमें कोई जगह नहीं होती। हम पैसेको अनावश्यक महत्त्व देकर अपना महत्त्व भूल बैठते हैं। स्थानभ्रष्ट होकर और पैसेको अनुचित स्थान देकर अपने कर्नव्य-पथसे च्युत हो जाते हैं। पैसेको अनुचित स्थानपर आसीन करके हम दुःख भोगते हैं।

मैंने पैसेके सम्बन्धमें इतना कहा, इससे कोई यह न समझ ले कि मैं धनिकोकी अवगणना या निन्दा करता हूँ या उनका बुरा चेतता हूँ। धनी लोग भी हमारे भाई ही हैं। मैं इनसे भी काम लेना चाहता हूँ। यदि ये लोग अपना स्थान समझकर तदनुसार चले तो हम उसे सुव्यवस्था ही मानेंगे। आप मजदूर हैं, इसलिए आप पूज्य हैं। जिस देशमें मजदूरोका आदर नहीं है, जिस देशमें इनकी निन्दा होती है—इनका निरादर होता है—उसका अघ पतन हो जाता है। यहाँ भी उनका निरादर होता है।

किन्तु यह तो सक्रमण काल है। अब बहुतसे लोग समझ गये हैं कि मजदूरोको ठीक स्थान मिलना चाहिए। मजदूरोके बिना हिन्दुस्तानका काम नहीं चल सकता। इसलिए उनको कालीपरज या मजदूर कहकर गिराना ठीक नहीं है। उनको ऊँचा उठाना चाहिए। कुछ लोगोंने मजदूरोका शोषण करके स्वार्थ सिद्ध करना अपना धन्धा बना लिया है। ऐसे लोगोसे मजदूरोका कोई भला नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं श्रम करते हैं और उसमें रस लेते हैं। वे सुख उठाते हैं। आप ऐसे लोगोके सम्पर्कमें आते रहते हैं। मैं यह मानता हूँ कि कोई भी मनुष्य कोई त्रुटि या अपराध किये बिना नीचे नहीं गिरता। इसलिए जब हम अपना दोष न देखकर दूसरोकी निन्दा करते हैं, तब हम और भी नीचे गिरते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आप यह मानते हैं कि आप अपनी स्थितिके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि आप दूसरोको उत्तरदायी मानते हैं। सच तो यह है कि इसका दायित्व किसी दूसरेपर नहीं है। मैं जबसे यहाँ आया हूँ तबसे सबको समझा रहा हूँ कि दोष हमें नीचे गिराते हैं और सत्कर्म, पुण्यकर्म हमें ऊँचा उठाते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि रोटी कैसे मिले? मजदूरके सामने यह प्रश्न कभी उपस्थित ही

नती हो नहना। जिस मनुष्यको दो हाथ और दो पैर हैं, वह तो स्वतन्त्र है, उसे दुनी कौन कर सकता है?

आपके दु गके दो कारण हैं। आप दारु और ताडी पीते हैं। दारुके व्यसनसे कितने दु न आते हैं, आप उनका एक उदाहरण हैं। कालीपरजके भाइयो और वहनो, अब तो एक नया समुदाय बन गया है जो कहता है कि दारु न पीना पाप है। इस समुदायके लोग कहते फिन्ते हैं कि दारु न पियेगे तो व्यसन न रहेगा और इससे व्यापार नष्ट हो जायेगा। आप लोग उनके जालमे न फँसे। मैं आपको यह याद दिला दूँ कि आप नभी लोगोने दो बर्ष पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि आप दारु नही पियेगे। आप उनपर दृढ़ रहे। यदि कोई बँध आपमे यह कहे कि आप दारु नही पियेगे तो मर जायेंगे, तो आप उनकी बात भी कदापि न मुने। शरीर तो कभी-न-कभी नष्ट होना ही है। किन्तु प्रतिज्ञा तो अमर है। मैं मानता हूँ कि दारु न पीनेसे शरीर क्षीण हो जा सकता है। फिर भी आप एक बार दारु छोडनेके वाद अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ें। अग्न्य लोग विभिन्न लालचोमे पडकर अनेक पाप करते हैं। यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो हम जीवनको उज्ज्वल बनानेके लिए जिन वातोको सूत्ररूप मानते हैं उनके पालनमे तनिक भी त्रुटि न करे। जैसे यदि हम दीवारमे कोई छेद रहने दे तो उनमे होकर जीव-जन्तु, चोर आदि घरमे घुस आते हैं उसी तरह हमने आत्माको गुग्गिन रत्ननेके लिए व्रतोकी जो दीवार बनाई है उसमें यदि कोई छेद रहने देगे तो उनमे होकर पापका प्रवाह भीतर आ जायेगा और पीछे हम पछतायेंगे। इसलिए आप दारुमे दूर रहे। आपका कल्याण उससे बचनेमे ही है।

आपके अज्ञानका कारण आपकी निरक्षरता नही है। आप लिखना और पढना जानते हैं या नही, यह बात महत्त्वकी नही है। आपमे से बहुत से पढना नही जानते, किन्तु उनको अनुभवजन्य ज्ञान है। आप भोले हैं, इसलिए भटक जाते हैं। भोला होना तो अच्छा है। सरलता और भोलापन दिव्य गुण हैं। किन्तु एक बार सच्ची बात कह लेनेपर भोला मनुष्य उससे डिगता नही है। आप भोलेपनके कारण भूतो और प्रेनोको भी मानते हैं। आप मेरी भी मानता मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह एक भूल है। मेरी मानता माननेसे किसीको कुछ न मिलेगा। मेरी पूजा करनेसे भी आपको कोई लाभ न होगा। कल आपको कोई दूसरा भरमा लेगा और कहेगा कि अब आप अमुककी पूजा करे। कोई कहेगा कि आप दारु पियें। कोई आपसे मेरे नामपर चरखा चलाना वन्द करनेके लिए भी कह सकता है। तब आपकी क्या हालत होगी? आप अपने-आप शपथ लें कि आपको दारु छोडनी ही है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मुझे अन्धविश्वासोका आश्रय लेकर आप लोगोको दारु छोडनेके लिए उत्साहित करना चाहिए। किन्तु इस अन्ध-विश्वासोसे भरे हिन्दुस्तानमे मुझे एक भी नया अन्धविश्वास नही बढ़ाना है। यदि आपमें कोई नया अन्धविश्वास उत्पन्न किये बिना आपका दारु पीना वन्द न हो सके तो कोई बात नही। मेरा कहना तो यह है कि आप जवतक सोच-समझकर दारु

नहीं छोड़ते तबतक दारू छोड़ना फलदायी न होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप दारू पीना छोड़ें और आपके पास पड़ोसमें जो लोग रहते हो वे भी मास-दारू इत्यादि छोड़ें। इन चीजोंको सारा ससार छोड़े, किन्तु झूठे अन्वविश्वाससे नहीं। क्योंकि इस प्रकार किया गया सकल्प ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हम एक पापको दूसरे पापसे निवृत्त नहीं कर सकते। मैं चाहता था कि मैं आपके इस अन्वविश्वासको दूर करूँ और आपको यह बात समझाऊँ कि आप दारू मेरे नामपर न छोड़ें, बल्कि यह समझ कर छोड़ें कि दारू छोड़ना अच्छा है। आपको कोई भी धोखा दे जाता है, इसका कारण तो आपका अज्ञान है। मैंने आपके स्वयसेवकोसे कहा है कि वे आपको इस अज्ञानमें से धैर्यपूर्वक मुक्त करें। मैं आज भी उनको यही सलाह देता हूँ। आप अच्छी तरह सोच-समझकर कदम उठाये और दूसरोको भी ऐसा ही करनेके लिए कहें।

आपने इसमें अपने पारसी भाइयोका दोष बताया है। मैं तो पारसी जातिपर मुग्ध हूँ। यह जाति छोटीसी है, किन्तु इसने बड़ा नाम कमाया है। इसमें बहुत गुण हैं, किन्तु इसमें दुर्गुण भी हैं। किन्तु आज तो बहुतसे पारसी भाई और बहन दारू छोड़ रहे हैं। इसमें शक नहीं है कि उनमें से बहुत-से दारू पीते भी हैं। पारसी दारू बेचनेका व्यवसाय करते हैं। वे इसके लिए पाप करते हैं और अत्याचार भी करते हैं। किन्तु मैं उनसे क्या कहूँ? वे आपको लालच देते हैं, इनाम देते हैं और घूस भी देते हैं। मैं उनसे क्या कहूँ? यदि यह घन्घा मेरा हो तो मैं भी यही करूँ। पेटके लिए लोग सब-कुछ करते हैं। 'पेट ढुलाये भार, पेट वाजा बजवाये' इसीलिए मैं यह भाषण दे रहा हूँ, लेख लिख रहा हूँ और फिर मुझे इसका सम्पादन भी करना होगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हो, आपमें जीवनका सचार हो।

आप जैसी शिकायत पारसियोंके विरुद्ध करते हैं वैसी ही मेरी शिकायत आप लोगोके विरुद्ध भी है। आपका एक समुदाय है जो यह कहता है कि जो दारू नहीं पीता वह पाप करता है। आप इससे लडकर नहीं, बल्कि अपनी शपथ और प्रतिज्ञापर दृढ़ रहकर बच सकते हैं। आप पारसियोंसे कह दें, हमने दारू छोड़ दी है और अब आप भी यह घन्घा न करें। कई पारसी मेरे मित्र हैं। उनमें इजीनियर, डाक्टर, वकील और व्यापारी भी हैं। इनमें एक बुद्धिशाली और उदार व्यापारी था। उसने बहुत पैसा दिया था और एक आश्रम भी बनवाया था। मान लें कि मैं पारसी जातिको समझानेमें समर्थ हो जाता हूँ। किन्तु कल कोई दूसरा आयेगा। ईसाई, मुसलमान, यहूदी, हिन्दू—कोई भी आ सकता है और आपसे कह सकता है कि आप दारू पियें, तब मैं इन सबको कैसे समझाऊँगा? इसलिए इसका सच्चा उपाय तो यह है कि मैं आपको ही समझाऊँ और आप स्वयं भी समझें।

मैं गायकवाड और वासदा सरकारसे निवेदन करता हूँ कि वे अपने राज्योकी सीमाओमें शराबकी दूकानें बन्द कर दें। किन्तु राजाओको समझाना बहुत कठिन काम है। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा। किन्तु वे भी पारसियों-जैसे ही हैं, इसलिए उनको समझानेमें सफल होना कठिन है। यह उनका भी घन्घा है और इससे उन्हें बहुत राजस्व मिलता है। किन्तु आप तो उनकी प्रजा अथवा उनके पुत्र कहे जाते हैं। मेरा

अनुभव यह है कि पुत्रोको समझाना सरल होता है। माँ-बापोको समझाना कठिन होता है। इसलिए मेरा विश्वास तो आपपर ही है।

शराव छोड़नेमें किन-किन चीजोंसे सहायता मिल सकती है? इनमें चरखा मुख्य है। मैंने इसमें अपने सर्वस्वकी आहुति दे दी है। यदि हिन्दुस्तानका उद्धार होना है तो वह चरखेसे ही होगा। छोटे-छोटे बालकोको सूत कातते देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मेरा विश्वास चरखेमें और भी दृढ़ हो गया है। मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आपकी आजीविकाका साधन खती है, किन्तु आप गरीब हैं और आपको खानेके भी लाले पड़े रहते हैं। इस स्थितिमें चरखा आपका अवलम्ब है और उससे आपको शान्ति मिलेगी। आपको जब दारू पीनेकी इच्छा हो तो आप चरखेपर बैठ जायें। आप उसे ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे चलायेंगे त्यों-त्यों आपकी दारूकी चाह कम होती जायेगी। आप मेरा कहना मानकर इतना ही करें। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती है, किन्तु चरखा तो सतत फलदायी है। यदि आप चरखेकी पर्याप्त सेवा करेंगे तो यह अन्नपूर्णा बन जायेगा।

यहाँ जो प्रस्ताव पास किये जायेंगे मैं उनमें आपसे प्रतिज्ञा कराना चाहता हूँ। यदि आप दारू छोड़ना अभीष्ट मानते हो तो आप यह प्रतिज्ञा करें "हम ईश्वरको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दारू और ताडी नहीं पियेंगे। और अपने दूसरे भाइयों और बहनोसे भी दारू न पीनेका अनुरोध करेंगे।"

अब मैं दूसरी बात लेता हूँ। मैं आपको सब बातें समझानेके बाद ही आपसे हाथ उठवाना चाहता हूँ। यदि आप सब भाई और बहन बुनाईकी बात समझ गये हो तो ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम अबसे हाथकते सूतकी और हाथबुनी खादी ही पहनेंगे। विदेशी कपडा पहनना भयानक है। यदि आपमें से ज्यादातर लोग यहाँसे जानेके बाद विदेशी कपडे पहनते रहे तो यह उनके लिए डूब मरनेकी बात होगी जिनके देखते आप यह प्रतिज्ञा ले रहे हैं।

भाइयों और बहनो, मैंने आपसे ये दो प्रतिज्ञाएँ कराईं। आपने इनमें ईश्वरको साक्षी रखा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये प्रतिज्ञाएँ पूरी हो। प्रतिज्ञा-पालन करना सरल नहीं है। किन्तु आपको मैं इनके पालन करनेका उपाय बताता हूँ। यह उपाय दुखियोका सहारा है। इसकी सहायतासे बहुतसे तर गये हैं। मैंने यह उपाय सोजित्नामें अन्त्यजों और धारालाओको बताया था। आप प्रातः बहुत जल्दी उठें, मुँह-हाथ धोयें, आँखें साफ कर लें और तब रामनाम लें। रामका अर्थ है ईश्वर। राम-राम अर्थात् सब-कुछ। उसीसे यह प्रार्थना करनी चाहिए, "हे राम, तू मुझे पवित्र रख और वेडछीमें मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसके पालनमें सहायक बन" आप थके हो और आपको नींद आ रही हो तो भी आप क्षण भर रामका स्मरण करें और रामसे कहे, "तूने प्रतिज्ञाके पालनमें मेरी बहुत सहायता की है। इसके लिए मैं तेरा उपकार मानता हूँ। मुझे दारूकी गन्धतक न आये और स्वप्नमें भी उसकी याद न आये। विदेशी कपडेकी

भी नहीं।” वस, फिर आपको भूतो और प्रेतोंसे भी डरनेकी कोई जरूरत नहीं बचेगी। राम आपसे नारियल नहीं माँगता। वह तो आपके भावका भूखा है। वह सभीके हृदयोंमें बैठा है। आप उसे पहचाने। यह घड़ी टिक-टिक कर रही है। किन्तु राम कोई भी शब्द नहीं करता। राम आप सबका कल्याण करे।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

सरभोग

पौष वदी ९ [१९ जनवरी, १९२५]^१

मैं ब्रह्मचर्य पालनके सम्बन्धमें किसीपर भी दवाव नहीं डालता, बल्कि तटस्थ रहता हूँ। यह बात मेरे गले नहीं उतरती कि बालक जब युवावस्थाको प्राप्त कर ले तब उनके विवाहकी व्यवस्था करना माता-पिताका कर्तव्य होता है। मैं यह अवश्य मानता हूँ कि इस सम्बन्धमें माता-पिताको उनकी सहायता करनी चाहिए।

[गुजरातीसे,]

बापुनी प्रसादी

१० टिप्पणियाँ

पच्चीस हजार नहीं

मौलाना जफर अली खान^२ ने नीचे लिखा तार भेजा है

लाहौर वापस पहुँचनेपर मैंने यहाँके अखबारोंमें ‘यंग इंडिया’ के आधार पर यह खबर पढ़ी कि मैंने आपसे इस सालके भीतर २५,००० सूत कातनेवाले मुसलमान कांग्रेस कार्यकर्ता देनेका वादा किया है। मुझे अन्देश है कि इसमें कोई गलतफहमी हुई है। शायद मेरे शब्द भावको ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर सके। मैंने तो सिर्फ इतना ही वादा किया था कि मैं आपकी पदावधि समाप्त होनेतक १०,००० मुस्लिम स्वयंसेवक आपकी खिदमतमें पेश करनेकी पूरी कोशिश करूँगा, और मैं इस वादेपर कायम हूँ।

इस तारको मैं सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। जहाँतक मेरा ताल्लुक है किसी किस्मकी गलतफहमी नहीं हुई। मौलाना साहबके वादेपर मुझे इतना ताज्जुब हुआ था कि मैंने मौलाना साहबको अति आगावादी न बननेके लिए चेताया भी था। पर वे अपनी बातपर दृढ़ रहे और यह वादा था भी ऐसा कि जो सर्वसाधारणसे छिपाकर नहीं रखा जा सकता था। यह वादा तो एक दिन माँगा मोती था। और फिर कोई

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

२. पंजाब खिलाफत समितिके अध्यक्ष।

धाराला

गुजरातमें धाराला एक खूंखार लडाका कीम है। उसका मुख्य पेगा खेती है। लेकिन रुपये-पैसेकी तगीके कारण उन्होंने लूट मारको भी अपना पेगा बना लिया है। खून करना उनके लिए कोई असाधारण बात नहीं। १९२१ में आत्मगुट्टिकी जो लहर भारतमें उठी थी, उसका उनपर भी असर हुए बिना न रहा। इस बीच जो कार्यकर्ता तैयार हुए हैं वे उनके अन्दर इसी डरादेसे काम कर रहे हैं कि उनका भीतरी सुधार हो। १९२३ में श्री बल्लभभाईने जिस शानदार सत्याग्रह सग्रामको शुरू किया था और जिसका उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया था, उसने उन लोगोंके अन्दर एक जवरदस्त जागृति पैदा कर दी है। सोजिन्नाकी यह परिपद् इसी सुधारका एक फल थी। वे हजारोकी तादादमें एकत्र हुए थे। उन्होंने सभामें होनेवाले भाषणोको पूरी शान्तिके साथ सुना। जो प्रस्ताव पास हुए उनका सम्बन्ध शराव और नशीली चीजोका सेवन न करने, अपनी लडकियोको पैसा लेकर न बेचने तथा लडकियोका अपहरण न करनेसे था। उनमें यह बुराई बहुत फैली हुई है।

अन्त्यज

उसी सभा-मण्डपमें सोजिन्ना तथा आसपासके अन्त्यज भी एकत्र हुए थे। और उनके नेता मचपर बैठायें गये थे। सवर्ण और अस्पृश्य आपसमें निस्सकोच होकर मिलते थे। शराव न पीने और खादी पहननेके प्रस्ताव पास हुए। सभाके सचालकोने अपना सभा-मण्डप अन्त्यजोको देकर साहसका परिचय दिया। क्योंकि मैंने देखा कि पेटलाद जिला छुआछूतके भावसे मुक्त नहीं है।

महिला परिषद्

इस परिषद्का दृश्य तो एक बड़ा ही प्रेरणादायक दृश्य था। पाटीदार^१ महिलायें थोडा-बहुत पर्दा करती हैं। सोजिन्नाकी जनसख्या सात हजारसे ज्यादा नहीं है। पर सभामें कोई १० हजार महिलायें जहूर रही होगी। मेरी जानकारीमें तो बड़े-बड़े शहरोमें भी महिलाओकी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। महिलाओने भाषणोको ध्यान-पूर्वक और बिना शोरगुलके सुना। मैंने अक्सर देखा है कि महिलाओकी सभामें शान्ति रखना बड़ा कठिन होता है। सो इस सभाका हाल देखकर सबको — व्यवस्थापकोको भी — बड़ा आनन्द और ताज्जुब हुआ। इस परिषद्में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। व्याख्यान खास तौरपर खादी और चरखेपर ही हुए।

किसानोकी परिषद् दो दिनतक कुल मिलाकर पाँच घंटे चली। दूसरी परिषदे एक-एक घंटेमें समाप्त हो गईं।

कालीपरज

सोजिन्नाका सारा प्रबन्ध सादा और व्यवस्थित था ही, पर वेडछीने तो कमाल कर दिया। मेरे मुँहसे हठात् निकल पडा कि सादगी, स्वाभाविकता और रुचिकी

इतिहास के लिये परिष्कार की भाव परिपक्व होने कही नहीं देगी। जिनमें उस जगहको सफाई के लिये जो सारी व्यवस्थाकी रूपरेखा बनाई वह जम्मे ही कोई कलाविद को सौंपनी पड़ेगी पत्र तथा चर्चित होगा। परिष्कार स्थान एक नदीके किनारे बना गया था। नदी पश्चिम की ओर। उनके छोटे-छोटे टीलाकी कतारके बीचमें बहती थी। उसमें कात मशीनें न थीं। मात्र मभामच नदीके बहते पानीपर बना किया गया था। तीन फीट ऊँचा था। उसमें भरा हुआ एक बोरा मोटाई का बना था। मभामच मचके नामसे ही था। लोग मभामचकी टेकरडियोपर भी बैठे हुए थे। मात्र मच मच जो तारे पत्तोंमें मजाया गया था। चित्र विलकुल ही मभामचके जैसे थे। मभामचके मजजा एक भी टुकड़ा या मूतका एक भी धागा मभामचके ही मजजा का था। ऐसी मजजाके मूतका कोई काम नहीं है और उसके मजजा के लिये का फिन्नामच ही है। बितान बना और हरी पत्तियोंका बना था और कात मशीनें बना था। मजजाके मात्र-मात्रो दोनों ओर कोई १२,००० से ऊपर स्त्री-पुरुष साहित्यके लिये बैठे हुए थे। कोई प्रवेश-शुल्क नहीं था। सभी प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधियों और मजजाके लिये जन्म नहीं था। (मैं अनुकरण करनेके लिए यह बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ ऐसा जन्म रचना एक तरहकी निष्पूरता होती। सगठित सस्याओंके लिये जन्म रचना उत्पन्न है)। मभामचमें कुछ ही दूर टीलाकी कतारकी कतार पर किनारों पर एक पट्टी चरमा प्रदर्शनीके लिए थी। बड़े पुरुष, बूढ़ी स्त्रियाँ और ५ से १० साल तकके छोटे-छोटे बच्चे चरमे चला रहे थे। बड़े स्त्री-पुरुषों और छोटे बालकों ही उनमें लगानेका एक विशेष हेतु था। कात मकनेवाले अवेड लोका व्यवसाय बनकर मजजा कर रहे थे। वे मच कालीपरज जातिके ही लोग थे। चरमाके लिये पान ही मुनगनमें बनी मदीका भंडार था। आन्ध्रकी बढिया खादी बना हीनेका मजजा ही न था। मदी पहननेवाले कालीपरज लोग मोटी ही खादी पहनने थे। एक बहुत छोटे हिस्सेमें देशके नेताओंके चुने हुए चित्र और कुछ साहित्य रखा गया था। उसमें पत्र एक कौडीका भी नहीं हुआ था। बाँस और लता-पत्र तो दोनों ही थे। वे सारी चीजें ले आये और व्यवस्थापक जैसा बतते गये वैसा बिना कुछ छिपे मचमें चले गये। जो हुआगे आदमी आये थे उनके खान-पान आदिके लिये किन्हीं उन्नामकी जम्मे न थी, क्योंकि वे या तो पैदल आये थे या बैलगाडियोंमें, और पत्रमें नजदीकी स्टेशन मभामचमें कोई १२ मील था। लोग घरसे अपने लिये पत्र लाना या मूला बनाज बाँस लाये थे। मैदानमें ही, जहाँ जी चाहा, उन्होंने अपना पत्र उठ दिया। हर काम बिना शोरगुलके शान्तिपूर्वक हुआ।

सारी कार्रवाई बड़ी स्वाभाविक और अत्यन्त सादगीसे भरी हुई थी। लोगोके नामने ऐसी कोई बात पेश नहीं की गई जो उनकी जरूरतको पूरा करनेवाली न हो।

उनकी दो प्रतिज्ञाएँ

उनकी यह तीसरी वार्षिक परिपक्व थी। सभी परिपक्वोंमें इने-गिने ही प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। एक प्रस्ताव शराब न पीनेके बारेमें — उनके बीच शराबखोरी बहुत

ज्यादा है, दूसरा खादी पहननेके वारेमे और तीसरा औरतोको पत्यरके गहने न पहनानेके विषयमे था। शराव न पीने और खादी पहननेके लिए जो प्रस्ताव हुए वे प्रतिज्ञाके रूपमे थे। लोगोने बडी सजीदगीके साथ खुद शराव न पीने और नम्रताके साथ अपने पडोसियोको भी ऐसा समझानेका उत्तरदायित्व स्वीकार किया। दूसरी प्रतिज्ञा खुद सूत कातने तथा हाथकती खादीके अलावा सभी किस्मके कपडेसे विमुख रहने एव औरोको भी ऐसा ही करनेके लिए समझानेकी ली गई। मैंने खास तौरपर कोशिश की कि वे उन तमाम बातोका मतलब समझ ले जो उनसे कही जा रही थी और जिनकी प्रतिज्ञा उनसे कराई जा रही थी। सभाके छोरपर बैठे हुए लोगोके बीच स्वयसेवक भेजकर यह दिलजमई करा ली जाती थी कि वे लोग सभाकी कार्रवाईको समझ रहे हैं या नहीं। हवाका रुख अनुकूल था। इससे आवाज उनतक वखूवी और आसानीसे पहुँच जाती थी। क्या स्त्री और क्या पुरुष दोनोने ईश्वरको साक्षी रखकर शपथ ली। पाठक इस बातको जान ले कि वे दो वर्षोसे ऐसे प्रस्ताव पास करते आ रहे हैं और लगभग सभी लोगोके वदनपर कुछ-न-कुछ खादी अवश्य थी। उन्होने तत्परतासे और समझ-बूझकर उसे अगीकार किया है। सैकडो लोगोने कातना सीख लिया है। कुछ युवकोने तो वारडोली आश्रममे रहकर घुनना, कातना और वुनना सीखा है। इनमेसे कुछ कपडा वुनकर अपनी रोजी भी कमा रहे हैं। उपस्थित श्रोतागण खादी और चरखेकी प्रतिज्ञाके लिए वास्तवमे उसी तरह तैयार थे जिस तरह नशीली चीजोको छोडनेकी प्रतिज्ञाके लिए।

मैंने ६० सालके एक बूढेसे अच्छी तरह बातचीत की और यह जानना चाहता कि दिनभर खेतमे कडी मेहनत करनेके बाद वह चरखा क्यों चलाता है। वह रोज ४-५ घटे सूत कातता है। वह सोता बहुत कम है इसलिए रातको भी कातता है और तडके ही उठकर फिर चरखा लेकर बैठ जाता है। मैंने सोचा था कि वह मुझसे कहेगा कि मैं मन-बहलावके लिए या परिवारवालोके लिए कातता हूँ। पर उसने मुझे उसका कारण आँकडे पेश करते हुए बताया, जिससे मुझे आनन्द और आश्चर्य दोनो हुए। उसने कहा कि मैं अपना सूत खुद कातता हूँ। अपने लिए कपास भी त्रों लेता हूँ और अब मैं अपना कपडा भी घरमे ही वुन लेता हूँ। और इस तरह फी व्यक्ति दस रुपये साल बच जाते हैं। इन लोगोको अपने लिए कपासकी तमाम विधियोकी व्यवस्था करते देखकर हाथकताई और खादीकी जरूरतमे घोर अविश्वास करनेवाले लोगोको भी उसका कायल हो जाना चाहिए। यहाँ निपट अपढ और अनजान देहातियोमे, सच्चेसे-सच्चे नमूनेका ग्राम-सगठन खामोशीके साथ चल रहा है। वह उनके जीवनके हर क्षेत्रमे क्रांति ला रहा है। वे अपनी ही विचारशक्तिसे काम लेना सीख रहे हैं।

परिषद्के बाद

परिषद्के बाद मैंने समाजके बडे लोगोकी सभा बुलाई। तीससे ऊपरके लोगोने अपने नाम वतौर कार्यकर्ता लिखाये। उनमे औरते भी थी। उन्होने स्वयं भी कातने, खादी पहनने और शराव कतई न पीनेकी प्रतिज्ञा की। और उन्होने पाँच हफ्तोके भीतर पाँच-पाँच ऐसे ही कार्यकर्ता तैयार करनेका वचन दिया और पाँच सप्ताह

बीत जानेके बाद इस बातपर विचार करनेके लिए वे पुन एकत्र होंगे कि अब यह सुधार-कार्य किस तरह आगे बढ़ाया जाये।

रामनाम

जोशमे प्रतिज्ञा कर लेना काफी आसान है। पर उसपर कायम रहना और खासकर प्रलोभनोंके बीच, मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितिमें ईश्वर ही मददगार होता है। इसीलिए मैंने सभाको रामनामका सहारा लेनेकी सलाह दी। राम, अल्लाह, गॉड, सब मेरे नजदीक एकार्थक शब्द हैं। मैंने देखा कि भोले-भाले लोगोके दिलोमें जाने कौनै यह खयाल बैठ गया है कि उनके सकटकी घडीमें मैं कोई अवतार आ खड़ा हुआ हूँ। मैं उनके इस अन्वविश्वासको दूर कर देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मैं अवतरित नहीं हुआ हूँ। एक निर्बल व्यक्तिके प्रति उनका ऐसा भरोसा केवल भ्रम ही है। इसलिए मैंने उनके सामने एक सादा और आजमूदा नुस्खा पेश किया जो आजतक कभी व्यर्थ सिद्ध नहीं हुआ है अर्थात् हर रोज सूर्योदयसे पूर्व और शामको सोने जानेके पहले अपनी प्रतिज्ञाएँ पूरी करनेके लिए ईश्वरकी सहायता माँगना। करोडो हिन्दू उमे रामके नाममे पहचानते हैं। बचपनके दिनोमें मैं जब कभी डरता तब मुझे रामनाम लेनेको कहा जाता था। मेरे कितने ही साथी ऐसे हैं जिन्हे सकटके अवसर पर रामनाममे बड़ी सान्त्वना मिली है। मैंने धाराला और अछूतीको रामनामका नुस्खा बताया। मैं अपने उन पाठकोके सामने भी इसे पेश करता हूँ जिनकी श्रद्धा और दृष्टि पोथी पढ-पढकर मद न पड गई हो। विद्वत्ता हमे जीवनकी भूलभुलैयामे अनेक स्थानोसे निकाल कर ले जाती है, पर सकट और प्रलोभनकी घडीमें वह हमे कोई सहारा नहीं दे पाती। उस हालतमे श्रद्धा ही हमे उवारती है। रामनाम उन लोगोके लिए नहीं है, जो ईश्वरको जैसे-तैसे रिझानेकी इच्छा रखते हैं और हमेशा इसी आशामें रहा करते हैं कि वह हमे बचा लेगा। यह उन लोगोके ही लिए है जो ईश्वरसे डर कर चलते हैं, जो समयपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, किन्तु लाख प्रयत्न करनेपर भी उसका पालन नहीं कर पाते।

आदर्श पाठशालाएँ

राष्ट्रीय पाठशाला और विद्यालयकी कांग्रेसकी व्याख्या सुनकर घबड़ानेवाले शिक्षको और विद्यार्थियोकी हिम्मत बढ़ानेके लिए मैं दो ऐसी पाठशालाओका जिक्र करना चाहता हूँ जिनके शिक्षको और विद्यार्थियोसे मैं इन परिषदोके दौरान मिला था। एक सुणाव नामक ग्राम है जो आणद तहसीलमे है। और दूसरा वराड नामक ग्राम है जो वारडोली तहसीलमे है। इन दोनो पाठशालाओमे सभी विद्यार्थी बडे उत्साहसे कताई करते हैं। वराडमे लडके अपने लिए रुई खुद ही घुन लेते हैं और अपनी पूनियाँ बना लेते हैं। अ० भा० खादी मण्डलको वे नियमपूर्वक हर मास कुछ सूत भेजते रहते हैं। मैंने सुणाव ग्रामके लडकोसे बहुत देरतक बातचीत की। वे मुझे असाधारण रूपसे बुद्धिमान मालूम हुए। वे जानते थे कि वे सूत क्यों कात रहे हैं। उन्होने कहा हम कांग्रेसको जो सूत देते हैं वह गरीबोके लिए देते हैं और उसके अलावा जो सूत कातते हैं वह अपने कपडोके बारेमे स्वावलम्बी बननेके लिए। जिन्हे जिज्ञासा

हो मैं उन्हें इन मदरसोमें जाने और इस बातका पता खुद लगानेको आमन्त्रित करता हूँ कि वे बालक किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। जब गुजरात विद्यापीठने शालाओमें अछूत लडकोको भरती करनेका आग्रह किया तब उनकी हालत बहुत विपम हो गई थी। पर शिक्षकोने तूफानका सामना हिम्मतके साथ किया। कुछ लडके वहाँमें चले भी गये, किन्तु मदरसे बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। बराडमें जिन माता-पिताओने अछूतोके लडकोके भरती हो जानेके कारण अपने लडके हटा लिये थे, उन्होने अब फिर उनको राष्ट्रीय पाठशालाओमें भेजना अगीकार किया है। यदि राष्ट्रीय शालाओके शिक्षक और व्यवस्थापकगण नम्रता, मृदुता और सहिष्णुताका अवलम्बन करते हुए दृढतासे काम ले तो कांग्रेसकी व्याख्याके कारण राष्ट्रीय सस्थाओको क्षति पहुँचनेकी आशका न रहेगी।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-१-१९२५

११. एक अपील

पाठक साप्ताहिक टिप्पणियोंके स्तम्भमें भी कालीपरजके बारेमें कुछ पढेंगे। गुजरातके बाहर बहुतेरे लोग शायद नहीं जानते कि कालीपरजके माने क्या है। 'कालीपरज' का अर्थ है 'काले लोग'। यह नाम गुजरातके कुछ लोगोको उन लोगो द्वारा दिया गया है जो अपनेको उनसे ऊँचा और श्रेष्ठ मानते हैं। रगकी हदतक कालीपरज जातिके लोग दूसरे लोगोसे ज्यादा काले या अलग नहीं हैं। पर आज वे दलित, असहाय, अन्धविश्वासी और कायर हैं। शराब पीनेकी उन्हें भीषण लत लगी हुई है। बडौदा राज्यमें उनकी आबादी बहुत ज्यादा है।

तीन वर्ष पहले इन्ही लोगोमें जबरदस्त जागृति हुई। हजारो लोगोने शराब पीना और मास खाना भी छोड़ दिया था। शराबके दूकानदारोको यह बात बडी खली। दूकानदारोमें ज्यादातर लोग पारसी थे। कहते हैं कि इन लोगोने उन्हें फिरसे शराब पीनेकी ओर प्रवृत्त करनेमें कुछ उठा नहीं रखा, और बहुत हदतक उन्हें सफलता भी मिली। कहते हैं कि सरकारी अधिकारी भी सुधारकोके खिलाफ इस साजिशमें शामिल हुए। और अब चाहे इन कोशिशोके फलस्वरूप हो, चाहे किसी कारणसे, इन लोगोमें एक ऐसा दल पैदा हो गया है, जो उन्हें उपदेश देता है कि शराब न पीना पाप है और जातिसे बाहर करके तथा दूसरे तरीकोसे वे उन लोगोकी हिम्मत और उमगको तोड़ रहे हैं, जो अपने-आपसे और इस बुरी आदतके खिलाफ लडनेमें लगे हैं जो पीढियोसे उनके बीच घर किये हुए हैं।

कालीपरजकी सभाका जिक्र मैंने अन्यत्र सविस्तार किया ही है। उसमें एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि बडौदा, धरमपुर और वासदाकी रियासतो तथा अग्रेज

सरकारने भी शराबकी दूकाने बन्द कर देनेका अनुरोध किया जाये। शायद कोई यह कहें कि यह तो बड़ा पचरदस्त हुमा दे दिया है, यह भी कहा जा सकता है कि शराबखोरी बन्द करनेकी सारे राष्ट्रकी ओरसे की गई कोशिश बुरी तरह असफल हो चुकी है, ऐसी हालतमें मुट्ठीभर असहाय लोगोंकी बेकार प्रार्थनासे क्या होगा? इसमें शक नहीं कि यह दलील काफी जोरदार है। लेकिन इन दोनों कोशिशोंका रूप जुदा-जुदा है। १९२१ की कोमिश्न अमहयोगियों की थी और वह ब्रिटिश सरकारके खिलाफ थी। अमहयोगी उनके हाथमें अतिकार छीन लेनेपर तुले हुए थे। फिर यह उन लोगोंकी ओरसे की गई कोशिश थी जो खुद शराबकी दूकानोंके शिकार नहीं थे। पर अब यह प्रार्थना उन लोगोंकी तरफसे की जा रही है जो खुद ही इन लतके चंगुलमें फँसे हुए हैं। यह निर्वल लोगोंकी मत्ताधारियोंसे प्रार्थना है। यह केवल ब्रिटिश सरकारने ही नहीं बल्कि उनमें सम्बन्ध रखनेवाली तमाम सरकारोंसे की गई है। वे लोग अमहयोगी नहीं हैं। वे महयोग या अमहयोगका फर्क नहीं जानते। वे वेमनमें लगभग बनजाने ही और कभी-कभी तो जोरो-जुलमके उरसे औरोंके लिए काम करने-रुके मरते हैं। वे नहीं जानते कि स्वराज्य क्या चीज है? उनके लिए तो स्वराज्य है—शराबखोरी छोड़ देना और उनके बीचमें शराबकी दूकानोंके रूपमें शराब पीनेका प्रयोगन हटा दिया जाना। उमीलिये उनकी यह प्रार्थना दया-धर्मपर आधारित है और इसलिए उसे न मानना मुश्किल होगा।

अध्यक्षके नाते मैं उनके उस प्रस्तावको, जो भिन्न-भिन्न सरकारोंके नाम पास किया गया है, कार्यान्वित करनेके लिए वाध्य हूँ। ब्रिटिश सरकारमें यह प्रार्थना धारामभाके मदम्योंकी माफन ही की जा सकती है। धारामभाके सदस्य शराबकी आमदनीको ठोकर मार सकते हैं, फिर उन्हें शिक्षा विभागके लिए धन न जुटा पानेकी जोगिम ही क्यों न उठानी पड़े। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वे आकर अपनी आँसु देवे कि एक ममूची जाति इस लतके बदीलत किस तरह बरवाद हो रही है। अगर वे अपने इन देश-भाज्योंका उद्धार करना चाहते हो, तो उन्हें इतना साहस तो प्रदर्शित करना ही होगा।

पर बडौदा, धरमपुर और वामदा राज्योंकी बात दूसरी है। यदि वे चाहे तो महज ही शराबकी दूकानें बन्द करके अपने प्रजाजनोको तथा खुद अपनेको विनाशसे बचा सकते हैं। 'खुद अपनेको'—इस सर्वनामका प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि छोटी रियासतोंमें लोगोंका बडी तादादमें तहस-नहस हो जाना खुद रियासतोंका तहस-नहस हो जाना है। क्या वे उन लोगोंकी प्रार्थनापर ध्यान न देगे जो खुद अपनी लतमें अपनी रक्षा करनेके लिए सहायताकी याचना कर रहे हो?

और अब शराबके पारसी दूकानदारोंके विषयमें। मैं जानता हूँ कि उनके लिए यह रोटीका सवाल है। लेकिन उनकी जाति दुनियाकी एक बडी उद्योगशील जाति है। वे बुद्धिमान और उद्यमी हैं। वे बडी आसानीसे अपने निर्वाहका दूसरा अच्छा पेशा खोज ले सकते हैं। अबतक कई लोगोंने बुरे पेशोंको छोड़कर अपने समाजकी नैतिक उन्नतिके अनुकूल पेशा और काम अख्तियार किया है। मैं पारसियोंसे यह बात कहनेका हक रखता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ और उन्हें चाहता हूँ। मेरे कुछ अच्छे-

अच्छे साथी पारसी रहे हैं और अब भी हैं। उन्होंने भारतके लिए बहुत-कुछ किया है। उन्होंने देशको दादाभाई और फीरोजशाह मेहता दिये हैं। और फिर जो ज्यादा देते हैं उन्हीसे तो और पानेकी उम्मीद की जाती है। शराबके पारसी दूकानदारोको सुधार आन्दोलनमे दखल देकर खलल डालनेके बजाय (यदि उनपर लगाये इल्जामको सही माने तो) खुद आगे आकर इस सुधार कार्यका श्रीगणेश करना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-१-१९२५

१२. पत्र : फूलचन्द शाहको

दिल्ली जाते हुए

शुष बदी १३ [२२ जनवरी, १९२५]^१

भाई फूलचन्द,^२

तुम्हारा पत्र मिला। इस वार बढवानमे कुछ घटे तो अवश्य ठहरेगा ही।

तुमने पट्टणी साहबके सम्बन्धमे जो-कुछ लिखा है, यदि वह सत्य हो तो दुख-जनक बात है। मैंने तो उनके सम्बन्धमे इस आशयका आक्षेप सबसे पहले भावनगरमे सुना था, किन्तु मैंने उसपर ध्यान नहीं दिया था। किन्तु मैं तुम्हारे लिखेको उस तरह दरगुजर नहीं कर सकता। किन्तु मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी इस बातकी जानकारीका आधार कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? यदि तुमने यह बात स्वयं नहीं देखी तो फिर किस प्रकार जानी? यह व्यभिचार किस प्रकारका है, मैं यह जाननेकी जरूरत इसलिए मानता हूँ कि श्री पट्टणीके सम्बन्धमे मेरा विचार बहुत अच्छा रहा है और मुझपर उनकी छाप बहुत अच्छी पडी है।

व्यभिचारी अधिकारी या राजाके यहाँ न ठहरना चाहिए, तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। हम ससार-भरके काजी कैसे बन सकते हैं? तुम जानते हो कि जिन लोगोके यहाँ ठहरना होता है, उनपर अनेक प्रकारके आक्षेप सुननेमे आते हैं। इनमेसे कुछ लोगोपर किये हुए आक्षेप सच्चे होते हैं, मैं यह भी जानता हूँ। इन्ही कारणोसे लोग निर्जन वनमे जा बसते हैं। किन्तु हमे जबतक समाजमे रहना है तबतक जैसा तुम चाहते हो वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

मैं यह बात व्यावहारिक दृष्टिसे नहीं कहता, बल्कि पारमार्थिक दृष्टिसे कहता हूँ। जो हमे ठहराये, हमे उसके यहाँ ठहरना चाहिए, यही धर्म है। किन्तु यदि हम यह देखे कि कोई हमे ठहराकर उससे अपनी अपवित्रताके लिए समर्थन प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है तो हमे ऐसे लोगोके यहाँ नहीं ठहरना चाहिए।

१ यह पत्र जनवरी १९२५ में गांधीजीने अपने काठियावाड़के दौरेके तुरन्त बाद लिखा था।

२ सत्याग्रहाश्रमके सदस्य। काठियावाड़के एक राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ता।

किन्तु यह तो अपवाद हुआ। तुम या मैं मानसिक व्यभिचार करनेपर एक दूसरेके यहाँ ठहरते हैं या नहीं ?

इस पापमय ससारमे ऐसा निष्पाप कौन है जो ऊँचे आसनपर बैठकर दूसरोको देख-देखकर हँसता रहे ? जैसा तुम्हारा खयाल है वैसा प्रमाणपत्र मैं किमीको भी नहीं देता। यदि कोई प्रसिद्ध वेश्या चरखा चलाये तो मैं उस हृदयक उसकी भी सराहना अवश्य करूँगा। इससे कोई यह न मानेगा कि मैंने उसे पवित्रताका प्रमाणपत्र दे दिया है।

“जड-चेतन, गुण-दोषमय, विश्व कोन्ह करतार।

सन-हन गुण गर्हाहि पय, परिहरि वारि विकार ॥”

हमारा धर्म तो गुणको देखना और सराहना है। क्या समार ऐसा है कि प्रमाणपत्रोसे घोखा खा जाये ? मैंने पट्टणी साहबको पवित्रताका प्रमाणपत्र तो कभी नहीं दिया। किन्तु मेरा मन उनको ऐसा प्रमाणपत्र देनेका हुआ था। त्रापजमे^१ मुझे उनकी सरलता, उनका गम्भीर ज्ञान और दृढता आदि गुणोको देखकर हर्ष और आश्चर्य हुआ था। किन्तु यदि वे फिर भी अपवित्र हो तो उनकी पवित्रताके सम्बन्धमे मेरी जो धारणा बनी है, मुझे वह बदलनी होगी। तुम्हारा पत्र मेरे लिए भविष्यमे उपयोगी होगा। जो-कुछ हुआ है उसे तो ठीक ही हुआ मानता हूँ। पट्टणी साहब व्यभिचारी है, यदि मैं इस बातपर विश्वास भी करने लगूँ तो भी मैं जब सार्वजनिक कार्यसे भावनगर जाऊँ और वे मुझे राज्यकी अतिथिशालामे ठहराये तो मैं वहाँ ठहरूँगा। अपने घर ठहराये तो वहाँ भी। गोडल नरेश अपवित्र है इस बातपर मेरा एक हृद तक विश्वास है। किन्तु यदि वे मुझे अपने यहाँ ठहराये तो मैं वहाँ अवश्य ठहरूँ और फिर भी मैं यह नहीं ममझूँगा कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। मेरा असहयोग पापसे है, पापीसे नहीं। डायरशाहीसे है, डायरसे नहीं।

मुझे लगता है कि मैं तुमको जो बात समझाना चाहता था शायद अब भी पूरी तरह नहीं समझा सका हूँ। किन्तु इतना समझनेका प्रयत्न करना। दूसरी बात यहाँ आकर पूछ जाना। यदि पत्र लिखकर पूछना चाहो तो पत्र लिखना। अहिंसा धर्म बहुत कठिन है। वह खाडेकी धारसे भी तीक्ष्ण है। उसपर आचरण करनेके लिए कष्टकी आवश्यकता है। तुलसीदासजीने भी अपने आपको परम पापी माना था। भक्त सूरदासने भी कहा है, “मो सम कौन कुटिल खल कामी।”

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२६) से।

सौजन्य शारदावहन शाह

१३. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

पौष वदी १३ [२२ जनवरी, १९२५]^१

आदरणीय रेवाशंकरभाई,^२

जैसा आपसे कहा था, मैंने प्रभाशंकरको^३ पत्र न लिखकर कल ही तार दिया है। मैंने उनका पत्र पढनेके बाद भाई नानालालसे मिलना ठीक समझा था। वे बारडोलीमें आनेवाले थे, किन्तु नहीं आये। फिर भी वे कल आकर मिल गये, इसलिए प्रभाशंकरको और डाक्टरको^४ भी तार दिया है। मैंने उनको यह लिख दिया है कि चि० चम्पाके नाम एक खासी रकम जमा करा दी जायेगी। मैंने प्रभाशंकरको पत्र भी लिखा है।

तुलसी मेहर^५ कहता था कि रुई धुननेमें [शुरूमें] कुछ परिश्रम पडता है। किन्तु हाथ बैठ जानेपर तो बिलकुल नहीं पडता। धुनकी हल्की भी बनाई जा सकती है। अगर तुम आन्ध्रकी स्त्रियोंकी तरह धुनो तो तनिक भी कठिनाई न होगी।

मोहनदासके प्रणाम

मूल गुजराती पत्र (जी० एन० १२६३) की फोटो-नकलसे।

१४. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन समितिकी बैठकमें^६

२३ जनवरी, १९२५

श्री गाधीने कहा कि श्रीमती वेसेटको जैसा डर^७ है मेरा समिति-सम्बन्धी प्रस्ताव उस हदतक नहीं जाता। यह सुझाव तो यह स्पष्ट करनेके लिए दिया गया

१. डाकखानेकी मुहरके अनुसार।

२. बम्बईके एक व्यवसायी और डा० प्राणजीवन मेहताके भाई।

३. इनकी बेटी चम्पाका विवाह डा० मेहताके बेटे रतिलालसे होनेवाला था।

४. डा० प्राणजीवन मेहता।

५. सावरमतीके सत्याग्रहाश्रमके एक सदस्य।

६. नवम्बर १९२४ में बम्बईमें हुई वातचीतके फलस्वरूप आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन समितिकी बैठक २२ जनवरी शुक्रवारकी शामको वेस्टर्न होस्टल, दिल्लीमें हुई थी। गाधीजीने इसकी अध्यक्षता की थी। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों तथा सभी राजनीतिक दलोंके बीच समझौतेकी रूपरेखाके बारेमें सुझाव देने और स्वराज्यकी योजना बनानेके लिए एक उप-समिति नियुक्त करनेके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव रखा था। विभिन्न सम्प्रदायों तथा दलोंके प्रतिनिधियों द्वारा भाषण देकर इस सम्बन्धमें अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करनेके बाद सम्मेलन शनिवारके दोपहर तकके लिए स्थगित कर दिया गया था।

७. श्रीमती वेसेटने प्रस्तावपर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि सम्मेलनका सहसा नये निश्चय करना अनुपयुक्त तो है ही, इससे बड़ी अव्यवस्था भी फैल जायेगी। क्योंकि ये निश्चय त्रेलगांव कांग्रेसमें पास किये गये प्रस्तावोंके विपरीत भी जा सकते हैं और इसके फलस्वरूप श्री गाधीको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है।

हे कि कांग्रेसजन नये मताधिकार या कांग्रेसके सिद्धान्तके सिवा और किसी बातको माननेके लिए मजबूर नहीं हैं। इस मताधिकार सम्बन्धी निर्णय या कांग्रेसके सिद्धान्त केवल प्रस्तावित समितिके कुछ सम्भाव्य निर्णयोके कारण परिवर्तित नहीं किये जा सकते। कांग्रेसजन अपने हेतुको भली-भाँति समझते हैं, वे अपने कार्यक्रमको पूरा करेगे। किन्तु यदि गैर-कांग्रेसी कांग्रेसमें शामिल हो जायें और कांग्रेसजनोको यह विश्वास करा दें कि उनके तरीके गलत हैं तथा मताधिकारमें या कांग्रेस सिद्धान्तमें परिवर्तन करना उचित है तो कांग्रेसका विशेष अधिवेशन बुलानेका वचन दिया जा सकता है। किन्तु वैयक्तिक रूपसे मैं किसी परिवर्तनकी आवश्यकता नहीं देखता।

श्री गांधीने श्री दालवीकी प्रार्थनापर उदारदलीय सघका यह प्रस्ताव पढा, "उदारदल कांग्रेसमें पुन तभी प्रविष्ट हो सकता है जब (१) कांग्रेस ओपनिवेशिक स्वराज्यके अपने घोषित लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए सर्वैधानिक तरीकोको अपनाये। (२) जब वह असहयोग तथा सविनय अवज्ञा एव साथ ही मताधिकारके लिए सूतकी शर्तको भी निश्चित रूपसे दे तथा (३) जब वह विधान-सभाओमें केवल स्वराज्य दलको ही अपने मान्य प्रतिनिधिके रूपमें स्वीकार न करे।"

श्री गांधीने यह भी कहा है कि दूसरे राजनीतिक दलोके सुझाव भी करीब-करीब इसी तरहके हैं।

[अग्नेजीने]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २६-१-१९२५

१५. अ० भा० गोरक्षा मंडलके सविधानका मसविदा^१

[२४ जनवरी, १९२५]^३

अ० भा० गोरक्षा मंडल

उद्देश्य

गोरक्षा हिन्दू जातिका धर्म है फिर भी चूँकि अब हिन्दू समाज गोरक्षाधर्मके पालनकी उपेक्षा कर रहा है, और चूँकि हिन्दुस्तानमें गोवशका दिन-प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, इसलिए गोरक्षा धर्मके समुचित पालनके लिए इस अखिल भारतीय गोरक्षा मंडलकी स्थापना की जाती है।

मंडलका उद्देश्य सभी नैतिक उपायो द्वारा गाय और उसकी सन्ततिकी रक्षा करना है।

१ गांधीजी द्वारा हिन्दीमें तैयार किया गया मूल मसविदा उपलब्ध नहीं है। देखिए नवजीवन, ८-२-१९२५ में "महादेव देसाईका दिल्लीसे पत्र"।

२ देखिए "अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल", १६-३-१९२५ और "गोरक्षा", ९-४-१९२५।

‘गोरक्षा’ का अर्थ गाय और उसके बशकी निर्दय व्यवहार और बधसे रक्षा करना है। जिन कौमोमे गोवध अधर्म नहीं माना जाता या गोवध जरूरी माना जाता है, उनपर किसी भी तरहकी जबरदस्ती करना इस मडलकी मूल नीतिके खिलाफ माना जायेगा।

साधन

यह मडल नीचे लिखे साधनोके जरिये अपना कार्य करनेकी कोशिश करेगा.

१. गाय, बैल आदिके प्रति निर्दय व्यवहार करनेवालोको विनयपूर्वक समझाना। इस विषयमे लेखो, पुस्तिकाओ और व्याख्यानो द्वारा प्रचार करना।

२. जहाँ गाय-बैल बीमार या अशक्त हो जाये और उनके मालिक उनके पालनमे असमर्थ हो, वहाँ ऐसे लोगोसे इन पशुओको ले लेना।

३. वर्तमान पिंजरापोलो और गोशालाओकी व्यवस्थाका निरीक्षण करना, उनके प्रबन्धको अधिक अच्छा बनानेकी दिशामे व्यवस्थापकोको मदद पहुँचाना और नये पिंजरापोल तथा गोशालाएँ कायम करना।

४. गोशालाओ, पिंजरापोलो या दूसरे साधनो द्वारा आदर्श पशु-संवर्धन करना और सुसंचालित दुग्ध केन्द्रो द्वारा सस्ता और अच्छा दूध सुलभ करना।

५. मरे हुए जानवरोके चमड़े बगैरहके लिए चर्मालय खोलना और इस प्रकार कमजोर ढोरोके निर्यातको रोकना या कम करना।

६. चरित्रवान गो-सेवकोको छात्रवृत्तियाँ देकर गो-सेवाके कामकी तालीम दिलवाना।

७. गोचर-भूमि आदिका जो नाश होता जा रहा है, उसके कारणोपर विचार करना और उससे होनेवाले हानि-लाभकी जाँच करना।

८. बैलको बधिया करनेकी क्रिया निर्दय क्रिया है, इसलिए पता लगाना कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। और बधिया करना जरूरी और उपयोगी मालूम पड़े, तो इस क्रियाके करनेका कोई निर्दोष तरीका खोज निकालना अथवा वर्तमान पद्धतिमे उचित सशोधन करना।

९. मडलके कामोके लिए रुपया इकट्ठा करना, और

१०. गोरक्षाके लिए जो अन्य साधन आवश्यक या उचित मालूम पड़े उनकी योजना करना।

सदस्य

अठारह वर्षसे अधिक उम्रके जो स्त्री-पुरुष इस मडलका उद्देश्य स्वीकार करे और

(१) जो सालाना पाँच रुपया चन्दा दे, या

(२) जो हर माह इतना समय चरखा चलानेमे दे जिसके फलस्वरूप २,००० गज अच्छा सूत हर महीने इस मडलको भेज सके, या

(३) जो इस मडलके लिए प्रतिदिन एक घंटा मडल द्वारा निर्धारित किया हुआ काम करे, वे इस मडलके सदस्य हो सकेंगे।

टिप्पणी. जो सदस्य २,००० गज सूत कातकर देनेका जिम्मा लेंगे, उन्हें पूनियाँ मडलकी तरफसे दी जायेगी।

प्रशासन

मडलके सदस्य जिसे बहुमतसे चुनेगे, वही इस मडलका अध्यक्ष होगा। अध्यक्षका चुनाव प्रति वर्ष होगा। इस मडलके मन्त्री और खजानचीका चुनाव अध्यक्ष करेगा।

सदस्योकी साधारण बैठकमें कमसे-कम पाँच सदस्योकी एक कार्यकारिणी समिति प्रतिवर्ष चुनी जायेगी। इस साधारण सभाको प्रतिवर्ष कमसे-कम एक बार बुलाना अध्यक्षका काम होगा।

खजानची मडलके पैसके हिसाब-किताबके लिए जिम्मेदार रहेगा। एक हजार रुपयसे ऊपर सारी रकम खजानची द्वारा स्वीकृत बैंकमें रखी जायेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-३-१९२५

१६. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन समितिकी बैठकमें

दिल्ली

२४ जनवरी, १९२५

सर्वदलीय सम्मेलनकी बैठक शामको प्रारम्भ हुई। श्री जिन्ना, लाला लाजपतराय तथा एनी बेसेट जैसे प्रतिनिधि प्रवक्ताओके महत्त्वपूर्ण भाषण समाप्त होनेपर सब दलोका प्रतिनिधित्व करनेवाली उप-समितिकी^१ नियुक्ति की गई जिसमें लगभग ५० सदस्य हैं ।

गांधीजीने बैठककी अध्यक्षता की। उनका खयाल था कि यदि हम इस बैठकमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या, ब्राह्मण-अब्राह्मण समस्या और अन्य प्रश्नोका कोई सन्तोषप्रद, वास्तविक तथा सम्मानजनक हल निकाल सके तो हम स्वराज्यकी दिशामें बहुत प्रगति कर लेंगे। यदि बैठकमें कोई ऐसी योजना ढूँढ निकाली गई जो कि सभी दलोके लिए स्वीकार्य हो तो वह स्वराज्यकी दिशामें बहुत बड़ा कदम होगा। यदि बैठकमें उपस्थित प्रतिनिधि [इन] मुख्य प्रश्नोपर एकमत हो सकेंगे तो कांग्रेसके मंचपर दलोको एक होनेमें तथा राष्ट्रके नामपर एक सर्वसम्मत माँग करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। श्री जिन्नाने कहा कि मैं जल्दी निर्णय करनेपर जोर देता हूँ। मेरा अनुमान

१ उप-समितिका कार्य था “(क) वे शर्तें सुझाना जिनके आधारपर सभी दल कांग्रेसमें शामिल हो सकें (ख) ऐसी योजना तैयार करना जिससे स्वराज्यके अन्तर्गत बनाई जानेवाली विधान-सभाओ तथा अन्य निर्वाचित सस्थाओमें सभी जातियों, प्रजातियों तथा उप जातियोंको प्रतिनिधित्व मिल सके तथा ऐसे अच्छे-से-अच्छे तरीके सुझाना, जिससे योग्यताका उचित ध्यान रखते हुए सभी जातियोंको सेवाओंमें न्याय-युक्त और उचित हिस्सा दिया जा सके (ग) स्वराज्यकी ऐसी योजना तैयार करना जिससे देशकी वर्तमान आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।” समितिको हिदायतें दी गई थीं कि वह अपनी रिपोर्ट १५ फरवरीको या उससे पहले दे दे। (घॉम्पे क्रॉनिकल, २६-१-१९२५)

है कि सरकार शायद फरवरीमें सुधार जाँच समितिकी रिपोर्टको विधानसभामें विचारके लिए पेश करेगी। चूँकि इस समितिके कार्यके सम्बन्धमें हिन्दू-मुस्लिम मतभेदको बड़ा तूल दिया गया है, इसलिए जब रिपोर्टपर विचार करनेका समय आयेगा तब मैं सरकारसे कहना चाहता हूँ कि हिन्दू-मुसलमानोके सब मतभेद समाप्त हो गये हैं और अब वे अपनी माँगपर एकमत हैं।

महात्मा गांधीने उत्तर दिया कि उप-समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेसे श्री जिन्नाका मतलब हल हो जायेगा। उप-समिति जल्दी ही बैठक बुलायेगी और वह प्रतिदिन कार्य करेगी तथा उसे तबतक जारी रखेगी जबतक उसका कार्य सम्पन्न नहीं हो जाता और वह अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेती। . . .

[अग्नेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २७-१-१९२५

१७. टिप्पणियाँ

काठियावाड़

भाई भरूचा^१ जो फिलहाल काठियावाडमे काम कर रहे हैं, लिखते हैं कि वे देवचन्द भाईके साथ लोगोमे घूम-घूमकर विभिन्न स्थानोसे कपास इकट्ठी कर रहे हैं। १८६ कातनेवाले सभासद भी बना लिये गये हैं, और भी बनते जा रहे हैं। यदि इस उत्साहका पूरा लाभ उठाया जा सके, तो बहुत अच्छे कामके होनेकी सम्भावना है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ पूनियो और चरखोके भेजने तथा जिन लोगोको कातना न आता हो, उन्हें कातना सिखानेका ठीक-ठीक प्रवन्ध किया जाना चाहिए।

मैं काठियावाडके कार्यकर्त्ताओको सावधान करना चाहता हूँ कि तारीख १५ फरवरीको मैं फिर काठियावाडमे पहुँच रहा हूँ। उस समयतक मैं काफी काम हो चुकनेकी आशा रखूँगा। मेरे मनमे अभीसे यह विचार आता रहता है कि जब मैं राजकोट पहुँचूँगा, तब वहाँका क्या दृश्य होगा। राजकोटमे खादीकी कमीके विषयमे एक कच्छी भाईने शिकायत की थी। इस सम्बन्धमें मैं कुछ महीने पहले 'नवजीवन' मे लिख चुका हूँ।^२ क्या १५ फरवरीको मुझे वहाँ वैसा ही अभाव दिखाई देगा ?

ठीक हिसाब

हम पैसेकी जगह कपास इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए हिसाब रखनेकी पद्धतिमे अन्तर तो होगा ही। यदि शुरूसे ही सोच-समझकर हिसाब रखा जाये, तो भविष्यमे उससे बड़ी सुविधा होगी। कपास इकट्ठी करना, फिर उसे ठीक तरहसे रखना और उसके बाद जिन विभिन्न क्रियाओको करना आवश्यक हो जाता है, उनपर खर्च होने-

१. वरजोरजी भरूचा।

२ देखिए "टिप्पणियाँ", २७-४-१९२४के अन्तर्गत उपशीर्षक "काठियावाडकी खादी"।

वाली रकम आदिका प्रबन्ध करके रखना आवश्यक होगा। इसके सिवाय कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो अपनी ही कपाससे सूत कातेगे और कुछ ऐसे होंगे जो समिति द्वारा दी हुई कपाससे सूत कातेगे। इसलिए इन दोनोंका हिसाब अलग-अलग तरहसे रखना जरूरी होगा। इसके सिवाय जो कपास कातनेके काममें आ चुकेगी, उसका हिसाब भी अलग रखना होगा। इस तरह हिसाबकी अधिक बहियाँ रखना जरूरी हो सकता है और इसलिए यह काम धीरज, सोच-विचार और समझके बिना नहीं हो सकेगा।

१०० रुपयेके चरखे

एक सज्जनने प्रश्न किया है कि जिन जिलोने दूसरोके द्वारा २,००० गज सूत कतवाकर भेजनेकी इजाजत दे रखी है, क्या वे भी उक्त इनामके हकदार हो सकते हैं। उक्त बात जिस ढंगसे कही गई है उसकी भाषा भले स्पष्ट न रही हो, फिर भी यह इनाम तो उसीके लिए है जो स्वयं कातेगा। 'खादी प्रेमी' सज्जनका इरादा उस जिलेको यह पुरस्कार देनेका नहीं है, जो दूसरोके द्वारा सूत कतवाकर भेजनेवाले सदस्योकी सख्यामें सबसे बढकर हो। मैं आशा करता हूँ कि इस पुरस्कारके लिए जिलोमें खासी प्रतिस्पर्धा होगी। १०० रुपयेकी कीमतकी बात नहीं सोचनी है। महत्त्व पुरस्कारका है, उसके मूल्यका नहीं। यदि वोरसद ही यह तय कर ले, तो पूरी शक्ति लगाकर ५,००० (सूत कातनेवाले) सदस्य बना ले सकता है।

किसान परिषद्'

सोजित्राके कार्यकर्त्ताओने पाटीदारोकी परिषद् उपर्युक्त नाम देकर बुलाई थी और इसलिए मैं पाटीदारोकी जगह किसान शब्दका उपयोग करनेका साहस कर रहा हूँ। पुराने नामोको छोडकर नये नामोके पीछे घूमना और पुरानी बातोको हलका माननेका रिवाज अनुकरणीय नहीं है। पाटीदार कहलानेमें कुछ भी विशेष बात नहीं है, किसान शब्द बहुत मीठा और प्यारा है। कहा जा सकता है, सोजित्राके पाटीदार कमसे-कम दो दिनोंके लिए किसान बन गये थे और यह इसलिए कि उन्होने परिषद्के लिए आवश्यक मददका वोज्ञ अपने ऊपर ले लिया था। किसान तो हमेशा मजदूर है। शरीर-श्रममें ही उसका बडप्पन है। सोजित्राकी इस परिषद्में छोटे-बडे सभी पाटीदार सेवा कर रहे थे और इससे उनकी शोभा हो रही थी। परिषद्का मण्डप स्वयंसेवकोने अपने हाथो तैयार किया था। यह भी स्पष्ट था कि खर्च यथा-सम्भव कम किया गया है। जो अतिथि प्रतिनिधि इत्यादि आये थे, उन्हें भी परिषद्के कुछ सदस्योने व्यक्तिगत तौरपर अपने-अपने यहाँ ठहरा लिया था और इसलिए व्यवस्था भी अच्छी हो गई और स्वागत समितिपर भोजन आदिके खर्चका वोज्ञ भी नहीं पडा। बडीदा सरकारकी ओरसे परिषद्को आवश्यक सुविधाएँ दे दी गई थी, इसलिए काम सरल हो गया था।

१ इस शीर्षकमें यह और इसके आगेकी टिप्पणियाँ प्रकाशान्तरसे २२-१-१९२५ के यंग इंडियामें भी दो गई थी।

अध्यक्ष

डा० सुमन्त मेहता भी किसान ही नजर आते थे। जहाँ देखिए, वहाँ काम और सेवाके अतिरिक्त कोई दूसरा दृश्य दिखाई नहीं देता था। स्वागताध्यक्ष, और परिषद्के अध्यक्ष श्री डा० सुमन्त मेहता, दोनोंके भाषण छोटे ही थे और वे भी उन्होंने पूरे पढकर नहीं सुनाये, केवल कुछ अंश पढकर सुनाये और परिषद्का समय बचाया।

घाराला

पाटीदारोकी इस परिषद्के साथ ही साथ तीन परिषदे और भी आयोजित की गई थी — घारालाओकी, स्त्रियोकी और अन्त्यजोकी। ये परिषदे चूँकि एकके बाद एक हुई थी, इसलिए सभी परिषदोमे लोगोको उपस्थित रहनेकी सुविधा हो गई थी। घाराला जाति अपनेको वारिया क्षत्रिय मानने लगी है। किन्तु यदि मैं उन्हें सलाह देनेवाला कोई होता हूँ, तो मैं यही सलाह दूँगा कि वे अपने घाराला नामको ही अगीकार किये रहे और उसे पवित्र बनाये। नाम बदलनेसे काम नहीं हो जाता। नाम बदलनेसे दरजा भी ऊँचा नहीं होता। वह तो क्षत्रियोको शोभने योग्य काम करनेसे ही प्राप्त होगा। इतनी आलोचना करनेके बाद परिषद्के विषयमे तो मुझे प्रशंसाके शब्द ही कहने हैं। मण्डप घारालाओसे खचाखच भरा हुआ था। सख्यामे इतने अधिक होनेके बाद भी वहाँ सम्पूर्ण शान्ति रही। प्रस्ताव भी अपने समाजके अन्तर्गत सुधार करनेकी हदतक सीमित था। इन लोगोमे मद्यपान, स्त्री-हरण और कन्याविक्रयके दोष बहुत दिनोंसे चलते आ रहे हैं। परिषद्मे आये हुए भाइयोने इन तीनों बुराइयोको छोडनेका प्रस्ताव पास किया।

अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहना भी क्षत्रियका धर्म है। भय बाहरसे आये या भीतरसे पैदा हो, उसकी चिन्ता न करना और किये हुए निश्चयपर दृढ रहना यह ऊँचे दरजेका 'अपलायन' है। वीरत्व तलवार चलानेमे नहीं, दृढतामे है।

महिला परिषद्

सोजित्रा महिला परिषद्मे इतनी महिलाएँ आ गई थी कि जिसकी किसीने कल्पना नहीं की थी। ज्यादातर पाटीदार बहने परदा करती हैं। इसके बावजूद परिषद्का मण्डप बहनोंसे भर गया था। इतनी बहनोका इकट्ठा होना परिषद्की सार्थकताका द्योतक था। उसमे कोई प्रस्ताव पास करनेकी आवश्यकता दिखाई नहीं दी। उन्होंने चरखेकी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसे सन्तोपजनक माना जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव तैयार किया जाता और प्रस्तुत किया जाता, तो उसके समर्थनमे हाथ भी अवश्य उठ जाते। किन्तु उससे कोई बड़ा अर्थ सिद्ध न होता।

अन्त्यज

अन्त्यज परिषद् भी इसी मण्डपमे हुई। कार्यकर्ताओने साहसपूर्वक मण्डपमे ही इस परिषद्को आयोजित होने दिया, इसलिए वे धन्यवादके पात्र हैं। पाटीदारोमे से

अभीतक अनुपम्यताके रोगका उन्मूलन नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने इस परिपद्को अपने मण्डपमें आयोजित होने दिया, यह एक शुभ लक्षण है। परिपद्में बहुतसे अन्त्य-जैन भाई-बहन भी थे। अन्त्यज परिपद्में नाराव न पीने, चरमा चलाने और सादी पहननेकी प्रतिज्ञा ली गई। प्रतिज्ञाका एक-एक शब्द भाई-बहनोंको समझा दिया गया था। अन्त्यज यहाँ भी काफी बगी मरगामे आई थी। वे अपने साथ धूप ले कर आई थी। पूजा देनाका मैं कुछ गश्नफरमोमें पट गया था। मैंने ममज्ञा कि वे बीडियाँ पी रही हैं। किन्तु मुझे बताया गया कि वह धुआँ धूपका है। पण्डालमें उपस्थित उन हिन्दुओं और पुराणोंके चैतन्यप्रसन्नता छाई हुई थी।

कालीपरज

यो तो गोजिश्रामे आयोजित नभो मम्मेश्रन अपनी-अपनी जगह अच्छे थे, किन्तु काशेपरज परिपद्में मेरे मनमें ज्यादा गहरा असर छोड़ा। पहले जिन परिपद्कोका उल्लेख हो गया है, उनके पीछे व्यक्तित्व-वृद्धि, तादगी, मितव्ययिता तथा फुरती दृष्टि-गोचर होती थी, किन्तु काशेपरजकी परिपद्में उस सबके साथ-साथ कला भी दिखाई दी। मैं महज ही यह उठा कि मैंने बहुत-सी परिपदे देखी हैं, किन्तु स्वाभाविक मीन्द्रयंकी दृष्टिमें ऐसी परिपद् मैंने कदाचित् दूसरी नहीं देखी। अपने इस उद्गारमें मुझे अतिनियोजित नहीं जान पड़ती। ऐसा लगा मानो जदृश्य रूपमें स्वयं प्रकृतिने आकर वहाँ सजावट की है। मुद्गरने नीचा लेना और उभे किमी प्रकारका आघात न पहुँचाना मेरी ममज्ञामें यही मन्त्रकी कथा है। जिन वेडली ग्राममें यह परिपद् आयोजित हुई थी, वहाँ कुछ घर और पोपडियाँ थी। किन्तु कालीपरज जातिके लोग न गाँवमें रहते हैं, न पंगोमें। वे मैदानोंमें घान-फूमकी जोपडियाँ डाल कर रहते हैं। वेडलीकी आवादी तीन-चारगोमें ज्यादा नहीं होगी। किन्तु इस छोटी-सी बस्तीकी जोपडियाँ काशेपरज योगोकी जोपडियोंमें अच्छी ही कही जायेंगी। शायद यही सोचकर परिपद् वेडलीमें रखी गई। साधारणतः परिपदे मैदानोंमें रखी जाती हैं। हमारे कला-कारोंने आगमाम धूमकर देना और प्राकृतिक मीन्द्रयंमें सम्पन्न एक टुकड़ा परिपद्के ध्यानमें चुना। गाँवके पाम ही वाल्मीकि नामकी नदी बहती है। वृक्षोंसे सुशोभित टेकरियोंकी मात्राके बीचमें होकर यह नदी नाचती हुई बहती चली जाती है। परिपद्के आयोजनकृतियोंने उमी म्यानको पमन्द किया। मुख्य मच बहते हुए पानीके ऊपर निर्मित किया गया और जिस तरह किसी वृक्षसे डाली फूट निकलती है, इसी प्रकार उस मचको आगेतक बढ़ाकर उसे प्रतिनिवियोंके बैठनेकी जगहमें बदल दिया। सड़ियोंके दिन थे और पानी ठंडा था। इसलिए हमारे कला-प्रवीणोंने यह विचार किया कि प्रतिनिवियोंको छायाकी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं दोपहरके बाद धूप भी उन्हें पमन्द ही आयेगी, इसलिए स्वर्णिम आकाश-मण्डपका चँदोवा और नदीकी रेत लोगोंके लिए आसन बन गई। चूँकि नदी टेकडीके एक तरफ बहती है, इसलिए सामनेकी टेकडीमें नदीके इस किनारेतक नदीका सूखा किनारा है। नदीमें कीचड़ नहीं है, रेत है। इसलिए किसी भी प्रकारकी कृत्रिम सजावट, दरी-जाजम आदिकी जरूरत नहीं पड़ी। मुख्य मचके ऊपर वाँसो और हरे पत्तोंका मण्डप या वितान

वनाया गया था और वहाँतक जानेके लिए एक चौड़ा रास्ता छोड़ दिया गया था। इस चौड़े रास्तेके दोनो ओर भी बाँस लगा दिये गये थे और उनपर बाँस लगाकर हरे पत्ते और लताएँ बाँध दी गई थी। मचपर चढनेके लिए एक बोरेमे रेत भरकर रख दी गई थी और वह रेतसे भरा हुआ बोरा सीढीका काम देता था। तसवीरे भी नहीं थी और सजावटमे एक इंच भी सूतका उपयोग नहीं किया गया था। यह कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है कि ऐसी जगह सूतकी सजावट भी शायद ही शोभा दे। सूत मनुष्यकी कृति है और उसकी शोभा मनुष्यके घरमे है। जहाँ आकाशका वितान हो और रेतका आसन, वहाँ तो वृक्ष-पात ही शोभा दे सकते हैं। इसके सिवा सूतके प्रेमियोको सूतका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। उसे तो चुटकी-चुटकी रूई और इंच-इंच सूत भी सँभालकर रखना चाहिए।

प्रदर्शनी

परिपद्से थोड़ी ही दूरी पर, किन्तु नदीके ही तटपर और टेकडियोकी मालाके चरणमे चरखा-प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। वहाँ लगभग ५० चरखे थे और उन्हें वृद्ध स्त्री-पुरुष और छ-सात से लेकर १० वर्ष तकके बालक-बालिकाएँ चला रही थी। इस व्यवस्थामे भी एक सूझ थी। जातिके तरुण लोग स्वयसेवकोकी तरह काम कर रहे थे। प्रदर्शित खादीमे से कुछ तो स्वय कालीपरजके लोगो द्वारा काती, वुनी और रँगी गई खादी थी। बाकीके मोटी खादी गुजराती खादी भण्डारकी ओरसे रखी गई थी। प्रदर्शनीके स्थानपर कालीपरजोका विगेष बाँसुरी-वादन हो रहा था। वहाँ कुछ विशिष्ट नेताओके चित्र और थोडा-बहुत साहित्य भी प्रदर्शित था। इस सारे आयोजनमे कहा जा सकता है कि खर्च तो कुछ भी नहीं हुआ। लाल, पीले पतले विदेशी कागजकी बनी हुई झडियाँ जो साधारणतया मण्डपोमे नजर आती रहती हैं, वहाँ ढूँढे भी नहीं मिल सकती थी। इन कागजोकी सजावट न बुद्धि जाहिर करती है, न सुरुचि। यह तो मानो नीद बेचकर अनिद्रा रोग मोल लेने जैसी बात है। जहाँ-कहीं मैं कागजकी सजावट देखता हूँ, कलाकी इस हत्यापर मुझे क्रोध आता है। सोजित्रा भी इस दोषसे नहीं बच पाया था।

सूत्र-वद्ध

कालीपरज जाति भली-भाँति सूत्र-वद्ध है। वह स्वय कपास पैदा करती है। यह जाति गरीब और सरल है। ये लोग विदेगी कपडे पहनते हैं—उन्हे अभी इसका शौक नहीं लगा है, इतनी बात जरूर है। यदि कम दामपर खादी उपलब्ध होने लगे, तो वे उसे अवश्य पहनेगे। वन्हें छोटी साडी पहनती है और इसलिए उन साडियोका वजन कम होता है। इसी कारण चरखा और खादी प्रचार इन लोगोमे फैलता जान पडता है। एक साठ सालका बूढा किसान अपने खेतकी देखभाल करते हुए भी हमेशा रातको और सवेरे कातता है। उसके कपडे अपने काते हुए सूतमे से बने हुए थे और उसीमे से वह अपने बच्चोको देनेका डरादा भी रखता है। इस तरह उद्देश्य यह है कि एकके बाद एक कुटुम्ब अपने लिए सूत कातने और वुनने लगे। जब मैंने इस आदमीसे सूत कातनेका कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि इससे पैसा

वचता है। साल-भरमे मुरो अपने कपडोपर १० रुपये खर्च करने पडते थे—सो वच जाते हैं।

मद्यपान

कालीपरज अर्थात् काले लोग। किन्तु ऐसा नहीं है कि अन्य लोगोमे अधिक काले होनेके कारण वे कालीपरज कहलाते हो। उनके कालीपरज कहलानेका कारण यह है कि ऊँचे कहलानेवाले लोग यह कहकर उनकी अवगणना करते हैं। इस समय उनको स्थिति बहुत ही दयनीय है। भीरुता, अन्वविश्वास और मद्यपानका व्यसन उन्हें जोखला किये दे रहा है। वावजूद इम बातके कि वे लोग जगलोमे रहते हैं, वे हरएकमे और हरएक चीजमे उरते हैं। उनका सबसे बडा दोष मद्यपान है। ताजी और शराबमे यह जाति मिट्टीमे मिथी जा रही है। सन् १९२१की जागृतिके समय वे भी आन्दोलनमे आये और इसलिए उनमे भी कुछ मुधार हुए। किन्तु अभी बहुत-कुछ होना बाकी है। शराब उनके बीचमे इम तरह घर करके बैठ गई है कि वे शराब पीनेवाले गुण मानने लगे हैं। जब मद्य-निषेध आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उनके एक दलने इम आन्दोलनको समाप्त करनेका इरादा किया और जो शराब पीनेकी बुराई करने थे, उन्हें तग करना प्रारम्भ कर दिया। कहा जाता है कि शराब बेचनेवाले पारसी दूकानदारोका उममे हाथ था। उन्हें भय था कि यदि कालीपरज शराब छोड देंगे, तो उनका धन्या लगभग बैठ जायेगा और शराबका ठेका लेनेवालोको नुकसान होगा। इम दृष्टिमे विचार करे, तो ठेकेदारोको दोष देना व्यर्थ है। फिर भी मैं मानता हूँ कि उनसे भी दो शब्द कहनेका मुझे अधिकार है। पारसी जातिपर मैं मुग्ध हूँ। बहुत-से पारसियोमे मेरा घनिष्ठ परिचय है। इस जातिके प्रति मेरे मनमे बडा आदर है। इसलिए शराबके पारसी ठेकेदार मेरी इस बातका उलटा अर्थ नहीं निकालेगे। सत्सारमें ऐसे बहुत-से लोग हुए हैं जिन्होने दूसरोको नुकसान पहुँचानेवाले धन्ये छोड दिये। ये लोग भी माहमी हैं और होशियार हैं। यदि ये शराबका व्यापार छोड दें, तो इन्हे दूसरा व्यापार मिल ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। इतना वे करते हैं या नहीं करते, किन्तु मैं यह आशा अवश्य करता हूँ कि वे अपने धन्येको चालू रखनेकी दृष्टिमे दास्-प्रचारक-मण्डलका साथ नहीं देंगे।

प्रतिज्ञा

अच्छी तरह सोच-विचार करनेके बाद इस परिपदने दो प्रतिज्ञाएँ ली। एक शराब छोडनेकी तथा दूसरी खादी पहनने और सूत कातनेकी। प्रतिज्ञाएँ ईश्वरको साक्षी रखकर की गई हैं। फिर भी प्रतिज्ञाएँ सफल तभी होगी जब स्वयसेवक निरन्तर काम करते ही रहेगे।

रामनाम

इस सबके बाद भी जब मनुष्यके प्रयत्नसे कोई बात नहीं बनती, तब ईश्वरकी कृपा काम आती है। इसीलिए मैंने धारालाओ, अन्त्यजो और कालीपरजोको रामनाम-का जप करनेकी सलाह दी है। सुबह सूर्योदयसे पहले उठकर मुँह-हाथ धोकर ईश्वरसे

प्रार्थना करे कि वह उन्हें प्रतिज्ञा-पालनमें सहायता पहुँचाये। रामनामका जप करे और इसी तरह सोते समय भी। रामनामपर मेरी आस्था तो बहुत वर्षोंसे है। अनेक मित्रोंके लिए रामनाम रामवाणकी तरह सिद्ध हुआ है। वे अनेक आन्तरिक द्वन्द्वोंसे मुक्त हो गये हैं। जो लोग ठीक उच्चारण नहीं कर सकते, द्वादश-मन्त्र भी जिन्हें याद नहीं हो सकता और जिन लोगोंके लिए ईश्वर शब्दका उच्चारण कठिन है, उनके लिए भी 'राम'का उच्चारण सहल होगा। जो श्रद्धापूर्वक 'रामनाम'का जाप करते हैं, मैं मानता हूँ कि वे सदा सुरक्षित हैं। मेरी कामना है कि रामनाम इन भाई-बहनोको भी फले।

वारडोलीका कर्त्तव्य

मैं वारडोली जिलेमें होकर लौट आया। वहाँ मुझे पुरानी घटनाओं और पुरानी प्रतिज्ञाओंकी याद आई। मैं दुःखी हुआ। किन्तु आशावादी होनेके कारण मैं निराश तो वेगक नहीं हुआ। इसलिए मैं वारडोलीसे आशा लेकर ही वापस आया हूँ।

वारडोली मनमें धार ले तो बहुत-कुछ कर सकती है। वहाँके पाटीदार दूरदेग हैं। उनमें से बहुतसे लोग दक्षिण आफ्रिका गये हैं और उन्होंने कष्ट उठाये हैं। यह जिला पैसेकी दृष्टिसे सुखी है। वहाँ उत्तम कपास उत्पन्न होती है। इस जिलेके लिए बहुत मेहनत की गई है। गुजरातके दूसरे जिलोंसे जा-जा कर कार्यकर्त्ता वहाँ बसे हैं। वहाँ आश्रम बनाये गये हैं और उनमें स्वर्गीय वीर पारसी रस्तमजीभाई की दी हुई रकम लगी है। वारडोली हिन्दुस्तान-भरमें नाम पा चुकी है।

वारडोलीके ऐसे पाटीदार क्या करेंगे? वे निश्चय कर लें, तो घर-घर चरखा दाखिल करके, स्वयं सूत कातकर, उसीका बुना हुआ कपडा पहनकर विदेशी कपडेका वहिष्कार कर सकते हैं। यह सब काम वारडोलीके लिए एक साधारण बात है।

भाई कुँवरजी तथा भाई लक्ष्मीदासने काम शुरू कर दिया है। उन दोनोंके बीचमें तय हुआ है कि लोगोंकी जरूरत-भर कपास उपलब्ध करेंगे और दूसरोका कता हुआ सूत बुनवायेंगे। उन्होंने इस तरह कामका बँटवारा कर लिया है। भाई कुँवरजीने २,००० मन कपास इकट्ठी करनेका बीडा उठाया है और भाई लक्ष्मीदासने उसे कतवा देनेका। यदि ऐसा हो, तो वारडोली थोड़े ही समयमें कपडेके मामलेमें स्वावलम्बी हो जायेगी। ईश्वर वारडोलीको सफल करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-१-१९२५

१८. पत्र : एक जर्मनको

२५ जनवरी, १९२५

शान्ति एव स्वतंत्रताके लिए सघर्षकी एक शर्त है, आत्मसयम प्राप्त करना। उसके लिए समारके सब सुखोका त्याग कर देना आवश्यक है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईको हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

१९. मौन-दिवसकी टिप्पणी^१

२६ जनवरी, १९२५

गुजरातमे कुछ हदतक तो गोरक्षा होती है, किन्तु काठियावाड अपवाद है। लेकिन वहाँ भी बहुतसे लोग दुष्कालमे पशुओको निकाल देते हैं। हमारा पशुओके प्रति जो व्यवहार है उससे मुझे कदाचित् ही किसी जगह सन्तोष हुआ हो। इसके विपरीत यूरोपमे उनके प्रति व्यवहार शायद ही कही असन्तोषजनक दिखाई देगा। अरबमे घोडा लगभग पूजा जाता है। वहाँ उसकी सार-सँभाल भी ऐसी ही की जाती है। हम हिन्दुस्तानके लोग गायके प्रति मालूम नहीं इतने निर्दय क्यों हैं। यूरोपमे तो पशु ऐसे होते हैं कि हम देखते रह जाये।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

१ गोरक्षा परिषद्मे गांधीजी द्वारा दिये गये भाषणकी महादेव देसाईने जो आलोचना की थी, यह टिप्पणी उसके उत्तरमें लिखी गई थी।

२०. पत्र : मगनलाल गांधीको

दिल्ली

माघ सुदी ३ [२७ जनवरी, १९२५]^१

चि मगनलाल,

इस पत्रमे जो माँग की गई हे वह किसी न किसीको पूरी करनी ही चाहिए। जो रुई दे वह सूत ले, यह उचित ही है। इसका मुनासिब बन्दोबस्त कर देना। रुई उस जिलेसे ही मिल सके, पहले तो यही प्रयत्न किया जाना चाहिए।

चि राधाके साथ बातचीत तो सन्तोपजनक हुई है। वह तो अपने निश्चयपर दृढ है। फिर भी उचित यही है कि हम चारो ओर निगाह रखे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

अभी दिल्लीमे दो-तीन दिन लगगे।

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९२)से।

सौजन्य राधावहन चौधरी

२१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

[दिल्ली]

माघ सुदी ३ [२७ जनवरी, १९२५]^२

भाईश्री घनश्यामदासजी,

आपका पत्र कई दिनोके बाद मीला।

मेरा किसीपर अत्यत विश्वास नहीं है। परतु मनुष्य मात्रका विश्वास रखना हमारा कर्तव्य है। हम भी तो दूसरेके विश्वासकी आशा रखते हैं। जब दोनो पक्ष गलती करते हैं तब न्यूनाधिकताका प्रमाण खीचना बहोत मुश्किल हो जाता है। इसलिये मैंने तो एक हि मार्ग सोच लीया है—दुर्जनके साथ भी सज्जनतासे बर्ताव रखना।

१. माघ सुदी ३, १९२५ में २७ जनवरीको पड़ी थी। गांधीजी उस दिन सर्वदलीय सम्मेलनकी बैठकके सम्बन्धमें दिल्लीमें मौजूद थे।

२. देखिए पाद-टिप्पणी १।

मेरा दो तीन दिन और दिल्लीमें ठहरना होगा। जो कुछ हो रहा है इससे व्यक्तारदृष्टिसे मुझे मतोष नहीं है। पारमार्थिक दृष्टिसे तो मेरे कर्तव्य-पालनमें ही मेरा मतोष है।

आपका,
मोहनदास गांधी

[पुनः]

ज० जानागती वेगम रोगार होनेके कारण मैं सुलता[न] सिंगजीके यहा रहता ह।

गांधीजीके स्वाक्षणेमें मूठ पा (सी० डब्ल्यू० ६१०२)में।
नौजन्य पान्नामदान विच्छा

२२. भेंट समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे

दिल्ली

२७ जनवरी, १९२५'

निकट भविष्यमें विधानसभामें बंगाल अध्यादेशपर होनेवाली वहुसको ध्यानमें रखने हुए हमारे प्रतिनिधिन महत्त्वा गांधीसे पूछा—बंगाल परिषद्में लॉर्ड लिटनके भाषण तथा विधानसभामें चाइलररायके भाषणको देखते हुए क्या आपके विचारमें

१ घांसे क्रॉनिकल तथा सर्व लाइटमें प्रकाशित रिपोर्टकी तिथिके अनुसार।

२ यह सरकारको किसी भी धरित्तो गिरफ्तार करके मुकदमा चलाये बिना जेलमें रखनेका अधिकार देनेके लिए जारी किया गया था।

३ बंगाल विधान परिषद्में ७ जनवरीको बंगाल अध्यादेशपर भाषण देते हुए बंगालके गवर्नर लॉर्ड लिटनके कहा था “इस प्रकारके विषयको उचित ठहरानेका पक्ष एक कारण है कि सारे राज्यका हित यत्रसे पद गया है और वह यत्रा किसी अप प्रकारसे दूर नहीं किया जा सकता। “जब आपकी सरकार सरकार आवेगी तब जो लोग सरकारको नापसन्द करनेके कारण उसके सस्थापकोंकी हत्याकी धमकी देंगे, यदि आप उन लोगोंके अधिकारको रोककर करेंगे तो आपकी सरकार कदापि सफल नहीं हो सकेगी। यदि आप इन लोगोंको इस बातके लिए तैयार कर सकें कि वे अपने हथियार दुगलीमें उलट दें और राजनीतिक प्रणालीके रूपमें आतंकवादको सदैवके लिए छोड़ दें तो हम आपको बचन देते हैं कि हम उनको हमारे ज्यादा अच्छे ढंगसे देशकी सेवा करनेके प्रयत्नमें हार्दिक सहयोग देंगे।” देखिए इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२५, पृष्ठ १, जनवरी-जून।

४ लॉर्ड रोडिंगने विधान सभामें २० जनवरीको बंगाल अध्यादेश मशोधन विधेयकपर बोले हुए कहा था, “बंगालमें आतंकवादी आन्दोलनको रोकने तथा व्यापक रूपसे फैली गुप्त सस्थाओंके खतरेको दूर करनेके लिए अध्यादेश जारी करना उचित है। इस आन्दोलनके व्यापक होनेका अर्थ अधिकारियों तथा निर्दोष नागरिकोंका अधिकाधिक मारा जाना है। विनियम-३ के अन्तर्गत लागू करनेपर भी सामान्य कानून इन अपराधोंको रोकनेमें प्रभावहीन सिद्ध हुआ है।” देखिए इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर, १९२५ पृष्ठ १, जनवरी-जून।

कोई परिवर्तन हुआ है। महात्मा गांधीने उत्तर दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी जिससे मेरा विचार बदलता।

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत मेरी मान्यता यह है कि दोनों ही भाषणोंका राष्ट्रके सम्मुख उपस्थित समस्यासे कोई सरोकार नहीं है; क्योंकि मेरी रायमें अध्यादेशके अन्तर्गत जो अधिकार ग्रहण किये गये हैं वे असाधारण अवसरपर ही ग्रहण किये जाने चाहिए और जनताके नियमपूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी स्वीकृतिके बिना तो कदापि ग्रहण नहीं किये जाने चाहिए। ऐसे मामलोमें जहाँ जीवन-मरणका प्रश्न हो—और जिनका प्रजाकी स्वतन्त्रतासे सम्बन्ध हो वहाँ अधिकारियोंकी राय किसी कामकी नहीं होती, फिर चाहे वे अधिकारी कितने ही बड़े क्यों न हों।

वस्तुतः महात्मा गांधी इससे भी आगे गये। उन्होंने कहा :

भारतके लिए इस प्रकारकी आग्रहपूर्ण घोषणाएँ नई नहीं हैं। क्या सर माइकेल ओ'डायरने^१ और लॉर्ड चेम्सफोर्डने^२ भी लगभग पूरी सजीदगीके साथ यह नहीं कहा था कि पजावमे राजद्रोह तथा षड्यंत्र व्यापक रूपसे फैले हैं? क्या सर माइकेल ओ'डायरने यह दावा नहीं किया था कि पजावमे आम विद्रोहकी स्थिति है। क्या इसे वे सिद्ध कर सकते हैं? अब हम जान गये हैं कि इन वक्तव्योंके समर्थनके योग्य प्रमाण लगभग नहीं थ।

महात्मा गांधीने इसलिए इस बातपर प्रसन्नता व्यक्त की है कि जहाँतक अध्यादेशका सम्बन्ध है भारतीय एकमतसे उसकी निन्दा करते हैं और उनको आशा है कि उसके विरुद्ध आन्दोलन दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ेगा और इस हदतक जा पहुँचेगा कि वह एक दिन डुनिवार हो जायेगा।

[अग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २८-१-१९२५

२३. कुछ प्रश्नोंके उत्तर

पिछले महीने एक अग्रेज सज्जनके साथ खुल कर मेरी बातें हुईं। उक्त सज्जनको हिन्दुस्तानकी समस्याओमे बहुत दिलचस्पी है और वे भरसक उसकी सेवा करनेके इच्छुक हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या इस बातचीतका सार छपा जा सकेगा। मैं इसके लिए तुरन्त सहमत हो गया और उन्होंने इस चर्चामे जो प्रश्न उठाये थे मैंने उन्हें लिखकर दे देनेको कहा। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न लिखकर दे दिये। मैं उनका नाम प्रकट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि महत्त्व नामका नहीं है। ज्यादा महत्त्व विचारका है, क्योंकि इन दिनों लोगोमे उन विचारोके प्रति कुछ दिलचस्पी दिखाई दे रही है। यदि मैं जैसा कि मेरा दावा है, अग्रेजोका मित्र हूँ, तो मुझे जरूर उनके

१ पजावके लेफ्टिनेंट गवर्नर, १९१३-१९१९।

२. भारतके वाइसराय, १९१६-१९२१।

मनमे उठनेवाली तमाम शका-कुशकाओका उत्तर वीरजके साथ देना चाहिए। प्रश्नकर्ता मित्रने ये तमाम सवाल अपनी ही तरफसे नही किये थे, बल्कि ज्यादातर तो उन अग्रेजोंकी तरफसे किये थे जिन्होंने ये सवाल असलमे उनसे किये थे।

सवाल और जवाब नीचे दिये जा रहे हैं

खादी कार्यक्रमको स्वराज्यका साधन माननेके आपके आग्रहका वास्तविक हेतु क्या है ?

मैं स्वराज्य सिर्फ अहिंसा और सत्यके द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब खादी-कार्यक्रमको सफल बनानेके लिए उसपर अध्यक्ष-पूर्वक अमल किया जाये। स्वराज्य शान्तिपूर्ण उपायोसे तभी मिल सकता है जब, किसी बहुत थोड़ी ही अवधिके लिए और बहुत सामान्य कामके लिए ही क्यों न हो, हिन्दु-स्तानकी सारी जनता एक मनसे कोई रचनात्मक और उपयोगी काम करे। ऐसा प्रयत्न राष्ट्रके पूरी तरह जागरूक हो चुकनेकी अपेक्षा तो रखता ही है। यह उद्देश्य केवल चरखेके द्वारा ही साध्य हो सकता है। कोई व्यक्ति इसके जरिये ज्यादा नही कमा सकता, इसलिए जो अपनी ही सोचता है केवल ऐसे व्यक्तिको इसके प्रति कोई आकर्षण नही होगा। फिर भी इसके द्वारा समूचे राष्ट्रकी सम्पन्नतामे फौरन ही अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। प्रति वर्ष प्रत्येक आदमी यदि १) ज्यादा कमाने लगे तो हो सकता है इससे उस आदमीको कुछ सुविधा न हो परन्तु ५,००० आवादीवाले गाँवमे ५,०००) की सालाना आमदनीसे लगान और दूसरे कर अदा किये जा सकते हैं। इस तरह चरखेका अर्थ है राष्ट्रीय जागृति और देशके प्रत्येक व्यक्तिका एक निश्चित राष्ट्रीय रचनात्मक काममे योग। यदि भारत अपने आप प्रयत्न करके कार्य साधनेकी अपनी ऐसी क्षमताका परिचय दे दे तो फिर उसे राजनीतिक स्वराज्यके लिए तैयार मानना चाहिए। राष्ट्रकी ओरसे ऐसे सकल्पके साथ अन्य कोई माँग पेश किये जानेपर कौन उसकी अवहेलना कर सकेगा ? मैंने अभीतक चरखे तथा उससे उत्पन्न होनेवाली खादीकी जबरदस्त आर्थिक सभावनाका जिक्र तो किया ही नहीं है। क्योंकि वह स्पष्ट है। भारतकी आर्थिक समृद्धिका असर अप्रत्यक्ष रूपसे उसके राजनीतिक इतिहासकी गतिपर पडे बिना भी नही रहेगा। हम राजनीतिक शब्दका प्रयोग सकुचित अर्थमे करे तो भी। और अतिम बात यह है कि जब चरखे द्वारा देश अपना कपडा तैयार करने योग्य हो जायेगा तो उसके फलस्वरूप लकाशायर द्वारा भारतका यह आर्थिक शोषण बन्द हो जायेगा। विदेशी कपडे और लकाशायरके कपडेका भी भारतमे आना बन्द हो जायेगा, तो भारतको हर उपायसे गुलामीके बन्धनमे बाधे रखनेकी इग्लैंडकी व्याकुलता भी समाप्त हो जायेगी।

इसका तो मतलब है सारे राष्ट्रकी रचिम ही क्रान्ति पैदा कर देना। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपके देशवासी आपके अनुरोधपर विदेशी कपडेका इस्तेमाल छोड देंगे ?

जहर। क्योंकि मैं देशसे बहुत छोटीसी चीज माँग रहा हूँ। लाखों लोगोंको इस बातका ध्यान भी नही है कि वे कौन-सा कपडा पहनते हैं, सिर्फ दाम कम होना

चाहिए। केवल मध्यम श्रेणीके लोगोकी ही रुचि बदलनेकी जरूरत है। मैं नहीं मानता कि उनके लिए विदेशी कपडेके स्थानपर खादीको अगीकार करना असम्भव है। फिर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि आजकल खादी बहुतसे लोगोकी रुचिके अनुकूल बनने लगी है और दिन-प्रतिदिन खादी बढ़िया होती जा रही है। इसलिए मेरी राय है कि यदि कोई भी रचनात्मक काम सफल हो सकता है तो वह यही खादीका कार्यक्रम है।

‘स्वराज्य’ से आपका क्या अभिप्राय है और उसकी क्या कोई मर्यादाएँ हैं, यदि हैं तो कौन-सी?

स्वराज्यसे मेरा अभिप्राय है जनताकी इच्छाके अनुसार भारतका वह शासन जिसका निश्चय देशके ज्यादासे-ज्यादा वालिग लोग मत देकर करेगे, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, इसी देशके हो या इस देशमें आकर बस गये हो। वे लोग ऐसे हो जिन्होंने अपने शारीरिक श्रमके रूपमें राज्यकी कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओकी सूचीमें अपना नाम लिखवा लिया हो। इस सरकारका ब्रिटिश राज्यसे सम्बन्ध रह सकता है किन्तु पूर्णतया सम्मानयुक्त और बराबरीकी शर्तोंपर। मुझे तो अभीतक इस बातकी उम्मीद है कि मौजूदा गुलामीकी जगह हमारा सम्बन्ध बराबरीके हिस्सेदार या सहयोगीका हो सकता है। पर अगर जरूरत आ पड़े अर्थात् यदि इस सम्बन्धके कारण भारतवर्षकी सर्वांगीण उन्नतिमें रुकावट पडती हो तो मैं पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेदका समर्थन करने या उसके लिए स्वयं प्रयत्न करनेमें जरा भी नहीं हिचकूंगा।

आपने किस हदतक स्वराज्य दलके कार्यक्रम या कार्य-पद्धतिको कुबूल किया है?

मैं खुद स्वराज्य दलके कार्यक्रम अथवा उसकी कार्यप्रणालीके प्रति किसी भी प्रकार वचनबद्ध नहीं हूँ। एक कांग्रेसीकी हैसियतसे मैं यह मानता हूँ कि देशपर उसका निश्चय ही प्रभाव है और इसलिए उसे कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करनेका हक है। यह हक जो उसे इस समय आपसी समझौतेके द्वारा प्राप्त है, उसे वह अपने दलके पक्षमें प्राप्त होनेवाले मतोंकी सख्याके आधारपर भी प्राप्त कर सकता था।

आपके और उस दलके नेताओके सम्बन्ध कैसे हैं?

अत्यन्त मैत्रीपूर्ण। हम देशभक्ति और त्याग भावनाका जितना दावा अपने लिये कर सकते हैं उनका उतना ही श्रेय मैं उन्हें भी देता हूँ।

कहा जाता है कि आप श्री दासके सामने झुक गये?

एक अर्थमें यह बात सच है। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेसी आपसमें झगड़े परन्तु अगर इसका यह मतलब हो कि मैं अपने सिद्धान्तसे रत्ती-भर भी पीछे हटा हूँ तो यह सच नहीं है।

साहावाले प्रस्तावके प्रति आपका जो रुख था, क्या वह अब बदल नहीं गया है?

जरा भी नहीं। साहावाले प्रस्तावके समय मैं अपने ही लोगों द्वारा की गई भूलका विरोध कर रहा था। इस समय मैं गलत अनुमानोंके आधारपर किये जानेवाले

वाहरी दमनकी कार्रवाईका प्रतिरोध कर रहा हूँ। इसके सिवा उस समय में यह चाह रहा था कि कांग्रेस कार्यकारिणीके सभी पद एक ही दलके हाथमें रहे। इस सम्बन्धमें मेरे प्रयत्नोंकी और साहा-प्रस्ताव सम्बन्धी मेरी कार्रवाईकी एक समझनेकी भूल नहीं करनी चाहिए। ये दोनों बातें विलकुल जुदा-जुदा हैं यहाँतक कि उनका एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है। ज्योंही मैंने देखा कि एक ही दलके हाथमें नियन्त्रण रखनेकी कोशिशसे आपसमें कटुता फैल रही है, मैंने कदम वापस ले लिया और पूरी तरह स्वराज्य दलकी बात मान लेनेकी घोषणा कर दी।

कहते हैं कि इस तरह झुक जानेसे आपकी नैतिक सत्ता समाप्त हो गई है ?

चिपके रहनेसे नैतिक सत्ता सहेज कर नहीं रखी जा सकती। वह बिना माँगें मिलती है और बिना प्रयासके बनी रहती है। मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरी नैतिक सत्ता जाती रही है, क्योंकि अपनी जानकारीमें मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे अपने नैतिक सिद्धान्तोंके अनुसार न चलनेका दोषी ठहराया जा सके। मेरे बताये हुए स्वराज्य-प्राप्तिके साधनों, जैसे चरखेके प्रचारमें इन बहुतसे व्यक्तियोंका जो बौद्धिक सहयोग मुझे प्राप्त था उसे मैंने अवश्य खो दिया है।

असहयोगके हरएक कार्यक्रमके विफल हो जानेके बाद भी आप असहयोगपर क्यों आग्रह रखे हुए हैं ? उसे स्थगित करनेकी बातके पीछे आपका क्या हेतु है ?

आज मैं उसपर जोर नहीं दे रहा हूँ। पर मैं इस बातको कबूल नहीं करता कि उन कार्यक्रमका प्रत्येक अंग असफल हो गया है। बल्कि एक हदतक असहयोगका हरएक अंग सफल हुआ है। मैं उसे स्थगित करनेकी बात सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे लिए असहयोग जीवनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है और मुझे लगता है कि उसके द्वारा हिन्दुस्तानको ही नहीं, कहना चाहे तो सारी दुनियाको लाभ पहुँचा है, जिसका कि अभी हमको पर्याप्त अनुभव नहीं है। और इसलिए भी कि यदि फिर कभी मुझे देशके लोगोंमें व्यापक अहिंसा और परस्पर सच्चे सहयोगकी भावनाका वातावरण दिखाई दे और तबतक भी अगर हमें अपना ध्येय प्राप्त नहीं हो चुका होगा तो मैं राष्ट्रको फिरसे सत्याग्रहके मार्गपर जानेकी सलाह देनेमें आगा-पीछा नहीं करूँगा।

हिन्दू-मुस्लिम समस्याको आप किस तरह हल करना चाहते हैं ?

दोनों जातियोंके सामने लगातार इस बातपर जोर देकर कि वे आपसमें आदरभाव और विश्वास पैदा करें, और हिन्दुओंसे इस बातका आग्रह करके कि चूँकि वे ज्यादा बलशाली हैं इसलिए हर लौकिक व्यवहारमें मुसलमानोंकी बात मानें और यह स्पष्ट कर दें कि जो लोग अपनेको राष्ट्रवादी मानते हैं और जिनकी सख्या दूसरोंसे बहुत ज्यादा है वे विधान सभाओं या सरकारी पदोंकी भेदी प्रतिस्पर्धामें भाग नहीं लेंगे। मैं यह दिखला कर भी इस उद्देश्यको सिद्ध करनेकी आशा करता हूँ कि सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों द्वारा सत्ता छीन लेनेसे नहीं, बल्कि सत्ताका दुरुपयोग होने पर जब कि सब लोगोंमें उसका प्रतिरोध करनेकी क्षमता आ जायगी तभी प्राप्त होगा। दूसरे शब्दोंमें स्वराज्य जनताको इस बातका बोध करा देनेसे प्राप्त किया जा सकता है कि उनमें शासन-सत्ताको नियमित और नियन्त्रित करनेकी क्षमता है ?

अंग्रेजोंके प्रति आपका सच्चा रुख क्या है? और इंग्लैंडसे आप क्या आशा रखते हैं?

अंग्रेजोंके प्रति मेरे मनमें पूर्ण मित्रता और आदरके भाव हैं। मैं उनका मित्र होनेका दावा करता हूँ। क्योंकि यह मेरी प्रकृतिके विरुद्ध है कि मैं एक भी मानवको अविश्वासकी दृष्टिसे देखूँ या यह मानूँ कि दोषमोचनकी दृष्टिसे ससारकी कोई भी कौम असाध्य है। मेरे मनमें अंग्रेजोंके प्रति आदर है, क्योंकि मैं उनकी बहादुरीका, वे जिस बातको अपने लिए अच्छा समझते हैं उसके लिए कुरवानी करनेका, उनकी एक बने रहनेकी वृत्तिका तथा व्यापक सगठन कर सकनेकी उनकी शक्तिका कायल हूँ। उनसे मुझे यह आशा है कि वे थोड़े ही समयमें पीछे हट जायेंगे और अव्यवस्थित तथा अनुशासनहीन जातियोंके शोषणकी अपनी नीतिको छोड़ देंगे, एव इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे कि भावी ब्रिटिश राष्ट्रसंघमें भारत एक बराबरीका मित्र और सहयोगी बनकर रह सकेगा। ऐसा कभी होगा अथवा नहीं इस बातकी सम्भावना मुख्यतः हमारे अपने कामपर निर्भर है। अर्थात् इंग्लैंडसे मेरी आशाका कारण यह है कि मैं भारतसे आशा करता हूँ। हम सदा अव्यवस्थित और नकलची तो नहीं रहेंगे। वर्तमान अव्यवस्था, नैतिक पतन और नये काम उठानेकी शक्तिके अभावके पीछे मुझे व्यवस्था, नैतिक बल और कार्याभ्यासकी शक्ति अपने आप सगठित होती हुई दिखाई देती है। वह जमाना आ रहा है जब इंग्लैंड हिन्दुस्तानकी मित्रता पाकर खुश होगा और हिन्दुस्तान भी मित्र भावसे इंग्लैंडके बढ़ाये गये हाथको महज इस खयालसे अस्वीकार नहीं कर देगा कि कभी वह उसका शोषक रह चुका है। यो मुझे मालूम है कि इस आशाके लिए कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसका आधार केवल मेरी अविचल श्रद्धा ही है। जो श्रद्धा तथाकथित प्रमाणोंपर ही आधारित हो वह सच्ची श्रद्धा नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २९-१-१९२५

२४. टिप्पणियाँ

उलटा रास्ता

जमीयत-उल-तवलीग इस्लामने हालकी अपनी बैठकमें पास किये गये प्रस्तावका [अंग्रेजी] अनुवाद मुझे भेजनेकी कृपा की है। प्रस्ताव इस प्रकार है

यह निश्चय किया गया कि हाल ही कोहाटमें हुए दंगोंके समय जो शर्मनाक घटनाएँ हुई हैं और जिनके फलस्वरूप वहाँ लोगोंके जानोमालको जो काफी नुकसान पहुँचा है, उन सबकी जिम्मेदारी उन लोगोंपर है जिन्होंने कोहाटमें ऐसा परचा शाय किया जो जोश और गुस्सा दिलानेवाला था और जिसमें इस्लामपर बड़े ही गन्दे आक्षेप किये गये थे तथा जिसमें मुसलमानोंके

जजवातको गहरी चोट पहुँचाई गई थी। जिन हिन्दुओंने गोलियाँ चलाई और मुसलमानोंकी जानें लीं, वे भी वादकी हालतको और नाजुक बना देनेके जिम्मेदार हैं। यह जमीयत कोहाटके उन तमाम वाशिन्दोंके साथ, बिना जात-पाँतके भेद-भावके, हमदर्दी जाहिर करती है, जिनके जानोमाल इन दंगोंके दरम्यान जाया हुए हैं। एक मजहबी जमातकी हैसियतसे यह जमीयत महात्मा गांधीकी तथा दूसरे राजनीतिक नेताओंको यह बताना अपना फर्ज समझती है कि जबतक मजहब और मजहबोंके प्रवर्तकों तथा मजहबी हलचलोंके नेताओंपर व्याख्यान और लेखोंके द्वारा किये जानेवाले आक्षेप पूरी तरह बन्द नहीं किये जायेंगे तबतक हिन्दुस्तानमें हिन्दू-मुस्लिम-एकताकी स्थापना और उसे बनाये रखना कभी सम्भव नहीं होगा।

मैं जमीयतको इस प्रस्तावपर दबाई देनेमें असमर्थ हूँ। अभीतक कोहाटकी घटनाओंकी कोई निष्पक्ष जाँच नहीं हुई है। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि दोनों पक्षके लोगोंने मुख्य तथ्योंपर अपनी राय स्थिर कर ली है। क्या यह बात साबित हो चुकी है कि कोहाटकी तमाम शर्मनाक घटनाओंकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति या व्यक्तियोंपर ही है जिन्होंने कोहाटमें उक्त जोश और गुस्सा पैदा करनेवाले परचे छापे थे? क्या यह बात भी साबित हो चुकी है कि 'जिन हिन्दुओंने गोलियाँ चलाई और मुसलमानोंकी जानें ली, वे भी उसके वादकी हालतको और भी नाजुक बना देनेके लिए जिम्मेदार हैं?' यदि पूर्वोक्त दोनों बातें असन्दिग्ध रूपसे साबित हो गईं तो कमसे-कम वहाँके हिन्दू तो अपनी जानोमालकी हानिके लिए जमीयतकी ओरसे प्रदर्शित की गई किसी तरहकी हमदर्दीके मुस्तहक नहीं हैं, क्योंकि यह तो उनकी ही करनीका फल उन्हें मिला है। ऐसी अवस्थामें जमीयतका हिन्दुओंके साथ हमदर्दी जाहिर करना असंगत है। फिर मुझे और दूसरे राजनीतिक नेताओंको यह दिखानेमें जमीयतका मन्शा क्या है कि 'जबतक मजहब और मजहबोंके प्रवर्तकों तथा मजहबी हलचलोंके नेताओंपर व्याख्यान या लेखोंके द्वारा किये जानेवाले हमले विलकुल बन्द न किये जायेंगे तब तक हिन्दुस्तानमें हिन्दू-मुस्लिम एकताकी स्थापना और उसे बनाये रखना कभी सम्भव नहीं होगा।' जमीयतका यह खयाल अगर सही है तो क्या एकताकी असम्भाव्यता ऐसी बात नहीं जिसपर राजनीतिक नेताओंके साथ-साथ खुद उसका भी ध्यान जाना चाहिए? और क्या इसीलिए कि कुछ व्यक्ति मजहबपर हमला करते हैं, हिन्दू-मुस्लिम एकताको जरूर ही असम्भव हो जाना चाहिए? जमीयतके कथनानुसार तो एक ही अविचारी हिन्दू या अविचारी मुसलमान हिन्दू-मुस्लिम एकताको असम्भव बना देनेके लिए काफी है। सौभाग्यसे हिन्दू-मुस्लिम एकताका अन्तिम आधार धार्मिक और राजनीतिक नेताओंपर निर्भर नहीं है। उसका आधार है दोनों जातियोंकी जनताका प्रबुद्ध निहित स्वार्थ। उन्हें कोई हमेशाके लिए गुमराह नहीं कर सकता। पर मैं आशा करता हूँ कि जमीयतका मूल प्रस्ताव इतना खराब न होगा जितना कि वह अनुवादमें मालूम पड़ता है।

मियाँ फजल-ए-हुसैन^१

अभी मैं जब लाहौर गया था, मेरी मुलाकात मियाँ फजल-ए-हुसैनके साथ हुई थी। एक सज्जन लिखते हैं कि उसकी जो छाप मुझपर पडी मैं उसके विषयमें लिखूँ। मैं यहाँ तदनुसार लिख रहा हूँ। बातचीतका समय आनन्दसे गुजरा। उनका व्यवहार मनोहारी था। उनकी बातचीत औचित्यपूर्ण और तर्कसगत थी। हिन्दुओकी तरफसे लगाये गये पक्षपातके आक्षेपका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, "मैं मुसलमानोके प्रति पूरा न्याय नहीं कर रहा हूँ और थोडा बहुत कर भी रहा हूँ वह तत्परताके साथ नहीं। सभी मुझसे आकर मिल सकते हैं और जो भी व्यक्ति इस प्रश्नको बारीकीसे समझना चाहता है उसे मैं अपनी स्थिति समझानेके लिए उत्सुक रहता हूँ।" इससे अधिककी आशा रखनेका किसीको अधिकार नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि मियाँ साहबकी नीतिके खिलाफ सचमुच कुछ कहा जा सकता है या नहीं। मैंने इस प्रश्नपर दोनो पहलुओसे विचार नहीं किया है। जब मैं यह कर लूँगा तब मैं मियाँ साहबके इस दावेपर कि उन्होंने मुसलमानोके साथ पूरा-पूरा न्याय नहीं किया है, अपनी राय बडी खुशीसे जाहिर करूँगा। तबतक तो मेरे लिए इतना ही कहना काफी है कि मियाँ फजल-ए-हुसैन शान्त, गभीर, और प्रतिष्ठित सज्जन हैं तथा गलत बातपर अडनेवाले आदमी नहीं हैं।

हमारी लाचारी

साबरमती आश्रममें चरखो, तकुओ, पूनियो इत्यादिकी जगह-जगहसे माँग आ रही है। यदि हम अच्छी तरह सगठित हो गये होते तो हमारी ऐसी असहाय अवस्था न होती। एक समय था कि हरएक देहाती बढई चरखा बना लेता था। आज तो शहरका बढई भी नहीं जानता कि चरखा क्या है और नमूना देनेपर भी उसे तैयार करनेसे इनकार कर देता है। इसी प्रकार पहले हरएक घुनिया पूनियाँ बनाना जानता था। लेकिन आज तो उसका नाम सुनते ही वे मुँह बनाते हैं, या बडे पैसे माँगते हैं। पर हाथ-कताईकी सफलताका आधार हमारी सूझबूझ और हिन्दुस्तानके कारीगरोका सहयोग है। चरखा और उससे सम्बद्ध चीजोकी बढती हुई माँगकी पूर्ति कोई भी एक सस्था नहीं कर सकती। सौभाग्यसे अब हालत सुधरती जा रही है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी कि चाहिए। जिन्हे जरूरत है उन्हें आश्रमसे चीजे माँगनेके पहले अपने शहरमें या जिलेमें उन्हें बनवा लेनेका पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। बेशक, उसके लिए अनिश्चित समयतक राह देखनेसे तो आश्रमसे माँग लेना ही बेहतर है। जहाँतक पूनियोका सम्बन्ध है मेरा श्री सन्तानम्की रायसे इत्तिफाक है, जिन्होंने अपने उत्तम निवन्धमें दिखाया है कि हरएक कातनेवालेको खुद अपने लिए पूनियाँ बनाना चाहिए। छोटी ताँतपर धुनना इतना सीधा और आसान काम है कि किसीको विश्वास ही नहीं होगा। कताईकी अपेक्षा धुनाई बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। अच्छा धुनना आ जानेपर अधिक गतिसे कातने और एकसा

सूत निकालनेमें मदद मिलती है। जो लोग मजदूरीकी दृष्टिसे कातते हैं, वे यदि धुन भी ले तो इससे उनकी आमदनी बढ जायेगी। देश-भरमें ऐसे धुननेवाले मौजूद हैं जो धुनाईमें ही अपनी पूरी जीविका कमा लेते हैं। अच्छा धुननेवाला दिनमें बारह बाने कमा सकता है। अच्छा कातनेवाला उतना नहीं कमा सकता है। हर सुमचालित फाब्रेस कमेटीके अन्तर्गत चरखे और उससे सम्बद्ध दूसरी चीजे बनाने और देनेके लिए एक भण्डार होना चाहिए।

गवन होनेपर

आन्ध्र रेंगमें एक सज्जन लिखते हैं

बहुनसे लोग यह समझकर कि फाब्रेसवाले अदालतोंमें नालिश तो करते ही नहीं, फाब्रेस कमेटियों और खादी-बोर्डोंका बकाया रुपया नहीं देते। यह और कुछ नहीं तो गवन और घोखेवाजी अवश्य है। आप गवनके बारेमें लिख चुके हैं; और अब अदालतोंमें जानेके बारेमें प्रतिबन्ध भी नहीं रहा; इसलिए मुझे यकीन है कि फाब्रेस कमेटियाँ ऐसी हालतमें अदालतोंमें दावे दायर कर सकती हैं।

मैं ऐसे मामलोंके बारेमें अपनी राय पहले ही दे चुका हूँ। मुझे इस बातमें कोई मन्देह नहीं कि उन दिनोंमें भी जब कि अदालतोंका बहिष्कार चालू था फाब्रेसवालोंका कर्तव्य था कि वे दगाबाजों और पावना देनेसे इनकार करनेवालोंपर दावे करें। बहिष्कार उमलिए नहीं शुरू किया गया था कि फाब्रेस अपना सर्वनाश कर ले। उमके मूलमें यह भाव गृहीत ही था कि फाब्रेससे लेन-देन करनेवाले लोग ईमानदारी बरतेंगे।

अ० भा० खादीबोर्डके प्रस्ताव

फाब्रेस मताधिकार योजनाको कार्यान्वित करनेके बारेमें अ० भा० खादी बोर्डके नीचे दिये हुए प्रस्तावोंकी ओर मैं सभी सम्बन्धित व्यक्तियोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ

फाब्रेसने हाथ-कताईको मताधिकारका अग मान लिया है, इसलिए और इस मामलेमें प्रान्तीय समितियोंको सुविधा पहुँचानेकी दृष्टिसे अ० भा० खादी बोर्ड प्रस्ताव करता है कि वह प्रान्तीय खादी बोर्डके जरिए, या सीधे ही, नीचे लिखी सहायता करनेको तैयार है।

(१) किसी भी प्रान्तको जहाँ आसानीसे कपास नहीं मिल सकती, कपास देनेके लिए बोर्ड तैयार है।

(२) उदार माँगनेके लिए जो अर्जियाँ आयेंगी उनपर विचार करनेके लिए बोर्ड तैयार रहेगा। इसकी शर्तें उसी वक्त तय की जायेंगी।

(३) यह बोर्ड प्रान्तीय खादी-बोर्डोंको यह सलाह देता है कि वे सदस्योंको अच्छे चरखे और धुनकी और सम्बन्धित सामग्रीके नमूने प्राप्त

करनेमें हर तरहसे मदद करें और जबतक सदस्य अपनी पुनियाँ बनानेकी व्यवस्था स्वयं न कर लें तबतक तैयार पूनी प्राप्त करनेमें भी उन्हें सहायता पहुँचायें।

(४) जहाँतक मुमकिन होगा बोर्ड धुनना, कातना इत्यादि कामोंमें शिक्षा देनेके लिए विशेषज्ञोंका इन्तजाम करेगा। इसके लिए बोर्डके साथ व्यवस्था करनी होगी।

(५) बोर्ड किसी भी प्रान्तीय समितिसे बाजार भावपर सूत खरीदनेके लिए तैयार रहेगा या समितियोंकी तरफसे उसे बुनवा देगा।

(६) यदि जरूरत लगे तो बोर्ड उचित दरपर मताधिकारके लिए आवश्यक हाथ-कता सूत देनेके लिए तैयार है।

(७) बोर्ड व्यक्तियोंको और समितियोंको आगाह करता है कि वे मताधिकारके लिए बाजारसे हाथ-कता सूत न खरीदें, क्योंकि मुमकिन है बाजारका सूत मिलका सूत हो या मिलकी पूनीका कता हो और एक-सा तथा बटदार भी न हो। (केवल कुशल कातनेवाले ही हाथ-कते और मिलके कते सूतका फर्क समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि सूत अच्छा कता है या बुरा। जब मिलकी पूनीका सूत हाथसे काता गया हो, तो कुशल कातनेवाले भी उसे नहीं पहचान सकते)।

(८) अन्तमें, बोर्ड व्यक्तियोंको और समितियोंको जो-कुछ भी जानकारी और मदद दरकार हो, यदि बोर्डके वशकी बात हुई तो, वह सब देनेके लिए तैयार रहेगा।

समय बहुत कम रह गया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि नये मताधिकारके अनुसार प्रान्तीय समितियाँ अपनी व्यवस्था कर रही होगी। यदि ठीक-ठीक काम किया गया तो बड़े अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए छोटी-छोटी बातोंपर ही ध्यान देना होगा। एक मर्तवा कार्य करने योग्य सगठन बन जाने-पर वह दिन दूनी, रात चौगुनी गतिसे बढे बिना न रहेगा, और इससे कांग्रेस स्वावलम्बी और धनोत्पादन करनेवाली सस्था बन जायेगी।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २९-१-१९२५

२५. पत्र : कृष्णदासको

दिल्ली

२९ जनवरी, १९२५

प्रिय कृष्णदास,^१

सलग्न पत्र प्यारेलालके लिए है। आशा है तुम मेरे लिए चिन्तित नहीं होबोगे। मेरी जितनी सार-सभाल जरूरी है सो सब की जा रही है। महादेवपर कामका भार ज्यादा नहीं है। दीनदयाल मेरे पास फिर आ गया है। उसने मेरी व्यक्तिगत सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया है और खुद महादेवको प्रायः सारा समय व्यक्तिगत पत्र-व्यवहारमें^१ लगानेके लिए मुक्त कर दिया है। हिन्दू-मुस्लिम समस्याको हल करनेके लिए निजी तौरपर बातचीत चल रही है। नतीजेके वारेमें अभी कुछ कहना बहुत कठिन है। हम यहाँ कममें-कम ३१ तारीखतक तो हैं ही। आशा है तुम दिन-प्रतिदिन शक्ति लाभ कर रहे हो। यहाँ बहुत ठंड है इसलिए तुम्हारे यहाँ न होनेकी मुझे खुशी है। श्री एन्ड्र्यूज यही है और अभी दो दिन रहेगे। कीकीवहनसे कहे कि मैं इस बातसे खुश हूँ कि वह आश्रममें नियमित रूपसे सिलाई सिखा रही है। इससे उसका ध्यान बँटेगा और यदि वह शक्तिसे अधिक काम न करेगी तो इससे उसको लाभ होगा।

तुम्हारा,
बापू

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५५९८) की फोटो-नकलसे।

२६. तार : डा० प्राणजीवन मेहताको

३१ जनवरी, १९२५

डा० मेहता

गोल्डगाँड

रगून

आठ मार्च मेरा मौन-दिवस होगा। मैं उस सप्ताह काठियावाडमें रहूँगा। क्या २६ फरवरी ठीक रहेगी? २२ फरवरीतक लगभग अनुपस्थित रहूँगा।

गांधी

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६)से।

१ गांधीजीके सचिव, सेवन मंथस चिद महात्मा गांधीके लेखक।

२ प्यारेलाल नैयर।

३. साधन सूत्रमें 'व्यक्तिगत सेवा' है।

२७. एक अनर्थ

एक सज्जन टागानीकासे लिखते हैं ^१

इस वर्णनके विलकुल सच होनेकी सम्भावना है। पुर्तगाली राज्यमें, अर्थात् डेलागोआ वेमें, ऐसा मैंने स्वयं देखा है। वहाँ मुसलमानोंने अपने वच्चोके लिए एक यतीमखाना खोल रखा है। हिन्दू अपनी सन्ततिको मुसलमानोके हाथ सौंप देते हैं और फिर इनका लालन-पालन मुसलमानोकी तरह होता है। एक रास्ता तो यह है, किन्तु मैं इसे पसन्द नहीं कर सकता। मेरी दृष्टिमें दोनो निन्दनीय हैं। पहले तो ऐसे सम्बन्धको शादी मानना ही गलत है। मैं इसे महज विषय-लालसाकी तृप्ति कहता हूँ। विदेशमें बहुतेरे नीति-बन्धन शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोक-लाज नहीं रहती। किन्तु हिन्दुओ और मुसलमानोके दोषोमें थोडा अन्तर तो है ही। मुसलमान ऐसे विषय-भोगसे उत्पन्न सन्ततिका पालन करते हैं और उनकी अपने धर्ममें परवरिश करते हैं। यदि मुसलमानो द्वारा दी जानेवाली सुविधा न हो तो हिन्दुओकी सन्तति भूखो मर जायेगी। यह सन्तति केवल विषय-भोगके परिणामस्वरूप है। इससे हिन्दू-पिताको तो उसके धर्मकी कोई चिन्ता ही नहीं होती। मेरी दृष्टिमें तो ऐसा विषयान्व पुरुष धर्मका त्याग कर ही चुका होता है। नीति और सदाचारके नियमोका विलकुल पालन न करनेवालेको धार्मिक मानना मेरे लिए तो मुश्किल बात है। अमुक धर्ममें जन्म पानेवालेको, सख्याकी खातिर भले ही उस धर्मका अनुयायी मान ले, पर सच पूछिए तो वह धर्मच्युत ही है। आचरणसे भिन्न ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे धर्म कह सके। वह वेद-धर्म ही नहीं जो गायत्री जपता हो या 'वेद' पढता हो, बल्कि वेद-धर्म ही वह है जो वेदवाक्यके अनुसार व्यवहार करता है। कितने ही ईसाई वेदादिका बहुत गहरा अध्ययन कर लेते हैं किन्तु इससे वे वेद-धर्म ही नहीं हो जाते। और न वही शख्स वेद-धर्म ही है जो ढोग या वहमके वशीभूत होकर गायत्री आदिका पाठ करता है। उसका उस धर्मके अनुयायी होनेका दावा उसी अवस्थामें मान्य किया जा सकता है जब उसे उस धर्मके आदेशोका बोध हो और वह धथाशक्ति उनका पालन करता हो। इस दृष्टिसे कह सकते हैं कि टागानीकाके हिन्दुओने हिन्दु धर्मको छोड दिया है।

यह तो एक स्वतंत्र बात हुई। व्यवहारमें ऐसे हिन्दू या मुसलमान पिता हिन्दू या मुसलमान ही माने जायेगे। इसलिए हमें व्यवहार-दृष्टिसे इसका कुछ निराकरण करना चाहिए। हिन्दू-पिताको चाहिए कि वह ऐसे सम्बन्धको विवाहका रूप दे दे और वच्चोका प्रेमपूर्वक लालन-पालन करे तथा उनके लिए पढाने आदिकी तमाम सुविधाओकी व्यवस्था करे। यह उपाय तो हुआ उन वच्चोके लिए जो उत्पन्न हो चुके हैं। भविष्यके

१. पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है। इसमें पत्र-लेखकने टागानीकाके हिन्दुओ द्वारा हवशी स्त्रियोंके साथ छिपकर किये गये विवाहों और बादमें छोड़ दी गई इन अभागी औरतोंके वच्चोंकी दयनीय दशाका वर्णन किया था।

लिए तो हरएक विदेशगमन करनेवालेको अपने बाल-बच्चोको साथ ले जाना चाहिए। जहाँ वाप विलकुल ही हृदयहीन हो, वहाँ अनाथालय खोले बिना दूसरी गति नहीं। इन अनाथालयोको उन देशोमें खोलना ही उचित होगा। यह मान सकते हैं कि अनाथालयोमें माँ अपने बच्चो समेत रहेगी। माता अपनी आजीविकाके लिए पुरुषका शिकार बनती है। वह विषय-भोगकी दृष्टिसे सम्बन्ध नहीं बनाती। हल्कियोमें शादीका रिवाज तो हे। फिर भी औरते पैसेके लिए अपना शरीर पुरुषोको बेचती है और इसमें नीतिभंग नहीं माना जाता। फिर भी मातृप्रेम तो रहता ही हे। इस प्रेमका पोषण करके माताओसे उनके धर्मका पालन कराना उचित है। ऐसी दु खद घटनाओमें बालकोकी मातृभापा और पितृ-भापा जुदी-जुदी होती हे। फिर बालकोको कौनसी भापा पढाई जाये ? साधारण तौरपर बापको इस तरह उत्पन्न हुई सन्ततिके साथ प्रेम कम ही होता है। इसलिए बालक माताकी ही भापा सीखता हे। इसलिए अनाथालयोके सचालकोको चाहिए कि वे ऐसे बालकोको उनकी मातृभापा ही सिखावे। अगर दोनो भापाएँ सिखाई जाये तो बालकोको भविष्यमें रोजी कमानेका एक अतिरिक्त साधन मिल जायेगा।

धर्मका सवाल बहुत गूढ हे। मुसलमान बापके विषयमें तो हम देख ही चुके हैं कि कोई सवाल नहीं उठता। हिन्दू-पितासे उत्पन्न सन्तति हिन्दू मानी जाये, यह नियम है। इसलिए हिन्दू-पिताके बालकोको हिन्दू धर्मकी शिक्षा दी जानी चाहिए, इस विषयमें मुझे जरा भी शक नहीं है। बालक बेचारा लाचार है। जिस अनाथालयमें वह रखा जायेगा वहीके वायुमण्डलको वह ग्रहण करेगा। यदि उसका कारोबार धर्मप्रेमी सचालकोके हाथमें होगा तो बालकोमें धर्म-भावना उपजेगी।

मैं आशा करता हूँ कि टागानीका तथा उसके जैसे देशोमें रहनेवाले हिन्दू अपने कर्त्तव्यका विचार करके उसका पालन करेगे। विषय-वृत्तिको छोडना प्रथम धर्म हे। किन्तु यह तो भविष्यकी बात हुई। उत्पन्न सन्ततिका पालन करना, उसके लिए धार्मिक शिक्षाका प्रवन्ध करना और उससे हर तरहसे पिताके धर्मका आचरण कराना, ये नियम हर स्थितिमें लागू होते हैं। जो ले जा सकते हो वे अपनी पत्नीको साथ ले जाये। पुरुषोकी तरह स्त्रीकी भी स्थिति समझनी चाहिए। पुरुष जिस प्रकार बहुत कालतक वियोग सहन नहीं कर सकता उसी तरह स्त्रियोके वारेमें भी समझना चाहिए। उचित उम्रमें शादी हानेके बाद स्त्री-पुरुषको अधिक समयतक जुदा नहीं रहना चाहिए। यह बात स्वयसिद्ध है। इसीसे दोनोके चरित्रकी रक्षा हो सकती हे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-२-१९२५

२८. टिप्पणियाँ

अनुकरणीय

पालितानाके एक भाईने मुझे पत्र लिखा है। मैं उसका एक आवश्यक अंश यहाँ देता हूँ १

यदि अन्य कर्मचारी भी ऐसा ही करे तो कितना बड़ा सुधार किया जा सकता है। इसमें राजा और प्रजा दोनोंकी सेवा आ जाती है और साथ ही अपना लाभ भी होता है। ये दम्पती धीरे-धीरे इतना सूत और ऊन स्वयं कातने लगेंगे कि उसके बुने कपड़ेसे उनका काम चल जाये। हम जान चुके हैं कि कालीपरज जातिमें प्रति व्यक्ति कपड़ेका खर्च दस रुपये वार्षिक आता है। उक्त भाईके कुटुम्बमें तो खर्च इससे अधिक ही होना चाहिए। इसलिए वे अधिक बचा लेंगे और साथ-ही-साथ एक हुनर भी सीख लेंगे। वे गरीबकी असीस लेंगे और रुई और ऊनकी किस्में जान लेंगे और उनमें मुधार कैसे किया जाये यह भी समझ जायेंगे। इस समय काठियावाड़में सूत कातने आदिकी प्रवृत्ति अच्छी चल रही है। ऐसे समय मैं चाहता हूँ कि छोटे और बड़े सभी राज्य अधिकारी, जिन्हें लोगोसे बहुत काम रहता है, उक्त भाईकी तरह लोगोको चरखा चलानेकी शिक्षा दे। यह भाई ऐसा चरखा चाहता है जो यात्रामें घोड़ेपर लाया और ले जाया जा सके। ऐसी इच्छा दूसरोकी भी होनी सम्भव है। किन्तु ठीक उपाय तो यही है कि अधिकारी हर गाँवमें चरखा रखें। काठियावाड़में अथवा अन्यत्र अब ऐसे गाँव नहीं बचे होंगे जिनमें चरखा बिलकुल मिले ही नहीं। किन्तु यदि कहीं न भी पहुँचा हो तो वहाँ उसे पहुँचा दिया जाना चाहिए। तब अधिकारीगण लोगोसे चरखा माँगकर सूत कात ले सकते हैं। यदि इस प्रवृत्तिको सभी लोग अपना ले तो हर गाँवकी चौपालमें दो या तीन चरखे रखे जा सकते हैं जिनका उपयोग गाँवकी गरीब-अमीर प्रजा और जब गाँवमें अधिकारी आये तब वे भी करे। किन्तु जबतक ऐसा सम्भव न हो तबतक ऐसा छोटा चरखा, जो घोड़ेपर भी लाया और ले जाया जा सके, रखनेका विचार सुन्दर ही है।

खादी-भण्डार

गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी जिस खादी भण्डारको चलाती है उसे बन्द करनेके विरुद्ध मेरे पास प्रायः पत्र आते रहते हैं। ऐसा एक पत्र इस समय मेरे सम्मुख रखा है। इससे पता चलता है कि इस सम्बन्धमें लोगोमें कुछ भ्रम है। प्रान्तीय कांग्रेस खादी भण्डार न चलाये, यह सलाह मैंने नहीं दी है। किन्तु मेरी सलाह यह

१. यहाँ नहीं दिया गया है। पत्रका प्रेषक पालिताना राज्यका एक कर्मचारी था। उसने लिखा था कि मैं अपना बचा हुआ समय रुई और ऊन कातनेमें लगाता हूँ और राज्यके अधिकारी मेरे कार्यपर आपत्ति करना तो दूर, मुझे प्रोत्साहन देते हैं।

है कि जिन खादी भण्डारमें बहुत घाटा रहता हो अथवा जिसमें घाटा कम होनेके बजाय बढ़ता ही जा रहा हो उसे बन्द कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त गुजरातमें बाहरने खादी लाना भी बन्द किया जाये। उस सलाहका कारण अर्थशास्त्रीय ही है। मैं हिन्दुस्तानके अन्य प्रान्तोंकी हानि करके गुजरातका भला चाहूँ यह बात तो ही ही नहीं सकती। किन्तु स्वदेशीका सिद्धान्त ही यह है कि हमें अपने पटोमीकी सेवा पहले करनी चाहिए। गुजरातका गेहूँ छोड़कर दक्षिणका गेहूँ खाना पसन्द करना स्वदेशीकी नीतिका भंग करना है। उममें गुजरात, दक्षिण और समस्त हिन्दुस्तानकी हानि होती है। खादीकी भावना इसी सिद्धान्तमें उत्पन्न है।

अब हम खादीका उद्देश्य देखें। खादीका एक उद्देश्य तो यह है कि खादीके द्वारा हिन्दुस्तानके गाँवोंमें जीवन-प्रचार किया जाये। यह बात तो तभी सम्भव है जब प्रत्येक गाँवके लोग अपनी खादी स्वयं तैयार करने लगे और यह काम तभी हो सकता है जब प्रत्येक प्रान्त अपनी खादी स्वयं बनाये, और जैसी बनाये वैसी पहने।

खादीका दूसरा उद्देश्य यह है कि खादी-प्रचारके द्वारा विदेशी कपड़ेका बहिष्कार किया जाये। यह बहिष्कार तभी सम्भव है जब हिन्दुस्तानमें जितना कपड़ा चाहिए उतना यही बने। अब यदि हिन्दुस्तानको विलायतके जैसा ही कपड़ा चाहिए तो वह वैसी खादी तो पूरी-पूरी नहीं बना सकता। इसीलिए हिन्दुस्तानियोंको हिन्दुस्तानमें जैसा कपड़ा मिले वैसा प्रेमपूर्वक पहननेकी आदत डालनी चाहिए। यदि सभीको आन्ध्रकी खादीकी ही आदत पड़ेगी तो आन्ध्र इतनी खादी न दे सकेगा और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कभी न होगा। इसलिए प्रत्येक प्रान्तको वारीक खादी बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। इस कारण भी प्रत्येक प्रान्तको अपनी-अपनी ही खादी तैयार करनी चाहिए। सामान्य नियम यह दिग्वार्ड देता है कि जबतक किसी वस्तु विशेषकी आवश्यकता नहीं होती तबतक उसको उत्पन्न करनेका प्रयत्न भी नहीं होता।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई आन्ध्रकी खादी पहने ही नहीं या मंगाये ही नहीं। मेरा मतलब तो उतना ही है कि कममें-कम काग्रेसको तो उत्तम प्रकारका प्रयत्न ही करना चाहिए। इस सम्बन्धमें मध्यम प्रकारका प्रयत्न लोग करेंगे। यदि उत्तम प्रकारके प्रयत्नको कठिन होनेके कारण काग्रेस भी न करेगी तो सम्भव है कि उसे कोई भी न करे और इस प्रकारके प्रयत्नके बिना सफलता असम्भव होती है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-२-१९२५

२९. टिप्पणियाँ

चरखोकी कमी

इन दिनों चरखेका प्रचार बढ़ गया है, इस कारण आश्रममें चरखोकी माँगसे सम्बन्धित पत्र बहुत आने लगे हैं। चरखोकी जितनी माँग की जा रही है उसे पूरा करनेमें आश्रम विलकुल असमर्थ है। इस तरहसे प्रचार-कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक प्रान्तमें, प्रत्येक जिलेमें, प्रत्येक ताल्लुकेमें और प्रत्येक ग्राममें चरखा बना सकने-वाले कारीगर होने चाहिए। चमरखे तो अब नारियलकी सुतली या मूँजकी बनाई जाती है। चरखेकी प्रवृत्ति चरखा चलानेवालोको ही लाभ पहुँचाती हो सो बात नहीं, यह प्रवृत्ति बढ़ायो और लुहारोके लिए भी उत्साहवर्धिनी है। उसके लाभोसे समाजका कोई भी वर्ग वंचित नहीं रह सकता।

स्वयंसेवकोंकी आवश्यकता

महागुजरातमें खादीका काम तेजीसे चलाया जा रहा है, इसलिए वहाँ बड़ी संख्यामें स्वयंसेवकोंकी जरूरत महसूस होना एक स्वाभाविक बात है। अपना पूरा समय देनेवाले स्वयंसेवकोंकी आवश्यकता है, साथ ही थोड़ा समय दे सकनेवाले स्वयंसेवक भी चाहिए। प्रत्येक स्वयंसेवकको कातना आना चाहिए और तत्सम्बन्धी सभी बातोंकी पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्वयंसेवकोंकी हैसियतसे सेवा करनेके इच्छुक व्यक्ति अपने नाम मेरे पास भेज दे। ताकि जरूरी मालूम होनेपर उनकी सेवाका उपयोग किया जा सके। जो स्वयंसेवक कहीं काम कर ही रहे हैं वे अपने नाम न भेजे। शक्ति और इच्छाके रहते हुए भी जिन्हे सेवाका अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है, नाम भेजनेका निवेदन उन्हींके प्रति है। नाम भेजनेवालोको चाहिए कि वे अपनी अर्जीमें अपनी उम्र, योग्यता, इत्यादिका भी उल्लेख करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-२-१९२५

३०. तार : गोकलदास ठाकरको

१ फरवरी, १९२५

ठाकर गोकलदास
मोरवी

पहलेकी कोई और तारीख दे। जिससे जोशी और अमृतलालको रुकना न पड़े।

मोहनदास

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

३१. पत्र : धनश्यामदास विडलाको

दिल्ली

माघ सुदी ८ [रविवार १ फरवरी, १९२५]^१

भाई धनश्यामदानजी,

आपका पत्र मीला है। मैं आपको अच्छा चरखा भेजनेकी कोशीप कर रहा हूँ। चरखेके साथ साथ रामनाम सूत्र चल सकता है। दो ऐसे विद्वान सखस हैं जिन्होंने चरखेके साथ रामनाम जपा और दीवानपनमें से बचे। आखरमें तो जैसी जिनकी भावना वैसा तिमलो होय।

आपका,
मोहनदास गाधी

गाधीजीके न्वादारोमें मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०३) से।

नौजन्य धनश्यामदास विडला

३२. कुछ उचित प्रश्न

कुछ दिन हुए मैंने अस्पृश्यताके बारेमें बगालसे प्राप्त एक विचारपूर्ण पत्र^१ छापा था। उसके लेखक आज भी उन विषयमें बड़ी लगनसे सोज कर रहे हैं। अब मद्राममें भी एक मज्जनने वैसी ही जानकारी प्राप्त करनेके लिए कुछ प्रश्न पूछे हैं। इस जटिल प्रश्नका हल निकालनेके लिए कट्टर हिन्दू लोग भी प्रवृत्त हुए हैं। यह बड़ा शुभ चिह्न है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रश्न पूछनेवालेको सच्ची उत्कठा है। प्रश्न वैसा ही है जैसे कि इस सिलसिलेमें आमतौरपर लोग पूछते हैं, इतनी बड़ी सूचीमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो देशके मेरे विभिन्न दीरोके समय मुझसे पूछा न गया हो। इन सज्जनके प्रश्नोंको हल करनेका प्रयत्न इसी आशासे करता हूँ कि मेरे जवाबसे पत्र लिखनेवाले सज्जनको, जो एक कार्यकर्त्ता और सच्चे शोधक होनेका दावा करते हैं, और दूसरे कार्यकर्त्ताओं और शोधकोको रास्ता दिखाई देने लगे।

१ छुआछूतको दूर करनेके लिए क्या-क्या अमली उपाय करने चाहिए ?

(क) अस्पृश्योंके लिए भी सार्वजनिक शालाएँ, मन्दिर, रास्ते, — जो अब्राह्मणोंके लिए खुले हैं और जो किसी खास जातिके लिए नहीं होते — खोल दिये जाये।

१ चरखेके उल्लेखमें लगता है कि यह पत्र १९२५ में ही लिखा गया होगा। देखिए “पत्र : धनश्यामदास विडलाको”, २८-२-१९२५। गांधीजी १ फरवरी, १९२५ को दिल्लीमें थे।

२ देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ४२३-२४।

(ख) ऊँची जातिवाले हिन्दुओको चाहिए कि उनके बच्चोके लिए मदरसे खोले, जहाँ जरूरत हो वहाँ उनके लिए कुँआ खोदे और उन्हे सब प्रकार आवश्यक मदद पहुँचाये—जैसे उनकी नशेकी आदत छुडाने और उनमे सफाईके नियम पालन करनेका रिवाज डालना और उन्हे दवाई आदिकी मदद पहुँचाना।

२. जब छुआछूत बिलकुल दूर हो जायेगी तब अछूतोका धार्मिक दर्जा क्या होगा ?

उनकी धार्मिक स्थिति वैसी ही मानी जायेगी जैसी कि उच्च हिन्दुओकी मानी जाती है। और इसलिए वे शूद्र कहे जायेगे अतिशूद्र नहीं।

३. जब छुआछूत दूर कर दी जायेगी तब अछूतो और ऊँचे दर्जेके कट्टर ब्राह्मणोका क्या सम्बन्ध रहेगा ?

जैसा कि उनका अब्राह्मण हिन्दुओके साथ है।

४. क्या आप अन्तर्जातीय सम्बन्धोका प्रतिपादन करते हैं ?

मैं सब जातियोको खतम करके सिर्फ चार ही वर्ण रखना चाहूँगा।

५. अछूत लोग मौजूदा देव-मन्दिरोंमे हस्तक्षेप न करके अपने लिए नये मन्दिर क्यों न बना ले ?

‘ऊँची’ कहलानेवाली जातियोने ऐसे साहसके लिए उनमे अधिक शक्ति ही नहीं रहने दी है। यह कहना कि वे हमारे मन्दिरोंमे दखल देते हैं, इस सवाल-पर गलत तौरपर विचार करना है। हम कथित ऊँची जातिवालोको हिन्दुओके सर्व-साधारण मन्दिरोंमे उन्हे आने देना चाहिए और इस तरह अपने इस कर्त्तव्यका पालन करना चाहिए।

६. क्या आप जातिगत प्रतिनिधित्वके पक्षपाती हैं, और क्या आपका यह भी मत है कि अछूतोंको तमाम शासन-तन्त्रमें प्रतिनिधि भेजनेका हक होना चाहिए ?

नहीं, मैं यह नहीं कहता। लेकिन यदि प्रभावशाली जातियोकी तरफसे जानबूझकर अस्पृश्योको अलग रखा जाये, तो इस तरह उन्हे अलग रखना अनुचित होगा और इससे स्वराज्यके रास्तेमे रुकावट पडेगी। अलग-अलग जातियोके प्रतिनिधित्वको मैं स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक जातिको प्रतिनिधित्व न मिले, लेकिन इससे तो उलटा प्रतिनिधित्व रखनेवाली जातियोपर यह भार डाला जाता है कि वे उन जातियोके प्रतिनिधित्वकी ठीक-ठीक रक्षा करे, जिनके प्रतिनिधि न हो या जिनके प्रतिनिधि अपर्याप्त हो।

७. क्या आप वर्णाश्रम-धर्मकी उपयोगिताको मानते हैं ?

हाँ, लेकिन आज तो वर्णोंका स्वाँग-भर बच गया है, आश्रमोका ठिकाना नहीं रहा और धर्म विपर्यय हो रहा है। सारी ही व्यवस्थाका पुनर्गठन होना चाहिए और धर्मके सम्बन्धमे हुई नई-नई खोजोके साथ उसका सामजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

८. क्या आप यह नहीं मानते कि भारत कर्म-भूमि है और इसमें जन्म लेनेवाले हर बालकको अपने भले-बुरे पूर्वकर्मानुसार ही विद्या-बुद्धि, धन और प्रतिष्ठा प्राप्त है ?

पत्र-लेखक जिस अर्थमे मानते हैं, उस अर्थमे नहीं। क्योंकि यो तो जो दोओ सो काटो। किन्तु खास करके भारतवर्ष भोगभूमि न होकर कर्म-भूमि है, कर्त्तव्यभूमि है।

९ छुआछूतके दूर करनेकी बात करनेके पहले क्या अच्छतोमें शिक्षा-प्रचार और सुधार होना एक लाजिमी शर्त नहीं है ?

अस्पृश्यता दूर किये बिना अस्पृश्योमें सुधार या प्रचार नहीं हो सकता ।

१० क्या यह बात स्वाभाविक नहीं है, होनी तो चाहिए कि शराब न पीने-वाले शराब पीनेवालेसे और शाकाहारी मासाहारीसे परहेज रखें ?

यह आवश्यक नहीं है । शराब न पीनेवाला अपने शराब पीनेवाले भाईको उस बुरी आदतमें बचानेके लिए उसके पास जाकर अपना कर्त्तव्य करेगा । और इसी प्रकार शाकाहारी भी इसी उद्देश्यमें मासाहारी भाईके पाम जायेगा ।

११ क्या यह सच नहीं है कि एक शुद्ध आदमी (इस अर्थमें कि वह मद्यप नहीं है और शाकाहारी है) आसानीसे अशुद्ध हो जाता है (इस अर्थमें कि वह शराब पीने लगता है और मासाहार करने लगता है) जब वह उन लोगोसे मिलता-जुलता है जो शराब पीते हैं, पशुओको मारते हैं और मास खाते हैं ?

बुराईको बुराई न माननेवाला व्यक्ति यदि मद्यपान करे या मास खाये तो वह अनिवार्यत अशुद्ध या अपवित्र नहीं होता लेकिन मैं यह समझ सकता हूँ कि भ्रष्ट आदमीकी सगत करनेमें बुराईमें पड जाना सम्भव है । इस मामलेमें तो किसीको अस्पृश्योकी सगतके लिए बाध्य करनेकी कोई बात नहीं कही गई है ।

१२ कुछ कट्टर ब्राह्मण जो दूसरी जातियोसे (जिनमें अच्छत भी शामिल है) नहीं मिलते-जुलते और अपनी एक अलहदा जाति बनाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं, उसका कारण क्या उपरोक्त नहीं है ?

वह आध्यात्मिक स्थिति जिसकी रक्षाके लिए चारो तरफसे अपनेको बन्द करके रखना पडे, बडी दुर्बल होती होगी । और इसके अलावा वे दिन भी गये जब मनुष्य सदा एकान्तमें रहकर अपने गुणोकी रक्षा करता था ।

१३ छुआछूतको दूर करनेका प्रतिपादन करके क्या आप भारतके धर्म और वर्ण-व्यवस्था (वर्णाश्रम-धर्म)में दखल नहीं देते — फिर वह धर्म और व्यवस्था अच्छी चीज हो या बुरी ?

एक मुधारकी हिमायत करना ही किसी चीज या सस्थामे दखल देना नहीं कहला मरुता ? दखल देना तो तभी कहा जाता जबकि मैं, जो लोग अस्पृश्यतापर कायम रहते हैं, उनपर जोरो-जुलम करके अस्पृश्यता-निवारणके प्रश्नकी हिमायत करता ।

१४ कट्टर ब्राह्मणोको इसका विश्वास कराये बिना ही उनके धर्ममें दखल देनेसे क्या आप उनके प्रति हिंसाके दोषी न होगे ?

मैं कट्टर ब्राह्मणोके प्रति हिंसाका दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनमें बिना विश्वास उत्पन्न किये उनके धर्ममें कोई दखल नहीं देता ।

१५ ब्राह्मण लोग जो अच्छतोके अलावा और दूसरी जातियोको भी स्पर्श नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खाते, शादी नहीं करते, अस्पृश्यता दोषके दोषी हैं या नहीं ?

दूसरी जातिके लोगोको 'स्पर्श' करनेसे यदि वे इनकार करते हैं, तो वे अवश्य दोषी हैं ।

१६. मनुष्यत्वके हकका अमल करनेके लिए अस्पृश्य लोग ब्राह्मणोंके खास मार्गोंपर आये-जाये तो इससे क्या उनकी लालसा पूरी हो जायेगी?

मनुष्य सिर्फ रोटी खाकर ही नहीं जीता। बहुतसे लोग भोजन छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मानको नहीं छोड़ सकते।

१७. अस्पृश्य लोग इतने शिक्षित नहीं हैं कि वे अहिंसात्मक असहयोगके सिद्धान्तको पूरी तरह समझ सकें। ब्राह्मण लोग राजनीतिकी बनिस्वत धर्मकी ज्यादा चिन्ता करते हैं, इसलिए क्या इस विषयमें सत्याग्रह करनेसे हिंसा नहीं भड़क उठेगी?

यदि इसमें वाइकोमके प्रति इशारा हो तो अनुभवसे यह बात मालूम हो चुकी है कि 'अस्पृश्यो' ने आश्चर्यजनक आत्मसयम दिखाया है। सवालका बादवाला भाग यह सूचित करता है कि ब्राह्मण लोग, जिनका इससे सम्बन्ध है, सम्भव है हिंसा कर बैठें। यदि वे ऐसा करे, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। मेरी रायमें तो तब वे धर्मके प्रति सम्मान प्रकट करनेके बदले धर्मका अज्ञान और उसके प्रति नफरत ही जाहिर करेगे।

१८. क्या आपका कहना यह है कि जात-पाँत, धर्म और विश्वासके किसी प्रकारके भेदभावके बिना सबको समान हो जाना चाहिए?

जिस तरह जात-पाँत, वर्ण और धर्मका लिहाज रखे बिना हम लोगोमें भूख-प्यास इत्यादि सर्वसामान्य है उसी प्रकार मनुष्यत्वके प्राथमिक हकोंके बारेमें कानूनकी नजरमें तो सबको समान ही होना चाहिए।

१९. केवल महान् आत्माएँ ही, जिनके कर्म निःशेष हो चुके हैं, इस सर्वोच्च दार्शनिक सिद्धान्तको पहचान सकी हैं, और उसका पालन कर सकी हैं; मामूली गृहस्थ नहीं। मामूली गृहस्थ तो ऋषियोंके बताये गये मार्गका अनुसरण करते हैं और ऐसा करते-करते जन्म-मरणके फेरसे छुटकारा पा जाते हैं। ऐसी दशामें क्या इस सिद्धान्तका अनुसरण एक मामूली गृहस्थके लिए किसी भी प्रकार उपयोगी हो सकता है?

इस सीधे-सादे सत्यको माननेमें कि केवल जन्मके कारण कोई मनुष्य अछूत नहीं माना जा सकता, किसी भी उच्च दार्शनिक सिद्धान्तकी दरकार नहीं। यह इतनी सीधी बात है कि केवल कट्टर हिन्दुओंको छोड़कर सारी दुनिया उसकी कायल है। और मैंने इस कथनपर शका उठायी है कि हम जैसी अस्पृश्यताका पालन करते हैं, वैसी अस्पृश्यताका सिद्धान्त ऋषियोने बताया था।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, ५-२-१९२५

३३. दूसरेकी जमीनपर

एक महाशय कहते हैं

आप हर वार हमसे कहते हैं, मुसलमानोंके सामने झुक जाओ। आप कहते हैं, उनके खिलाफ अदालतमें भी कदापि न जाओ। आपने कभी इस बातपर भी पूरी तौरसे विचार किया है कि आप जो-कुछ कहते हैं उसका नतीजा क्या होगा? आपने मानव-स्वभावका भी कोई ख्याल रखा है? अच्छा, बताइए, जब हमारी जमीनपर कोई हमसे बिना पूछे मस्जिद खड़ी करने लगे तो हम क्या करें? यदि वेईमान लोग हमपर रुपये लेनेका झूठा दावा करें और हमारी मिल्कियत जबरदस्ती हमसे छीनें, तो हम क्या करें? अपना जवाब देते समय आपको हम गरीबोंका भी ध्यान रखना चाहिए। आप यह तो कभी नहीं कह सकते कि आप हमारी हालतको नहीं जानते। अगर फिर भी आप हमारा कुछ भी खयाल न रखते हुए अपना फतवा दें और फिर हम आपके सदुपदेशोंकी अवहेलना करें तो आप हमें दोष न दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कई वार अन्धेर कर जाते हैं।

जो सज्जन मुझसे इस लहजेमें बातचीत करते हैं मुझे उनसे हमदर्दी है। मनुष्य-स्वभावकी कमजोरियोंको तसलीम करनेके लिए मैं तैयार हूँ और इसका सीधा-सा कारण यही है कि मैं अपनी कमजोरियाँ भी जानता हूँ। लेकिन ठीक जिस तरह मैं अपनी सीमाका कायल हूँ, इसी तरह “मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या नहीं कर पाता हूँ,” इसके भेदको भुलाकर मैं अपने आपको धोखा भी नहीं देता। इसी तरह यदि मैं इस भेदको भुलाकर दूसरोसे यह कहूँ कि आप जो-कुछ कहना चाहते हैं वह केवल ठीक ही नहीं शायद उचित भी है, तो यह उन्हें धोखा देना होगा— और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी ही चीजे असम्भव होती हैं, पर फिर भी वही ठीक होती है। सुधारकका तो काम ही यह है कि वह असम्भवको अपने आचरणके द्वारा प्रत्यक्ष करके सम्भव बना दे। एडिसनके आविष्कारके पहले सैंकडो मीलपर बैठे हुए वाते करनेको कौन सम्भव मानता? मारकोनी और एक कदम आगे बढ़ा और उसने बेतारको सम्भव बना दिया। हम रोज ही इस चमत्कारको देख रहे हैं कि कल जो चीज असम्भव थी आज वही सम्भव हो गई है। जो बात भौतिक-शास्त्रमें चरितार्थ होती है वही मानस-शास्त्रपर भी घटित होती है।

अब व्यावहारिक सवालको लीजिए। दूसरेकी जमीनमें बिना इजाजतके मस्जिद खड़ी करनेका सवाल हलके लिहाजसे निहायत ही आसान सवाल है। अगर ‘अ’ का कब्जा अपनी जमीनपर है और कोई शस्स उसपर कोई इमारत बनाता है, चाहे वह मस्जिद ही हो, तो ‘अ’ को यह अख्तियार है कि वह उसे गिरा दे। मस्जिदकी शकलमें खड़ी की गई हरएक इमारत मस्जिद नहीं हो सकती। वह मस्जिद तभी कही

जायेगी जब उसके मस्जिद होनेका धर्म-सस्कार कर लिया जाये। बिना पूछे किसीकी जमीनपर इमारत खडी करना सरासर डाकेजनी है। डाकेजनी पवित्र नहीं हो सकती। अगर उस इमारतको जिसका नाम झूठ-मूठ मस्जिद रख दिया गया हो, उखाड डालनेकी इच्छा या ताकत 'अ'मे न हो, तो उसे यह हक बराबर है कि वह अदालतमे जाये और उसे अदालत द्वारा गिरवा दे। अदालतमे जाना उन असहयोगियोंके लिए मना है जो उसके कायल हो चुके हैं, उन लोगोके लिए नहीं जो कायल नहीं है। फिर पूरा असहयोग तो हम अभी अमलमे लाये ही नहीं है। यदि किसी सिद्धान्तके अनुसार अमल करना केवल असुविधाजनक ही नहीं बल्कि हमारे असली उद्देश्यपर ही स्पष्टतया आघात करनेवाला बन जाय तो ऐसा हर एक सिद्धान्त दूषित कहलायेगा। जबतक मेरे कब्जेमे कोई मिल्कियत है तबतक मुझे उसकी हिफाजत जरूर करनी होगी—वह चाहे अदालतके बल द्वारा हो या अपने भुजबल द्वारा। असलमे बात एक ही है।

सारे राष्ट्रकी तरफसे किया गया असहयोग एक प्रणालीके खिलाफ है या था। उसके मूलमे यह बात गृहीत कर ली गई थी कि आम तौरपर हमारे अन्दर एक-दूसरेमे सहयोग रहेगा। पर जब हम आपसमे ही एक दूसरेसे असहयोग करने लगे हैं तब राष्ट्रकी तरफसे असहयोग करना एक धोखेकी टट्टी हो जाता है। व्यक्तिगत असहयोग तभी मुमकिन है जब हमारे पास एक टुकडा भी जमीन न हो, और यह बात सिर्फ सन्यासीके लिए ही मुमकिन है। इसीलिए धार्मिकताकी पराकाष्ठापर पहुँचनेके लिए हर तरहकी सम्पत्तिका त्याग आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार अपने जीवन धर्मका निश्चय हो जानेपर अब हमे अपनी शक्ति-भर उसका पालन करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। यह मध्यम-मार्ग है। यदि कोई डाकू 'अ'की मिल्कियत छीनने आये तो वह उसे तभी सब-कुछ देगा जब वह उसे अपना सगा भाई मानता हो। अगर ऐसा भाव उसके दिलमे पैदा न हो पाया हो, अगर वह उससे डरता हो और चाहता हो कि कोई आकर इसे मार-भगाये तो अच्छा है तो उसे चाहिए कि वह स्वयं उसको पछाड देनेकी कोशिश करे और उसका नतीजा भोगनेके लिए तैयार रहे। अगर वह डाकूसे लडना तो चाहता हो पर ताकत न हो, तो उसे डाकूको अपना काम करने देना चाहिए और फिर अदालतमे जाकर अपनी मिल्कियतको पानेकी कोशिश करना चाहिए। दोनो हालतोमे उसके चले जाने और मिल जानेकी पूरी-पूरी सम्भावना है। अगर वह मेरी तरह विचारशील पुरुष हो, तो वह मेरी तरह इसी नतीजेपर पहुँचेगा कि यदि हम दरअसल सुखी रहना चाहे तो किसी किस्मकी मिल्कियत न रखे, या तभी तक रखे जबतक हमारे पडोसी उसे रखने दे। इस आखिरी स्थितिमे हम अपने शरीरबलके द्वारा नहीं बल्कि कष्ट-सहन द्वारा अपना अस्तित्व रख पाते हैं। इसीलिए हृदय दरजेतक नम्रता और ईश्वरपर भरोसा रखनेकी जरूरत है। इसीको कहते हैं आत्मबलपर निर्भर रहना। यही श्रेष्ठतम आत्माभिव्यक्ति है।

आइए, हम इस सिद्धान्तको अपने हृदयमे स्थान दे—यह समझ कर नहीं कि कागजपर लिख रखनेकी दृष्टिसे यह एक अच्छा बौद्धिक और चित्तार्पक मन्तव्य है, बल्कि यह समझकर कि यह हमारे जीवनका एक नियम है, जीवन-धर्म है और हमें

निरन्तर श्मकी प्रतीति रगना है। और आइए, हम इस धर्मके अनुसार और इस आदर्शतक पहुँचनेके उद्देश्यमे अपनी शक्ति-भर इसका पालन करे।

[अग्नेजीमे]

यग इडिया, ५-२-१९२५

३४. शावाश

कारवारकी हलियाल ताल्लुका काग्रेस कमेटीके मनी लिखते हैं

हमारी नगरपालिकामें काग्रेसका बहुमत है। इसलिए हम उसकी मार्फत काग्रेसके कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। नगरपालिकाके स्कूलोंमें सूत कातना अनिवार्य कर दिया गया है। नगरपालिकाके कर्मचारियोंको खादीकी पोशाके दी गई हैं। दलित वर्गोंके बच्चोंके लिए शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य कर दी गई है। उनके बच्चे अन्य वर्गोंके बच्चोंके साथ-साथ बैठते हैं। वे सार्वजनिक तालावका उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ हिन्दू-मुस्लिम या ब्राह्मण-अब्राह्मणका कोई भेदभाव नहीं है। हम मद्य-निषेध आन्दोलन भी शुरु कर रहे हैं।

यह नाग काम बड़ा अच्छा और ठोस है। मैं हलियाल ताल्लुका काग्रेस कमेटीको इस ठोम रचनात्मक कार्यके लिए बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि दूसरी नगरपालिकाएँ भी ऐसा ही करे।

[अग्नेजीमे]

यग इडिया, ५-२-१९२५

३५. टिप्पणियाँ

एकताकी ओर

मर्वदलीय सम्मेलनके द्वारा माँपे गये प्रश्नोपर^१ विचार करनेके लिए समितिकी बैठक हुई। एकताके प्रश्नपर विचार करनेके लिए समितिने कोई ५० लोगोकी एक उप-समिति नियुक्त की। उप-समितिने एक और छोटी समिति बनाई और उसके जिम्मे यह काम सौंपा गया कि वह स्वराज्यकी जितनी योजनाएँ हो सकती हैं उन सबपर विचार करे और अपने निर्णयोको उक्त उप-समितिके सामने पेश करे। डा० वेमेट इस छोटी समितिमे सदाकी तरह ऐसी तत्परता और स्फूर्तिके साथ काम कर रही है, जिमे देखकर युवको और युवतियोंको शर्म आ जाये। परन्तु वातचीत ज्यादातर हिन्दू-मुस्लिम सवालपर ही हुई। और यही स्वाभाविक था। इसलिए

१ देखिए “भाषण मर्वदलीय सम्मेलन समितिकी बैठकमें”, २४ १ १९२५ की पादटिप्पणी १।

नहीं कि वह मुझ-जैसे व्यक्तियोंके नजदीक अपने-आपमें ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि उसकी वहजसे स्वराज्यका रास्ता ही बन्द हो गया है। इस समितिमें औपचारिकताकी ओर इतना ध्यान दे दिया गया कि काम पूरा होना कठिन हो गया। जरूरत इस बातकी थी कि समितिके इस प्रकारके पचडेमें पडनेके वजाय बिलकुल अनौपचारिक रूपसे बात हो और इस समितिका आकार घटा दिया जाये। ऐसा ही किया गया। हकीम साहबके मकानमें हर सम्प्रदायके कुछ सज्जन मिले। जो नतीजा निकला सो पण्डित मोतीलालजी नेहरूने सक्षेपमें प्रकाशित किया ही है। मैं भी मानता हूँ कि चिन्ता या निराशाका कोई कारण नहीं है, क्योंकि सब लोग इस सवालको हल करनेके इच्छुक हैं। कुछ लोग आज ही इसका फैसला कर लेना चाहते हैं। कुछ कहते हैं अभी वक्त नहीं आया है। कुछ तो इसे हल करनेके लिए सब कुछ छोड़ देनेको तैयार हैं। कुछ होशियारीसे कदम रखना चाहते हैं और जबतक उन्हें उनकी कमसे-कम और अपरिहार्य बातें न मजूर हो जाये तबतक इन्तजार करना चाहते हैं। पर इस बातपर सभी लोग सहमत हैं कि इसका हल हो जाना स्वराज्यके लिए परम आवश्यक है। और स्वराज्य तो सभीको दरकार है, इसीलिए जो व्यक्ति इसका उपाय खोजनेमें लगे हैं यह बात उनके वशके बाहरकी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम लोग २८ फरवरीको इकट्ठा होनेका निश्चय करके बिदा हुए, उस दिन इस एकताकी सम्भावना जितनी थी, उतनी पहले कभी नहीं थी। अब इस बीच सभी लोगोंको समझौतेके नये सूत्रोंकी खोज करनी है।

जातिगत प्रतिनिधित्वके विषयमें लोग मेरा मत जानना चाहेंगे। मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूँ। परन्तु मैं ऐसी किसी भी बातको मान लेनेके लिए तैयार हूँ जिससे शान्ति बने रहनेका भरोसा हो जाये और जो दोनों जातियोंके लिए सम्मानपूर्ण हो। पर अगर दोनों जातियोंकी ओरसे पेश की हुई तजवीजपर समझौता न हो तो मेरा सुझाया गया उपाय काम दे सकता है। पर अभी मुझे उसकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि दोनों जातियोंके जिम्मेवार लोग चाहे खानगी तौरपर बातें करके अथवा सर्वसाधारणमें अपनी रायें जाहिर करके एकताको साधनेकी दिशामें कोई बात उठा न रखेंगे। मैं यह भी आशा रखता हूँ कि अखबारवाले भी ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जिससे दल-विशेषको नाराजी हो, वे जहाँ ठीक समर्थन न कर पाये वहाँ समझदारीके साथ चुप रहे।

दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानी

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके शिष्टमण्डलको जो उत्तर वाइसरायने दिया है उसमें सहानुभूति तो है परन्तु उसमें उन्होंने किसी बातका वादा नहीं किया है। उससे प्रकट होता है कि उन्होंने सघ सरकारकी कठिनाइयोंका जरूरतसे ज्यादा खयाल रखा है। एक सरकारका दूसरी सरकारकी कठिनाइयोंका खयाल रखना ठीक ही है, परन्तु यह खयाल रखना सहज ही जरूरतसे ज्यादा हो जा सकता है। जब सघ सरकारके सामने ऐसा मौका था तब उसने कोई खयाल न किया। भारत सरकारके सामने ऐसे अनेक अवसर आये, पर एक दफाको छोड़कर, हर बार वह सघ सरकारके सामने

झुक गई। सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग^१ इसमें अपवाद रहे। उन्होंने द० आफ्रिकाकी सरकारकी बात नहीं मानी और द० आफ्रिकावासी भारतीयोंका पक्ष लिया। इसके कारण थे। भारतवासी एक सीधा सघर्ष शुरू कर चुके थे। तरीका नया था। उन्होंने प्रतिकार और कण्टसहनकी अपनी क्षमताको सिद्ध कर दिखाया था। तिसपर भी वे पूर्णतया और प्रत्यक्ष रूपसे अहिंसात्मक बने रहे। पर इस समय द० आफ्रिकाके हिन्दुस्तानी नेता-विहीन हैं। सोराबजी,^२ काछलिया,^३ पी० के० नायडू और अब पारसी रस्तमजीकी मृत्यु हो जानेके कारण उनकी समझमें नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है। अहिंसात्मक सघर्षके लिए तो काफी गुंजाइश है, परन्तु इसके लिए खूब विचार करने और विचारके अनुसार डट कर कार्य करनेकी आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल यह शायद ही मुमकिन हो। फिर भी मुझे एक-दो नवयुवकोसे, जो कि द० आफ्रिकामें रहते हैं, बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। इनमें से एक सोराबजी है। सोराबजी बहादुर पारसी रस्तमजीके बहादुर बेटे हैं। युवक सोराबजी खुद सत्याग्रहके मँजे हुए सिपाही हैं। वे जेल जा चुके हैं। सरोजिनी देवीका^४ जो भारी स्वागत नेटालमें किया गया, उसका प्रबन्ध उन्होंने ही किया था। द० आफ्रिकाके हमारे देशभाइयोंको जान लेना चाहिए कि उन्हें अपनी मुक्तिकी कोशिश खुद ही करनी होगी। ईश्वर भी उन्हींकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर उन्होंने अपनी उसी दृढ़ता, जोश और त्यागका परिचय दिया, तो वे देखेंगे कि भारतके लोग और भारत सरकार भी, उनकी मदद करेंगे और उनकी तरफसे लड़ेंगे।

वाइसरायके भाषणमें एक अंश ऐसा है जिसके बारेमें कुछ पूर्ति करनेकी आवश्यकता है। वाइसरायने कहा है

आपके प्रार्थनापत्रमें यह कहा गया है कि नेटाल सरकारने १८९६में जब भारतवासी ससदके मताधिकारसे वंचित रखे गये, तब उन्हें सजीदगीके साथ यह आश्वासन दिया था कि उनका नगरपालिका-मताधिकार सुरक्षित रहेगा। परन्तु आपने इस आश्वासनके स्वरूप या उसके ठीक-ठीक सूत्रका दिग्दर्शन नहीं किया। मेरी सरकार हकीकत जाननेके लिए पूछताछ कर रही है।

शिष्ट-मण्डलने जो बात पेश की है, वह मोटे तौरपर ठीक है, पर यह आश्वासन १८९६ में नहीं, शायद १८९४ में दिया गया था। मैं यह याददाश्तसे लिख रहा हूँ। तथ्य इस प्रकार है १८९४ में नेटाल विधानसभामें मताधिकार छीन लेनेवाला पहला विधेयक पास हुआ था। जिन दिनों वह उस विधानसभामें पेश था हिन्दुस्तानियोंकी तरफसे एक दरखवास्त^५ दी गई थी जिसमें कहा गया था कि हिन्दुस्तानियोंको भारतमें नगरपालिका-मताधिकार और अप्रत्यक्ष रूपसे राजनीतिक मताधिकार भी प्राप्त है। और उसमें यह अदेशा भी प्रकट किया गया था कि राजनीतिक मताधिकारका

१ भारतके वाइसराय, १९१०-१६।

२ सोराबजी शापुरजी अडजानिया।

३ अहमद मुहम्मद काछलिया।

४ सरोजिनी नायडू।

५ देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७९-१८१।

छीना जाना कही नगरपालिका-मताधिकारके छीने जानेकी भूमिका न हो। इस दरखास्तके जवाबमे नेटालके प्रधान मन्त्री स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सनने या महान्यायवादी स्व० श्री एस्कम्बने यह आश्वासन दिया था कि इससे आगे बढ़नेका हमारा कोई डरादा नहीं है और भविष्यमे नगरपालिका-मताधिकार हिन्दुस्तानियोसे नहीं छीना जायेगा। वह मताधिकारको छीन लेनेवाला विधेयक तो बड़ी सरकार द्वारा नामजूर कर दिया गया, पर उसकी जगह एक दूसरा विधेयक पास किया गया जो कि जातिगत भेदभावसे रहित था। पूर्वोक्त आश्वासन श्री एस्कम्ब द्वारा बार-बार दुहराया गया था। विधेयकोका सभी काम उनके ही अधीन था और वे वस्तुतः जवतक पदा-रूढ रहे नेटालकी राजनीतिके एकमात्र सूत्रधार बने रहे।

क्या स्वराज्यवादी कांग्रेसी हैं ?

मेरे सामने एक अजीब-सा खत पडा हुआ है, जिसमे लेखक लिखते हैं कि सिधमे स्वराज्यवादियो और कांग्रेसियोको एक दूसरेसे जुदा माना जा रहा है और यह भी कि कांग्रेसी स्वराज्यवादियोके काममे बाधा डाल रहे हैं। मैंने तो यह आशा की थी कि वेलगाँव कांग्रेस अधिवेशनके बाद, जिसने कि स्वराज्य दलको कांग्रेसका एक अभिन्न अंग मान लिया है और असहयोग कार्यक्रमको मुलतवी कर दिया है, ऐसी बातें नामुमकिन हो जायेगी। हर स्वराज्यवादी जिसने कांग्रेसके ध्येय-पत्रपर दस्तखत किये हैं और जो नये मताधिकारको मानता है उतना ही कांग्रेसी है जितना कि वह व्यक्ति जो स्वराज्यवादी नहीं है और जो विधानसभा-प्रवेशको ठीक नहीं मानता। और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि स्वराज्यवादी दलने अपना विधान बदल कर हरएक सदस्यके लिए नये मताधिकारको मानना लाजिमी कर दिया है। ऐसी अवस्थामे हम परस्पर एक दूसरेका विरोध न करे, केवल यह नहीं बल्कि जहाँ-जहाँ मुमकिन हो और जहाँ अन्तरात्माके विरुद्ध न बैठता हो वहाँ-वहाँ एक दूसरेको मदद भी पहुँचाये।

वाइकोमसे

वाइकोमके सत्याग्रह आश्रमसे प्राप्त पत्रका निम्न उद्धृत अंश निश्चय ही सबको दिलचस्प लगेगा

मुझे आशा है कि कताईकी प्रतियोगितावाला हमारा तार आपको मिल गया होगा। दो स्वयंसेवकोंने ८ नम्बरका — एकने ५७८ गज, दूसरेने ५०८ गज सूत — काता था। हमारा बुनाईका काम अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लडके जो बुनाईका काम जानते थे छुट्टीपर चले गये हैं। विनोबाजीकी 'हिदायतके अनुसार हम लोगोंने अपनी सख्या घटाकर सिर्फ ५० कर ली है। लेकिन इससे बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि आवहवा खराब है और इसलिए यहाँ रहनेवाले स्वयंसेवकोंमे से बहुतेरे ६ घंटेतक लगातार सत्याग्रह करनेके लायक नहीं रह जाते। इसलिए हमें दस या पन्द्रह स्वयंसेवक

और रखना जरूरी हो गया है। अतः सब मिला कर हमें ६० स्वयंसेवक स्थायी रूपसे रखने पड़ रहे हैं। मुझे आशा है आप इसकी आवश्यकता स्वीकार करेंगे।

२४ घट्टेमें ८ घट्टे सोनेमें, ६ घट्टे सत्याग्रहमें, २ घट्टे कातनेमें, एक घटा हिन्दीके लिए, २ घट्टे आश्रमके काममें (झाडना, बुहारना इत्यादि), २ घट्टे अपने नहाने-धोने, खाने-पीने इत्यादिमें, एक घटा वाचनालयमें और २ घट्टे दैनिक प्रार्थना तथा सभामें व्यतीत होते हैं। इन सभाओमें आमतौरपर व्याख्यानोंके लिए अच्छे-अच्छे विषय रखे जाते हैं। भाषण या तो मैं देता हूँ या विशिष्ट मेहमान लोग देते हैं। मेहमान आश्रममें प्रायः आते रहते हैं।

नारायण गुरुके आदेशानुसार हमारे कोषाध्यक्ष सत्याग्रह आन्दोलनके स्मारकके रूपमें एक शाला बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब आपके पधारनेकी वाट उत्सुकतासे जोह रहे हैं। हममें से ज्यादातर लोगोको मानो घुन ही लगी हुई है कि आपको किस तरह जल्दीसे-जल्दी बुलाया जा सकता है। मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको यहाँ जल्दी ही आने योग्य समय और स्वास्थ्य प्रदान करे।

वाइकोमके सत्याग्रही जिस जागरूकताके साथ आन्दोलनका संचालन कर रहे हैं उससे पूरा-पूरा यकीन हो जाता है कि वह सफल अवश्य होगा। इसमें समय अधिक लगनेका आभास हो सकता है, किन्तु मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि जल्दीसे-जल्दी पहुँचनेका रास्ता यही है। एकमात्र सच्चा रास्ता भी यही है। छुआछूतके खिलाफ लड़ाई एक धार्मिक युद्ध है। इसका उद्देश्य मानव-प्रतिष्ठाको स्वीकार कराना है। यह युद्ध हिन्दूधर्ममें एक बड़ा सुधार लानेके लिए है। यह धर्मान्व लोकोके मजबूत किलोपर धावा है। विजय तो अवश्यभावी है, निष्ठावान हिन्दू नवयुवकोकी यह टोली जिस धैर्य और त्यागका परिचय दे रही है, वह व्यर्थ नहीं जायेगा। प्रतीक्षामें वीतनेवाली, अवधिमें उन्हें आत्मशुद्धिका लाभ होगा। यदि वे इसमें डटे रहे, तो उनकी गणना भावी भारतवर्षके निर्माताओमें होगी।

जो सत्याग्रही इस बातके लिए उत्सुक हैं कि मैं वाइकोम पहुँचूँ, मैं भी उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पहुँचनेकी मेरी भी बड़ी इच्छा है। मैं अवसरकी प्रतीक्षामें हूँ। जब इतनी जगहोसे निमन्त्रण मिल रहे हो, तब चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। मेरा हृदय और मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। कौन कह सकता है कि यह मेरी शारीरिक उपस्थितिसे कम है।

सावधान

गजाम जिला-कांग्रेस कमेटीने एक व्यापारीका लिखा एक पोस्टकार्ड मेरे पास भेजा है। उसमें बाजारमें बेचनेके लिए २,००० गजकी आँटियोका भाव पूछा गया है। ऐसे खुले व्यापारपर एतराज करना मुमकिन नहीं। लेकिन उन लोगोको जो कातना नहीं चाहते और सूत खरीद कर अपना चन्दा देना चाहते हैं, बाजारसे सूत खरीदते समय सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपना हिस्सा अपने परिवारोंमें कतवा

लेना चाहिए। यदि यह मुमकिन न हो तो उन्हें एक विश्वासपात्र कातनेवाला रख लेना चाहिए और उससे सूत कतवा लेना चाहिए। अकोलाके जो कांग्रेसी कातना नहीं चाहते थे उन्होंने इस श्री मशरूवालाको, जो हाथ-कताईमें बड़ा विश्वास रखते हैं, जितना सूत चाहिए उतना देनेपर राजी करके मुश्किलको हल कर लिया है। इससे सूतकी तादाद और किस्म दोनोंके सम्बन्धमें इतमीनान रहेगा। किसी भी प्रान्तको दूसरे प्रान्तसे हाथ-कता सूत नहीं मँगाना चाहिए।

सूतकी बरबादी

कुम्भकोणम्से एक सज्जन लिखते हैं

आप जानते ही होंगे कि देशमें आजकल नेताओंका सत्कार सूतकी माला पहनाकर करनेका रिवाज पड़ गया है। हरएक राजनीतिक समारोहोंके अवसर-पर सूतकी मालाएँ पहनाई जाती हैं। पर कोई उनकी सम्भाल नहीं रखता; और इसलिए बहुतेरा हाथ-कता सूत यों ही बरबाद हो जाता है। नमूनेके तौरपर मैंने सूतका एक पार्सल आपकी सेवामें भेजा है। कुम्भकोणम्में हाल ही तमिलनाडुकी जो खिलाफत परिषद् हुई थी, और जिसके सभापति मौ० शौकत अली थे, यह सूत वहींसे उठाया गया है। यदि मैं इस सूतको न सम्भालता तो यह ९६० गज सूत यों ही बरबाद हो जाता। मुझे यकीन है कि इस बार भी परिषदोंमें इससे कहीं ज्यादा सूत खराब गया होगा। इसलिए निवेदन है कि आप 'यंग इंडिया' द्वारा यह हिदायत दें कि जो मालाएँ बनाई जायें उनकी एक निश्चित तादाद—जैसे, २,००० गज—हो, जिससे कि ये २,००० गजकी मालाएँ बटोर ली जायें और उनका सदुपयोग पहननेवाले नेताकी सलाहके अनुसार किया जाये।

सूतकी बरबादीके बारेमें ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसे मैं ठीक मानता हूँ। नेताओको सूतकी मालाएँ पहनानेका रिवाज अच्छा है, पर मालाएँ सुन्दर होनी चाहिए और उनमें सूत बहुत नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि मशा नेताओको सूत भेट करनेका हो, माला पहनानेका नहीं, तो पत्रलेखकके सुझावका पालन अवश्य किया जाना चाहिए और एक ही आकारकी लच्छियाँ भेट की जानी चाहिए। क्योंकि यदि सूतकी मालाएँ भेट करनेका रिवाज देशव्यापी हो जाये और उनकी सम्भाल न रखी जाये तो बहुतेरा अच्छा सूत नष्ट हो जाया करेगा, जो यदि बच रहे तो गरीबोंके लिए सस्ती खादी बनानेमें काम आ सकता है।

खादीका आदी होना

बंगालके एक अध्यापक लिखते हैं .

मैं एक राष्ट्रीय पाठशालामें अध्यापक हूँ। बेलगाँवमें राष्ट्रीय पाठशालाओंके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पास हुआ है उसने राष्ट्रीय पाठशालाओके अध्यापको और

विद्यार्थियोंमें बड़ी खलबली मचा दी है। कुछ लोग अपने ही हितको दृष्टिमें रखकर उसका अर्थ तदनुसार लगानेकी कोशिश करते हैं। 'विद्यार्थी खादी पहननेके आदी हो'—इसका अर्थ कुछ लोग ऐसा लगाते हैं कि इसके द्वारा खादी पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है और इसलिए वे कहते हैं कि जो लोग बिना खादी पहने पाठशालाओंमें आते हैं, वे रोके न जायें। अध्यापकोंको सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि वे लडकोसे कहे कि खादी पहनें और धीरे-धीरे खादीकी आदत डाल लें। वे कहते हैं कि अगर हमें अनिश्चित समयतक लडके खादी पहने दिखाई न दें, तो भी हम अपनी सस्थाओंको बेलगाँवके प्रस्तावकी मर्यादाका उल्लंघन किये बिना 'राष्ट्रीय' कह सकेगे। वे तो कहते हैं कि यदि साठ फी-सदी लडके भी मिलके कपडे पहन कर आयें तो भी हम अपनी पाठशालाओंको 'राष्ट्रीय' कहते रहेगे, बशर्ते कि पाठशालाओंके शिक्षक खादी पहननेके औचित्य और उसके उपयोगी होनेके विषयमें उन्हें समझाते रहे और यह आशा करे कि वे धीरे-धीरे उसे पहनने लगेंगे, चाहे छ महीनेमें, चाहे एक सालमें, और चाहे इससे भी ज्यादा ब्रतमें।

हमारी रायमें उस प्रस्तावका यह अर्थ नहीं हो सकता। उसका अर्थ तो यह है कि विद्यार्थी बिना खादी पहने पाठशालाओंमें आ ही नहीं सकते। हाँ, आपत्कालमें या लाचारीकी अवस्थामें विद्यार्थी कभी-कभी बिना खादी पहने भी आ सकते हैं। हम समझते हैं कि इस प्रस्तावके द्वारा उन सबपर प्रतिबन्ध लग जाता है जो लगातार नियमपूर्वक बिना खादी पहने पाठशालाओंमें आते हैं। अपने क्षेत्रोंमें हम इसी तरीकेपर अपनी सस्थाओंके चलानेकी कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे, या जरूरत समझे तो 'यंग इंडिया' में, उस प्रस्तावका असली अर्थ स्पष्ट और असदिग्ध भाषामें लिखें जिससे कि इस प्रश्नपर आपके विचार सब लोगोंको मालूम हो जायें।

मुझे 'आदी होने' के अर्थके सम्बन्धमें जरा भी सशय नहीं है। पत्र-प्रेषक महाशयने उसका जो अर्थ किया है उसका वही अर्थ हो सकता है। कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार वह पाठशाला राष्ट्रीय नहीं कहला सकती जिसके विद्यार्थी आदतन खादी न पहनते हो। लेकिन शब्दोंका अर्थ ढूँढनेके लिए तो सबसे अच्छा मार्ग है कोश देखना। ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमें 'हेविच्युअल' (आदी होना) का अर्थ है 'रायज,' 'निरन्तर' 'क्रमवद्ध'।

क्या वे सरकारसे सम्बद्ध हो ?

तब यह सवाल पैदा होता है कि क्या वे पाठशालाएँ जो इस शर्तको पूरा नहीं करती, सरकारी सस्थाओंसे सम्बद्ध हो जाये? निश्चय ही, जिस पाठशालाने असहयोग किया है उसका यह रास्ता नहीं हो सकता। देशमें कांग्रेस तथा सरकार दोनों ही से स्वतन्त्र रहकर चलनेवाली पाठशालाओंके लिए काफी जगह है। ऐसी

पाठशालाएँ हो सकती हैं जिनके संचालकोका विश्वास सरकारके आश्रय, नियंत्रण या हस्तक्षेपमें न हो और वे खादी या देशी भाषा या हिन्दुस्तानी पढानेकी भी कायल न हो। अगर ऐसी पाठशालाएँ सर्वसाधारणसे सहायता पाती हो या संचालक स्वयं ही इतने धनी हो कि वे उनको चला सके तो वे जारी क्यों न रहे? कांग्रेसने जो-कुछ किया है वह सिर्फ यही है कि उसने एक सीमा बाँध दी है जिसके अन्दर ही वह शिक्षा-संस्थाओको सहायता दे सकती है। कांग्रेसके लिए सिवा इसके दूसरी कौनसी बात स्वाभाविक हो सकती है कि वह अपनी संस्थाओपर वही शर्त लगाय जो उसकी रायमें देशका हित साधन करती हो।

तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय

श्री धारपुरे, रजिस्ट्रार, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, लिखते हैं

मेरे कई मित्रो और साथियोने मेरा ध्यान आपके अध्यक्षीय भाषणके २५वें पृष्ठपर छपे एक वाक्यकी ओर खींचा है जो उसकी अन्तिम दो पक्ति-योमें आता है। 'कई प्रान्तोमें अपने-अपने राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय हैं। अकेले गुजरातमें ही एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसपर १,००,००० रुपया वार्षिक व्यय किया जाता है और उसके नियन्त्रणमें ३ महाविद्यालय और ७० विद्यालय हैं जिनमें ९,००० छात्र पढते हैं।'

इससे एक भ्रम उत्पन्न होता है। यदि आपका आशय यह हो कि किसी दूसरे प्रान्तमें ऐसा विश्वविद्यालय नहीं चल रहा है जिसपर १,००,००० रुपये वार्षिक व्यय होते हो, तो आपका कहना ठीक है। लेकिन लोग इसका अर्थ दूसरी तरहसे कर सकते हैं, अर्थात् वे इसका अर्थ यह लगा सकते हैं कि किसी भी दूसरे प्रान्तमें विश्वविद्यालय नहीं है। खर्चकी बात तो केवल एक विशेषतासूचक वाक्यांश समझी जाती है।

यदि आप अपने पत्र 'यग इंडिया' के पृष्ठोंमें यथासम्भव शीघ्र इस भ्रमका निराकरण करनेकी कृपा करे, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालयपर प्रतिवर्ष ६,००० रुपये खर्च किये जाते हैं, ३ महाविद्यालय और ३० विद्यालय उसके अन्तर्गत आते हैं, जिनमें २,००० छात्र हैं। वार्षिक व्यय केवल इसलिए कम है कि प्रत्येक महाविद्यालय और विद्यालय अपनी व्यवस्था स्वयं करता है और उसका कोई भार महा-विद्यालयपर नहीं पड़ता।

राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालयको अभी मान्यता नहीं मिली है; हाँ, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तिलक महाविद्यालयमें ७५ छात्र पढते हैं जिनपर १५,००० रुपये प्रतिवर्ष व्यय आता है।

मैं समझता था कि मुझे अंग्रेजी काफी अच्छी आती है। श्री धारपुरेने जिस वाक्यकी ओर सकेत किया है वे उसको ठीक सन्दर्भका ध्यान रख कर पढे, तो उसका अर्थ केवल एक ही निकल सकता है और वह यह कि यदि दूसरे प्रान्तोकी बात छोड़ भी दें, तो अकेले गुजरातमें ही इतना रुपया खर्च किया जाता है और इतने छात्रोको

शिक्षा दी जाती है। किन्तु मैं देखता हूँ कि ऐसे मित्रोंने जो कमसे-कम मेरे बराबर अंग्रेजी जानते हैं इस वाक्यका दूसरा अर्थ किया है। मेरे लिए सान्त्वनाकी बात केवल इतनी ही है कि वे और मैं दोनों ही एक ऐसी भाषामें लिखे वाक्यके अर्थका निर्णय कर रहे हैं जो हम दोनोंके लिए विदेशी है। इसलिए यह सोचकर मुझे बहुत ही कम सन्तोष मिलता है कि जैसे मैं अपने अर्थमें भूल कर सकता हूँ वैसे उनके अर्थमें भी भूल होनी सम्भव है। किन्तु मैं उनको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैंने गुजरातका उल्लेख केवल एक उदाहरणके रूपमें किया है और किसी दूसरे प्रान्तको छोड़कर गुजरातका उल्लेख इसलिए किया कि मेरे पास गुजरातके सम्बन्धमें आँकड़े थे। वाक्यमें मेरा जोर विश्वविद्यालयपर रहा हो और विद्यालयों और महाविद्यालयों पर न रहा हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे भाषण लिखते समय भी यह मालूम था कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गुजरातमें ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी है। तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालयके अतिरिक्त, अलीगढ़में मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, लाहोरमें पंजाब विश्वविद्यालय, पटनामें विहार विश्वविद्यालय और बनारसमें काशी विद्यापीठ है। मुझे पंजाब और विहार विश्वविद्यालयों और काशी विद्यापीठके खर्चका पता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुस्लिम विश्वविद्यालयपर पिछले साल लगभग ७५,००० रुपये खर्च हुए थे।

स्वयसेवक

कांग्रेस सप्ताहमें वेलगाँवमें स्वयसेवकोंने जो काम किया था, उसके सम्बन्धमें मेरे विचार पूछे गये हैं। मैंने समझा था कि मैं अपने वेलगाँवके अनुभवोंमें उसका उल्लेख कर ही चुका हूँ। फिर भी मैं उनकी इच्छानुसार उस विषयमें अपनी राय व्यक्त करता हूँ। उनके कामपर अधिक विस्तृत रूपसे और अलगसे लिखूँगा। मेरी रायमें स्वयसेवकोंने वेलगाँवमें जो कार्यदक्षता दिखाई, वह मेरी देखी हुई पिछली तीन कांग्रेसोंकी अपेक्षा कहीं अधिक थी। स्वयसेवक कठोर परिश्रमी, कार्यकुशल और मनसे काम करनेवाले थे। उनके सम्बन्धमें प्रतिनिधियोंसे कोई शिकायत नहीं सुनी गई। मुझे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा लगा। डाक्टर हार्डीकरने मुझे उनका शिविर दिखानेकी कृपा की थी। वहाँ मुझे सारा वातावरण कामकाजी और काफी स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई दिया। काफी स्वच्छ और व्यवस्थित इसलिए कहता हूँ कि मेरी रायमें शिविर इस मामलेमें आदर्श होना चाहिए। कोई भी चीज डगधर-डगधर पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह ही नहीं, बल्कि वहाँ साफ-सुथरे ढगसे रखी होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, एक स्वयसेवकका विस्तर जहाँ चाहिए वहाँ रखा हुआ तो हो सकता है, लेकिन वह ठीक तरह और सफाईसे लपेटकर रखनेके बजाय एक ढेरकी शकलमें भी पड़ा हो सकता है। सफाईकी दृष्टिसे भी स्वयसेवक-शिविरमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें कहीं कागजकी एक चिन्दी या घूल पड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि डा० हार्डीकरने स्वयसेवकोंकी

१ हिन्दुस्तानी सेवादलके सगठनकर्ता। बादमें यह दल कांग्रेसका एक महत्वपूर्ण स्वयसेवक सगठन बन गया था।

सख्या जानबूझकर सीमित रखी थी। इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा काम था। जबतक कांग्रेसका अधिवेशन चला, तबतक उनको प्रतिदिन १६ घटेसे अधिक काम करना पडा। इस दौरानमे वे प्राय खडे ही रहते थे। मुझे स्वयसेविकाओके कामका उल्लेख करना भी नही भूलना चाहिए। उन्होने अत्यधिक सहायता दी और ध्यानपूर्वक काम किया। उनको भी पहले प्रशिक्षण दिया गया था। यद्यपि हम स्वयसेवकोकी सुयोग्य सहायताके विना कांग्रेसके अधिवेशनकी व्यवस्था नही कर सकते, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि वह काम तो स्वयसेवकके प्रशिक्षणका बहुत ही छोटा अंश है। स्वराज्यकी प्राप्तिमे स्वयसेवकोको हमारे लिए सबसे बडे भरोसेकी चीज होना चाहिए। इस कामको वे तभी पूरा कर सकते हैं जब उनका चरित्र निष्कलक हो और कवायद एव सफाई करने और घायलोको प्राथमिक सहायता देनेका आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकनेके अलावा वे स्वराज्यके लिए राष्ट्रका सगठन करना भी जानते हो। इसलिए इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए प्रत्येक स्वयसेवकको रुई धुनने और सूत कातनेमे दक्षता प्राप्त करनी चाहिए और अपने हिस्सेका सूत कातनेके अतिरिक्त, जो मताधिकारके लिए आवश्यक है, उनमे अपने-अपने जिलेमे रुई धुनने और सूत कातनेके कामका सगठन करनेकी क्षमता होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हाथसे सूत कातना सन् १९२१ से ही स्वयसेवकोके प्रशिक्षणका एक अंग है।

सच हो तो फिर क्या पूछना

एक सज्जन अपने पत्रमे मुसलमानोकी इस शिकायतकी कि मुसलमानोमे शिक्षाकी बुरी हालत है, सख्त आलोचना करते हुए लिखते हैं कि इस मामलेमे आपको धोखा दिया जा रहा है। मेरी जानकारीके लिए उन्होने कुछ बडे मार्केके आँकडे भी एकत्र करके भेजे हैं जिनसे दोनो सम्प्रदायोकी साक्षरताके अनुपातका पता चलता है। उन्हें मैं नीचे उद्धृत करता हूँ.

पुरुष

प्रान्त	मुसलमान फी हजार	हिन्दू फी हजार
बर्मा	३०२	२८८
म० प्रां० और वरार	२२५	८९
मद्रास	२०१	१७०
संयुक्त प्रान्त	७३	७१
बड़ौदा	३०९	२३४
म० प्रां०	१६९	५९
मंसूर	२३८	१३३
सिक्किम	८३३	९१
ग्वालियर	१४२	६०
हैदरावाद	१४०	४७
राजपूताना	६६	५७

विभिन्न प्रान्तोंके धर्मानुयायियोंकी अनुपातिक सख्या दी गई है। यह आँकड़े १९२१ की जनगणनापर आधारित हैं।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-२-१९२५

३६. तार : सुरेन्द्रनाथ विश्वासको

५ फरवरी, १९२५

सुरेन्द्रनाथ विश्वास^१

१६ ए० गोविन्द घोपाल लेन

कलकत्ता

आगामी मासके आरम्भसे पहले तारीख निश्चित करना असम्भव। मेरा सुझाव आप मुझे ध्यानमें न रखकर तारीख^२ निश्चित करे।

गांधी

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

३७. भाषण : रावलपिंडीमें^३

५ फरवरी, १९२५

मैं पिछले दिसम्बरमें यहाँ था। उस समय मेरी आपकी कुछ बातें हुई थीं।^४ तब मैंने कहा था कि यदि आप सब लोग कोहाट नहीं चले गये तो मैं यहाँ दुवारा आऊँगा और आपसे बात करूँगा। और यदि तबतक कोहाटसे कुछ मुसलमान भाई आ जायेंगे तो मैं कुछ पूछताछ भी करूँगा।

कोहाटसे कुछ मुसलमान भाई आये हैं। मैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूँ। मैं आपको उसके परिणामस्वरूप [फिलहाल] ऐसी सलाह कदापि नहीं दे सकता कि आप कोहाट वापस जायें। मैं ऐसी आशा करता था कि उनसे बातचीत करनेका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। मैं निराश तो नहीं हुआ हूँ, किन्तु आज तो कोई

१ वगाल प्रान्तीय सम्मेलनकी स्वागत समितिके अध्यक्ष।

२. अनुमानत वगाल प्रान्तीय सम्मेलनके अधिवेशनकी तारीख, देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ६२१।

३. यह भाषण सितम्बर १९२४ के दगोंके कारण कोहाटसे आये हुए हिन्दुओंके सम्मुख दिया गया था।

४. देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ४४२-४४४।

ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोहाट वापस जानेकी सलाह दे सकूँ, बल्कि मेरी इच्छा इससे उलटी सलाह देनेकी ही होती है। सम्भव है कि इन मुसलमान भाइयोसे मेरी जो बातचीत चल रही है वह सफल न हो। फिर कोहाटमे जिन मुसलमानोका प्रभाव है, वे यहाँ नहीं आये हैं। उन्होने तो तार भेजा है और उसमे कहा है कि यहाँ समझौता हो गया है, हिन्दू कोहाट वापस आ रहे हैं। फिर आप हमे क्यों बुलाते हैं और इस तरह लोगोके दिलोमे घबराहट पैदा क्यों करते हैं? इसका मतलब यह है कि मुझे और शौकत अलीको इस मामलेमे दखल न देना चाहिए, किन्तु जो मुसलमान यहाँ आये हैं उनसे बातचीतके दौरान जब मैंने यह पूछा कि क्या वे हिन्दुओको कोहाट ले जानेकी जिम्मेदारी लेते हैं तब उनमे से एक साहबने साफ कहा, “यदि हिन्दू फिर वापस कोहाट जाना चाहते हो तो जाये, किन्तु हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम तो उनको बुलावा भी नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ आज जो हिन्दू हैं उनसे ही घृणा की जाती है।” इसलिए मैं आपको कोहाट वापस जानेकी सलाह नहीं दे सकता।

एक दूसरी बात भी है। यदि आप वहाँ सरकारकी शक्तिसे जाना चाहते हो और आपने सरकारसे जो बातचीत की है उससे आपमे कुछ विश्वास उत्पन्न होता हो तो यह आपकी मर्जीकी बात है। किन्तु मैं तो अब भी निश्चित रूपसे यही मानता हूँ कि हम इस सरकारसे मिलकर काम करनेसे या इसकी मार्फत काम करानेसे कोई फायदा नहीं उठा सकेगे। मैं इसीलिए यह सलाह नहीं देता कि आप सरकारके सर-क्षणमे कोहाट जाये। आप जहाँ भी रहे वहाँ अपनी शक्तिके आधारपर रहे।

यदि कोहाट जानेके सम्बन्धमे किसीके साथ बातचीत करनेकी जरूरत है तो वह है मुसलमानोके साथ करनेकी। एक तो उनकी सख्या बहुत है। यदि उनकी सख्या बराबरकी भी होती तो भी चूँकि आप उनके डरसे भाग कर यहाँ आये हैं, इसलिए आपका उनसे बातचीत किये विना वापस जाना ठीक नहीं है। यदि कोई मनुष्य पैसेकी खातिर या अपनी जानकी खातिर अपनी इज्जत आवरत खोकर वहाँ जाये तो अलग बात है, मेरे विचारसे इस तरह जीना, जीना नहीं है, वह तो मरनेके बराबर है।

कल मैंने एक अत्यन्त खेदजनक बात सुनी और वह यह है कि आपमे से बहुतोने अपनी जान बचानेके लिए पहले इस्लाम स्वीकार कर लिया और तब आप यहाँ आये। मेरी दृष्टिसे तो ऐसे लोग वास्तवमे मुसलमान नहीं हुए हैं, अपनी जान बचानेके लिए डरके मारे मुसलमान हुए हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे यह क्यों कहते कि “हमारी चोटी काटो और हमे कलमा पढवाओ।” यदि हम ऐसा करे तो गायत्रीका कोई अर्थ ही न रहे और हिन्दू धर्म भी निकम्मा माना जाये। यही बात आर्यसमाजियो और सिखोपर भी लागू होगी। मेरे कहनेका अर्थ यह है कि चाहे हमारा अस्तित्व मिट जाये, किन्तु हमे अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारा सच्चा धन रुपया-पैसा नहीं है, जर और जमीन नहीं है। ये तो ऐसी चीजे हैं जो लूटी जा सकती हैं। किन्तु हमारा सच्चा धन हमारा धर्म है। जब हम इसे गँवा देगे तब कहना चाहिए कि हमने अपन घर खुद ही लूट लिये हैं। जवसे

मैंने यह बात सुनी है तबसे मैं यह अनुभव करने लगा हूँ कि आपको वहाँ जानेमें और रहनेमें कोई फायदा नहीं है। वन और जानके लालचमें पड़कर आप बहुत-कुछ खो रहे हैं।

मुसलमान कभी किसी स्त्रीको भगा ले जाते हैं और उसको मुसलमान बना लेते हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि इस तरह वह हिन्दू स्त्री मुसलमान कैसे हो गई। वह 'कुरान' नहीं जानती, कलमा नहीं पढ़ सकती। दुखकी बात है कि वह अपने धर्मके विषयमें भी बहुत कम जानती है। ऐसी स्त्री मुसलमान बन सकती है, यह बात मेरी समझमें ही नहीं आती। कोई मेरी स्त्रीको भगा ले जाये और वह कलमा पढ़ ले तो मेरा इस ससारमें जीना ही अशक्य हो जाये। तब या तो मैं आपसे आकर यह कहूँगा कि आप [उसकी रक्षा करनेमें] मेरी सहायता करे या आपसे प्रार्थना कलूँगा कि आप उसे फिर हिन्दू धर्ममें ले लें। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मैं कापुरुष कहलाऊँगा। मैं उसका पति होनेका दावा नहीं कर सकता। यदि आप इन्सान हो और इन्सान रहना चाहते हो तो आप प्रतिज्ञा करे कि जबतक यह स्थिति नहीं बदलेगी तबतक आप कोहाट वापस नहीं जायेंगे।

मुझे यह कहा गया है कि यदि कोहाटी हिन्दू वापस कोहाट नहीं जायेंगे, तो यह भी सम्भव है कि सरहदी सूबेसे दूसरे हिन्दू भी भाग आयें। मुझे लगता है कि यदि ऐसा हो तो यह ठीक ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप वहाँ अपनी शक्तिसे रहे अथवा मुसलमानोंसे मित्रता करके रहे, मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दू वहाँ कायर बनकर जिन्दगी बितायें। मैं चाहता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान दोनों बहादुर बनें। मैं चाहता हूँ कि दोनोंकी शक्ति साथ-साथ बढ़ें। मैं यह नहीं सह सकता कि हिन्दुओंकी शक्ति मुसलमानोंका नाश करके बढ़े अथवा मुसलमानोंकी शक्ति हिन्दुओंका नाश करके बढ़े। हिन्दू धर्ममें दूसरेके धर्मका नाश करनेकी शिक्षा नहीं दी गई है।

कल यह तर्क दिया गया था कि हिन्दू स्त्री मुसलमान बनाई जा सकती है, किन्तु यह बात मेरे गले तो नहीं उतरती। मैं इस बातको मुसलमान भाइयोंसे अधिक अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। क्या इस्लाममें यह शिक्षा दी गई है कि कोई भी मुसलमान मेरी स्त्रीको भगा ले जा सकता है? मेरी स्त्री यह भी नहीं जानती कि इस्लाम या ईसाई धर्म क्या है। वह हिन्दू घरमें जन्मी है, रामनाम लेती है, 'रामायण' और 'भागवत' पढ़ लेती है। उसने मुसलमान बननेकी बात कभी सोचीतक नहीं है। वह अपने धर्मपर दृढ़ रहती है और वह भी पूरी श्रद्धासे। यदि ऐसी स्त्रीके सम्बन्धमें यह कहा जाये कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है तो इसका क्या अर्थ मानना चाहिए? उसने सोच-समझकर इस्लाम स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वह अपने-आपको मुसलमान माननेके लिए तैयार नहीं है। मैं मुसलमान भाइयोंसे बात करना चाहता हूँ कि क्या उनके धर्ममें किसीकी स्त्रीको भगानेकी और मुसलमान बनानेकी शिक्षा दी गई है? मेरे लिए यह असह्य है कि सरहदी सूबेमें रहनेवाली किसी हिन्दू स्त्रीसे जोर-जबरदस्ती की जाये। यदि यह कहा जाये कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है तो मैं यह बात माननेके लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने धर्मको प्यारा मानते हो तो आप वापस कोहाट न जाये। जवतक वहाँके मुसलमान यह न कहे कि आप इज्जतके साथ आये, तवतक आप वहाँ न जाये। आप वहाँ जाकर रुपया कमा ले, किन्तु अपना धर्म खोकर रहे तो मेरी दृष्टिमे आपका कमाया हुआ रुपया मिट्टी ही है।

आप अबतक भूखो नहीं मर गये हैं। मैंने दिसम्बरमे आपसे यह भी कहा था कि जिनके हाथ-पैर चल सकते हैं वे भीख अर्थात् दूसरोसे माँगे हुए अन्नपर जीवित रहे, मैं यह बात वर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि मैं आपको इस प्रकार जीवित रहनेकी सलाह दूँ तो मैं गुनहगार बनूँगा। मैं आज भी इसी बातपर दृढ़ हूँ। मैंने इसीलिए कोहाटके शरणाथियोके लिए एक पैसा भी नहीं माँगा है। मैं तभी धन सग्रह करूँगा जब मुझे यह मालूम हो जाये कि पैसा किसलिए चाहिए। मैंने देनेवालोकी कोई सूची नहीं बनाई है। फिर भी यह सच है कि यदि कोई कुछ रुपया देता है तो मैं उसे यहाँ भेज देता हूँ। किन्तु यदि आप लोग मेरी सलाहके अनुसार चले और जिनके हाथ-पैर हैं वे उनसे कमाकर खाये तो मैं आपको पूरी सहायता देनेका वचन देता हूँ।

मैं आपको सावरमती भी ले जानेके लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ आपके रहने और खाने-पीनेकी पूरी व्यवस्था कर दूँगा। मैं पहले आपको खिलाऊँगा तब स्वयं खाऊँगा। किन्तु मैं आपसे नित्य आठ घंटे काम लूँगा। यदि आप श्रम करना चाहते हो तो मैं आपकी सहायता हर तरह करनेके लिए तैयार हूँ। यदि आपमे से कुछ लोग यह कहे कि “हम तो वकील हैं, अतः हमे तो वकीलका धन्वा ही दो” तो मुझसे यह व्यवस्था नहीं हो सकेगी। दो पक्षोमे लडाई करवाके मैं आपको मुकदमे नहीं दिला सकता। इसी प्रकार यदि व्यापारी दस-बीस लाख या दस-बीस हजार रुपये माँगे तो मैं नहीं दे सकूँगा। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपको कोई-न-कोई काम दे दूँ। मैं इसी दृष्टिसे हिन्दुस्तानके लोगोसे कह रहा हूँ कि प्रत्येक मनुष्य आधा घंटा चरखा चलाये। चरखा श्रमका प्रतीक है। जो चरखा चलाता है वह दूसरा श्रम भी कर लेगा। मेरे पास जमीनका कोई काम नहीं है, किन्तु धुनने, कातने और धुननेका काम पर्याप्त है। इन कामोसे लाखो लोगोको रोजी मिल सकती है। मैंने अखबारोमे पढा है कि मैसूरके महाराजाने भी चरखा चलाना शुरू किया है। आपमे से जो लोग कारीगर हो और जिन्हें अपना काम शुरू करनेके लिए आवश्यक साधनोकी जरूरत हो, जैसे सुनारीके ओजारोकी, तो उनको जुटाना मेरा कर्तव्य है। जिसका जो धन्वा हो, उसको चलवानेकी व्यवस्था करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं इसके लिए भीख माँगनेके लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इस प्रकारकी सूचियाँ बनाये जिनसे यह मालूम हो कि कितने आदमी किस-किस कामको कर सकते हैं और प्रत्येकके परिवारमे कितने लोग इस प्रकार काम कर सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। वीमार या कमजोर आदमी भी कोई-न-कोई काम कर सकता है। मैं अपनी विधवा वहनसे भी काम लेता हूँ और उसके बाद ही उसका भोजन उसे देता हूँ। वह कहती है कि “हम तो दीवानके वेटे-वेटियाँ हैं।” किन्तु मैं तो यह मानता नहीं। हम तो हिन्दुस्तानके मजदूर हैं, इसलिए मैं

इससे भिन्न आचरण नहीं कर सकता। एक ही मार्ग है—मैं जिसे खानेके लिए दूँ, उससे काम लूँ। मैं अपनी बहन और पत्नीसे भी ठीक निवट लेता हूँ, इसलिए विधवा बहनोसे भी निवट लूँगा।

कुछ वाते सुनकर मुझे बहुत शर्म मालूम हुई। मैंने सुना है कि कुछ कोहाटी हिन्दू जुआ खेलते हैं, कुछ एक चार रोटियाँ लेकर दुबारा फिर रोटियाँ माँगते हैं और नहीं मिलती तो झगडा करते हैं, यदि अपने पास रजाई होती है तो भी दूसरी माँगते हैं और उसे बेच देते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। जो-कुछ कोहाटमे हुआ, मैं उसे वर्दाश्त कर सकता हूँ, किन्तु यदि ये सब वाते सच हो तो ये मुझसे वर्दाश्त नहीं हो सकती। यदि आप ऐसे ही रहना चाहते हो तब तो आप कोहाट लौट जा सकते हैं और अपना धर्म डुवा सकते हैं। मेरे विचारसे धर्मका अर्थ यह नहीं है। कोई गायत्री पढने-मात्रसे हिन्दू नहीं हो सकता है। मेरी दृष्टिमे केवल वही हिन्दू है जिसके हृदयमे गायत्री सतत अकित रहती है। कोई 'ग्रन्थसाहब' का पाठ कर लेनेसे सिख नहीं हो जाता। सिख वही है जो 'ग्रन्थसाहब'को सच्चे भावसे हृदयमे धारण करता है। वेद-मन्त्रोका भलीभाँति गान करनेसे ही कोई आर्यसमाजी नहीं हो जाता। किन्तु जो उन मन्त्रोको जीवनमे उतारता है, वही सच्चा आर्यसमाजी बनता है। मैं मुसलमानोसे भी कहता हूँ कि क्या मैं कलमा पढ लेनेसे मुसलमान हो सकता हूँ? इसलिए जबसे मैंने आपके विषयमे यह बात सुनी है तबसे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ।

यह कलियुग है और ऐसे ही कारणोसे हमारा अध पतन हुआ है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रकारका आचरण करके मुझे न लजाये। यदि आपको ऐसा ही करना हो तो आप मुझे तो अलग ही रहने दे, क्योंकि तब मैं आपकी सेवाके योग्य नहीं रहता।

इन स्थितियोमे आप कोहाट न जाये, इस सम्बन्धमे मालवीयजी महाराज मुझसे सहमत हैं। मैंने उनको यहाँ आनेका कष्ट नहीं दिया है, क्योंकि केन्द्रीय विधानसभामे बगाल अध्यादेशके सम्बन्धमे निर्णय किया जा रहा है और वे इस सम्बन्धमे वहाँ व्यस्त हैं। वे आनेके लिए तैयार थे, किन्तु मैंने उनसे कहा कि मैं उनको इस वार कष्ट नहीं देना चाहता। लालाजी भी आज यहाँ आ गये हैं। उन्होने लाहौरसे फोन किया था। मैंने उनको यहाँ बुला लिया है, किन्तु वे दुर्भाग्यसे बीमार हैं और आज यहाँ नहीं आ सके हैं। मैंने उनको यहाँ रावलपिंडी आनेका कष्ट इसलिए दिया कि यदि हम दोनो एकमत न हो तो आप लोग भ्रमित होंगे। हम तीनोंकी राय एक ही है। इस्लामके सम्बन्धमे मैंने आपसे जो-कुछ कहा है वह उनको नहीं मालूम है। किन्तु जो-कुछ कोहाटमे हुआ है उसके सम्बन्धमे उनकी राय यही बनी है कि वर्तमान स्थितिमे आपके लिए कोहाट जाना अवर्ध है। मैंने स्वयं इतना ही और कहा है कि जबतक मुसलमानोसे कोई समझौता नहीं होता तबतक आपका वहाँ जाना अवर्ध है।

मैं यह भी नहीं चाहता कि आपको इस समय जिस प्रकार मुफ्त खाना दिया जाता है, वह जारी रखा जाये। 'गीता' कहती है कि जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता

प्रश्न : क्या हिन्दुओसे आपके ताल्लुकात अच्छे है ?

उत्तर : मैं भरोसेके साथ कह सकता हूँ कि हिन्दुओके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे है ।

प्रश्न . क्या आप कभी कोहाटमे रहते है ?

उत्तर : मैं वहाँ रोज जाता-आता हूँ, क्योंकि वहाँसे मेरे रहनेका स्थान सिर्फ ५०० गज दूर है ।

प्रश्न . आपके खयालमे हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच फसादका कारण क्या है ?

उत्तर : मेरे खयालमें इसके कई कारण हैं जो पहलेसे मौजूद थे । पुस्तिकाका छापना उसका अन्तिम कारण था । इससे फसाद शुरू जरूर हुआ, लेकिन दोनो फिरकोके दिलोंमें जहर पहले ही पैदा किया जा चुका था ।

प्रश्न : क्या आप सक्षेपमे इस मुद्देको स्पष्ट करेगे ?

उत्तर : पिछले कुछ बरसोसे हिन्दू ऐसे लोगोंको जो मुसलमान बन गये थे, अदालतोंमें मुकदमे चलाकर तंग कर रहे थे और इस प्रकार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे ।

प्रश्न . कवसे ?

उत्तर : उनका यह रवैया चार या पाँच साल पहले शुरू हुआ था और हाल ही की कुछ घटनाएँ ये हैं : (१) कोहाटमें एक फोटोग्राफरकी औरत, ताल में एक हिन्दू औरत . . . तथा भागोमें एक हिन्दू, मुसलमान बनाये गये थे (२) इसके बाद एक हिन्दू मुसलमान या शेख बना और उसने एक मुसलमान औरतसे शादी की । वह फिर हिन्दू बन गया और उसपर औरतके बारेमें मुकदमा दायर किया गया । (३) मुसलमानोंने एक मुसलमान लड़कीके बारेमें मुकदमा दायर किया; किन्तु वे अपराधीको वाँछित सजा दिलानेमें असफल हुए । इसके बाद (एक दूसरेके खिलाफ) मुकदमेबाजी चलती रही (४) मुसलमानोको सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें अपने उचित भागसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला और हिन्दू नौजवानोंने कुछ हिन्दू संस्थाएँ स्थापित कीं । ये कुछ अन्य कारण हैं ।

प्रश्न : क्या यह आखिरी बात भी चार या पाँच साल पुरानी है ?

उत्तर : यह चार या पाँच सालके अन्दर ही हुई है ।

प्रश्न : खिलाफत आन्दोलनके पहले या बाद ?

उत्तर : यह खिलाफत आन्दोलनके शुरू होनेसे एक साल बाद हुई ।

प्रश्न . क्या कोहाट जिलेमे लोग अक्सर मुसलमान बनाये जाते है ?

उत्तर : हाँ, जिलेमें मुसलमान बननेवालोकी बहुत बड़ी संख्या है ।

१. कोहाटकी सनातन धर्म सभाके मन्त्री जीवनदास द्वारा प्रकाशित । इसमें एक ऐसी कविता थी जिसमें इस्लामके बारेमें आपत्तिजनक बातें थीं ।

प्रश्न उनकी सख्या लगभग कितनी होगी ?

उत्तर जुम्मा मस्जिदमें कोई न कोई आदमी मुसलमान बनाया ही जाता है। इन मुसलमान बनाये जानेवालोकी सख्या हर साल सौ या डेढ सौ हो जाती है, किन्तु यह जरूरी नहीं है कि ये सब लोग खास कोहाट ही के हो। हरेक जुम्मेको एक या दो लोग मुसलमान बनाये जाते हैं।

प्रश्न क्या सभी लोग जो मुसलमान बनाये जाते हैं, हिन्दू होते हैं ?

उत्तर हाँ, वे सभी हिन्दू होते हैं, किन्तु कभी-कभी सिख भी होते हैं।

प्रश्न क्या इससे पहले पुस्तिकाकी घटनाके अलावा कोई और घटना भी हुई है ?

उत्तर तालाबो आदिसे ताल्लुक रखनेवाली कुछ छुटपुट घटनाएँ हुई हैं, लेकिन इन घटनाओके अलावा, जिनका जिक्र पहले ही हो चुका है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका असर लोगोकी बहुत बड़ी तादादपर पडा हो। यद्यपि तालाबो आदिके मामले बहुत सीमित प्रकारके थे, फिर भी उन्होने जोर पकड और बाहरी लोगोमें फैल गये।

प्रश्न क्या मुसलमान बनाये जानेके मामलोमें हिन्दुओके हस्तक्षेपसे मुसलमानोमे कोई नाराजगी पैदा हुई थी ?

उत्तर हाँ, इससे जरूर नाराजगी पैदा हुई थी। हिन्दुओको मुसलमान हमेशा ही बनाया जाता रहा है, लेकिन हिन्दुओने उधर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन खुदा जाने अब क्या हो गया। इसपर वे तूफान खडा कर रहे हैं। आखिर ये लोग अपनी स्वतन्त्र इच्छासे और इस्लामके प्रति प्रेमके कारण ही मुसलमान बनते हैं।

प्रश्न क्या ये सभी लोग जो मुसलमान बनाये जाते हैं, वालिग होते हैं।

उत्तर जब माँ-बापोके साथ होते हैं तब बच्चे भी मुसलमान बनाये जाते हैं। बाकी सब तो वालिग ही होते हैं।

प्रश्न क्या कभी मुसलमानोने हिन्दुओसे ऐसा कहा कि उन्हें इस तरहका बरताव नहीं करना चाहिए ?

उत्तर हाँ, उनसे (हिन्दुओसे) ऐसा कहा गया। मैंने खुद उनसे ऐसा कहा ! लेकिन जिनसे मैंने कहा उनमें से कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं था और न उनमें से कोई सार्वजनिक कामोमें दिलचस्पी ही लेता था।

प्रश्न यह बात शुद्धि-आन्दोलनके पहले शुरू हुई या उसके बाद ?

उत्तर यह शुद्धि-आन्दोलनके बाद शुरू हुई। ये सभी घटनाएँ जिनका मैंने जिक्र किया है, शुद्धि और सगठन आन्दोलनके बाद हुई हैं।

प्रश्न क्या आपका विश्वास है कि इसका दगोपर कोई असर पडा है ?

उत्तर दिलोमें पहलेसे ही दुर्भावनाएँ मौजूद थीं। यह एक और कारण बन गया।

प्रश्न क्या यह वही मुसलमान लडकी है जिसका जिक्र सरदार माखनसिंहके लडकेकी घटनाके सम्बन्धमें किया गया है ?

उत्तर : हाँ, यह वही है।

प्रश्न . आपका पुस्तिकाके बारेमें क्या खयाल है ? उसमें आम हिन्दू जनताका क्या भाग था ?

उत्तर : पुस्तिका यहाँ भेजी गई और सनातन धर्म सभाके सदस्योंकी जानकारीमें बेची गई ।

प्रश्न क्या बहुत हिन्दू सनातन धर्म सभाके सदस्य है ?

उत्तर : मैं उनकी ठीक-ठीक संख्या नहीं जानता ।

प्रश्न क्या आम हिन्दू इसके सदस्य है ?

उत्तर : जहाँतक मैं खयाल कर सकता हूँ, बहुतसे (गैर सनातनी) हिन्दू उसके सदस्य होंगे । करीब १५ या १६ सदस्य जिनका जिक्र उनके धर्मोन्मादके कारण किया जाता है, इस [सनातनी] वर्गसे ताल्लुक रखते हैं ।

प्रश्न : क्या आपने यह सारी पुस्तिका पढी है ?

उत्तर : मैंने यह सारी ही पढी है ।

प्रश्न क्या इसमें सभी कविताएँ बुरी है ?

उत्तर : जो कविता आपत्तिजनक कवितासे पहले दी गई है वह बहुत अच्छी है । बाकी धार्मिक कविताएँ भी अच्छी हैं ; लेकिन ग्यारहवी कविता अत्यन्त आपत्तिजनक है और उसका उद्देश्य मुसलमानोंकी भावनाको आघात पहुँचाना है ।

प्रश्न क्या इस कविताकी बहुत प्रतियाँ बेची गई थी ?

उत्तर : पुस्तिकाकी प्रतियाँ बहुतसे लोगोंके हाथोंमें देखी गई थीं । जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों थे । मैंने इसकी पहली प्रति मौलवी अहमद गुलके^१ हाथमें देखी थी । उसकी दूसरी प्रति एक दूसरे मुसलमानके पास थी ।

प्रश्न . हिन्दू कहते हैं कि ३० या ३५ से अधिक प्रतियाँ नहीं बेची गई, क्या यह सच है ?

उत्तर : हो सकता है कि यह सब सच हो ; लेकिन मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता ।

प्रश्न . सनातन धर्म सभाके सदस्योंने उस छपी हुई आपत्तिजनक कविताके लिए माफी माँगी थी । क्या यह काफी नहीं था ?

उत्तर : शिष्टमण्डलके^२ पेशावरसे लौटनेतक मुझे इस माफीके बारेमें कुछ भी पता नहीं था । मैंने अभीतक माफीनामेका मजमून नहीं देखा है । मैंने सुना है कि मुसलमानोंके खयालसे माफीनामा काफी था ।

प्रश्न क्या आप जानते हैं कि उसमें कमी क्या थी ?

उत्तर : उसमें क्या लिखा है यह मैंने नहीं देखा । इसलिए मैं इस बारेमें कुछ नहीं कह सकता ।

१. खिलाफत समितिके मन्त्री ।

२. पेशावरका खिलाफत शिष्टमण्डल । उसने दोनों दलोंको शान्त करनेकी कोशिश की थी, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली ।

प्रश्न क्या आप जानते हैं कि वह पृष्ठ जिसमे वह कविता थी सभी प्रतियोमे से फाडकर निकाल दिया गया था ?

उत्तर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं ।

प्रश्न क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म सभाने वाकी प्रतियोको डिप्टी कमिश्नरके पास भेज दिया था और वे वहाँ जला दी गई थी ?

उत्तर हाँ, वाकी प्रतियाँ अदालतमें भेज दी गई थीं और वे वहाँ जला दी गई थीं ।

प्रश्न क्या उस पुस्तिकाका प्रकाशक जीवनदास गिरफ्तार कर लिया गया था ?

उत्तर हाँ, साहब !

प्रश्न क्या जीवनदासकी गिरफ्तारी काफी नही थी ?

उत्तर जहाँतक मेरा ताल्लुक हे, यह काफी थी। जब जीवनदास हवालातमें भेजा गया था तब उसपर मुकदमा चलानेका वादा किया गया था और पुस्तिकाकी वाकी प्रतियाँ जला दी गई थीं ।

प्रश्न क्या ऐसा करनेपर मुसलमानोकी कोई शिकायत वाकी रह गई थी ?

उत्तर शिकायतकी कोई गुजाइश रहनी तो नहीं चाहिए ।

प्रश्न क्या आप जानते हैं कि ये प्रतियाँ कब जलाई गई थी ?

उत्तर ३ सितम्बर, १९२४ को ।

प्रश्न क्या आप यह भी जानते हैं कि जीवनदास जमानतपर रिहा कर दिया गया था ?

उत्तर मैंने सुना था कि जीवनदास रिहा कर दिया गया है। वह जमानत-पर रिहा किया गया था या किसी और तरह रिहा किया गया था, यह मैं नहीं जानता ।

प्रश्न क्या वह कोहाटसे वाहर भेज दिया गया था। और वादमे छोड दिया गया था ?

उत्तर हाँ ।

प्रश्न क्या इससे मुसलमान नाराज हुए थे ?

उत्तर हाँ, मुसलमान डिप्टी कमिश्नरने यह वादा किया था कि जीवनदास-पर मुकदमा चलाया जायेगा, वह फिर भी छोड दिया गया। इससे मुसलमान आग बबूला हो गये थे ।

प्रश्न क्या इसपर मुसलमानोका कोई जलसा हुआ था ?

उत्तर मैंने सुना था कि इसपर ८ सितम्बरकी रातको मुसलमानोका एक जलसा हुआ था ।

प्रश्न क्या मुसलमान वहाँ बडी सख्यामे इकट्ठे हुए थे और ९ सितम्बरकी रातको डिप्टी कमिश्नरके पास गये थे ?

उत्तर हाँ, साहब !

प्रश्न . क्या आप उस जलसेमे मौजूद थे ?

उत्तर : मुझे उसकी कोई इत्तिला नहीं मिली थी।

प्रश्न . क्या आपको उसके तथ्योंकी जानकारी केवल सुनी-सुनाई वातोसे मिली ?

उत्तर : हाँ, साहब; मैंने भीड़ बाजारसे गुजरती हुई देखी थी। उसमेंसे कुछ लोग डिप्टी कमिश्नरके पास जा रहे थे और कुछ उनके पाससे आ रहे थे। मैंने बाजार जाते समय भीड़ टाउन हालके पास देखी थी।

प्रश्न . भीड़मे कितने आदमी थे ?

उत्तर : भीड़में करीब १५०० आदमी होंगे। ९ सितम्बरको बाजारमें हड़ताल थी। हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंकी दूकानें बन्द थी; जहाँ-तहाँ कुछ सिख अपनी दूकानोके सामने खड़े थे। उनको दूकानें खोलनेके लिए मजबूर किया गया था।

प्रश्न . यह किस समयकी बात है ?

उत्तर : मैं शहरमें ९ बजे गया था। जब मैं ११.३० बजे लौटा तब सभी दूकानें बन्द हो गई थीं।

प्रश्न . क्या आपने भीड़को, जब वह डिप्टी कमिश्नरके पास जा रही थी और जब वह वहाँसे लौट रही थी, दोनों वार देखा था ?

उत्तर : मैंने दोनों ही वक्त उसे देखा था। जब यह लौट रही थी तब मैं छावनी दरवाजेके अन्दर था और जब जा रही थी तब टाउन हालके पास था।

प्रश्न . भीड़ किस ओर जा रही थी ?

उत्तर : ९ बजे टाउन हालकी ओर जा रही थी।

प्रश्न . क्या आपने भीड़के किसी आदमीसे बातचीत की थी ?

उत्तर : मैंने शहरसे लौटते समय कुछ लोगोसे बातचीत की थी।

प्रश्न . आपने किस तरहकी बातचीत की थी और आपको क्या जवाब मिला था ?

उत्तर : मैंने पूछा कि मामला क्या है और लोग कहाँ जा रहे हैं ? उन्होने कहा कि वे यह पूछनेके लिए डिप्टी कमिश्नरके पास जा रहे हैं कि जीवनदासको क्यों छोड़ दिया गया और ११ तारीख मामलेकी सुनवाईके लिए निश्चित करनेपर भी उनको दिया गया वादा क्यों तोड़ दिया।

प्रश्न . क्या आपने सिर्फ यही बातचीत की थी ?

उत्तर : कुछ और भी बातचीत की थी। लेकिन वह लगभग इसी तरहकी थी।

प्रश्न . क्या आपने उन्हें ऐसा करनेसे रोकनेकी कोशिश की थी और उनपर आपकी कोशिशोका कोई असर पडा था ?

उत्तर : मैंने उन्हें कहा था कि कमसे-कम हमें (हिन्दुओं और मुसलमानोको) इस तरहका व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपसमें झगड़नेसे हम तीसरे पक्षको (सरकारको) अपने कामोमें हस्तक्षेप करनेका मौका देते हैं। लेकिन मेरे कहनेका उनपर कोई असर नहीं पडा।

प्रश्न क्या आपको ९ तारीखकी घटनाओकी कोई जानकारी है ?

उत्तर उस दिन मैं अपने घरमें था। मैंने सुना था कि बाजारमें गोली चली है जिसके फलस्वरूप एक मुसलमान मारा गया है और अब वहाँ आगजनी की जा रही है।

प्रश्न आपने यह सब अफवाहोसे जाना या ये घटनाएँ खुद जाकर देखी ?

उत्तर मैंने सिर्फ इसकी चर्चा ही सुनी, लेकिन लपटें और धुआँ देखे जा सकते थे और गोलियोंकी आवाजें सुनी जा सकती थीं।

प्रश्न जब आप लगभग साढे ग्यारह बजे कोहाटमे थे और आपने भीड देखी तब क्या गाँवोके कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे ?

उत्तर गाँवका कोई वाहरी आदमी शहरमें मौजूद नहीं था।

प्रश्न क्या टाउन हालके पास भीडमे गाँवोके लोग थे ?

उत्तर भीडमें गाँवोके करीब एक तिहाई लोग थे।

प्रश्न क्या आप १० सितम्बरको कोहाट गये थे ?

उत्तर मैंने ९ तारीखकी शामको अपना आदमी अपने दोस्तो और रिश्तेदारोके लिए कुछ चीजें लेने शहर भेजा था। उसने आकर यह खबर दी कि शहरमें अमन कायम कर दिया गया है, हिन्दुओके मुकाबले मुसलमान ज्यादा मारे गये हैं और बाजारमें आग अब भी पहलेकी तरह जल रही है।

मैं दस तारीखको अपनी कारमें स्कूलके दरवाजेसे अन्दर गया। फौजने शहरकी दीवारके चारो ओर दुहरा घेरा डाल रखा था। मैंने वहाँ तैनात यूरोपीय अधिकारी (इन्चार्ज)से शहरमें जानेकी इजाजत ली। मैंने वहाँ पहुँचनेपर देखा कि वहाँ पूरी तरहसे अमन कायम है। मैंने शहरकी दीवारमें बहुत-सी दरारे देखीं। मैं जैसे ही कारमें तहसीलके दरवाजेपर पहुँचा, मैंने गोलियाँ चलनेकी आवाजें सुनीं। वह दिन कयामतके दिनका नमूना था। यह हालत १० बजेसे लेकर १ बजेतक बनी रही।

प्रश्न कयामतके नमूनेसे आपका क्या मतलब है ?

उत्तर मेरा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भीडके हाथोंमें पडता तो वह लूट लिया जाता और कत्ल कर दिया जाता। लोगोके घरोंमें आग लगाई जा रही थी। हिन्दुओ और मुसलमानो—दोनोके ही घर जलाये जा रहे थे। पुरानी दुश्मनी निकालनेके लिए मौकेका फायदा उठाया गया था। सभी शरीफ लोगोने अपनी जानके डरसे अपने घरोंमें पीछे पनाह ले ली थी और किवाड बन्द कर लिये थे।

प्रश्न क्या आप एक बजे वापस आ गये थे ?

उत्तर मैं १० ३० बजे वापस आ गया था। लेकिन मैं अपने गाँवके पासकी एक टेकरीपर चढकर यह नजारा देख रहा था।

प्रश्न आपने कहा कि आपने ९ तारीखको कुछ खौफनाक नजारे देखे थे ?

उत्तर हाँ, ९ तारीखको मैंने एक या दो निहत्थे हिन्दुओको कत्ल किये जाते देखा था।

प्रश्न ये कत्ल कहाँ किये गये थे ?

उत्तर: इनमें से एक तो शाही रोड, अर्थात् भागी कोहाट रोडपर किया गया था और दूसरा चरौदाकी तरफ।

प्रश्न क्या ये लोग पैदल राहगीर थे ?

उत्तर: मुझे बादको मालूम हुआ कि उनमें से एक मोटरमें पेशावरकी ओर जा रहा था और वह मोटरसे बाहर निकाल कर कत्ल किया गया था। मैंने उसकी लाश वहाँ पड़ी देखी थी।

प्रश्न उसे किसने कत्ल किया था ?

उत्तर: मेरे खयालमें कातिल बाहरके गाँवोंके लोग थे और कोहाटके आसपास नहीं रहते थे। क्योंकि उसी मोटरमें हिन्दू सज्जनके अलावा दो मुसलमान भी थे। उनमें से एक तो खान बहादुर गुल्ली ख़ाँका भतीजा था जो ई० ए० के तौरपर कोहाटमें सालों रहा था। अगर ये लोग कोहाट या उसके आसपासके गाँवोंके होते तो वे खानबहादुरके भतीजेको पहचान जाते या खान बहादुरका भतीजा ही उन्हें पहचान लेता।

प्रश्न खान बहादुरके भतीजेके अलावा दूसरा मुसलमान कौन था ?

उत्तर: दूसरा मुसलमान इस्लामिया कालेजका एक प्राध्यापक था। उसके अलावा एक ड्राइवर भी था। कहनेका मतलब यह है कि मोटरमें ड्राइवरके अलावा तीन आदमी और थे। हिन्दू उनमें से एक ही था जो मारा गया।

प्रश्न क्या ये तीन मुसलमान जो उस हिन्दूके साथ मोटरमें थे उसे नहीं बचा सकते थे ?

उत्तर: ये तीनों उसे नहीं बचा सकते थे, क्योंकि हमलावर बहुत ज्यादा थे।

प्रश्न आपने एक दूसरे हिन्दूके कत्ल किये जानेका जिक्र किया। क्या आप उसके बारेमें कुछ बता सकते हैं ?

उत्तर: मैंने सिर्फ उसकी लाश खेतमें पड़ी देखी थी। मैं उसे पहचान नहीं सका।

प्रश्न क्या आपने पहले कत्ल किये गये दूसरे हिन्दूको पहचान लिया था ?

उत्तर: मैंने जब उसकी लाश सड़कपर पड़ी देखी तब जाते वक्त उसके बारेमें सारी बातें पूछी थीं। मैं नहीं जानता कि मेरे वहाँसे गुजरनेके कितने घंटों पहलेसे उसकी लाश वहाँ पड़ी थी।

प्रश्न क्या आपने कोई ऐसे मन्दिर भी देखे जो जला दिये गये थे ?

उत्तर: हिन्दुओंके रावलपिण्डी चले जानेके बाद मैंने देखा था कि कुछ मन्दिरोंके कुछ हिस्से जला दिये गये हैं। उनमें से एक था मण्डीका मन्दिर। उसके पासकी इमारत भी जिसमें बैठकर हमने अमनकी वातचीत की, जला दी गई थी।

प्रश्न क्या आपने कोई जला हुआ गुरुद्वारा भी देखा ?

उत्तर: हमने झरनोंके सामनेका गुरुद्वारा जला हुआ देखा था। कुछ महीने पहले इस गुरुद्वारेके बारेमें हिन्दुओं और सिखोंमें झगड़ा हुआ था। हिन्दुओंका दावा

या कि यह उनका मन्दिर है और सिख कहते थे कि यह उनका गुरुद्वारा है। कुछ हिन्दू साधु इस गुरुद्वारेमें बैठते और चरस पीते थे, इसपर सिखोंने घोर आपत्ति की। इसके बाद सिख बड़ी सख्यामें वहाँ आये और उन्होंने साधुओको गुरुद्वारेसे निकाल दिया और उसपर कब्जा कर लिया। इसके कारण पुलिसका एक थानेदार कुछ सार्जेंटो और पुलिस सिपाहियोके पूरे दलके साथ कई हफ्तो वहाँ पडा रहा ताकि झगडा न हो, क्योंकि गुरुद्वारा शहरसे बाहर था।

दोनो कौमोके सम्माननीय नेताओसे अमन और नेकचलनीकी जमानतें जमा कराई गई थीं और मुचलके लिये गये थे। मैंने खुद कब्रिस्तानके सामनेका अपना एक जमीनका टुकडा उस साधुको दिया था। इस साधुने एलान किया था कि मैं जबतक उस गुरुद्वारेको नहीं जला दूंगा, तबतक वहाँसे नही जाऊँगा। दगोके दौरान वह साधु दो सम्मानित हिन्दू नेताओके साथ, जिन्होंने उसके पास पनाह ली थी, दो दिनतक वहाँ रहा और उसने अपने जीवनको खतरेमें डाल कर दूसरे दो हिन्दुओके जीवनकी रक्षा की। मैंने बादमें सुना कि कुछ सिख सज्जनोंने पुलिसमें रिपोर्ट की है कि लोगोने उस साधुके उभाडनेसे गुरुद्वारा जलाया है, इसलिए पुलिसने उस साधुको वहाँसे हटा दिया और जिलेसे बाहर भेज दिया।

प्रश्न क्या आपने डम गुरुद्वारेके अलावा कोई और मन्दिर या गुरुद्वारा ऐसा देखा है जो जला दिया गया हो?

उत्तर मैंने नहीं देखा। (याद दिलानेपर गवाहने स्वीकार किया कि थान जोगरान भी जो लगभग लकडीका बना हुआ था, जलाया गया है।)

प्रश्न क्या आप जानते हैं कि ९ और १० तारीखको कितने हिन्दू और कितने मुसलमान मारे गये थे?

उत्तर मैं ऐसे किसी हिन्दूको नही जानता जो उस रात शहरमें मारा गया हो। (मुसलमानोमें से) ३ लोग मारे गये थे और ३ या ४ घायल हुए थे। इनमें वे लडके भी शामिल हैं।

प्रश्न क्या आप लडकोकी उम्र जानते हैं?

उत्तर मैंने सुना है कि एक लडकेकी उम्र १० या ११ सालकी थी।

प्रश्न उनमे से एक बच्चा था या दोनो बच्चे थे?

उत्तर दोनो बच्चे थे—एककी उम्र १० या ११ सालकी थी और दूसरा उससे कुछ बडा था।

प्रश्न क्या आपको १० सितम्बरके हताहतोके वारेमे कोई जानकारी है?

उत्तर वाकी सभी हताहत १० सितम्बरके हैं। आठ मुसलमान मारे गये थे। घायलोकी सख्या इससे ज्यादा थी। लेकिन हिन्दुओमें हताहतोकी सख्या मुसलमानोसे ज्यादा थी।

प्रश्न हिन्दू कोहाटसे रावलपिंडी कब पहुँचे ?

उत्तर: ग्यारह तारीखको रायबहादुर मथुरादास और रायबहादुर ईश्वरदासने मुझे खबर भेजी थी कि वे कर्मशियल हाउसमें रह रहे हैं और मैं उन्हें रेलवे स्टेशन पहुँचा दूँ। मैं वहाँ दो मोटरे लेकर गया और सात फेरोमें उनको और उनके रिश्तेदारोंको रेलवे स्टेशनपर पहुँचा आया। कर्मशियल हाउसमें और सड़कोपर पड़े हिन्दुओंकी हालत बहुत खराब थी। उनकी औरतें भी सड़कोके किनारे बुरी हालतमें बैठी थीं। सरकारने न तो उनके रहनेका इन्तजाम किया था और न उन्हें रेलवे स्टेशन पहुँचानेका।

प्रश्न वे कर्मशियल हाउसमें कब गये थे ?

उत्तर: मुझे उनसे मालूम हुआ कि वे कर्मशियल हाउसमें १० सितम्बरको गये थे।

प्रश्न हिन्दू कहते हैं कि ९ और १० सितम्बरके बीच बहुतसे हिन्दुओको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। क्या आप इस बारेमें कुछ जानते हैं ?

उत्तर: मेरे खयालमें कोई भी हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया था, लेकिन कुछ हिन्दुओंने मुसलमानोंके यहाँ पनाह ली थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी जिन्दगी खतरमें है इसलिए उन्होंने खुद दरखास्त की थी कि उनकी चोटी काट दी जाये और हिन्दुत्वके अन्य चिह्न हटा दिये जायें। उनको पनाह देनेवालोंने यह महसूस किया कि हिन्दुओंकी जिन्दगी सचमुच खतरमें है इसलिए उन्होंने उनकी चोटियाँ काट दीं और यह जाहिर कर दिया कि वे मुसलमान हो गये हैं।

प्रश्न आपने एक और तरीकेका भी जिक्र किया था ?

उत्तर: उस तरहकी कोई घटना शायद हुई, हो किन्तु किसी ऐसी घटनाकी मुझे जानकारी नहीं है जब किसी मुसलमानने किसी हिन्दूकी जान बचानेके लिए उसे मुसलमान हो जानेकी सलाह दी हो और उसकी चोटी काटी हो। फिर भी मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ऐसी घटना हुई होगी।

प्रश्न आप ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि कुछ मुसलमानोंने हिन्दुओको शायद सलाह दी हो कि वे अपनी जान बचानेके लिए मुसलमान बन जाये ?

उत्तर: सिर्फ इसलिए कि गाँवोंके लोग अशिक्षित थे और उनसे हिन्दुओकी जान बचाना एक मुश्किल बात थी।

प्रश्न क्या आप इस तरह मुसलमान बनाये गये आदमीको मुसलमान समझते हैं ?

उत्तर: जबतक इस तरहका आदमी शान्तिके वातावरणमें अपनी स्वतन्त्र इच्छासे एलानिया यह नहीं कहता कि वह मुसलमान है तबतक वह मुसलमान नहीं समझा जा सकता।

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०५३०) से।

३९. कोहाटके दंगोके बारेमे अहमद गुलसे जिरह^१

[रावलपिंडी]

६ फरवरी, १९२५

प्रश्न . मौलवी साहब, आपका नाम ?

उत्तर . मेरा नाम अहमद गुल है।

प्रश्न आप क्या काम करते हैं ?

उत्तर मैं दांतोंका डाक्टर हूँ।

प्रश्न आप खिलाफत समितिके मन्त्री कवसे हैं ?

उत्तर . १९२२ से।

प्रश्न आप कोहाटमे कवसे रहते हैं ?

उत्तर . मैं वहीं पैदा हुआ था।

प्रश्न आपके विचारमे कोहाटके दगोका क्या कारण है ?

उत्तर मैं कुछ बातोंमें तो पीर कमाल साहबसे सहमत हूँ, लेकिन कुछमें मेरा उनसे मतभेद है। मेरे विचारमें दगोका कारण वह पुस्तिका थी।

प्रश्न पुस्तिकाको छोडकर कोई और कारण भी था या नहीं ?

उत्तर . एक और घटना भी हुई थी। मेरे जीवनमें इस प्रकारके दो ही अवसर आये हैं जबकि मुसलमान बडी सख्यामें सरकारके पास गये हैं। एक अवसर तो सरदार माखनसिंहके बेटेके मामलेमें आया था और दूसरा पुस्तिकाके मामलेमें आया। इन अवसरोंके अलावा किसी भी अन्य अवसरपर इस प्रकारकी उत्तेजना नहीं फैली, न तो कभी मुसलमान इकट्ठे हुए और न कभी ऐसा कोई दगा हुआ।

प्रश्न क्या आप केवल इन दो घटनाओंको ही दगोका कारण मानते हैं ?

उत्तर कुछ आपसी मतभेद भी थे।

प्रश्न सरदार माखनसिंहके बेटेका मामला क्या था ?

उत्तर . लोगोंमें एक आम अफवाह थी कि सरदार माखनसिंहके बेटेका अपन मालीको औरतसे अनुचित सम्बन्ध है। वह लाहौर चला गया और उसके साथ ही वह मालिन भी चली गई। इससे लोगोंमें बहुत सनसनी फैली। पठान जाति इस तरहके कामको नफरतकी निगाहसे देखती है, चाहे वह किसी मुसलमानने ही क्यों न किया हो। इसीलिए सरकार भी अपराधीको सख्त सजा देती है और चाहे वह मामला दो मुसलमानोंका ही क्यों न हो, लोग उससे उत्तेजित हो जाते हैं। सरदार माखनसिंहके बेटेके मामलेमें सरकारने कोई ध्यान नहीं दिया, यद्यपि इस बारेमें

१ इसकी उपलब्ध प्रति दोषपूर्ण है अत आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं सशोधन करके उसका अनुवाद किया गया है।

उसके पास एक शिष्टमण्डल भेजा भी गया था। मेरे कहनेका मतलब यह है कि सरदारके लड़केको दण्ड नहीं दिया गया और मालीको न्याय नहीं मिला। जब कोई हिन्दू या सिख ऐसा करनेका दुस्साहस करता है तब मुसलमानोको बहुत आघात लगता है। यह भी अफवाह थी कि सरदार माखनसिंहने मालीको कुछ रुपये देकर चुप कर दिया है। यह बात भी फैलाई गई थी कि सरदार माखनसिंहने दूसरे अवसरोपर भी रुपये देकर अपना बचाव किया है।

प्रश्न यह वाकया कब हुआ था ?

उत्तर : लगभग एक साल पहले अर्थात् पुस्तिकाकी घटनासे पूरे एक साल पहले जब जीवनदास गिरफ्तार करके हवालातमें रखा गया था तब सरदार माखनसिंह गैर-सरकारी निरीक्षकके रूपमें जेलमें गये थे। जेलके सुपरिंटेंडेंटने निरीक्षकके रूपमें उनके व्यवहारकी शिकायत की थी, क्योंकि उन्होंने जेलकी व्यवस्थामें हस्तक्षेप किया था। सुपरिंटेंडेंटने जीवनदासको काल कोठरीमें रखा था, लेकिन सरदार साहबने कहा कि उसे वहाँसे निकाल लिया जाये। चूँकि जीवनदासकी लड़कीकी सगाई सरदार माखनसिंहके लड़केसे हुई थी, इसलिए यह अफवाह भी फैल रही थी कि सरदार साहब जीवनदासको कुछ ही घटोमें रिहा करा देंगे। इसके बाद जब पहली बार गोली चली तब सबसे पहली बात यह सुनी गई कि सरदार साहबके मकानके सामने लड़के मारे गये हैं। पिछली बातें तो थी ही, फिर जीवनदासकी रिहाई और सरदार साहबके मकानके सामने गोली चलनेसे मुसलमान उत्तेजित हो गये। और मेरे विचारमें दंगेका कारण यही है।

प्रश्न यह अफवाह फैलाई किसने कि सरदार साहब और उनके लड़केने गोली चलाई ?

उत्तर : जब मैं अदालतमें था और लो गेको यह आश्वासन दिया जा रहा था कि जीवनदासपर मुकदमा चलाया जायेगा तब दूसरे हिन्दुओके खिलाफ हमारी कोई शिकायत नहीं थी। जब अदालतने अपराधीके खिलाफ कार्रवाई करनेका फैसला किया, तब मुसलमान सन्तुष्ट हो गये। अभी आरोपका आधार तैयार किया जा रहा था कि इतनेमें ही खबर मिली कि बाजारमें गोली चल गई है। अहमद खाने मुझे खबर दी और मुझे साथ लेकर कारमें घटना-स्थलकी ओर रवाना हो गये। कारमें हमारे अलावा तीन मुसलमान और थे। हम छावनी दरवाजेसे शहरमें घुसे और अभी हम सरदार साहबके घरसे पचास कदम इधर ही थे कि हमें पचास साठ आदमियोंकी एक भीड़ मिली। ये लोग हमें रोकनेके लिए आये थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गोली चल रही है। एक लड़का सरदार माखनसिंहके बालाखानेके पास मरा पड़ा है और एक आदमी घायल हो गया है। इसपर कार पीछे-ही-पीछे कोतवाली ले जाई गई। वह घुमाई नहीं जा सकी क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं थी। कोतवाली वहाँसे करीब सौ कदम होगी।

प्रश्न क्या आप वहाँ गये थे, जहाँ गोली चली थी ?

उत्तर नहीं, वहाँ मैं नहीं गया। मेरा साथी और मैं कारसे उतर गये और अहमद खाँ वापस चले गये। जब मैं कोतवालीसे अपने घर जा रहा था, तब सब ओरसे गोळियाँ चल रही थीं और कुछ लोग शहरमें भी घुसने लगे थे। मैं इस भयानक स्थितिमें घर चला गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, किन्तु मैंने बादमें सुना कि बाजार जलाया जा रहा है और तीन मुसलमान मारे गये हैं, तीन घायल हो गये हैं।

प्रश्न क्या आपने उस वकत किसी हिन्दूके मारे जाने या घायल होनेकी बात भी सुनी थी ?

उत्तर मैंने हिन्दुओंके वारेमें भी पूछताछ की थी, किन्तु मुझे किसी हिन्दूके मारे जाने या घायल होनेकी खबर नहीं मिली। वह रात शान्तिसे बीती।

प्रश्न यह घटना कब हुई थी ?

उत्तर यह ९ सितम्बरको हुई थी।

प्रश्न जब आप मोटम्मे थे और आपको गोली चलनेकी खबर मिली थी तब क्या अहमद खाँ भी वहाँ गये थे ?

उत्तर अहमद खाँ गोली चलनेकी जगहपर नहीं गये थे। वे वापस चले गये थे।

प्रश्न आप बाजार कब गये थे ?

उत्तर जब मैं अहमद खाँके साथ बाजार गया था, तब करीब डेढ़ बजा था।

प्रश्न इनके अलावा आप किसी दूसरी घटनाका जिक्र भी कर रहे थे जो सरदार साहबके मामलेमें पूर्व घटी थी।

उत्तर वे मामूली बातें हैं। और यहाँपर जिक्र करने लायक नहीं हैं।

प्रश्न पीर साहबने कहा है कि हिन्दू लोग चार-पाँच सालसे मुसलमान बनाये गये हिन्दुओंके मामलेमें अदालती कार्रवाई कर रहे हैं। इससे मुसलमानोंको बहुत सदमा पहुँचा है। क्या आप भी उस बातमें सहमत हैं ?

उत्तर चूँकि पीर साहबका ताल्लुक अन्दरूनी भागके लोगोंसे है, इसलिए ही मकना है कि देहाती लोगोंका ऐसा खयाल हो। पीर साहबकी राय चाहे जो हो, लेकिन मेरे खयालमें ऐसी बात नहीं हो सकती।

प्रश्न पीर साहबने कहा है कि चार साल पहले हिन्दू, मुसलमान बनाये जाने-वाले हिन्दुओंकी कोई परवाह नहीं करते थे। किन्तु वे अब चार सालसे अदालतोंका सहारा लेने लगे हैं, इस मामलेमें आपका क्या खयाल है ?

उत्तर इस वारेमें उनकी रायसे मेरी राय अलग है। ऐसा सिर्फ मुसलमान बनाई गई औरतोंके वारेमें हुआ है, मर्दोंके वारेमें नहीं। जब कोई हिन्दू मुसलमान बनता है और हिन्दू उसे वापस लेनेकी कोशिश करते हैं, तब मामला-ही दूसरा हो जाता है। सभीको मजहबी आजादी है। चूँकि सगृहमें मुसलमानोंकी सख्या ज्यादा है, इसलिए सरकार मुसलमानोंकी भावनाओंका खास खयाल रखती है। उदाहरणके लिए

अन्य जिलोंमें मुसलमानोंके लिए जो मांस वर्जित है वह बाजारमें बिकता है या लोग उसे लेकर खुलेआम बाजारमें आते-जाते हैं, लेकिन कोहाटमें अबतक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके विपरीत जो मांस हिन्दुओंके लिए वर्जित है वह सरहदमें और खासकर कोहाटमें खुले आम बिकता है और काममें लाया जाता है।

प्रश्न आपने पुस्तिकाकी बात कब सुनी थी ?

उत्तर : मुझे इसकी बात २९ अगस्त शुक्रवारको मस्जिदमें मालूम हुई थी।

प्रश्न आपको वह किसने बताया था ?

उत्तर : यह पुस्तिका मुझे गुलाम अयूब नामके स्वयंसेवकने मस्जिदमें दी थी। वहाँ वह एक बड़ी भीड़को साथ ले कर आया था। भीड़में उसके साथ ऐसे लोग भी थे जिनके कपड़े मस्जिदमें आनेके लिए उपयुक्त नहीं थे। ये लोग इसीलिए मस्जिदके बाहर ही ठहर गये थे।

प्रश्न . स्वयंसेवकने क्या किया ?

उत्तर : उसने मुझे बताया कि इस पुस्तिकाके कारण बाजारमें बहुत हंगामा है और ये लोग आम मुसलमान जनतासे इस बारेमें सलाह लेना चाहते हैं और ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, जिससे लोग शान्त किये जा सकें।

प्रश्न आपने फिर क्या किया ?

उत्तर : मैंने उस पुस्तिकाको हाथमें ले लिया। लोग सब ओरसे मुझसे कह रहे थे कि मैं उस कविताको, जिसे वे पहले भी सुन चुके थे, पश्तोमें पढ़ कर सुना दूँ, क्योंकि वे यह मालूम करना चाहते थे कि आखिर उसमें क्या बात कही गई है। मैंने मजमेके सामने उसका उल्था पश्तोमें किया। साथ ही उनके जोश और इरादेको देखते हुए, जिसका मुझे अन्दाज ही रहा था, मैंने उन्हें किसी तरहका फसाद करनेसे रोका और मलावार, मुल्तान, सहारनपुर और अन्य जगहोंमें हुए दंगोंका जो बुरा नतीजा निकला है उसकी याद दिलाई। मैंने उन्हें यह सलाह दी कि अगर वे अपने-को बसमें नहीं रख सकते तो वे इस मामलेमें भी उसी तरह सरकारके पास जायें, जिस तरह वे दूसरे मामलोंमें जाते हैं।

प्रश्न आपका कहना है कि लोग पहले सुनी बातको फिर सुनना चाहते थे। जब वे उसे पहले ही सुन चुके थे तब वे उसे फिर क्यों सुनना चाहते थे ?

उत्तर : मस्जिदमें भीड़ने ऐसा इसलिए कहा था कि उसमें से कुछ लोग तो इसकी बात जानते थे और कुछ नहीं जानते थे।

प्रश्न लेकिन क्या भीड़ने इसकी बात पहले पहल मस्जिदमें ही सुनी थी ?

उत्तर : हाँ।

प्रश्न इसके बाद क्या हुआ ?

उत्तर : इसके बाद वे लोग आपसमें कानाफूसी करते खिलाफत कमेटीके विरुद्ध षड्यन्त्र और साथ ही यह शिकायत करते देखे गये कि खिलाफती लोग धार्मिक मामलोंमें भी पिछड़ रहे हैं। उन्होंने हमसे चन्देमें हजारों रुपये लिये हैं, लेकिन जब

इस्लामकी सेवाका अवसर आया है तब सकोच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार पहले भी पीर कमाल साहब और मने सरदार माखनसिंहसे रिश्त लेकर मुसलमानोकी इज्जत में बढ़ा लगाया है।

प्रश्न इसके बाद पुस्तिकाके बारेमें क्या हुआ ?

उत्तर इसके बाद २ सितम्बरको मुझे इशाकी नमाजके बाद, अर्थात् ९-३० बजे रातको सनातन धर्म सभाका एक पत्र मिला उसमें सभाके हिन्दुओने पुस्तिकाको छापनेपर हिन्दू समाजकी ओरसे माफी मांगी थी। ३ सितम्बरको मैं वह पत्र पर-चगन मुहल्लेमें ले गया जहाँ मैं मातमपुरसीके लिए गया था और जहाँ विभिन्न जातियोके लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने उस पत्रको उनके सामने पढकर कहा कि सनातन धर्म सभाने इन लपजोमें माफी मांगी है। जब मैंने उनके सामने पत्र पढा तब उन्होने इससे सन्तुष्ट होनेके वजाय, यह महसूस किया कि पत्रका लहजा और लिखनेका तरीका ' उनमेंसे एकने पत्रपर इस तरहकी टिप्पणी की कि जब महायुद्धमें सिपाही मारे गये तब बादशाहने शोक प्रकट किया था। यह पत्र इसी प्रकारका है। इसमें न तो माफीका कोई लपज है और न इस तरहका कोई मजमून। इसके बाद सारा मजमा पुलिस सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नरके पास गया, ताकि अपराधीके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। उस समय डिप्टी कमिश्नर उस्मानामें थे। असिस्टेंट कमिश्नरने हमें अदालतमें चलनेको कहा और खुद भी अदालत गया। पुलिसके सिपाही जीवनदासको लानेके लिए भेजे गये और वह हमारे सामने कमरेमें लाया गया। इसके बाद पुस्तिकाएँ भी मँगो ली गईं और वहीं असिस्टेंट कमिश्नरके सामने जला दी गईं। जीवनदास हवालातमें बन्द कर दिया गया।

प्रश्न आपने कहा कि आप मातमपुरसीके लिए गये थे और वहाँ आपने पत्र पढकर सुनाया और उसे लोगोने पसन्द नहीं किया। क्या हिन्दुओने भी कुछ किया था ?

उत्तर मुझे मालूम हुआ था कि कुछ लोगोने मेरी जानकारीके बिना हिन्दुओके साथ मिलकर यह तय किया है कि इस जगहके रिवाजके मुताबिक सनातन धर्म सभाके सदस्योको इसी निमित्त जिरगोके रूपमें बुलाई गई सभामें आना चाहिए ताकि उलेमाओकी सलाहसे मामलेका फैसला किया जा सके।

प्रश्न लोगोने कहा कि पत्र सन्तोपजनक नहीं है। क्या आप इस बारेमें उनसे सहमत हो गये थे ?

उत्तर उस समय उनके रखको देखकर मैंने यही ठीक समझा कि मैं अपनी कोई राय न दूँ। इसलिए मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

प्रश्न लेकिन आपकी राय क्या थी ?

उत्तर मेरी राय भी वैसी ही थी। पत्रमें माफीकी कोई गन्ध नहीं थी।

प्रश्न . जब जीवनदास गिरफ्तार किया गया और पुस्तिकाएँ जलाई गईं तब उनकी सख्या कितनी थी ?

उत्तर : यह मैं नहीं कह सकता। वे शायद ५०० से ज्यादा होंगी।

प्रश्न क्या आपको यह बात बताई गई थी कि आपत्तिजनक कविता इसमें से निकाल दी गई है ?

उत्तर : इस तरहकी कुछ बात कही तो गई थी।

प्रश्न जो प्रतियाँ अदालतमें भेजी गई थी उनमें वह पृष्ठ नहीं था ?

उत्तर : कुछ पन्ने अलग दिखाये गये थे।

प्रश्न क्या उस पुस्तकके ऊपर कृष्णजीकी तस्वीर थी ?

उत्तर : हाँ साहब।

प्रश्न क्या किसी हिन्दूने इसपर आपत्ति की थी ?

उत्तर : नहीं।

प्रश्न क्या किसीने ऐसा कहा था ?

उत्तर : सबसे पहले तो मैं ही उस पत्रको बाहर निकालनेकी कोशिश करता क्योंकि उसपर कोई कविता नहीं थी।

प्रश्न . आप पेशावरके शिष्टमण्डलके वारेमें क्या कहते हैं ?

उत्तर : पेशावरका एक शिष्टमण्डल मुझे ४ सितम्बरको मिला था। उसके बाद खुशकिस्मतीसे सैयद सिकन्दरशाह वहाँ आ गये। हम पीर कमाल साहबके पास जा रहे थे। वे हमें रास्तेमें ही मिल गये और हम एक स्थानपर गये जो मेरे घरके पास ही था। वहाँ हमने इस मामलेपर बातचीत की। पेशावरके शिष्टमण्डल तथा इन दोनों सज्जनोंने यथासम्भव मामलेको रफादफा करनेकी कोशिश की। लेकिन लोगोमें बड़ी उत्तेजना थी, इसलिए इस मामलेमें जो हलकी शर्तें रखता या नरम रख अपनाता, लोग उसी पर शक करते थे।

प्रश्न क्या आपकी बातचीत लोगोके सामने हुई थी ?

उत्तर : उस समय लोग वहाँ आ गये थे और उन्होंने मुझे इतना तंग किया था कि मुझे शिष्टमण्डलसे खानगी बातचीतका मौका ही नहीं मिला। अगर मैं उनकी रायके खिलाफ कुछ करता तो वसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती जैसी लोगोने दूसरे राष्ट्रीय नेताओंके विरुद्ध उत्पन्न कर दी थी। मुझे मजबूरन उनका साथ देना पडा; क्योंकि अगर मैं भी उनसे अलग हो जाता तो स्थिति गम्भीर होनेका बहुत भय था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ रहा इस कारण मुसलमानोने मेरी सलाह सुनी और उपद्रवोंमें पहल नहीं की।

प्रश्न क्या उस मजमेमें उस समय हिन्दू भी थे ?

उत्तर : नहीं, हिन्दू कोई नहीं था। यह अलग बात है कि वहाँ कोई सिख खड़ा रहा हो क्योंकि जलूस आदिके समय सिख मुसलमानोका साथ देते थे, इसलिए सिखोके वारेमें उनका खयाल अच्छा था। वे बिना किसी रुकावटके मुसलमानोके किसी भी जलसेमें शामिल हो सकते थे।

प्रश्न लोग क्या चाहते थे और पेशावर शिष्टमण्डलने क्या किया था ?

उत्तर लोग यह चाहते थे कि सरकार अपराधीको ऐसी सजा दे कि भविष्यमें कोई भी हिन्दू इस प्रकारकी पुस्तिका छापनेका साहस न करे। किन्तु शिष्टमण्डल चाहता था कि हम इस मामलेको आपसमें ही तय कर ले, क्योंकि हम असहयोगी होनेसे इसे सरकारके पास ले जाना पसन्द नहीं करते थे। शिष्टमण्डलसे जो शर्तें तय हुई थीं वे ये हैं (१) मामलेका फैसला या तो इस्लामी शर्त (धार्मिक कानून)के मुताबिक तय किया जाये या देशकी प्रथाके अनुसार किया जाये। सनातन धर्मके सदस्य एक जिरगेमें मुसलमानोके पास आयें। शिष्टमण्डलने, जिसमें सैयद पीर कमाल भी शामिल थे, हिन्दुओसे बातचीत की लेकिन वादको जब ये सज्जन मुझसे मिले तब उन्होंने बताया कि हिन्दुओके रखके कारण उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ है।

प्रश्न क्या उस समय पण्डित अमीरचन्द^१ भी वहाँ थे ?

उत्तर हाँ, साहब, वे भी वहाँ थे। जब शिष्टमण्डल जनताके सामने इस मामलेके वारेमें मुझसे बातचीत कर रहा था तब लोग उनका बहुत तिरस्कार कर रहे थे और खिलाफतियोको भी गालियाँ दे रहे थे। उनके वारेमें वह अफवाह फैलाई गई थी कि उन्हें कोहाटके हिन्दुओने घूसके तौरपर दस हजार रुपये दिये हैं; इसलिए वे लोग हमारी धार्मिक भावनाओकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और हमें ऐसे महत्वपूर्ण मामलेमें भी चुप रहनेकी सलाह दे रहे हैं।

प्रश्न पीर साहबका कहना है कि जिरगेका मामला उनके सामने नहीं लाया गया।

(उनको मौलवी अहमद गुलका पिछला वक्तव्य पढ़कर सुनाया गया और सैयद पीर कमाल और दूसरे लोगोंने भी यह बात समझाई।)

प्रश्न जब शिष्टमण्डल, सैयद साहब और पीर साहबने आपसमे बातचीत की तब उन्होंने हिन्दुओके सामने रखनेके लिए क्या शर्तें तय की थी ?

उत्तर हमने हिन्दुओसे बात करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा करनेसे मुसलमान चिढ़ते थे। मैंने शिष्टमण्डलसे अनुरोध किया था कि वह लोगोको, जो उस समय धर्मके गहरे रगमें डूबे हुए थे, उनकी बात मानकर शान्त करे।

प्रश्न आप सवने इस मामलेके वारेमे क्या सोचा था ?

उत्तर हम उस घरमें लगभग डेढ़ घण्टेतक रहे। यह ५ सितम्बरकी बात है, ४ सितम्बरकी नहीं। मैं ४ सितम्बरको सिर्फ पेशावर शिष्टमण्डलसे मिला था जिसके सदस्य मेरे मेहमान थे।

प्रश्न जब आप लोग ५ सितम्बरको इकट्ठा हुए तब आपने हिन्दुओको सलाह देनेके वारेमे क्या फैसला किया था ?

उत्तर मैंने फैसला किया था कि मामला सरकारको सौंप दिया जाये, किन्तु शिष्टमण्डल यह नहीं चाहता था। जब शिष्टमण्डल और इन दो सज्जनोंने आपसमें बातचीत की तब कुछ भी निर्णय नहीं हुआ।

१ मूलमें यहाँ जगह खाली है।

२ पेशावरके खिलाफत शिष्टमण्डलके एक सदस्य।

प्रश्न लोग क्या चाहते थे ?

उत्तर : लोग चाहते थे कि मामला सरकारको सौंप दिया जाये। शरहके मामलेपर भी लोगोसे बातचीत हुई। अगर हिन्दू इसे मंजूर कर लेते तो उन्हे बड़ी खुशी होती।

प्रश्न अगर लोग दोनो विकल्पोके लिए तैयार थे तो फिर उनकी बात मानकर उन्हे शान्त करानेकी क्या जरूरत थी ?

उत्तर : उन्हे शान्त करानेकी जरूरत इसलिए पड़ी कि वे खुद ही बदला लेना चाहते थे। मैंने उन्हे समझाया कि वे कानूनको तोड़कर मनमानी न करें।

प्रश्न . . वहाँ लोगोको कौन लाया था ?

उत्तर : वहाँ लोग खुद ही आ गये थे और उनको शिष्टमण्डलपर शक था। जब जिरगेके मामलेपर विचार किया गया तब पीर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे।

प्रश्न क्या हिन्दुओको शरह और जिरगेकी बात बताई गई थी ?

उत्तर : मैं वहाँ मौजूद नहीं था। सिर्फ शिष्टमण्डलने हिन्दुओसे बातचीत की थी और वह यह उत्तर ले कर वापस आया था कि हिन्दू दोनोमें से किसी भी शर्तको माननेके लिए तैयार नहीं हैं। शिष्टमण्डलने यह एक तीसरी शर्त भी सुझाई थी कि यह मामला खिलाफत कमेटीको सौंप दिया जाये। इसपर मैंने कहा कि खिलाफत कमेटी इस मामलेका फैसला नहीं कर सकती क्योंकि अब यह आम जनताके हाथमें चला गया है।

प्रश्न . ५ सितम्बरके बाद क्या हुआ था ?

उत्तर : शिष्टमण्डल ६ सितम्बरको पेशावर वापस चला गया था। हम सब इस खयालमें थे कि जीवनदास हवालातमें है और उसपर मुकदमा चलाया जायेगा।

प्रश्न क्या ६ और ७ सितम्बरको कोहाटमें किसी तरहकी उत्तेजना थी ?

उत्तर : उन दोनों दिनोके दौरान कोहाटमें इस तरहकी कोई बात नहीं थी। सामान्य कामकाज साधारण रूपसे चल रहा था।

प्रश्न जीवनदास ८ सितम्बरको किस वक्त रिहा किया गया था ?

उत्तर : उस दिन मैं चुरकोटा चला गया था और वहाँ नहीं था। मैं वहाँ ४ बजे शामको गया था। उस वक्त मियाँ फजलशाह और मियाँ रहमतुल्ला मेरे यहाँ थे। मैं चुरकोटासे मगरिबकी नमाज पढकर लौटा था। कोहाट आते समय मुझे कुछ गाँवके लोग मिले जो अपनी जरूरी चीजें ले कर आ रहे थे। उन्होने मुझसे कहा "आप यहाँ हैं। जीवनदास रिहा कर दिया गया है, इसलिए शहरमें बड़ी उत्तेजना फैली हुई है। लोग हजरत हाजी बहादुरकी मस्जिदमें इकट्ठा हो रहे हैं।" इसपर मैं मस्जिदमें गया। उस समय रातके ८-४५ बजे थे। मैंने देखा कि मस्जिदके बाहर और भीतर लोगोका एक मजमा है और वह डिप्टी कमिश्नर द्वारा जीवनदासकी ११ सितम्बरकी निश्चित तारीखसे पहले रिहा करनेकी कार्रवाईपर एतराज जाहिर कर रहा है। मैं मस्जिदके भीतर गया और मैंने लोगोसे पूछा, "आप क्या चाहते हैं।"

उन्होंने उत्तर दिया, "सरकार हमारी धार्मिक भावनाका खयाल नहीं करती। हम उन लोगोको भी खिलाफन करते हैं जिन्होंने जीवनदासको रिहा करनेकी सलाह दी है।" यह आरोप मेरे कुछ दोस्तोके खिलाफ भी लगाया गया था। मैंने इसका प्रतिवाद किया और मजमेको सलाह दी कि हम ९ सितम्बरको डिप्टी कमिश्नरके पास जायें और उनसे पूछें कि उन्होंने जीवनदासको समयसे पहले रिहा करनेमें क्या फायदा समझा। इसके बाद मैंने लोगोको अपने-अपने घर जानेके लिए कहा और वे चले गये। जब वे गये तब साढे दस या ग्यारह बजे थे। हमने कुछ समय नमाज पढनेमें भी लगाया।

प्रश्न क्या मजमेमें बहुत अधिक उत्तेजना थी ?

उत्तर हाँ।

प्रश्न आपने कहा है कि लोग इतने गुम्मेमें थे कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और इसके बाद आपने फिर कहा है कि आपने उनके साथ जिरह की और उन्हें नमाजा दिया कि उनके साथ न्याय किया जायेगा। आपने यह भी कहा कि "जगर हम नाकामयाब रहे तो आप जो चाहे कर सकते है।"

उत्तर हाँ। एक चार हिन्दुओने मुसलमानोका वहिष्कार किया था और उनसे साग और मास खरीदना बन्द कर दिया था। इसपर मैंने हिन्दुओकी दुकानोपर धरनेदार बंधा दिये थे और दो दिनतक धरना दिलाया था, जिसका नतीजा यह निकला था कि हिन्दू हलवाइयोको मिठाइयाँ बिना बिकी रह गई थीं। यह बात दो साल पहलेकी है। तब मैंने वस्तुतः हिन्दुओका वहिष्कार किया था। अगर हिन्दू अपना यह रस न बदलते तो मैं मुसलमानोसे यही तरीका अपनानेकी सिफारिश करता।

प्रश्न क्या मुसलमानोने जलमेमे वहिष्कार करनेकी शपथ ली थी ?

उत्तर यह सरासर गलत है।

प्रश्न क्या वहाँ आग लगाने और लूटमार करनेके वारेमे बात नहीं चली थी ?

उत्तर बिल्कुल नहीं।

प्रश्न ९ सितम्बरको क्या हुआ था ?

उत्तर मैं टाउन हालके पासके मैदानमें लोगोके साथ डिप्टी कमिश्नरके पास गया था।

प्रश्न आपके साथ जानेवाले लोगोकी संख्या क्या थी ?

उत्तर. करीब २,०००।

प्रश्न क्या भीडमे गाँवोके लोग भी थे ?

उत्तर नगरपालिकाकी हद्दके अन्दरके गाँवके लोग थे।

प्रश्न क्या दूरकी जगहोके लोग नहीं थे ?

उत्तर. उसमें बहुत दूरकी जगहके लोग नहीं थे।

प्रश्न आपने फिर क्या किया ?

उत्तर : हम खुले मैदानमें इकट्ठे हो गये और डिप्टी कमिश्नर टाउन हालमें चला गया। अधिकारी और दूसरे लोग भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे अन्दर बुलाया; लेकिन भीड़के लोगोंने कहा कि वे खुले मैदानमें बातचीत सुनना चाहते हैं।

प्रश्न क्या आप शिष्टमण्डलके नेता थे ?

उत्तर : हाँ, मैं नेता था। और उनकी मर्जीके मुताबिक मैंने भी कहा कि हमें खुलेमें ही बातचीत करनी चाहिए। आखिर डिप्टी कमिश्नर दूसरे अधिकारियोंके साथ बाहर आया और उसने लोगोंको सम्बोधित करके पूछा, 'मुझसे कौन बातचीत करेगा?' सबने मिलकर मेरा नाम पेश किया। मैंने डिप्टी कमिश्नरसे बातचीत की और पूछा, "आपने जीवनदासको समयसे पहले क्यों रिहा कर दिया। इससे लोग उत्तेजित हो गये हैं, इसलिए आप उनसे बातचीत करके उनकी उत्तेजनाको दूर करें।" उन्होंने जवाब दिया कि मैंने उसे इस खयालसे जमानतपर रिहा कर दिया है कि निश्चित तारीखको बहुत ज्यादा लोग आयेंगे और अपराधी शायद संकटमें पड़ जाये। मैंने कहा, "आपको जो करना था वह आपने किया, लेकिन अब लोगोंकी माँग है कि पुस्तिकाके प्रकाशक-अपराधीको जेल भेजा जाये और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी मौजूदगीमें हमें सन्तुष्ट करनेके लिए कोई कार्रवाई शुरू की जाये।" डिप्टी कमिश्नरने इसे संजूर कर लिया और असिस्टेंट कमिश्नरसे कहा कि वह जीवनदासके मामलेको अपने हाथमे ले और कार्रवाई शुरू कर दे। इसके बाद, जैसा मैंने पहले बताया, सारी भीड़ अदालतके भीतर पहुँच गई।

प्रश्न . क्या डिप्टी कमिश्नरका हुक्म भीड़को बता दिया गया था ?

उत्तर : मेरी बातचीतके उत्तरमें डिप्टी कमिश्नरका जो भी जवाब होता था मैं उसी वक्त उसे भीड़को बता देता था। अन्तमें मैंने भीड़से कहा, "डिप्टी कमिश्नरने आपकी माँग संजूर कर ली है। इसके बाद कुछ लोग तो तितर-बितर हो गये, और जो बाहरसे आये थे वे अपने घरोंको चले गये। बाहरसे मेरा मतलब नगरपालिकाके क्षेत्रमें बसे गाँवोंसे है। कुछ लोग अदालत चले गये।

प्रश्न क्या इन लोगोंके हाथोंमे लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ भी थी ?

उत्तर : कुछ लोगोंके पास छड़ियाँ थीं और कुछके पास बाँसकी लाठियाँ। एक या दोके पास उस जगहके रिवाजके मुताबिक कुल्हाड़ियाँ भी थीं। सरहदी इलाकेमें लोग शौकिया कुल्हाड़ियाँ लिये रहते हैं।

प्रश्न क्या किसीके पास बन्दूक नहीं थी ?

उत्तर : बन्दूक किसीके पास नहीं थी। अगर बन्दूक होती तो डिप्टी कमिश्नर भीड़में न आता।

प्रश्न . यह कार्रवाई कब समाप्त हुई थी ?

उत्तर : यह १२ बजे दोपहरको समाप्त हुई।

प्रश्न आप डेढ वजे मोटरमे गये थे ?

उत्तर हाँ।

प्रश्न क्या सरदार माखनसिंहका वाग शहरसे बाहर है ?

उत्तर वह अदालतके नजदीक है।

प्रश्न क्या वह उस दिन जला दिया गया था ?

उत्तर मुझे पीछे मालूम हुआ था कि पहले दिन वच्चोने बागके फल तोड़े थे और फलदार दरख्तोको ज्यादातर खराब कर डाला था। उन्होंने उसके छोटे पौधे भी उखाड़ फेंके थे। इसके बाद दूसरे या तीसरे दिन मैंने यह भी सुना कि उनका बागमें बना घर जला दिया गया है।

प्रश्न हिन्दू लोग कहते हैं कि यह घर ९ तारीखको जलाया गया था।

उत्तर मेरी जानकारीके मुताबिक यह ९ तारीखको नहीं जलाया गया इसका मुझे पूरा विश्वास है।

प्रश्न क्या कोहाटमे लूटमार और आगजनी ९ तारीखको शुरू हुई थी ?

उत्तर बाजारमें शुरू हुई थी। जब मैं वहाँसे रवाना हुआ था तब तो सबकुछ ठीक था। हिन्दुओं और मुसलमानोंके घर जलाये और लूटे गये थे।

प्रश्न क्या आप ९ तारीखको अपने घरके अन्दर रहे ?

उत्तर मैं बाहर नहीं निकला। लोग मेरे पास आ रहे थे और मुझे खबर दे रहे थे।

प्रश्न ९ तारीखको किस वक्ततक लूटमार और आगजनी जारी रही ?

उत्तर मेरा खयाल है कि ९ तारीखको बाजार दो घंटेके अन्दर जला दिया गया। राततक लपटें उठ रही थीं। दूसरे दिन भी धुआँ निकल रहा था। उसी वक्त मैंने सुना कि लूटमार हो रही है।

प्रश्न आगजनी कब शुरू हुई ?

उत्तर : मुझे बताया गया था कि ढाई वजे आगकी लपटें देखी गई थीं ।

प्रश्न आपने कहा कि आपने गोली चलनेकी खबर ९ तारीखको अदालतमे सुनी थी और उसे सुनकर आप मोटरमे आये थे। गोलियाँ कहाँसे आती हैं, यह आपने खुद देखा था या किसीसे सुना था ?

उत्तर यह मैंने नहीं देखा था। मरे वच्चे भी मैंने नहीं देखे थे। सरदार साहबके मकानकी ऊपरी मजिलसे गोली चली है और इसके फलस्वरूप एक लडका मर गया है, एक आदमी घायल हुआ है, यह बात मुझे तभी बताई गई थी।

प्रश्न क्या आपने इसके वारेमे कोई पूछताछ की थी ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न क्या आप अब भी विश्वास करते हैं कि सरदार साहबने गोली चलाई थी ?

उत्तर : लोगोंने मुझसे ऐसा कहा था कि सरदार साहबने गोली चलाई है। कुछ लोग कहते थे कि एक आदमी तहसीलके पास मारा गया है। कुछ दूसरे लोगोंका कहना था कि सबसे पहले मरनेवाला यही आदमी था।

प्रश्न क्या वह सरदार साहबके गोलीसे मरा था ?

उत्तर : मैंने यह बात सुनी थी।

प्रश्न . यह इतनी बड़ी बात थी और आपने फिर भी पूछताछ नहीं की ?

उत्तर : मैंने किसी भी बातके बारेमें पूछताछ नहीं की। मैं कुछ भी सोच नहीं सका। उस वक़्त मेरे दिमागकी हालत ऐसी थी कि मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता था।

प्रश्न : आपके और सरदार साहबके सम्बन्ध कैसे हैं ?

उत्तर : मेरे हिन्दुओंके साथ और सरदार साहबके साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं।

प्रश्न क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं था कि आप सरदार साहबसे पूछताछ करते ?

उत्तर : हालत ऐसी थी कि मैं उनके पास नहीं पहुँच सका। मैं न तो अपनी राय ही कायम कर सका और न पूछताछ ही कर सका।

प्रश्न . जब हिन्दुओसे आपके सम्बन्ध अच्छे थे तब क्या आपने यह बात सोची है कि मैंने जिन हिन्दुओसे भेट की है, वे सभी इन सारे फसादोकी जड आपको ही क्यों समझते हैं ?

उत्तर : मैं खुद इस रहस्यको नहीं समझ सका हूँ कि उन्होंने मेरे बारेमें ऐसी राय कैसे बनाई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं गया था और जिनकी मैंने रक्षाका प्रबन्ध किया था और अमन कायम करनेकी कोशिश की थी। तब भी मैं इसका कारण नहीं समझ सका था और अब भी नहीं समझ सकता हूँ कि यह दोष मुझपर क्यों मढ़ा जा रहा है।

प्रश्न क्या आपने उनकी औरतोंका बचाव किया था ?

उत्तर : बहुत-सी हिन्दू औरतें एक अहातेमें आ गई थीं। उनमें एक भिखारिन भी थी। मैंने उनके लिए परदेका बन्दोबस्त किया था। मर्द हुजरा पहुँचा दिये गये थे और औरतें कुछ मर्दोंके साथ एक बड़े मकानमें भेज दी गई थीं। यह सब-कुछ १० सितम्बरको ३ बजे हुआ था। मेरे मुहल्लेके मुसलमानोंने उन हिन्दुओसे प्रमाणपत्र ले लिये हैं जिनकी उन्होंने रक्षा की थी। मैंने तो यह भी नहीं किया।

प्रश्न क्या आप उन हिन्दुओको जिनकी आपने मदद की थी, पहचान सकते हैं ?

उत्तर : मैंने बहुतसे लोगोकी, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, मदद की थी, मैं लाला रामजीमलको पहचानता हूँ। एक लड़काराम है और थानके पीर साहब भी हैं।

प्रश्न (लाला गमजीमलने) क्या आप वहाँ थे ?

उन्होंने उत्तर दिया कि वो० अहमद सां मेरे पिताके दोस्त थे। और भी मुसलमान थे जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने मौलवी अहमद गुलसे प्रार्थना की थी कि क्या वे कोई बन्दोवस्त कर सकते हैं। वे चुप हो गये। लेकिन दूसरे मुसलमानोंने उनसे कहा, "मौलवी, जो हो गया सो हो गया, अब मामला यहाँ खतम करो।" दूसरे मुसलमानोंने हमने पूछा कि हम क्या चाहते हैं। वे हमारे बच्चोंको निकाल लाये और हम वो० अहमदके घरमें रहे। लौटनेपर मैंने मौलवी अहमद गुलसे कहा था, "मुसलमान हमारे घरोंको लूट रहे हैं, क्योंकि वे अब सूने हैं।" इसपर उन्होंने यह जवाब दिया था, "तुम डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नरके पास जाओ, वे बन्दोवस्त कर देंगे।"

प्रश्न आप कहते हैं कि दूसरे मुसलमान भाइयोंने १० तारीखको शरण दी थी ?

उत्तर हाँ, जंगलखेल, गडी मुवाजलाँ, मुहल्ला मियाँ बादशी मियाँ खेलान तथा मुहल्ला पीर सायत-उल्-अममें दो गई और ७० गुलाम सादिकाने भी शरण दी थी।

प्रश्न (यह सरदार गुरदित्तसिंहने पूछा था।) जब मौलाना साहब १० तारीखको फोतवालीमें आये थे तब मैंने उनसे कहा था कि बडी बरवादी हुई है। इसपर उन्होंने जवाब दिया था कि यह हालत विष्णुके मन्दिरकी हुई है। क्या वह ठीक है ?

उत्तर हाँ, यह ठीक है।

प्रश्न क्या १० तारीखको सभी हिन्दू छावनी चले गये थे ?

उत्तर. कुछ चले गये थे, क्योंकि मैं खुद तीन-चार जत्थोंके साथ गया था। सभी स्थानोंमें सुरक्षाके लिए स्वयंसेवक भेजे गये थे। हो सकता है कि एक-दो हिन्दुओंको नुकसान पहुँचा हो। मैं नहीं कह सकता। हिन्दुओंको उनके घरोंसे निकलवा कर थानेमें पहुँचा दिया गया था और सरकारको सूँप दिया गया था।

प्रश्न सरकारको सूँप देनेमें आपका मतलब क्या है ?

उत्तर. अधिकारियोंने हुकम दिया था कि जो हिन्दू यहाँ रह गये हैं और सुरक्षित हैं, वे थानेमें इकट्ठे कर लिये जायें। डिप्टी कमिश्नरने मुझसे और पुलिससे भी यह बात कही थी। मैंने कहा था कि कुछ हिन्दू मेरे घरमें हैं।

प्रश्न क्या डिप्टी कमिश्नरने यह बन्दोवस्त आपको सूँपा था ?

उत्तर उन्होंने मुझे ऐसा कोई खास बन्दोवस्त नहीं सूँपा था, जिसे अधिकारी कर सकते थे। सिर्फ मैं उन्हें आदमी देता था कि जो लोग बाहरसे शहरमें घुसे वे पहचाने जा सकें या कोई आदमी बाहर जाये तो यह जाना जा सके कि वह कोई सन्दिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। सीमापर स्वयंसेवकोंके साथ पुलिस और सीमाकी पुलिस भी थी।

प्रश्न क्या आप डिप्टी कमिश्नर या सरकारके साथ काम कर रहे थे ?

उत्तर : मैंने उनसे उतना ही सहयोग किया था जितना यदि न किया जाता तो लोग ज्यादा मुसीबतमें पड़ते ।

प्रश्न क्या आप कार्यकारिणी समितिके सदस्य है ?

उत्तर : हाँ ।

प्रश्न क्या खिलाफती लोग कार्यकारिणी समितिमें है ?

उत्तर : उसमें चार-पाँच खिलाफती कार्यकर्त्ता हैं ।

प्रश्न कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष कौन है ?

उत्तर : टीरीके रईस नवाबजादा वाग मुहम्मद खॉ ।

प्रश्न यहाँ आपके साथ मौजूद लोगोमें कोई कार्यकारिणी समितिके सदस्य है ?

उत्तर . कार्यकारिणी समितिके दो हिस्से हैं । एक दल शहरके कोहाट तहसीलके 'खान लोगोंका है । उसे शहरके लोगोंका दूसरा दल मंजूर नहीं करता । मेरा एक साथी कार्यकारिणी समितिका सदस्य है । मेरा ताल्लुक शहरके लोगोंसे है ।

प्रश्न . कार्यकारिणी समितिका सरकारसे क्या ताल्लुक है ?

उत्तर : उसका सरकारसे कोई खास ताल्लुक नहीं है । सिर्फ मुसीबतमें पड़े मुसलमानोंको राहत दिलानेके लिए और मुकदमे चलानेका बन्दोबस्त करनेके लिए इसकी स्थापना की गई है । दर हकीकत इसकी स्थापना इसलिए की गई है कि यह हिन्दुओंसे मेल-मिलाप करे, लेकिन अगर मेल-मिलाप न हो सके, तो मुसलमानोंको उनके मामलोंमें मदद करे ।

प्रश्न क्या जो समझौता अब हुआ है वह कार्यकारिणी समितिने किया है ?

उत्तर : इसके सदस्य कई बार पेशावर गये थे ; लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ । जब हिन्दू कोहाट आये तब खुलकर बातचीत हुई, समझौतेकी शर्तें तैयार की गईं और दोनों दलोंने उनपर दस्तखत किये । बाहरके लोगोंने अर्थात् जिन्होंने कार्यकारिणी समिति छोड़ दी थी, उन्होंने भी दस्तखत किये हैं ।

प्रश्न जब पेशावरमें बातचीत चल रही थी तब क्या आप भी वहाँ थे ?

उत्तर : मैं कार्यकारिणी समितिके साथ पेशावर हमेशा जाता था ।

प्रश्न पेशावरमें शिष्टमण्डलके कितने सदस्य मौजूद रहते थे ?

उत्तर : कभी ६ और कभी-कभी तो १२ या १५ भी मौजूद रहते थे ।

प्रश्न क्या आप वहाँ प्रवक्ता थे ?

उत्तर : जैसा भी मौका होता, प्रवक्ताका काम या तो नवाब साहब करते थे या पीर साहब, और कभी-कभी मैं भी बात करता था । चूँकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता इसलिए मैं उसमें ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकता था ।

प्रश्न कार्यकारिणी समितिका मन्त्री कौन है ?

उत्तर : अब शेख अब्दुल रहमान मन्त्री हैं ।

प्रश्न क्या आप इस नये समझीतेको जबरदस्ती लादा गया समझीता समझते हैं, जिसको माननेके अलावा हिन्दुओंके लिए कोई दूसरा रास्ता न था ?

उत्तर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वह इस तरहका है। अधिकारियोने इसके बारेमें कहा है कि यह हिन्दू और मुसलमान दोनोंके लिए लाभदायक है।

प्रश्न क्या आप उने बिना दवावके किया गया समझीता समझते हैं ?

उत्तर अगर इसमें किसी सरकारी आदमीका हाथ न होता तो मैं इसे दवावसे मुक्त समझता, लेकिन, यह समझीता उरके मारे किया गया है।

प्रश्न क्या समझीतेपर हस्ताक्षर करानेमे पहले मुसलमान भी जेलमें बन्द किये गये थे ?

उत्तर नहीं, लेकिन हिन्दू शिष्टमण्डलके सदस्य जेलमें बन्द किये गये थे और तब उनसे समझीतेपर दस्तखत कराये गये थे। मेरे विचारमें, हिन्दुओ और मुसलमानोंके समझीतेको कोई भी क्यों न करता शर्तें इससे अच्छी नहीं हो सकती थीं, क्योंकि ये शर्तें पूरी तरह वातचीत करनेके बाद तय की गई हैं। वातचीत हिन्दू और मुस्लिम शिष्टमण्डलके सदस्योंके बीच हुई और शर्तें एक मतसे मजूर की गईं।

प्रश्न आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इससे अच्छी शर्तें नहीं हो सकती थी ?

उत्तर क्योंकि हालात इस तरहके थे। जीवनदास छोड दिया गया था और हम अपनेको मजबूर महसूस कर रहे थे। क्योंकि उसने लोगोसे जिस तरीकेसे बर्ताव किया था उसके कारण हम उसके पक्षमें कुछ नहीं कह सकते थे। वह खुदाके सामने कसूरवार था। जब उसने शरीयतको नहीं माना तब वह अदालतको सौंप दिया गया, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। हमें उल्लेमाका भय था।

प्रश्न अगर सारे मुसलमान जीवनदासकी रिहाईकी मांग करते तो क्या सरकार फिर भी उसे हवालातमें रखती ?

उत्तर सरकारने कहा था कि वह उसपर मुकदमा चलायेगी। मैं नहीं कह सकता कि अगर मुसलमान सहमत हो जाते तो सरकार उसे रिहा करती या नहीं।

प्रश्न गुरुद्वारेके बारेमे इस तरहकी पाबन्दी क्यों लगाई गई ? क्या सिख मुसलमानोंसे इससे अच्छे बर्तावकी उम्मीद नहीं कर सकते ?

उत्तर वे इससे अच्छे बर्तावकी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास बहुतसी मस्जिदें हैं। पुराने दस्तावेजोके मुताबिक सिख वहाँ गुरुद्वारा नहीं बना सकते। बनाते तो वह खुद-ब-खुद गिर जाता। जैसे एक मस्जिद उसके पास बनाई गई थी। वह खुद-ब-खुद गिर गई। मैं उनकी तरफसे इस बातपर सहमत हो गया था कि सिखोको वही दरजा मिलना चाहिए जो उनको ९ तारीखसे पहले प्राप्त था। कच्ची दीवारकी शर्तें इसलिए लगाई गई थी कि लोग पहली शर्तको माननेके लिए तैयार नहीं थे।

प्रश्न . १० तारीखके बाद लूटमार और आगजनीका क्या हुआ ?

उत्तर : १० तारीखको गोली चल ही रही थी लेकिन लूटमार या आगजनीकी कोई घटना उसके बाद नहीं हुई।

प्रश्न हिन्दुओकी हानिका अनुपात या प्रतिशत क्या था, क्या आप इसके कोई अनुमानित आँकड़े दे सकते हैं ?

उत्तर : मैं नहीं दे सकता।

प्रश्न क्या हिन्दुओकी हानि अधिक हुई थी ?

उत्तर : अवश्य ही, हिन्दुओंकी हानि अधिक हुई थी।

प्रश्न लूटका माल गाँवोमे मिल सकता है या कोहाटमे ?

उत्तर : मैं इस बारेमें कुछ नहीं कह सकता। कुछ माल जैसे कपड़ा मिला था और वह अधिकारियोने तहसीलमें जमा कर दिया है। कह नहीं सकता कि लूटका माल कोहाटमें है। वह जरूर गाँवोमें पहुँच गया होगा।

प्रश्न क्या आप धर्म-परिवर्तनके बारेमे पीर साहवसे सहमत हैं ? क्या इस तरहकी कोई घटना ९ और १० तारीखको हुई थी ?

उत्तर : मैं उनसे सहमत हूँ। जैसा कि पीर साहवने कहा है कि ऐसी घटना उन्हीं दिनोंमें हुई थी।

प्रश्न क्या आपका भी यह खयाल है कि हर साल १०० से लेकर १५० तक हिन्दू मुसलमान बनाये जाते हैं ?

उत्तर : मैं संख्याके सम्बन्धमें उनसे सहमत नहीं हूँ। जहाँतक मैं जानता हूँ कि एक सालकी औसत संख्या ४० है। इसमें बाहरसे आये हुए लोग भी शामिल है।

प्रश्न . क्या औरतको मुसलमान बनानेके बारेमे आपका खयाल भी वैसा ही है, जैसा पीर साहवने जाहिर किया है ?

उत्तर : अगर औरतको मुसलमान बनाते वक्त दबाव डाला गया हो और अगर वह दबावके कारण मुसलमान बनी हो तो मुसलमान उसे उसके हिन्दू शीहरके पास जाने देनेके लिए बाध्य है।

प्रश्न अगर अदालत हिन्दू शीहरके पक्षमे फैसला देती है तो क्या मुसलमान फिर भी औरतको नहीं लौटाते ?

उत्तर : मुसलमान उसे नहीं मानते और हिन्दू शीहरके साथ उसके सम्बन्धको अनुचित समझते हैं।

प्रश्न . मुसलमान औरतको छिपा सकते हैं या इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं ?

उत्तर : यह मुसलमानोका कर्तव्य हो जायेगा कि वे औरतको उसके हिन्दू शीहरके पास न जाने दें, क्योंकि मुसलमान बनते ही अपने हिन्दू शीहरसे उसका ताल्लुक खतम हो जाता है।

प्रश्न हिन्दू वापस कोहाट कैसे जा सकते हैं ?

उत्तर जब वे दू शर्तें मजूर करे। पहली शर्त यह है कि वे आगे इस तरहकी पुस्तिका प्रकाशित नहीं करेगे और दूसरी यह है कि वे इस तरह गोलियों नहीं चलायेंगे। अगर वे ये शर्तें मजूर कर ले तो वे जब भी चाहे वहाँ आ सकते हैं। उनके लिए वहाँ कोई खतरा नहीं है। अगर वे इस तरहके नुकसानदेह तरीकोको छोड़ देंगे तो मेरी समझमें वहाँ भविष्यमें फसाद होनेका कोई कारण नजर नहीं आता। अगर वे लोग होशियारीसे काम ले तो मुसलमानोका रख ठीक हो जायेगा।

प्रश्न क्या उन्हें इन दोनो शर्तोंको स्वीकार कर लेना चाहिए ?

उत्तर हमने पहले भी कोई शर्त नहीं लगाई और अब भी कोई शर्त नहीं लगाते।

प्रश्न इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए।

उत्तर मैं कोई शर्त निश्चित नहीं करता। वे बिना किसी शर्तके आ सकते हैं।

प्रश्न यदि मैं आपकी सलाह लूँ तो आप क्या सलाह देगे ?

उत्तर. मैं उन्हें अपने घरोंको वापस जानेकी सलाह दूँगा लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि यह सरहद है और साथ ही वे पठानोके स्वभावका भी खयाल रखें।

प्रश्न क्या कोहाटका वातावरण ऐसा है कि वहाँ हिन्दू इज्जतके साथ नहीं रह सकते ?

उत्तर मैंने वहाँ न तो ऐसे हालात देखे हैं और न इस बारेमें कुछ सुना ही है कि उनका वहाँ इज्जतके साथ रहना मुश्किल है।

(इस जगह सरदार माखनसिंहने कहा कि हिन्दुओके साथ जो बरताव किया गया वह पहले-जैसा नहीं है।)

प्रश्न (हिन्दुओसे) मौलवी साहबके खिलाफ इतनी बातें क्यो कही गई हैं ?

उत्तर व्यक्तिगत रूपसे उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न. (यह सरदार गुरदित्तसिंहने पूछा था) जब सनातन धर्म सभाने २ सितम्बरको माफीकी बात सोची थी तब क्या उसने उनपर आपके सामने ही विचार किया था ? क्या आप उस समय वहाँ मौजूद थे ?

उत्तर तब मैं वहाँ नहीं था। मुझे तो खत मिलनेपर ही उसका पता चला। उसमें क्षमाका कोई जिक्र नहीं था।

प्रश्न (यह मौलाना शौकत अलीने पूछा था) क्या आपको यह मालूम हो पाया था या आपने यह मालूम करनेकी कोशिश की थी कि शहरके या बाहरके मुसलमान ८ तारीखको या उससे पहले लूट करनेके लिए बुलाये गये हैं ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न यदि इस तरहकी कोई हलचल हुई होती, या दूसरे लोगोने ऐसा किया होता तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह मामला आपके ध्यानमे न आता ?

उत्तर : अगर ऐसी कोई साजिश या हलचल होती तो मुझे किसी-न-किसी तरह उसकी खबर मिल जाती।

प्रश्न ९ तारीखकी घटना पूर्व नियोजित थी या अचानक हो गई थी ?

उत्तर : मुसलमानोंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई थी। कमसे-कम मुझे उसकी कोई सूचना नहीं थी।

प्रश्न क्या आप यह जानते हैं कि खिलाफतके किसी कार्यकर्त्ता या स्वयंसेवकने हिन्दुओके घरको लूटने या जलानेमे हिस्सा लिया था ?

उत्तर : नहीं।

प्रश्न क्या उन्होंने किसी बाजारको जलानेमे या लूटनेमे अथवा लोगोको उत्तेजना देनेमे भाग लिया था ?

उत्तर : नहीं, मेरा खयाल ऐसा नहीं है।

प्रश्न कोहाटमे स्वयंसेवक कितने हैं ?

उत्तर : आजकल कोहाटमें १४ या १५ स्वयंसेवक हैं।

प्रश्न क्या उनमे से किसीने इसमे भाग लिया था ?

उत्तर : मेरे कानोमें यह बात आई तो थी, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने वैसा किया है।

प्रश्न जब खिलाफतने असहयोगका एलान किया था तब आपने असहयोग किया था। फिर आपने सहयोग कब शुरू किया ?

उत्तर : मैंने अपने स्वयंसेवकोंके साथ सिर्फ उन्हीं कार्योंमे हिस्सा लिया जिनमें सरकार हिस्सा लेती थी ताकि लोग मुसीबतमें न पड़ें।

प्रश्न क्या आप इससे पहले डिप्टी कमिश्नरके पास गये थे और आपने सहायता माँगी थी ?

उत्तर : एक साल पहले जब मैं अंजुमनमें शामिल हुआ था तब मुझे अंजुमनके स्कूलके लिये डिप्टी कमिश्नरके पास जाना पड़ा था। जबसे खिलाफत शुरू हुई तबसे इसके सिवा मैं कभी डिप्टी कमिश्नरके पास नहीं गया हूँ।

प्रश्न फिर ऐसी कौन-सी मुसीबत आई जिनसे आपको अपना सिद्धान्त छोडना पडा ?

उत्तर : लोग कार्यकर्त्ताओंपर शक कर रहे थे कि वे किसीकी बात नहीं सुनते। वे सिर्फ मुझपर विश्वास करते थे। अगर इस वकत मैं मैदानसे हट गया होता तो इस तरहके लोग मैदानमें आते और तब और भी ज्यादा मुसीबतें आतीं।

प्रश्न आप सरकारी अधिकारियोसे कबसे मिलने-जुलने लगे ?

उत्तर : मैं उनसे पुस्तिकाके मामलेके वकतसे मिलने-जुलने लगा था और मैंने ऐसा किसी संस्थाकी ओरसे नहीं किया था। मैं जबसे खिलाफत आन्दोलनमें शामिल हुआ, मैंने तभीसे सहयोग छोड़ दिया था।

प्रश्न क्या आपने अपनी तसल्लीके लिए यह पूछताछ की थी कि गोलीमे सबसे पहले मुसलमान लडका मरा है ?

उत्तर : हाँ, गोलीकी बात सुनकर ही मैं बाजार गया था।

प्रश्न अगर ऐसी घटना नहीं होती तो फसाद भी नहीं होते। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं ?

उत्तर • निश्चय ही न होते।

प्रश्न • (मौलाना शौकत अली द्वारा) क्या स्वयसेवकोने लूटमें भाग लिया था ?

उत्तर • मैं ऐसा कसम खाकर नहीं कह सकता कि किसी भी स्वयसेवकने इसमें भाग नहीं लिया था।

प्रश्न क्या आपने इस वारेमे कुछ सुना है ?

उत्तर मैंने इस वारेमें बहुत-कुछ सुना है। मैं नहीं समझता कि किसी मुसलमानने लूटमारमें हिस्सा लिया है।

प्रश्न क्या खिलाफतके लोगोंने दूकानोको लूटने और जलानेमे तथा हिन्दुओको सतानेमे हिस्सा लिया था ?

उत्तर • मैं इसके वारेमें कसम नहीं खा सकता। मैंने शिकायतें सुनी हैं कि मुसलमानोंने इनमें हिस्सा लिया है।

(पीर साहवने कहा है कि कोई भी मुसलमान इससे अलग नहीं था। खिलाफती स्वयसेवक भी इसमें शामिल थे।)

प्रश्न क्या आपने सुना था कि खिलाफती स्वयसेवकोने भी लूटमारमें भाग लिया है ?

उत्तर हाँ, मैंने सुना था।

प्रश्न क्या खिलाफती स्वयसेवक, लूटके लिए बाहरी लोगोको बुलानेके लिए बाहर भेजे गये थे ?

उत्तर • मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

रातको ८ ३० बजे समाप्त

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०५३१) से।

४०. तार : मदनमोहन मालवीयको^१

७ फरवरी, १९२५

पंडित मालवीयजी

विडला हाउस

दिल्ली

भटिण्डा मेलसे कल सुबह दिल्ली पहुँच रहा हूँ।

गाधी

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१ यही तार उसी दिन मोतीलाल नेहरू और अलीगढके खवाजा अब्दुल मजीदको भी भेजा गया था।

४१. काठियावाड़ियोंसे

मैं कुछ ही दिनोंमें काठियावाड़ फिर जाऊँगा, और इस बार राजकोट जाऊँगा। भाई भरूचापर तो काठियावाड़का ऐसा प्रभाव पडा है कि उन्होंने वहाँ अधिक समय तक टिकने और खादी तथा चरखेका प्रचार करनेकी अनुमति माँगी है। हम लोग आरम्भ-शूर होते हैं, आशा है यह आरोप इस मामलेमें तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। राजकोटके राजनीतिक कार्यकर्त्ता निश्चय करे तो वे राजकोटमें और काठियावाड़के अन्य भागोंमें भी नवजीवनका संचार, कर सकते हैं। “अन्य भागोंमें” इसलिए कि राजकोट केन्द्र है और एजेन्सीका सदर मुकाम होनेसे वहाँ सभी राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी इकट्ठे होते रहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंको समयकी तगी रहती है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। फिर उनका जन-साधारणपर प्रभाव भी है ही। वे काठियावाड़को खादीमय बनाकर उसे पुनः शक्ति दे सकते हैं और जो लोग काठियावाड़में से कुछ सेर वाजरेकी खातिर अन्यत्र जाते हैं उनको वही रोक रख सकते हैं। चरखेसे एक व्यक्ति कितना कमा सकता है, ऐसा प्रश्न करनेसे ठीक उत्तर नहीं मिल सकता। किन्तु इससे काठियावाड़की सामान्य जनतामें कितना धन रह जायेगा, यह हिसाब लगानेसे प्रश्नका उत्तर अवश्य समाधानकारक मिलेगा। नमकके करमें रुपयेमें एक पाई बढ़नेसे प्रत्येक मनुष्यको कितना बोझ उठाना पडता है, यह सोचे तो हम परेशान नहीं होते, किन्तु उससे कितने अधिक करकी वसूली हो जाती है, यह जानकर हैरानी होती है। इस प्रकारकी हानि “रापीके घाव”के समान होती है। जन-समूहपर उसका सामूहिक प्रभाव होता है। इस आधारपर हिसाब लगानेसे मालूम हो सकता है कि उसका प्रत्येक मनुष्यपर क्या प्रभाव होता है।

चरखेके सम्बन्धमें भी यही बात है। मान ले कि सूत कातनेसे प्रत्येक मनुष्यके घरमें प्रतिदिन आवा आना आता है। इस हिसाबसे उसके घरमें वर्षमें बारह रुपये आयेंगे। यदि हम प्रत्येक घरमें पाँच मनुष्य माने तो $26,00,000 - 5 = 52,00,000$ घर $\times 12$ रु० = $62,40,000$ रुपये काठियावाड़में वर्षभरमें बचेगे। अब दूसरी तरफसे हिसाब लगाये। यदि छव्वीस लाखकी आवादीमें प्रति मनुष्य औसतन पाँच रुपयेका कपडा लिया जाता हो तो इस हिसाबसे काठियावाड़में $1,30,00,000$ रुपयेका कपडा काममें आता है। यदि हम इसमें से रुईके मूल्यके रूपमें तिहाई रकम कम कर दे तो काठियावाड़ $90,00,000$ रुपये बचायेगा।

मान ले कि काठियावाड़के लोगोंको बम्बई सरकारको प्रति वर्ष नव्वे लाख रुपये करके रूपमें देने पडते हो और उसका यह कर माफ कर दिया जाये तो उससे काठियावाड़के लोगोंमें कितनी चेतनता आ जायेगी। यदि हम प्रति व्यक्ति हिसाब

१. चमार उस औजारसे चमड़ेमें छेद करके जब उसे हटाता है तो छेद फिर मुँद-सा जाता है। मगर वह वास्तवमें मुँदता नहीं है।

लगाना छोड दें तो हमे अप्रत्यक्ष रूपसे होनेवाला यह हानि-लाभ मालूम हो जायेगा। मैं काठियावाडके लोगोसे ऐसे सामूहिक हानि-लाभका ही हिसाब लगानेकी आशा करता हूँ। यदि आज काठियावाड ऐसा हिसाब लगाने लगे तो कल समस्त भारत ऐसा ही करेगा। मुझे क्या लाभ है, यदि हम इस प्रकार हिसाब लगायेगे तो परिणाम बुरा और विनाशकारी होगा। जब हमें 'लोगोको क्या लाभ होगा?' इसी दृष्टिसे सामूहिक हिसाब लगानेकी टेव पडेगी, तभी हमारे देशमे लोकहितके कार्य होंगे। यदि सभी लोग अपना व्यक्तिगत लाभ चाहेगे तो सभीका नाश होगा, किन्तु यदि सभी सबका अर्थात् सामूहिक लाभ देखेगे तो उससे प्रत्येक व्यक्तिका और समस्त लोक-समुदायका लाभ होगा।

यदि काठियावाडके लोग इस पद्धतिसे विचार करे तो वे चरखेका चमत्कार तुरन्त समझ जाये और मैं इसी दृष्टिसे एक मासमे किये गये उनके कार्यका हिसाब प्राप्त करनेकी आशा करता हूँ। जिन्होंने सूत कातनेकी प्रतिज्ञा की थी, क्या उन्होने नित्य सूत काता है? जिनको सूत कातना नहीं आता था, क्या उन्होने सूत कातना सीख लिया है? लोगोसे भिक्षाके रूपमे जो कपास देनेकी प्रार्थना की गई थी, क्या वह कपास इकट्ठी कर ली गई है? यदि वह इकट्ठी कर ली गई हो तो क्या उसका कोई उपयोग सोच लिया गया है? इस प्रकार अभी कार्यवाहक समितियो और सभी कार्यकर्ताओको ऐसी कई बातोका हिसाब देना है।

मैं राजकोटसे भी किये हुए कामका ऐसा ही हिसाब पानेकी आशा करता हूँ। राजकोटमें मुझे मानपत्र देनेकी तैयारियाँ की जा रही हैं। मुझे क्यों मान देना है? किन्तु यदि मान देना उचित ही लगे तो लोग मेरे सम्मुख सूतका ढेर लगाकर और स्वयं खादीसे सज्जित होकर मुझे मान दे सकते हैं। मेरा परितोष शब्दाडम्बरसे तो नहीं हो सकता। मैं काठियावाडमें यह जो दूसरी बार प्रवेश करूँगा, वह केवल खादी और चरखेके प्रचारकी आशासे, अस्पृश्योंकी सेवाके निमित्त और राजा और प्रजाकी सेवाके उद्देश्यसे ही करूँगा।

मुझे राजकोटमें एक राष्ट्रीय शाला खोलनी है। मेरा विश्वास है कि इस शालामें शुद्ध राष्ट्रीय सेवक काम कर रहे होंगे। इस शालाके निमित्त गुजरात प्रान्तीय समितिने खासी बडी रकम दी है। इसके लिए माननीय ठाकुर साहवने सस्ते भावमे जमीन दी है। मैं चाहता हूँ कि राजकोटके नागरिक इस शालाके कार्यमे रस ले। वे इस शालाको देखें-भाले, यदि उसके कार्यमे भूले हो तो उनको सुधारे और यदि उसमे चरित्रवान् अध्यापक कार्य करते हो तो उसमे अपने बालकोको भेजकर सहायता दें। उचित तो यही है कि इसका खर्च राजकोटके लोग ही उठाये।

इस वारकी काठियावाडकी यात्रामें बढवान भी सम्मिलित है। मैं वहाँकी राष्ट्रीय शालाके निमित्त कुछ घटे दूँगा। इस शालाके निमित्त बहुत त्याग किया गया है। मैंने इसकी आलोचना भी बहुत सुनी है। कई वार उसपर सकटोके वादल आये हैं, और विखर भी गये हैं। बढवानमें खादीका कार्य किया गया है। बढवान मोतीलालकी भूमि है। उसको भाई शिवलालके साहस और धनका लाभ मिला है। मैं बढवानसे बहुत आशा रखता हूँ। मेरा विश्वास है कि इसमे बढवान मुझे निराश न करेगा।

मैं यह चाहता हूँ कि सभी स्थानोंमें मेरे मान-सम्मानमें समय नष्ट करनेकी अपेक्षा मुझसे सेवा लेनेका ही विशेष ध्यान रखा जाये। व्यवस्थापकोंसे मेरी विनती है कि वे ऐसी व्यवस्था करे जिससे मेरा और लोगोंका समय व्यर्थके भाषणोंमें नष्ट न हो। क्या मुझे यह माँगनेका अधिकार नहीं है कि सभा जहाँ अनिवार्य हो वही की जाये और उसमें सब भाई-बहन खादी पहनकर ही आये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ८-२-१९२५

४२. मैसूरके महाराजा

मैसूरके महाराजा साहब चरखा चलाने लगे हैं। जिन लोगोंने कताईको धर्म मान लिया है उन्हें इस समाचारसे प्रसन्नता हुए विना न रहेगी। सवाददाता यह भी सूचित करते हैं कि यह सर प्रभाशकर पट्टणीके कातना शुरू करनेका परिणाम है। इन सब उदाहरणोंसे हमें फूल नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनसे यह तो सूचित होता ही है कि चरखा चलानेमें कितना और कैसा आकर्षण है। फिर बड़े आदमियोंकी मिसालका असर सर्वसाधारणपर भी पड़ता है। मैं मैसूरके महाराजाको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वे अपने आरम्भ किये कार्यको आजन्म नहीं छोड़ेंगे। यह प्रारम्भ उनके और प्रजाजन दोनोंके लिए कल्याणकारी है। इसका परिणाम आज भले ही कम दिखाई दे, परन्तु मुझे इस विषयमें जरा भी सन्देह नहीं कि अन्तमें वह एक विशाल वृक्षके रूपमें सुशोभित हो जायेगा। सूत-कताई महाराजा और प्रजा दोनोंको जोड़नेवाली सुनहली जजीर बन जायेगी। इससे इस नियमका पुनरुद्धार होगा कि राजाओंको उपयोगी और प्रजा-पोषक उद्यम करना चाहिए। और यह जानकारी कि गरीबसे-गरीब प्रजाके उद्यमके लिए भी महाराजाके महलमें स्थान है, हमेशा प्रजाजनको प्रोत्साहित करती रहेगी एव इससे यह बात सिद्ध होगी कि राजा और रकके दरम्यान वस्तुतः 'जाति भेद' नहीं है। पर ऐसे नतीजे थोड़े दिनों उद्यम करनेसे नहीं निकल आया करते। उसके लिए निरन्तर, नियमित और श्रद्धामय उद्यमकी आवश्यकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ८-२-१९२५

विद्यापीठको भी विद्यार्थियोंके लिए समाज-सेवाका कार्य करनेकी दृष्टिसे ऐसे क्षेत्र चुनने होंगे जो उन्हें सेवाके साथ आजीविका प्राप्त करनेके साधन भी दे सकें। आजीविका, विद्याका लक्ष्य न हो लेकिन उससे आजीविका प्राप्त करनेकी सामर्थ्य तो मिलनी ही चाहिए। विद्याका लक्ष्य है आत्मविकास। जहाँ आत्मविकास हुआ वहाँ आजीविका तो हस्तगत हो ही गई।

यह भी देखा गया है कि अंग्रेजी जाने बिना विद्यार्थियोंको तृप्ति नहीं होती। वे साहित्यके ज्ञानकी भी अपेक्षा रखते हैं। इसमें नुकसान कुछ नहीं है। हमें सिर्फ यही देखना है कि वे इसके अन्ध-पुजारी न बनें, वही एकमात्र ध्येय न बन जाये, वह एक प्रकारका बुद्धिविलास न बन जाये। अपने उचित स्थानपर वह अवश्य ही एक सुन्दर वस्तु है और उसके लिए स्थान भी निःसन्देह है।

यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी विद्यापीठोंका पाठ्यक्रम केवल हानिकारक ही है। मुझे कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि उनकी सब बातें त्याज्य हैं। उसकी तोतारटत, मातृभाषाका अनादर, अंग्रेजीका आडम्बर, इतिहासका एकपक्षीय ज्ञान, प्राचीन सस्कृतिकी अवहेलना, समयका अभाव — यह और ऐसी सब बातें अवश्य ही त्याज्य हैं।

यही सबव है कि मैं यह मानता हूँ कि विद्यापीठोंके पाठ्यक्रममें सुधारकी बहुत-कुछ गुजाइश है। लेकिन ऐसा कहना आसान है। यह सुधार लागू कौन करे? अनुभव तो किसीको भी नहीं है। जिन लोगोंके हाथमें पाठ्यक्रमके सूत्र हैं वे सब सरकारी विद्यालयोंकी छापवाले हैं। उनमें से किसी-किसीके मनमें इन विद्यालयोंके प्रति विरक्ति हुई है, किन्तु नया ज्ञान और नया अनुभव वे लावे कहाँसे? इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रममें त्रुटियाँ दिखाई देती हैं। आचार्योंने प्रत्येक स्थलमें उचित रद्दोदल करनेका यथाशक्ति प्रयास किया है और उसे घटाने-बढ़ानेमें वे सफल भी हुए हैं।

अब डा० सुमन्त मेहताकी योजनाके बारेमें दो शब्द कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनकी योजनाके अनुसार कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। उसमें कितने ही विषय ऐसे हैं कि जो महाविद्यालयके पाठ्यक्रमके प्रारम्भिक कालमें ही पढाये जा सकते हैं। कितने तो उसके भी पहले सिखाये जा सकते हैं और कुछ सामान्य अध्ययन पूरा होनेपर सिखाये जानेके लायक मालूम होते हैं। मैं डा० सुमन्त मेहताको अपनी योजना तैयार करनेका निमन्त्रण देता हूँ। इतना तो मैं उन्हींको पत्र लिखकर कर सकता था। लेकिन इस विषयपर यहाँ चर्चा करनेका कारण तो यह है कि उसपर शिक्षक और शिक्षित लोग विचार करें, उसकी चर्चा करें और डा० सुमन्त मेहताकी मदद करें। हम लोगोंके पास विचारक बहुत कम हैं और जो हैं वे अपने-अपने क्षेत्रमें बंधे पड़े हैं। दिन-प्रतिदिन यह स्थिति दृढ़ होती जा रही है और उसमें कोई हानि भी नहीं है। यदि हर आदमी प्रत्येक विषयमें टाँग अडाने लगे तो वह न अपने साथ और न उन विषयोंके साथ, अच्छी तरह न्याय कर सकता है। क्षेत्र चुनकर उसकी साधना किये बिना हम लोग इष्ट फल नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए योजनाको सफल बनानेका भार तो डा० साहवको ही उठाना होगा। विचारशील शिक्षक और विद्या-प्रिय समाज-सेवक उन्हें मदद करेंगे। मेरा कार्य तो इन दोनोंको पास लाना और साथ ही

कुछ अपना अभिप्राय जाहिर करना था। डाक्टर साहब स्वयं एक वर्षका क्षेत्र-सन्ध्यास रोकर पेटलगदमें बैठ गये हैं। वहाँ उन्हें अपनी योजनाका प्रयोग करनेका अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। इन्में उन्हें अपनी योजनाका विकास करनेमें कुछ आसानी होगी।

योजना परिपक्व हो जानेपर उसके अनुसार कार्य करनेवाले शिक्षकोकी जरूरत होगी। किन्तु यह एक दूसरा सवाल है और मेरा विश्वास है कि प्रसंग आनेपर वे भी मिल जायेंगे।

[गुजरातीमें]

नवजीवन, ८-२-१९२५

४४. कोहाटके हिन्दू

[९ फरवरी, १९२५]'

मैं जानता हूँ कि पाठक इस सप्ताहके 'यंग इंडिया' के पन्नोंमें, कोहाटकी पिछले सितम्बरकी शोऋमय घटनाके विषयमें मौ० शीकत अलीके और मेरे निर्णयोको खोजेंगे। पर खेद है कि उन्हें निराग होना पड़ेगा। क्योंकि मौ० शीकत अली मेरे साथ नहीं हैं और उन्हें दिखाये बिना इस विषयमें कोई बात प्रकाशित करना कदापि उचित न होगा। फिर भी मैं पाठकोने इतना तो कहे देता हूँ कि मैंने जो राय कायम की है उनपर ५० मोतीलालजी, ५० मालवीयजी और हकीम अजमलख़ाँ सा०, डा० अन्सारी और अली भाइयोंमें भी चर्चा कर ली गई है। सावरमती आते हुए रास्तेमें मैंने अपने विचारोंको अभी लिखकर सतम किया है। तुरन्त ही वे मौ० शीकत अलीको भेजी जायेगी और उन्हें मौ० शीकत अलीकी पुष्टि अथवा सशोधनके साथ प्रकाशित करनेकी आशा रखता हूँ। परन्तु हमारे निर्णयोको छोड़कर, मैं हिन्दुओंको फिर यही सलाह देता हूँ कि यदि मैं उनकी जगह होता तो जबतक सरकारके दखल दिये बिना मुसलमानोंसे इज्जतके साथ मुल्ह न हो जाती, मैं वहाँ न लौटता। यह इस मौकेपर मुमकिन नहीं है, क्योंकि बदकिस्मतीसे मुस्लिम कमेटीके लोग, जो कि कोहाटके मुसलमानोंकी रहनुमाई कर रहे हैं, न तो हममें मिलने आये और न उन्होंने इसे जरूरी समझा। मैं देखता हूँ कि हिन्दुओंकी हालत नाजुक है। वे अपनी मिलिकयतको गँवाना नहीं चाहते। मौलाना साहब और मैं दोनों ही मुल्ह करानेमें कामयाब न हुए। हम तो कोहाटके खास-खास मुसलमानोंको बातचीतके लिए भी बुलानेमें समर्थ न हो सके। और न मैं यही कह सकता हूँ कि आगे भी हो सकेंगे। ऐसी हालतमें हिन्दू लोग जो मुनासिब समझे करें। हमारे नाकामयाब होते हुए भी मैं तो उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता बता सकता हूँ— जबतक मुसलमान आपको इज्जत और गौरवके साथ ले न जायें, कोहाट न लौटें, पर मैं जानता हूँ कि यह सलाह, सिवा उन लोगोंके जो अपने पैरोपर खड़े रह सकते हैं और जिन्हें किसीकी सलाहकी जरूरत नहीं है, औरोंके लिए कष्ट निवारण करनेकी

दृष्टिसे बहुत कामकी नहीं है। और कोहाटके शरणार्थी दूसरी श्रेणीमें आते हैं। मैंने अपने विचार पण्डित मालवीयजीतक पहुँचा दिये हैं। वही प्रारम्भसे उनके पथ-प्रदर्शक रहे हैं और उन्हें उन्हींकी सलाहके अनुसार चलना चाहिए। लालाजी' पिण्डी आये थे, पर बदकिस्मतीसे वे बीमार हो गये। मेरी अपनी राय जो बहुत विचारके बाद मैंने कायम की है, मौ० शौकतअलीके पास भेजे गये मेरे वक्तव्यमें व्यक्त है। मगर यह बात तो मैं पहले ही से कबूल कर लेता हूँ कि उससे उन लोगोको कुछ भी तसल्ली न मिलेगी। मुझ तो अब एक टूटी नाव ही समझिए। वह भरोसा करने लायक नहीं है।

परन्तु इस वारेमें कि वे जबतक कोहाटके बाहर हैं, क्या करे, मैं उन्हें नि सकोच सलाह दे सकता हूँ। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हट्टे-कट्टे और मजबूत हाथ-पैर रखनेवाले लोगोका दानकी रकमोपर बसर करना अपने सत्वको गँवाना है। उन्हें चाहिए कि वे खुद अथवा वहाँके लोगोकी मददसे कुछ-न-कुछ काम अपने लिए ढूँढ ले। मैंने उन्हें धुनने, कातने और बुननेतक का काम सुझाया है। पर वे कोई भी अपनी पसन्दका अथवा जो उन्हें दिया जाये ऐसा काम ले सकते हैं। मेरे कहनेका भाव यह है कि किसी भी स्त्री-पुरुषको, जो काम करनेकी ताकत रखता है, दानके सहारे पेट नहीं भरना चाहिए। एक सुव्यवस्थित राज्यमें काम करनेकी इच्छा रखनेवाले हरएक शख्सके लिए काफी काम हमेशा होना चाहिए। आश्रित लोगोको, जबतक कि राष्ट्र उनका भरण-पोषण कर रहा है, अपने एक-एक मिनटका ठीक हिसाब देना चाहिए। “निठल्ले आदमीको शैतानी तो सूझेगी ही” यह महज किसी स्कूली किताबकी कड़ी नहीं है। इसमें एक बड़ा सत्य है और हर शख्स उसका अनुभव कर सकता है। गरीब, अमीर, उच्च-नीच सबपर एक-सी मुसीबत छाई है—सब मुसीबतके मारे हुए एक दूसरेके सगाती हो गये हैं। धनी और खुशहाल लोगोको चाहिए कि वे खुद आगे बढ़कर अच्छी तरह मेहनत करके दूसरोके लिए मिसाल पेश करे, फिर चाहे वे मुफ्त राशन न लेते हो। यदि किसी राष्ट्रके लोग कोई ऐसा हुनर या धन्दा जानते हो जो गाढे वक्त उन्हें सहारा दे तो इससे देशको कितना बड़ा लाभ होगा? यदि ये शरणार्थी भाई धुनना, बुनना या कातना जानते होते तो इनके दिन कहीं बेहतर और इज्जतके साथ कटते। उस हालतमें शरणार्थियोका वह शिविर मधुमक्खीके छत्तेकी तरह चहल-पहलका केन्द्र बन गया होता और उसे अरसेतक चलाना आसान होता। यदि वे लोग तत्काल न लौटनेका निश्चय करे, तो अब भी वक्त निकल नहीं गया है। अनाज वाँटना गलती है। व्यवस्थापक लोगोके लिए ऐसा करनेमें आसानी है, पर इससे शरणार्थियोमें बड़ी बेतरतीबी फैलती है और इसमें अब भी ज्यादा बरवाद होता है। उन्हें चाहिए कि वे अपनेको सिपाहियोकी तरह अनुशासित करे—नियमसे उठे, नियमसे नहाये, धोये, नियमसे ईश्वर-भजन करे, नियमसे भोजन करे, नियमसे काम करे और नियमसे सोये। कोई वजह नहीं मालूम होती कि उनके बीच ‘रामायण’ का अथवा और किसी धर्म-पुस्तकका पाठ आदि क्यों न हो। इन सबके

लिए विचार करने, सावधानी रखने, ध्यान रखने और श्रम करनेकी बड़ी जरूरत है। ऐसा करे तो यह मुसीबत, मुसीबत न रहकर, एक सुख बन जाये।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-२-१९२५

४५. तार : मदनमोहन मालवीयको

९ फरवरी, १९२५

पण्डित मालवीय

बिडला भवन

दिल्ली

गोरक्षा सविधानकी क्या स्थिति है? आशा है आप आज रावलपिण्डी जा रहे हैं।

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

४६. तार : जयरामदास दौलतरामको^१

९ फरवरी, १९२५

जयरामदास

द्वारा रामप्यारेलाल वकील

रावलपिण्डी

तार द्वारा लालाजीके स्वास्थ्यकी सूचना दीजिए। ९ सितम्बरको कोहाटके पास जिन दो व्यक्तियोंकी हत्या की गई उनके नाम तथा अन्य विवरण भेजिए।

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१ जयरामदास दौलतराम कोहाटके दगोके सिलसिलेमें गांधीजीके साथ रावलपिण्डी गये थे।

४७. पत्र : चमनलाल वैष्णवको

माघ वदी १ [९ फरवरी, १९२५]^१

भाई चमनलाल,^२

मैं यह पत्र गाडीमे लिख रहा हूँ। तुम्हारा कार्ड मिल गया है। वहाँ १६ तारीखसे पहले आना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि मैं २० या २१ तारीखके आसपास आ सकूँगा, या फिर आनेका कार्यक्रम ही रद्द कर दिया जाये।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८६९) से।

सौजन्य : शारदावहन शाह

४८. पत्र : देवचन्द पारेखको

माघ वदी १ [९ फरवरी, १९२५]^३

भाई देवचन्दभाई,

यह पत्र गाडीमे लिख रहा हूँ। तार भेजनेका खर्च बचा रहा हूँ। तुम्हारा पत्र मिल गया है। वाकानेर १४ तारीखको पहुँचना सम्भव नहीं है। सब वक्त बोर-सदमें लग जायेगा। किन्तु यदि सब राजकोट आ जाये तो १५ तारीखको एक घटा वाकानेरको दिया जा सकता है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (जी० एन० ५७१२) की फोटो-नकलसे।

१ गाधीजी बढवान २१ फरवरी, १९२५ को गये थे और वहाँ उन्होंने एक बाल-पाठशालाका उद्घाटन किया था।

२ बढवानके एक राजनीतिक कार्यकर्ता।

३ पत्रपर ढाकखानेकी ११ फरवरी, १९२५ की मुहर है।

४९. तार . वाइसरायके निजी सचिवको

९ फरवरी, १९२५^१

वाइसरायके निजी सचिव
को

मैंने जब आपकी पत्र पढ़ी तो मेरे सामर्थ्यको कुछ माचमे कोहाट जानेकी
लज्जा देता था। आपकी पत्र

गांधी

मेरी सहायता (एन० एन० २८५६) तथा यह इच्छा, २६-२-१९२५ ने।

५०. पत्र : प्रभाशकर पट्टणीको

[१० फरवरी, १९२५ ने पूर्व]^१

मेरा ज्ञान जाता है कि आप प्रभावशाली हैं। मैं जब भावनगरमें था यह
सा पत्र पढ़े तो भी मुझे प्यार, किन्तु मैंने उसपर प्रतिक्रिया नहीं किया था। अब जिन
पत्रों का जिक्र है मैं उम्मीद था महज ही दरगुजर नहीं कर सकता। क्या
आप प्रभावशाली हैं? मुझे आशा है और आपके माहौलको देखकर बहुत हर्ष
होता था। किन्तु यह सब हो तो?

[मुद्रणालय]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित प्रतिलिपि।

सौजन्य नारायण देसाई

१ २२-२-१९२५ के रंग इच्छियों तारीख २० फरवरी दी गई है। सम्भव है कि इनका
मासिक (१९२५) १०५ दिनांक था।

२ २३ फरवरी के वाइसरायके निजी सचिवों द्वारा उत्तर दिया। जिनका आशय था कि कोराटके
विन्दु में गांधीजीके प्रभो हारमें यह इच्छियोंके जगह पर उत्तर दी है कि वे तबतक कोराट वापस
न जायें जब तक कि वाइसरायके द्वारा सरकारी हस्तलिखित बिना उनके साथ सम्मानपूर्ण ढंगमें सुलभ न करें।
इस पत्रों के लिए जिनके कि उनके बर्तन जानेने हाटका समझाता भंग हो सकता है। जब कि वाइसराय
उसे हस्त लिखित प्रतिक्रिया है। इसलिए उनकी इच्छा पूरी करना महामहिमको असम्भव लगता है।

३ इसका निम्न उत्तर २० फरवरी, १९२५ को मिला था “मुझे वाइसरायके कुछ दोष हो गये थे,
किन्तु उनके बाद पत्राचार मदर्भ, कुछ दोष किया हो, ऐसा याद नहीं आता। आपने लिखा है कि आप
मेरे पत्रों का पढ़ेंगे। किन्तु आप उसे क्यों फाड़ें? मेरे पत्रोंको तो मेरे कर्मचारी और सचिव खोलते हैं
और मैं यह पत्र तो बटुकेको बोलकर लिया रहा हूँ और उसे श्रीमती पट्टणीने भी पढ़ लिया है।”

४ फूलचन्द शाह। देखिए “पत्र फूलचन्द शाहको”, २२-२-१९२५।

५१. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

सावरमती

१० फरवरी, १९२५

सर प्रभाशंकर पट्टणी
भावनगर

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। घन्यवाद। आशा है आप अब स्वस्थ हो गये होंगे।

गाधी

अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३१९१) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य महेश पट्टणी

५२. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

माघ वदी २ [१० फरवरी, १९२५]'

सुज्ञ भाईश्री,

मैं कल रात रावलपिण्डीसे वापस आया हूँ। आपका पत्र मुझे आज मिला। मैं इसकी राह ही देख रहा था। तार द्वारा कृतज्ञता व्यक्त किये बिना जी नहीं माना। पत्र-लेखकपर रोष न करे। मैं आपको उसका नाम आदि भी बतानेके विषयमें सोचूँगा। आप किसी भी पत्रको गोपनीय नहीं समझते यह पढकर तो मुझे मानव-जातिपर और भी अधिक अभिमान हुआ है। मेरा गर्व घटा है। मैं तो यही समझता था कि ऐसा तो एक मैं ही होऊँगा। आप तो मुझसे ऊँचे उठ गये हैं, क्योंकि आप ऐसे वातावरणमें रहते हैं जिसमें व्यक्तिगत जीवनको प्रकट करना कठिन होता है। यदि लेखक कोई पड्यन्त्री या दुर्जन होता तो मैं आपको उसके पत्रमें से कुछ भी न लिखता और अपने मनपर भी कतई कोई असर न पडने देता। किन्तु लेखक सज्जन है, विवेकी है, सयमी है और विद्वान् है। उसे आपसे कोई द्वेष कदापि नहीं हो सकता; किन्तु उससे यह भूल कैसे हो गई यह बात मैं समझ सकता हूँ। मैं उसको आपके पत्रकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। इससे उसका उपकार ही होगा। वह ऐसे निर्मल मनका मनुष्य है कि यदि वह आपके पास आकर आपसे क्षमा याचना भी कर ले तो मुझे आश्चर्य न होगा। मैंने अच्छा किया जो आपको पत्र लिख

१. गाधीजी रावलपिण्डीसे सावरमती ९ फरवरी, १९२५ को लोटे थे।

२. देखिए अगला शीर्षक और उसकी पाद-टिप्पणी भी।

दिया। जब उसने मिलने का समय बताया तो, बिना कुछ सोचे उसने
नज़ा हावा? मैं तीन दिन का समय देता हूँ, बिना सोचे उसने
बसट मोठे प्रयासों। उसने उस ठेका प्रदान करने का
उमरी क्या है।

पै १५ भारतीय रुपयों का। समय की बिना सोचे
फिर क्यों हूरी क्या?

भारत सरकार का कानून विभाग

सूचना पत्र (सी० नं० ३१६०) के।

सोचने का समय देना।

५३. पत्र : कानून शाखा

१९५०

भा.श्री. पत्र,

सूचना पत्र पर विचार करने के लिए, यह सूचना दी जाती है कि
यदि तुम्हारे पास कोई सूचना है कि कोई व्यक्ति या संस्था
जो कि या तो किसी भी प्रकार के अयोग्यता के कारण
नियमित रूप से कार्य करता है।

१९५०

सूचना पत्र (सी० नं० ४४५) के।

सोचने का समय देना।

५४. भाषण न-राज्य शासन शासकशाही

१९५०

यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी प्रकार के अयोग्यता के कारण
नियमित रूप से कार्य करता है। यह सूचना दी जाती है कि
यदि तुम्हारे पास कोई सूचना है कि कोई व्यक्ति या संस्था
जो कि या तो किसी भी प्रकार के अयोग्यता के कारण
नियमित रूप से कार्य करता है।

उपरोक्त बात कह चुकनेपर गांधीजीने कोहाटमें मुसलमान बनाये गये हिन्दुओकी संख्याका उल्लेख किया और कहा :

सम्भव है यह सख्या अन्यत्र छोटी समझी जाये; किन्तु जिस क्षेत्रमे मुसलमानोकी सख्या मुश्किलसे १५,००० है उसमे यह भयकर मानी जायेगी। यहाँ हिन्दुओमे जागृति फैली। उनकी जागृतिको मुसलमान सहन न कर सके और जो लोग बैर निकालनेका मौका ढूँढ रहे थे उन्हें उक्त पुस्तिकाके रूपमे बहाना मिल गया। यदि यही एक कारण होता तो वे इस पुस्तिकाके प्रकाशकको गिरफ्तार करा सकते थे। वे उसे स्वयं कुचल देते और चाहते तो पुस्तिकासे सम्बन्धित अन्य लोगोको भी कुचल देते। किन्तु वहाँ तो पूरी जातिपर ही अत्याचार किया गया। इसका कारण गहरा होना चाहिए। यह कारण अचानक ही मेरे हाथ लग गया। धर्म-परिवर्तनके सम्बन्धमे मुसलमानोने सब बातें साफ-साफ कह सुनाई। किन्तु उनकी इस प्रवृत्तिसे मुझे बहुत चोट पहुँची। यदि ३० करोड़ हिन्दू धर्म-पुस्तकोके अध्ययन और सोच-विचारके बाद मुसलमान हो जाये तो मुझे कुछ भी दुःख न होगा। तब मैं अकेला ही हिन्दू बना रहूँगा। और इस प्रकार हिन्दुत्वके गौरवको बढाऊँगा अथवा यह कहे कि हिन्दुत्वके अमरत्वका साक्षी बनकर रहूँगा और कहूँगा कि ये सब हिन्दू हिन्दुत्वके तेजको सहन न कर सकनेके कारण मुसलमान हो गये हैं। किन्तु वहाँ तो यह हुआ कि हिन्दू लोभ या भयके कारण मुसलमान बन गये। यह स्थिति सहन नहीं की जा सकती। मैं यह बात आपको दृढ़ बनानेके लिए कह रहा हूँ जिससे आप अपने धर्म-पर आरूढ रहे। इसके वावजूद मेरी अहिंसावृत्तिमे, प्रेम भावनामे और मुसलमानोके प्रति मेरे सद्भावमे कोई अन्तर नहीं आयेगा। मैं तो उनमे जितनी अधिक कमजोरियाँ देखूँगा उनकी उतनी ही अधिक सेवा करूँगा। मेरा प्रेमभाव तो अवश्य ही कायम रहेगा। किन्तु प्रेमकी भाषा बदल जायेगी। वह पहलेसे कठोर हो गई है और अभी अधिक कठोर होगी—ऐसे ही जैसे अंग्रेजोके प्रति मेरी भाषा कठोर होती जा रही है। केवल इतना ही अन्तर होगा। आज आपको जाग्रत और सावधान करना ही मेरा हेतु है। मैं आपको जाग्रत इसलिए करता हूँ कि किसी अवसरपर आपके ऊपर भी ऐसा सकट आ सकता है। यदि आश्रममे से किसी बालक या बालिकाका अपहरण किया जाये तो आप मेरे सिद्धान्तोका स्थूल अर्थ करके खडे-खडे देखते न रह जाये। आत्मशुद्धिका निश्चय अपने-आपमे बलदायक है। जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र है उसको शरीर-बल बढानेकी आवश्यकता नहीं है। उसका शरीर तो अपने आप सशक्त हो जाता है। और तब केवल निश्चय ही पर्याप्त होता है। सोनेसे पूर्व राम-नाम लेना चाहिए, यह मेरा निश्चय है, इसलिए राम-नाम लिये विना मुझे कभी नीद ही नहीं आती। यदि आ जाती है तो मैं नीदमे करवट बदलते समय राम-नाम लेता हूँ और मेरे राम मुझे अपने पास खडे दिखाई देते हैं। यही बात सभी निश्चयोपर लागू होती है।

आश्रममे तो सकट आनेपर एक बालकको भी डरना नहीं है। उसके पास आत्मबल नहीं है तो नख तो है। [इसके बाद उन्होंने कहा,] हम नखोको इसलिए

काट देते हैं कि वे जब बढ जाते हैं तब उनमें मूल भर जाता है और उससे हानि पहुँचती है। इसलिए उन्हें हम काट देते हैं। इसी प्रकार हमें शरीरके उन तत्त्वोंको भी, जो हानिकारक हो जाते हैं एक-एक करके दूर करते रहना चाहिए।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

५५. पत्र : माणिकलाल अमृतलाल गांधीको

गाडीमें

मंगलवार [१० फरवरी, १९२५]^१

चि० माणिकलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने वापूके सम्बन्धमें जो लिखा वह मैं समझ गया। तुमने उमें भेज दिया, यह ठीक किया। यदि उसे अनुकूल पडे और वह रह सके तो अच्छा ही है।

प्रभुदासका स्वास्थ्य तो वहाँके जलवायुसे बहुत सुधरा है। यदि मणिका स्वास्थ्य भी ऐसे ही सुधरे तो कैसा अच्छा हो? किन्तु वह चिन्ता बहुत करती है। और चिन्ता तो मनुष्यको मार ही देती है।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

आशा है मैं पोरबन्दर १९ तारीखको पहुँचूंगा। यदि महामारीका जोर बढ जाये तो क्या किया जा सकता है। इस बातपर तो देवचन्दभाई अवश्य ही विचार कर रहे होंगे।

चि० माणिकलाल अमृतलाल गाधी

राणावाव

काठियावाड

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ८९०) से।

सौजन्य माणिकलाल अ० गाधी

५६. पत्र : रामेश्वरदास बिड़लाको

साबरमती

माघ कृष्ण ४ [११ फरवरी, १९२५]^१

भाई रामेश्वरदासजी,

आपका पत्र मीला। जमनालालजी^२ आजकल यहा हैं। उन्होने मुझे खबर दी है कि रु० १०,००० उनकी पेढी पर मील गये हैं। उसका व्यय अत्यज सेवामे करूंगा।

आपका,
मोहनदास गाधी

[पुनश्च]

आपका स्वास्थ्य अच्छा है जानकर आनन्द हुआ।

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०४) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

५७. भाषण : अंकलावमें

११ फरवरी, १९२५

स्वराज्य वही कहा जा सकता है जिसमे हमारे गरीबसे-गरीब भाई भी सुखसे रह सके। अगर लोगोको भूखसे मरनेकी नीवत आती है तो उसके लिए हम लोग, जिन्हे कभी अन्नका अभाव नहीं हुआ, उत्तरदायी हैं। इस गाँवमे सो साल पहले जो वहने रहती थी, वे सूत कातती थी और भाई सूत कातते या कपडा बुनते थे।

घारालाओमे दुर्व्यसन है। वे शराव पीते हैं और चोरी करते हैं। जवतक यह सब होता है तवतक धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। दुर्भाग्यसे यहाँके हिन्दू और मुसलमानोमें भी अनवन है। हमे अपना धर्म प्रिय होना चाहिए, किन्तु यदि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अंग हो तो मेरे लिए यह धर्म निकम्मा है। जो मनुष्य मैलसे अपवित्र हो गया हो वह स्नान करके शुद्ध हो जाता है किन्तु यदि हम उसे फिर भी अस्पृश्य माने तो यह पाप है। हिन्दुस्तानके लोग ससारके लिए ढेढ और भगी हैं। मनुष्य जैसा

१. पत्रपर ढाफ़खानेकी मुहर ११ फरवरी, १९२५ की है पर १९२५में माघ कृष्ण चतुर्थी १२ फरवरीको पड़ी थी। पत्र सम्भवत. माघ कृष्ण ३ को लिखा गया होगा।

२. जमनालाल बजाज।

करता है, वैसा भरता है। हमारी दासताके लिए अग्रेज दोषी नहीं है। हमारी ही अस्पृश्यताके पापरूपी वीजमे से दासताका वृक्ष उगा है।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

५८. भाषण : बोरसदमे

११ फरवरी, १९२५

बोरसद सत्याग्रह सघर्षके कारण तीर्थस्थान ही बन गया है। किन्तु जैसे हिन्दु-स्तानके तीर्थ स्थान अब तीर्थ क्षेत्र नहीं रह गये हैं, कहीं वैसी ही हालत बोरसदकी भी तो नहीं हो गई? आप लोगोंने वहाँ सघर्ष करके जो विजय प्राप्त की, वह कोई मामूली बात नहीं थी। किन्तु सघर्ष करना एक बात है और उसे समेट कर उसके बाद रचनात्मक कार्य करना दूसरी बात है। सघर्षका अच्छा परिणाम निकालना अति कठिन हो जाता है, बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि सघर्ष व्यर्थ ही किया। जैसे लम्बा उपवास करनेके बाद — उसकी ठीक समाप्ति कठिन हो जाती है, जैसे ही लड़ाई करनेके बाद उसका ठीक अन्त करना भी कठिन हो जाता है। यह बात हमने खेडाके सत्याग्रहके बाद भी देखी और इस लड़ाईके बाद भी यही दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े क्षेत्रमे, यूरोपमे भी यही देखा गया था। वहाँ इंग्लैंड और जर्मनीके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इसमे बहुत बड़ा बलिदान किया गया और हमने यह आशा प्रकट की थी कि इसके फलस्वरूप यूरोपकी स्थिति बदल जायेगी। इसके परिणामस्वरूप यूरोपके लोग अधिक नीतिमान, पवित्र, सावधान और ईश्वरसे डरनेवाले बन जायेगे। किन्तु वहाँ जो ढोंग पहले चलता था वह आज भी चलता है और जिन लोगोंने बलिदान किया था उनकी स्थिति दयनीय है। हमें आशा करनी चाहिए कि इस लड़ाई और उस लड़ाईमे जो अन्तर है, वह अन्तर उनके परिणामोमे भी होगा। वह लड़ाई विनाशकारी थी। सत्याग्रहकी लड़ाईमे एक भी पक्षका नाश नहीं होता, दोनोंका भला ही होता है। फिर भी सत्याग्रह-जैसी शुद्ध लड़ाईमे अन्तमे जो परिणाम देखना चाहते हैं वह क्यों नहीं निकलता? इसका कारण यही है कि आवेश दोनों ही प्रकारकी लड़ाईमे पाया जाता है। हमें जितनी शान्ति और धीरता दिखानी चाहिए उतनी हम नहीं दिखा पाते, इसलिए ऐसा लगता है मानो हमारे सब करे-धरेपर पानी फिर गया हो। किन्तु यहाँ तो मुझे दरवार साहबने^१ पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे हमें खादी-नगर बनाकर नहीं दिखा सकेगे, क्योंकि लोग इस लड़ाईके वावजूद खादीके महत्त्वको पूरी तरह नहीं समझे हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई बड़ी आशा लेकर नहीं आया हूँ और इसी कारण मुझे बहुत अधिक असन्तोष भी नहीं होता।

१ दरवार साहब गोपालदास।

एक शालाको चलानेके लिए भी बहुत शक्तिकी जरूरत होती है। जैसा पिण्डमे, वैसा ही ब्रह्माण्डमे, यह उक्ति सर्वत्र ही सत्य है। यदि मुझे सत्याग्रह आश्रमको चलाना ठीक तरहसे आता हो तो मैं लॉर्ड रीडिंगकी गद्दी भी सहज ही सम्भाल सकता हूँ। मुझे सत्याग्रह आश्रमको चलानेमे जो कठिनाइयाँ होती हैं, उसके लिए मुझे जितना सोचना पडता है और जितनी समस्याओको सुलझाना पडता है, उतना तो हमे लडाईको चलानेमे भी नहीं करना पडता। लडाईको चलानेमे करना ही क्या पडता है? मैं एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर आपसे कहता हूँ कि यह कार्य करो। मैं इसमे केवल अपनी जीभ हिला देता हूँ। किन्तु आश्रमको चलाना तो इससे बहुत अधिक कठिन काम है। मुझे इस जन्ममे वाइसराय बननेकी इच्छा नहीं है, इच्छा है तो केवल हिन्दुस्तानका सच्चा और शुद्ध सेवक बननेकी है। किन्तु मैं इतना सहज कहना चाहता हूँ कि वाइसरायका काम करते हुए जितना श्रम करना पडता है, उससे अधिक आश्रमको चलानेमे करना पडता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस विनय-मन्दिरको चलानेमे जी-जानसे जुट जाये। यह काम आप जितनी निष्ठासे करेगे, आपकी आत्मा उतनी ही अधिक शुद्ध बनती चली जायेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-२-१९२५

५९. भाषण : भादरनमे'

११ फरवरी, १९२५

आपन जो प्रेम दिखाया और अभिनन्दन-पत्र दिया उसके लिए आभार प्रकट करनेके पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जो इतनी रात गये इतनी ज्यादा तादादमे यहाँ एकत्र हुए हैं यह देखकर मुझे बहुत आनन्द होता है, यदि मैं यह बात न कहूँ तो मानो आपके प्रति अपराध ही होगा। परन्तु साथ ही मुझे दुःख भी हुआ है। इस सभाके व्यवस्थापकोने 'जो व्यवस्था की है वह जानबूझकर की है या अनजानमे, सो मैं नहीं जानता। पर अवतक सभाओमे जानेवाले लोग मेरी खासियते जान गये हैं। इसमे एक यह है कि यदि किसी भी जलसेमे मैं अन्त्यजोके लिए अलग विभाग देखूँ तो मुझे भारी चोट पहुँचती है और कुछ भी बोलना मेरे लिए असम्भव हो जाता है। आपने कहा है और दूसरे लोग भी कहते हैं कि अहिंसा मेरे जीवनका परम सूत्र है। अहिंसाको मैं अपने जीवनमे गूँथ रहा हूँ। यदि यह बात सच हो तो मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं आपके दिलको चोट पहुँचाना चाहता हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता कि आप विना सोचे-समझे कुछ करे। रोपमे भी मैं आपसे कुछ नहीं कराना चाहता। मैं जो-कुछ आपसे करा सकता हूँ, वह आपके वृद्धि और हृदयको द्रवित करके ही। अतएव मेरी प्रार्थना है कि यदि आप

अस्पृश्यताको हिन्दू धर्मका कलक मानते हो तो आप इस विषयमें मेरा समर्थन करे कि जो वाड हमें अन्त्यज भाइयोमें जुदा कर रही है, निर्मूल हो जाये।^१

मैं यह नहीं कहता कि आप वाडको अभी तोड डाले या सभाके काममें व्यवधान करके कुठ करे। मैं तो आपकी सम्मति लेना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि यह वाड न रहे और अन्त्यज भाई-बहन हमारे साथ आकर बैठे ?^२ आपने मुझे अभिनन्दन-पत्र दिया है। आपने जिस चीकठमें मडवाकर जिस कागजपर अथवा चादीपर छापकर अभिनन्दन-पत्र दिया उमका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, अथवा उनना ही है जितना आप खुद अपने आचरणमें सावित करेंगे। पर अभी आपने इस वाडको तोडकर मेरा जो अभिनन्दन किया है, वह मेरे हृदयमें हमेशा अकित रहेगा। ऐसा ही अभिनन्दन-पत्र मैं अपने हिन्दू भाई-बहनोमें चाहता हूँ। आप यदि मुझे थोडा-बहुत मूत लाकर दे देंगे, मेरे सामने तरह तरहके फल-फूल और मेवे लाकर रख देंगे, या अन्त्यज बालिकाके हाथसे कुकुम-तिलक करायेंगे (जैसा कि यहाँ कराया गया) तो इमने मुझे खुगी नहीं हो सकती। ये चीजे तो मुझे चाहे जहाँ मिल जायेगी, पर अभी आपने जो चीज दी है उमके लिए तो प्रेमकी जजीर दरकार है। और मैं इन प्रेमकी जजीरके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम अहिंसाका अंग है। प्रेममें अहिंसाका समावेश हो जाता है।

सनातनी भाइयोसे मेरा यह कहना है कि वे यह न माने कि मैं हिन्दू-समाज-को आघात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं खुद अपनेको सनातनी गिनता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा दावा बहुत कम भाई-बहन कुबूल करते होंगे—पर मेरा यह दावा है और रहेगा। मैं तो कई वार कह चुका हूँ कि आज नहीं तो मेरी मृत्युके बाद समाज इस बातको जरूर कुबूल करेगा कि गांधी सनातनी हिन्दू था। 'सनातनी'के मानी है 'प्राचीन'। मेरे भाव प्राचीन है—अर्थात् ये भाव मुझे प्राचीनसे-प्राचीन ग्रथोंमें दिखाई देते हैं और उन्हें मैं अपने जीवनमें उतारनेकी कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण मैं मानता हूँ कि मेरा सनातनी होनेका दावा विलकुल ठीक है। शास्त्रोकी कथाको रोचक बना-बनाकर प्रस्तुत करनेवालोको मैं सनातनी नहीं कहता। सनातनी तो वही है जिसकी रग-रगमें हिन्दू धर्म व्याप्त हो। इस हिन्दू धर्मका वर्णन भगवान् गुरुनरन एक ही वाक्यमें कर दिया है—'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या'। दूसरे ऋषियोने कहा है 'सत्यसे बढकर दूसरा धर्म नहीं।' और अन्योने कहा है कि अहिंसा ही हिन्दू धर्म है। इन तीनमें से आप चाहे किसी सूत्रको ले लीजिए, उसमें आपको हिन्दू धर्मका रहस्य मिल जायेगा। ये तीन सूत्र क्या हैं, मानो हिन्दू धर्मशास्त्रोको मथकर निकाला उनका नवनीत ही है। धर्मका अनुयायी, सनातनधर्मका दावा करनेवाला मैं किसी भी शस्त्रके दिलको कदापि चोट नहीं पहुँचाना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ इतना ही

१ ये शब्द मुँहसे निकले ही ये कि कुछ लोग समासे उठकर शान्तिके साथ वासकी दृष्टियोंके बन्द छोड़ने लगे।

२ बहुतेरे हाथ ऊपर उठे, सिर्फ एक हाथ खिलाफ उठा, और अन्त्यजोको सवके साथ बैठा दिया गया।

३ साथ शकरार्घ्य।

चाहता हूँ कि आप अन्त्यजोको छूनेमें परहेज न करे। अन्त्यज मनुष्य है। मैं चाहता हूँ कि उनकी सेवा हो, क्योंकि वे सेवाके लायक हैं। जैसी सेवा माता बालककी करती है वैसी ही वे समाजकी सेवा करते हैं। उनको अछूत मानना, उनका तिरस्कार करना मानो अपना मनुष्यत्व गँवाना है। हिन्दुस्तान आज ससारमें अछूत बन गया है। इसका कारण यह है कि उसने अनेक कोटि अर्थात् असंख्य लोगोको अस्पृश्य मान रखा है। और इसका फल यह हुआ है कि हमारे साथ रहनेवाले मुसलमान भी दुनियामें अस्पृश्य माने जाने लगे हैं। यह उलटा परिणाम क्यों हुआ? इसका एक ही जवाब है। 'जैसा करोगे वैसा पाओगे' यह ईश्वरका न्याय है। ससारके द्वारा ईश्वर हमें इस न्यायकी शिक्षा दे रहा है। इसे समझना कठिन नहीं है, यह तो सीधा-सा न्याय है। "ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्" भगवान् कृष्णने कहा है कि तुम जिस तरह मुझे भजोगे उसी तरह मैं तुम्हें भजूंगा। इसलिए मैं आपसे जो-कुछ चाहता हूँ यदि आप उसे समझ लेंगे तो आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं आपको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं आपसे जरूरतसे ज्यादा आशा नहीं करता। मैं यह भी नहीं चाहता कि आप अन्त्यजोके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार करे। यह तो आपकी इच्छाकी बात है। परन्तु अन्त्यजको अस्पृश्य मानना इच्छाका विषय नहीं है। जिसका स्पर्श करना चाहिए, उसे अस्पृश्य मानना और जो अस्पृश्य है, उनका स्पर्श करना, इच्छाका विषय नहीं है। यदि आप अन्त्यज भाइयोके दुःखोको महसूस न कर सके, तो फिर आप 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' किस तरह कह सकते हैं? उपनिषदोके रचयिताओमें पाखण्डी कोई भी न था। उन्होने जगतको ब्रह्ममय कहा है। अतएव हम यदि अन्त्यजके दुःखसे दुःखी न होंगे तो हम अपनेको जानवरसे भी बदतर साबित करेंगे। हमारा धर्म पुकार-पुकार कर कह रहा है कि जो जीव पशुमें है वही हम सब लोगोमें भी है। किन्तु हमने तो उस धर्मका गला ही घोट दिया है। अखा भगतने अस्पृश्य भावनाको धर्मका अधिकाग कहा है। मैं तो दयाभावसे, प्रेमभावसे, भ्रातृभावसे इस अधिकागकी शल्यक्रिया करनेको कहता हूँ। यदि ऐसा करेंगे तो हिन्दू धर्मकी शोभा बढ़ जायेगी। इसमें हिन्दू धर्मकी रक्षा भी आ जाती है। हेतु यह नहीं है कि अन्त्यजोका मुसलमान या ईसाई बनना रूकेगा। किसी भी धर्मका आधार उसके अनुयायियोंकी संख्यापर अवलम्बित नहीं रहता। संख्याको धर्म-बलका आवार माननेसे बढ़कर भ्रान्त कोई भी धारणा नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति सच्चा हिन्दू रहे तो हिन्दू धर्मका नाश नहीं हो सकता, और यदि पाखण्डी हिन्दू करोड़ों भी हो तो उनसे हिन्दू धर्मकी रक्षा नहीं होती, ऐसी अवस्थामें तो उसका विनाश ही निश्चित समझिए। मैंने जो यह कहा कि हिन्दू धर्म सुरक्षित रहेगा, उसका भाव यह है कि जब हम प्रायश्चित्त कर चुकेगे, अनेक युगोका ऋण अदा कर देंगे, तभी हमें इस दारिद्र्यसे छुटकारा मिलेगा।

अस्पृश्यतामें घृणाभाव स्पष्ट है। कोई यदि कहे कि अस्पृश्य भावना रहते हुए भी मैं अछूतोसे प्रेम करता हूँ, तो मैं इस बातको कभी नहीं मान सकता। मुझे तो इसमें प्रेमभाव कही प्रतीत नहीं होता। यदि प्रेम हो तो हम उन्हें न तो दुरदुरा सकते हैं और न जूठन ही खिला सकते हैं। प्रेम हो तो हम उसी तरह उन्हें पूजेंगे

जिस तरह माता-पिताको पूजते हैं। प्रेम हो तो हम उनके लिए अपनेसे भी अच्छे कुएँ, अच्छे मदरसे बनवा देगे, उन्हें मदिरोमे आने देगे। ये सब प्रेमके चिह्न हैं। प्रेम अगणित सूर्योसे मिल कर बना है। जब एक सूर्यका प्रकाश ही फैले बिना नहीं रहता तब भला प्रेम क्यों कर छिपा रह सकता है? किसी माताको कही यह कहना पडता है कि मैं अपने बच्चेको चाहती हूँ? जिस बच्चेको बोलना नहीं आता वह माताको आँचके सामने देखता है और जब आँख मिल जाती है तब हम देखते हैं कि वे अलौकिक भावसे आप्लावित हैं।

मेरे कहनेमे कोई यह भी न मान बैठे कि दक्षिण आफ्रिकासे आया हुआ नई रोशनीवाला यह हिन्दू अपने विचार हिन्दू धर्ममे प्रविष्ट कर देना चाहता है। मैं कह सकता हूँ कि सुधार करनेकी मुझे अभिलाषा नहीं है। मैं तो स्वार्थी आदमी हूँ और खुद अपने ही मनमे मगन रहता हूँ। मैं तो अपनी आत्माका कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तटस्थ और निश्चिन्त बना बैठता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि जिस आनन्दका अनुभव मैं कर रहा हूँ उसका उपभोग आप भी करे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अन्त्यजोका स्पर्श करके, उनकी मेवा करके जो आनन्द प्राप्त होता है आप उसका उपभोग कीजिए।

वर और बचूको हम तो माला ही अर्पित कर सकते हैं। यदि वे प्रेमके बन्धनमे बँध जाये तो फिर हमें और चाहिए ही क्या? यदि वे परस्पर जीवनसगी बन जाये तो शेष क्या रह जाता है? अगर इसमे अधिककी इच्छा किसीको हो तो फिर उसे विवाह करनेका अधिकार नहीं है। विवाहको अनिवार्य माननेकी बेटगी प्रथाके अन्तर्गत कोई विवाह न करे, मैं तो यही चाहता हूँ। ऐसे कठिन सयोगमे पडी हुई कन्या यदि आजीवन कौमार्यका पालनकरे, तपश्चर्या करे, और उमाकी तरह व्रत लेकर बैठ जाये कि शिवके अतिरिक्त किसीसे विवाह नहीं कहूँगी तो उसे इस जीवनमे नहीं तो अगले जीवनमे शिव अवश्य मिलेगे। ऐसी बालिका सारी जातिका मुख उज्ज्वल करेगी। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यह बात समझ जाये कि विवाह भोगका साधन नहीं है, सयमका साधन है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-२-१९२५

६०. एक डायरीके पृष्ठ'

कुमारी ऐगस और कुमारी हिडस्लेको अडचारसे डाक्टर वेसेटने पिंजाई, कताई आदि सीखनेके लिए आश्रममे भेजा था जिससे वे अडचार लौटकर दूसरे लोगोको उनकी शिक्षा दे सके। वे आश्रममे एक महीना रही और उन्होने अपने दैनिक अनुभव अपनी डायरीमे लिखे। जब वे वापस जाने लगी तो वे 'यंग इंडिया' मे प्रकाशनकी दृष्टिसे अपनी-अपनी डायरीके सम्बन्धित अंश दे गईं। उन्हे पहली बार पढनेपर मैने सोचा कि उन्हे न छापना ही ठीक होगा, क्योंकि वे मुझे बहुत अधिक व्यक्तिगत जान पडे। सोचनेपर यह खयाल आया कि उनमे जहाँ-जहाँ व्यक्तिगत बातें हैं उन्हे काट दिया जाये और तब टिप्पणियाँ प्रकाशित कर दी जाये। लेकिन उन्हे फिर पढनेपर मैने यही निश्चय किया है कि वे टिप्पणियाँ विना किसी फेरफारके ही दे दी जाये। मै अवतक व्यक्तिगत बातोके उल्लेखका भार सहता रहा हूँ। इतना अतिरिक्त भार बहुत अच्छी तरह सह सकता हूँ। इन टिप्पणियोमे एक विशेष गुण है, जिसके कारण मै उन्हे प्रकाशित करनेके लिए विवश हूँ। उनमे आश्रमका जो वर्णन है वह पूराका-पूरा सत्य नहीं है। इन मित्रोको यहाँकी बातें जितनी सुन्दर लगी हैं वे उतनी सुन्दर नहीं हैं। आश्रममे विसर्गितियाँ हैं, उसके कष्ट और कठिनाइयाँ हैं, उसकी बहुत-सी बाधाओको दूर करना है। लेकिन आश्रममे उसके नामके अनुरूप जीवन वितानेका प्रयत्न किया जाता है। आश्रममे निश्चय ही कुछ बातें हैं जिनका अनुकरण विना कोई जोखिम उठाये किया जा सकता है। किन्तु मुझे पाठकोको यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि वे इस सुखद वर्णनकी कुछ बातोसे भ्रमित होकर आश्रममे प्रवेशकी प्रार्थना न करे। व्यवस्थापकने मुझे यह स्थायी सूचना दे रखी है कि वे जितने सदस्योकी देखभाल कर सकते हैं, आश्रममे उनसे ज्यादा सदस्य है और उन्हे अपने सामर्थ्यसे अधिक काम करना पडता है। कुमारी ऐगस और हिडस्लेने जिस जीवन पद्धतिका वर्णन किया है, उसे पसन्द करनेवाले लोग जहाँ भी रहते हो, वही उसका अनुकरण करे।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-२-१९२५

१. यह डायरी यंग इंडियाके १२ फरवरोसे ५ मार्चके अकोंमें प्रकाशित हुई है। यहाँ केवल गांधीजीकी प्रस्तावनाका अनुवाद दिया जा रहा है।

भी है और काता हुआ सूत उनसे माँग लेते हैं। वे लोग चरखा माँगते हैं और सूत भेजनेका वादा करते हैं। ऐसे-ऐसे लोग भी जो चरखेका मजाक उडाते थे उसके कायल होते जा रहे हैं।

मैंने पत्रको सक्षिप्त कर लिया है और उसकी अंग्रेजी भी सुधार दी है। मैं सभी कार्यकर्त्ताओका ध्यान इसकी ओर दिलाता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कोरी वातोकी अपेक्षा काम करके दिखा देना कही ज्यादा अच्छा है।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, १२-२-१९२५

६२. एक क्रान्तिकारीका बचाव

एक सज्जनने, जिन्होंने अपना नाम दिया है लेकिन पता नहीं दिया, एक पत्र भेजा है, जिसे वह 'खुली चिट्ठी' कहते हैं। मैंने बेलगाँव कांग्रेसके अपने भाषणमें^१ क्रान्तिकारी आन्दोलनके सम्बन्धमें जो बातें कही थी, इस पत्रमें उन्हीका उत्तर दिया गया है। पत्र देश-प्रेम, उत्साह और आत्मत्यागके भावसे ओत-प्रोत है। इसके अलावा यह उस अन्यायकी अनुभूतिसे लिखा गया है जो कहा जाता है, मैंने क्रान्तिकारियोंके प्रति किया है। इसलिए मैं इस गुमनाम पत्रको प्रसन्नतापूर्वक छापता हूँ। लेखकका पता नहीं दिया गया है। पत्रका पूरा पाठ ज्योका-त्यो नीचे देता हूँ^२।

मैं देशके राजनीतिक जीवनसे कब और कैसे निवृत्त होऊँगा, इस सम्बन्धमें मैंने किसीको कोई वचन नहीं दिया है।^३ लेकिन मैंने यह अवश्य कहा है और अब भी कहता हूँ कि यदि मैं यह देखूँगा कि भारत मेरे सन्देशको ग्रहण नहीं करता और रक्तमय क्रान्ति चाहता है तो मैं निश्चय ही हट जाऊँगा। उस आन्दोलनमें मैं कोई भाग नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भारतके लिए या ससारके लिए, जो एक ही चीज है, उसे उपयोगी नहीं मानता।

मैं अवश्य ही यह विश्वास करता हूँ कि देगने असहयोगके आह्वानका आश्चर्यजनक उत्तर दिया, लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि असहयोग जिस हदतक किया गया उसकी तुलनामें सफलता अधिक मिली है। जन-समुदायमें जो आश्चर्यजनक जागृति हुई है वह इस तथ्यका जीता-जागता प्रमाण है।

मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि देगने बहुत अधिक आत्मसमय बरता है, लेकिन मुझे अपना यह मत भी दोहरा देना चाहिए कि देगने जिस स्तरकी अहिंसाका पालन किया गया वह अपेक्षित स्तरसे बहुत नीचे दर्जेकी थी।

मेरा विश्वास यह नहीं है कि 'मेरा तत्त्वज्ञान' टॉल्स्टॉय और बुद्धके विचारोंका वेतुका मिश्रण है। वह क्या है यह मैं नहीं जानता, हाँ, इतना कह सकता हूँ

१. देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ५०४-२५।

२. यहाँ नहीं दिया गया है। गांधीजीके उत्तरसे पत्रके विषयका अनुमान हो जाता है।

३. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ५८५-८८।

कि वह वही है जिसे मैं सच समझता हूँ। उससे मुझे सहारा मिलता है। मैं टॉल्स्टॉय और बुद्धका बहुत ऋणी हूँ। किसी-न-किसी तरह अब भी मेरा खयाल है कि 'मेरे तत्त्वज्ञान' में 'गीता' की शिक्षाओका सच्चा भाव आ जाता है। सम्भव है मेरा खयाल त्रिकुल गलत हो, किन्तु उसके गलत होनेसे मेरी या किसी अन्य व्यक्तिकी कोई हानि नहीं होती। यदि मैं विशुद्ध सत्यका समर्थक हूँ तो मेरी प्रेरणाका स्रोत क्या है, यह विचार व्यर्थ है।

जो तत्त्वज्ञान मेरा कहा जाता है उसकी कसौटी उसके गुणावगुणके आधारपर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ससार सगम्त्र विद्रोहोसे त्रस्त हो गया है। मैं यह भी मानता हूँ कि दूरे देशोमें चाहे जो-कुछ हुआ हो, रक्तमय क्रान्ति भारतमें कभी सफल न होगी। जन-समुदाय उमका साथ नहीं देगा। जिस आन्दोलनमें जन-समुदाय कोई सक्रिय भाग नहीं लेता उममें कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। सफल रक्तमय क्रान्तिसे जन-समुदायके कष्ट बढ ही मकते हैं। क्योंकि जनताके नजदीक तो इसके वाद भी शासन विदेशी शासन जैसा ही होगा। मैं जिस अहिंसाकी शिक्षा देता हूँ वह अत्यन्त शक्तिशाली लोगोकी सक्रिय अहिंसा है। लेकिन अत्यन्त कमजोर लोग भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उससे वे अधिक कमजोर नहीं बनेगे। वे उसमें हिस्सा लेनेसे अधिक शक्तिशाली ही हो सकते हैं। जन-समुदाय जितना साहसी आज है उतना पहले कभी न था। अहिंसात्मक आन्दोलनमें यह आवश्यक होता है कि उसका सगठन सामूहिक पैमानेपर किया जाये। इसलिए उससे तामसिकता या अन्वकार या गतिहीनता उत्पन्न नहीं हो सकती। उमसे राष्ट्रीय जीवनकी गति तेज होती है। वह आन्दोलन खामोशीके साथ, करीब-करीब अदृश्य रूपमें अब भी जारी है, किन्तु वह जारी है, इसमें सन्देह नहीं।

क्रान्तिकारियोने वीरता दिखाई है और त्याग किया है इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन किसी बुरे उद्देश्यसे वीरता दिखाना और त्याग करना अत्यन्त उपयोगी शक्तिको बरबाद करना और एक बुरे उद्देश्यके निमित्त गलत ढंगसे किये गये त्याग और वीरताकी चमक दिखाकर लोगोका ध्यान एक अच्छे उद्देश्यकी ओरसे हटाकर उसे नुकसान पहुँचाना है।

मुझे वीर और आत्मत्यागी क्रान्तिकारीके सामने गर्वके साथ खडे होनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि मैं अहिंसक लोगोका उतना ही वीरत्व और त्याग मुकाबलेमें खडा कर दे सकता हूँ, जिसमें खासियत यह होगी कि किसी निर्दोष व्यक्तिके रक्तका एक घब्बा भी उसपर नहीं होगा। एक ही निर्दोष मनुष्यका आत्मबलिदान उन लाखो लोगोके बलिदानसे लाखो गुना शक्तिशाली होता है, जो दूसरोको मारते हुए मरते हैं। ससारमें जिस उद्दण्डतापूर्ण अत्याचारकी आजतक कल्पना हो पाई है, ऐसे किसी अत्याचारका मुँहतोड जवाब है — निर्दोष लोगोका स्वेच्छा-प्रेरित बलिदान।

स्वराज्यके मार्गमें तीन बडी बाधाएँ हैं — चरखेका अपर्याप्त प्रचार, हिन्दुओ और मुसलमानोमें फूट तथा दलित वर्गोपर अमानुषिक सामाजिक प्रतिबन्ध। मैं इन तीनोंकी ओर क्रान्तिकारियोका ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह काम बडे धीरजसे करनेका है, मैं उनसे कहता हूँ कि वे इसे पूरा करनेमें धैर्यपूर्वक उचित सहयोग

दे। सम्भव है इसमें उन्हें कोई तडक-भडक दिखाई न दे। लेकिन इस कारण तो उसमें और भी अधिक वैर्य और गौर्यके साथ खामोशीसे निरन्तर उद्योग करनेकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है उस आत्मोत्सर्गकी जो बड़ेसे-बड़ा क्रान्तिकारी ही कर सकता है। अघोर होनेसे क्रान्तिकारियोंकी दृष्टि धूमिल हो जायेगी और वे भटक जायेगे। झूठे गौरवमें आकर फाँसीके तख्तेपर झूल जानेकी अपेक्षा जन-समुदायके बीच स्वेच्छापूर्वक और यशकी आशाको त्यागकर नित्य आघापेट खाकर सेवा करते हुए गरीरको गलाना निस्सन्देह अधिक वीरताका काम है।

आलोचना-मात्र असहिष्णुता नहीं है। चूँकि मुझे क्रान्तिकारियोंसे प्रेम और सहानु-भूति है, इसलिए मैंने उनकी आलोचना की है। मुझे गलत माननेका उन्हें उतना ही अधिकार है, जितना मुझे उनकी गलती माननेका है।

‘खुली चिट्ठी’ में दूसरे मुद्दे भी हैं। लेकिन मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है। मेरा खयाल है कि उनका उत्तर पाठक आसानीसे दे सकते हैं और इनका सम्बन्ध किसी महत्त्वपूर्ण विषयसे तो कदापि नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-२-१९२५

‘६३. भाषण : भादरनमें ब्रह्मचर्यपर’

१२ फरवरी, १९२५

आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्यके विषयपर मैं कुछ कहूँ। कितने ही विषय ऐसे हैं, जिनपर मैं ‘नवजीवन’ में प्रसंगोपात्त लिखता हूँ। ब्रह्मचर्य भी एक ऐसा ही विषय है। इसपर भाषण तो मैं शायद ही कभी देता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसे बोलकर नहीं समझाया जा सकता। फिर मैं यह भी जानता हूँ कि यह एक बड़ी गहन वस्तु है। आप तो सामान्य ब्रह्मचर्यके विषयमें सुनना चाहते हैं, जिस ब्रह्मचर्यकी विस्तृत व्याख्या समस्त इन्द्रियोका सयम है, उसके विषयमें नहीं। साधारण ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रकारोंने बड़ी कठिन वस्तु बताया है। यह बात ९९ फीसदी सच है; इसमें १ फीसदीकी कसर है। इसका पालन इसलिए कठिन मालूम होता है कि हम दूसरी इन्द्रियोको सयममें नहीं रखते। इनमें मुख्य है रसनेन्द्रिय। जो अपनी जिह्वाको कच्चेमें रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणिशास्त्रके ज्ञाताओका कथन है कि पशु जिस दरजे तक ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उस दरजे तक मनुष्य नहीं करता। यह सच है। इसका कारण देखनेपर मालूम होगा कि पशु अपनी जिह्वेन्द्रियपर पूरा-पूरा नियंत्रण रखते हैं—इच्छापूर्वक नहीं, स्वभावमें ही। वे केवल घामचारे आदि पर अपनी गुजर करते हैं—और महज पेट भरने लायक ही खाते हैं। वे जीनेके लिए खाते हैं, खानेके लिए जीते नहीं हैं। पर हम तो इसके विलकुल विपरीत करते हैं। माँ वच्चेको तरह-तरहके मुस्वाडु भोजन कराती है। वह

मानती है कि बालकके साथ प्रेम दिखानेका यही सर्वोत्तम रास्ता है। ऐसा करके हम उन चीजोमे स्वाद बढ़ाते नहीं बल्कि कम कर देते हैं। स्वाद तो रहता है भूखमे। भूखके वक्त सूखी रोटी भी सुस्वादु लगती है और बिना भूखके लड्डू भी स्वादरहित मालूम होंगे। पर हम तो अनेक चीजोको खा-खाकर पेटको ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्यका पालन नहीं हो पाता। जो आँखे हमे ईश्वरने देखनेके लिए दी है उनको हम मलिन ऋते रहते हैं। देखनेकी वस्तुओको देखना नहीं सीजते। 'माता गायत्री क्यो न पटे और वह बालकको गायत्री क्यो न सिखाये', इसकी छानबीन करनेकी अपेक्षा उसके तत्त्वको समझकर सूर्योपासना कराये तो कितना अच्छा हो। सूर्यको उपासना तो सनातनी और आर्य-ममाजी दोनो कर मकते हैं। यह तो मैंने म्यूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया। इस उपासनाके मानी क्या है? अपना मिर ऊँचा रगकर, सूर्यनारायणके दर्शन करके, दृष्टिको शुद्ध करना। गायत्रीके रचयिता ऋषि ये, दृष्टा ये। उन्होने कहा कि मूर्यादियमे जो नाटक है, जो मौन्दर्य है, जो लीला है, वह और कही दिखाई नहीं दे सकती। ईश्वरके जैसा मुन्दर सूनवार अन्यत्र नहीं मिल सकता और आकाशमे बटकर भव्य रगभूमि कही नहीं मिल सकती। पर कौन माता आज बालककी आँखे धोकर उसे आकाश-दर्शन कराती है? किन्तु माताके मनमे तो अनेक विचार उठते रहते हैं। बडे-बडे घरमे जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप लडका गायद बडा अविकारी हो जायेगा, पर इम बातका कौन विचार करता है कि घरमे जाने-अनजाने जो शिक्षा बच्चोको मिलती है, उमसे वह कितनी वाते ग्रहण कर लेता है। माँ-बाप हमारे शरीरको ढकते हैं, सजाते हैं, पर इमसे कही गोभा बढ सकती है? कपड बदनको ढकनेके लिए हैं, सर्दी-गर्मीसे रक्षा करनेके लिए हैं, सजानेके लिए नहीं। जाडेसे ठिठुरते हुए लडकेको जब हम अँगोठीके पास ढकेलेगे, अथवा मुहल्लेमे खेलने-कूदने भेज देंगे, अथवा खेतमे कामपर छोड देंगे, तभी उसका शरीर बज्रकी तरह होगा। जिसने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, उसका शरीर बज्रकी तरह जरूर होना चाहिए। हम बच्चोको चौबीसो घटे घरमें रखकर उन्हें ठड आदिमे बचाये रखना चाहते हैं। इससे तो उनकी त्वचामे कृत्रिम ऊष्मा आ जाती है और उन्हें चर्म रोग हो जाते हैं। हमने शरीरको दुलराकर उसे विगाड डाला है। यह तो आगसे खेलना है।

यह तो हुई कपडेकी बात। फिर घरमे तरह-तरहकी वाते करके हम बच्चेके मनपर बुरा प्रभाव डालते हैं। उमकी शादीकी वाते किया करते हैं और इसी किस्मकी चीजे और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस सबके बाद हम पूरे जगली ही क्यो नहीं हो गये? मर्यादा तोडनेके अनेक साधनोके होते हुए भी मर्यादाकी रक्षा होती रहती है। ईश्वरने मनुष्यकी रचना इस तरहसे की है कि पतनके अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। ऐसी उसकी अलौकिक लीला है। यदि हम ब्रह्मचर्यके रान्तेसे ये सारे विघ्न हटा दे तो उसका पालन बहुत आसान हो जाये।

ऐसी हालतमे भी हम शारीरिक शक्तिमे दुनियाके मुकाबिले खडे होना चाहते हैं। इसके दो रास्ते हैं। एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है—शरीरवल

प्राप्त करनेके लिए हर किस्मके उपायोसे काम लेना—हर तरहकी चीजे खाना, कुश्ती आदि लडना, गोमास खाना, इत्यादि। मेरे लडकपनमे मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मासाहार हमे अवश्य करना चाहिए, नही तो हम अग्नेजोकी तरह हट्टे-कट्टे नही हो सकेगे। कवि नर्मदाशकरने भी अपनी एक कवितामे^१ ऐसी ही बात कही है। 'अग्नेज राज्य कर रहे है और भारतीय उनकी गुलामी कर रहे है', 'वह तो पूरे पाँच हाथ ऊँचा है' आदि पक्तियोमे यही भाव है। कवि नर्मदाशकरने गुजरातपर बहुत उपकार किया है। किन्तु इनका जीवनकाल दो पवोंमे विभाजित था। एक स्वेच्छाचारका काल और दूसरा समयका। यह कविता स्वेच्छाचार-कालकी है। जापानको भी जब दूसरे देशके साथ मुकाबला करनेका अवसर आया तब वहाँ गोमास भक्षणको स्थान मिला। सो यदि आमुरी प्रकारसे शरीरको तैयार करनेकी इच्छा हो तो इन चीजोका सेवन करना होगा।

परन्तु यदि दैवी साधनसे शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपनेपर दया आती है। इस अभिनन्दनपत्रमे मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है। सो मुझे कहना चाहिए कि जिन्होने इस अभिनन्दनपत्रका मजमून तैयार किया है उन्हें नही मालूम कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किसे कहते है। जिसके वाल-वच्चे हुए है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते है? नैष्ठिक ब्रह्मचारीको न तो कभी बुखार आता है, न कभी सिर-दर्द होता है, न कभी खाँसी होती है, न अपेडिसाइटिस होता है। डाक्टर लोग कहते है कि नारगीका बीज आतमे रह जानेसे भी अपेडिसाइटिस होता है। परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और निरोगी होता है उसमे ये बीज टिक ही नही सकते। जब आँते शिथिल पड जाती है, तब वे ऐसी चीजोको अपने-आप बाहर नही निकाल पाती है। मेरी भी आँते शिथिल हो गई होगी। इसीसे मैं ऐसी कोई चीज हजम नही कर सका होऊँगा। वच्चे ऐसी अनेक चीजे खा जाते है। माता इसका कहाँ ध्यान रखती है? पर उसकी आँतमे ही इतनी स्वाभाविक शक्ति होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके पालनका आरोप करके कोई मिथ्याचारी न बने। नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका तेज तो मुझसे अनेक गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नही हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने कुछ अनुभवमात्र ही पेश किये है, और इनसे ब्रह्मचर्यकी मर्यादा प्रकट होती हे। ब्रह्मचारी रहनेका अर्थ यह नही कि मैं किसी स्त्रीको स्पर्श न करूँ, अपनी वहनका स्पर्श न करूँ। पर ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि स्त्रीका स्पर्श करनेसे किसी प्रकारका विकार उसी तरह उत्पन्न न हो जिस तरह कागजको स्पर्श करनेमे नही होता। मेरी वहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्यके कारण मुझे हिचकना पडे तो वह ब्रह्मचर्य तीन कौडीका है। जिस निर्विकार दशाका अनुभव

१. अग्नेजो राज्य करे, देशी रहे दवाभी
देशी रहे दवाभी, जोने बेना शरीर भाभी
पेलो पाँच हाथ पूरो, पूरो पाचसेने।

हम मृत शरीरको स्पर्श करके कर सकते हैं उसीका अनुभव जब हम किसी सुन्दर युवतीका स्पर्श करके कर सके तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हो कि बालक ऐसे ब्रह्मचर्यको प्राप्त करे, तो इसका अभ्यासक्रम आप नहीं बना सकते, पर मुक्त-जैसा ब्रह्मचारी, फिर वह अवूरा ही क्यों न हो, ही बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचार्याश्रम सन्यासाश्रमसे भी बढकर है। पर उमे हमने गिरा दिया है। इसमे हमारा गृहस्थाश्रम भी विगडा ओर वान-प्रस्थाश्रम भी। सन्यामका तो नाम भी नहीं रह गया। ऐसी दीन हो गई हे हमारी अवस्था।

ऊपर जो आमुरी मार्ग वताया गया हे उसका अनुकरण करके तो आप पाँच सौ वर्षोंतक भी पटानोंका मुकाबला नहीं कर सकेगे। दैवी मार्गका अनुसरण किया जाये तो आज ही उनका मुकाबला हो सकता है। क्योंकि दैवी साधनमे आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षणमे हो सकता है। पर शारीरिक परिवर्तनमे युग बीत जाते हैं। इन दैवी मार्गका अनुसरण तभी सम्भव होगा जब हमारे पल्ले पूर्वजन्मका पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित वातावरण पैदा करेगे।

[गुजरातीमे]

नवजीवन, १-३-१९२५

६४. भाषण : बोरसदमे

१२ फरवरी, १९२५

ईश्वरीय सयोग तो देखिए। मुझे किसलिए आना था और मैं किस लिए आया हूँ? काशीभाईने निर्णय किया है कि वे डाह्याभाई ओर यशोदाके विवाहमे कोई अनावश्यक खर्च नहीं करेगे। इमसे सम्बन्धीगण रुष्ट हो गये हैं। मैं घनी लोगोको चेतावनी देता हूँ कि जिनके पास पैसा फालतू पडा हो और जो उसे विवाहमे खर्च करने जा रहे हो वे उसे मेरे पाम भेन दे। मैं उसका सदुपयोग करूँगा। आडम्बरमे किया गया व्यय उचित नहीं कहा जा सकता। हम उलटे रास्ते चल रहे हैं। इसका फल यह हुआ हे कि पाटीदार जातिमे लडकीका वाप होना असंभव रूपमे कष्टप्रद हो गया हे। जब काशीभाईने कहा कि उन्हें किसी तरहका खर्च नहीं करना हे तो हम सब उनसे सहमत हो गये। मैं इस वारेमे आपकी सम्मति भी चाहता हूँ। आप भी अपने मनमे प्रभुसे प्रार्थना करे कि वह आपको इस प्रकारका सस्कार, ऐसी ही सादगीसे और धर्मविधिसे करनेकी शक्ति दे।

आपने जो मानपत्र दिया है उसके लिए आभार माननेकी आवश्यकता तो हे नहीं। इसके लिए आभार माननेका प्रश्न ही नहीं उठता। आपने मानपत्रमे खादी और चरखेकी बात कही है। यदि खादीमे दैवी शक्ति भरी है ओर चरखेमे स्वराज्य

दिलानेकी शक्ति है और वह सच्चा सुदर्शन चक्र है तो आप सबको खादी अपना लेनी थी, अन्यथा इस प्रकार मानपत्र देना और उसमें खादी और चरखेकी प्रशंसा लिखना और लडकियोसे उसके गीत गवाना व्यर्थ है।

इस सभामे अन्त्यज पीछे क्यों बैठे हैं? मैं तो इनकी पूजा करता हूँ। मैं अपने आपको अन्त्यज कहलानेमें गर्वका अनुभव करता हूँ। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि यदि मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े तो मैं अन्त्यजके घरमें लूँ। मैं इस समय अन्त्यजकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, अपने पापका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ, आत्मशुद्धि कर रहा हूँ। मैं हिन्दू समाजसे पूछता हूँ कि क्या आप अन्त्यजकी भाँति मुझे भी त्यागना चाहते हैं? मैं इस समय अन्त्यजेतर होनेपर भी यह नहीं कह सकता कि मैं नीति-सम्बन्धी समस्त नियमोका पालन मन, वाणी और कायासे करता हूँ, किन्तु प्रभुसे मेरी प्रार्थना है कि यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं पूर्णपुरुषके रूपमें जन्म लूँ और सो भी अन्त्यज परिवारमें। इनको पीछे बिठाना क्षात्रधर्म नहीं है। पाटीदार जाति तो वीर है। इसमें गुण बहुत हैं। किन्तु कुछ दोष भी हैं। किन्तु ससारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सर्वथा गुणरहित अथवा सर्वथा दोषरहित हो। हममें से कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। इस कलि-कालमें यह असम्भव है। इसलिए अन्त्यज नीचे हैं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके साथ रहकर अस्पृश्य बनना आपके साथ रहकर स्पृश्य बननेसे बहुत अच्छा है। मुझे तो प्रभुके दरबारमें माफी माँगनी है। ईश्वर मुझे कहेगा, “यदि तूने इन लोगोको अस्पृश्य माना हो तो ये लोग तुझे थप्पड़ मारेगें, क्योंकि तूने अपने भाइयोको पशु मानकर पाप किया है।” क्षत्रिय पीछे पाँव नहीं हटाते। अन्त्यजको पीछे रखना पीछे पाँव हटाना है। मैं आपसे कहता हूँ कि इनको पीछे बिठाकर आप अधर्म न करें। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि इस अधर्मको छिपानेका प्रयत्न किया गया है।

पाटीदार निम्न जातियोपर अत्याचार करते हैं, उनको मारते-पीटते हैं और उनसे वगार कराते हैं। मैं जानता हूँ कि यह बात सच है। आप ऐसे कामसे डरे। यदि आप ऐसे कामोसे नहीं डरेगें तो आपकी वीरताका लोप हो जायेगा। जो सुखी है, उसे सबको सुखी करनेका प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं दुःख सहकर दूसरोको सुखी बनाना ही धर्म है। स्वयं सुखी रहकर हम दूसरोको दुःखी करे यह तो आसुरी वृत्ति हुई। मुझे आपका मानपत्र नहीं चाहिए। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप अन्त्यज भाइयोको सुखी करे और स्वयं भी सुखी हो।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

६५. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

पेटलाद

१३ फरवरी, १९२५

नर प्रभाशंकर

भावनगर

आपका पत्र मिला। राजकोटमें इतवारसे बुधवारतक। वादका कार्यक्रम राजकोटमें पहुँचकर तय होगा। आज रात आश्रम पहुँच रहा हूँ।

गाधी

अत्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३१९२) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य महेश पट्टणी

६६. भाषण : पालेजमें

१३ फरवरी, १९२५

लडाईके अन्तमें हममें निडरता आनी चाहिए और रचनात्मक कार्यके अन्तमें योजना-शक्ति और कार्य-शक्ति। यदि हममें योजना-शक्ति और कार्य-शक्ति न आये तो हम राज्य नहीं चला सकते। यदि हम अहिंसासे राज्य प्राप्त करे तो वह सेवा-वृत्तिमें ही कायम रखा जा सकता है। किन्तु यदि हम सत्ता प्राप्त करनेके उद्देश्यसे राज्य लेंगे तो वह केवल हिंसासे ही टिकेगा। उचित यह है कि हम अहिंसाकी शक्तिको पुष्ट करे और सत्ताके बलको त्यागे। जबतक हममें मिलकर रहनेकी शक्ति नहीं आती तबतक अहिंसासे स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव है। मैंने इसीलिए लोगोंके सम्मुख त्रिविध कार्यक्रम रखा है।

धर्मके नामपर हम किसी भी कार्यमें मनचाही कर सकते हैं, किन्तु जब हमें यह मातृम हो जाये कि यह तो अधर्म है, तब हम वैसा करते नहीं रह सकते। मेरी दृष्टिमें तो अस्पृश्यता दासताकी अपेक्षा भी बड़ा अधर्म है। जब यहाँ अस्पृश्यता निवारणका आन्दोलन चला था तब उसमें ईसाइयो आदिके भाग लेनेका सुझाव भी आया था। किन्तु मैंने उसपर आपत्ति की थी। वाइकोममें अस्पृश्यता निवारणके कार्यमें जाँज जोसेफ-जैसे शुद्ध-हृदय मनुष्य भाग लेना चाहते थे, किन्तु मैंने उनको अनुमति नहीं दी। यदि हम दुनिया-भरसे मदद लेने जाये तो हमारी जिम्मेदारी बढ जाती है।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

१ देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४१६-१७ ।

६७. विद्यार्थियोंके बारेमे

एक भाई लिखते हैं :^१

गुजरात महाविद्यालयके और आपके दूसरे भाषणको पढ़नेपर भी जो बात सच है उसका खयाल दूर नहीं होता . . . यह तो आप मानते हैं कि आजीविका विद्याका फल होना चाहिए लेकिन आज तो उसमे भी बड़ी मुश्किले हैं। . . . असहयोग मुलतवी होनेपर अन्य लोग अपना मूल धन्धा फिरसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी इच्छा होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते। . . .

असहयोग करनेसे, उन वकीलोकी जिन्हे पहले मुकदमे नहीं मिलते थे, प्रसिद्धि हो जानेके कारण अब अच्छी कमाई हो रही है।

आप १५ तारीखको राजकोट पधारेगे। क्या आप देशी राज्योंको यह सलाह नहीं दे सकते कि विद्यापीठके स्नातकोंको भी वे अपने यहाँ रखें ?

विद्यार्थियोंके त्यागका उल्लेख तो मैंने अनेक बार किया है। यह नियम है, और इसका कुछ अपवाद भी नहीं है कि जो स्वयं अपने त्यागका उल्लेख करता है उसके त्यागका उल्लेख दुनिया नहीं करती। जिस त्यागका उल्लेख त्याग करनेवालेको स्वयं ही करना पडता है, वह त्याग नहीं है। आत्मत्याग तो स्वयंप्रकाशी होता है। अपने त्यागकी कीमत आँकनेके बजाय, उन्होंने जो-कुछ पाया है उसीका मूल्य विद्यार्थी क्यों न आँके ?

जो यह नहीं जानता कि राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करनेमे ही उसकी कीमत आ जाती है, वह कुछ भी नहीं जानता। राष्ट्रीय विद्यापीठके स्नातकको यह माननेकी कोई आवश्यकता नहीं कि उनका भाव घट गया है। इस प्रकार स्नातक अपना भाव क्यों घटाते हैं ? मैं राष्ट्रीय विद्यापीठके स्नातकोसे आत्मविश्वास रखनेकी आशा रखता हूँ। वे दीन, याचक न बने, ईश्वरपर विश्वास रखे। स्नातक क्यों चाहते हैं कि मैं उनके लिए देशी राज्योंके आगे हाथ पसारूँ ? स्नातक अपने ज्ञान और चरित्रबलपर ही बहुमूल्य क्यों न ठहरे ? ऐसा समय आ सकता है जब राष्ट्रीय स्नातकोकी ही माँग हो। ऐसा समय लाना स्नातकोपर निर्भर है। काँचके ढेरमे पडे हुए हीरेकी पहचान हुए बिना नहीं रहती। राष्ट्रीय स्नातकोके बारेमे भी यही बात हो सकती है। मैं तो काठियावाडमे, अपने व्याख्यानोमे स्नातकोके बारेमे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। मैं तो काठियावाडमे खादी और चरखेके प्रचारके लालचसे जा रहा हूँ, राज्याधिकारियोंको खादी-प्रेमी बनाने जा रहा हूँ, नरेशोसे यह विनय करनेके लिए जा रहा हूँ कि आप अपने धर्मपर ध्यान दे। यदि खादीकी और चरखेकी प्रतिष्ठा बढी तो स्नातकोकी भी प्रतिष्ठा बढी समझिए। क्योंकि जो चरखा-शास्त्रको घोलकर पी नहीं

गया है वह राष्ट्रीय स्नातक नहीं है। जैसे अधिकांश वर्गों को अंग्रेजी जाननेवाले कुशल नागरिकों का स्वरूप होनी थी, उसी प्रकार उन्हें कुशल चरमशास्त्रीकी आवश्यकता थी, ऐसा ही अनुमण्डल पैदा करनेके लालचसे मैं काठियावाड़ जा रहा हूँ।

अब मैंने सोची सोची भूँटि पुधारकेकी इजाजत चाहता हूँ। असहयोगी विद्यार्थी हूँ तो वे कठ धारण मुल्तरी नहीं रख सकते, यह मानना गलत है। शर्म और दुःख तो यह है कि हमारे विद्यार्थी असहयोग करनेके बाद फिरसे सहयोगी बन गये हैं। और यह हम अब भी चल रहा है। कितने ही असहयोगी कहलाने-वाले विद्यार्थियोंके राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त कर देनेपर भी फिरसे सरकारी परीक्षाएँ ही हैं। उनके विपरीत असहयोगी कितने ही वकीलोंकी सनदे छीन ली है और वे मान्यता प्राप्त नहीं कर गये हैं। और नौकरों को देनेवाले कितने ही सरकारी पदाधिकारियोंका नाम नहीं रखा जा सकती है। लेकिन उनमें से कितने ही लोग ऐसा नहीं मानते, वे तो जामे शांति और योग्यता अनुभव करते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरों के पगरोत ये आँ अब नौकरों छूट जानेपर स्वाधीन हैं, स्वतन्त्र हैं और इसलिए धारणों वरुभागी मानते हैं।

अगर जो विद्यार्थी हतोत्साह हो गये हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि उन्हें हतोत्साह होनेका कोई कारण नहीं है। जना ही नहीं, इनमें तो वे आगे ही बढ़ेंगे। हाँ, उसमें एक शक है। असहयोगी विद्यार्थीके बारेमें यह माना जाता है कि वह प्रामाणिक, निभय, नरम, उद्यमी और देशभक्त होता है। ऐसे विद्यार्थीको कभी निराश होनेका कारण नहीं होता। उन्हीपर देशका उद्धार निर्भर है। स्वतन्त्रता देवीके स्वर्ण मन्दिरों बुनियाद उन्हीपर होगी।

[गुजराती]

नवजीवन, १५-२-१९२५

६८ टिप्पणियाँ

एक सुधार

मैंने पिछड़े अकमें लिया है कि मैं राजकोटकी राष्ट्रीय शालाका उद्घाटन करूँगा। किन्तु अब यह शुभ काम माननीय ठाकुर साहबके हाथोंसे सम्पन्न होगा। व्यवस्थापकोंका मयाल पहले भी तो यही था। किन्तु यदि माननीय ठाकुर साहब उमका उद्घाटन न कर सकते तो मैं तो था ही। मुझे कोई निश्चित तार या समाचार नहीं मिला था, इसलिए मैंने यह मान लिया था कि यह विधि मुझको ही सम्पन्न करनी होगी। मैं तो दिल्लीकी ओर प्रवाममे था और मैंने वहीसे यह टिप्पणी लिख कर भेजी थी। जब मैंने यहाँ आकर यह देखा कि उद्घाटनकी विधि तो माननीय ठाकुर साहब ही सम्पन्न करेगे तो मुझे प्रसन्नता हुई। और यही व्यवस्था अभीष्ट भी है।

ऐसा ही चाहिए

हलयाल कर्नाटकका एक कस्बा है। वहाँकी ताल्लुका कमेटीके मन्त्रीने मुझे यह पत्र लिखा है।^१

यह नगरपालिका धन्यवादकी पात्री है। यदि वह पत्रमे उल्लिखित कार्योंके अतिरिक्त नगरकी सफाई भली-भाँति करवाती हो, वहाँ तालाव साफ रखा जाता हो, उसमे पशु पानी पीते और लोटते न ही और उसमे स्त्री-पुरुष नहाते-धोते न हो, और बच्चोको अच्छा और सस्ता दूध दिया जाता हो तो यह नगरपालिका आदर्श समझी जायेगी। यदि अन्य सब नगरपालिकाएँ इस नगरपालिकाका अनुकरण करे तो यह स्पष्ट है कि हमारी बहुतसी समस्याएँ हल हो जाये और हमारा जन-जीवन बहुत उन्नत हो जाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-२-१९२५

६९. भाषण : राजकोटमें^२

[१५ फरवरी, १९२५]^३

आज सुबह दरवारगढमे प्रवेश करते समय मुझे बचपनकी एक पावन घटनाका स्मरण हो आया। लीलाधरभाईसे उसके बारेमे बात कर ही रहा था कि हमारी मोटर इस स्थानपर आकर रुक गई। यह पावन स्मरण मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। भूतपूर्व ठाकुर साहबके यहांसे कुछ लोग कानपुर और घरमपुर जा रहे थे। मेरे पिताजी ऐसे मौकोपर अपने बच्चोको आगे-आग नही करते थे। आज सोचता हूँ तो लगता है, वह ठीक ही था। इससे हम दोनो भाइयोने कुछ भी नही खोया। मेरी माँकी प्रवृत्ति दूसरी थी। वह चाहती थी कि हम लोग जाये। उसके मनमे घनका लोभ था और कीर्ति तो स्त्री ही है, वह नारीका वरण नही कर सकती तिसपर भी वह कीर्तिकी लोभी थी। इस अवसरपर उसने हम दोनोको बुलाकर कहा भी कि ठाकुर साहब सज्जन पुरुष है, उनके पास जाकर रो पडोगे तो वे तुम्हे भी भेज देगे। दल तो चला गया था। मेरी माँ चाहती थी कि हम लोग घरमपुर जाये क्योंकि वहाँसे विदाईमे ज्यादा पैसा मिल सकता था। इसलिए हम दोनो माँकी सीख मानकर ठाकुर साहबके पास गये। इस दरवारगढको देखकर मुझे पिछली बातें याद हो आईं। यह भी याद हो आया कि मैं कहीं उनके पास जाकर खडा हुआ था। हम दोनो ठाकुर साहबके पास जाकर रोने लगे। उन्होने मेरे पिताजीसे पूछा, “गांधीजी, बच्चे

१. पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है। इसमें मन्त्रीने विस्तारसे बताया था कि वहाँकी नगरपालिकाने, जिसमें राश्ट्रवादिग्रोहा बहुमत था, स्वनात्मक कार्यके सम्बन्धमें क्या-कुछ किया है।

२. प्रजा प्रतिनिधि मण्डलकी ओरसे दिये गये अभिनन्दन पत्रके उत्तरमें।

३. २२-२-१९२५ के नवजीवनके अनुसार भाषण इस तारीखको दिया गया था।

क्यों रो रहे हैं ? ” पिताजीने हम दोनोंकी ओर आँखें तरेरी। उनमें विनय तो थी पर कभी-कभी ठाकुर साहवकी भूल देखते तो उनपर ही आँसे तरेर देते। हम डर गये। उनपर ठाकुर साहव बोले, “तुम्हे जो कहना हो वेवडक कहो।” हमने कहा कि हम घरमपुर जाना चाहते हैं। ठाकुर साहवने कहा, “लोग तो चले गये हैं, अब तो तुम कानपुर ही जा सकते हो।” हम दोनों भाइयोंने रोते-रोते अपना कहना करवा लिया। मैं आज भी रोकर अपनी बात मनवा लेना चाहता हूँ। यहाँ अभी शास्त्रीजीने मुझे श्लोकप्रद आशीर्वाद देते हुए यह कहा कि कीर्ति तो कुँवारी है। उसे अभी तक योग्य वर मिला ही नहीं। और उन्होंने कामना की कि वह मुझे वरण करे। कीर्ति कुँवारी है तो वह वैसी ही बनी रहे। मुझे कीर्तिकी चाह नहीं है। मैं तो दूगरी ही दो बातें चाहता हूँ और उनके लिए मुझे रोना ही पडेगा। अभिनन्दनपत्रमें मेरी बहुत स्तुति की गई है। श्रीमान् ठाकुर साहवने भी बहुत-कुछ कहा है। पर हममें मैं घोगेमें नहीं आ सकता। मैं यह नहीं मान लूँगा कि मैं इन सबके लायक हूँ। ठाकुर साहवने मुझे अपनी दाहिनी तरफ बैठाया और मानपत्र दिया — पर इससे मैं यह नहीं मान सकता कि मैं राजा हो गया। मैं राजा नहीं होना चाहता। मैं तो रयत हूँ और रयत ही रहना चाहता हूँ। हाँ, ठाकुर साहवने जो विनय प्रदर्शित की है उसे मैं भी अपनाऊँगा। मैं अपनी मर्यादा नहीं छोडूँगा और मूर्ख नहीं बनूँगा। मैं इन प्रकारके मानपत्रमें गर्व न मानकर यथासम्भव विनयशील ही बना रहूँगा।

अभिनन्दनपत्रके लिए आभार मानते हुए भी मुझे यह कहना चाहिए कि इसमें दो बाने छूट गई हैं। जानकर या अनजाने, सो मैं नहीं जानता। इसमें मेरी सेवाओंका जिक्र तो है तथा अहिंसा और सत्यको जो मेरा जीवन-मन्त्र कहा गया है वह भी बिल्कुल ठीक है। यदि ये दोनों मेरे जीवनसे निकल जायें तो मैं मुर्दे जैस जाऊँ और शेष जीवन व्यतीत करना मेरे लिए मुश्किल हो जाये। पर जिन दो मानपत्रों — ज्ञादी और अस्पृश्यता-निवारण — के द्वारा मैं सत्य और अहिंसाका पालन करना चाहता हूँ, उनका उल्लेख अभिनन्दनपत्रमें न देखकर मुझे आश्चर्य होता है। इन दोनों बातोंकी भावनामें जो सामर्थ्य है वह हिन्दू-मुस्लिम एकतामें भी नहीं है। बल्कि इन दोनोंमें से एककी भी साधना किये बिना हिन्दू-मुसलमानोंका ऐक्य भी असम्भव है। एक बार एक मुसलमान-मित्रने मुझसे कहा कि आप जबतक यह मानते रहेंगे कि हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यताके लिए स्थान है तबतक हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य किस तरह हो सकता है ? उक्त भाई एक पवित्र मुसलमान है। मुसलमानको अपवित्र माननेवाले लोग भी हैं, पर मैं समझता हूँ कि ऐसा मानकर वे अधर्म करते हैं। ‘गीता’ और हिन्दू धर्मशास्त्र शिक्षा देते हैं कि सम्प्रदाय विभिन्न होकर भी अखण्ड नहीं है। हिन्दू धर्म, जिसे मैं आग्रहपूर्वक पकडे हुए हूँ, गगोत्री है। उसकी अनेक शाखाएँ हैं। पर उनका मूल एक ही है। और मूलकी तरह मुख भी एक ही है।

कोई व्यक्ति डेढ, भगी या चमारके घरमें पैदा हुआ तो इससे क्या ? चाण्डाल नामकी कोई जाति नहीं है। डेढ नामकी कोई जाति है ? यह शब्द धर्मशास्त्रमें नहीं है। यह शब्द रुढ अवश्य है। डेढ अर्थात् कपडा बुननेवाला, भगी अर्थात् पाखाना साफ

करनेवाला। मैं तो आज भी भगी हूँ। वच्चा यदि टट्टी कर दे तो मैं उसे साफ कर डालूँ। मेरी माता भी भगी थी। उसके हाथ हमारा मैला साफ कर-करके घिस गये थे। आपकी माता भी यदि सीताकी तरह सती होगी, पतिव्रता होगी तो उसने भी वच्चोका मल-मूत्र साफ किया होगा। सती सीता प्रातःस्मरणीया थी। पर उन्होंने भी बहुत मैला साफ किया था और वे भी भगी बनी थी। जिस तरह इन माता-ओका त्याग नहीं किया जा सकता उसी तरह भगीका भी त्याग कैसे किया जा सकता है? यदि हिन्दू धर्मशास्त्रोके अनुसार अस्पृश्यता धर्मका अभिन्न अंग हो तो मैं हिन्दू कहलानेमें अभिमान न मानूँ। मैं शास्त्रियोसे भी उद्धत होकर कहूँगा कि हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यताके लिए स्थान नहीं है और निरन्तर कहता रहूँगा कि नहीं है।

जब आजका कार्यक्रम मैंने देखा कि शास्त्री लोग मुझे आशीर्वाद देगे तो यह देखकर मुझे हर्ष भी हुआ और खेद भी हुआ। खुशी इस बातसे हुई कि मेरे अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी कामके लिए भी मुझे शास्त्रियोकी ओरसे आशीर्वाद मिलेगा। खेद इस बातका है कि राजाओकी छायामें खड़े होकर शास्त्री लोग कुछ कहे भी तो उसका क्या मूल्य? मैंने बहुतसे सुना है कि काठियावाडके इन टीलोमें कमसे-कम एक ऐसा अवश्य है जो वन्दनीय है। सब लोग इस बातको जानते हैं कि ठाकुर साहव प्रजाके हित चिन्तक है। परन्तु भूल तो प्राणिमात्रसे होती है और यदि मुझे ठाकुर साहवकी भूल मालूम हो तो मैं राजकोटका प्रजाजन होनेके कारण, प्रजाके अधिकारका उपयोग करते हुए ठाकुर साहवसे कहूँगा कि आप भूल कर रहे हैं। मैं इस राज्यके अपने जमानेके शास्त्रियोकी हालत जानता हूँ। इनमें एक मावजी जोशी थे, वे शास्त्रज्ञ थे, ज्ञानी थे, किन्तु फिर भी अनेक बार वे सिद्धान्तसे डिग जाते थे। वे स्पष्टवक्ता थे किन्तु हवाका रुख देखकर उन्हें कई मौकोपर बात करनी पडती थी। मैंने सोचा कि ठाकुर साहवने हुक्म दिया होगा कि गांधीको शास्त्रियोसे आशीर्वाद दिलाया जाये। नहीं तो शास्त्री लोग मुझ-जैसोको आशीर्वाद क्यों देने लगे? इस तरह मिले आशीर्वादसे लाभ भी क्या है? मैं तो यह चाहता हूँ कि शास्त्री लोगोमें इतना तेज हो कि यदि मुझे वे सनातनी हिन्दू मानते हो तो वैसा कहे; चाण्डाल मानते हो तो चाण्डाल कहे। मैं तो शास्त्रियोका भ्रम मिटाना चाहता हूँ। उनसे कहना चाहता हूँ कि जो अहिंसा-धर्मका पालन करता है वह किसीको अस्पृश्य नहीं मानता। इस कारण मुझे दुःख होता है कि शास्त्री लोगो द्वारा आशीर्वाद दिलाते हुए भी मेरी अन्त्यज-सेवाका उल्लेख अभिनन्दनपत्रमें नहीं है। इसके वारेमें मैं जरूर ठाकुर साहवसे शिकायत करूँगा। मैं तो रोकर राज लेनेवाला हूँ इसलिए उनसे कहूँगा कि जो अमियदृष्टि आप प्रजाके दूसरे वर्गोंपर रखते हैं वही अन्त्यजोपर भी रखिए। तभी आपका यह छोटा-सा राज्य, नन्हा होते हुए भी सारी पृथ्वीको सुशोभित करेगा और रामराज्य कहलायेगा। वाल्मीकि कविने कहा है कि श्री रामचन्द्रने कुत्तेके साथ भी इन्साफ किया था और तुलसीदासने कहा कि रामने चाण्डाल कहानेवालेके साथ मित्रता की, भरत निपादराजके पीछे पागल बनकर घूमते रहे, उसके चरण धोये। आप उन्हीं भरतके वंशज हैं। आप गरीबोको न भूले, रातको घुमकर प्रजाके दुःखोको देखे। अन्त्यजोका प्रतिनिधि बनकर मैं आपमें यह

मांगता हूँ कि आप पता लगायें कि पाठशालाओंमें अन्त्यजोंके लिए स्थान है या नहीं। यदि हाँ तो उनमें अन्त्यजोंका प्रवेश कराइए और यदि ऐसा करनेसे दूसरे विद्यार्थी चले जायें तो उन्हें गाली रहने दीजिए।

यहाँ मैंने बालचरोको देखा। मेरे मनमें यह खयाल आया कि उनकी वर्दी भी गालीही नहीं है। राजा गालीही वर्दी मिले तो मेरे अन्त्यज भाइयोंका कुछ काम चले, काठियावाड़की जनसंख्या गरीब रिक्तियोंको भी कुछ मिले। एक गरीब बहनने मुझसे कहा, हम चरगा चरवाती हैं। मगर आपके लोग चरगा उठा ले गये। मैं मुनकर रंगन हो गया। मेरे लोग चरगा उठा ले जायें तो पृथ्वी रसातलकी नहीं चली जायेगी! मैंने उनको कहा कि मेरे लोग चरगा चरवाते-चलवाते एक गय होंगे, इसलिए उठना चले गये होंगे। आपने मेरा बहुत सम्मान किया। मैं तो यही शिक्षा माँग रहा हूँ कि आप मेरे बचावे रूप अचूक उपायको अपनायें। आप मुझे सादी दीजिए। आप नए लोग गाली पढ़ें, प्रजा प्रतिनिधि मण्डलमें सादीके सम्बन्धमें प्रस्ताव कराइए। आपने तो मुझे सुवर्णजटिन अभिनन्दनपत्र दिया। उसके लिए मैं तिजोरी कहाँसे लाऊँ? और यदि तिजोरी मांगू तो उनके लिए स्थान भी माँगना पड़े, और फिर रक्षक कहाँसे लाऊँ? मेरा धरम तो राम है। मैं ऐसे अभिनन्दनपत्रोंको लेता हूँ क्योंकि उन्हें संभालने-वाले जमनाशंकर बजाज-जैसे धनवान् पुरुष हैं, जो कि मेरे पुत्र बनकर बैठे हैं। मेरे यहाँ तो केवल सादीको स्थान है। और मैं सभीमें सादी माँगूंगा। मैंने तो लॉर्ड रीटिंगने भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप और आपके दरवान खादी-भूषित हो। यही शब्द मैं आपने और आपकी प्रजाके प्रतिनिधियोंसे कहता हूँ। और इस कारण मुझे यह बात पटवती है कि आपने अभिनन्दनपत्रमें मेरे इन दो मुख्य कार्योंका उल्लेख नहीं किया। मुझे तो राजमण्डलीके नाथ कानपुर और धरमपुर जाना है। ठाकुर साहबकी मन्ची सादी तो प्रजाके साथ होगी। और उस सादीके लिए मेरी माँग है— सादी और अन्त्यजोंका उद्धार। प्रजा तो कुमारिका है। उसका कुंवारापन यदि दूर करना चाहते हैं तो उनमें विवाह कीजिए, उसे मुनी बनाइए, उसकी देखभाल कीजिए, गतों जागकर, घूमकर उसके कण्ठों और दुख-दवाँको जानिए। रामने योद्धीकी उडती हुई वातगुन कर सीताजीको छोड़ दिया। आप भी प्रजामतको जानकर उसके अनुसार चलनेका यत्न कीजिए। राजाकी तलवार संहारका चिह्न नहीं है। यह तो हम वातका साक्षी-रूप है कि राजाका धर्म है तलवारकी धारपर चलना। साडा हमेशा याद दिलाता है कि साडेकी धारपर चलिए, सीवे रास्ते जाइए। टेढे रास्ते न जाइए। इसका अर्थ है कि राजकोटमें एक भी आदमी व्यभिचारी न हो, एक भी शस्त्र शराब पीनेवाला न हो, मदमत्त न हो, हरएक स्त्री सीताका स्थान लेनेवाली हो।

मुझे अपने पिताजीका स्मरण आ रहा है। मेरे पिताजीमें ऐव थे, पर गुण भी बड़े-बड़े थे। भूतपूर्व ठाकुर साहबमें भी ऐव थे, गुण भी थे। उनके तमाम गुण आपमें आयें। ऐवोंको कोशिश करके दूर करना आपका धर्म है। दुर्बलताकी जगह सबलता, कठुपताकी जगह पवित्रताको स्थान दिलाना आपका धर्म है। इसलिए गरीबों-पर दया रखें। उन्हें खिलाकर खायें। आपकी तलवार आपके अपने गलेके लिए है। प्रजासे आप कहिए कि यदि मैं अधिकारकी मर्यादासे च्युत होऊँ तो यह तलवार मेरी

गर्दनपर चला देना। मैं झूठी खुशामद कहूँ तो अघर्म कहूँगा। मैंने इस दरवार-गढमे नमक खाया है। भूतपूर्व स्व० ठाकुर साहवने मेरे पिताको चार सौ वर्ग गज जमीन विना किसी कीमत, शर्त या किरायेके देनेकी कृपा की थी। ठाकुर साहव तो चार हजार वर्ग गज दे रहे थे किन्तु पिताजीने इनकार किया और सिर्फ चार सौ गज ली। इस बातको न कहूँ तो मैं कृतघ्न कहलाऊँगा। सारी पृथ्वी यदि मेरा आदर करे तो भी मैं अभिमान नहीं कहूँगा, किन्तु आपके दिये मानकी मेरे निकट बहुत कीमत है। क्योंकि मैं राजकोटमे छोटेसे बड़ा हुआ, अनेक लडकोके साथ यहाँ खेला, असख्य स्त्रियोने मुझे खिलाया और आशीर्वाद दिया। परन्तु यदि असख्य स्त्रियाँ मुझे आशिष दे और मेरी माता न दे तो मुझे यह बात कैसे अच्छी मालूम हो सकती है? मुझे दूधकी जगह शराब मिले, गन्ना चाहूँ तो सिगरेट मिले, तो यह मेरे किस कामका? मैं तो स्त्रियो, गरीबो और अन्त्यजोके दुःखका निवारण कराना चाहता हूँ। अन्त्यजोके साथ मैं अन्त्यज हो गया हूँ। स्त्रियोसे मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए स्त्री हो गया हूँ। आपकी पवित्रताकी रक्षाके लिए मैं पृथ्वीका पर्यटन कर रहा हूँ। मैं यहाँ बतौर एक कगालके आया हूँ, ससारमे जो मुझे मान-आदर मिला है उसके बलपर नहीं आया हूँ। एक प्रजाजनकी हैसियतसे आया हूँ। मुझे यदि आप खबर देगे कि राज्यमे इतने चरखे चलने लगे हैं, इतनी खादी आ गई है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यदि मुझे खबर मिले कि रानी साहिबा भी खादी पहनती हैं और सारे राज्यमे, दरवारके कोने-कोनेमे खादी व्याप्त हो गई है तो मैं नगे पाँवों आकर आपको प्रणाम कहूँगा। आपका भला हो और ईश्वर आपको प्रजाका कल्याण करनेमे समर्थ करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-२-१९२५

७०. भाषण : राष्ट्रीय शालाके उद्घाटनपर^१

१५ फरवरी, १९२५

यह राष्ट्रीय शाला अथवा जिस विद्यापीठकी यह शाखा है वह विद्यापीठ, एक महान् प्रयोग है जो इस समय हिन्दुस्तानमे किया जा रहा है। शासक और शासनकी ओरसे ऐसे प्रयोग शायद ही हुआ करते हैं। उनकी प्रवृत्ति प्रचलित पद्धतिपर चलनेकी है। ऐसा राज्य शायद ही कोई होगा जो प्रचलित पद्धतिको छोडकर दूसरा प्रयोग हाथमे ले। ऐसे प्रयोग करना तो लोगोका काम है, शासकोका नहीं। शासक तो लोगोके रक्षक और प्रतिनिधि है। यदि मैं इससे भी आगे बढकर कहूँ तो सच्चा राजा प्रजाका सेवक ही है। इसलिए वह लोगोके खर्चसे ऐसे प्रयोग नहीं कर सकता। अतः इस दृष्टिसे ठाकुर साहवने शिक्षकोके सम्बन्धमे जो कुछ कहा है वह यथार्थ

है। किन्तु मेरे लिए, जिसने ऐसे प्रयोगोंमें ही अपना जीवन लगाया है, अन्य कुछ करना असम्भव है। इसलिए मैं ठाकुर साहबसे निवेदन करता हूँ कि वे मुझ-जैसे लोगोंपर अपनी कृपादृष्टि रखें। जिन लोगोंमें नया जीवन आ गया है और जो स्वतन्त्र और सयत होना चाहते हैं, यदि उन लोगोंके शिक्षकोंके नियम अत्यन्त कठोर न होंगे तो उन्हें सामान्य शालाओंके लिए मध्यम कोटिके शिक्षक प्राप्त करनेमें भी कठिनाई होगी।

मैं शिक्षकोंसे कहना चाहता हूँ कि वे कठिनाइयोंसे सघर्ष करे और मरण-पर्यन्त धर्मका पालन करे। चाहे छात्र १५० से ४० रह जायें, किन्तु वे इस शालाकी सेवा करते रहें। जैसे चुम्बक लोहेको खींचता है वैसे उनकी निष्ठा ही भविष्यमें शालामें दूसरे छात्रोंको आकर्षित करेगी। हम लोग आरम्भ-गूर कहे जाते हैं, किन्तु हमपर जैसे ही सकट आता है कि हम सकटमोचन भगवान्की स्तुति करनेके वजाय अहकार-पूर्वक काम छोड़कर बैठ जाते हैं। यदि हम जातियोंके इतिहासका अवलोकन करे तो देखेंगे कि जिन देशोंके लोग स्वतन्त्र हैं उनमें बहुतसे लोगोंने जीवनके सिद्धान्तोंका पालन मरण-पर्यन्त किया है। पाँच वर्ष नहीं, बीस वर्ष भी इस शालामें प्रगति होती न दिखे तो भी कोई चिन्ताकी बात नहीं है। किसी सस्थाके जीवनमें बीस वर्षका काल कुछ नहीं होता। चाहे हमें कोई स्पष्ट फल निकलता न दिखे, किन्तु यदि शिक्षकोंमें आत्मविश्वास है तो उन्हें अपने स्वीकार किये हुए सीधे मार्गपर ही चलते जाना चाहिए। अन्तमें उन्हें सुरम्य तट अवश्य दिखाई देगा।

मुझे इस शालाकी विशेषताके सम्बन्धमें दो शब्द कहनेकी आवश्यकता है। इसकी एक विशेषता तो यह है कि इसने अपने सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ आनेपर भी अन्त्यज बालकोंको प्रविष्ट किया है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें शरीर-श्रमको प्रथम स्थान दिया गया है। इस शालाकी भूमिमें हमें जो पेड़-पौधे उगे दिखाई देते हैं, उनको उगानेमें शिक्षकों और बालकोंने योग दिया है। यह शरीर-श्रम यज्ञका रूप है, किन्तु इस देशमें और इस युगमें यज्ञका सर्वोत्तम रूप चरखा चलाना है। प्रत्येक स्त्री और पुरुषको अन्त्यजोंके नामपर, देशके असख्य कंगालोंके नामपर और देशकी असख्य विधवाओंके नामपर नित्य आधा घंटा चरखा चलाना चाहिए। अभिभावकोंको जानना चाहिए कि विद्यार्थियोंको अपनी बुद्धि ही नहीं, शरीरका भी विकास करना चाहिए। उनको स्वहित ही नहीं, परहित भी साधना चाहिए। चरखेमें परहित आ जाता है, इस बातको जो लोग समझते हैं वे तो चरखेका त्याग कदापि नहीं करेंगे। किन्तु मैंने तो यह सुना है कि माता-पिताको यह नहीं रूचता कि उनके बच्चे शरीर-श्रम करे, चरखेसे सूत काते। सच्चे ज्ञानमें शरीर, आत्मा और बुद्धिका विकास सम्मिलित है। इस त्रिवेणीकी साधना ही श्रेयस्कर है। यह देश ऐसा है कि इसमें स्वार्थ-त्यागी और परिश्रमी शिक्षकोंके मनमें निराशाके भाव आ जाते हैं। मेरा ठाकुर साहबसे निवेदन है कि वे ऐसे वातावरणमें रहनेवाले शिक्षकोंपर अपनी कृपादृष्टि रखें।

क्या शालाका कार्य नीति-विरुद्ध है? यदि वह नीति-विरुद्ध हो तो अलग बात है। यदि कोई अस्पृश्यताके प्रश्नको नीति-विरुद्ध मानते हों, अन्त्यजोंको छूना भ्रष्टाचार

समझते हो तो वे अपने बालकोको शालामे न भेजे। ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि यदि इसमे मेरी भूल हो तो वह मुझे बचाये और यदि ऐसे माँ-बापोकी भूल हो तो वे उनके इस दुराग्रहको दूर करे।

किन्तु मैं अन्तमे इतना और कहना चाहता हूँ कि यह शाला ठाकुर साहबकी सहानुभूतिसे, माँ-बापोके प्रयत्नसे अथवा मेरे प्रयत्नसे अथवा वल्लभभाईके प्रयत्नसे अथवा अभावग्रस्त विद्यापीठकी सहायताके वचनसे नहीं चलेगी, इसका दारोमदार तो अध्यापकोपर निर्भर है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई सस्था केवल धनसे चली हो। यदि धनसे ही चल सकती होती तो कलकत्तेका हार्डिंग स्कूल बन्द न हो जाता। ऐसी सस्थाओको चलानेके लिए सच्चे सचालकोकी आवश्यकता होती है। उनमे प्राण फूँक सके। वे नहीं थे, इसलिए उक्त शाला बन्द हो गई। आप इस शालामे प्राण फूँके और ईश्वरका नाम लेकर काम करे। जो अपनेको निर्बल मानकर और ईश्वरका नाम लेकर काम करेगा और द्रौपदीकी तरह आर्त स्वरमे ईश्वरकी सहायता माँगता रहेगा उसे ठाकुर साहबसे या विद्यापीठसे सहायता लेनेकी कभी आवश्यकता न पड़ेगी। इसलिए यदि शालाको बन्द करनेकी नौबत आती है तो इसमे दोष शिक्षकोका ही होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-३-१९२५

७१. भाषण : जैन-छात्रावासके उद्घाटन समारोहमें

१५ फरवरी, १९२५

ठाकुर साहबने शिक्षाके सम्बन्धमे सुन्दर विचार व्यक्त किये हैं, किन्तु उन्होंने इस सम्बन्धमे यह कहकर निराशा दिखाई है कि ऐसे छोटे राज्यमे यह सब कैसे किया जा सकता है। ऐसी निराशाका कोई कारण नहीं है। प्रत्युत राज्य छोटा होनेमे उसे कई लाभ भी हैं। राजकोटके लोग ऐसे नहीं हैं कि उनसे कोई काम न लिया जा सके। यूरोपके छोटे-छोटे राज्य, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड, जिनको गत महायुद्धमे सम्मिलित न होनेसे लोग सामान्यतः नहीं जानते, ऐसे राज्य हैं जिनकी सभ्यता अन्य बड़े राज्योंकी तुलनामे किसी भी प्रकार कम नहीं है और जिन्होंने शिक्षाके क्षेत्रमे अनेक प्रयोग किये हैं। बड़े राज्योंकी कठिनाइयाँ भी बड़ी होती हैं। लॉर्ड रीडिंग-जैसे लोगोंको कितनी कठिनाइयोका सामना करना पड़ता होगा, यह मैं समझ सकता हूँ। उनको अनेक पक्षों और स्वार्थोंका विचार रखना पड़ता है और विस्तृत क्षेत्र सम्भालना होता है, इसलिए उनसे क्या हो सकता है? इसके विपरीत छोटे राज्योंमे अच्छी योजनाओपर अधिक सुगमतासे अमल किया जा सकता है। गुजरात विद्यापीठपर कुछ ऐसी ही बात लागू होती है। यदि हम आदर्श छात्रोंको लेकर एक आदर्श शालाकी स्थापना करे तो उसमे से वैसे अनेक शालाएँ उत्पन्न हो जायेगी। शून्यसे तो

कुछ भी उत्पन्न करी लेता। संख्यात गुणा भी शून्य होता है, किन्तु एकका गुणा तो अनेक ही मरता है। इसलिए विनाशता कोई कारण नहीं है। विनाशता कारण तो मनुष्य तक मरती होय है। यथा यथा जाता गतु होता है और स्वय ही अपना मित्र बनाता है। मनुष्यके उत्पत्तकी मर्यादा यथावती जगत्त नहीं है। हम जैसे आकाशमें उड़ते उड़ती मर्यादा नहीं बना सकते हैं। हम मनुष्यके उद्योगके उडे तो उनके लिए आकाशमें पर्याप्त उद्योग है। हम जैसे फिर ता उड़ती मर्यादा है। ईश्वरने प्रकृतिमें स्वय ही भक्ति, धर्म, शक्ति आदि जैसे मर्यादाएँ बांधी हैं। इसलिए हमें निराश होनेका कोई कारण ही नहीं है। मैं अपना दावा ही कहना चाहता हूँ कि वे राजाके विनाशता उद्योग के उडे उद्योगे और राजाके मैं यह कहना चाहता हूँ कि उद्योगे मनुष्य-मनुष्य विनाश है, किन्तु जिनाश विनाश है अभी उन्हें उद्योगे कही अधिक मर्यादा बांधी है।

यथा यथा मर्यादा पर्यन्त कारण ही जाना चाहिए। जैसे 'यथा राजा तथा मनुष्य' की उक्ति मर्यादा है वैसे ही 'यथा प्रजा तथा राजा' की उक्ति भी मर्यादा है। यदि मनुष्य मर्यादा पर्यन्त मर्यादा मनुष्य अन्ध होनेपर भी कुछ नहीं कर सकता। यदि मनुष्य मर्यादा पर्यन्त मर्यादा मनुष्य, मनुष्यकी और मनुष्यकी पूर्ण बना के तो उन सबकी मर्यादा मर्यादा मर्यादा भी मर्यादा वा जायेगी। मुझे उस मन्त्रन्वयमें इसलिए सकेत देना मर्यादा है कि 'मनुष्य मर्यादा भी अच्छा' यह कहावत उस समय भी सत्य है।

[मुद्राङ्कित]

मन्वन्वय, १-३-१९२५

७२. तार : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

जतपुर

१६ फरवरी, १९२५

मन्वन्वय

द्वारा जहांगीर पेटिट

माऊट पेटिट

पेटिट रोड

बम्बई

अध्यात्मिक मजकूर, उन्नीसको पोरबन्दर, इक्कीसको बडवान और बाईसको आश्रम। मन्वन्वय

मोहम

अग्नेजी मन्वन्वय (एम० एन० २४५६) से।

७३. तार : मदनमोहन मालवीयको

जैतपुर

१६ फरवरी, १९२५

मालवीयजी
विडला भवन
दिल्ली

आपके लिए नकले मुहैया कर रहा हूँ।^१ आशा है आप रावलपिंडी^२ हो आये होंगे।

गांधी

अग्रजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

७४. सत्याग्रहकी कसौटी

वाइकोमसे एक सत्याग्रही अपने पत्रमे लिखते हैं^३

मन्दिरके मार्गपर अन्त्यजोके आनेकी माँगको लेकर जो सत्याग्रह चल रहा है, त्रावणकोरकी विधान परिषद्ने २१ के खिलाफ २२ मतसे उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। दु ख इसलिए और भी अधिक होता है कि मतदाताओं-पर सरकारने इस बातके लिए दबाव डाला। . . . खुद अन्त्यजोके एक प्रतिनिधि-ने भी सरकारके हकमें राय दी थी। . . . अब लोग 'सीधे प्रहार' और जबर-दस्ती मन्दिरोंमें घुस जानेकी हिमायत कर रहे हैं। सत्याग्रह छावनीमें चेचक फैल गई है। . . . केरल प्रान्तीय कमेटीका उत्साह मन्द पडता जा रहा है। . . . हर बातके लिए हम आपकी अमूल्य सहायता और सलाहपर निर्भर रहते हैं। हमें पैसेकी बड़ी तंगी है। सभी सत्याग्रही आपकी वाट आतुरतासे जोह रहे हैं; कहना निरर्थक है कि आपके पधारनेसे हमारे उद्देश्यको अमूल्य सहायता प्राप्त होगी।

यह पत्र अच्छा है, क्योंकि इसमें बात साफ-साफ कही गई है। यदि इसमें कही बातें सच हो तो त्रावणकोर सरकारको इसपर वधाई नहीं दी जा सकती। पर

१. पत्र की।

२. देखिए " तार मदनमोहन मालवीयको ", ९-२-१९२५।

३. अशत. उद्धृत।

तथ्योंको मैं मर्य टोका-डोका नहीं जानता। जयतक मैं जाकर सच्ची हालत न जान लूं तयतक मैं अपनी राय कायम करना मुलतवी रखता हूँ। मैं जितना जल्दी हो गये वास्कोम जाना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि इसमें विलम्ब न होगा।

इस बीच मत्याग्रहियोंको निराश तो कदापि नहीं होना है। निराशाके सामने वे दय तो हरगिज नहीं करने। मैंने जो थोड़ी-बहुत तमिल सीपी उसमें मे, एक कहा-वा मुझे पता याद रहती है। उनका शब्दार्थ है 'निर्वलके बल राम'। इस मत्यके प्रति विश्वास ही मत्याग्रहके महार् मिद्वान्तका मूल है। इसके प्रमाणभूत उदाहरणोमे अनेके हिन्दू धर्मका मातित्य ही नहीं, दूसरे तमाम धर्माका साहित्य भरा पडा है। श्रावणकार रञ्जाने भये ही मत्याग्रहियोंके साथ विश्वासघात किया हो और भले ही मैं भी उनका नाम न दूं, किन्तु उनमें क्या होता है? यदि उन्हें उसपर श्रद्धा होगी तो उनपर उन्हें मंत्रानामे नहीं छोड़ेगा। यदि वे मेरे भरोमे ही तो उन्हें जान लेना चाहिए कि वे एक टूटी हुई पतवारका भरोमा रखे हुए हैं। इतने फामलेपर बैठा हुआ मैं उनको क्या मदद कर सकता हूँ। मैं भले ही उनके आँसू पोछ दे सकूँ, पर कष्ट-महन तो उन्हींको करना है। और यदि उनका कष्ट-महन युद्ध होगा तो उनके द्वारा उन्हें विजय मिले बिना नहीं रह सकता। उनपर अपने भक्तोंको अन्त तक शरीरोपर श्रद्धा है, पर उनको महनशक्तिकी हदमे बाहर हरगिज नहीं। वह उनके लिए जिम अग्नि-शरीरका विधान करता है उसमे से उत्तीर्ण होनेकी शक्ति भी वह उन्हें देना है। वास्कोमके मत्याग्रहियोंका मत्याग्रह ऐसा प्रयोगात्मक नहीं है कि कुछ समयमे मफूट न होनापर, या इन हदतक कष्ट सह लेनेके उपरान्त वे उसे बीचमें ही छोड़ दें। मत्याग्रहोंके लिए काल-मर्यादा नहीं होती और न कष्ट महनेकी ही मर्यादा होती है। उगोलिए मत्याग्रहमें पराजय नामकी कोई चीज ही नहीं होती। जिस वानको लोग मत्याग्रहियोंकी हार मानते ही सम्भव है वह उनकी विजयका उपाकाल ही — प्रभूतिके पहरेको वेदना ही।

वास्कोमके मत्याग्रहियोंका युद्ध म्वराज्यमे कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वे युगोसे प्रचलित अपराध और अन्यायका मुकाबला कर रहे हैं। कट्टरता, अन्धविश्वास, रुढ़ि और अधिकारीवर्ग उनके पृष्ठपोषक हैं। यह उन तमाम युद्धोमे एक ऐसा पुण्य युद्ध है जिन्हे ज्ञानके नामपर प्रचलित अज्ञान और धर्मके नामपर प्रवर्तित अवर्मके खिलाफ लड़ा ही जाना चाहिए। यदि उनके युद्धमे रक्तपातको कोई स्थान नहीं दिया जाना है तो कठिनमे-कठिन परिस्थितिमे भी उन्हें धीरज ही रखना है। आगकी ज्वकती ज्वालाओंके मुकाबलेमें भी उन्हें विचलित नहीं होना है।

ही सकता है कि [प्रान्तीय] कांग्रेस कमेटी उन्हें कुछ भी मदद न दे। उन्हें कोई आर्थिक सहायता न मिले। उन्हें भूखी मरना पड़े। फिर भी इन भयकर कसौटियोंमें उनकी श्रद्धा देदीप्यमान दिखाई देनी चाहिए।

मत्याग्रही जो कर रहे हैं वही 'सीधा प्रहार' है। परन्तु प्रतिपक्षियोंपर वे क्रोध नहीं दिया सकते। क्योंकि वे बेचारे इससे अधिक नहीं जानते हैं। वे सबके-सब दगावाज नहीं हैं, जिस तरह सबके-सब मत्याग्रही भी साफ और पाक नहीं होते। जिसे वे अपने धर्मपर आक्रमण समझते हैं उसके खिलाफ वे प्रामाणिकताके

साथ लड रहे हैं। वाइकोमका सत्याग्रह कष्ट-सहनके रूपमें एक दलील है। क्रोधरहित, द्वेषरहित, कष्टसहनके उदीयमान सूर्यके सामने कठोरसे-कठोर हृदय पिघले बिना नहीं रह सकता, घोरसे-घोर अज्ञान दूर हुए बिना नहीं रह सकता।

सत्याग्रह छावनीमें शीतलाके प्रकोपकी बात सुनकर मैं डेर गया हूँ। यह रोग गदगीसे उत्पन्न होता है और तन्दुरुस्ती-सम्बन्धी मामूली उपायोसे दूर हो सकता है। चेचकके रोगियोको दूसरोसे अलग रखकर उसके प्रकोपका कारण खोजना चाहिए। छावनीमें सफाई तो पूरी-पूरी रहती है न? डाक्टरके पास चेचककी कोई दवा नहीं होती। जल-चिकित्सा ही उसका उत्तम इलाज है। सूक्ष्म आहार अथवा अनाहार सबसे अच्छा रास्ता है। पर सबसे बढकर महत्त्वकी बात तो यह है कि रोगी अथवा दूसरे लोगोमें से कोई भी हिम्मत न हारे। रोगियोकी पीडा भी उनके कष्ट सहनकी विधिका एक अंग है। सैनिकोकी छावनियाँ रोगसे बिल्कुल अछूती नहीं होती। कहा तो यहाँतक जाता है कि गोलियाँ खाकर मरनेवाले सैनिकोकी अपेक्षा रोगसे मर जानेवाले सैनिक ही अधिक होते हैं।

सत्याग्रही रुपये-पैसेकी चिन्ता बिल्कुल न करे। उनकी अखण्ड श्रद्धा उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता दिला देगी। मैंने अबतक एक भी सन्कार्य ऐसा नहीं देखा जो धनके अभावके कारण पूरा न किया जा सका हो।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-२-१९२५

७५. हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न

एक सज्जन लिखते हैं ?

आपने 'यंग इंडिया' में एक पत्र द्वारा तालीमके क्षेत्रमें मुसलमानोके बहुत पिछड़े हुए होनेकी शिकायतका पर्दाफाश करनेवाले एक पत्रको स्थान दिया है। अब मैं आपका ध्यान एक और ऐसी चीख-पुकारकी ओर आकर्षित करता हूँ जो तालीमवाली बातसे भी ज्यादा बलुकी है और वह यह कि 'हिन्दुस्तानमें मुसलमान एक अल्पसंख्यक जाति है।' हमेशा यह बात कही जाती है और राजनीतिक मसलोके पेश होनेपर यह दलील चुपचाप मान भी ली जाती है। पर क्या दरअसल वे अल्पसंख्यक हैं? अगर उनके सिर्फ एक ही फिरके, हनफी सुन्नियोको ले ले तो क्या वे हिन्दुओके किसी भी एक फिरकेसे सख्यामें अधिक नहीं हैं? बल्कि भारतके ईसाई, पारसी, सिख, जैन, यहूदी और बौद्ध किसी भी धर्मके लोगोसे अधिक नहीं हैं? और फिर हिन्दू लोग कितनी ही ऐसी जातियो और फिरकोमें बँटे हुए हैं जो कि सामाजिक बातोंमें परस्पर उतने ही दूर हैं,

१. यहाँ पत्रका सारांश दिया जा रहा है।

जितने कि मुसलमान किसी गैर-मुसलमानसे ? और फिर अछूतोको लीजिए क्या उनकी तादाद 'मुस्लिम अल्पसंख्यकोके' बराबर नहीं है ? यदि हिन्दुस्तानके मुस्लिम पूयक् और विशेष ढगका व्यवहार, रक्षा और गारटो चाहते हैं तब अछूतोका दावा कितना प्रबल होगा ? . वे तो सदियोंसे और वास्तवमें आज भी ऐसी नियोग्यताओके शिकार हैं जिनसे न मुस्लिम और न सवणोंकी कोई अल्पसंख्या पीडित है और न भविष्यमें उनके विषयमें इस तरहकी कोई आशका हो सकती है। उदाहरणके तौरपर वाइकोम सत्याग्रह, पालघाटका झगडा, और बम्बईके 'टूक-टूक कर देने' की प्रतिज्ञा करनेवालोको लीजिए। उन आदिम जातियोंका यहां में जिक्र ही नहीं करता हूँ जिनकी गिनती हिन्दुओमें की जाती है। तब क्या सचमुच फेवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं ?

शब्दोंके नीचे रेखाकन लेखकका है। यह पत्र मैं उसमें परिलक्षित असन्दिग्ध गम्भीरताके कारण छाप रहा हूँ। फिर भी मेरी, एक निष्पक्ष निरीक्षककी दृष्टिमें लेखककी वह दलील जिनके द्वारा वे यह दिखलाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी अल्पमन्या नहीं है, सत्यका आभान-भर देती है। लेखक इस बातको भूल जाते हैं कि बात तो मारे मुसलमानोंके सारे हिन्दुओके मुकाबले अल्पसंख्यक होनेकी है। लेखक 'हैमन्न ठांड, फुलाडव गालू' वाला आग्रह नहीं रख सकते। यद्यपि हिन्दू आपनमें विभक्त हैं, तथापि मुसलमानोंके ही नहीं तमाम अ-हिन्दुओके विरोधमें वे लगभग एक होकर उनका मुकाबला करते हैं। मुसलमान भी यद्यपि आपसमें अनेक दलोंमें विभक्त हैं, तो भी कुदरती तौरपर तमाम गैर-मुस्लिमोंका मुकाबला वे एक होकर करते हैं। हकीकतको भुलाकर या उसको अपनी तजवीजोंके मुआफिक बैठकर इस सवालको कभी हल नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि मुसलमान सात करोड हैं और हिन्दू बाईस करोड। हिन्दुओंने इस बातको कभी नामजूर नहीं किया। अब हम यह भी देखें कि मामला दर-अमल क्या है ? अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगोंसे हमेशा महज इसलिए नहीं डरते कि उनकी संख्या ज्यादा है। मुसलमान हिन्दुओंकी बहुमन्यामें इसलिए डरते हैं कि उनका कहना है, हिन्दुओंने हमेशा ही हमारे माथ गैर-इन्साफी की है, हमारे मजहबी जजवातकी इज्जत नहीं की है, और उनका यह कहना भी है कि हिन्दू लोग तालीम और धन-दौलतमें हमसे बड़े-चड़े हैं। ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं इस सवालसे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि मुसलमानोंका विश्वास ऐसा ही है और इसलिए वे हिन्दुओंकी बहुमन्याकी ओर सशक्त हैं। मुसलमान लोग इस डरका इलाज कुछ अशमें पूयक् निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व — कुछ जगहोंमें तो अपनी संख्यासे भी ज्यादा प्रतिनिधित्व — प्राप्त करके कराना चाहते हैं। हिन्दू लोग मुसलमानोंकी अल्पसंख्याको तो मानते हैं पर उनके इन्साफ न करनेके डलजामसे इनकार करते हैं। इसलिए इसकी तसदीक करनेकी जरूरत है। मैंने हिन्दुओंको इस कथनका खण्डन करते नहीं देखा है कि वे तालीम और धन-दौलतमें मुसलमानोंसे बढकर हैं।

इवर हिन्दू भी मुसलमानोंसे डरते हैं। उनका कहना है कि जब कभी मुसलमानोंके हाथमें हुकूमत आई है, उन्होंने हिन्दुओंपर बड़ी-बड़ी ज्यादतियाँ की हैं और कहते हैं कि हालाँकि हमारी बहुसंख्या है तो भी मुट्ठीभर मुसलमान हमले करके हमारे छक्के छुड़ा देते हैं। हिन्दुओंके मनमें हमेशा पुराने अनुभवोंके दोहराये जानेका खतरा रहता है, और वे अग्रगण्य मुसलमानोंकी नैकनीयतीके बावजूद यह मानते हैं कि मुसलमान जनता तो मुसलमान गुंडेका ही साथ देगी। इसलिए हिन्दू मुसलमानोंके कमजोर होनेके उज्रको नामंजूर करते हैं और लखनऊ समझौतेमें^१ निहित सिद्धान्तको व्यापक करनेकी बातसे इनकार करते हैं। यहाँ भी यह सवाल नहीं उठता कि हिन्दुओंका यह डर कहाँतक ठीक है। उन्हें ऐसा डर है और हमें इसपर विचार करना होगा। किसी भी जाति या नेताकी नीयतपर शक करना अनुचित होगा। मालवीयजी या मियाँ फजल-ए-हुसैनपर अविश्वास करना मानो इस प्रश्नके निपटारेको स्थगित करना है। दोनों अपने विचारोंको ईमानदारीके साथ पेश करते हैं। ऐसी हालतमें अकलमदी इसी बातमें है कि तमाम छोटे-बड़े सवालको एक ओर रख दें और जो स्थिति वास्तवमें है उसका मुकाबला करें, न कि अपने द्वारा कल्पित किसी स्थितिका।

इसलिए मेरी रायमें लेखकने, चाहे अनजानमें ही हो, अपने पक्षको जरूरतमें ज्यादा सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। उनका यह कहना सच है कि खुद हिन्दू परस्पर विरोधी दलोंमें विभक्त हैं। उनमें ऐसे दल हैं जो अपने लिए अलग-अलग ढंगके विशेष व्यवहारका दावा लेकर खड़े होते हैं। उनका यह कहना भी ठीक है कि पृथक् प्रतिनिधित्वके लिए मुसलमानोंकी अपेक्षा अछूतोंका पक्ष कहीं अधिक मजबूत है। लेखकने मुसलमानोंके अल्पसंख्यक होनेकी हकीकतके विरोधमें आवाज नहीं उठाई है बल्कि जातिगत प्रतिनिधित्व और पृथक् निर्वाचनके विरोधमें उठाई है। उन्होंने यह दिखलाया है कि लखनऊके समझौतेके सिद्धान्तका विस्तार करनेसे असंख्य उपजातियों और दूसरी जातियोंके लिए जातिगत प्रतिनिधित्वका सवाल खड़ा हुए बिना न रहेगा। ऐसा करना स्वराज्यके शीघ्र आगमनको अनिश्चित कालतक स्थगित करना है।

लखनऊ समझौतेके सिद्धान्तको व्यापक बनाना या उसको कायम रखना भयावह है। किन्तु मुसलमानोंके दुःख-दर्दोंको देखा-अनदेखा कर देना भी क्या स्वराज्यको मुलतवी करना नहीं है? इसलिए स्वराज्यका कोई भी प्रेमी तबतक दम नहीं ले सकता जबतक इस सवालका ऐसा निपटारा न हो जाये, जिससे मुसलमानोंकी आशका दूर हो जाये और स्वराज्यके लिए भी कोई खतरा न रहे। ऐसा निपटारा असंभव नहीं है।

एक विकल्प तो यह लीजिए।

मुसलमानोंकी यह माँग कि बगाल और पंजाबमें उनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्याके अनुसार रहे, मेरी रायमें अस्वीकार नहीं की जा सकती है। उनकी यह माँग

^१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा १९१६ के लखनऊ अधिवेशनमें अपनाई गई संयुक्त सुधार योजना।

उत्तर या उत्तर-पश्चिमके भयके आधारपर अमान्य नहीं की जा सकती। अगर हिन्दू स्वराज्य चाहते हैं तो उन्हें यह जोखिम उठाना ही चाहिए। यदि हम बाहरी युनिटसे उगते हैं तो हमें स्वराज्यका तयाल छोड़ देना चाहिए। पर चूँकि स्वराज्य तो हमें लेना ही है, इसलिए मैं मुसलमानोंके न्यायोचित दावोंका विचार करते समय हिन्दुओंके उरकी इत्मीनको गारिज करता हूँ। अपनी भावी सुरक्षाको सतरेमें डालकर भी हममें न्याय करनेका माह्न होना चाहिए।

मुसलमानों द्वारा पृथक् निर्वाचनकी माँगका कारण पृथक् निर्वाचन ही नहीं है बल्कि यह है कि ये विधान-सभाओंमें तथा दूसरे निर्वाचक मण्डलोंमें अपने सच्चे प्रतिनिधि ही भेजना चाहते हैं। यह तो कानूनके जरिये अनिवार्य करनेकी अपेक्षा आपसी तौपर तजवीज कर लेनेसे अधिक अच्छी तरह हो जा सकता है। आपसी तौपर की हुई तजवीजमें घटा-बट्टीकी गुजाइश रहती है। मगर विधान द्वारा थोपे हुए निषेधोंमें उनके समयके साथ उत्तरोत्तर सख्त होते जानेकी सम्भावना होती है। आपसी तजवीजने दोनों दलोंकी ईमानदारी और सदाशयताकी परीक्षा होती रहेगी। पर वैधानिक निर्णयमें इन दोनों बातोंकी गुजाइश ही नहीं होती। आपसी तजवीजके मानी है, घरेलू झगड़ोंका घरेलू निपटारा और दोनोंकी दुश्मन अर्थात् विदेशी हुकूमतके विरोधमें सम्मिलित बलकी मजबूत दीवार। लोग कहते हैं कि मैं जो आपसी तजवीज गुना रहा हूँ उसके मुताबिक काम करनेमें कानून बाधक है। यदि ऐसा हो तो हमें उन कानूनी बाधाओंको दूर करनेकी कोशिश करनी चाहिए, न कि नई बाधा पैदा करने या जोड़नेकी। इसलिए मेरा सुझाव है कि पृथक् निर्वाचनका खयाल छोड़ दिया जाये और क्षेत्र विशेषमें दोनोंकी संयुक्त सम्मतिमें तयशुदा तादादमें मुस्लिम तथा दूसरे उम्मीदवारोंके चुनावकी मूरत पैदा की जाये। मुस्लिम उम्मीदवार जानी-भानी मुस्लिम मन्थियोंके द्वारा नामजद किये जायें। इस मौकेपर नियत तादादसे अधिक तादादमें प्रतिनिधि रखनेके सवालपर चर्चा जरूरी नहीं है। जब आपसी ठहरावके सिद्धान्तको सभी लोग स्वीकार कर लेंगे तब प्रतिनिधित्वकी बातपर विचार किया जा सकेगा और उम्मीदवारोंमें सम्मिलित सभी दिक्कतें भी हल की जा सकती हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि मेरे इस प्रस्तावमें पहलेमें यह एक बात गृहीत कर ली गई है कि इस सवालमें लगे हुए तमाम लोग स्वराज्यको ध्यानमें रखकर इसे हल करनेकी कोशिश सच्चे और साफ दिलमें चाहते हैं। यदि उद्देश्य किसी सम्प्रदाय विशेषके हकमें मत्ता-प्राप्तिका हो तब तो कोई भी आपसी व्यवस्था टिकी नहीं रह सकती। किन्तु यदि स्वराज्य ही हम सबका लक्ष्य हो और दोनों पक्षोंके लोग केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोणमें ही उसे हल करना चाहते हों तो फिर उसके भग होनेका जन्देशा रहता ही नहीं है। इसके विपरीत हर फरीक नेकनीयतीके साथ उनके अनुसार चलनेमें अपना हित समझेगा।

कानूनका काम इतना ही है कि वह समुचित मतदानकी व्यवस्था कर दे, ताकि सम्प्रदाय यदि चाहे तो अपनी तादादके लिहाजसे मतदाताओंके नाम दर्ज करा सके। मतदाताओंकी सूची ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रतिनिधि सख्याके अनुपातमें चुने जा सके। पर इसके लिए वर्तमान मताधिकारकी कार्यरितीकी गहरी छान-बीन करनी

होगी। मेरी नजरमें तो वर्तमान मताधिकार किसी भी स्वराज्य योजनामें स्थान पाने योग्य नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-२-१९२५

७६. एस० डी० एन० को^१

मैंने आपके पत्रके एक भागकी चर्चा अग्रलेखमें^२ की है। समयभावके कारण दूसरे भागपर विचार फिर कभी कलंगा, शायद अगले हफ्ते।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-२-१९२५

७७. टिप्पणियाँ

पहली मार्च याद रहे

पाठक इस बातको भूले न होंगे कि बेलगाँवमें कांग्रेसकी बैठकके बाद ही कुछ कार्यकर्त्ताओंने १ मार्चके पहले स्वयं कातनेवाले सदस्योंकी सख्या दर्ज करनेका वादा किया था। वह दिन बहुत नजदीक आ गया है। मेरे सामने उन सज्जनोकी नामावली मौजूद है जिन्होंने ऐसा वादा किया था। मैं आशा करता हूँ, वे अपने वचनका पूरा-पूरा पालन करेंगे। लोगोकी जानकारीके लिए मैं यह कह देना चाहता हूँ कि उस समय उपस्थित लोगोंने सारे देशसे ६,८०३ सदस्य बनानेका वादा किया था, और जबकि उस समय सभी प्रान्तोंके कार्यकर्त्ता मौजूद नहीं थे। पर, उदाहरणके लिए, बिहार और गुजरातने बेलगाँवके वादेसे अधिक सदस्य दर्ज करनेका निश्चय किया है। यदि भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके मन्त्री कृपापूर्वक स्वयं कातनेवाले तथा अन्य सदस्योंकी सख्या इस मासके अन्ततक 'यंग इंडिया' के नाम तारके जरिये भेज दे तो बड़ी अच्छी बात हो। कार्यकर्त्ताओंको सब जगह चार-चार आना देनेवाले सदस्य दर्ज करनेकी अपेक्षा स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले सदस्य दर्ज करनेके काममें अधिक कठिनाई आ रही है। मेरे नजदीक कतार्डके मताधिकारका महत्त्व भी इसी कठिनाईमें है। इस कठिनाईका कारण योग्यताकी कमी नहीं बल्कि मनोयोग और अव्यवसायकी कमी है। यह बात ध्यानमें रहे कि इस कठिनाईका अनुभव सिर्फ चरखेमें अविश्वाम रखनेवाले लोगोको ही नहीं हो रहा है बल्कि विश्वास रखनेवाले लोगोको भी हो रहा है। वे सहसा वादे कर लेते हैं और झटही उन्हें तोड़ भी डालते हैं, जैसा कि

१. पिछले शीर्षकमें उद्धृत पत्रके लेखक।

२. देखिए "हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न", १९-२-१९२५।

दिसम्बरके सूतके आँकड़ोंमें मालूम होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जिन सज्जनोंने वादे किये हैं, वे अब इसके लिए अविराम प्रयत्न करेंगे।

पुरस्कार-निबन्धके सम्बन्धमें

कुछ मित्रोंने मुझसे कहा है कि हाथ-कताई और खर्चके सम्बन्धमें पुरस्कार-निबन्ध भेजनेका समय बढ़ा दिया जाये। एक मित्रका सुझाव है कि इसकी तारीख नवम्बरतक बढ़ा दी जाये। लेकिन मैं ऐसा कहूँ तो जिस उद्देश्यके लिए निबन्धकी जरूरत है वह उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। श्री रेवाशकरने इस पुरस्कारकी घोषणा ईश्वरी मन्के उन्नी वर्षमें, जो तेजीमें सतम हो रहा है, चरखेके सन्देशके सम्बन्धमें विचार और कार्यको उत्तेजन देनेकी दृष्टिमें की है। इसके अलावा अवधि जो कम रानी गई है उन्का कारण यह है कि हमारे पास इन विषयके जो थोड़े-बहुत अनु-मन्वानकर्ता हैं, वे अपनी शक्तको केवल इसी दिशामें लगा सकें और आर्थिक लाभकी दृष्टिमें इसमें जम्नमन्द प्रादी-विद्यार्थियोंको आकर्षित करनेका ध्यान भी रखा गया है ताकि वे इन अवधिमें निबन्ध तैयार करनेमें अपना समस्त ध्यान केन्द्रित कर सकें। मैं यह आशा नहीं करता कि इन सम्बन्धमें कोई विशद् ग्रन्थ तैयार हो जायेगा, लेकिन मैं यह आशा अवश्य करता हूँ कि इस विषयपर एक उच्च स्तरका प्रारम्भिक निबन्ध लिखा जा सकेगा जो एक अधिक विशद् ग्रन्थ प्रामाणिक रूपमें लिखनेमें सहायक होगा। निबन्धमें इन विषयपर एक विस्तृत पुस्तक-सूची और इस सूचीकी पुस्तकोका वैज्ञानिक, शिक्षण, सम्बद्ध और सगत विवरण होना चाहिए।

ऐसे अनेक लोग हैं जो इन स्तम्भोंमें और अन्यत्र चरखेका आर्थिक महत्त्व सिद्ध करनेके लिए जो कुछ लिखा जाता है, प्रायः उसके तथ्योपर शका करते हैं। अनेक लोगोंको यह मन्देह है कि चरखा मिलोसे स्पर्धा नहीं कर सकता। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे महज एक सिलौना समझते हैं और यह मानते हैं कि विदेशी कपडेके आयातपर इनका कोई प्रभाव भी नहीं पड सकता। इस निबन्धमें ऐसे आँकड़े और तर्क चरखेके महत्त्वके सम्बन्धमें दिये जाने चाहिए जो अकाट्य हों। यदि निष्पक्ष और मत्पशोधक विद्यार्थियोंके आँकड़े इसे अमम्भव बताये तो बात दूसरी है। यह प्रयत्न इसी वर्षमें, जबकि मताधिकारके रूपमें चरखा चलानेका प्रयोग जाँचा जा रहा है, किया जाना चाहिए।

मुझे पाठकोंको यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि कुछ प्रतिभाशाली युवक नियमित रूपमें इन काममें लगे हुए हैं और इसमें वे इसके आर्थिक महत्त्वके खयाल-से नहीं, बल्कि इसलिए लगे हैं कि उन्हें इससे प्रेम है। मैंने ऐसे दो युवकोंसे निबन्ध प्राप्तिका समय बढ़ानेके सम्बन्धमें सलाह की और उन्होंने कहा कि यदि समय बढ़ाया जा सकता हो तो अच्छा हो। इसलिए अन्तिम तिथि अगली ३० अप्रैल कर दी है। इसका अर्थ है ६ सप्ताह और। मेरा विश्वास है कि यह वृद्धि उन सभी लोगोंके खयालमें, जो उत्तम निबन्ध लिखनेका प्रयत्न कर रहे हैं, पर्याप्त समझी जायेगी।

एक दूसरा सुझाव एक अन्य मित्रकी ओरसे आया है। उनका खयाल है कि परीक्षकोंमें एक दो मिल-मालिक — जैसे अम्बालाल साराभाई और मटुभाई काँटावाला —

भी शामिल किये जाने चाहिए। परीक्षकोंके नामोंका चुनाव मैंने किया था और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने मिल-मालिकोंका नाम जानबूझ कर छोड़ा था। मैंने यह अनुभव किया था कि परीक्षक इस विषयपर न्याय कर सके इसके लिए आवश्यक है कि उनका खादीपर विश्वास हो, तथा जिनमें परीक्षक होनेकी योग्यताके साथ-साथ सीधी बात स्वीकार कर सकनेकी क्षमता भी हो। लेकिन मेरे सवाददाताने सुझाव दिया है कि श्री मगनलाल गांधी-जैसे विशेषज्ञ भी मिल-उद्योगके घनिष्ठ परिचयके अभावमें भूल कर सकते हैं। इस आपत्तिमें बल है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ और इसलिए सम्बन्धित सज्जनसे प्रसन्नतापूर्वक स्वयं पत्र-व्यवहार करूँगा और निबन्धकी जाँचमें उनका सहयोग लेनेका प्रयत्न करूँगा।

बंगालके अछूत

बंगालसे एक सज्जन पत्र लिखकर पूछते हैं

(१) बंगालमें अछूतोंको कुँओसे पानी नहीं लेने देते और जिस जगह पीनेका पानी रखा हो वहाँ उन्हें जाने भी नहीं देते। इस बुराईको दूर करनेके लिए क्या करना चाहिए? यदि हम उनके लिए अलग कुएँ खुदवाएँ और अलग शालाएँ स्थापित करे तो इसका अर्थ इस बुराईको छूट देना होगा।

(२) बंगालके अछूतोंका झुकाव इस बातकी तरफ है कि ऊँची जातिवाले उनके हाथका पानी पीयें। लेकिन वे खुद अपनेसे नीची जातिवालोंके हाथका पानी लेनेसे इनकार करते हैं। उन्हें इस गलतीसे विरत करनेके लिए क्या करना चाहिए?

(३) बंगालकी हिन्दू महासभा और आम तौरपर हिन्दू लोग यह कहते हैं कि आप अछूतोंके हाथका पानी पीनेकी बात पसन्द नहीं करते।

मेरे उत्तर ये हैं-

(१) इस बुराईको दूर करनेका एक उपाय अछूतोंके हाथका पानी पीना है। मैं यह नहीं मानता कि उनके लिए अलग कुएँ खुदवानेसे यह बुराई स्थायी हो जायेगी। छुआछूतके प्रभावोंको निर्मूल करनेमें बहुत समय लगेगा। इस डरसे कि अछूतोंको अलग कुएँ बनवाकर मदद देनेके परिणामस्वरूप भविष्यमें भी उनके सार्वजनिक कुओंके उपयोग कर सकनेकी सम्भावना समाप्त हो जायेगी, इसे रोक रखना ठीक न होगा। मेरा विश्वास तो यह है कि उनके लिए यदि हम अच्छे कुएँ बनायेंगे तो और भी बहुतसे लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। ऊँची जातिवाले हिन्दू उनके प्रति अपने कर्तव्यका खयाल करके उनके सम्बन्धमें अपने भ्रम दूर करते रहेंगे। इसके साथ ही अछूतोंमें भी सुधार होता रहना चाहिए।

(२) जब ऊँचे कहलानेवाले हिन्दू अछूतोंको छूना शुरू कर देंगे तब अछूतोंमें भी अछूतपन अपने-आप नष्ट हो जायेगा। हमारा कार्य अछूतोंमें भी, जो सबसे नीचे दर्जेके हैं, उन्हींसे शुरू होना चाहिए।

(३) मैं यह नहीं जानता कि बंगालकी हिन्दू महासभा मेरे नामसे क्या कहती है। मेरी स्थिति तो विलकुल ग्राफ है। अछूतोंको शूद्रोंमें गिनना चाहिए और उनके साथ वना ही व्यवहार रखना चाहिए जैसा कि हम शूद्रोंके साथ रखते हैं और चूंकि हम शूद्रोंके हागना पानी पीते हैं, हमें अछूतोंके हाथका पानी पीनेमें भी नहीं झिझकना चाहिए।

जेलसे

आचार्य गिडवाणीने अपनी धर्मपत्नीके नाम जो पत्र भेजा है, उसे देखनेका अवसर मुझे भी मिला। उमगात कुछ जग नीचे देना हूँ

बच्चे कैसे हूँ? उनकी और अपनी चायकी आदतको छोड़ा दो, और जितना दूध दे सको, दो। तुम्हारी पढाईका क्या हाल है? जबतक तुम रचना-पर ध्यान न दोगी, तबतक तुम जल्दी आगे नहीं बढ़ सकोगी। मुझे भरोसा है कि तुम हिन्दी और चरखेके सम्बन्धमें लापरवाही नहीं कर रही हो। दिनका सारा वक्त घूममें और खुली हवामें बिताओ। हालांकि मेरा वजन कम ही बढ़ा है पर हालत यकीनन अच्छी है। जबतक तुम फिर मिलने आओगी तबतक मैं खूब चगा हो जाऊंगा। मैं इसके लिए 'मुलरकी प्रणाली' को धन्यवाद देता हूँ, जो जवाहरलालने जब वे यहाँ थे मुझे बताया था। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं बिगडा है कि सुधर न सके। उस नी महीनेकी काल कोठरीमें मैं बराबर प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम करता रहा था। मैंने उस पद्धतिका पूरा-पूरा अभ्यास कर लिया है। यदि तुम भी उसको शुरू कर सको और बच्चोंको भी सिखा सको तो अच्छा हो। बहरहाल पावंतीसे कह जरूर देना कि मैं चाहता हूँ कि वह घरके तमाम छोटे-बड़ोंको यह पद्धति सिखा दे। सम्बन्धित पुस्तक बाजारमें मिलती है।

पिछला पत्र भेजनेके बाद मैंने ज्यादा नहीं पढा है। जिन किताबोंको भेजनेके लिए तुम्हें लिखा था उनके न मिलनेसे सस्कृतकी मेरी पढाई रुकी हुई है।

फिलहाल मैं बढईगिरीका काम सीख रहा हूँ। कुछ दिनके बाद बुनना सीखना शुरू करूँगा।

चूंकि मैं भी कैदी रहा हूँ इसलिए दूसरे कैदियोंके अनुभवोंके साथ अपने अनुभवोंका मिश्रण अच्छा लगता है। आचार्य गिडवाणी ही ऐसे नहीं हैं जिन्हें जेलमें जाकर चायमें अरुचि हुई हो। मैं खुद भी रोज चाय और काफी पिया करता था। लेकिन मेरी पहली जेल-यात्राने ही वह आदत छोड़ा दी। वहाँ चाय नहीं दी जाती थी और चायकी गुलामीमें छूटनेका खयाल मुझे अच्छा मालूम होने लगा। हिन्दुस्तान तो इस शौकको करनेकी स्थितिमें भी नहीं है। मगर चायकी सबसे बड़ी खराबी यही है कि वह दूधका स्थान ले लेती है। चायमें सिर्फ उतनी ही पोषक शक्ति है जो उममें पडे दूध और चीनीसे मिलती है। जिम तरीकेसे हिन्दुस्तानमें चाय बनाई

जाती है वह तो दूध और चीनीका असर भी मार देता है। यहाँ चायको इतना उवालेते हैं कि उसकी पत्तियोंका दूषित व हानिकर रस, टेनिन भी उसमें उतर आता है। यदि चाय पीनी ही हो तो उसकी पत्तियाँ हरगिज न उवाली जानी चाहिए। बल्कि उन्हें छत्रीमें रखकर धीमे-धीमे उसपर खौलता हुआ पानी उँडेलना चाहिए। इस तरह जो पानी वरतनमें गिरे उसका रंग सूखी घासके रंगका होना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो आचार्य गिडवानीका अनुकरण करना ही है, अर्थात् हम चाय पीना विलकुल छोड़ ही दें। जो चायको अपनी खूराक न बनाना चाहते हो, सिर्फ शौकिया पीना चाहते हो, वे महज खौलता हुआ पानी लेकर उसमें थोड़ा दूध और थोड़ी चीनी मिलाकर रगके लिए थोड़ी दालचीनीकी चुकनी डालकर ले सकते हैं। 'मुलरकी प्रणाली' से सम्बन्धित आचार्य गिडवानीके विचारोंमें लोग दिलचस्पी लेंगे। मेरी रायमें आचार्यजी इस मामलेमें नये मुल्ला-जैसे हैं। इन तमाम तरीकोंका लाभ शुरूमें जितना दिखाई देता है उतना वास्तवमें होता नहीं है। 'मुलरकी प्रणाली' में नई बात कुछ नहीं है। वह हठयोगकी कुछ क्रियाओंकी वेतुकी और अवूरी-सी नकल है। सिर्फ तन्दुरुस्तीके ही खयालसे देखे तो हठयोगकी क्रियाएँ प्रायः पूर्णताको पहुँच गई हैं। उनमें अनेक हिन्दुस्तानी बातोंकी तरह सिर्फ दोष इतना ही है कि उनका जन्म हिन्दुस्तानमें हुआ है। उसका रहस्य केवल गहरे और नियमित श्वासोच्छ्वास और रगोको हलके हलके ताननेमें है। मुलरकी ओर हमारा ध्यान इसीलिए दौड़ जाता है कि उसने अपने इन व्यायामोंके शारीरिक लाभ बताये हैं। मुलरकी पद्धतिका उपयोग उन लोगोंके लिए अवश्य है जो हठयोगकी गुत्थियोंको समझनेके झगडेमें न पडना चाहते हो। वे जरूर मुलरकी आसान पद्धतिका लाभ उठा सकते हैं। फिर हमारे यहाँ हठयोगके ज्ञाता भी बहुत नहीं हैं और उनके पास सबकी पहुँच भी नहीं हो सकती। जो थोड़े बहुत हैं वे स्वभावतः, और उचित ही, उसके शारीरिक लाभोंके फेरमें नहीं पडते और इसलिए वे अध्यात्मके प्रेमी लोगोंको उसकी शिक्षा देते हैं।

चरखेके प्रेमी आचार्यकी चरखा-भक्ति तथा हिन्दी और संस्कृतके प्रेमकी कद्र किये विना न रहेंगे। बहुत दिनोंके बाद आचार्य गिडवानीके इस उल्लासपूर्ण पत्रको छापते हुए मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है, आचार्यजीकी तन्दुरुस्ती अब पहलेमें बहुत अच्छी है।

एक नई बात

पिण्डीसे मेरे लौटनेके बाद मैंने बोरसद ताल्लुकेके कोई १० गाँवोंकी यात्रा की है। यह वही तहसील है जहाँ कि १९२३ में श्री वल्लभभाई पटेलके नेतृत्वमें गानदार सत्याग्रह हुआ था और उसमें विजय भी प्राप्त हुई थी। उसके निवामी बुद्धिमान्, सुयोग्य और अपेक्षाकृत हट्टे-कट्टे हैं। पर मुझे यह देखकर बड़ा खेद हुआ कि कुछ गाँवोंमें गन्दगी और भ्रष्टता फैली हुई है और उसका एकमात्र कारण है दरिद्रता। कड़ी सर्दियोंके कारण फसल नष्ट हो गई थी। कुछ गाँवोंमें तो लोगोंको रात-दिन यही चिन्ता बनी रहती है कि कहीं वहाँके प्रमुख जमींदार अपने मवेगी उनके खेतोंमें ही न छुडवा दें। उन्हें यह भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा और न वे यही महसूस

कर पाते हैं कि उनका अपना कोई घरद्वार है। इसका नतीजा है निराशा और इसलिए कामकी ओर उदासीनता। ऐसे लोगोको चरखा ही एक सहारा था। मगर वहाँ चरखेका काम भी धीरे-धीरे ही चल रहा है। वे कुछ भी करना नहीं चाहते। वे जैसे-तैसे अपनी दो वक्तकी रोटी-भर कमा लेना चाहते हैं। उनकी शून्य और अविद्यवासशील दृष्टिसे यही झलकता था कि 'बरसोमे हमारा यही हाल है। इसी तरह हमारी जिन्दगी मृत हो जाने दो।' यदि कोई उन्हें कुछ दूसरा उद्योग या काम मुझाता है तो वे उमकी ओर कोई रुचि नहीं दिनाते। वे काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने अभीतक दूसरोकी चाकरी ही बजाई है और इसलिए वे चाकरीको ही सर्वोत्तम समझते हैं, स्वयं उद्योगशील बननेको नहीं। मेरे लिए यह एक नई बात थी और इसमे मुझे बड़ा दुःख हुआ। पर मैंने ऐसी हालत इसके पहले भी चम्पारनमे देखी थी और उडीसामे उससे भी बदतर। पर इस वोरसद तहसीलमे मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने यह नहीं सोचा था कि वोरसद तहसीलमे ऐसा अनुभव होगा। बल्कि मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि वहा सुव्यवस्थित गाँव देखनेको मिलेगे और उनमे उत्साह और आशा तथा प्रमन्नताके दर्शन होंगे। सभी गाँवोकी यही हालत हो सो बात नहीं है। वे एक दूसरेके बहुत नजदीक बसे हुए हैं, फिर भी हरएककी अपनी समस्या है और हरएककी अपनी समस्यित है। जिन गाँवोका मैंने जिक्र किया है, यदि उनके लिए आशाका कोई साधन हो सकता है तो वह एकमात्र चरखा ही है। उसे न तो मवेशी चर सकते हैं, न तुपार जला सकता है। कुदरतके निष्ठुर उत्पात तथा एक हदतक मनुष्यकी ज्यादातीमे भी बचनेका यही साधन है।

जो देशप्रेमी युवक ग्राम्य-जीवनकी कठिनाइयोका खयाल नहीं करते, और जो मूक तथा लगातार परिश्रममे, जो कि बहुत भारी तो नहीं होता है, फिर भी अपनी एकदृष्टताके कारण काफी भारी महसूस होता है, आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ भरपूर काम पटा हुआ है। जीवनदायी उद्योगकी एकरसताका अनुभव कर पानेके लिए पर्याप्त मनोयोगपूर्वक श्रम करनेकी आवश्यकता है। सगीतका नया विद्यार्थी उमके आरम्भिक पाठोको रग्या पाता है, पर ज्यों ही वह उस कलामे प्रवीण हो जाता है, उमकी एकरसता ही उमके लिए आनन्ददायिनी हो जाती है। यही बात ग्राम कार्यकर्ताओपर घटती है। मादक शहरी जीवनका नशा उतरते ही जब काममें मन लगने लगेगा तब शारीरिक श्रमकी एकरसतामे उन्हें बल और प्रेरणा मिलने लगेगी, क्योंकि उसमें उत्पादनकी शक्ति है। सूर्य-मण्डलको अनुदिन उसी क्रम और अचूक नियमितताके साथ परिभ्रमण करते देखकर किसका जी ऊबा है? महा-पुरातन होनेपर भी उसे देखकर मनमे आश्चर्य और सराहनाके भाव उत्पन्न होते हैं। उमकी सम-गतिमे व्याघात होनेका अर्थ सारी मनुष्यजातिका सर्वनाश ही है। यही बात उस ग्राम-सूर्यमण्डलपर भी घटती है जिसका मध्यबिन्दु चरखा है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १९-२-१९२५

७८. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

माघ वदी ११ [१९ फरवरी, १९२५]^१

सुज्ञ भाईश्री,

मैं यह पत्र पोरबन्दर जाते हुए गाडीमें और इसीलिए पेन्सिलसे लिख रहा हूँ।

मैं आश्रममें २२ से २६ तक रहूँगा और २७को दिल्लीके लिए निकलूँगा। वहाँ मैं २ मार्च तक तो ठहरूँगा ही। उक्त अग्रेज सज्जन मुझसे इस बीचमें मिल सकते हैं। ३ मार्चके वादका कार्यक्रम दिल्लीमें निश्चित होगा।

जब मैं राजकोटसे रवाना ही हो रहा था तब उससे जरा पहले भाई जयशंकर वाघजी जाम साहबकी ओरसे मुझे मिलने आ गये थे। उन्होंने कहा कि जाम साहब मुझसे मिलनेके लिए उत्सुक हैं। वे मुझसे वम्बईमें मिलना चाहते हैं और ७ मार्चके वाद। मैंने निश्चय किया कि जब वम्बई जाऊँगा तब जयशंकरको तार दे दूँगा।

मुझे गोडलके दीवानका असन्तोषजनक उत्तर मिला है। उन्होंने लिखा है कि मेरा गोडल राज्यके कार्यमें हस्तक्षेप करना अनुचित है। सूचित करे, आपके प्रयत्नका क्या परिणाम हुआ।

राजकोटमें ठाकुर साहबने बहुत सौजन्य दिखाया। मैंने उनको बता दिया है कि मेरे विचार क्या हैं।

आशा है आप चरखा नियमसे चलाते होंगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१९४) से।

सौजन्य महेश पट्टणी

७९. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

पोरबन्दर

१९ फरवरी, १९२५

वाइसरायके निजी सचिव
दिल्ली

तारके लिए धन्यवाद।^२ आपके तारमें उल्लिखित 'यग उडिया' में मैंने एक आदर्शकी बात की है, परन्तु मुकदमोको वापस लेनेके काममें विघ्न डालनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरा प्रयोजन सच्ची शान्तिकी स्थापना है

१. गाधीजी १९ और २० फरवरी, १९२५ को पोरबन्दरमें थे।

२. देखिए "तार वाइसरायके निजी सचिवको", ९-२-१९२५ की पाद-टिप्पणी।

जो मेरे विचारमें सरकारी हस्तक्षेप द्वारा लगभग असम्भव है, और भी ठीक रहे तो जवाबके गतज प्रयत्न या हस्तक्षेपके विना असम्भव है। मेरे गी-भरे मित्रोंके हस्तक्षेपमें सरकार द्वारा लिये जानेवाले प्रयत्नोंमें सार्वाधिक शान्ति स्थापित करनेमें सहायता ही मिलेगी। कृपया जवाब सार्वभूमिकी पत्रिका में दीजिए।'

गांधी

पत्र इण्डिया, १६-२-१९२५ तथा जयजी मगरिदे (एग० एन० २४५६) से।

८०. भाषण पोरबन्दरमें

१९ फरवरी, १९२५

पोरबन्दरकी प्रजाती तरफसे मुझे यह अभिनन्दन-पत्र दीवान साहबके हाथों सौंपा गया, उनके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। अभिनन्दन-पत्र चांदी या सदलकी मर्यादा के अन्तर्गत देते प्रजात उनके साथ आपने मुझे २०१) रुपयेका चेक देकर जितना प्रियेका पत्रिका दिया है, उतने लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि पोरबन्दरके मातापिता ही मेरी अभिवादाओंको न मन्जूरें और उन्हें पूरा न करे तो फिर उन पत्रिकाकेपर मैं किसे आशा रखूंगा? अनेक बार मैंने कहा है कि चांदी वगैरा मन्जूरेंके लिए मैं पाप जाह ही नहीं है। चांदी आदि रखनेके साधन जुटाना एक उपाय ही है। ऐसी वस्तुओंको त्याग करके ही मैं अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा कर पाया हूँ, और उमीलिय मैं हिन्दुस्तानके कहता हूँ कि जिसे मत्याग्रहका पालन करना है, उसे निश्चय बननेके लिए और हर क्षण मृत्युसे भेंट करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। चांदीकी मजूपा रखनेके लिए मेरे पाप स्थान कहाँ? इसलिए उसके वजाय आपने मुझे जो चेक दिया, उतने मुझे आनन्द ही हुआ है।

लेकिन एक तरफ जहाँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ वहाँ दूसरी तरफ मुझे अपनी कृपणतापर श्या आती है। मेरी भूत बहुत बड़ी है। इस कागजके टुकड़ेमें मेरा पेट नहीं भर सकता, २०१) मेरे लिए काफी नहीं हो सकते। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि मैं आपको यह यकीन दिला सकता हूँ कि जितना भी आपने लूंगा

१ वाचनायुक्त निजी मचित्रने २० फरवरीको धन्यवाद देने हुए उसका जवाब दिया था कि जो सम्पत्तिका अती नवने प्रदत्तोंके बाद हुआ है वह दोनो जातियोंके गैर-सरकारी लोगोंकी सहज रूपमें की गई महाशक्ति ही सम्भव हो सका है। निस्सन्देह, उसका स्वल्प दोनों जातियोंके बीच आपसी समझौते जैसा है और उनकी शक्ति को भी रक्षोवदल करनेसे पूरा समझौता गड़बड़ा जायेगा। इसके अलावा, इसी सम्पत्तिके आधारपर बहुत सोच विचारके बाद ही महामहिमने मुझसे वापस लेनेकी बात मानी है। इसलिए महामहिमको इन बातकी प्रशंसा तो है कि आपकी अपनी इच्छा भी शान्ति स्थापित करनेकी है, पर उनकी शक्ति है कि आपके प्रस्तावित दोरेका परिणाम यह होगा कि सारे मामलेपर फिर एक बार बहस छड़ी हो जायेगी ।

उससे दुगुना या उससे भी अधिक आप मुझसे बदलेमे पा लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक भी पैसा नहीं आता जिसमे से रुपयेके वृक्ष पैदा न होते हो—ब्याजसे नहीं, उसके उपयोगसे। व्याज लेकर जीनेसे तो मरना ही बेहतर है। एक पैसेसे जितना भी रस लूटा जा सकता है उतना रस मैं लुटाऊंगा। उसका उपयोग हिन्दुस्तानकी पवित्रताकी रक्षा करनेमे, हिन्दुस्तानके वस्त्रहीन स्त्री-पुरुषोका [शरीर] ढँकनेमे ही होगा। हिंसाव एक-एक पाईका रहेगा। आजतक मुझे एक भी शस्त्र ऐसा नहीं मिला जिससे मैं यह कह सकूँ कि आपने मुझे बहुत दिया है। इसीलिए मेरे बोहरा मित्र तो मुझसे दूर भागते हैं। वर्ना उमर हाजी आमद झवेरी' तो आज यहाँ होने ही चाहिए थे। वे कहते हैं कि तुम जब मिलते हो, लूटनेकी ही बातें करते हो। इस प्रकार आजके कठिन कालमे मेरे साथ मित्रता रखना भी भयकर है। आजके कठिन समय जो भाई हिन्दू होकर अपने रुपये भगीके हाथसे लुटवाना चाहते हो, जो भाई देशकी स्वतन्त्रताके लिए अपनी तमाम शक्ति या अपना सब धन खर्च करनेके लिए तैयार हो, वही मुझसे मित्रता कर सकता है। राजकोटके ठाकुर साहवने मुझपर प्रेमकी वर्षा की थी। मैं उसमे डूब-सा गया था। लेकिन मैं काँप रहा था और अपने हृदयसे पूछ रहा था कि राजाकी मित्रता कबतक रख सकोगे? मेरे पिता जिस राज्यमे दीवान थे उस राजाके हाथसे अभिनन्दन-पत्र लेना मुझे अच्छा क्यों न मालूम हो? आज जो महाराजा साहव हैं उनके पितामहके राज्यमे मेरे पितामह दीवान थे, उनके भी पिताके राज्यमे मेरे पितामह दीवान थे। राजा साहवके पिता मेरे मित्र थे, मेरे मुक्किल थे। मैंने उनका अन्न खाया है—इसलिए महाराजा साहवका निमन्त्रण मुझे पसन्द क्यों न हो? लेकिन सबकी मित्रता निवाहना मुश्किल है। मैं अग्रेजोकी मित्रता नहीं निवाह सका। मुझे तो इस ससारमे केवल एक ही की मित्रता निवाहना बहुत जरूरी मालूम होता है—और वह है ईश्वरकी मित्रता। ईश्वरका अर्थ है अपनी अन्तरात्मा। यदि मुझे उसका नाद सुनाई पड़े और मुझे लगे कि सारी दुनियाकी मित्रता छोड़ देनी चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप लोगोकी मित्रताका मैं भूखा हूँ। मैं आपके तमाम रुपये-पैसे ले जाऊँगा और फिर भी मुझे तृप्ति न होगी। आपसे तो मैं माँगता ही रहूँगा और जब आप मुझे देगनिकाला दे देगे तो मैं ईश्वरकी शरण चला जाऊँगा। मैं जो रुका हूँ सो हिन्दुस्तानकी सेवाके लिए। जबतक हिन्दुस्तानमे दुःखका दावानल सुलग रहा है तबतक मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। दक्षिण आफ्रिका जा सकता हूँ, लेकिन आज तो मुझे वहाँ जाना भी पसन्द नहीं है क्योंकि यहाँकी अग्नि बुझानेपर ही वहाँकी अग्नि बुझ सकती है। मैं सब राजाओंमे प्रार्थना करता हूँ कि वे अग्नि-गमनके इस काममे मदद करें, और यदि इसमे मैं पोरबन्दरसे अधिकसे-अधिक आशा रखूँ तो इसमे गलती क्या है?

प्रजाकी तरफसे भी मैं ऐसी ही आशा रखे बैठा हूँ। मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ। शायद इसका परिणाम यह भी हो कि हम अग्रेजोमे भी सहयोग करने

१. डर्वनके एक व्यापारी तथा फीनिक्स आश्रमके एक न्यायी, दक्षिण एण्ट ११, पृष्ठ ३१८।

२. गांधीजी स्वयं अपनेको भगी मानते थे।

लगे। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग अग्नेजोके पास दौडकर चले जाये। दौडते तो वे ही हमारे पास आयेगे। वे मुझसे कहते हैं कि तुम तो भले हो, लेकिन तुम्हारे माथी बदमाश है, वे फिर तुम्हें चौरी-चौरा-जैमा धोखा देगे। लेकिन मैं तो मनुष्य-स्वभावमे विष्वाम रखता हूँ। प्रत्येक मनुष्यमे आत्मा हे और प्रत्येक आत्माकी शक्ति मेरी आत्माके बराबर ही है। आप मेरी शक्तिको देख सकते हैं क्योंकि मैंने प्रार्थना करके, ढोल बजाकर और उसके समक्ष नाच कर अपनी आत्माको जाग्रत रखा है। आपकी आत्मा उतनी जाग्रत न हो लेकिन हम स्वभावमे तो एकसे ही है। राजा-प्रजा, हिन्दू-मुसलमान लडते रहते हैं लेकिन यदि इन सबको ईश्वरकी मदद न हो तो उनसे एक तृण भी इधरसे-उधर नहीं हो सकेगा। प्रजा यदि यह माने कि हम बलवान् होकर राजाको सतायेगे और राजा माने कि मैं बलवान् होकर प्रजाको पीस डालूंगा, हिन्दू यदि माने कि सात करोड मुसलमानोको पीस डालना मुश्किल नहीं है और मुसलमान माने कि वाइस करोड शाक-सब्जी खानेवाले हिन्दुओको हम पीस डालेगे तो राजा-प्रजा, हिन्दू-मुसलमान — ये सभी मूर्ख हैं। यह खुदाका कलाम हे, 'वेद' का वाक्य है, 'वाइबिल' का लेख है कि मनुष्यमात्र एक-दूसरेका बन्धु है। हरएक धर्म पुकार-पुकार कर कहता है कि प्रेमकी ग्रन्थिसे ही जगत् बँधा हुआ है। विद्वान् लोग यह सिखाते हैं कि यदि प्रेमका बन्धन न हो तो पृथ्वीका एक-एक परमाणु छिटक जाये और पानीका बिन्दु-बिन्दु अलग हो जाये। इसी प्रकार यदि मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम न होगा तो हम मृतप्राय ही हो जायेगे। यदि हम स्वराज्य चाहते हो, रामराज्य चाहते हो तो हम सबको प्रेमकी ग्रन्थिसे बँध जाना चाहिए। यह प्रेमकी ग्रन्थि क्या हे? हाथसे कते हुए सूतकी ग्रन्थि। सूत परदेशी होगा तो वह लोहेकी वेडी बन जायेगा। आपकी एकसूत्रता तो देहातोके साथ, ग्वालोकके साथ, बरडाके मेरोके साथ होनी चाहिए। उसके बजाय यदि आपकी एकसूत्रता लकाशायर अथवा अहमदा-वादके साथ हो तो उससे पोरबन्दरका क्या लाभ होगा? प्रजाकी सच्ची माँग तो यह हे कि हमारी मेहनतका उपयोग करो, हमें निठल्ला रखकर भूसो न मारो। राणावावके पत्थरोके बजाय आप इटलीसे पत्थर मँगाये तो काम कैसे चलेगा? यदि आप अपने ही देहातोमे बने मिट्टीके रामपात्र और अपनी गाय और भैंसोका घी छोडकर ये चीजे कलकत्तेसे मँगाये तो कैसे निवाह होगा? यदि आप अपनी ही चीजोका उपयोग नहीं करेगे और उन्हें 'दूसरी जगहोमे मँगायेगे तो मैं कहूँगा कि आप वेडियोसे जकडे हुए हैं। जबसे मुझे यह शुद्ध स्वदेगीका मन्त्र उपलब्ध हुआ हे, जबसे मैं यह समझा हूँ कि गरीबसे भी गरीबके साथ मेरी एकसूत्रता होनी चाहिए, तभीसे मैं मुक्त हो गया हूँ और मुझसे मेरा आनन्द छीन सकनेमे न राजा माहव शक्तिमान हैं, न लॉर्ड रीडिंग और न सम्राट् जॉर्ज।

{ वहनोसे मैं यह कहूँगा कि आपके दर्शनोसे मैं तभी पावन होऊँगा जबकि आप खादीसे विभूषित होगी और चरखा चलाने लगेगी। आप मन्दिरोमे जाकर धर्मकी रक्षा करना चाहती है। लेकिन जो वहन कातती हे उसका हृदय ही मन्दिर बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मैं हिमालयके चमत्कारोकी बातें करूँगा

क्या आप तभी मेरी बातें सुनेगी? और जब मैं कहूँगा कि चूल्हेके साथ चरखा भी रखो तो क्या यह कहेगी कि बूढ़ेकी अक्ल मारी गई है? मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो समझदार हूँ। मेरा अनुभव ही पुकार-पुकारकर बोल रहा है।

एक ग़स्सने मुझसे पूछा था कि तुम पोरबन्दरका अग्निन्दन-पत्र लेकर क्या करोगे? पहले यह तो जान लो कि वहाँके खादी पहनने वाले कैसे हैं? लेकिन यह पूछनेके बदले कि पोरबन्दरमें खादी पहननेवाले लोग कैसे हैं, मैं यही पूछता हूँ कि खादी पहननेवाले हैं ही कहाँ? आपको महीन कपडोंकी लालसा रहती है। पर करोड़-पतियोने मुझे यह बताया है कि हमेशा वारीक कपडा खरीदना तो उन्हें भी महँगा जान पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार घरमें आप वारीक सेव बनाती हैं, उसी प्रकार यदि आप वारीक काते तो वारीक कपडे भी पहन सकेंगी।

जबतक हम सूत कातनेकी इस साधनाको नहीं अपनायेंगे तबतक प्रेमकी गाँठ नहीं ढँधेगी। यदि समस्त जगत्को आप प्रेमकी गाँठसे बाँध लेना चाहते हैं तो दूसरा उपाय ही नहीं है। हिन्दू-मुसलमान प्रश्नके लिए भी दूसरा कोई उपाय नहीं है। भाई शुएव कुरेगी भी मेरे साथ राजकोट गये थे। उन्हें वहाँके मुसलमानोंने कहा कि गांधी आपको धोखा देता है, खादीका प्रचार करके विलायती कपडोंका व्यापार करनेवाले मुसलमानोंको भिखारी बनाना चाहता है। लेकिन शुएव कुछ मुननेवाले थोड़े ही थे। वे जानते हैं कि विदेशी कपडोंका व्यापार करनेवाले मुट्ठीभर मुसलमानोंका मैं बुरा नहीं चाह सकता। वे खुद खादीके भक्त हैं और वे यह भी जानते हैं कि जितनी सेवा मैं इस्लामकी कर रहा हूँ उतनी खादीकी और देशकी भी नहीं कर सकता। मुसलमान भाइयोंको समझना चाहिए कि उनकी जन्मभूमि यही है और उसे स्वतन्त्र किये बिना इस्लामके स्वतन्त्र होनेकी आशा नहीं है।

मेरी काठियावाड़की यह शायद आखिरी ही मुलाकात ठहरे। शायद मेरी जिन्दगी अब बहुत कम बरसोंकी है। मैंने बड़ी अनिच्छाके साथ कांग्रेसका अध्यक्ष होना स्वीकार किया है और काठियावाड़ राजकीय परिषद्का भी। अब सिर्फ दस महीने बचे हैं। मैं आप लोगोंके पास इसीलिए आया हूँ कि यदि आप विशेष रूपसे मुझे अपना भाई समझते हो — यद्यपि मैं तो जीव-मात्रका भाई हूँ — तो मेरी इस प्रार्थनाको समझकर रोज आधा घंटा चरखा अवश्य चलाये। उससे आपकी कोई हानि नहीं है, और उससे देशकी दरिद्रता दूर होगी। आप मुझसे कितना दुखड़ा मुनना चाहते हैं? यदि आप अस्पृश्यता दूर न कर सके तो धर्मका नाश हो जायेगा। सच्चा वैष्णव-धर्म तो वही है जिसमें पोषक-शक्ति अधिकमें-अधिक हो। आज तो वैष्णव-धर्मके नामपर अन्त्यजोंका नाश हो रहा है। हिन्दू धर्मका रहस्य अस्पृश्यता कदापि नहीं है। अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और खादी यह मेरी त्रिवेणी हैं। राजा और गरीब, सभी भाई-बहनोंसे मैं आज इसीकी माँगकर रहा हूँ।

गरावकी कुटेवका अन्त होना ही चाहिए और वह प्रजाके प्रयत्नोंमें ही। इसमें मुझे कुछ भी शक नहीं है कि प्रजाके प्रयत्नोंसे ही यह बुराई दूर होगी। कुछ मूर्ख मनुष्योंने जोर-जबरदस्तीसे काम न लिया होता तो आज यह बुराई हिन्दुस्तानसे कभी-

ये सब तो गई होती। मैंने मुना है कि पोरबन्दरमे कुछ मल्लाहोंने शराब छोट दी है। मैंने था भी मुना है कि राजा मात्तव उन आन्दोलनमे महमत है और मदद करनेके लिए भी तैयार है। हम जवाक शराबकी लाने छुटकारा नहीं पाते तबतक हम स्वतन्त्र नहीं हो पाते। स्वतन्त्रताके लिए यूरोपके उपाय हमारे काम नहीं आ पाते। हमारे आंग और आवाजवाजें तथा हमारे यहाँके लोग और आसोहवासे जमीन-आसमातक उदा है। यहाँके लोग श्याम त्याग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। यदि मैंने जमाना मुझे नहीं है कि यहाँके मुसलमान शरीर-बलमे उनके मुकाबलेमे तैयार है। यह अस्मर है या युवा, हिन्दू-मुगलमानके पूछो, जगन्ने पूछो। लेकिन वे तो जमाना है कि वे तैयार है उन कारण उदात कुछ भी नहीं मिलेगा। दयालु करनेके साथ भी कहती है कि मनुष्य उत्पात बन जाये या लाठीका त्याग करे। यदि उनके साथी है लाठी तोपेन भी उदात स्नेमाल न करना। जो लाठी-का त्याग करती तथा कि भी योंता ताकत लाठीका स्नेमाल करनेवालेके समान तैयार है, वह अपेक्षागत बलवान है। पहलवानका मन्त्र, क्षात्रधमका रहस्य अपने स्वतन्त्रता तथा न ताना, पीठ न दिखाता है और इन गुणको प्राप्त करनेके लिए लोकी तैयारता तथा आवश्यक है। अशिम मैं चाहता हूँ कि पोरबन्दरकी प्रजा मान्यता तथा तथा का है। तबकोटमे यह युगमें बहुत फँस रही है। मित्रिल स्नेमालके उदातताके साथ तैयार हो रही है और उनलिये वहाँ शराब मोडेके दाम बिल्ली है। लेकिन फिर जानी नहीं मान मिल रही है, वे तूतके आंसू बहा करती है। मन्त्री तैयारशरी आरते मुझे पूछती है, "आप ठाकुर माहवमे इसके जाने कुछ न करते? उन युगमें हमारे घरका नत्वानाथ कर दिया है। हमारे घरके तूत मुद आते है। हमारे पति व्यभिचारी बन गये हैं और हम कगाली भोग करती है।" उन शरीर त्रिशासे यदि प्राणीवाद जेना हो तो हम सत्रको कटिवद्व होकर गजात करना होगा कि वे उन युगमे रीयतका बचाये। उनमे कुछ आमदनी होती हो ना भी तथा और उदात कुछ धनिक आनन्द मिलता हो तो भी क्या? यदि यह युगमें फँसेगी तो शक्ति त्रिनि तैयार भयकर हो जायेगी कि उसका मुद-व-मुद नाश हो जायेगा, त्रिनिको उदात नाथ करनेका प्रयत्न न करना पड़ेगा। ईश्वर आप लोगका सम्मान कर, मैंने दीन प्रवर्तकों मुनने और समझनेकी शक्ति वह आपको दे और उनके साथ जगत्ता भी कल्याण हो।

[गजपतीने]

नवजीवन, १-३-१९२५

८१. भाषण : पोरबन्दरके अन्त्यजोंकी सभामे

१९ फरवरी, १९२५

दीवान साहब, अन्त्यज भाइयो और वहनो,

आप सबको देखकर मुझे अत्यन्त हर्ष होता है। आप जो अन्त्यज अर्थात् ढेढ, भगी और चमार भ्रमवश नीचे वर्णमे माने जाते हैं, यहाँ आये हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आप जानते हैं कि अन्त्यजोको उच्च वर्णके हिन्दू नही छूते। वे लोग मानते हैं कि अन्त्यजोको खानेके लिए जूठन दी जा सकती है। इस प्रकार आपके साथ कई प्रकारके अन्याय किये जाते हैं। कितने ही हिन्दू इन सभी अन्यायोकी निवृत्तिके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और कांग्रेसमे भी इस सम्बन्धमे बहुत चर्चा चल रही है और कोशिश की जा रही है।

किन्तु ये लोग अकेले क्या कर सकते हैं। इस कार्यमे आपकी सहायता भी आवश्यक है। मुझसे बहुतसे हिन्दू कहते हैं, "आप तो इनका पक्ष लेते हैं। किन्तु आप देखे तो कि ये लोग कैसे हैं। ये लोग मुरदार माँस खाते हैं और ये नहाते-घोते भी नही हैं। इनको देखकर मतली होती है। इनके रीति-रिवाज गन्दे हैं। हम इनको कैसे छुएँ?"

इसमे कुछ तो सच है ही। इसमे जितनी सचाई है उसपर आपको ध्यान देना चाहिए। जो वाते खराब हो, वे आपको छोड़ देनी चाहिए और अपने सुधारमे स्वयं योग देना चाहिए। जो खुद प्रयत्न नही करता, ईश्वर भी उसकी सहायता नही करता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप स्वयं प्रयत्न करे। आप प्रातः चार वजे जगे, मुँह-हाथ धोएँ, आँखोसे मैल साफ करे और भगवानका नाम जपे। स्मरण कैसे करना चाहिए, यह पूछे तो मैं कहूँगा कि आप रामका नाम ले। कान्हा या कृष्ण कहे तो वह भी ठीक है। किन्तु राम-नाम सबसे सुगम है। आप भगवानसे भीख माँगे, 'हे भगवान तू हमे अच्छा बना।' आप कई दिन वीत जानेपर भी नहाते नही हैं, यह ठीक नही है। नहाना तो प्रतिदिन चाहिए। मजूर कामसे लोटकर रातको नहा ले। आप चोरी भी न करे। अपने वस्त्रोको साफ रखे। आप इन्हें साफ नही रखते, इसमे आप सबका दोष है। गालाके पण्डितजी वेचारे क्या करे? तीसरी बात यह है कि आप शराब न पीये। शराब पीकर मनुष्य पशु बन जाता है। आप गला-सडा माँस न खाये। सच तो यह है कि आपको माँस ही नही खाना चाहिए। रोटी और दूध मिल जाये तो क्या उससे आपका काम नही चल सकता? जो लोग कपडा बुनना जानते हैं, वे कपडा बुनते रहे। आप सूत न कातते हो तो मैं उमे वर्दाग्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी बुराइयाँ वर्दाग्त नही की जा सकती।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

८२. तार : मोतीलाल नेहरूको

पोरबन्दर

२० फरवरी, १९२५

फणिजा नेहरू
केन्द्रा पोस्टा
दिल्ली

मेरी तारमें ज० वेगट अपनी रिपाट^१ प्रकाशित कर सकती है।

गांधी

असेजी मासिके (एन० एन० २४५६) में।

८३. पत्र : रेवाशकर झवेरीको

[२० फरवरी, १९२५]^२

आदर्शीय रेवाशकर भाई,

उन्हे नाम पटवारीमें हुआ पत्र-व्यवहार वापस भेज रहा हूँ। मैं इसे पढ गया हूँ। उनका दिया गया उत्तर भी पढ लिया है। उनके व्यवहारमें दुःख होता है। उनमें बहुत आशाएँ थी, किन्तु अब तो वे सभी व्यर्थ हो गई जान पड़ती हैं।

पोरबन्दरके गणा मासिके में भेट काज हुई। उन्होंने भी खादी-कार्यमें सहायताका वचन दिया है। बातें जी-भर कर टुटें।

आज वास्तवमें पहुँच जाऊँगा।

मोहनदासके प्रणाम

मूठ गुजराती पत्र (जी० एन० १२६१) की फोटो-नकलमें।

१ देखिये "ट्रिप्लिगिषों", २६-२-१९२५ क अन्तर्गत उपशीर्षक "२८ फरवरी"।

२ गांधीजी वाँकानेर २० फरवरी, १९२५ को पहुँचे थे।

८४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

वाँकानेर

माघ कृष्ण १३ [२१ फरवरी, १९२५]^१

भाईश्री ५ घनश्यामदासजी,

आपसे मैंने मुसलमानोंके लीये कहा था। अलीगढमे राष्ट्रीय मुस्लीम युनिवर्सिटी चलती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहोत ही कठिन है। मैंने उन भाइयोंको कहा है मैं सहाय दिलानेका प्रयत्न करूंगा। वे लोग एक रकम इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने कहा है कि उसमे रु० ५००००की सहाय मागनेकी कोशीप मैं करूंगा। आप इस बातको सोचीये और आपका दिल यदि इस सहाय पूरी या कुछ भी देना चाहता है तो मुझे लिखिये। हिंदु-मुसलमीन प्रबन्धका मैं खूब अभ्यास कर रहा हू। मेरा विश्वास मेरे हिं इलाजपर बढता जाता है। अगर मुसीबते ज्यादा देखता हू तो भी।

मैं आजकल काठियावाडमे घूम रहा हू। आज मेरा प्रवास खतम होगा।

आपका,

मोहनदास गांधी

[पुनश्च]

आश्रममे १२ से २६ तारीख तक रहूंगा। २८ तारीखको दिल्ली पहुंचूंगा।

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०५) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

८५. भाषण : बढवान कैम्पकी सभामे

२१ फरवरी, १९२५

हमे आज गिबलालभाईकी^२ अनुपस्थिति साल रही है। यह तो आपने अभी सुना कि उन्होंने काठियावाड और देशकी कितनी सेवा की है। यह हिन्दुस्तानका दुर्भाग्य ही है कि इसमे से जो अच्छे लोग चले जाते हैं उनकी जगह दूसरे नये पैदा नहीं होते। जाना तो हरएकके नसीबमे ही है। जन्म और मरणका जोडा है और वे साथ-साथ चलते हैं। इनके सम्बन्धमे किसीको मोह या शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई मरता है तो दुःख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुःखका

१. पत्रमे उल्लिखित काठियावाडकी यात्राके दौरान गांधीजी २५ तारीखको वाँकानेरमे थे।

२. बढवानकी उद्योगशालाके सन्धापक। देखिए “काठियावाडके समरण—२”, ८-३-१९२५के अन्तर्गत उपशीर्षक “उद्योग शाला”।

ज्ञान स्वार्थ है। मैं जब शिवलालभाईका पुण्य स्मरण करता हूँ तब सोचता हूँ कि इन व्यक्तियों हमारा कितना स्वार्थ सयता था। यदि हम उनकी याद कायम रखना चाहते हैं तो हमें ज़ारी जगह ले लेनी चाहिए। हमें यह सकोच नहीं होना चाहिए कि हम उनमें जागे कौन बढे। यदि हम पुरखोंकी बसीयतमें कुछ भी वृद्धि न करे तो यह शर्मकी बात होगी। जो अपने पुरखोंकी सम्पत्तिमें थोड़ी बहुत भी वृद्धि कर पाता है वही अच्छा उन्नयनकारी कहा जा सकता है। शिवलालभाईकी इस सम्पत्तिमें वृद्धि करना हमारा कर्तव्य है। यह नहीं हो पाया है, इसका मुझे दुःख होता है।

मेरी अभिप्राय ना यह है कि शारीक काम सब लोग करें और वह गाँव-गावोंमें फैले। जबतक चरगा हर गाँवमें नहीं पहुँचता और जबतक सब लोग गादी नहीं पहनने लगते तबतक यहाँ दुःख स्वराज्यकी स्थापना होनी कठिन है। अभी हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदय एक नहीं हुए हैं। यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंको जगते हृदय एक करने हैं तो दोनोंको चरगा चलाना आरम्भ कर देना चाहिए। अन्त्यजोंका प्रश्न भी शारीक उन्नयन जाना है। अन्त्यजोंको लेकर बढवानमें हलचल मच गई है। क्या मच गई है, यह मेरी समझमें नहीं आता। यदि हम गादीको सब लोगोंमें फैलाना चाहते हैं तो हमें अन्त्यजोंको गठे लगाना होगा। हिन्दुस्तानकी प्रतिष्ठा मुसलमानों और अन्त्यज बुनकरोंपर ही निर्भर है। बुनकरोंका सगठन किये बिना मनवान्द गादी नहीं मिल सकती। मैं वांगानेरसे आया हूँ। वहाँ ३०० मुसलमान बुनकर हैं। वे बहुत अच्छा कपड़ा बुनते हैं। किन्तु उनमें हाथ-कता सूत बुननेवाले केवल दो या तीन ही हैं। यदि हम दूसरोंमें भी गादी बुनवाना चाहते हैं तो हम सबको मूत कतना आरम्भ कर देना चाहिए। जो बहने पैसेके लिए सूत कातती है तब उनमें दूसरी कमाई छुड़वाकर सूत नहीं कतवाना चाहते। जिनको एक पैसा भी नमात्र नहीं है हम उन्हींमें सूत कतवाना चाहते हैं। जिन देशमें लोगोंको रूखी रोटियाँ और मटमैला नमक ही खानेको मिलता है, वहाँ चरखा कामधेनु है। इतना यज्ञ करना अनिवार्य है। यह यज्ञ व्यग्रचित रूपमें चलता रहे तो अच्छा हो।

आप ज्ञानके काम छोड़कर बुनाईका काम हाथमें न ले। यदि वारीक सूत जम्मे हो तो बट्ट अपने हाथमें ही कातना पड़ेगा। वारीक सूतके अभावमें हम अपने मुकुमान भाई-बहनोको क्या देगे? आप एक सेर सूतकी बुनाई छ आना या आठ धाना देंगे, किन्तु आपको कोई भी ठ जानेंमें चालीम नम्बरका सूत कात कर न देगा।

यदि आप शिवलालभाईकी याद कायम रखना चाहते हैं तो आपको उनका काम जागे रखना पड़ेगा। गादीके प्रति स्नेह ही शिवलालका प्रथम और अंतिम काम था। उन्हींने इसमें बहुत खया भी लगाया। अब यदि हम उनके कार्यकी दिशामें कुछ भी न करे तो यह हमारे लिए शर्मकी बात होगी।

[गुजरातीमें]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

८६. भाषण : बढवानकी सार्वजनिक सभामें

२१ फरवरी, १९२५

मैं अन्त्यज वाडेसे अभी हाल ही लौटा हूँ। मुझे वहाँ बैठनेमें बहुत सुख मिला क्योंकि मैं इस प्रकार अपने कर्त्तव्यका पालन कर रहा था। अब मैं यहाँ आपके बीच बैठा हूँ। इस सम्बन्धमें ईश्वर मुझसे अवश्य पूछेगा, क्या बढवानके लोगोसे कोई नई बात कहने गया था? आपने उनका मुहल्ला अलग बनाकर उनका त्याग कर दिया है, इसलिए मुझे उनको बहुत-सी नई बातें कहनी और बतानी थी। आज मुझे आपको कोई ऐसा चमत्कार करके नहीं दिखाना है कि आप स्तम्भित रह जाये। मैं तो यही अनुरोध करता हूँ कि आप अपने धर्मको समझे और उसका पालन करे। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप जिस बातको धर्म मान रहे हैं, वह पाप है। आप इस सम्बन्धमें भली-भाँति विचार करे और यदि आपका हृदय और आपकी बुद्धि दोनो इस बातको स्वीकार करे तभी आप उसे माने और अन्त्यजोको अस्पृश्य समझना बन्द कर दे।

जब मैं [आफ्रिकासे] हिन्दुस्तानमें आया था तब पहले अहमदाबाद गया। मैंने उस शहरके लोगोसे सलाह की। मैंने उनको अपने विचार बताने। वे मुझे एक वर्ष तक सहायता देगे यह वचन लेनेके बाद मैंने वहाँ अपना आश्रम खोला।^१ अन्त्यजोके सम्बन्धमें भी बात हुई। मैंने कहा, मैं तो किसी विधर्मिसे भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा और अन्त्यजोको तो अपने आश्रममें अवश्य लूँगा। उन्होंने कहा, 'आपको ऐसे अन्त्यज कहीं नहीं मिल सकेंगे।' मैं वहाँ गया और रहने लगा। मुझे वर्तन-भाँडे सब मिले, किन्तु रुपया विलकुल नहीं मिला। किन्तु मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक महीना ही बीता था कि दूदाभाई^२ ठक्कर बापाकी^३ चिट्ठी लेकर आ गये। मैंने उनको स्थान दे दिया। स्थान देते ही अहमदाबादके भाइयोने मेरे वहिष्कारका निश्चय कर लिया। मैं जिस कुएँमें पानी भरता था, उस कुएँसे पानी भरनेवाले लोगोने मुझे वहिष्कृत कर दिया। मैंने उनसे कहा, आप चाहे जो करे, किन्तु मैं तो अहमदाबादसे नहीं जाऊँगा। यदि ईश्वर मुझे यहाँ रखना चाहेगा तो रखेगा। कुछ न होगा, तो मैं अन्त्यज वाडेमें जाकर रहूँगा। मैं तो अपनी मान-मर्यादा समझनेवाला मनुष्य हूँ। आप रोष करेगे तो भी मैं उसे अपना अपमान कदापि न मानूँगा। पाँच दिन बाद कुएँसे पानी भरनेवाले लोगोके हृदय पसीज गये और उन्होंने दूदाभाईको कुएँसे पानी भरनेकी अनुमति दे दी। किन्तु रुपया? जिस दिन रुपया विलकुल खत्म हुआ, उसी

१. देखिए खण्ड १३ पृष्ठ ८८-९१।

२. एक अन्त्यज शिक्षक जिसके आश्रममें प्रवेशपर बहुत शोर मचा था, देखिए आत्मकथा, भाग

५, अध्याय १०।

३. अमृतलाल वि० ठक्कर।

दिन ईन्गर नगरीर बापां आकर मुझे अपने हाथमे रुपया दे गया। एक दिन एक मोटर आकर गयी हुई उनमे मे एक सज्जन^१ जिन्हें मैं पहचानता भी नहीं था, उतरकर आये जो बोले, मुझे १३,००० रुपये देने हैं। क्या आप ले लेंगे? वे दूसरे दिन फिर आये और १३,००० रुपयेके नोट देकर चले गये। यह सत्याग्रह आश्रम आज भी मौजूद है। मुझे तो अपने सत्याग्रहपर आसक्त रहकर अहमदावादमे जमे रहना ही था। आज अहमदावादके लोग मेरे साथ हैं। वे सब मेरे पाग आते हैं और मुझे उन सबकी महानुभूति प्राप्त है। इसका कारण केवल यह है कि मैंने उन्हें प्रेमसे बोलीये बाप दिया ता जोर मुने यह विश्वास था कि अहमदावादसे ही अपने प्रेमसे बरदा भले दिग्ग। पञ्चन्द भी मेरी ही तरह आसन लगाकर जम जानेवाले रहने हैं। वे बढवानको क्या छोड़ेंगे? चाहे भ्रमो ही मरना पड़े तो भी उन्हें तो यकीन दिया ही नहीं चाहिए। यदि वे रोप या दुःसाग्रहवश ऐसा कुछ करेंगे या आसक्त रहकर रहने तो यह पाप होगा। यदि उनके शब्द प्रेममे पगे होंगे तो गपता तदर पगीत जायेगा। उनके व्यक्तिके मूखमे क्या भाव है, यह तो ईश्वर ही जाने। उता भाव जैसा हागा, परिणाम भी वैसा ही होगा।

[सुनानीमे]

नवजीवन, ८-३-१९२५

८७ भाषण बढवानके बाल-मन्दिरमें^२

२१ फरवरी, १९२५

चादीका यह नाश, हुजी और कजी, मुझे अपने साथ ले जानी है। उन चीजोको माटीका लम भी नहीं हुआ है। गोरजी वालाभाईने जो गितियां मुझे दी है, मैं वे गितिया पञ्चन्दभाईको दे दूंगा। चांदीको ये चीजें और ये गितियां कुछ अर्थ रखती है। उन देशमें अनेक प्रकारके काम हो रहे हैं। किसे पता, उनके अन्दर कितना सत्य, दिननी दुःखानी, कितनी भावना है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज देशकी बहुत बारी सत्ताओंमे जाता और जीवन है। एक अंग्रेज कविने स्वर्गका वर्णन करते हुए कहा है—स्वर्गके दरवाजेपर पीटर बैठा है और उसकी चाबी मोनेकी नहीं, रोहेकी है। उसका चुनाव करते हुए दूसरा कवि कहता है—स्वर्गका दरवाजा खोलना बहुत काम नहीं है, वह मोनेकी चाबीमे नहीं खुल सकता, क्योंकि सोना मुलायम होता है। रोहा मन्ने-भरत प्रातुओंमे मे एक है। इसलिए वह लोहेकी चाबीसे ही खुल सकता है।

किमी बातका करना यदि बहुत मुश्किल होता है तो उसके लिए हम काठियावाडमे रहते हैं—रोहेके चने चवाना। सो ऐसी सस्थाओकी सुव्यवस्था लोहेके चने

१ अम्बालार मारामार्द ।

२ काठियावाडकी घासामे गांधीजीने बढवानके बाल मन्दिरका उद्घाटन किया। चांदीके तालेको चांदीको हुजीने खोला। इमीलिए उन्होंने अपना भाषण चांदीके ताले-कुजीके उल्लेखसे ही शुरू किया।

चवानेके बराबर है। पुस्तकालयको बनानेके लिए चाँदीके औजार काम नहीं आते, लोहेके ही चाहिए और उसे बन्द करनेके लिए चाँदीका ताला काम नहीं दे सकता, लोहेका ही चाहिए। अर्थात् हमने इस क्रियाको करते हुए आरम्भ कृत्रिमतासे ही किया है। मैंने तो सिर्फ थोड़ी-सी मट्टी डालकर पत्थर रख दिया, इसे बाँधनेका सारा काम तो राज ही करेंगे और मन्दिरका उद्घाटन तो शिक्षको द्वारा ही होगा। पुस्तकालयका अर्थ पुस्तकोका घर या पुस्तके नहीं है, और न उसका अर्थ उसमें केवल जाकर बैठ जानेवाले लोग ही है। यदि ऐसा होता तो किताब बेचनेवाले अनेक लोग चरित्रवान् होते। वाल-मन्दिरकी इमारत खूबसूरत है और पैसा भी इसपर काफी खर्च किया गया है, पर क्या इसी कारण यह चल गया? इसका उत्कर्ष तो उसके सचालकोके सुयोग्य होने और उसमें आत्मा होनेपर ही निर्भर करेगा। साधारण तौरपर ऐसी सस्थाओका उद्घाटन करनेका कार्य मुझे ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि इन्हे खोलकर मैं क्या कहूँगा? पर इस सस्थाका उद्घाटन करना मैंने कुबूल किया, उसका कारण यह है कि इसमें काम करनेवाले लोगोपर मुझे विश्वास है। बाकी आप ऐसा न समझे कि मेरे हाथों उद्घाटन हुआ है इसलिए कुछ लाभ हो सकता है। मैं तो उडता पछी हूँ। आज यहाँ, कल अहमदाबाद और परसो दिल्ली। फिर भी मेरा नाम लेकर जितना भला किया जा सकता है, उतना आप करना चाहे तो मैं नाही नहीं करता। इस मन्दिरकी हस्तीका आधार न तो धनवान है, न वालक है, और न दानकी लाखों अर्शफियाँ, उलटे अधिक अर्शफियाँ तो बाधक ही हो सकती हैं। मैंने खुद अपने अनुभवसे देखा है कि जब-जब बहुत आर्थिक सहायता मिली, मेरे कामोमें विघ्न ही आये। जब दक्षिण आफ्रिकाका सत्याग्रह चल रहा था, तब ज्यो ही यहाँसे रुपये-पैसेकी वर्षा होने लगी, त्यो ही मेरे आन्दोलनकी शक्ति न जाने कहाँ चली गई। उसी तरह जिस तरह युधिष्ठिरने 'नरो वा कुजरो वा' कहा था और उसके रथका पहिया नीचे खिसक गया था। ईश्वरने सबको २४ घंटे ही दिये हैं। और ८ घंटेकी मजदूरीसे २४ घंटेके लिए जरूरी चीजे मिल जाती हैं। इतने ही पर सबको सन्तुष्ट रहना चाहिए। इस कारण मैं विलकुल नहीं चाहता कि इस सस्थाकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो। इस सस्थाके पास धन सिर्फ इतना ही हो कि जिससे यहाँ काम करनेवालोका शरीर चलता रहे और जरूरत आ पड़े तो वे उसका त्याग भी कर दें।

जिम सस्थाको बहुत-सा धन और थोड़े कार्यकर्त्ता मिल जाये उसे तो मैं 'मशरूम' (कुक्करमुत्ता)-जैसी उपज ही कहूँगा। वह चार दिन रहकर नष्ट हो जायेगी। मेरे इस कथनका तात्पर्य यह है कि जो भाई यहाँ आये हैं और जिन्होंने इस सस्थाके लिए अपने प्राणोकी आहुति देनेकी प्रतिज्ञा की है, उन्हें चाहिए कि वे परमात्मामें भरोसा रखते हुए जमकर बैठ जाये। जब ऐसा भी मालूम हो कि अब डूबनेमें देर नहीं है तब भी श्रद्धापूर्वक पार जानेका प्रयत्न करते रहे, नहीं तो निश्चय ही आप हिन्दुस्तानके शापके अधिकारी होंगे। यह भव्य भवन इस गरीब देशको शोभा नहीं देगा। ऐसे मकान तो राजा-महाराजाओको शोभा देते हैं—हिन्दुस्तानकी गरीबीमें तो विलकुल शोभा नहीं देते। यदि हम जनताको इनके बदलेमें कुछ न दें तो जबतक जनताको

इनका कोई प्रतिदान नहीं मिलता तबतक क्या ये मकान उनके सचालकोको खानेको नहीं दीजेंगे? जिस तरह जनक राजा महलोमें रहते हुए भी त्यागी माने गये उसी तरह यदि फूलचन्दभाई और उनके साथी त्यागवृत्तिसे इसका सचालन करे तो फिर इनमें कोई हर्ज नहीं कि यह सस्था कायम हुई और उसकी नीव मेरे हाथों डाली गई। पर यदि त्याग-भाव उड गया और भोगको प्रधानता मिल गई तो इसका नाश निश्चिन्त समझिए। राष्ट्रीय शाला वही है जिसके द्वारा हम स्वराज्य प्राप्त कर सके, और जिसके शिक्षक सभी नियमोंका पालन करते हों, त्यागवृत्तिवाले हों तथा कठिन जीवन व्यतीत करते हों।

स्थानीय लोगोंने इस सस्थाकी महायतासे हाथ सींच रखा है, यह जानकर मुझे दुःख हुआ है। आज हिंदमें प्रायः यही स्थिति प्रत्येक सस्था की है। जिस सस्थाको जवतक चलानेकी जरूरत हो तबतक उनके लिए धन स्थानीय लोगोंसे मिलना चाहिए और सचालकोंको भी स्थानीय जनताको अपने कार्योंसे प्रसन्न रखना चाहिए। हम जैसे स्वराज्यवादी जनमेवकोंकी स्थिति विपम है, क्योंकि वे सुधारक भी हैं। सुधारककी स्थिति विचित्र हो जाती है, क्योंकि वह वातावरणके अनुसार काम नहीं कर सकता। उसे आवश्यक पोषण बाहरसे ही लेना होता है। नहीं तो रगूनके डा० मेहताका^१ बढवानकी शालामें क्या सम्बन्ध। फूलचन्दके अन्त्यज सेवा सम्बन्धी विचारोंसे परिचित रहते हुए भी बढवानके लोगोंने इसके कोपमें चन्दा दिया और फिर अब उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, यह बात समझमें नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे आकर अपनी बात समझाये।

राष्ट्रीयका अर्थ होता है राष्ट्रके जीवनका पोषक। राष्ट्रीयका अर्थ इतना ही नहीं है कि केवल सरकारमें सम्बन्ध छोड दिया जाये — राष्ट्रीय सस्थाकी बुनियाद तो चारित्र्य है। यदि लडकोंका ढेर लगा हो और पढकर उन्हें जीविका मिलने लगे तो शाला उसमें भी राष्ट्रीय नहीं हो सकती। आजीविका मिले तो ठीक है, परन्तु शिक्षणका यह हेतु नहीं है कि वह आजीविका पैदा करनेकी कला सिखाये। उसका हेतु तो है बालककी आत्माको जाग्रत करना, उसे प्रकाशमें लाना, बालकके शरीर, बुद्धि और आत्माको विकसित करना। बाँकानेरकी शालामें भी बहुत लडके दाखिल होते हैं क्योंकि उनका परीक्षा-फल शत-प्रतिशत रहता है। यह भी हो सकता है कि वहाँके शिक्षक अच्छे हों। किन्तु यह मापदण्ड कोई सही मापदण्ड नहीं है। वहाँ जो बालक दाखिल कराये जाते हैं, सो इस इच्छासे नहीं कि वे अच्छे शिक्षकोंसे नीति और मदाचरण सीखेंगे वल्कि इस आशासे दाखिल कराये जाते हैं कि योग्य शिक्षकोंसे पढकर वे परीक्षामें उत्तीर्ण होंगे। केवल परीक्षाके कृत्रिम शिक्षा-मापसे हमें मुक्त होना है और विद्यापीठकी स्थापना इसीलिए हुई है और राष्ट्रीय शालाका अस्तित्व भी इसीलिए है। मैं माँ-बापोंसे कहता हूँ कि ऐसी शालाओंको सहायता दीजिए और शिक्षकोंमें कहता हूँ कि आप अपने ध्येयपर दृढ रहिये, तपश्चर्या करिये और अपने

१ महादेवभाईनी डायरी, भाग ७ में यह वाक्य भी है।

२ प्राणजीवन मेहता।

चरित्र-बलसे बालकोको आकर्षित करिये। ऐसा होनेपर ही मेरा यहाँ आना और इस भवनको खोलना सार्थक कहलायेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ८-३-१९२५

८८. टिप्पणियाँ

उत्कलमें खादी

उत्कल अर्थात् उड़ीसाके विषयमें श्री शंकरलाल बैकर कलकत्तासे लिखते हैं^१

उत्कलके बराबर कंगाल प्रान्त दूसरा नहीं है। उसमें खादीका काम तो सबसे ज्यादा हो सकना चाहिए। परन्तु इस पत्रसे मालूम होता है कि वहाँ काम दूसरी सभी जगहोंसे कम हो रहा है। इसका कारण सभी जानते हैं। जहाँ लोगोंको खाने-पीनेकी कमी है, वहाँ काम करनेकी शक्ति और उत्पादकता लोप हो जाता है। यदि वहाँ कार्यकर्त्ता मिल जाये तो यह आशा की जा सकती है कि उत्कल सबसे आगे बढ़ जायेगा।

सूत बनाम खादी

एक सज्जन लिखते हैं “आपके पास हाथकते सूतको खरीदकर भेजनेकी अपेक्षा क्या यह अधिक ठीक न होगा कि हम उतनी ही खादीका पैसा आपको भेज दें और खादी भी पहने?” इस प्रश्नमें थोड़ी-सी गलतफहमी है। कांग्रेसकी माँग इन दो में से एककी नहीं, दोनों बातोंकी है। पहली बात तो यह है कि हर एक आदमीको २,००० गज हाथकता सूत खुद कातकर या किसीसे कतवाकर हर माह भेजना है, और दूसरी बात यह है कि हर एकको खादी पहननी है। इसलिए विकल्प तो कोई है ही नहीं—दोनों बातें अनिवार्य हैं, केवल कातनेवाला कांग्रेसका सदस्य नहीं हो सकता और न केवल खादी पहननेवाला ही। और यही ठीक भी है। कातनेको सबपर लागू करके हम खादीका उत्पादन बढ़ायेगे और खादी पहनना सबपर लागू करके हम खादीकी खपत बढ़ायेगे। इस प्रकार हिन्दुस्तानकी गरीबी और भुखमरी मिट सकेगी।

एक बहनकी कठिनाई

एक सज्जन लिखते हैं कि मैंने एक बहनको खादी पहननेके लिए समझाया। उन्होंने कहा, “यदि मैं खादी पहनने लूँ तो मेरे पति मिलके कपड़े पहननेवाली किमी स्त्रीपर मोहित होकर चरित्र भ्रष्ट न हो जायेगे?” ऐसे जवाबकी आशा मैं किमी पवित्र बहनमें नहीं रख सकता। पर जब यह सवाल पूछा ही गया है तब

१. पत्र पत्र उद्धृत नहीं किया गया है, इसमें उत्कल प्रदेशमें खादी प्रचार कार्यका योग था।

उसका विचार कर लेना उचित है। अपनी पत्नीके सादगीका अवलम्बन करनेपर अथवा स्वधर्म-पालन करनेपर यदि किसी पतिके चरित्रभ्रष्ट होनेकी सम्भावना हो तो उसके विषयमें पवित्र स्त्रीको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जिस पुरुषकी पवित्रता किसी अन्यकी पत्नीके लिवासको देखकर भंग हो सकती हो तो उसकी पवित्रतामें क्या सार है? लिवासके फेरफारसे जो पति भ्रष्ट हो सकता है वह क्या किसी अधिक रूपवती स्त्रीको देखकर भी नहीं गिर सकता?

पर मेरा अनुभव उक्त वहनकी बातसे उलटा है। मैं ऐसे सैकड़ों पतियोंको जानता हूँ जो अपनी पत्नियोंके खादी पहननेसे प्रसन्न हुए हैं। उनके घरका खर्च कम हुआ है और खादी धारण करनेवाली अपनी पत्नीके प्रति उनका प्रेम बढ़ा है। यह भी हो सकता है कि इन वहनको वास्तवमें खादी पहनना ही नहीं था और इसलिए अनजानमें ऐसा अनुचित विचार उनके मनमें उठ आया। ऐसी वहनोमें तो मेरी यह प्रार्थना है कि उन्हें दृढतापूर्वक खादी पहननी चाहिए और समझना चाहिए कि श्रृंगार लिवासमें नहीं, बल्कि पवित्रतामें है और लिवास श्रृंगारके लिए नहीं है बल्कि सर्दी-गर्मीसे शरीरकी रक्षा करने और वदन ढँकनेके लिए है।

हम क्या करें।

मुझे जेतपुर [काठियावाड़] में वहाँके निवासी दो सज्जनोका नीचे लिखा हुआ पत्र मिला था

आपका चरखेका सिद्धान्त हमें हृदयसे स्वीकार है। परन्तु वर्तमान समय ही ऐसा विकट हो गया है कि आजीविकाके लिए जो काम रोज ही करने पड़ते हैं, वे इसके मार्गमें बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं। इससे मजिलपर पहुँचनेमें असफल हो जाना अचरजकी बात नहीं है। अनुभवसे तो हम केवल इतना ही देख सके हैं कि सच्ची राहको भुलाकर दाँव-पेच, प्रपच, दगा इत्यादिसे रुपया पैदा करना और गृह-संसार चलाना रूढ़ हो गया है। यदि इसमें सफल न हो तो नौकरीके लिए भटकना पड़ता है। इससे हृदयबल घट गया है और यही सबब है कि निश्चित लक्ष्य चूक जाता है।

इस रूढ़िको बदल देनेमें हमारी मुश्किलें ये हैं खेती करनेसे सब बातें हल हो सकती हैं, किन्तु धनाढ्यतामें पले हुए होनेके कारण शरीरके बलका ह्रास हो गया है, यहाँतक कि जिन्दगी-भर उस सामर्थ्य और हिम्मतके लौटनेकी आशा नहीं हो सकती।

किसानोकी सख्या बहुत है। वे अपना काम चला लेते हैं। लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त करनेके साधन ही नहीं मिलते। इसलिए आज तो वे भी अधोगतिको प्राप्त होते जा रहे हैं। उनके बाद, हम-जैसे अर्धदग्ध मनुष्योंकी सख्या अधिक है। उनके लिए क्या मार्ग होगा? हम यह किस प्रकार जान सकते हैं? यदि कभी आपके सत्य सिद्धान्तोंके अनुसार कार्य करनेकी कोशिश करते हैं तो हम-जैसे शक्तिहीन मनुष्योंको हर प्रकारके साधनोंको प्राप्त करनेके लिए दूसरोकी मदद लेनेकी जरूरत पड़ती है। यदि ऐसी मदद प्राप्त करना

चाहते हैं तो निःस्वार्थ मदद करनेवाले बहुत कम मिलते हैं। नमन करने जाते हैं तो सिर ही खो देना पड़ता है। ऐसा भी अनुभव हुआ है। अब हमें कोई सरल मार्ग दिखाई नहीं देता। हम आशा करते हैं कि आप हमें जरूर ही सरल मार्ग बतायेंगे।

यह वर्णन यथार्थ है। बिना मानसिक बल प्राप्त किये ऐसे लाचार वातावरण-मे से कोई नहीं उबर सकता। ये भाई जिस वर्गके हैं उसे आलस्य रूपी रोगने घेर रखा है। चालाकीसे द्रव्य प्राप्त करनेकी आदत पड़ जानेके कारण उन्हें मेहनत करके कमाना अच्छा नहीं मालूम होता। आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। मेहनत करके जो-कुछ मिलता है उससे पूरा नहीं पड़ता। विवाह, मरण इत्यादिके कृत्रिम खर्च इतने बढ़ गये हैं कि बिना कर्ज लिये या वेजा तौरपर कमाये बिना चलाये ही नहीं जा सकते। खेती लायक गरीर नहीं रह गये हैं और उसके लिए पूंजी और आवश्यक जानकारी भी नहीं रही। इसलिए अब बच रहता है केवल चरखा। यहाँ चरखेके मानी सिर्फ कातना नहीं समझना चाहिए, बल्कि रुईसे सम्बन्धित समस्त क्रियाएँ समझनी चाहिए। यही एक पेशा है जिसमें पूंजी और शारीरिक समृद्धि दोनोंकी जरूरत कम है। यदि हम छुट्ट आडम्बरसे बचते रहे और सादा रहन-सहन रखे तथा आलस्यका त्याग कर दे तो उसके द्वारा आजीविका मिल सकती है। पूर्वोक्त दोनों भाई यदि कुछ हिम्मत करे तो थोड़े ही प्रयत्नसे कातने और बुननेका काम भी सीख सकते हैं और फिर आगे चलकर वे बुनाईके कामसे ही अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

अभी लोगोको खादीका शौक नहीं हुआ है इसलिए बुनाईके जरिये आमदनी कम होती है। लेकिन जब खादीका अच्छा प्रचार हो जायेगा तब हममे से अधिकतर लोग बुननेका काम करेगे या खादीके नीतियुक्त व्यापारके द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करेगे। यदि ये भाई कुछ पुरुषार्थ करनेकी हिम्मत दिखाये तो वे जाकर किसी खादी विद्यालयमे भरती हो जाये। काठियावाडमे ऐसी एक सस्था मढडामे है ही। अब तो काठियावाड राजकीय परिषद्ने चरखेके प्रचारके कार्यको अपना प्रधान कार्य बना लिया है। इसलिए उसके मन्त्रीके साथ सलाह करके उन्हें अपना मार्ग ढूँढ लेना चाहिए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि एक कमाये और दूसरे लोभ बैठकर साथे यह रम घन्घेमे नहीं चल सकता।

खादी प्रदर्शनी

सूपा गुरुकुलके वार्षिकोत्सवके अवसरपर एक खादी प्रदर्शनी की गई थी। उमका विवरण देते हुए वहाँके खादी विभागके व्यवस्थापक लिखते हैं^१

यदि समय-समयपर ऐसी खादी प्रदर्शनियाँ होती रहे, तो खादी और चरखेके प्रचारपर उनका असर हुए बिना नहीं रहेगा।

[गुजरातीने]

नवजीवन, २२-२-१९२५

१. उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

८९. भेट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद

२२ फरवरी, १९२५

श्री गांधी काठियावाडमें राजकोट, पोरबन्दर, वार्कानेर और बढवानका दौरा करके आज सुबह सत्याग्रह आश्रम लौटे। लौटते हुए उन्होंने गनोद गरासिया केन्द्र भी देखा। वे इन सभी राज्योंके राजाओसे मिले थे और उन्होंने प्रजाके हितका जो आग्रह उनमें देखा वे उससे बहुत ही प्रभावित हुए। इन स्थानोंके जिन लोगोंसे वे मिले उनसे इन सभी राज्योंके राजाओंकी बड़ी प्रशंसा की। श्री गांधीका कहना है कि राजकोटके राजा ठाकुर साहबने प्रातिनिधिक विधानसभाकी स्थापनाके साथ जो प्रयोग शुरू किया है, वह बहुत ही दिलचस्प है, हालाँकि उसके बारेमें कोई निश्चित राय अभी कुछ समय बाद ही दी जा सकती है। फिर भी जितना वे जान पाये हैं उससे उन्हें सफलताकी आशा है।

श्री गांधीने कहा .

यह समयके परिवर्तनका ही लक्षण है कि इन सब जगहोंमें मैंने जनतामें पूर्ण मद्यनिषेधकी इच्छा बड़ी बलवती पाई। राजकोटमें यह इच्छा बहुत ही तीव्र है, क्योंकि वहाँ शराबके सरकारी ठेको और गैर-सरकारी ठेकोंके बीच एक बड़ी ही अगोभनीय और दूषित क्रिस्मकी होड़ लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप कीमते काफी गिर गई हैं, और निचले वर्गोंके लोग अब पहलेमें कहीं अधिक शराब पीने लगे हैं। इन वर्गोंके मर्द रोज ही शराब पीकर घर लौटते हैं। उनकी स्त्रियाँ बड़े दुःखी मनमें परिवारोंके तबाह होनेकी शिकायत करती हैं। लोग ठाकुर साहबसे शराबकी दूकानें बिलकुल बन्द करा देनेका आग्रह कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी बात लेकर वे ऐसा करनेमें हिचक रहे हैं। उनकी राय है कि शराबबन्दी लोगोंको समझा-बुझा कर ही की जानी चाहिए। राज्यकी विधान-परिषदने सर्वसम्मतिसे एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें दरवारसे सभी लाइसेंस शुदा शराबकी दूकानें बन्द कर देनेका अनुरोध किया गया है। और यह भी कि यदि जरूरत ही पड़े तो औपधिके काम आनेवाली शराबके अलावा और सभी तरहकी शराब उतारनेपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। देखे ठाकुर साहब इस प्रस्तावसे कैसे निपटते हैं।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-२-१९२५

९०. तार : कलकत्ता कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको^१

२३ फरवरी, १९२५

मन्त्री
कांग्रेस कमेटी
कलकत्ता

लगता है मार्चमें वगाल आना लगभग असम्भव, अप्रैलसे पहले नहीं आ सकता।

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

९१. तार : गोविन्द दासको

२३ फरवरी, १९२५

गोविन्द दास
कोपाध्यक्ष
शरताली

रूपया भेजनेका प्रबन्ध कर रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

९२. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

२३ फरवरी, १९२५

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
एक्सटेंशन
मेलम

वाइकोम-मत्याग्रहके लिए एक हजार दे दीजिए। अगली मार्चके पहले वापस कर दूंगा। आगामी मार्चमें वाइकोम जा रहा हूँ। क्या मार्चमें मद्रास अहातेके अन्य हिस्सामें मेरा दौरा जरूरी है?

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१ ऐसा ही तार ७ मार्च १९२५ को मम्मंगल, फरीदपुरकी स्वागत-समितिके अध्यक्षको भी भेजा गया था।

९३. तार : लाजपतरायको'

[सावरमती

२३ फरवरी, १९२५]

मन्त्रों को राग लिये बिना मैं बैठक^१ मुलतमी नहीं कर सकता। बैठकके प्रोग जल्दी प्रोगेप उगे मुलतमी कर सकते हैं। उम्मीद है आप अब मिलजुल करने लगे गे हैं।

गाधी

अंग्रेजी मन्त्रिदे (एन० एन० २८५६) से।

९४. तार : आ० टे० गिडवानीको

[२३ फरवरी, १९२५]'

गिडवानी

हिन्दू कांग्रेस

दिल्ली

वर्षाई। मनिमन्त्रों दिल्ली पहुँच रहा हूँ। हो गके तो आज खाना हो जाऊँ या मेरे खानेकर रकिए।

गाधी

अंग्रेजी मन्त्रिदे (एन० एन० २८५६) से।

१ पर तार २३ फरवरी, १९२५ को मिले लाजपतरायके निम्नलिखित तारके जवाबमें था “आशुग, जयमर, जयरामदास तथा अय लोग २८ को शरीक नहीं हो सकते। मार्चक तीसरे सप्ताहसे पहले कोई तारीख अनुकूल नहीं पड़ती। तुपया मुलतमी करनेकी व्यवस्था कीजिए और तार दीजिए।”

२ देविया “उपस्थ सर्वदलीय सम्मेलन उप-समितिकी बैठकके स्थगनपर”, २-३-१९२५।

३ गुजरान महाविद्यालय, अरमदावादके प्राध्यापक, जैतो जानेवाले शहीदी जल्येके साथ जानेके कारण १९२८ में जेठ गय थे। नाभाके अधिकारिदोंने २२ फरवरीको उन्हें रिहा कर दिया था और वे हिन्दू कांग्रेसके प्राध्यापकक पाम रहे थे। देविया “ट्रिपणियाँ”, २६-२-१९२५ क अन्तर्गत उपशीर्षक “आचार्य गिडवानी रिहा”।

९५. तार : मोतीलाल नेहरूको^१

२३ फरवरी, १९२५

लालाजीको तार भेजा है। अन्य सदस्योकी राय लिये बिना मुलतवी नही कर सकता। बैठक होनी चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

९६. पत्र : शौकत अलीको

सावरमती

२३ फरवरी, १९२५

प्यारे दोस्त और भाई,

मैंने आज कोहाट-सम्बन्धी अपने वक्तव्यपर आपकी टिप्पणी पढी। आपकी स्पष्टवादितामे मेरे दिलमे आपके प्रति और भी ज्यादा प्रेम और सम्मान पैदा हो गया है। पर आपकी टिप्पणीसे यह जाहिर होता है कि कभी-कभी हम लोगोकी तरह परस्पर उनने घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति भी पूरी तौरपर तटस्थ और निष्पक्ष रहनेके वावजूद, हूबहू एक-से तथ्योंके आवारपर भी, सर्वथा विपरीत निष्कर्षोंपर पहुँच जा सकते हैं। इममे मैं अपने विरोधियोंके प्रति पहलेसे ज्यादा उदार और अपने निर्णयोंके प्रति और अधिक अविश्वस्त बन गया हूँ। टिप्पणी दूसरी बार भी गोरमे पढ ली है और मैंने देखा है कि इस मामलेमे मेरे और आपके विचारोंके बीच बहुत ही चौड़ी खाई है। मैं कविताके प्रकाशनकी जोरदार शब्दोंमे निन्दा करनेको तैयार हूँ, किन्तु लूटमार तथा आगजनीको मैं माफ नहीं कर सकता। मैं आपकी उस रायकी पुष्टि नहीं करता कि उपद्रवोंका कारण पुस्तिका थी। उसकी पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार हो चुकी थी। मैं उन धर्म-परिवर्तनके मामलोंको उतना मामूली नहीं मान सकता जितना आप मानते हैं। मेरी रायमें खिलाफती लोगोने अपने कर्तव्यकी बुरी तरह उपेक्षा की है और मौलवी अहमद गुलने निश्चय ही, उनपर जो विश्वास किया जाता था, उसका घात किया है।

मैं यह सब बातें आपकी रायको, यदि उसके बदले जानेका आप कोई कारण न मानें तो, बदलनेके लिए नहीं कह रहा हूँ। किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि

१. यह २३ फरवरीको भेजे, मोतीलाल नेहरूके एक तारके उत्तरमें भेजा गया था। तारका मजमूत न : लालाजीके तार-जैना ही था। देखिए: "तार लालाजीको", २३-२-१९२५ की पाद-टिप्पणी १।

उसने अपना हाथ धोकर गोर किया है, उसने ज्यादा गहराई तक आप जाये
 दो...। यह फिलो गोर करनेकी जरूरत है। मैं आपका पत्र पत्र प्रकाशित
 करने के लिए बहुत मना करता हूँ। उसके प्रकाशन पर पूर्ण विश्वास है।
 उचित है जो कि मुझे यह कि हरिम गुरु या उ० अनादी पूरे मामलोंकी
 भीतर जानें। इन पत्रोंकी कीर्ति के बिना या अन्य नामों आये तो मुझे पत्रों
 को नहीं पढ़ें। मैं यह भी चाहूँगा कि सभी मित्र तथापर विचार करें और हम
 सबको एक ही-वर्तिका सब बंधनोंमें प्रेरित करें। लेकिन यदि एक ही निष्कर्षपर
 पहुँचते हों तो सभी उत्तर लिखें तो चले तो हमें जानाके समझ अपने मतभेद
 प्रकट करने के लिए उत्तर दे कर जानिए कि देवता नाम अद्वय करना होगा
 कि वह पत्रोंमें सत्यता एवं प्रेम बना रहेगा, और हम साथ-साथ
 सबको चले। किन्तु इसी प्रेरणा तथासा है कि हम अन्तर्यामीमें कोई कदम न
 उठाए। यह सब लिखी जा रहे हैं? यदि आ रहे हैं, तो क्यों न हम साथ-साथ
 सबको चले। २९ तारीखको छोड़ी जायेगी समझा होइगा। यदि आप आ रहे हैं
 तो सब पत्रों तथा पत्रों में मने, तो मैं आपका बंधनमें मित्र जाऊँगा।
 उचित है कि आपकी प्रार्थना पत्रोंमें है। और ऐसी बातचीतके लिए तो मुझे
 केवल ही उत्तर देना चाहता हूँ। आप जो निश्चित कर उतनी सूचना
 उचित होगी, मैंने तो उसे तो जान सीता। प्रकाशको मैं उन नज़ाह प्रकाशित
 करें कर रहा हूँ।

सन् १९०६

आपका,
 मो० क० गाधी

[मुद्रित]

मुझे खुशी हुई कि आप उ० तृतीया पत्रिका उद्यम कर रहे हैं। निश्चय ही
 अन्तः प्रदीप प्रकाशको उत्साह है।

मो० क० गाधी

अन्तः प्रदीप (पृ० ए० १०५२८) की फोटो-कॉपी में।

१७. तार : रेवाशंकर झवेरीको

२५ फरवरी, १९२५

मॉरेलिटी^१
[वम्बई]

आपकी उपस्थितिके बिना प्रभाशकर^२ विवाह करनेसे इनकार करते हैं।
गांधी

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१८. तार : मथुरादास त्रिकमजीको

२५ फरवरी, १९२५

मथुरादास त्रिकमजी
९४, वाजारगेट स्ट्रीट
वम्बई

शौकत अलीके साथ बडीदासे दिल्लीके लिए बृहस्पतिवारको दो सीट सुरक्षित करवाइए।

गांधी

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१९. तार : रघुवीरसिंहको

[२५ फरवरी, १९२५]^१

रघुवीरसिंह^२
कश्मीरी गेट
दिल्ली

शुक्रवारकी रातको नागदा भेऊमे पहुँच रहा हूँ।

गांधी

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१. रेवाशंकर तारका पता।
२. इनही तारी चम्पाका विवरण ज० प्राथमिक भेजने पुत्र रतिराजने होनेवाला था।
३. दूर गज भी २०२-१९२५ को भेजा गया होगा। देखिए "तार मथुरादास त्रिकमजीको", और "तार सुन्दर अमर अचरीको", २५-२-१९२५।
४. दिल्ली मॉरेलिटी स्ट्रीट मन्त्री।

१००. तार : मुस्तार अहमद असारीको

२५ फरवरी, १९२५

डा० अमारी
दरियागज
दिल्ली

शुक्रवारकी रातको नागदा मेलमे पहुँच रहा हूँ। हकीमजी, मुहम्मद अलीको खबर दीजिए। शायद रघुवीरसिंहके पास ठहरेँ।

गाधी

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१०१. तार : चौडे महाराजको

२५ फरवरी, १९२५

चौडे महाराज'
वाई

शुक्रवारको दिल्ली पहुँच रहा हूँ। क्या आप आ रहे हैं?

गाधी

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१०२. पत्र : फूलचन्द शाहको

सत्याग्रह आश्रम
सावरमती

फाल्गुन सुदी ३ [२५ फरवरी, १९२५]^१

चि० फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो कुछ लिखा है वह बिलकुल ठीक है। हमारे जीवनमें अतिशयोक्ति और निन्दा बहुत बढ गई है।

तुम पट्टणी साहबको पत्र लिखोगे, यही प्रायश्चित्त पर्याप्त होगा।^३

१ महाराष्ट्रके एक साधु, जिहोंने गोरक्षा कार्यमें अपना जीवन लगा दिया।

२ डाकखानेकी मुहरसे।

३ देखिए “पत्र प्रभाशकर पट्टणीको”, १०२-१९२५ से पूर्व तथा “पत्र फूलचन्द शाहको”, १०२-१९२५।

एक अच्छा पत्र लिखकर मुझे भेज देना। मैं उसे उनको भेज दूंगा।

मैं तुम्हारे पत्रकी भाषा देखना चाहता हूँ। तुम उन तीनों सज्जनोंसे फिर मिले थे? शहरके लोग तुम्हारा साथ देगे तो बहुत अच्छा होगा।

वापूके आगीवादि

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२५) से।

सौजन्य . शारदावहन शाह

१०३. भाषण : विवाहोत्सवपर^१

२५ फरवरी, १९२५

प्रार्थनाका समय आगीवादि देनेके लिए उपयुक्त समय है। इससे पूर्व दो अवसर आ चुके हैं जत्र आश्रममे पले-बड़े युवको और युवतियोंके विवाह किये गये थे। हममे मे बहुतेरे उन अवसरके महत्त्वको भी नहीं समझ सके थे। आश्रममे कुमार अथवा विवाहित जितने भी लोग आते हैं वे सभी ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं और जिम आश्रमका हेतु सभीको ब्रह्मचर्यके पालनकी प्रेरणा देता है, उस आश्रममे विवाह कैसे सम्पन्न किया जा सकता है, यह प्रश्न सभीके मनमें उठना स्वाभाविक है। फिर भी यहाँ तीन विवाह करने पड़े हैं। यो आश्रममे नियम कडे रखनेपर भी हम समयके पालनमे जममर्थ रहे हैं। युवको और युवतियोंको ब्रह्मचर्यकी शिक्षा देना आसान बात नहीं है। अवश्य ही प्रौढ लोग भी ब्रह्मचर्यका पालन समुचित रूपमे नहीं कर सकते। यदि मनुष्य किसी ध्येयको प्राप्त करना चाहता हो तो उसके मनमे उसके लिए तीव्र लगन होनी चाहिए। यह विषय इतना गहन है कि मैं इसमे ज्यो-ज्यो उतरता जाता हूँ त्यो-त्यो उर लगता है। मुझे इसके सौन्दर्यका भी उतना ही अधिक अनुभव होता जाता है और मैं तो पात्र भर-भरकर यह अनुभव-रस पी रहा हूँ।

हम आश्रममे बच्चों और नवयुवकोको रखते हैं। किन्तु किसीमे जवरदम्ती ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कराया जा सकता। उसलिए कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि विवाह अनिवार्य हो जाता है। ऐसे तीन अवसर आ चुके हैं। उसलिए मैंने उन सम्पन्नमें अपने मनको नमझानेके लिए उनके साथ जवरदम्ती न करना तय किया। विवाहकी विधि आश्रमकी सीमाके बाहर सम्पन्न की जानी चाहिए। जगतको और आत्माको पोषा न देकर विवाह कर लेना चाहिए, और फिर आश्रममें बैठकर समस्त आश्रमका आगीवादि के लेना चाहिए।

यदि ऐसा विवाह करना ही पड़े तो उसका उद्देश्य भोगवृत्तिका पोषण नहीं, किन्तु नयम है। यह बात विवाहित दम्तीको बताना देनी और आश्रमवानियोंको भी

१. दूर भारत गांधीजीके अक्षरशास्त्रमे तत्परभाई पंडेयक पुत्र जगन्नाथ पंडेयक विवाहक अवसरपर सन् १९०० आगीवादि देने हुए दिना. पं, देविय "दिनपत्रिका", २९-३ १९२५।

समझा दी जानी चाहिए। विवाहका अवसर आयेगा ही, आश्रमवासियोको ऐसी बात तो कदापि नहीं सोचनी चाहिए। किन्तु यह अनिवार्य हो जाये तो बात दूसरी है। यह तो परमात्माके साथ आत्माका सम्बन्ध है। इसी कारण अग्रेजीमे आत्मा स्त्रीलिंग है। जयदेवने भी आत्माकी कल्पना स्त्रीके रूपमे की है और कहा है कि आत्मा परमात्मासे रमण करती है। ऐमे दिव्य विवाहके बाद जगतमे कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। किन्तु यदि वैसे दिव्य विवाहका अवसर न आये और तब इस [सासारिक] विवाहका अवसर आ जाये तो कोई बात नहीं है। इसलिए [आश्रममें विवाहके] इस चौथे अवसरपर मुझे आपको यह बताना आवश्यक है कि विवाह भोगके निमित्त नहीं है, बल्कि त्यागके निमित्त है। आप आज यह निश्चय करते हैं कि यदि आपको रति-सुख भी लेना हो तो आपको उसमे भी मर्यादाका पालन करना है। हमारे समाजमे अव्यभिचारी-ग्रंथ केवल स्त्रीके लिए ही रखा गया है, यद्यपि विवाह-संस्कारमे वर और वधूको जो पिछ्छे चार ग्राम खिलाये जाते हैं वे दोनोंके मांस, अस्थि, और आत्माके एकीकरणके द्योतक होते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम पुरुषके सम्बन्धमे ऐसी कल्पना नहीं करने। उर्मांलिए मुझे बताना पडता है कि आप मर्यादाका पालन करे और समझ लें कि रति-सुख केवल मन्तानोत्पत्तिके निमित्त होता है।

आजके भयकर समयमे एक सन्तानको उत्पन्न करनेका अधिकार भी किसे है? हिन्दुस्तानमें अमर्य लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और यूरोपमे भी ऐसे बहुत लोग हैं। रोमन कैथोलिक सम्प्रदायमे बहुतमे प्रौढ स्त्री-पुरुष ऐसे होते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। अठारह वर्षकी कन्या सासारिक जीवनको छोड देती है और फिर आजन्म अग्रण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करती है। ऐसे स्त्री-पुरुषोके लिए वहाँ मठ भी बने हुए हैं। आजके कठिन कालमें हिन्दुस्तानमे किसीको भी सन्तानोत्पत्तिका अधिकार नहीं है। कोई भी मनुष्य मामर्थ्यवान हुए विना यह अधिकार नहीं पा सकता।

मेरी इच्छा थी कि विवाहकी विधि आश्रममे सम्पन्नकी जाये। इसका कारण यह था कि आश्रममे गुरु समस्त क्रियाएँ समझाकर पूरी करेगा और उससे यह बात समझमें आ नकेगी कि विवाहकी क्रियाका उद्देश्य भोग नहीं, बल्कि समय है। इसलिए तुम दोनों इम अवसरपर विचार करना और उसे याद रखना। मैंने अपने ऊपर यही एक जिम्मेदारी ली है। मुझे इसपर पश्चात्ताप तो अवश्य ही नहीं होगा। इसका परिणाम शुभ ही होगा। बल्लभभाईमे मेरा क्या सम्बन्ध है, यह तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अपनी इच्छासे आग्रह किया था कि यह विवाह मेरे हाथो सम्पन्न हो। काशीभाई भी इस विचारसे सहमत हो गये। क्या खर्च करना विवाहका अग है? उमका अग तो तपश्चर्या है। किन्तु आश्रमसे बाहर, अन्यत्र, विना रुपया खर्च किये विवाह नहीं किया जा सकता। वहाँ बरात-जैसी रूढियोको छोडकर विवाह करना असम्भव हो जाता है। इसीलिए विवाह-विधि यहाँ सम्पन्न की गई है। जो बीज आज बोया गया है यह कभी वृक्ष बनेगा। किन्तु तुम इसके अकुरको पुष्ट करनेके लिए अपने माता-पिताओके योग्य बनो और भोगवृत्तिका त्याग करो। खर्च न करनेमे पैसा बचानेकी वृत्ति नहीं थी — लोभकी दृष्टि तो थी ही नहीं। किन्तु ऐसे खर्चका

बोझ समाजपर — पाटीदार समाजपर — पडता है, इससे हमने उसको बचानेका विचार किया था।

मैं डाह्याभाईको बहुत समयसे जानता हूँ और यशोदाको भी जानता हूँ। दोनोमे इस विवाहको सयमसे शोभित करनेकी क्षमता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे आश्रम-वासियोसे जो-कुछ कहना है, उसके अवसर वार-वार नही आ सकते। मैं ऐसे अवसरोको ढूँट-ढूँड कर नही लाना चाहता। यह काम मेरा नही है। फिर भी ऐसे विवाहोके अवसर आये तो उनको सम्पन्न करानेसे सयममे ही वृद्धि होनेकी सम्भावना है। सम्भव है, मेरा यह विचार भ्रमयुक्त हो, फिर भी यदि ऐसी विधियाँ सम्पन्न करानेके अवसर आयेगे तो मैं उनको सम्पन्न करानेसे पीछे नही हटना चाहता। साथ ही मैं यहाँके सब लोगोसे यह चाहता हूँ कि आप सब ऐसे अवसरोसे अधिक सयम पालना सीखे। इमीलिए हम सब ऐसे अवसरपर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम प्रभुसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी भावनाएँ पूरी हो, यहाँ ऐसे स्त्री-पुरुष उत्पन्न हो जिनका ध्यान ही इन बातोकी ओर न हो, जिनका मन सन्तानोत्पत्तिकी ओर न जाये, जो समार-भरके बालकोको अपना बालक माने और जो अपना समय दु खी बालकोकी सेवा करनेमे ही लगाये। डाह्याभाई और यशोदाको स्वयं स्वतन्त्र रूपसे सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी कितनी बढ गई है। मुझे ऐसा लगता है मानो वे आज तो अपनी-अपनी स्वतन्त्रता तो खो ही बैठे हैं। किन्तु इसमे सौन्दर्य भी हो सकता है। वे सुयी हो, सयमी हो, उनमे त्यागभावका विकास हो और वे अपने-अपने माता-पिताकी और हमारी प्रतिष्ठा बढाये, जिससे किसीको यह कहनेका अवसर न मिले कि आश्रममे ऐसा प्रसंग कैसे आया ?

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

१०४. निषेधादेश*

यह बात विलकुल सच है कि मेरे कोहाट जानेसे वहाँके हिन्दू-मुसलमानोके ममजीनेका मामला, जिम हदतक वह अपने आपमे दोषपूर्ण होगा, फिरमे मुले बिना न रहेगा। पर जो ममजीना हुआ है वह दवावमे हुआ है, क्योंकि मुकदमे चलाये जानेकी प्रतीति तो शेरों दलोके मिरपर गयी ही थी। यह ममजीता रवेच्छासे नही हुआ है और शान्ति मनना नही है। हिन्दू और मुगलमान दोनोमे, जो कि रावल-पिन्डेमे मौ० शौकत अलीने और मुजने मिले थे, ऐसा ही कहा था। परन्तु मेरे कोहाट

* १०४. निषेधादेश परहे पाठ्यपुस्तक निजी मन्त्रि तथा अपने बीच हुए वाक्य-व्यवहारको नष्ट कर दिया। न पर शीर्षक और परहेपुस्तक रूपमे शीर्षक परहे दिये जा चुके हैं। शीर्षक "ममजीने" के अर्थ "निजी मन्त्रि", १०-११-१९२७ तथा "वाक्य-व्यवहारको निजी मन्त्रि", १९-२०-१९२७।

जानसे चाहे कुछ भी नतीजा निकले, उसमे दोनो दलोमे जो मनमुटाव है वह बढने-वाला तो हरगिज नही है। ऐसी हालतमे यदि मुझे अपने मुसलमान मित्रोके साथ कोहाट जाने दिया जाता तो शान्ति-स्थापनाका ध्येय, जिसका कि दावा मेरे बराबर ही वाइसराय साहब भी करते है, आगे बढता। उस समय जब कि कोहाटमे आग बघक रही थी, मुझे वहाँ न जाने देना कुछ-कुछ समझमे आ गया था, परन्तु इस समयकी मनाई समझमे नही आती। कितने ही मित्रोने मुझे सूचित किया कि विना इजाजत लिये अथवा विना खबर किये मुझे कोहाटके लिए रवाना होकर निपेयादेशके उल्लघनकी सजा ओढ लेनी थी। पर यह मैं उमी हालतमे कर सकता था जब इस प्रकारके आदेशकी अवज्ञा करके मैंने जेल जानेकी ठान ली होती। पर मैं मानता हूँ कि देशमे आज ऐसी किसी कार्रवाईके योग्य वायुमण्डल नही है। इसलिए मैंने यह जोखिम नही उठाई। मुझे तो आशा है कि जिस सावधानीके साथ मैं ऐसी किसी भी कार्रवाईसे, जिससे सविनय अवज्ञाकी नौबत आ जानेकी सम्भावना पास आ सकती है, दूर ही रहा हूँ, सरकार उसकी कदर करेगी। और इस सावधानीमे भी मेरा हेतु यह है कि जहाँतक हो सके ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे लोग अप्रत्यक्ष-रूपसे भी हिंमामे प्रवृत्त हो सके। पर हाँ, ऐसा समय आये विना न रहेगा जब अघटित परिणामो-का लेशमात्र विचार किये विना सविनय अवज्ञा करना मेरा धर्म हो जायेगा। मैं स्वयं नही जानता कि यह समय कब आ सकेगा या आवेगा भी। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि वह आ सकता है। जब वह वक्त आ जायेगा तब मेरा खयाल है, मेरे मित्र मुझे पीछे हटते हुए नही देखेगे। तबतक वे मुझे निवाह ले।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २६-२-१९२५

१०५. सच हो तो अमानुष

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक-समितिकी ओरसे मुझे नीचे लिखा तार मिला है

नाभासे हाल ही में बडे अमानुषी अत्याचारोकी खबरे आई हैं। कैदियोको केश, दाढी पकडकर खींचा गया है और ऐसी मार मारी गई है कि वे बेहोश हो गये हैं। उनसे पानीमें गोते लगवाये गये हैं। बदनके भिन्न-भिन्न हिस्से लोहेके लाल गरम सींकचोसे दागे गये हैं और उन्हें सिर नीचे और पाँव ऊपर बांधकर लटका दिया गया है, जिससे कितने ही लोग मर भी चुके हैं। बहुतो-की हालत चिन्ताजनक हो रही है। कितनो ही को सख्त जल्म पहुँचे हैं। कुछ जत्थोको तो ता० १३-१४ को खाना ही नहीं दिया गया। बडी सनमनी फँल रही है। हालत निहायत गम्भीर है। तुरन्त कुछ उपाय करना जरूरी है।

मैं इस तारको छाप रहा हूँ, पर अफसोसकी बात है कि तुरन्त कुछ भी नही किया जा सकता है। निश्चय ही लोगोकी हमदर्दी तो कैदियोके प्रति है। मुझे रस

वातमें भी कोई शक नहीं कि विधानसभामें प्रश्नोत्तर भी होंगे, पर इससे उन दुखियों-को क्या तमल्ली मिलेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह विवरण अतिरजित निकले और कर्मचारीगण द्वारा उपरोक्त अमानुषता बरतनेका अपराध न किया गया हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भयकर इल्जाम जेलके कर्मचारियोंपर लगाये गये हैं, नाभाके राज्याधिकारी उनका स्पष्टीकरण देगे और निष्पक्ष तौरपर उनकी जाँच करावेगे।

[अग्रेजीसे]

यम इंडिया, २६-२-१९२५

१०६. फिर वाइकोम

वे हिन्दू जो अस्पृश्यताको पाप मानते हैं, नीचे लिखे पत्रको पढ़कर बड़े क्षुब्ध होंगे ?

एक उन्नत बनाया जानेवाला राज्य प्रगतिशील विचारोंका विरोध करे तो यह उम 'उन्नत' राज्यके लिए लज्जाजनक है। नैतिक दृष्टिकोणसे तो प्रगतिशील लोगोंकी जीत हो गई है। यद्यपि यह खेदकी बात है कि कथित अस्पृश्यों द्वारा एक सार्वजनिक मार्गके उपयोगके विरुद्ध २२ सदस्योंने मत दिये, किन्तु यह जानकर सान्त्वना मिलती है कि २१ सदस्योंने हिन्दू सुधारकोंके प्रस्तावके पक्षमें अपना मत देकर उनके द्वारा ग्रहण की हुई स्थितिका समर्थन किया है। लेकिन पत्रकी सबसे दुःखजनक बात यह है कि मत्याग्रही निराश होते हुए जान पड़ते हैं। मुझे इससे आश्चर्य नहीं होता। लगानार मत्याग्रह करनेका उनका यह पहला अवसर है। फिर भी मैं उन्हें विश्वास दिला दूँ कि विजय सुनिश्चित है क्योंकि उनका उद्देश्य न्याय्य है और उनके माधन अहिंसात्मक है। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि उन्होंने अपने कष्ट सहनसे ससारका ध्यान आकर्षित कर लिया है। आन्दोलन शुरू होनेसे पहले वाइकोमको कौन जानता था ? उन्हें यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि वे युगो पुराने एक अन्वविश्वासके विरुद्ध लड़ रहे हैं। द्वेषकी लीहभित्तिको तोड़नेके प्रयत्नमें कुछ सुधारकोंका एक वर्षका कष्ट सहन कोई बड़ी बान नहीं है ? अवीर होनेका अर्थ लड़ाई हार जाना है। उन्हें तो अन्नतक लड़ना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग हाँ भी क्या मरना है ? हिंसामें कोई कार्य सिद्ध न होगा। नट्टिवादी लोग जीर भी जकट जायेंगे और धनीदोंके गुनमें उन्हें बल मिलेगा; क्योंकि यदि नट्टिवादी घायल होते हैं तो महानुभूति प्रबल रूपमें उनको ही प्राप्त होगी — चाहे उनका उद्देश्य अनुचित ही क्यों

१. यह पत्र नहीं लिखा गया है। परमें बताया गया था कि रात्रकी मरकरने स्थानीय विधान परिषदमें अस्पृश्यताके सम्बन्धी प्रस्तावको जिस प्रकार विफल किया, उसमें यह भी कहा गया था कि उसमें प्रार्थनात्मक प्रस्ताव भी हो सकती है। उसमें यह प्रार्थना भी की गई थी कि यदि ऐसी क्षम्यमें गांधीजी मार जाँ न सके तो वे अपने सम एक वस्तु देकर मत्याग्रहियोंके माधन और उनके धर्मके रक्षणमें सहायता अवश्य दें। "सुधारकोंकी कसौटी", १९-२-१९२५ भी देखिए।

२. पत्र देखिए।

न हो। सड़कपर जबरदस्ती जा पहुँचनेके प्रयत्नसे बाडे और भी मजबूत कर दी जायेगी और यदि बल-प्रयोग सफल हो ही गया तो उसका अर्थ केवल यही होगा कि अस्पृश्य लोग केवल एक सार्वजनिक मार्गका उपयोग-भर कर सकेंगे, लोकमतको बदल नहीं सकेंगे।

किन्तु हिन्दू सुधारक तो उन रूढिवादी लोगोके विचारको बदलना चाहते हैं जिन्होंने अस्पृश्यताको अपना धर्म मान लिया है। इस उद्देश्यको तो वे जैसे अब कष्ट सह रहे हैं, वैसे कष्ट सहकर ही प्राप्त कर सकेंगे। सत्याग्रह सफलताका छोटेसे-छोटा रास्ता है। जोर-जबरदस्तीके तरीकोमे जितने भी सुधार हुए हैं वे एकाव वरस नहीं, बहुत वरसोमे हो पाये हैं। यूरोपमे अज्ञानपर ज्ञानकी विजय लम्बी अवधिमे और बड़ी यातनाएँ सह कर हुई थी, और यह निश्चय किमीको नहीं है कि उनकी यह सफलता स्थायी सफलता है अथवा नहीं। जिन लोगोने विरोध किया और उभी विरोधमे मरे, उनके विचारमे परिवर्तन नहीं हुआ। जिन दूसरे लोगोके विचारमे परिवर्तन हुआ वे उन लोगोके कष्ट सहनसे आकर्षित हुए जो अपने विरोधियोंको मारते हुए स्वयं मृत्युको प्राप्त हुए थे। उम युगके प्रयत्नका विशुद्ध परिणाम यह हुआ है कि ससारका विश्वास हिंसाके तरीकोमे बढमूल हो गया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वाइकोमके सत्याग्रही अपने मार्गसे विचलित न होंगे, भले ही उनकी सख्या कम रह जाये और उनके जीतनेकी आशा और भी धुधली पड जाये। सत्याग्रहका अर्थ है अपने आपको पूरे तौरपर मिटा देना, अधिकतम अपमान सहन करना, अविकतम वैर्य धारण करना और गहरी श्रद्धाको जागृत रखना। सत्याग्रह स्वयं अपना पुरस्कार है।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, २६-२-१९२५

१०७. टिप्पणियाँ

२८ फरवरी

सर्वदलीय सम्मेलन-समितिकी तरफसे नियुक्त उपसमितिकी बैठक दिल्लीमे २८ फरवरीको फिर होगी। जो कठिन काम उसके सुपुर्द किया गया है, ऐसा कठिन काम तो शायद ही किसी उपसमितिको करना पडा होगा। इस समितिने अपनेको दो हिस्सोमे बाँट लिया है। एकको स्वराज्य योजनाका मसविदा और दूसरीको हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी योजना तैयार करनेका काम सौपा गया है। स्वराज्य समितिकी प्रमुख डा० वेसेट थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट समितिके सामने विचारार्थ पेश भी कर दी है। समितिकी बैठक पहले मुलतवी इसीलिए कर दी गई थी कि उस समय हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके प्रश्नका समझौता नहीं हो सका था और उपस्थित सदस्य चाहते थे कि वे अनुपस्थित सदस्योसे और जो लोग सदस्य तो नहीं हैं लेकिन इस कार्यमे मदद कर सकते हैं, उनसे मशविरा कर सकें। यह आशा की जाती है कि जो लोग आ सकते

हैं वे गमिनीकी इस बैठकमें जम्मा ही आयेगे। आज आजपासमें मैंने यह दिया है कि इस बैठकको मानके तीसरे हफ्ते बाद किसी भी तारीखमें मन्त्री बना जाये। कुछ सदस्योंने उन्हें गवर दी है कि वे इस बैठकमें हाजिर न रहेंगे। मैंने उन्हें गवर दी है कि गमिनीमें पूरे बिना मैं इस बैठकमें मन्त्री नहीं बन सकता। यदि जरूरी हुआ तो गमिनी ही मैं अपनी बैठकमें मन्त्री बन देगी। अबतक यह तो हराएकने मान ही गया होगा कि आज या कल ही। इस बैठकमें शायद इस पक्षपर अब कोई नई बात सामने नहीं आयेगी। हमारे सामने केवल यह सवाल होगा कि दिल्लीकी आगिरी बैठकमें जा रा निम्नलिखितों विचार-धाराएँ उठ गयी हूँ थी, उनके बीचका कोई सम्बन्ध बनाना है या नहीं। इससे एक दूसरा यह भी सवाल पैदा होता है कि रीना दल इस प्रस्ताव तत्काल निपटारा करना चाहते हैं या नहीं? स्वराज्यकी योजना भी क्या महत्वाकांक्षी प्रश्न है। सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम गवालने ही जारी प्रयत्नको रोक गया है। मैं सोचता हूँ कि जो लोग आ सकते हैं, वे आशय ही आयेगे और इस प्रश्नको रण कर्णमें मदद करेंगे। लालाजीकी सूचनाके विपरीत यदि बैठक मुन्नी न की जाये और वहा इस प्रश्नका विचार करना ही पसन्द किया जाये तो मेरी मताह है कि जो सदस्य हाजिर न हो सके, वे अपनी राय गमिनीकी लिग भेजे।

आचार्य गिडवानी रिहा

हमें सोमवारकी प्रात अम्बालामें निम्न तार मिला है, जिसे पढकर मुझे प्रसन्नता हुई है, और आशा है मेरी तरहमें पाठकोंको भी प्रसन्नता होगी

गिडवानी कल सायकाल सजा फिर स्वयं किये जानेके कारण रिहा कर दिये गये। इस बार प्रशासककी आज्ञामें तथ्य सही रूपमें दिये गये हैं। उनके भाई आलिम गिडवानीके हाथ, जो ८ तारीखको श्रीमती गिडवानीके लिए भेदकी तारीख लेने गये थे, प्रशासकने एक सन्देश भेजा था। प्रशासकके सन्देशमें कहा गया था कि यदि गिडवानी नाभाकी राजनीतिमें हस्तक्षेप न करे तो वे आज ही चले जा सकते हैं। गिडवानीने खबर भेजी है कि यदि इसका अर्थ निर्वासनकी आज्ञाका पालन करना है तो जब वे आये थे तब भी उनका उस आज्ञाका उल्लंघन करनेका कोई विचार नहीं था, और भविष्यमें भी नहीं होगा। श्रीमती गिडवानी ११ तारीखको यह खबर लाई कि प्रशासक श्री गिडवानीसे यही चाहते हैं। श्री गिडवानीने तुरन्त निम्न पत्र भेजा "श्रीमती गिडवानीने मुझे बताया है कि आप मुझसे कोई ऐसा आश्वासन लेना चाहते हैं कि आपकी जारी की हुई निर्वासन आज्ञाको न माननेका मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे आपको इस आश्वासनको देनेमें कोई क्षिप्तक नहीं है। जब पिछले साल मैं अमृतसरसे रवाना हुआ था और मैंने आपसे जैतमें प्रवेशकी अनुमति

मांगी थी तब भी उस आज्ञाका उल्लंघन करनेका मेरा कोई विचार न था। जैसा कि मैंने ८ मार्च, १९२४ के अपने लिखित वक्तव्यमें स्पष्ट किया था, मैंने आपके निर्णयको माननेका पूरा इरादा कर लिया था। मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि वह पत्र आपको नमयपर नहीं मिला, जिसमें इस दुःखजनक भ्रमको कदाचिन् स्मृत कर दिया गया है। मैंने खाना होनेसे पहले स्वयं इस मामलेमें काफ़ेसको स्थिति और श्री गांधीकी इच्छा जान ली थी। उनके अनुसार मुझे आपके आदेशका पालन करना था और भविष्यमें भी मेरी कार्यदिशा यही रहेगी, मैं इस आज्ञाका पालन तबतक करूँगा जबतक वह वापस नहीं ले ली जाती।” प्रशासक १२ तारीखको प्रातःकाल दिल्ली चले गये थे। वे १५को वहाँमें लौटे और उन्हें तुरन्त जंतो जाना पड़ा। जंतोसे वे २१ की रातको लौटे। श्री गिडवानीको इस सजाको स्थगित करानेकी आज्ञा २२ तारीखको ४ बजे सुवह प्राप्त हो गई। श्री गिडवानी आज रात दिल्ली जा रहे हैं जहाँ वे हिन्दू काळेजके आचार्यके पास ठहरेंगे और महात्माजीकी हिदायतकी प्रतीक्षा करेंगे।

मुझे आचार्य गिडवानीकी गिराईकी खबर पाकर खुशी हुई है क्योंकि उनकी गिराई राजा विशुद्ध अन्यायपूर्ण थी और अब उस अन्यायका परिमार्जन कर दिया गया है। मन्मथ ही नामाके अपिहारियोंके तरीके अजीब हैं। आचार्यमें जो आश्चर्यजनक उन्होंने अब किया है उसे वे बहुत पहले ले सकते थे। अमलमें जैसा कि इन मन्मथोंमें प्रा-वा-तहा जा चुका है, आचार्य गिडवानी आज्ञा भंग करनेकी गरजसे नामाकी नीमामे कदापि नहीं घुसे। वे तो वहाँ विशुद्ध और केवल मानवीय सेवा करनेके उद्देश्यसे गये थे। किन्तु इन कंदकी मजामे न तो राष्ट्रकी कोई हानि हुई है और न आचार्य गिडवानीकी। यह तो स्वराज्यके लिए आवश्यक शिक्षण और स्वतन्त्रताका मूल्य है जो प्रत्येक व्यक्तिको चुकाना ही चाहिए।

मगसारी

मुझे एक तारा मिला है जो मुझे राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे भेजा गया है। यह तारा अफगानिस्तानमें जहमदिया फिरकेके दो सदस्योंके पत्थरोसे मार दिये जानेके बारेमें है। जब स्वर्गीय नियामतुल्लाह गाँको भयकर दण्ड दिया गया था तब मैंने जान-बूझकर उसपर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन अब इन घटनाओंकी, जिनकी खबर मुझे अभी मिली है, उपेक्षा करनेका साहम मुझमें नहीं है—यद्यपि तौरसे तब जब मुझमें मत प्रकट करनेका अनुरोध निजी तौरपर किया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि ‘कुरान’ में केवल कुछ अवस्थाओंमें ही मगसारीकी हिदायत दी गई है, किन्तु जिन मामलोंपर हम विचार कर रहे हैं उनपर ये अवस्थाएँ लागू नहीं होती। मैं मनुष्य हूँ और ईश्वरसे डरता हूँ। इस रूपमें किन्हीं भी स्थितियोंमें ऐसे तरीकोंकी नैतिकतापर मुझे शक करनी चाहिए। नबीके जीवनकालमें और उस युगमें चाहे कुछ भी आवश्यक या विहित रहा हो, ‘कुरान’ में इसका उल्लेख होने मात्रमें इस विशेष दण्डका समर्थन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक धर्मके प्रत्येक

नियमको विवेकके इस युगमें पढ़के विवेक और व्यापक न्यायकी अत्यंत ज़रूरतपर कसना होगा। तभी उमपर नगारकी गीर्वाणियाँ गाँधी जा सकती हैं। विद्या भूखाना समर्पण नगारके समस्त धर्मग्रन्थोंमें भी किया गया हो तो भी यह इस नियमसे मुक्त नहीं हो सकती। इस मकदममें भी अहमदिया फिरकेके प्रति गलतानुभूति पाठ करना है। यह कहना अनावश्यक है कि मैं इस मामलेके गुणावगुणोंके सम्बन्धमें अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता। भगवत्पुत्र है कि आम लोगोंने इस मामलेके तथ्य मालूम नहीं है जिसमें वे इसके गुणावगुणोंपर अपना मत स्थिर कर सकें। यह ऐसा दण्ड है जिनमें मानवीय अन्तःकरणों को चोट पहुँचती है। विवेक और हृदय कितनी भी अपराधके लिए ऐसी यातनाका समर्थन नहीं करने—ताहें यह अपराध किन्ना ही जघन्य नगो न हो।

टिप्पणी प्रश्न

‘एक हितचिन्तक’ ने नीचे लिखी मन्त्रों में किन्तानके लिए भेजी है

‘वाइविल’ को लोग ५६६ भाषाओंमें पढ़ सकते हैं। पर उपनिषदों और ‘गीता’ को किन्तनी भाषाओंमें पढ़ सकते हैं?

पादरी लोगोंने कितने फुण्डालय लोले हैं और कितनी सस्थाएँ दलित और पीडित लोगोके लिए खोल रखी हैं?

“आपने कितनी खोली है?”

ऐसे टिप्पणी प्रश्न मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, ‘एक हितचिन्तक’को जवाब देनेकी जरूरत है। पादरियोंके उत्साह, उमग और त्यागके प्रति मेरे मनमें बड़ा आदर-भाव है। पर मैंने उन्हें यह बतानेमें कभी सकोच नहीं किया है कि उनके उत्साह, उमग और त्यागका समुचित उपयोग नहीं होता। दुनियाकी हरएक जगहमें अगर ‘वाइविल’का तरजुमा हो जाये तो इससे क्या? पेटेट दवाका विज्ञापन बहुतेरी भाषाओंमें किया जाता है, इसलिए क्या उसकी महत्ता उपनिषदोंमें बढ़ सकती है? कोई गलती अपने बहुल प्रचारके कारण सत्यका स्थान नहीं ग्रहण कर सकती, और न सत्य इसलिए मिथ्या हो सकता है कि उमपर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ती। जिन दिनों ‘वाइविल’का उपदेश पूर्वकालीन ईसाई धर्मप्रचारक देते थे उन दिनों उमकी शक्ति आजसे कहीं अधिक थी। अगर ‘एक हितचिन्तक’ यह समझते हो कि ‘उपनिषदों’की अपेक्षा ‘वाइविल’का अधिक भाषामें अनुवाद होना उसकी श्रेष्ठताकी कसौटी है तो कहना होगा कि उनको पता नहीं है कि सत्यका प्रसार कैसे होता है। सत्यका फल तभी मिल सकता है जब तदनुसार आचरण किया जाये। परन्तु यदि मेरा उत्तर पानेसे ‘एक हितचिन्तक’को कुछ सन्तोष हो सकता है तो मैं उनसे खुशीके साथ कहूँगा कि हाँ, ‘वाइविल’की अपेक्षा ‘उपनिषदों’ और ‘गीता’का अनुवाद बहुत कम भाषाओंमें हुआ है। मुझे कभी इस बातकी जिज्ञासा नहीं हुई कि उनके अनुवाद कितनी भाषाओंमें हुए हैं।

अब, दूसरे सवालके बारेमें भी, मुझे यह कबूल करना चाहिए कि पादरियोंने कुछ चिकित्सालय तथा ऐसी बहुत-सी सस्थाएँ खोली हैं। मैंने एक भी नहीं। फिर

भी मेरी निम्ति खचल है। ऐसी बातोंमें मैं पादरियो अथवा और किन्हीं लोगोसे प्रति-
स्पर्धा करी कर नहीं हूँ। मैं तो जिन तरह इन्वर राह दिगाना है उसी तरह नम्र
भावसे मनुष्य-जातिसे ऐसा करनेकी योगिता कर रहा हूँ। कुष्ठालय ज्यादि खोलना
मनुष्य-जातिसे ऐसा एक मान्य है और यह भी शायद सर्वोत्तम नहीं है। परन्तु
ऐसी उच्च सेवाओंकी भी उच्चता उम्र अन्तर्गामें बहुत-कुछ घट जाती है जबकि उनके
पीछे पर्याप्त करनेका हेतु रहता है। वही सेवा सर्वोच्च होती है जो केवल सेवाके
लिए ही तो जानी है। हा, यहाँ कोई मेरे आशयको गलत न समझ ले। जो पादरी
निम्नतरें तावते ऐसे कुष्ठालयमें सेवा करने हैं, उनका मैं आदर करता हूँ। यह कबूल
करते हुए मुझे बहुत गर्म मान्यता होती है कि हिन्दू लोग ऐसे निष्ठुर हो गये हैं कि
दुनियाकी बात तो दूर, अपने देशके ही दीन-अनाथोंकी भी वे बहुत कम परवाह
करते हैं।

एक वहम

व्यापक एक जमीदारने हिन्दू-मुस्लिम एकता, अल्पदयता और स्वराज्यके विषयमें
मुझे एक प्रतीक लम्बी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी इतनी लम्बी है कि प्रकाशित नहीं की
जा सकती और उममें कोई नई बात भी नहीं कही गई है। फिर भी नमूनेके तौरपर
उममें ने एक वाक्य यहाँ पर देना हूँ

पाँच नौ बरसमें हिन्दुओका और मुसलमानोंका सम्बन्ध दुश्मनोका-सा
रहा है। ब्रिटिशोका राज्य होनेके बाद एक नीतिके तौरपर हिन्दू-मुसलमान
उम जातिगत द्वेषको भूल जानेपर मजबूर किये गये थे और अब उन दोनों
जातियोंमें वैमो कटुता और दुश्मनी नहीं रही। लेकिन इन दोनों जातियोंके
स्वभावका रयायी-भेद अब भी मौजूद है। मेरा विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमानो-
का वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ब्रिटिश राज्यके कारण ही है और नवीन हिन्दू
धर्मको उदारताके कारण नहीं।

मैं उसे सिर्फ एक वहम मानता हूँ। मुसलमानोंके राज्यमें दोनों जातियाँ आपसम
मुश्किल-सफाईके साथ रहती थीं। यह याद रखना चाहिए कि मुसलमानोंके राज्य-कालके
पहले भी कितने ही हिन्दुओंने इस्लामको अंगीकार किया था। मेरा यह विश्वास है
कि जिन प्रकार ब्रिटिश राज्य यहाँ न होना तो भी यहाँ ईसाई लोग होते ही, उसी
प्रकार यदि मुसलमानोंका राज्य न हुआ होता तो भी यहाँ मुसलमान तो रहते। इस
बातका कोई प्रमाण नहीं है कि ब्रिटिश राज्यकी स्थापनासे पहले यहाँ हिन्दू और
मुसलमानोंमें झगडा रहता था। मेरा विश्वास है कि ब्रिटिशोकी इस 'फूट डालकर
शान्त करनेकी' नीतिने हमारे मतभेदोंको और भी बढा दिया है। और जबतक, इस
नीतिके होते हुए भी, हम यह न समझ जायें कि हमें एक हो जाना चाहिए तबतक
वह हमारे मतभेदोंको बढाती ही रहेगी। लेकिन यह तबतक मुमकिन नहीं जबतक हम
अधिकार और पदोंके लिए झगडते रहेंगे। पहल हिन्दुओंको ही करनी चाहिए।

भन्चाकी डायरी

यहां हम श्री भन्चाके कामका प्रोग्राम देने हैं

मैं श्री शरताने और श्री देवके साथ पूर्वी गानदेशका दौरा कर रहा हूँ। दैनिक विवरण इस प्रकार है:

१३-२-१९२५, भुसावल • ३५० रुपयेकी गादी मुम्बतः बकीलोको ब्रेचो और १२ बगाली मन रुई इकट्ठी की।

१४-२-१९२५, जामनेर • १६/११ बगाली मन रुई इकट्ठी की।

१५-२-१९२५, चांगीसगांव • ३१० रुपयेकी गादी बकीलोको और ४५० रुपयेकी फरग व्यापारियोंको ब्रेचो। एक बगाली मन रुई इकट्ठी की।

१६-२-१९२५, पाचीरा यहां १२ मन और ५ पक्का बगाली मन रुई सिन्दूरनीमें इकट्ठी की।

१७-२-१९२५, आज हम यावलेमें हैं। श्री दास्ताने पश्चिमी गानदेशमें ३ दिन अर्थात् २३ तारीखतक और रहना चाहते हैं।

मैं श्री भन्चाके एक पत्रमें यह उद्धरण उस तय्यालमें दे रहा हूँ कि उसमें हमारे कार्यकर्त्ताओंको काम करनेकी प्रेरणा मिले। व्यावसायिक टग और मनन प्रयत्नके बिना सूत कातने और खद्दरके प्रचारमें सफरना मिलनी सम्भव नहीं है। मेरा अनुभव तो यह है कि जितना भी काम किया जाये उनकी प्रतिप्रिया तुम्हें होती है।

भारतकी दुर्दशा

इलाहाबाद कृषि मस्थानके श्री हिगिनवॉटममें कर जाँच-समितिने उनी ६ तारीखको पूछताछ की थी। उस पूछताछके उत्तरमें उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण विषयोंमें अपनी यह दिलचस्प राय जाहिर की। मैं 'मिबिल ऐंड मिलिटरी गजट' से चुनकर निम्न उद्धरण देता हूँ

भारत बहुत गरीब देश है, फिर भी वह खेती सम्बन्धी कई बातोंमें ससार-भरमें सबसे ज्यादा फिजूलखर्च देश है। देशमें जो हृद दर्जकी गरीबी है उसका कारण जमीनकी कमी या खेतीके सामानकी कमी उतनी नहीं जितनी वैज्ञानिक ढंगसे खेती करनेकी। देशमें अलाभप्रद असरय पशु और धार्मिक भिखारी होनेकी वजहसे भारी आर्थिक शोषण होता है। देशमें खाद्य जुटानेके लिए और कामकी दृष्टिसे जितने जानवरोंकी जरूरत है उसकी अपेक्षा यहाँ बहुत ज्यादा जानवर हैं। उनको काफी चारा नहीं मिलता, इसलिए वे कदमें छोटे और कीमतमें हल्के रह जाते हैं। भारतकी गाय सब देशोंकी गायसे कम दूध देती है; इसका कारण यह है कि यहाँ चारा कम है और जो निकम्मी गायें हैं, भारतीय उनको खतम करना नहीं चाहते। भारतमें दूधका उत्पादन करनेमें बहुत ज्यादा खर्च आता है और देशके ९० प्रतिशत पशु आर्थिक दृष्टिसे बोझ हैं।

लोग अत्यन्त कीमती खादको, जिसका मिलना मुश्किल है, जला रहे हैं। भारतमें कर लगानेकी गुजाइश बहुत अधिक है, लेकिन लोगोकी कर देनेकी वर्तमान सामर्थ्य बहुत कम है। जमीनपर करका भार जितना पडना चाहिए उसको अपेक्षा बहुत कम पड रहा है। भारतमें जब किसानकी जमीन इतनी कम होती है वह आर्थिक दृष्टिसे लाभ नहीं दे सकती तो उसपर लगान भार-रूप हो जाता है।

अलाभप्रद खातो (जमीनके टुकडो) को खतम करनेके लिए कानून बनानेकी जरूरत है। वर्तमान कानूनसे तो छोटे खातोको प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे बड़े खाते बहुत कम हैं जिनपर मेहनत बचानेके लिए मशीनोका इस्तेमाल किया जा सके। कानूनकी वर्तमान स्थितिमें सब लाभप्रद खाते अलाभप्रद हो रहे हैं। गाँवोंमें उद्योगोकी उचित व्यवस्था नहीं है जिनमें फालतू लोग लग सके। इसके अलावा बहुतसे लोगो और जानवरोके लिए जो जमीनपर सिर्फ आधा बक्त ही काम कर सकते हैं, जमीनसे पूरी आजीविकाकी आशा करते हैं। इसका उपाय यही है कि गाँवोंमें स्त्रियो या पुरुषोके लिए मौसमी उद्योग स्थापित करनेकी योजनाएँ बनाई जायें और उन उद्योगोका विकास किया जाये जिससे जब खेतीमें उनके लिए कुछ काम नहीं होता तब वे कुछ समय लाभप्रद काममें लगा सके। जमींदार अपनी आमदनीको व्यक्तिगत समझता है और यह नहीं सोचता कि गाँवोका सुधार करनेमें उसका लाभ है। इसके अतिरिक्त काश्तकार और जमींदार हमेशा आपसमें लडते रहते हैं।

इन उद्धरणोमे चार बातोकी चर्चा की गई है। कीमती खादकी बरबादी, पशुओकी चिन्ताजनक समस्या, अलाभप्रद खाते और किसानोके लिए पूरे वर्ष धन्धेकी कमी। करके भारकी बात छोड भी दे तो भी इन सबसे जनसमुदायकी गरीबी बढती है और इसलिए म.व. देशभक्तोको इस सम्बन्धमे विचार करना उचित है। इनमे से प्रत्येक प्रश्नपर कारगर तीरपर कार्रवाई की जा सकती है। जिस देशमे गायकी पूजा की जाती हो, उसमे पशुओकी कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। किन्तु हमारी इस गोभक्तिने अज्ञानपूर्ण धर्मान्धताका रूप ले लिया है। हम जितने जानवरोको रख सकते हैं उनसे ज्यादा जानवरोको रखते हैं। इस तथ्यपर सबसे पहले विचार करना जरूरी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गोरक्षा समितियोको यह प्रश्न अपने हाथमे लेना चाहिए। यह उनका उचित कर्त्तव्य है। अलाभप्रद खातोका प्रश्न ऐसा है जिसके लिए हमे अपनी परिवार-व्यवस्थाको बदलनेकी जरूरत है। खादकी बरबादीका प्रश्न हल करनेके लिए खेतीकी सच्ची शिक्षा देनेकी जरूरत है। और लाखो स्त्रियो और पुरुषोके ६ महीने बेकार रहनेका प्रश्न केवल चरखेसे ही हल किया जा सकता है। यह साफ है कि सरकारसे लडनेके साथ-साथ हमे विज्ञानका अध्ययन करना चाहिए और श्री सैम हिगिनवॉटम द्वारा उठाये गये सवालोपर विचार करना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २६-२-१९२५

१०८. तार : आर्यको

२६ फरवरी, १९२५

आर्य

रगून

रतिलाल चम्पाल मित्राद् आनन्दसूयंक गमन्य वार्मिक सम्पत्तारोके गाय
सम्पन्न ।

अग्रजी मसविदे (एस० एन० २८५६) मे ।

१०९. पत्र : अब्बास तैयबजीको

दिल्ली जाते हुए

२७ फरवरी, १९२५

प्रिय मित्र और भुरं

आप फिजूल क्यों परेशान होते हैं? यदि मैंने ताउं जगेजीमें लिगा होना तो
गायद आप उगको ठीक-ठीक पट लेते । मुझे आपके हृदयका आलिगन तो सदा प्राप्त
हं । शरीरका आलिगन प्राप्त हो या न हो इसमें क्या हुआ? मुझे आपके सम्बन्धमें
गलतफहमी नहीं हो सकती । मैंने जान लिया था कि आप भ्रममें पड गये हैं ।
रेहानाको मेरा सस्नेह स्मरण ।

हृदयमें आपका,

मो० क० गाधी

अग्रजी पत्र (एस० एन० १५५१) की फोटो-नकलसे ।

१ गाधीजी और तैयबजी द्वारा एक दूसरेके लिए अभिवादनमें प्रयुक्त एक विशेष ध्वनि ।

२. तैयबजीकी पुत्री ।

११०. पत्र : एस० वी० बापटको

२७ फरवरी, १९२५

आपका पत्र मिला। 'काकी पा टेनेपर और पानेकी कामनामे गाँठका भी चला
गया है।' मुझे धमा लीजिए।

मो० क० गाधी

एस० वी० बापटको
'काकी', 'गाँठ' कार्यालय
पूना

[अपूर्ण]

मत्तारन देनाईकी हस्तलिखित आयगीने।
मोक्ष नागयण देनाई

१११. तार : अब्दुल मजीदको

दिल्ली

२८ फरवरी, १९२५

आपका तार अब्दुल मजीद
अलीगढ़

आपका है वह मुझ आप यहाँ जम्हर पहुँच जायेंगे। मैं शायद कल
शाम चले हूँगा।

गाधी

अपनी मासिके (एन० एन० २८५६) में।

११२. तार : आनन्दानन्दको

दिन्डी

२८ फरवरी, १९२५

स्वामी आनन्दानन्द
अहमदाबाद

२६ मार्चको आपको पूरा समय दे सकता हूँ। क्या इनमें काम चलेगा? नहीं तो मैं मद्रास जानेमें पहले अहमदाबाद आनेको तैयार हूँ।

अग्नेजी ममविदे (पृ० ए० २४५६) में।

११३. पत्र : डा० मैकूवरको

२८ फरवरी, १९२५

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। सत्याग्रह और अहिंसामें मेरा विश्वास पहले जैसा ही अटूट है। मैं अब भी असहयोग कर रहा हूँ और उसी प्रकार भारतके हजारों नर-नारी असहयोग कर रहे हैं। जो लोग हमसे सहमत नहीं हैं उनमें यह समझौता हुआ है कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोग-कार्य मुलतवी कर दिया जाये। इसमें जो लोग देशकी विधान-परिषदमें प्रवेशके इच्छुक हैं, वे वहाँ जानेको स्वतन्त्र हो जाते हैं।

मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

महादेव देमाईकी हस्तलिखित डायरीमें।

सौजन्य नारायण देसाई

११४. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

फाल्गुन सुदी ६, स० १९८१ [२८ फरवरी, १९२५]

गुन भाईश्री,

आपका पत्र मिल गया है। मेरा कार्यक्रम इस प्रकार है

आश्रम	४ मार्च
बम्बई	५ मार्च
मद्रास	७ मार्च
राजगोम	८ मार्च

उनके प्रारंभ कार्यक्रम वाङ्कोममे तय किया जायेगा। आश्रममे २६ मार्चको वापन पहुँचनेका विचार है। मुझे १ अप्रैलको बोटवादा जाना है और उसके बाद मडडा पालिनाना, मिट्टी आदि का कार्यक्रम है।

अब तो मैं वाङ्कोममे प्रम्बई लौटनेके बाद ही जाम साहबमे मिल सकूँगा, वसंत कि वे बम्बई जा जायें।

उनके साथ भाई फूलचन्दका पत्र है। उनके सम्बन्धमे मेरे मनमे बहुत ऊँचा भाव है। अन्धे-अन्धे लोग भी मुनी-मुनाई बातोंमे कँसे भ्रमित हो जाते हैं, इसका यह एक उदाहरण है। आप भाई फूलचन्दको क्षमा तो कर ही देंगे, मैं यह माने देता हूँ। जब भाई फूलचन्दने आपसे क्षमा माँगनेका विचार स्वयं प्रकट किया तब मैंने उन्हें यह मुजाब दिया था कि वे यह पत्र मुझे भेज दें।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूठ गुजराती पत्र (मी० उल्लू० ३१९७) से।

नीजन्व महेश पट्टणी

११५. पत्र : फूलचन्द शाहको

फाल्गुन सुदी ६, १९८१ [२८ फरवरी, १९२५]

भाई फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने पट्टणी साहबको जो पत्र लिखा था, वह मैंने उनको भेज दिया है।^१ तुम्हारा दूसरा पत्र मिल गया है। मैं फुरसतसे उसका उत्तर नामोका उल्लेख किये बिना सार्वजनिक रूपसे दूँगा।

हमें शराबियोंके घर खाना-पीना नहीं चाहिए, इस नियमका औचित्य मेरी समझमें नहीं आया है।^२

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ देखिए “जहाँ मद्यपान हो, वहाँ क्या करें?”, २२-३-१९२५।

जो लोग राक्षी नहीं पहनते, क्या मैं उनके घर नहीं जाता? नुस्खारी जैसी मान्यता है वेगा मैं करूँ तो उससे जगजन्त्रीमें कोई गाय मदर नहीं मिलती।

फिर मैं मानता हूँ कि यदि हम जगजन्त्रीके घर जानेपर भी पगप न पिये तो हमसे महायता मिलती है। यदि हम उस तरह व्यसहार न रगना चाहे तो हमें जन-समाजको ही त्याग देना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८७०) से।

सौजन्य सारदाबहन शाह

११६. पत्र : घनश्यामदास विडलाको

फा० शु० ६, १९८१ [फरवरी २८, १९२५]

भाई श्री घनश्यामदामजी,

आपके लीये जो लाग चरखा बनवा रहा था, बनकर आ गया है। देगनमे तो सुदर हे हि है। मैंने और भाई महादेवने चलाकर भी देगा है। अच्छा चलता है। मैं नहीं जानता कोई आपके वहा उसको अच्छी तरह बिठा सकेंगे। मुझको लीखिये कैसे चलता है। एक चरखा और भी भेजनेका मैंने चि० मगनलालको कहा था। मैं नहीं जानता कि वह मील गया है या नहीं। आपको मैंने एक पत्र उसके पेस्तर लीखा था मीला होगा। मैं वाश्कम जा रहा हू।

आपका

मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० १६०६) से।

सौजन्य घनश्यामदास विडला

११७. काठियावाड़के सस्मरण - १

प्रजा प्रतिनिधि-मण्डल

तारीख १५ से २१ तक मैं काठियावाड़में घूमा। उस अवधिके सस्मरण मेरे दिलमें हमेशा ताजा बने रहेंगे। राजकोटके ठाकुर साहवके स्वतन्त्रता-प्रेमपर मैं मुग्ध हो गया। प्रजा प्रतिनिधि-मण्डलकी उपयोगिताके बारेमें मुझे कुछ शक था, लेकिन उनकी एक बैठकमें तीन घंटे बैठनेके बाद मेरा वह शक भी जाता रहा। यह तो भविष्यकी बात है कि यह मण्डल आगिर कितना उपयोगी साबित होगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि वह आज भी उपयोगी है। उसे अधिक उपयोगी बनानेका दारोमदार प्रतिनिधियोंपर ही है। प्रतिनिधियोंको अपने विचार प्रकट करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है और वे उनका पूरा-पूरा उपयोग करते हुए भी देखे गये। किसीको भी यह खयाल नहीं होता था कि माननीय ठाकुर साहवको क्या पसन्द होगा, क्या नहीं। प्रतिनिधि उन विचारोंको भी प्रकट करते थे, जो ठाकुर साहवको अप्रिय मान्य हो सकते थे।

मत्र कामकाज गुजरातीमें होनेके कारण बड़ी शोभा देता था। अंग्रेजी व्याख्यानोमें जो कृत्रिमता, जाडम्बर इत्यादि पाये जाते हैं, यहाँ वे देखनेको भी न मिले। वहाँके कुछ व्याख्यान तो बड़े प्रभावपूर्ण और अच्छे कहे जा सकते हैं। व्याख्यान लम्बे नहीं थे और नामान्य तीरसर मत्र लोग वही बातें कहते थे, जो जरूरी थीं। यह मण्डल अपनी दलील करनेकी शक्तिमें, मर्यादाकी रक्षा करनेमें और वाकायदा काम करनेमें किसी भी दूसरे प्रतिनिधि-मण्डलसे कम है, यह मैं हरगिज नहीं कहूँगा।

मद्यपान-निषेध

उम मण्डलमें मद्यपान-निषेधपर ही मुख्यत चर्चा हुई थी। प्रतिनिधि-मण्डलने सर्वसम्मतिमें यह प्रस्ताव पास किया कि शराबकी दुकानें और शराबका बनना राज्यकी तरफमें बन्द कर दिया जाये। प्रतिनिधि लोग यह जानते थे कि ठाकुर साहवका मत उनके विरुद्ध है तो भी प्रतिनिधि-मण्डलने इसे वहाँ दूसरी बार पेश किया था।

विचार-दोष

माननीय ठाकुर साहवने स्वयं प्रतिनिधियोंके सामने अपनी बात पेश की। इसलिए उनके विचार भी जाने जा सके। उनकी दलील यह थी कि यदि शराबकी दुकानें बन्द कर दी जायेगी तो यह व्यक्तिके स्वातन्त्र्यको हानि पहुँचाना होगा। मेरा खयाल है कि इसमें बड़ा भारी विचार-दोष है। यह समझना मुश्किल है कि यदि राज्यकी तरफसे शराबकी दुकानें बन्द कर दी जाये तो इससे व्यक्तिके स्वातन्त्र्यकी क्या हानि होगी? प्रजाकी माँग यह नहीं थी कि शराबका पीना जुर्म माना जाये।

उनकी मांग तो यह थी कि राज्यमें शराबका बनना और बेचना बन्द कर दिया जाये। व्यक्ति या समाज जिम चीजको दोषयुक्त मानता है, उसे बनाना या बेचना समाज या व्यक्तिके लिए लाजिमी नहीं है। शराबने होनेवाली हानिको तो सभी जानते हैं। जिस प्रकार चोरी करनेका स्वातन्त्र्य नहीं मिल सकता उसी प्रकार शराब बनाने और बेचनेका स्वातन्त्र्य भी नहीं मिल सकता। जो लोग बिना शराबके नहीं रह सकते, वे चाहे तो उम राज्यको छोड़ दें। व्यक्तिके स्वातन्त्र्यके पूजक देशोंमें भी ऐसी रोक-टोकके दृष्टान्त बहुत पाये जाते हैं। स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता दोनों एक ही नहीं है। किसी भी व्यक्तिको स्वच्छन्द होकर काम करनेका अधिकार ही नहीं है। जहाँ ऐसा अधिकार हो वहाँ स्वतन्त्रता देवीका निवास सम्भव नहीं है। प्रत्येक मनुष्यको उतनी ही स्वतन्त्रताके उपभोग करनेका अधिकार है जिनमें किसी दूसरेको नुकसान न पहुँचे। अंग्रेजीमें विधिशास्त्रका एक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक मनुष्यको अपनी सम्पत्तिका उपयोग ऐसा करना चाहिए कि उसमें किसी दूसरेकी हानि न हो। मुझे अधिकार है कि मैं अपनी सारी जमीन ब्योद जाऊँ। लेकिन मैं उसे उम तरह नहीं ब्योद सकता कि उममें मेरे पड़ोसीके घरकी नींव ही कमजोर हो जाये। प्रजाका कोई वर्ग यदि शराब पीता हो तो उमका नतीजा केवल पीनेवालेको ही नहीं भुगतना पडता, उसके बाल-बच्चों और पड़ोसियोंको भी भुगतना पडता है। अमरीकाने शराबकी दुकानें और शराब बनानेके कारखाने बन्द कर दिये। उममें वहाँ व्यक्तिके स्वातन्त्र्यका लोप नहीं हो गया। इस समय जब शराबके व्यापारके विरुद्ध सारी दुनियामें हलचल हो रही है, यदि राजकोट-नरेश शराबके लिए व्यक्तिके स्वातन्त्र्यका तर्क पेश करे तो यह बड़े दुःखकी बात है।

प्रजामत

यदि यह मान भी ले कि शराबके व्यापारको बन्द करनेसे व्यक्तिके स्वातन्त्र्यकी हानि होती है तो भी यह सिद्धान्त तो सर्वमान्य है कि जहाँ स्पष्टतया प्रजाका एक ही मत हो वहाँ राजाका धर्म है कि वह उसीका वशवर्ती होकर रहे। प्रजा प्रतिनिधि-मण्डलमें ऐसा कोई भी न था जो शराबके व्यापारको बन्द न करवाना चाहता हो। ऐसे भी प्रमाण मौजूद हैं कि स्वयं शराब पीनेवाले ही उसे बन्द कराना चाहते हैं। उनके कुटुम्ब त्रस्त हैं। ऐसे विषयोंमें भी यदि राजकोटके ठाकुर साहब प्रजामतका आदर न करे तो यह बड़े दुःखकी बात होगी। जिस नरेशने प्रजा प्रतिनिधि-मण्डल बनानेमें पहल की है उनसे मैं यह आशा जरूर रखता हूँ कि वे शराबके लिए दूषित सिद्धान्तोंके कायल होकर प्रजामतका तिरस्कार नहीं करेंगे और शराबके व्यापारको बन्द करके गरीबोंकी दुआ लेंगे।

नियमितता

राजकोटके ठाकुर साहब नियमितताके पुजारी हैं। सब काम नियत समयपर करते हैं और दिये हुए और मुकर्रर किये हुए समयकी पाबन्दी स्वयं भी बड़ी सजगतासे करते हैं और दूसरोंसे भी कराते हैं। वे (डिसिप्लिन) अनुशासनके भी पुजारी

है। वे मानते हैं कि तमारा राज भारी बोध अनुशासनका अभाव है। इसमें बहुत कुछ सुधार है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। नियम और अनुशासनके कार्योंके साथ ही प्रजा अपनी सुभेच्छाओंको पूरा नहीं कर पाती।

[सुधारकर्ता]

उपजीवन, १-३-१९२५

११८. स्टेनकोनोवके प्रश्नोंके उत्तर*

[२ मार्च, १९२५]

प्रश्न ? कि आप मेरा मोन-ग्राम हैं। लेकिन आप जो-कुछ कहना चाहते हो, यह नहीं है। वे उम्मा जवाब दिया है। मैं 'यंग रजिया' के सम्पादन-कार्यमें रहा हूँ। मैं पन्तु कुछ मित्र मिलूँगा।

चरनेका प्रभाव

मैं ऐसे व्यक्तिपर उनके प्रभावकी दृष्टिमें उतना नहीं देखता जितना राष्ट्र-पक्ष कोनेवाके प्रभावकी दृष्टिमें देता हूँ। कतारिका प्रभाव व्यक्तिपर भले ही माफ़ किया न पड़े किन्तु राष्ट्रपर उनका प्रभाव बहुत काफी होगा। जैसे कि एक कई कारनेवाके मंत्रित्व का काम भरे ही कुछ न लगे पन्तु उही काम हजागके मिलकर करनेमें परत नही हो सकता है।

"इडिपेंडेंट" दलके धमकी-बाज लोगोंकी स्थिति

जान पटना है वे नेतृत्व करनेकी प्रमती दे रहे हैं। किन्तु वे सफल नहीं होंगे। माननीय मनोवृत्ति उनकी प्रणायिके त्रिपरीत बैठती है। आपने जो-कुछ भी नृशसता देनी है, मेरा क्या है वह लोगोंके एक बहुत ही छोटे भागतक सीमित है।

इंग्लैंडसे मोहादपूर्णा समझौतेकी सम्भावना

निज्जत ही उनकी पूर्ण सम्भावना है। मैं उसीके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन यह बहुत-बहुत अजेजोंके आचरणपर निर्भर है।

अप्रेकी प्रति (सी० टल्लू० ५९९३) की फोटो-नकलमें।

सांजन्य प्रो० जॉर्ज मॉर्गनस्टन

* श्री स्टेनकोनोव (१८६७-१९४८), नॉर्वेके भारतीय महकृतिशास्त्री, पुराऐतविद और पत्रकार। शान्तिनिकेतनमें (१९२४-२५) एक अतिथि प्राध्यापक। मोन दिवसपर गांधीजीने स्टेनकोनोवके प्रश्नोंके उत्तर लिखकर दिये थे। उपशीर्षक गांधीजीकी लिखावटमें नहीं है।

२ स्टेनकोनोव द्वारा सूचित।

११९. तार : आनन्दानन्दको

२ मार्च, १९२५

स्वामी
'नवजीवन'
अहमदाबाद

दममे ज्यादा स्तम्भोकी मामगी आरुमे खाना। दो जग मगलको पहुँचेगे।
मै बुधवारको पहुँच रहा हूँ। उसी दिन बम्बईके लिए खाना होना जम्गी।
वत्सलभभाई और आश्रमको सूचित करे।

बापू

अग्नेजी ममविदे (एम० एन० २४५६) से।

१२०. तार : जयशंकर वाघजीको

दिल्ली

२ मार्च, १९२५

जयशंकर वाघजी
जामनगर

बृहस्पतिवारको सुबह बम्बई पहुँच रहा हूँ। उसी रात वाइकोमके लिए
खाना।

अग्नेजी ममविदे (एस० एन० २४५६) से।

१२१. तार : वरदराजुलु नायडूको

[२ मार्च, १९२५]

डा० वरदराजुलु नायडू

वाइकोम पहुँचनेसे पहले कुछ तय नहीं किया जा सकता। शायद
शनिवारको मद्रास पहुँचूँगा। उसी दिन वाइकोमके लिए खाना होऊँगा।

गांधी

अग्नेजी ममविदे (एस० एन० २४५६) से।

१. कांग्रेस कार्य समितिके एक सदस्य।

१२२. पत्र : बीरेन्द्रनाथ सेनगुप्तको

२ मार्च, १९२५

प्रिय मित्र,

मैंने डम बीच आपका पत्र बराबर अपने पास रखा है। मौलाना मुहम्मद अलीके वक्तव्यमें आपत्ति करने लायक कोई बात मुझे नहीं दिखी। क्या एक सात फुट लम्बा आदमी दूसरे पाँच फुट लम्बे आदमीसे अपनेको ऊँचाईमें बड़ा नहीं कह सकता, भले ही दूसरा व्यक्ति और सब बातोंमें उससे बढ-चढकर हो? क्या मौलाना पूरी ईमानदारीमें ऐसा नहीं कह सकते कि वे ससारके तथाकथित सबसे बड़ आदमीसे भी बड़े हैं क्योंकि जहाँतक धर्मका सवाल है मौलाना ऐसे धर्मके अनुयायी हैं जो उनके विचारमें सबसे अच्छा धर्म है? मैं समझता हूँ कि मौलानाने यह फर्क बहुत ही ठीक दिखाया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

१२३ पत्र : फजल-ए-हुसैनको

दिल्ली

२ मार्च, १९२५

प्यारे मियाँ साहब,

आपने कृपापूर्वक मौलाना मुहम्मद अलीसे हिन्दू-मुसलमान सवालपर अपनी टिप्पणी मुझे दिखा देनेके लिए कहा था। इसलिए उन्होंने वह टिप्पणी मेरे पास भेज दी। मैंने उसे बार-बार पढा। मैं पूरी तरह इसके पक्षमें हूँ कि पजाब और

१ मुहम्मद अलीने लिखा था

“ इस्लामको माननेवाला होनेके नाते मैं यह माननेके लिए मजबूर हूँ कि इस्लामके उसूल इस्लामके अलावा किसी भी दूसरे मजहब माननेवालोंके उसूलोंसे ऊँचे हैं। इस नजरियेसे एक परत और गिरे हुए मुसलमानके मजहबी उसूल भी एक गैर-मुसलमानके मजहबी उसूलोंके मुकाबिले ऊँचा दर्जा पानेके मुस्तहक हैं — भले ही वह गैर-मुसलमान कितना ही पाफ़ और नेकचलन क्यों न हो और चाहे वह खुद महात्मा गांधी ही क्यों न हो। ” देखिए खण्ड २३, परिशिष्ट १३।

वगालमे मुसलमानोंको उनकी मर्यादोंके अनुपातमें प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आपने पृथक् निर्वाचनके पक्षमें जो दलील दी है, उसे मैं ममत्त नहीं पाया। लगभग सभी जगह चुनावकी यह प्रणाली अगन्तोपजनक सिद्ध होती दिखाई देती है। और यदि एक जातिके लिए पृथक् निर्वाचन मान लिया जाये तो फिर आप अन्य जानियों और अन्ततोगत्वा उपजातियोंको भी ऐसे ही निर्वाचनका हक माँगनेमें रोक नहीं सकेगे। इसका अवश्यम्भावी परिणाम राष्ट्रीयताका विनाश है। मैंने जो सुझाव दिया था, क्या आपने उसपर विचार किया है?

मैं आशा करता हूँ कि आपसे मैं जब मिलूँ था उनकी अपेक्षा आपकी मेहनत अब बेहतर होगी। अच्छा होता कि हम दोनों फिर मिल गाने और जब-जब मिलते रह सकते।

हृदयमें आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च]

मैं फिलहाल दिल्लीमें हूँ। कल सावरमती जा रहा हूँ और वहाँमें मद्राम जाऊँगा।

[अग्नेजीमें]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१२४. पत्र : जफर अली खॉको

२ मार्च, १९२५

आपका पत्र मिला। मेरा खयाल है कि आप नाहक परेशान हो रहे हैं। यदि आप मेरी टिप्पणी द्वारा पढ़े, तो उसे नुकसानदेह नहीं पायेंगे। मैं आपके पत्रपर 'यंग इंडिया' के स्तम्भोंमें चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि उसकी विषय-वस्तु सर्वसाधारणके हितकी है।^१ परन्तु मान लीजिये मैंने भूल की, तो क्या हमें एक-दूसरेकी राय वर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, विशेष रूपसे जब कि वह ईमानदारीसे स्थिर की गई हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१. देखिए "मेरा अपराध", पृ ३-१९२५।

१२५. पत्र : सरोजिनी नायडूको

२ मार्च, १९२५

राष्ट्रीय स्कूलोत्तक को बन्द करनेका यह निर्णय आखिर किसलिए? कालेजोको बन्द करनेकी बात तो मैं कुछ समझ सकता हूँ। क्या स्कूलोको भी बन्द करना जरूरी है?

सस्नेह,

[अग्रेजीसे]

तुम्हारा,

मो० क० गांधी

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१२६. पत्र : नरोत्तम लालजी जोशीको

२ मार्च, १९२५

मैंने आपका पत्र बहुत दिनोंसे सभालकर रख छोड़ा है। फुरसत मिलेगी तो आपका नाम दिये बिना 'नवजीवन' में उसका सार्वजनिक उपयोग भी करूँगा। यदि ऐमा करूँ तो आप मेरी टीकाको ध्यानसे पढ़ें। आशा है जल्दी ही करूँगा। आप बहुत लोभी हैं। सब बातें तुरन्त ही जान लेना चाहते हैं, भविष्यके लिए कुछ नहीं छोड़ते और श्रद्धाको भी कोई अवकाश नहीं देते। रामनाम किसीके घन्घेकी या रोजगारकी जगह नहीं ले सकता, बल्कि वह तो उसकी शुद्धिके निमित्त होता है। आप कुछ भी काम करते हुए रामनाम जप सकते हैं। इस जपका फल तो श्रद्धालु ही पा सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा अपने शिक्षकमें नहीं है तो आप उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि जगह हुई तो कुछ समयके लिए ही क्यों न हो आश्रममें प्रवेश मिल जायेगा। यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो व्यवस्थापकको लिखें। आप गाँवमें तो बहुत-सा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप वहाँ शान्तचित्त होकर रह सकें और शरीर-श्रम कर सकें।

मोहनदासके बन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य नारायण देसाई

१२७. वक्तव्य : सर्वदलीय सम्मेलन उप-समितिकी बैठकके स्थगनपर^१

दिल्ली

२ मार्च, १९२५

हिन्दू-मुसलमान समस्याके सम्बन्धमें सर्व-दलीय सम्मेलनकी उप-समितिकी बैठकके मुत्तवी किये जानेका कारण बतलाते हुए महात्मा गांधी और पण्डित मोतीलाल नेहरूने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है :

सर्वदलीय सम्मेलनकी समिति द्वारा नियुक्त उप-समितिकी बैठकमें निर्णय लिया गया था कि उस व्यवस्थाके माथ कार्यवाही श्यगित की जाये कि उप-समितिके सदस्य जब बहुमतमें मांग करे तो फिर बैठक बुलाई जाये। बैठकने हमें यह अधिकार और आदेश दिया था कि आज जैसी स्थिति है हम उनका सक्षिप्त लेगा-जोगा प्रस्तुत करे। बैठकमें बहुत कम सदस्य—५३ में से १४ ही—शरीक हुए। हम दोनोंके अलावा मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना गौकत अली, स्वामी श्रद्धानन्द, पण्डित जवा-हूरलाल नेहरू, डा० एस० दत्त, श्री अहमद अली, एम० एल० ए०, सलेमपुरके राजा अहमद अली खाँ, नवाब सर साहबजादा अब्दुल कयूम, श्री मुहम्मद याकूब, श्री ना० म० जोशी और श्री न० चि० केलकर थे। श्री जिन्ना एक दूसरी बैठक (स्वतन्त्र दलकी बैठक)को छोडकर चन्द मिनटोके लिए इस बैठकमें शरीक हुए थे।

सर्वश्री जयकर, श्रीनिवास आयगार और जयरामदासके शरीक होनेकी असमर्थताके कारण लाला लाजपतरायने बैठक आगेके लिए मुत्तवी करनेकी मांग^२ की थी। हम अपनी जिम्मेदारीपर बैठक मुत्तवी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने लाला लाज-पतरायको सूचित कर दिया कि मुत्तवी करनेका प्रश्न बैठकमें पेश किया जाये।^३ वादमें यही हुआ। लेकिन लाला लाजपतराय तथा उनके बताये सज्जनोकी अनुपस्थिति-के अलावा यो भी उपस्थिति इतनी कम थी कि कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। फिर हमारी रायमें किसी निश्चित निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए सामग्री भी नहीं थी। निकट भविष्यमें किसी निश्चित निष्कर्षपर पहुँचनेकी कोई सम्भावना भी नहीं है। इसलिए सिवा इसके कि हमने बैठक बुलानेकी मांग करनेका जो उल्लेख किया है वह मांग की जाये तो भले ही बैठक हो, अन्यथा निश्चित अवधिके भीतर सभाकी आम बैठक बुलाये जानेकी आशा हमें दिखाई नहीं देती। किसी निष्कर्षपर पहुँचनेमें असफल होनेसे जनतामें निराशा फैलनेकी सम्भावना है। फिर भी हम पत्रकारो और

१. पहली मार्चको। गांधीजी इस उप-समितिके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महामन्त्री।

२. देखिए “ तार लाजपतरायको ”, २३-२-१९२५ की पाद-टिप्पणी।

३. देखिए “ तार लाजपतरायको ”, २३-२-१९२५।

अन्य लोगोंको निर्गम न होनेकी नशाह देगे। चूंकि उप-समिति किन्ही निष्कर्षपर नहीं पहुँच सकी है, जोी कारण व्यक्तियाँ और दलोंको कोई हल निकालनेके अपने पक्षत विचिन्त नहीं कर देने चाहिए।

ज० प्रेसिडेंटों अयोगीनामे उप-समितिके जो स्वराज्य-योजना बनाई है, उसका उल्लेख करता नहीं है। जो उप-समितिके सदस्योंकी ओरसे जगहमतिकी आवाजे उठ रही हैं। हमारे पास उनकी विमर्श-टिप्पणियाँ आ रही हैं। यह देखते हुए कि उपस्थिति बहुत कम है और हिन्दू-मुसलमान प्रश्नके विषयमें किन्ही निष्कर्षपर नहीं पहुँचा जा सकता है, जो प्रश्नोंमें योजनापर विचार नहीं हो सका।

[अगेजा]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-३-१९२५

१२८. पत्र दाभोलकर और जेष्ठरामकी पेढीको^१

सावरमती,^२

३ मार्च, १९२५

महोदय,

मुझे आपका 'ता' पत्र मिला जिनमें आपके 'के' पत्रकी नकल सलगन है। मुझे अभीतक वह पत्र नहीं मिला। शायद वह मेरे पिछले पतेपर दिल्ली भेज दिया गया हो।

चूंकि न्यायालयमें मामला आगे पहुँच गया है और चूंकि श्री गोदरेजके अपने मुतावर है, जमलियाँ मैं प्रस्तुत त्रिपयपर कुछ नहीं कहना चाहता। आपके मुताबिक आ श्री गोदरेज द्वारा निर्वाचित व्यक्तिके माध्यमें प्रसन्नतापूर्वक पत्र बननेके लिए मैं तैयार हूँ। शान केवल यह है कि उस दिनमें मेरी काम करनेकी क्षमता सीमित है। जमलियाँ मेरे मागी पत्रका मेहरबानी करके मेरे अन्य कार्योंका भी खयाल रखना होगा। मैं आपका पत्र श्री गोदरेजको भेज रहा हूँ ताकि वे जैसा चाहे कदम उठा सकें।

हृदयसे आपका,

अगेजा मनविदे (एम० एन० १०५२७ आर०) से।

^१ इन पत्रका मनविदे मंत्रो दाभोलकर और जेष्ठराम (मुदतारोकी एक फर्म)स प्राप्त २ मार्च, १९२५के पत्रकी पिठकी ओर तैयार किया गया था।

^२ किन्तु २-३-१९२५को दिल्लीसे लिखे हुए पत्रमें गाधीजीने लिखा था "मैं कल सावरमती जा रहा हूँ।" देखिए "पत्र फज्जल हुसैनको", २-३-१९२५

^३ व ४ साधन-सूत्रके अनुसार।

१२९. तार : च० राजगोपालाचारीको

[४ मार्च, १९२५को या उगते पश्चात्]

शनिवारको सुबह मद्रास पहुँचकर उगी दिन वाङ्मोम खाना हो जाऊँगा।
अवश्य साथ चले।

अग्नेजी प्रति (एम० एन० १०६३३) को फोटो-नकल।

१३०. टिप्पणियाँ-१

हिन्दू-मुस्लिम समस्या

पाठकोको समाचारपत्रोंमें प्रकाशित वक्तव्यमें विदित हो जायेगा कि सर्वदलीय सम्मेलनकी उप-समिति उक्त जवरदन्त समस्याके बारेमें कोई भी निर्णय नहीं कर पाई है। परन्तु शायद यह ठीक ही हुआ कि उमने कोई निर्णय नहीं किया। इसके उचित समाधानके लिए उपयुक्त वातावरणका अभी तो अभाव ही है। दोनों पक्षोंमें परस्पर अविश्वास है। ऐसी परिस्थितिमें काम करनेका कोई सर्व-सामान्य आधार नहीं मिल सकता। यथासम्भव कोई भी कुछ छोड़ना नहीं चाहता, और न दोनोंमें से कोई पक्ष समाधानके लिए सचमुच चिन्तित ही दिखाई पड़ता है। फिर भी निराश हो बैठनेका कोई कारण नहीं है। दूसरोकी नीयतपर भरोसा रखनेवाले, बिलकुल निर्भय किस्मके लोग यदि अपने विश्वासपर अडिग रहकर कोई समाधान निकालनेकी कोशिश करे तो वर्तमान असफलता ही हमारी भावी सफलताकी सीढी बन जा सकती है। समाधान कोई भी हो, वह राष्ट्रीय तभी बन सकेगा जब वह सरकारपर बिलकुल ही निर्भर न हो, अर्थात् जब उसके अन्दर अपने ही पैरो चलने और आगे बढ़नेकी क्षमता होगी और जब वह अमलमें आनेके लिए सरकारकी सद्भावनाका मुखापेक्षी नहीं रहेगा।

असहायता

मुझे एक काफी लम्बा-चौड़ा तार मिला है। उसमें बतलाया गया है कि २२ तारीखकी रातको दस बजे सक्कर नगरके ऐन बीचोबीच एक पुलिस थानेके पास ही एक बड़ी दु साहसपूर्ण डकैती हुई है। तारमें यह भी कहा गया है कि डाकू अभी तक पकड़े नहीं गये हैं और साहूकार लोग अपने-आपको बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तारका उद्देश्य तो स्पष्ट ही जनताकी सहानुभूति प्राप्त करना और ससारके

१. यह च० राजगोपालाचारी द्वारा देवदास गाधीको ४ मार्च, १९२५ को भेजे गये निम्न तारके उत्तरमें था - “बापूके साथ जानेकी कोशिश करना, उनके मद्रास पहुँचनेकी तारीख तुरन्त सूचित करना।”

इन नवों अधिक गगन-नाथ्य प्रगासनकी इन असफलताको जनताके सामने लाना है कि यह लोगोंके जान-मालको रक्षा करनेका अपना मामूली-ना कर्तव्य भी पूरा नहीं कर पाता। जहाँतक सहानुभूतिक नम्वन्व है जनताकी पूरी सहानुभूति सरकारके नागरिकोंके साथ है। सरकारकी जाओचना भी जितनी चाहे की जा सकती है। परन्तु अधिक गगन प्रग्त तो यह है कि उन्हींके हमलेके वक्त साहूकार क्या कर रहे थे। तबसे तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने पर्याप्त सफलताके साथ आत्म-रक्षाका प्रयाम किया था। परन्तु पैसेवालेके पास आत्म-रक्षाकी शक्ति आसिरकार बहुत नहीं होती। इस उन्हींके साथ ऐसी अन्याय पुनार सुनार में तो सरकारकी असमर्थताकी अपेक्षा बड़े हुए लोगोंके कमजारीकी बात ही अधिक मोचता है। कानून आत्म-रक्षाका अधिकार देता है। मानवीय गरिमाका भी यही तकाजा है कि आत्म-रक्षाका साहस हमारे अन्दर होना चाहिए। यदि अभी योग हर जगह अपनी सम्पत्ति और अपने सम्पत्तिकी रक्षाके लिए सरकारका मुँह ताकना छोड़कर अपने पैरोपर खड़े होना सीख के तो वह न्यगज्यकी एक अच्छी तालीम होगी।

सिलहटकी पुकार

सिलहट जिलेमें शोग करनेके लिए निमन्त्रण देते हुए उसके समर्थनमें नीचे लिखी गामिक अपील की गई है

यद्यपि हमारी आजकी हाजतको देखते हुए आपको तकलीफ देना ठीक नहीं मालूम होता, लेकिन हमारा पिछला इतिहास तो आपको सहानुभूति प्राप्त किये बिना नहीं रह सकता। हमारी कुछ अजीब स्थिति है। राजनीतिक दृष्टिमें तो हम लोग असम सरकारकी हुकूमतमें हैं लेकिन भाषामें, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, सभी बातोंमें हमारा बगालसे ही घनिष्ठ और अभिन्न नम्वन्व है। हमारी जिन्ना-कमेटी बगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मातहत है।

जब अमहयोग जोरोपर था उन दिनों पजाबके वाद असम प्रान्तको ही, जिसमें हमारा जिला भी शामिल है, नीकरशाहीके ऋघका सबसे बड़ा शिकार बनना पड़ा था।

हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें यह जिला चाय वागानके मजदूरोंके बड़ी सख्यामें बाहर चले जाने, मेज भागमें 'कुरान'के फाड़े जाने और अन्तमें कानाईघाटकी दुर्घटनाके कारण मशहूर हुआ।

'कानून और व्यवस्था'के नामपर इस जिलेके करीब २६ लाख निवामियोंसे करीब २ लाख रुपयेसे भी अधिक महसूल जुमानेके तौरपर वसूल किया गया था।

लगभग २०० राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको जेलमें डाल दिया गया था।

इस निष्ठुर दमनसे कांग्रेसके कार्यको बड़ी हानि पहुँची है। बहूतसे लोग तो अपने काम-धन्वोंको संभालनेके लिए वापिस चले गये और इसीलिए आज हमें कार्यकर्ताओंकी सख्यामें बड़ी कमी दिखाई देती है।

वस राष्ट्रीय शालाओंमें से आज सिर्फ एक ही शाखा मुश्किलमें चल रही है। फरीब २०,००० फरघे चल रहे हैं, लेकिन चन्ड फरघोंको छोड़ फर सब विदेशी सूतका इस्तेमाल फर रहे हैं। हमारे जिलेमें माल-दर-माल विदेशी धनपतियोंके द्वारा काफी मात्रामें कपान बाहर भेज दिया जाता है।

सिलहटाग पिल्ला इतिहास निगन्धेद बडा गानदार रता है। लेकिन कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपने भूतकालपर ही जिन्दा नहीं रह सकता। गौरवशाली इतिहास वर्तमान-कालको प्रेरणा दे सकता है, उसे प्रेरणा देनी ही चाहिए, लेकिन भविष्यका निर्णय तो हमारे वर्तमान कार्यमें ही होगा। इसलिए गिल्डेट्ट जिलेके लोगोंको जागना चाहिए और जहांतक उनके जिलेका तात्लुक है उन्हें रचनात्मक कार्यक्रमको सफर बनाना चाहिए। यह विचार बडा ही दुःखद है कि जेलकी मजाआने देशभरमें लोगोंको निष्क्रिय बना दिया है। यदि हम फाट-महनका रहस्ये समझे होते, तो उसने हमारे अन्दर एक नया जोश आना चाहिए था, बजाय उनके कि हम निन्तेज पड जाते जैसा कि आम तौरपर हुआ है। उनके जिलेमें जो कपान बाहर जाता है उसे रोकना और अपने ही जिलेके कते हुए सूतसे कपडा बनानेके लिए जुलाहोंको राजी करना, यह सिलहटाके लोगोंकी ताकतके बाहर नहीं होना चाहिए। तभी वे मुझे अपने जिलेके दारेके लिए कहनेके हकदार होंगे, उसमें पहले नहीं।

दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबन्ध

दक्षिण आफ्रिकी विधानमें रंग-भेद सम्बन्धी प्रतिबन्धका क्षेत्र और अधिक विस्तारित करनेके प्रस्तावके बारेमें आखिरकार जनरल स्मट्सने अपने विचार व्यक्त कर ही दिये। पाठकोंको कुछ समय पहलेके उस तारका रमरण होगा जिसमें कहा गया था कि सघ सरकार खानोंमें काम करनेवाले एशियाइयोंपर प्रतिबन्ध लगानेकी बात सोच रही है। समाचार है कि उस प्रस्तावित विधानके सम्बन्धमें उसके विरुद्ध बोलते हुए जनरल स्मट्सके वक्तव्यका विवरण इस प्रकार है

सघ विधानसभामें रंग-भेद विधेयकका विरोध करते हुए जनरल स्मट्सने स्पष्ट कहा कि विधेयक सरकारको यह शक्ति प्रदान करना चाहता है कि वह खानों और निर्माण-कार्योंमें कानूनके जरिये गोरो और वतनियों तथा एशियाई रंगदार लोगोंके लिए अलग-अलग काम निश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी गम्भीर चीज है। उनकी समझमें विधेयकके पीछे ईमानदारी नहीं है। वे निश्चित रूपसे यह मानते हैं कि गोरे लोगोंकी सभ्यताकी सुरक्षाकी केवल एक ही गारंटी हो सकती है और वह यह है कि इस देशमें रहनेवाले प्रत्येक मनुष्यके साथ ईमानदारीसे न्यायपूर्ण वर्तन किया जाये। (हर्षध्वनि) एशियाइयोंपर पडनेवाले विधेयकके प्रभावके बारेमें उन्होंने कहा श्री गांधीसे

१. जे० सी० स्मट्स (१८७०-१९५०), दक्षिण आफ्रिकी राजनीतिज्ञ, प्रधान मन्त्री (१९१९-१९२४ और १९३९-१९४८)।

चलनेवाले घातकियों की ओर श्रद्धा थी कि भारतीयों को वे-उज्जत न किया जाय और श्रद्धा थी कि गांधीने चादमें लन्दनमें हुए सम्मेलनमें अपने इसी अनुरोधको चार-चार दोहराया है। श्रद्धा थी कि गांधीने कहा था, "हम मानते हैं कि हमारे और आपके बीच एक अन्तर है और दोनोंके बीच विभेद किया जाना चाहिए परन्तु अपने देशके कानूनमें हमारे ऊपर कोई फलक मत थोपिये।" — लेकिन इस विधेयके जरिए सरकार ठीक वही कर रही है जो उससे न करनेको कहा गया था। सरकार एकमे दूसरे छोरतक, समूचे एशिया महा-दीपको घना मोल लेने जा रही है। उन्होंने अन्तमें कहा कि सरकारको इस प्रश्नपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिए कि क्या उसे विधेयके दूसरे वाचनको सभाकी कार्य-सूचीने निकाल नहीं देना चाहिए और क्या इस कठिनाईने बाहर निकलनेका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता।

मेरे नाम का सम्बन्ध जो प्राचीन हुई थी उसका ठीक-ठीक सार उन्होंने दे दिया है। मेरा मुद्दा यह था कि जनक मानव-स्वभाव बदलता नहीं है, आज जैसा है वैसा ही बना रहता है, और जनक यूरोपीय और भारतीय सस्कृतियोंमें टकराव बना रहता है। जनक कुछ प्रजातीय भेदभाव तो रहेगा ही, पर उस भेदभावको कानूनी तौरपर मान्यता देना, देशके कानूनमें रंग-भेदके दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबन्धोंको समाप्त कर देना एक अनर्हनीय बोज बन जायेगा। १९१४ का समझौता भारतीयोंके उसी दृष्टिकोणको जीत थी। जनक समझौतेके विरोधके बाद हम आशा करने हैं कि अंग्रेजोंको आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। लेकिन हमें अपने आपको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंटमें मताधिकार-वचक विधेयक (नेटाल प्रिन्सिपल ऑफ़ द प्रिन्सिपल ऑफ़ 'अर्ग्युमेंट प्रिन्सिपल' के क्षेत्रको विस्तार देता है। इसलिए जनक समझौतेके विरोधका अर्थ केवल इतना ही है कि आजीविकाके मामलेमें भी उन प्रतिबन्धोंको अन्त न किया जाये। उनका विरोध प्रतिबन्ध-मात्रके विरुद्ध नहीं है। कि भी मैं जनक समझौतेके प्रशंसक हूँ कि उन्होंने देशमें अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग होनेकी पक्का न करने हुए, उस तरहकी स्पष्टवादिता दिखाई। यह हमें मानना है कि हमें तबतक मन्तोप नहीं होगा जबतक कि दक्षिण आफ्रिकाकी विधि-मुक्ति, नभी विधियोंमें न गोरो और एशियाइयों या अधिक उपयुक्त शब्दोंमें कहिए तो गोरो और रंगदार लोगोंके बीच किये जानेवाले कानूनी भेदभावको बिलकुल ही निकाल नहीं दिया जाता।

[अप्रेजीने]

यंग इंडिया, ५-३-१९२५

१३१. कांग्रेस और ईश्वर

एक मित्र लिखते हैं^१

जहाँतक अन्त करणके उज्रसे गम्बन्ध है यदि जर्जरन हुई तो कांग्रेसके प्रतिज्ञापत्रमे से, जिसे कि तैयार करनेका मुझे अभिमान है, ईश्वरका नाम निकाल दिया जा सकता है। यदि यह उज्र उमी समय पेग किया गया होता तो मैं फौरन स्वीकार कर लेता। हिन्दुस्तान-जैसे देशमे ऐसे उज्रकी मैंने आशा नहीं की थी। यद्यपि शास्त्रोमें चार्वाक मत भी मान लिया गया है तथापि मैं यह नहीं जानता कि उसके माननेवाले लोग हैं भी या नहीं। मैं यह नहीं मानता कि बौद्ध और जैन लोग अज्ञेयवादी या नास्तिक हैं। वे लोग तो अज्ञेयवादी हो ही नहीं सकते। जो लोग आत्माको शरीरसे भिन्न मानते हैं और शरीरके नष्ट हो जानेपर भी उसकी स्वतन्त्र हस्ती रहना स्वीकार करते हैं, वे नास्तिक नहीं कहे जा सकते। हम सब ईश्वरकी जुदी-जुदी व्याख्याये करते हैं। हम सब यदि ईश्वरकी व्याख्याये अपनी मर्जीके मुताबिक करे तो उसकी उतनी ही व्याख्याये होगी जितने कि स्त्री या पुरुष होंगे। लेकिन इन जुदी-जुदी व्याख्याओके मूलमे भी एक किस्मका अभ्रान्त सादृश्य होगा, क्योंकि मूल तो सबका एक ही है। ईश्वर तो यह अनिर्वचनीय (ला-कलाम) वस्तु है कि जिसका हम सब अनुभव तो करते हैं लेकिन जिसे हम जानते नहीं हैं। बेशक चार्ल्स ब्रेडलॉने^२ अपनेको नास्तिक कहा है, लेकिन बहुतेरे ईसाइयोंने उन्हे ऐसा नहीं माना है। मुंहसे अपनेको ईसाई कहनेवाले बहुतसे लोगोंके मुकाबलेमे मैंने ब्रेडलॉसे अपनेको अविक निकट महसूस किया है। भारतवर्षके उस नेक दोस्तकी अन्त्येष्टि क्रियाके समय मीजुद रहनेका मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मैंने बहुतसे पादरियोको वहाँ देखा। उनके जनाजेके साथ कुछ मुसलमान और बहुतेरे हिन्दू भी थे। वे सब ईश्वरको माननेवाले थे। ब्रेडलॉने ईश्वरके उस स्वरूपके अस्तित्वसे इनकार किया था जिसे उन्होंने धर्मशास्त्रोमे पढा था। उस समय जो नास्त्रीय विचार प्रचलित थे उसके तथा आचार और विचारके भयकर भेदके खिलाफ उनका पाण्डित्यपूर्ण और तीव्र विरोध था। मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति और सदाचार ईश्वर है। निर्भयता ईश्वर है। ईश्वर जीवन और प्रकाशका मूल है, और फिर भी वह इन सबसे परे है। ईश्वर अन्तरात्मा ही है। वह तो नास्तिकोकी नास्तिकता भी है। क्योंकि वह अपने अमर्यादित प्रेमसे उन्हे भी जिन्दा रहने देता है। वह हृदयको देखनेवाला

१ उद्धृत नहीं किया गया है। पत्रमें लेखकने कांग्रेसके प्रतिज्ञापत्रमे 'ईश्वर' शब्दको हटानेका सुझाव दिया था।

२ (१८३३-१८९१) अग्रज चिन्तक और राजनीतिज्ञ ।

है। वह बुद्धि और वाणीसे परे है। हम स्वयं जितना अपनेको जानते हैं, उससे कहीं अधिक वह हमें और हमारे दिलोको जानता है। जैसा हम कहते हैं, वैसा ही वह हमें नहीं मानता। क्योंकि वह जानता है कि जो हम जवानसे कहते हैं अक्सर वही हमारा भाव नहीं होता, और कुछ लोग ऐसा जान-बूझकर करते हैं तो कुछ अनजाने ही। ईश्वर उन लोगोंके लिए एक व्यक्ति ही है जो उसे व्यक्ति-रूपमें हाजिर देखना चाहते हैं। जो उसका स्पर्श करना चाहते हैं, उनके लिए वह साकार है। वह पवित्रसे पवित्र तत्त्व है। जिन्हें उसमें श्रद्धा है उन्हींके लिए उसका अस्तित्व है। विभिन्न लोगोंके लिए उसके विभिन्न रूप हैं। वह हममें व्याप्त है और फिर भी हमसे परे है। “ईश्वर” शब्द काग्रेससे निकाल दिया जा सकता है, लेकिन खुद ईश्वरको तो कोई कहींसे नहीं निकाल सकता। ईश्वरके नामपर की गई प्रतिज्ञा और केवल प्रतिज्ञा यदि एक वस्तु नहीं है तो फिर प्रतिज्ञा होगी क्या चीज? अन्तरात्मा तो निश्चय ही ईश्वर शब्दका एक बड़ा ही अपर्याप्त और जबरदस्ती बनाया हुआ पर्याय है। उसके नामपर भयकर अनीतियुक्त काम किये गये हैं और अमानुष अत्याचार भी हुए हैं, लेकिन इससे उसका अस्तित्व नहीं मिट सकता। वह बड़ा सहनशील है, वह बड़ा धैर्यान् है, लेकिन वह रुद्र भी है। उसका व्यक्तित्व इस दुनियामें और भविष्यकी दुनियामें भी सबसे अधिक काम करानेवाली ताकत है। जैसा हम अपने पड़ोसी — मनुष्य और पशु — दोनोंके साथ बरताव करते हैं वैसा ही बरताव वह हमारे साथ भी करता है। उसके सामने अज्ञानकी दलील नहीं चल सकती। लेकिन यह सब होनेपर भी वह बड़ा रहमदिल है, क्योंकि वह हमें पश्चात्ताप करनेके लिए मौका देता है। दुनियामें सबसे बड़ा प्रजातन्त्रवादी वही है, क्योंकि वह बुरे-भलेको पसन्द करनेके लिए हमें स्वतन्त्र छोड़ देता है। वह सबसे बड़ा जालिम है, क्योंकि वह अक्सर हमारे मुँह तक आये हुए कौरको छीन लेता है और इच्छा-स्वातन्त्र्यकी ओटमें छूट लेनेकी बहुत ही कम गुजाइश देता है और हमारी लाचारीपर हँसता है। यह सब हिन्दू धर्मके अनुसार उसकी लीला है, उसकी माया है। हम कुछ नहीं हैं सिर्फ वही है और अगर हम हो तो हमें सदा उसके गुणोका गान करना चाहिए और उसकी इच्छाके अनुसार चलना चाहिए। आइए, उसकी बसीकी धुनपर हम नाचें। सब अच्छा ही होगा।

लेखकने मेरी एक पुस्तिका ‘नीतिधर्म’ का भी जिक्र किया है। सो पाठकोका ध्यान इस बातकी ओर खींचना जरूरी है कि लेखकने जिसका उल्लेख किया है वह अंग्रेजी पुस्तक है। मूल पुस्तक गुजरातीमें लिखी गई है। और गुजराती पुस्तिकाकी भूमिकामें यह बात साफ तौरपर कही गई है कि यह मौलिक पुस्तक नहीं है। वल्कि अमरीकामें प्रकाशित ‘नैतिक-धर्म’ नामक एक पुस्तकके आधारपर लिखी गई है। यह अनुवाद यरबदा जेलमें मेरी नजरोसे गुजरा और मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि उसमें मूल पुस्तकका कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि खुद अनुवादकने भी गुजराती नहीं वल्कि उसके हिन्दी अनुवादका अनुवाद किया है। इस तरह उसके अंग्रेजी अनुवादको एक ‘द्राविडी प्राणायाम’ ही समझिए। उस मूल

अमरीकी पुस्तकके प्रति यह गुलासा देना भेग कर्तव्य था। जीर गुर्गीकी बात है कि पत्र-लेखकने मुझे इसकी याद दिलाकर उनके ऋणों अदा करनेका अनुरोध दिया।

[अंग्रेजीसे]

यम इडिया, ५-३-१९२५

१३२. मेरा अपराध

मी० जफर अलीखाने पञ्जाब मिस्त्राफत समितिके महापतिहो नियमने एक नव मुझे भेजा है। मैं उमे यहाँ गुर्गीके साथ दे रहा हूँ

इसी ता० २६ के 'यम इडिया'में काबुलकी सगसारीके विषयमें आपके प्रकाशित वक्तव्यको पढकर मुझे बडा दुःख और आश्चर्य हुआ। आप फरमाते हैं कि 'कुरान'में इसका उल्लेख होने मात्रमे इस विशेष दण्डका समर्थन नहीं किया जा सकता।' आपने यह भी कहा कि 'प्रत्येक धर्मके प्रत्येक नियमको विवेकके इस युगमें पहले विवेक और व्यापक न्यायकी अचूक कसौटीपर कसना होगा तभी उसपर ससारकी स्वीकृति मांगी जा सकती है।' अन्तमें आप कहते हैं कि 'किसी भूलका समर्थन ससारके समस्त धर्मग्रन्थोंमें भी किया गया हो तो भी वह इस नियमसे मुक्त नहीं हो सकती।'

मैंने हमेशा आपकी महत्ताके आगे सर झुकाया है और आपको बराबर ही उन थोड़े-से आदमियोंमें गिनता आ रहा हूँ जो आधुनिक इतिहासका निर्माण कर रहे हैं; पर अगर मैं यह बात आपपर रोशन न करूँ कि आपने यह कहकर कि 'कुरान'को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने अनुयायियोंके जीवनको अपने ही ढंगसे नियन्त्रित करे, अपने लाखों मुसलमान प्रशसकोंके दिलमें यह भावना पैदा कर दी है कि आप उनकी रहनुमाई करने लायक नहीं हैं, तो मैं एक मुसलमानकी हेसियतसे अपने कर्त्तव्यसे च्युत हो जाऊँगा।

आपको इस बातपर अपनी राय जाहिर करनेकी छूट तो पूरी-पूरी है कि धर्मसे च्युत लोगोंको शरीयत सगसारीकी सजा देती है या नहीं। परन्तु यह मानना कि यदि 'कुरान' भी ऐसी सजाकी ताईद करती हो तो वह गलती है और इस रूपमें मलामतके काबिल है, इस किस्मकी विचारसरणी है जो मुसलमानोंको जँच ही नहीं सकती।

गलती आखिरकार एक सापेक्ष चीज है और मुसलमानोंके यहाँ उसका अपना अलग अर्थ है। उनके नजदीक 'कुरान' एक अटल कानून है जो क्षुद्र मानवजातिकी सदा परिवर्तनशील व्यवहार नीति और समय-नीतिकी सीमासे

परे हैं। अच्छा होता यदि भारतके नेताकी हैसियतसे आपने जो अनेक काम किये हैं उनमें 'कुरान' शरीफकी शिक्षाओकी प्रतिकूल आलोचना करनेका नाजुक काम आपने न किया होता।

मौलाना साहबने मेरी उस टिप्पणीपर जो अर्थ घटाया हे वह उसपर घटता नहीं है। मैंने 'कुरान' शरीफके उपदेशोकी प्रतिकूल (या अन्य किसी ढगकी) आलोचना नहीं की है। मैंने उपदेशकोकी अर्थात् उसके भाष्यकारोकी आलोचना जरूर की हे। और यह जानते हुए की है कि वे इस सजाका समर्थन किये विना नहीं रहेंगे। मुझे भी 'कुरान' ओर इस्लामकी तवारीखका इतना इल्म जरूर है कि मैं यह कह सकता हूँ कि 'कुरान' के ऐसे कितने ही भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्व कल्पित विचारोके अनुकूल उसका अर्थ लगाया है। इसमे मेरा उद्देश्य ऐसे किसी अर्थको माननेके विषयमे चेतावनी दे देनेका था। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि खुद 'कुरान' की शिक्षाएँ भी आलोचनासे मुक्त नहीं रह सकती। आलोचनासे तो हरएक सच्चे धर्म-ग्रन्थको लाभ ही होता हे। आखिर अपने तर्क-बलके अतिरिक्त हमारे पास यह बतानेवाली और कोई चीज नहीं है जो हमे बताये कि क्या अपौरुपेय (इल्हामी) हे और क्या नहीं। गुरुमे जिन मुसलमानोने इस्लामको अस्तित्थार किया उन्होने उसे इसलिए अस्तित्थार नहीं किया कि वे इसे इल्हामी मानते थे बल्कि इसलिए कि वह उनकी सीधी-सादी समझमे बैठ गया था। मौलाना साहबका यह कहना विलकुल ठीक हे कि भूल एक सापेक्ष गब्द हे। लेकिन हकीकतमे देखा जाये तो कुछ वाते तो ऐसी है ही जिन्हे सारा ससार गलत मानता है। मेरे खयालसे यन्त्रणा देकर प्राण लेना ऐसी ही गलत चीज हे। मौलाना साहब द्वारा उल्लिखित मेरी तीन वातोमे मैंने सिर्फ अर्थ लगानेकी तीन विधियोका जिक्र किया है और उसके खिलाफ कोई उँगली नहीं उठा सकता। हर हालतमे मैं तो उन्हीका पाबन्द हूँ। और अगर मुझे इस वातको जाहिर करनेकी पूरी आजादी है कि इस्लामकी शरीयतके मुताबिक धर्मपतित लोग सगसारीकी सजाके पात्र है या नहीं, तब मैं इस वातपर भी क्यों न अपनी राय जाहिर करूँ कि शरीयतके अनुसार सगसारीकी सजा दी भी जा सकती हे या नहीं। मौलाना साहबने इस्लाम सम्बन्धी गैर-मुस्लिमकी आलोचनाको बरदाश्त न करनेकी वृत्ति जाहिर की है। मैं उन्हे सूचित करता हूँ कि प्राणप्रिय वस्तुओकी भी आलोचनाको बरदाश्त न करना सार्वजनिक और सामुदायिक जीवनके विकासके लिए हितकर नहीं है। यदि आलोचना बेजा भी हो तो उससे निश्चय ही इस्लामको डरनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं मौलाना साहबसे कहूँगा कि काबुलकी इस दुर्घटनामे जो जवर्दस्त प्रश्न जुडे हुए हैं उनपर मेरी आलोचनाके प्रकाशमे विशद दृष्टिसे चिन्तन करना उचित होगा।

[अग्नेजीसे]

यग इडिया, ५-३-१९२५

१३३. टिप्पणियाँ - २

महस्यलमें हरियाली

सहरके सम्बन्धमें ब्रम्बर्के रिलाफ जिम समय शिनायते आ रही है उम समय यदि यह मालूम हो कि रित्रयोला एक मण्डल वहाँ नुपनाप गारीला अच्छा प्रचार कर रहा है तो यह एक नुशीकी बात मानी जायेगी। मेरे नामने एक पत्र पठा है। उसमें लिखा है

इस महीनेमें २,०००) मे ज्यादा की खादीकी बनियान श्रमिक-निकाय और स्कूलोंमें बेची जा चुकी है और कुछ भावनगरमें भी भेजी गई है। इसमें रोजाना मामूली बिक्रीके दाम और जोड़ दीजिए। मेवासदनमें एक नया वर्ग इस शर्तपर खोला जा रहा है कि उसमें वे ही बच्चे दाखिल किये जायेंगे जो रोज थोडा-बहुत कातनेके लिए तैयार हैं। कातना भली-भाँति सीख लेनेके बाद उन्हें माहवार २,००० गज सूत देना होगा। इसका असर मौजूदा वर्गोंपर भी पड़ा है। कुछ वर्गोंकी लड़कियाँ कातना श्रुट करनेवाली हैं।

एक-दूसरे मित्र ठीक कहते हैं कि यह नहीं कि लोगोमें महानुभूति नहीं है। उसका अभाव तो नेताओं और कार्यकर्त्ताओंमें ही है। वे इसके सन्देशके प्रचारके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी खादीका चाव लोगोमें इतना नहीं बढ़ा है कि वे समय निकालकर स्वयं खादी खरीदने जायें। लेकिन यदि उनके दरवाजोपर कोई खादी लेकर जायें तो वे उसे खुशीसे खरीद लेंगे। फसल तो शानदार सड़ी है, काटनेवाले नहीं मिलते। हरएक कार्यकर्त्ता यह निश्चय क्यों न कर ले कि वह हर महीनेमें एक निश्चित परिमाणमें खादी बेचेगा। मैं यह जानता हूँ कि खादी बनानेमें हमने काफी प्रगति कर ली है और शौकीन लोगोकी रुचिके अनुरूप खादी भी तैयार होने लगी है। मुझे एक रोजएक धनी दुल्हनका जामा दिखाया गया। वह साराका-सारा खादीका बना हुआ था और उसमें सोने चाँदीकी जरीका काम किया गया था। श्रीमन्तोकी दृष्टिसे भी उसमें कोई कसर नहीं थी। अब जैसी चाहे वैसी खादीकी साडियाँ बन सकती हैं। पाणिग्रहणके समय ओढनेके लिए आवश्यक रगीन दुशाला भी खादीका ही बनाया गया था। इसलिए अब कोई यह बहाना नहीं बना सकता कि जैसी चाहिए वैसी वारीक और रगीन खादी नहीं मिलती है इसीलिए हम खादी नहीं पहनते। क्या हिन्दुस्तानके सभी कार्यकर्त्ता, जिन बहनोंके कार्यके प्रति मैंने उनका ध्यान दिलाया है, उनके कार्यपर गौर करेंगे और उनका अनुकरण करेंगे ?

फरीदपुर सम्मेलन

मेरे पास तारपर-तार आ रहे हैं कि मैं बगाल प्रान्तीय सम्मेलनमें उपस्थित होऊँ। पर अत्यन्त खेद है कि मैं उसमें शरीक नहीं हो पाऊँगा। मेरी भी वहाँ

जानेकी वडी इच्छा थी, परन्तु 'जा नहीं पा रहा हूँ और इसका मुझे वडा खेद है। मैंने फरीदपुरके मित्रोको सूचित भी कर दिया है कि मेरी उपस्थिति निश्चित न माने। मैंने उनसे कह दिया है कि आजकल मेरा आना-जाना अनिश्चित रहता है। मेरी स्थिति दयनीय है। विहार, वर्धा, उडीसा, आन्ध्र तथा कितनी ही दूसरी जगहोसे मुझे निमन्त्रण है। मैं सभी जगह जाना पसन्द करूँगा। पर मैं सब जगह एक साथ नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे यह निर्णय करना होगा कि कहाँ पहुँचकर मैं ज्यादासे-ज्यादा सेवा कर सकूँगा। मैं महसूस करता हूँ कि अभी फिलहाल मेरा स्थान वाइकोमके वीर सत्याग्रहियोंके बीच ही है। यह वडा पुराना वादा है। वे छोटीसे-छोटी बातमें सत्याग्रह-सिद्धान्तका पालन करना चाहते हैं। उनकी तादाद थोडी है। वे वडी विपरीत परिस्थितिमें भी लडाईं जारी रखे हुए हैं। अवतक मैंने उन्हें बाहरसे आर्थिक तथा अन्य प्रकारकी सहायता नहीं लेने दी है। अब उनके प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सत्याग्रहके एक विशेषज्ञके नाते वहाँ जाऊँ, उनका निर्देशन करूँ और उनके सामने जो दिक्कतें पेश हैं उनसे निपटनेमें उनकी हिम्मत वढाऊँ। वहाँ जानेकी बात बहुत दिनोंसे टलती ही जा रही थी। आशा है, दूसरे प्रान्तोके सज्जन इसपर आपत्ति नहीं करेगे।

एक बात और। मैं समझता हूँ कि मेरे वाइकोम जानेमें सत्याग्रहियोंको कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन अन्य प्रान्तोंमें उसका प्रदर्शनके सिवा और कोई उपयोग नहीं है। उन्हें तो मैं एक सीधी बात बतता हूँ। अपने-अपने स्थानीय झगडोको निवटा लीजिए — वे चाहे हिन्दू-मुसलमानोंमें हो, चाहे ब्राह्मणो-अब्राह्मणोमें हो। जितना आपसे हो सके उतना चरखा कातिए, सदा खादी पहनिए और आप कांग्रेसके लिए सूत कातनेवाले जितने सदस्य बना सकते हो, बनाइए। इसके साथ ही ऐसे सदस्य भी बनाइए जो खुद भले ही न काते फिर भी हर माह २,००० गज सूत दूसरेसे कतवा कर दे। अपने जिले या प्रान्तके दलित-पीडित भाइयोकी जिस तरह हो सके मदद कीजिए। अपने मुकामको शराब और अफीमकी कुटेबसे मुक्त कीजिए। इतना हो चुकनेपर काम वढानेकी दृष्टिसे मुझे बुलाइए। अगर हम यह चाहते हो कि आगामी वर्षके प्रारम्भ तक आशाका अरुणोदय हो जाये तो हमें चाहिए कि इस शान्तिके वर्षमें हम अपनी तमाम शक्ति राष्ट्रके इस रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेमें लगावें। सरकार क्या करती है, इसकी परवाह किये बिना बगाल अध्यादेशके रहते हुए भी हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। यदि हम चाहते हो कि यह अध्यादेश रद हो जाये तो उसके लिए हमें काफी शक्ति उत्पन्न करनी चाहिये। मेरी दृष्टिमें उसका एक ही उपाय है, और वह है अपनी पूरी शक्तिके साथ रचनात्मक कार्यक्रममें लग जाना।

पुनर्विचारके योग्य

बम्बई नगर-निगम द्वारा बनवाई गई चालोमें रहनेवाले कुछ दलित वर्गके लोग बेदखल कर दिये गये थे। निगमने उस सम्बन्धमें जाँच करनेके लिए एक समिति नियुक्त की थी। दलित वर्गके प्रख्यात हितैपी श्री अमृतलाल ठक्करने मुझे उस समितिकी रिपोर्ट की एक प्रति भेजी है। इन गरीब स्त्री-पुरुषोको चालोमें बेदखल

करनेके तीन कारण बताये गये हैं। वे नगरपालिकाके कर्मचारी नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग ज्यादा किराया देने योग्य हैं और कुछ ऐसे अवाञ्छनीय, गजायापत्ता लोग हैं। वेदखल किये गये लोगोंकी ओरसे यह दलील दी गई है कि वे नगरपालिकाके कर्मचारियोंके निकट सम्बन्धी हैं, वे वरगोंमें नगरपालिकाकी उन चालोंमें रहते आये हैं और उनके विरुद्ध वेदखलीकी कार्यवाही नगरपालिकाके उन भ्रष्ट कर्मचारियोंके कहनेमें की गई है जिनको ये वेदखल लोग रिश्वत नहीं दे सके। नगरपालिकाके कमिश्नरकी रिपोर्टमें कहा गया है।

कुछ साल पहले श्री गांधीने इन चालोंको देखने और जांच करनेके बाद यह विश्वास व्यक्त किया था कि (भ्रष्टाचारके सम्बन्धमें) जो साक्षी दी गई है और जो बातें कही गई हैं वे ऐसी हैं कि उन्हें कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति नहीं मान सकता।

मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी ऐसी बात कही थी, लेकिन रिश्वतका सवाल असगत है। यदि यह सिद्ध भी किया जा सके कि नगरपालिकाका कोई भी कर्मचारी रिश्वत नहीं लेता है तो भी 'जहाँतक दलित वर्गोंका सम्बन्ध है' उनमें से उन लोगोंकी वेदखली जो नगरपालिकाके कर्मचारी नहीं हैं सिद्धान्ततः अनुचित है। इनका मामला एक विशिष्ट मामला है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है, जहाँ वे चले जायें। वे सस्ती रिहायश पानेके लोभमें नगरपालिकाकी चालोंमें इकट्ठे नहीं हुए हैं, वे वहाँ इसलिए रहते हैं कि उन्हें कोई दूसरे मकान मिल ही नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि निगमका यह कर्त्तव्य है कि वह दलितवर्गीय कर्मचारियोंके सम्बन्धियोंको उनके माय रहने दे, इतना ही नहीं, बल्कि उसे उन वर्गोंके लिए काफी और अच्छी अतिरिक्त रिहायशका प्रबन्ध भी करना चाहिए। निगमको ऐसी रिहायशके लिए उचित किराया वसूल करनेका हक होगा। मैं दलित वर्गोंके बहुत ही सम्माननीय सदस्योंके कुछ उदाहरण जानता हूँ जिन्हें ऊँचेसे-ऊँचे किरायेपर भी मकान नहीं मिल सके हैं। मालिक इन वर्गोंके लोगोंको अपने मकान किरायेपर नहीं देना चाहते। जो लोग नगरपालिकाके कर्मचारी नहीं हैं और नगरपालिकाकी चालोंमें रहते हैं उनके विरुद्ध नगरपालिकाकी समितिकी या कमिश्नरकी आपत्ति उचित तभी हो सकती है जब वह किसी दूसरे वर्गके वारेमें हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस मामलेपर पुनर्विचार किया जायेगा और दलित वर्गोंके जो लोग वेदखल किये गये हैं उनमेंसे हरएकके रहनेका प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-३-१९२५

१३४. तार : मद्रास नगरनिगमके अध्यक्षको

५ मार्च, १९२५

अध्यक्ष मद्रास नगरनिगम, मद्रास

धन्यवाद। नगरनिगमकी सुविधाके समयपर शनिवारको अभिनन्दन सहर्ष स्वीकार।

गाधी

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१३५ तार : डा० वरदराजुलु नायडूको

५ मार्च, १९२५

डा० वरदराजुलु नायडू

३, ब्रॉडवे

मद्रास

शनिवारको अभिनन्दनपत्रकी स्वीकृतिका नगरनिगमको तार भेज दिया। मद्रासमे दो दिन ठहरना असम्भव क्योकि उसके बाद ही मौन दिवस।

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१३६. तार : एस० श्रीनिवास आयंगरको

५ मार्च, १९२५

एस० श्रीनिवास आयंगर

मयलापुर

मद्रास

शनिवारको अभिनन्दनपत्रकी स्वीकृतिका नगरनिगमको तार दे दिया।

अग्नेजी मसविदे (एस० एन० २४५६) से।

१३७. पत्र : एन० मेरी पीटर्सनको

५ मार्च, १९२५

कुमारी पीटर्सन'
पीटर्नोवो

वाइकोम जाते हुए शनिवारको मद्राग पहुँच रहा हूँ।

गाधी

अग्रेजी ममविदे (एस० एन० २४५६) मे।

१३८. पत्र : अमृतलाल खेतसीको

वम्बई

फाल्गुन सुदी १० [५ मार्च, १९२५]

भाई श्री अमृतलाल,

चि० रामीकी तवियत खराब होनेकी खबर पढकर दुःख हुआ। मुझे वाइकोम-के पतेपर उसकी खबर देते रहना। रामीसे कहना, ठीक होते ही मुझे पत्र लिखे।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६७७) से।

सौजन्य नवजीवन न्यास

१३९. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

फाल्गुन सुदी १० [५ मार्च, १९२५]

भाईश्री घनश्यामदासजी,

आपका पत्र राचीसे मिला है। आश्रमसे एक पेट्टी-चर्खा आपको कलकत्ते भेजा गया है। और एक नयी किसमका दिल्लीसे भेजा गया है। दोनो आपके खत मिलनेके पेश्तर भेजे गये। इसलीये कलकत्ते गये है।

१. दक्षिणमें डेनिश थर्म प्रचारक सक्की कार्यकर्त्ता। वे कुछ समयतक सावरमती आश्रममें रही थी।

२. गाधीजी ५ मार्च, १९२५ को वम्बईमें थे।

३. गाधीजी ५ मार्च, १९२५ को वम्बईसे मद्रासके लिए रवाना हुए थे।

आपकी धर्मपत्नीकी तवीयत अच्छी नहि है सुनकर मुझे खेद होता है। सब हाल ठीक जाननेके सिवा कुछ कहना मुश्किल है। हा, इतना तो सामान्य हे कि दर्दके वखत खाना कमसे-कम और ज्यादातर दूध ही और फल। हमारी आदत कमरा बध करके सोनेकी है। दर्दके समय स्वच्छ हवाकी ज्यादाह आवश्यकता है। परतु मेरी सब बातें निकम्मी मानता हू। आपके वैद्य या दाक्टर जो कुछ कहे वही सही समजा जाय।

मैं आज वाईकोम जा रहा हूँ। शायद इस महीनेकी आखर तक मद्रास इलाकेमे रहना होगा। आश्रममे २६-२७ मार्चको पहुंचागा।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६११८) से।

सौजन्य घनश्यामदास विडला

१४०. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोसे

वम्बई

५ मार्च, १९२५

मेरे विचार अब भी वही रहते हैं जो पहले थे। एकता अपरिहार्य है। मेरे अनुमानसे जितना समय लगना था, यह उससे ज्यादा समय लेगी। विद्वेषकी आँधी जोर पकड रही है। आशा है कि तूफानके बीच भी हममे से कुछ लोग अविचलित ही रहेंगे। मैंने तो जीतनेकी कसम ले ली है। मैं हिन्दू हूँ, मुसलमानोके साथ झगडा नहीं करूँगा। न मैं ऐसी घमकियोसे डरूँगा जैसे कि कहा जाता है पेशावरमे दी गई है। मैं मौलाना जफर अली खाँ और डा० किचलूसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। मुझे आशा है, उनके वारेमे गलत रिपोर्ट दी गई है। मैं तो तब भी आवेशमे नहीं आऊँगा, यदि उन्होने वह सब-कुछ कहा हो जो उनके द्वारा कथित माना जा रहा है। मैं बदला लेनेकी उपयोगितापर विश्वास नहीं करता। मैं हिन्दुओसे जोर देकर कहूँगा कि वे ऐसी घटनाओपर क्रुद्ध न हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि निकट भविष्यमे कोई समझौता होने की आशा नहीं है। सौदेवाजीसे कोई स्थायी समझौता नहीं हो सकता। नौकरशाहीके साथ सत्तामे साझीदार होनेके लिए सघर्ष करना मुझे पसन्द आ ही नहीं सकता। इस प्रकारके सघर्षसे केवल ब्रिटिश प्रभुत्वको ही बल मिलेगा। समान साझीदार होने पर मैं ब्रिटिश सहयोगकी कद्र करूँगा, किन्तु उनकी प्रभुताकी अपेक्षा मैं अराजकताको पसन्द करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि, इस प्रभुताके रहते हुए हम कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकते। हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच खुलकर लडाई हो चुकनेपर भी मुझे उनमे पारस्परिक समझौता होनेकी आशा है, किन्तु ब्रिटिश शस्त्रोके प्रतिबन्धमें शान्तिपूर्वक रहते हुए भी मुझे उनके बीच मेल-मिलापकी कोई आशा नहीं। हमे अपनेको अनुशासनमे रखना सीखना चाहिए। इसलिए मेरा आदर्शवाक्य है "यदि एकता सम्भव

है तो आज अभी, हो, और लड़े बिना काम न चले तो लड़ाई भी आज ही हो ले। किन्तु हर सूरतमें हम ब्रिटिश हस्तक्षेपमें अपनेको बचाये।" मैं जानता हूँ कि जगमें उनकी मदद लेना एक बहुत बड़ा प्रलोभन है, बहरहाल मुझे तो जगमें बचना ही है फिर यह प्रलोभन बड़ा हो, चाहे छोटा। भारतके हर गाँव या गली-कूचेमें अर्मापोलीके दृश्य उपस्थित हो जानेपर भी मुझे स्वराज्यका उदय दीप्त पट रहा है। परन्तु शास्त्रोंकी बदौलत इन दो जातियोंके बीच स्थापित शान्तिमें मुझे स्वराज्यके दर्शन नहीं होते। उचित समझीता होनेसे पहले जितनी आवश्यकता अंग्रेजोंके हृदय-परिवर्तनकी है, उतनी ही हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदय-परिवर्तनकी भी है।

एक प्रतिनिधिने पूछा, "लेकिन आपकी सलाहपर चलेगा कौन?" महात्माने उत्तर दिया:

मैं चलाऊँगा, क्या इतना काफी नहीं है? क्या मुझे अपने विश्वासको इसलिए छोड़ देना चाहिए कि उसका कोई अनुसरण नहीं करेगा।

एक प्रतिनिधिने कहा, "अब भी यह मेरे प्रश्नका उत्तर नहीं हुआ?" महात्माने कहा:

आपकी यह शिकायत उचित है, फिर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ कि इस समय मेरी कोई भी मुनता। लोग सरकारके पास जायेंगे और ऐसी परिस्थितिमें शायद कोई भी वैसा ही करता जैसा कि अंग्रेज कर रहे हैं, अर्थात् दोनोंको विभक्त करके शासन करनेकी कोशिश करता। जो लोग अपने ऊपर दूसरोंका शासन चाहते हैं उनके साथ और किया भी क्या जा सकता है? इसलिए हिन्दू-मुस्लिम समस्या इस समय बहुत जटिल बन गई है। मैं अपनेको इससे बाहर रखना चाहता हूँ। जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इसमें हाथ डालूँगा। मैं ईश्वर-पर सिद्धान्तके रूपमें नहीं, बल्कि तथ्यके रूपमें विश्वास करता हूँ। उसका अस्तित्व जीवनके अस्तित्वसे भी अधिक यथार्थ है। इसलिए मुझे उसका भरोसा करना चाहिए। आवश्यकता पड़नेपर वह इस प्रश्नके सम्बन्धमें मुझे राह सुझायेगा जैसा कि आज तक सुझाता रहा है। इस बीच चरखा और अस्पृश्यता, दोनों मुझे और मेरी तरह सोचनेवालोंको व्यस्त रखनेके लिए काफी हैं।

"किन्तु, क्या आप उन लोगोंको भी जो कि आपकी सलाहपर चलेगें, ठोस सुझाव नहीं देंगे?" यह अन्तिम प्रश्न था।

मुझे उनके बारेमें सोचना ही होगा। किन्तु मैं जबतक यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा सुझाया गया उपाय समुचित प्रकारसे कार्य करेगा तबतक मैं अपने बीच प्रचलित सिद्धान्तोंमें एक और जोड़कर स्थितिको अधिक पेचीदा नहीं बनाना चाहता।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ६-३-१९२५

१ गृहानमें, स्वार्थी निवासियोंने ई० पू० ४८० में ईरानियोंके आक्रमणका बहादुरीके साथ सामना करते हुए वीरगति पाई थी।

१४१. पत्र : जनकधारी प्रसादको

गाडीमे

६ मार्च, १९२५

प्रिय जनकधारी बाबू,

आपका पत्र इतने सारे दिनोसे मेरे साथ-साथ घूम रहा है। मैं यह पत्र मद्रास जाते हुए गाडीमे लिख रहा हूँ। बेलगाँवमे किसीकी उपेक्षा करनेका मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं क्या करता ? मेरे पास वैयक्तिक वातचीतके लिए एक क्षण भी नहीं था। इसलिए मैंने अपने हृदयको कठोर बना लिया।

आप उदास है। किन्तु यह उदास होनेका समय नहीं है। हम अपनी पूरी योग्यताके साथ अपना दैनिक कार्य करे और प्रमत्त रहे। जीवनकी पुस्तकमें निष्ठाके साथ किये गये सभी कार्योंका मूल्य एक ही है। फिर चिन्ता क्यों करे ?

आपने कोई निश्चित प्रश्न नहीं पूछे है, किन्तु यदि ऐसे निश्चित कोई प्रश्न हों तो पूछनेमे सकोच न करे। इस वातका विश्वास रखे कि मेरे लिए आप जो पहले थे, आज भी वही है। चम्पारनके सच्चे सहयोगियोंकी स्मृतिको तो मैं एक निधिके समान सजोये हुए हूँ। इससे अधिक सच्चे लोगोंके साथ न तो मैंने पहले कभी काम किया और न आगे आशा है। यदि इस प्रकारके लोग सारे भारतमे मिल जायें तो स्वराज्य आनेमे विलम्ब न हो।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ४८) की फोटो-नकलसे।

१४२. तार : 'नवजीवन' को

मद्रास

६ मार्च, १९२५

'नवजीवन'

अहमदाबाद

डाकसे सोलह कालम सामग्री खाना। एन्ड्रूचूजका लेख अवश्य दे। मेरे लेखोमे से एकाध निकाला जा सकता है।

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० २८५६) से।

१. सन् १९२७के चम्पारन आंदोलनमें गांधीजीके सदयोगी कार्यकर्ता।

१४३. तार : अलवाई यूनिवर्सिटी कॉलेजके प्राध्यापकको

मद्रास
६ मार्च, १९२५

प्राध्यापक
यूनिवर्सिटी कॉलेज
अलवाई

सफरमें रहनेकी अपेक्षा वाइकोमके बाद कार्यक्रम निश्चित करना अधिक अच्छा।
गांधी

अग्नेजी मसाविदे (एस० एन० २४५६) से।

१४४. पत्र : छगनलाल गांधीको

यात्रामें
फाल्गुन सुदी ११, [६ मार्च, १९२५]^१

चि० छगनलाल,

यदि अकलेश्वरका वह आदमी आये तो उसे उसकी अँगूठी दे देना और कह देना कि यदि उसे कुछ कहना हो तो वह मुझे पत्र लिखे। उसे आश्रममें ठहरनेकी अनुमति बिलकुल नहीं है। वह आदमी तो स्पष्ट ही पागल है।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुमने बडवानके ५,००० रुपये भेज ही दिये होंगे। उस ४,००० रुपयेके चेकके सम्बन्धमें उचित कार्रवाई करना।

गुजराती पत्र (एस० एन० १०२४५) की फोटो-नकलसे।

^१ सन् १९२५ में फाल्गुन सुदी एकादशी, ६ मार्च को थी। डाकखानेकी मुहर ७ मार्च, १९२५ की है।

१४५. भेंट : 'स्वदेशमित्रन्' के प्रतिनिधिसे'

मद्रास

७ मार्च, १९२५

हमारे प्रतिनिधिनै आज दोपहर बाद १-३० बजे महात्माजीसे श्री श्रीनिवास धायगारके निवास-स्थानपर भेंट की. । जब हमारा प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा तब कालेजकी कुछ छात्रायें उनके दर्शनार्थ आई हुई थीं।

महात्माजीने छात्राओमें पूछा

आप चरखा चलाना है ?

एक छात्राने उत्तर दिया, हम तो कालेजमें पढती हैं, इसलिए हमें चरखा चलानेके लिए समय नहीं मिलता। महात्माजीने उनसे उनके कालेज और पाठ्यक्रम आदिके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने उत्तरे बाद पूछा

आपको तमिल भाषा अधिक अच्छी लगती है या अंग्रेजी ?

एक छात्राने उत्तर दिया, तमिल हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें वह अधिक अच्छी लगती है। अन्तमें छात्राओने गाधीजीने जानेकी अनुमति माँगी। गाधीजीने उन्हें मन्त्रा दी कि वे चरखेपर सूत काता करें। छात्राओने गाधीजीको चरखा चलानेका वचन दिया।

उनके बाद हमारे प्रतिनिधि और गाधीजीमें इस तरह बातचीत हुई।

आपने सम्बन्धमें हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रश्नके सम्बन्धमें एक पत्रके सवाददातासे जो-कुछ कहा था उसे पढकर मुझे लगा कि वातावरण ही ऐसा है कि मतभेद हो जाते हैं। इसलिए मैं सोचता आपसे ही यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थितिके सम्बन्धमें आपका क्या खयाल है ?

उन दोनों पत्रोंमें साम्प्रदायिक समुदायामें एकता नहीं है और उनकी फूट बढ़ रही है। उनका एक-दूसरेके प्रति मन्देह भी बढ़ गया है।

आपकी रायमें इसका तात्कालिक हल क्या हो सकता है ?

उन्हें एक-दूसरेका मन्देह करना छोड़ देना चाहिए जिसमें उनका ऐक्य-सम्बन्ध दृढ़ हो। दोनों अपने-अपने श्रेयों का खयाल चाहिए।

नाइनगवकी इंग्लैंड यात्राके अवसरपर इंग्लैंडके पत्रोंने भारत और भारतके हितों तथा उनके उत्थानके विरुद्ध प्रचार आरम्भ कर दिया है। इस सम्बन्धमें कुछ लोगोका मुझसे है कि हमें भी जवाबमें इंग्लैंडमें प्रचार करना चाहिए और इस प्रकार उन लोगोकी वस्तुस्थिति और भारतके लोगोका दृष्टिकोण बताना चाहिए। मैं इस विषयमें आपका मत जानना चाहता हूँ।

१ तमिल दैनिक स्वदेशमित्रन्में प्रकाशित मूल विवरण तमिलमें है, लेकिन यहाँ अनुवाद अंग्रेजीसे किया गया है।

हमारे लिए ब्रिटेनके पत्रोंके माध्यमसे प्रचार करना अगम्भव है, ब्रिटेनके पत्र साम्राज्यीय उद्देश्योंको पुष्ट करनेके लिए कृत-मकतप हैं। हम उन्हें भारतकी वास्तविक स्थिति बतानेके लिए ब्रिटेन ही तथ्य क्यों न दे, वे उन्हें प्रकाशित ही न करेगे। एक बार एक व्यक्तिने ब्रिटेनके एक पत्रमें विज्ञापनके रूपमें प्रकाशनार्थ तथ्यात्मक नामग्री छपाईके सर्चके साथ भेजी थी, किन्तु पत्रने उसे यह कहकर लौटा दिया कि वह उसे प्रकाशित नहीं कर सकता।

क्या हम इंग्लैंडकी आम जनतामें अपने विचारोंका प्रचार नहीं कर सकते ?

अंग्रेज ऐसे नहीं हैं कि वे हमारे वक्ताओंके व्यक्त किये हुए विचारोंपर विश्वास कर लें। उनका स्वभाव ऐसा है कि वे किसी देशकी बुरी रियतिको केवल दो लक्षणोंके उपस्थित होनेपर ही अनुभव कर सकते हैं—या तो वहाँ विद्रोह कर दिया जाये या उस देशकी सरकारसे असहयोगका जन-आन्दोलन आरम्भ कर दिया जाये। एक बार वावू मुरेन्द्रनाथ बनर्जी इंग्लैंड गये थे। वहाँ उन्होंने बड़ी योग्यतासे भारतकी दुर्दशाका चित्र प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि इमपर एक अंग्रेज सज्जनने उनसे पूछा, "यदि आप जो-कुछ कहते हैं वह सत्य है तो आपके देशवासी विद्रोह क्यों नहीं कर देते ?" यह मनोदशा वहाँ अभीतक कायम है।

कहा जाता है कि सुधार-जाँच समितिके बहुमतकी रिपोर्ट प्रतिगामी है। क्या समितिके निष्कर्षोंकी सरकार द्वारा स्वीकृतिके विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन करनेकी आवश्यकता नहीं है ?

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं जनसाधारणके विचारोंको समझनेका पूरा-पूरा प्रयत्न करता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस समय मुडीमैन-समितिके प्रतिगामी निष्कर्षोंसे, या सरकारकी दमन कार्रवाइयोंसे या उसके आतंककारी शासकोंसे—इनमें से किसी भी तत्त्वमें—हमारे देशवासियोंकी भावनाएँ जागृत हो सकती हैं। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, मुझे तो देशमें सर्वत्र ही लोगोमें निराशाका भाव व्याप्त दिखाई देता है।

तब आप लोगोंकी इस निराशाको दूर करने और उनमें उत्साहका मंचार करनेके लिए क्या सुझाव देते हैं ?

लोगोंमें उचित भावना उत्पन्न करनेके लिए चरखा चलाने और मूत कातनेसे अधिक अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जनसाधारणकी—गरीबोंकी—पहली माँग अन्न है और उन्हें अन्न—केवल चरखा ही दे सकता है। वह उनके लिए हितका एक जबरदस्त साधन है।

१ सर अलेक्जेंडर मुडीमैनकी अध्यक्षतामें, भारत शासन कानूनपर अधिक अच्छा अमल कैसे किया जा सकता है, इस सम्बन्धमें जाँच करने और रिपोर्ट देनेके लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति। इसकी रिपोर्ट मार्च १९२५ में प्रकाशित हुई थी। इसका बहुमत—जिसमें मुडीमैन और तीन अन्य सदस्य शामिल थे—इस पक्षमें था कि निश्चित विचार-मर्यादाके अन्तर्गत वे कानूनके उद्देश्योंको ध्यानमें रखते हुए ऐसे उपायोंकी सिफारिश नहीं कर सकते किन्तु उन्होंने कानूनके सफलतापूर्ण कार्यान्वयनकी प्रशंसा की थी। इसके विपरीत अल्पमत समितिने यह मत व्यक्त किया था कि यह द्वैध शासन प्रणालीपर आधारित संविधान असफल रहा है और इससे भविष्यमें अधिक अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते। देखिए इंडिया इन १९२५-२६।

आपने जरूरत समझके अभी हालके भाषण पढ़े होंगे। क्या दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए उनसे और उनके दलके लोगोंसे उनके भाषणमें वर्णित अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए सहयोग करना ठीक होगा ?

यदि जनरल स्मट्सके अपने [हालके] भाषणमें कही हुई सब बातोंको सम्पूर्ण देना चाहते हैं तो जो उन्होंने अधिकार गिनाये हैं उन्हें प्राप्त करनेके लिए नया प्रयत्न करना ठीक होगा। वे उन समय विरोधी पक्षमें हैं। [दक्षिण आफ्रिकाके] भारतीय उन अधिकारोंको प्राप्त करनेके प्रयासमें उनका साथ दे सकते हैं, किन्तु इस सम्बन्धमें भारतीयोंके दमनकी आवश्यकता है, क्योंकि यह ध्यान रखना चाहिए कि वे नया विचार जागेपर उचल-भंग कर सकते हैं।

गार्थोजीने हमारे प्रतिनिधिसे बादमें बातचीत करते हुए कहा मैं नहीं कह सकता कि मैं वाइकोममें कबतक ठहरूँगा। मैं मद्रास आनेसे पूर्व सब सम्बन्धित व्यक्तियोंको सूचना दे दूँगा।

[अग्रेजीमें]

स्वदेशमित्रन्, ८-३-१९२५

१४३ भेंट : 'फ्री प्रेस ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिसे

मद्रास

७ मार्च, १९२५

महात्मा गांधी वाइकोम जाते हुए मद्रास पहुँचे।

फ्री प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिने लॉर्ड रीडिंगके इंग्लैंड जानेके सम्बन्धमें महात्मामें भेंट की।

प्रश्न किया गया "क्या आप वर्कनहेड-रीडिंग मन्त्रणाके फलस्वरूप ब्रिटेनकी भारतीय नीतिमें किसी परिवर्तनकी आशा करते हैं ?"

एक साधारण व्यक्तिके लिए जो चरममें विश्वास करता है, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है ?

मान लीजिए कि सरकार निकट भविष्यमें दमनकी नीति अपनाती है तो आपका देशके लिए क्या सन्देश होगा ?

मैं कहूँगा, "खट्टर, खट्टर, खट्टर।" यह एक चीज है जिसपर मैं जोर देता हूँ, उसके अलावा आप अस्पृश्यता-निवारणको भी याद रखें।

क्या आप विश्वास करते हैं कि दमनका उत्तर देनेके लिए खट्टर काफी है ?

हां, ऐसा ही है। वह एक प्रभावशील उत्तर है।

[अग्रेजीमें]

वॉम्बे कॉनिकल, ९-३-१९२५

१४७. भेंट : 'स्वराज्य' के प्रतिनिधिसे

मद्रास

७ मार्च, १९२५

'स्वराज्य' के प्रतिनिधि द्वारा यह प्रश्न करनेपर कि क्या स्वराज्यवादियोंके पद स्वीकार करनेसे कांग्रेस और स्वराज्यवादियोंके आपसी सम्बन्धपर प्रभाव पड़ेगा, महात्माजीने निश्चयात्मक स्वरमें उत्तर दिया, "नहीं, कांग्रेसने स्वराज्यवादियोंको परिपदोमें उनकी गति-विधियोंके लिए पूर्णाधिकार दे दिया है।"

निर्वाचित हिन्दू सदस्योंके विरोध करनेके बावजूद वाइसराय द्वारा हिन्दू धर्मस्व अधिनियमको स्वीकृति देनेकी ओर ध्यान लींचनेपर महात्माजीने कहा कि मैंने अधिनियमका या उसके अभिप्रायोका अध्ययन नहीं किया है। यदि मेरे लिए नितान्त आवश्यक हो जायेगा तो मैं अपना ध्यान उस ओर लगाऊंगा और समय आनेपर उसके बारेमें अपने विचार प्रकट करूंगा।

यह सवाल करनेपर कि क्या तमिलनाडु-कांग्रेसके अध्यक्ष द्वारा अधिनियमका खुलेआम समर्थन करना कांग्रेसकी नीतिके साथ मेल खाता है, महात्माजीने उत्तर दिया कि मैं ऐसे किसी कांग्रेसी द्वारा अधिनियमका समर्थन करनेमें कोई आपत्ति नहीं देखता जिसने परिपदोमें प्रवेशके सिद्धान्तको भी स्वीकार किया हो।

एक अन्य प्रश्नका उत्तर देते हुए महात्माजीने कहा कि यदि हो सका तो वाइकोम जानेके सुअवसरका लाभ उठाकर मैं राज्य-सुरक्षिका महारानीसे अवश्य मिलूंगा।

उन्होंने दुखके साथ यह स्वीकार किया कि उत्तरमें, जहाँ वे अभी हाल गये हुए थे, हिन्दू-मुस्लिम एकताके आसार बहुत उज्ज्वल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बम्बई जाते हुए इस विषयपर डा० किचलू और अन्य मुस्लिम नेताओंको लिखा था और मैं उनसे उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यह देखकर मन्तोष होता है कि इस प्रान्तमें दोनों जातियोंके बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं।

दक्षिणको मैं केवल एक सन्देश दे सकता हूँ और वह यह कि आप लोग चरखा काते।

[अग्नेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-३-१९२५

१४८. भाषण : मद्रासमें^१

७ मार्च, १९२५

श्री अध्यक्ष, निगमके सदस्य तथा भाइयो,

मुझे आया है कि गड्डे होकर भाषण न दे सकनेके लिए आप हमेशाकी तरह मुझे धामा करेगे। मैं उनके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक मुन्दर अभिनन्दन-पत्र भेंट किया है। अभिनन्दन-पत्र स्वीकार करना मेरे लिए सदैव एक परेशानीकी चीज रही है। मैंने बहुतसे अवसरोंपर अपने आपको भगी कहा है। मुझे नगरपालिकाके कार्योंमें प्यार है। मगर किस्मतमें कुछ और ही लिखा था। एक समय था जब मैं नगरपालिकाका काम अपनानेके विषयमें गम्भीरतामें सोचता था। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें घोर परिश्रमकी आवश्यकता होती है। मैं स्वयं वैसा व्यक्ति हूँ। मैं अपना भगी इसलिए कहता हूँ कि मैं एकाधिक दृष्टियोंमें सफाईमें विश्वास करता हूँ, अर्थात् वाह्य और जन्मन्तर स्वच्छतामें।

मैं मद्रासके लिए अजनबी नहीं हूँ। मुझे प्रायः कई अवसरोंपर काफी लम्बे असें तक मद्रासमें रहनेका समय मिला है जिससे मैं आपके नगरकी सफाईकी गौरसे देव-समझ सका हूँ, जब भी प्रातःकाल मैं आपकी गलियोंसे गुजरा हूँ, उन्हें गन्दा देखकर मुझे दुःख हुआ है। मुझे जब कभी श्री नटेशनके साथ रहनेका अवसर मिला, मैंने उनसे मद्रासकी सड़कोकी दुरव्यवस्थाके बारेमें बातें कीं। मैं यह नहीं कहता कि भारतके दूसरे नगरोंकी अपेक्षा मद्रासकी सड़के खास तौरपर गन्दी हैं, किन्तु मुझे उनके बारेमें ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि उन दिनों वच्चे ही नहीं, सयाने भी सड़कोको गन्दा किया करते थे। मेरी समझमें देशके किसी दूसरे नगरमें यह बात इतनी ज्यादा देखनेमें नहीं आती थी। इस प्रकारके दृश्य, दुःखके साथ कहता हूँ कि मैंने मद्रास आनेमें पहले कहीं नहीं देखे थे और कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वयं झाड़ू क्यों न उठा लूँ और जिम गली-कूचेमें होकर मुझे जाना होता या उसको पूरी तौरपर क्यों न माफ कर डालूँ। मैं अवकाश मिलनेपर सफाईका काम अब भी किया करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी मुझे थोड़ा-सा सफाईका काम करनेको मिल जाता है, मुझे अच्छा लगता है। इससे आप नगरपालिकाको द्वारा दिये जानेवाले अभिनन्दन-पत्रोंको स्वीकार करनेकी मेरी कमजोरीको समझ ले सकते हैं। मैं जब-जब अभिनन्दन-पत्रोंका इस तरह दिया जाना स्वीकार करता हूँ, तब-तब यही खयाल मनमें आता है कि इससे मुझे देशके नागरिकोंके मनमें यह बात बरबुरी अकित करनेका मौका मिलेगा कि सफाईका काम स्वयं करना कितनी अच्छी चीज है। मेरा खयाल है कि वाहरी स्वच्छताके बारेमें हमें पश्चिमसे बहुत-कुछ

१ नगर-निगम द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें।

२ जी० ए० नटेशन।

सीखना होगा। मुझे अकमर पाश्चात्य सम्यता और उसके तीर-तगीकोंके विरुद्ध कुछ कहना पड़ता है और इसलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं यह बतानेमें नहीं चूकता कि हमें पश्चिमसे किन-किन उपयोगी बातोंकी जिज्ञासा ग्रहण करना उचित है। मेरा विचार है कि भारतमें हमारे जो बड़े-बड़े नगर हैं उनकी गफाईके तरीकोंके सम्बन्धमें शिक्षा ग्रहण करनेके लिए हम पश्चिमके पाग जायें, उसमें बढकर और कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं यह बात आपके हृदयमें बिठा सकूँ कि झाड़ देना एक शानदार पेशा है, यद्यपि हमें उससे वह यग अथवा अपयग नहीं मिलता जो जीवनके दूसरे विभागोंमें काम करनेसे मिलता है। जब मैं नगरपालिकाकी सेवाके विषयमें कहता हूँ तब आप मेरी बातका गलत अर्थ न लगायें। जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें सेवा करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि नगरपालिकाकी सेवा करना। किन्तु मैंने देखा है कि हमारे सार्वजनिक जीवनमें गफाईके कामकी कीमत न समझनेकी प्रवृत्ति पाई जाती है।

अपने अभिनन्दन-पत्रमें आपने मेरी उन छोटी-छोटी सेवाओंकी प्रशंसामें जो, मैं जनसेवीके रूपमें कर सका हूँ, बहुत-सी बातें कही हैं। मैं जनसेवी हूँ और जनसेवी ही रहना चाहता हूँ। किन्तु मैं देखता हूँ कि आपने अपने अभिनन्दन-पत्रमें एक बातका उल्लेख नहीं किया है, और वह है खट्टरके सम्बन्धमें। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मानवताके लिए मैंने जो कुछ भी किया है उनमें मैं खट्टरको लगभग सत्रमें आगे रखता हूँ। भारतकी विभिन्न जातियों तथा विभिन्न धर्मोंका अनुसरण करनेवाले समाजों में एकता स्थापित करना राष्ट्रीय जीवनके उदयके लिए अनिवार्य है। अस्पृश्यताके अभिशापको दूर करना भी उतना ही आवश्यक है जितना एक व्यक्तिके क्षयरोगको दूर करना। अस्पृश्यताके कारण हिन्दू धर्मकी जीवनी शक्तिका हास होता चला जा रहा है। जनताको गिरानेवाली गरीबीको दूर करना खट्टरपर निर्भर है। यही काय्य है कि जब प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक अंग्रेज तथा प्रत्येक विदेशी जो भारत आता है और मुझसे पूछता है कि आप एक विदेशीसे क्या कराना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे देशकी परिस्थितियोंका अध्ययन करें और यह मालूम करें कि क्या इस मामूली-से चरखेकी अपेक्षा कोई और अच्छी चीज आपको मिली है। यदि आपको भारतकी परिस्थितियोंका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके बाद यह लगे कि उससे अच्छी कोई चीज नहीं मिली तो आप चरखेके पक्षमें दो शब्द कहें। मैं चाहता हूँ कि मैं चरखेको बहुत-सी अन्य चीजोंसे — राजनीतिसे अलग कर लूँ। किन्तु आप जानते हैं, मैंने कई बार कहा है कि जीवनके ये सारे विभाग परस्पर ग्रथित और अन्तर्निश्चित हैं, और इसलिए उन्हें जीवनके अन्य विभागोंसे अलग करना असम्भव है। किन्तु मैं यह निश्चित रूपसे जानता हूँ कि चरखे और खट्टर-उत्पादनका राजनीतिक मूल्य तो है ही। इसके अतिरिक्त यदि हमें उस आर्थिक कष्टको जिसके नीचे यह देश छटपटा रहा है, दूर करना है, यदि हमें भारतके करोड़ों मूक लोगोंकी सेवा करनी है तो हम खट्टरके बिना, चरखेके बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि नगरपालिकाके सदस्य उसकी ओर ध्यान दें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसे अपने स्कूलोंमें स्थान दें। आप अंग्रेज, भारतीय-

मुमलमान, हिन्दू — कोई भी हीं और चाहे आप देशके इस राजनीतिक दलके हो या उस दलके, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने घरोंमें चरखे और खहरको स्थान दे।

चरखे और राहरका कुछ अनुभव होनेके कारण मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वह सत्य है, सत्यके अलावा और कुछ नहीं। इस अभिनन्दन-पत्रको देनेके लिए मैं आपको फिरसे बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मद्रास नगर-निगमको अपने कार्यमें सफलता मिले और नगरपालिकाके जीवनसे सम्बन्धित मामलोंमें यह सबसे अग्रसर बने।

[अग्रेजीमें]

हिन्दू, ७-३-१९२५

१४९. भाषण : मद्रासकी सार्वजनिक सभामें

७ मार्च, १९२५

अध्यक्ष महोदय और मित्रों,

आज तीसरे पहर जो मुझे अभिनन्दन-पत्र दिये गये हैं उनके लिए मैं आप सबको तथा विभिन्न मन्त्रियोंको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। खेदकी बात है कि इतने वर्षोंके बाद भी आप लोग हिन्दुस्तानी या हिन्दी नहीं समझते। और मेरे लिए यह लज्जाकी बात है कि मैं आपमें तमिल या तेलगूमें बात करनेमें असमर्थ हूँ। मैं सोचता था कि यदि मैं पूरे छ वर्षोंतक यरवदा जेलमें रह सका तो मैं दक्षिणके इस प्रान्तमें श्रोताओंके बीच तमिलमें भाषण दे सकूंगा। यह मेरी और आपकी बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हुआ। किन्तु मैं आशा जरूर करता हूँ कि ऐसा समय आयेगा और वह भी जल्दी हीं, जबकि आप उत्तर और पश्चिम प्रदेशोंसे आनेवाले लोगोंसे हिन्दुस्तानीमें भाषण देनेका आग्रह करेंगे। आप जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो आपको अब जान लेना चाहिए कि भारतके अन्य भागोंमें ७५,००० रुपये मद्रास प्रान्तके लिए दिये हैं ताकि उमें हिन्दुस्तानी सीखनेके लिए प्रोत्साहित किया जाये। इस प्रान्तमें अध्यापक नियुक्त किये गये हैं जो हिन्दी या हिन्दुस्तानीकी शिक्षा देते हैं। आपको उसे सीखनेके लिए परिश्रम तो करना ही चाहिए। यदि आपने अभीतक इस अवसरसे लाभ नहीं उठाया है तो अब सही।

मैं तो अपनी यात्राके दौरान यहाँ उतर-भर गया हूँ। मैं मद्रास नहीं आया हूँ बल्कि वाइकोमके सत्याग्रहियोंसे मिलने निकला हूँ। यदि वहाँ काम खत्म करनेके बाद समय मिला तो निश्चय ही मैं मद्रासमें कुछ दिन बिताने और आप लोगोंके साथ पुराने सम्बन्ध ताजा करनेका इरादा करता हूँ। (हर्षध्वनि)। इस बीच आपसे निवेदन है कि अध्यक्ष महोदयने जो बात आपसे कही है, उसे आप पूरा करे, अर्थात् मैं जिस उद्देश्यसे वाइकोम जा रहा हूँ उसकी पूर्तिके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे। मैं वहाँके निष्ठावान सत्याग्रहियोंके दलके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने और उन्हें समर्थन

देनेके लिए वाइकोम जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि वे मुझे कट्टरपन्थी दलके पाम जाने और उनका दृष्टिकोण समझनेकी अनुमति देगे। मन्याग्रह हिमात्मक गघर्प नहीं है, बल्कि वह हृदय परिवर्तन करने तथा सच्ची धारणा उत्पन्न करनेका प्रयाम है, इसलिए कट्टरपन्थी दलका दृष्टिकोण समझने तथा अपना दृष्टिकोण उनके सामने रखनेका मैं कोई भी अवसर हाथमे नहीं जाने दूंगा। यदि महाविभव महारानी अनुग्रहपूर्वक मुझे मिलनेकी अनुमति देगी तो मैं आशा करता हूँ कि मैं उनसे भी मिलूंगा। साथ ही मैं दीवान और अन्य सम्बन्धित अधिकारियोंमे भी मिलूंगा।

मेरे लिए अस्पृश्यताका प्रश्न एक गम्भीर धार्मिक प्रश्न है। जो लोग अछूत नहीं हैं, उनके लिए यह प्रायश्चित्त और शुद्धीकरणका मामला है। यह हिन्दू धर्मके मूल तत्त्वसे सम्बन्धित सुधार है। (हर्षव्वनि)। इसलिए यदि आप गहरे विश्वासके साथ मेरे उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रार्थना कर सके तो उममे मुझे बड़ी मदद मिलेगी।

मैं जानता हूँ, कि मेरे यहाँ आ जानेपर आप मुझमे यह आशा करते होंगे कि मैं भारतके नामने उपस्थित वर्तमान ममस्याओके बारेमे कुछ कहूंगा। किन्तु आप मुझसे यह आशा न करे कि मैं इस प्रश्नके उस पहलूपर जिसे राजनीतिक पहलू कह सकते हैं, कुछ कहूंगा। उसमे मेरी दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस सगठनका तो यह एक बड़ा जरूरी अंग है, किन्तु मैं अपनेको उससे जान-बूझकर दूर रख रहा हूँ।

इसके प्रति मेरी स्वाभाविक रुचि नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी कदापि नहीं है कि दूसरे लोग भी इस कार्यक्रमके प्रति निष्ठा न रखे या उसे अनावश्यक समझे। मेरे लिए मेरा जीवन-कार्य निर्दिष्ट है। मैं निश्चित रूपमे जानता हूँ कि यदि हम सुधार अन्दरसे शुरू करे तो बाहर सुधार उसी तरह हो जायेगा, जैसे रातके बाद दिन होता है। मुझे इस बातका भी उतना ही विश्वास है कि जबतक सुधार अन्दरसे नहीं होता, तबतक बाहरसे किया गया कोई भी सुधार सफल नहीं होगा। विवान परिपद् या विवान सभामे किया गया तथा लन्दनमे आपकी ओरसे किये जानेवाले सभी प्रयत्न पूरी तरह विफल हो जायेगे। जो लोग इस गतिविधिमे भाग ले रहे हैं, यह बात उनकी आलोचना करनेके लिए नहीं कही गई है, बल्कि इस तथ्यपर जोर देनेके लिए कही गई है कि आपको और मुझे, जनताके हर साधारण आदमीको, अपनी चिन्ता स्वयं करनी होगी। यह इस तथ्यपर जोर देनेके लिए कही गई है कि यदि आप और मैं उस कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए सहायता पहुँचाना चाहते हैं तो हमे यह कार्य अपनेसे शुरू करना होगा। यदि हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेका सिर फोडनेके लिए तैयार रहते हैं तो आपकी परिपदे क्या कर सकती है? यदि हम हिन्दू अपने ही भाइयोके पचमाशका बहिष्कार किये हुए हैं तो हमारे पार्षद परिपदोमे क्या कर सकते हैं? यदि हम चरखा न चलाये और खट्टर न पहने और इस प्रकार अपने दलित और गरीब देशभाइयोके साथ एकरूप नहीं हो जाते तो फिर वे बेचारे कर ही क्या सकते हैं? मुझसे समय-असमय, अनेक बार कहा गया है कि जबतक हमारे इस विशाल देशमे लोगोको आवेश नहीं दिलाया जाता तबतक यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। किन्तु कृपया यह याद रखें कि स्वराज्य आवेश

या नामे मिलनेवांगी चीज नहीं है। स्वराज्य मुख्यस्थित आचरणसे स्वयमेव प्रति-
फलित होगा और होगा हमारे पारम्परिक महयोग, कठोर अनुशासन और आज्ञापालन,
गतत उल्हाह और गुणीने किये हुए मदादायतापूर्ण मोचे-ममझे बलिदानमे, वह सारे
राष्ट्रके मिले-जुले उद्योग और धर्मसे तथा जनताकी विवेकपूर्ण जागृतिसे प्राप्त होगा।
भारतके दम-वीन नगरोंके सम्मिलित प्रयत्नोंसे वह नहीं मिल सकता। हम लोगोंको,
जिनमे कुछ तदतक राजनीतिक चेतना आ गई है और जो अपने देशको अपना देश
होनेके नाते प्रेम करने लगे है, जनताके बीच फैल जाना चाहिए और गाँवोंमे वस
जाना चाहिए।

मैंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमे बम्बईमे जो-कुछ कहा है सो आपको विदित
है। आप लोगोंमे मे जो लोग कानना जानते हैं, वे उस उपमाको समझ जायेंगे, जिसे
मे देने जा रहा हूँ। आपमे जो लोग अच्छा कानना नहीं जानते उन्हें अनुभव हुआ
होगा कि जब वे तमुगने मूत निकालते हैं तब मूत कभी-कभी उलझ जाता है और
फिर जितना ही आप उसे मुक्तानेकी कोशिश करते हैं, वह उतना ही उलझता जाता
है। किन्तु एक कुशल काननेवाला उस उलझे हुए मूतको गीझ जानेपर एक तरफ
रख देता है और चीज मिट जानेपर उसे मुलजानेकी कोशिश करता है। ऐसा ही
हिन्दू-मुस्लिम समस्य्याके साथ नमनिए। यह समस्य्या इस समय बुरी तरह उलझ गई
है। मैं सोचता हूँ कि मैं काननेमे माहिर हूँ, उसी प्रकार मैंने यह भी सोचा था
कि मैं ऐसी उलझनोंको मुलजानेमे भी माहिर हूँ। फिलहाल मैंने इस समस्य्याको ताक-
पा रख दिया है, किन्तु उसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इसके सुलझनेकी कोई
आशा नहीं रही है। जबतक मुझे उसका कोई हल नहीं मिलता तबतक मेरा मस्तिष्क
इस समस्य्यापर विचार करना ही रहेगा। किन्तु मुझे यह बात स्वीकार करनी ही होगी
कि मैं कोई ऐसी व्यवहार्य हल, जिसकी आप आशा करते हैं, फिलहाल प्रस्तुत नहीं
कर सकता। किन्तु मैं आपके सामने एक छोटा-सा विचार रखना चाहूँगा। आपमे
मे जिन लोगोंको हिन्दू या मुसलमानोंमे, व्यवहार करना होता है, उन्हें एक-दूसरेके
प्रति अपने व्यवहारमे नगर, ईमानदार और निडर होना चाहिए। यद्यपि अभी आशा
की कोई किरण दिखाई नहीं देती फिर भी आप अपने विश्वासको न छोटे, आपसमे
प्रेमका व्यवहार करे और इस बातको याद रखें कि चाहे हिन्दूका शरीर हो, चाहे
मुसलमानका, उसमे एक ही दिव्यात्मा विराजमान है और यह सोचकर एक-दूसरेके
प्रति उदार रहनेकी कोशिश करे।

यह आवश्यक नहीं है कि मैं आपसे अस्पृश्यताके बारेमे कुछ कहूँ क्योंकि उसकी
स्थितिका आपको पूरा-पूरा ज्ञान है। किन्तु मेरी समझमे, और गायद आप भी इस
बातमे महमत होंगे कि हमने विगत चार वर्षोंके दौरान इस दिशामे जबरदस्त प्रगति
की है। मैं जानता हूँ कि अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए यह काफी नहीं है, किन्तु
हममें इतनी आशा जागृत करनेके लिए काफी है कि हमारे जीवनकालमे ही हिन्दू
धर्ममे यह कलक मिट जायेगा।

अन्तमें चरमा और खदरका उल्लेख करना शेष रह गया है जो कि कम महत्व-
की बातें नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि उस दिशामे भी हमने थोडा-बहुत काम किया

है। फिर भी खादीकी जो हालत आज है उसके लिए हमारा आन्दर्य और अज्ञान ही उत्तरदायी है। हिन्दू-मुस्लिम समरयाकी तरह कटुता और द्वेषभावनाका यहाँ कोई सवाल नहीं है और न अस्पृश्यताकी तरह धार्मिक अग्रहिष्णुताका प्रश्न है। मुझे अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो यह कहे कि चरखा चलाना या उससे उत्पन्न खद्दरको पहनना उसकी अन्तरात्माके विरुद्ध है। यह तो अर्थशास्त्रज्ञ ककहरामात्र है कि यदि भारतके उन लाखों लोगोकी झोपडियोमे जो वर्ष-भरमे कमसे-कम चार महीने खाली बैठे रहते हैं, चरखा पहुँचा दिया जाये तो वह उन चार महीनोका सदुपयोग कर सकेंगे। वे उससे जो दो पैसे रोजाना कमायेंगे उनका आपके और मेरे लिए चाहे कुछ मूल्य न हो, किन्तु उनके लिए तो वे एक नियामत ही ठहरेंगे। यह समझ लेना तो बहुत ही आसान है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी चरखा चलायें तो उनकी झोपडियोमे आशाका सन्देश पहुँचानेके पहले हमें इस मृतप्राय कलाकी सीख लेना होगा। आप यह मानेंगे कि यह बात तो एक बच्चेकी समझमे भी आ सकती है कि जब सारी जनता चरखा चलायेगी और खद्दर तैयार करेगी तो छोटे-बड़े हरएकको खद्दर ही पहनना और काममे लाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि यदि हम इतने नाजुक बन गये हैं कि मोटा खद्दर नहीं पहन सकते तो मैं कहे रखता हूँ और आप इसकी गाँठ बाँध लीजिए कि स्वराज्य इस पीढीके भाग्यमे नहीं है। स्वराज्य एक मजबूत पेड़ है जो धीरे-धीरे जड़ पकडता और पल्लवित होता है, और इसीलिए उसे साहसी स्त्री-पुरुषोके वैयक्तिके साथ किये गये परिश्रमकी आवश्यकता होती है। इसलिए आपको वही करना होगा जो पुराने समयमे रानी एलिजाबेथने अपने देशके लिए किया था। उसने हॉलैंडसे नरम कपडेके आयातपर पाबन्दी लगा दी थी और वह स्वयं अपने प्यारे देश, इंग्लैंडका बुना हुआ मोटा कपडा पहनने लगी थी। और उसने यही सारे राष्ट्रके लिए अनिवार्य कर दिया था। आपको खद्दर और चरखेके प्रश्नकी गुत्थियोमे उलझनेकी जरूरत नहीं। आपको यह सोचनेकी भी जरूरत नहीं कि यह स्वयं स्वराज्य लानेमे समर्थ है या नहीं। आप तो इसे अपने और मेरे लिए एक साधारण और सरल कसीटी ही रहने दें। क्या हम आधा घटा राष्ट्रको देने और यथाशक्ति कताई करके उसका ऋण चुकाने तथा अपनको देशके गरीबसे-गरीब लोगोके साथ एकरूप करनेके लिए तैयार हैं, या नहीं? हम ऐसा कपडा पहननेके लिए तैयार हैं या नहीं जिसे हमारी बहनो और भाइयोने काता और बुना हो? इनमे से क्या ठीक है हमारा प्रतिगज कैलिकोके लिए १ या २ आने मैचैस्टर या अहमदावादको भेजना अथवा एक या दो आने मद्रासके पासकी ही इन झोपडियोमे भेजना — बोलिए, आपको क्या पसन्द है? अपने पास-पडोसके उन लोगोके वारेमे जिन्हें खानेके लाले पडे हैं, सहानुभूतिके साथ सोचने लायक देशप्रेम आपमे है या नहीं?

वैसे तो मैं बड़ा धैर्य रखनेवाला आदमी हूँ किन्तु फिर भी इस बातके अत्यन्त बोधगम्य होनेके बावजूद कि एक गज खादी खरीदनेका अर्थ किसी गरीबसे-गरीब आदमीकी जेबमे कमसे-कम दो आने पहुँचाना है, चतुर व्यक्ति मेरे पास आकर तरह तरहकी वारीकियाँ निकालते हैं, तब मेरा धीरज छूट जाता है। मेरे पास अपने देशको

देनेके लिए यही एक चीज है, और मेरे पास इससे अच्छा सन्देश हे ही नहीं। यदि इस सन्देशका एक प्रचारक मैं ही बच रहूँ और कोई सुननेवाला भी न हो तो भी मैं अपनी अन्तिम साँसतक इसी सन्देशकी रट लगाता रहूँगा।

आप सविनय अवज्ञाके इच्छुक हैं। मैं भी इसे चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सशस्त्र विद्रोहका एक यही विकल्प है। यह हमारी शक्तकी वास्तविक कसौटी है। किन्तु अवज्ञाके सविनय होनेके लिए अनुशासन, विचार, सावधानी तथा सतर्कताकी आवश्यकता है। सविनय अवज्ञा और आवेश तथा उत्तेजनामे बड़ा वैर है। फिर मैं यह भी जानता हूँ कि चरखे और खदरका उचित एव सावधानीके साथ सगठन किये बिना सविनय अवज्ञा सम्भव ही नहीं है। जैसा कि लालाजीने कहा है और ठीक कहा है कि हम खराब तो प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु उस हालतमे उसे कायम रखनेकी शक्ति हममे नहीं होगी। यह बात उन्होंने किसी और अवसरपर, किसी और विषयके सम्बन्धमे कही थी, किन्तु उनका वह कथन यदि अधिक नहीं तो उतने ही जोरमे सविनय अवज्ञापर भी लागू होता है।

धापने मेरी बात अत्यन्त वैर्य ओर शिष्टताके साथ सुनी इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा करनी चाहिए कि यदि मेरी बात आपको ठीक जँची हो तो आप उसे कार्यरूपमे परिणत करनेकी कृपा भी करेगे। ईश्वर आपको इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए आवश्यक बल और बुद्धि दे। (जोरकी हर्षध्वनि)।

अन्तमें गांधीजीने प्रार्थना की कि सब लोग अपने स्थानोपर बैठे रहे और मुझे बिना किसी बाधाके इस सभासे जाने दें।

[अग्रैजीसे]

हिन्दू, १-३-१९२५

१५०. काठियावाड़के संस्मरण - २

दूसरे राज्य

मुझे पता चला है कि जिस प्रकार राजकोटके ठाकुर साहब लोकप्रिय हैं उसी प्रकार पोरबन्दर, वाँकानेर और वडवानके नरेश भी हैं। ऐसा लगता है कि ये चारो अपनी-अपनी प्रजाका हित चाहते हैं। मेरे दिलपर यह छाप पड़ी कि ये सब राजा प्रजाको सन्तुष्ट करनेकी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। हर राज्यमे न्यूनाधिक परिमाणमे राज्यका खर्च आमदनीसे बहुत बड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरा विश्वास है कि जबतक राजा अपने खर्चपर अकुश नहीं रखेगे तबतक वे अपनेको प्रजाका रक्षक सिद्ध नहीं कर सकेगे। राजा प्रजाकी मेहनत-कमाईमे से हिस्सा लेता है और उसके बदलेमे वह उसकी सेवा करता है। जिसकी सेवाके बिना प्रजाका काम नहीं चल सकता, वही सरदार बनता है, पर वह जबतक प्रजाके प्रति वफादार रहता है तभीतक वह उसका सच्चा सरदार रहता है। वफादार राजामे दो गुण होने चाहिए—एक तो वह प्रजाके सुख, उसकी स्वतन्त्रता और उसके

नीति-सदाचारकी रक्षा करे और दूसरा प्रजासे मिले धनका सदुपयोग करे। यदि राजा अपने लिए अनुचित संचं करता है तो वह धनका सदुपयोग नहीं करता। भले ही वह प्रजाकी अपेक्षा ज्यादा संचं करे, उसमें ज्यादा आमोद-प्रमोद करना चाहें तो करें, किन्तु उसकी एक हृद अवश्य होनी चाहिए। मैं तटस्थ रहकर यह भली-भांति देन रहा हूँ कि जन-जागृतिके इस युगमें मर्यादाकी बड़ी आवश्यकता है। ऐसी कोई भी सरथा जो अपनी लोकोपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकती, अधिक कालतक जीवित नहीं रह सकती। एक सप्ताहमें काठियावाड़के चार राज्योंका जितना निरीक्षण हो सकता है उसके आधारपर कहा जा सकता है कि काठियावाड़ राजनीतिक परिपद्में मैंने वहाँ प्रचलित राज्यतन्त्रका वचाव करते हुए जो विचार व्यक्त किये थे उनसे मेरे विचारोकी पुष्टि हुई है। पर उसके साथ ही मैं उम तन्त्रकी कमजोरियाँ भी देख पाया हूँ। राजाओके एक शुभेपीकी हेमियतसे मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यदि वे पूर्वोक्त बातोंमें स्वेच्छापूर्वक मुधार कर देंगे तो वे अधिक लोकप्रिय ही नहीं बनेंगे वरन् अपने सिंहासनकी शोभा भी बढ़ायेगे। वही सच्चा शासक है जो अपनी सत्ताकी मर्यादा खुद ही बाँध लेता है। ईश्वरने अपनी सत्ताको स्वयं नियमित कर लिया है, उसका दुरुपयोग करनेकी शक्ति होते हुए भी वह ऐसा नहीं करता। गरीरको जीवित रखनेका सामर्थ्य रहते हुए जो उसका त्याग करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। शुद्धतम ब्रह्मचारी स्वेच्छासे अपनी शक्तिका संग्रह करता हुआ ऐसी पराकाष्ठाको पहुँच जाता है कि अन्तको क्लीवकी तरह हो जाता है। यह स्थिति अवर्णनीय है—द्वन्द्वातीत है। वह जडकी तरह होते हुए भी शुद्ध निर्विकार चैतन्य है। इसीसे अंग्रेजीमें कहावत है कि राजा गलती कर ही नहीं सकता। भागवतकार कहते हैं कि तेजस्वीमें दोष नहीं होता। तुलसीदासने कहा है, 'समरथको नहीं दोष गुसाई'। इस कालमें इन तीनों वचनोका अनर्थ हो रहा है। अर्थात् यह कि बलवानके दोष करते हुए भी हम यह मानते हैं और दूसरोसे मनवाते हैं कि वह दोषी नहीं है। सच बात तो उससे उलटी ही है। बलवान वही है जो अपने बलका दुरुपयोग नहीं करता, अपनी इच्छासे वह बलका दुरुपयोग करना त्याग देता है—वह भी इस हदतक कि वह दुरुपयोग करनेके लिए अशक्त बन जाता है। हमारे राजा भी ऐसे क्यों न हों? क्या ऐसा होना उनकी शक्तिसे बाहरकी बात है?

राष्ट्रीय शाला

दो राष्ट्रीय शालाओका उद्घाटन मेरे सामने हुआ है। एक तो राजकोट की, इसका उद्घाटन श्रीमान् ठाकुर साहबने ही किया—मैं तो केवल उपस्थित था। दूसरी बढवानकी। इसका उद्घाटन मेरे हाथो हुआ। दोनोपर काले बादल मडराये। दोनोके सामने अछूतोका सवाल आया। दोनोने इस समस्याको हल कर लिया है। फिर भी इसके सम्बन्धमें वे निर्भय नहीं हुई। निर्भय होनेमें ही शिक्षकोकी शक्तिका माप मालूम हो जायेगा। यदि शिक्षक विवेक, शान्ति, मर्यादा तथा तितिक्षापूर्वक अपना कार्य करते रहे तो अन्त्यजोको अपनाते हुए भी वे लोगोके विरोधके पात्र न होंगे और शालाओमें दूसरे वर्णोके बालक अवश्य आ जायेगे। शालाओकी राष्ट्रीयता अध्या-

पकोके चरित्र बलपर, उनके देश-प्रेमपर, उनकी त्याग-भावना तथा उनकी दृढता-पर अवलम्बित है। दोनोकी इमारतोको मैं मीठी ईर्ष्यासे देखता हूँ। यदि इनमे तपस्वी अध्यापक रहे तो ठीक होगा अन्यथा सम्भव है उनके द्वारा हमारी अधोगति हो। बर्मांमे एक समय ऐसा था कि हर गाँवमे बढिया इमारतवाली सुन्दर शालाओमे वहाँके साधु परिश्रमके साथ शिक्षा देते थे। इमारते तो आज वही है, पर जब मैं उनमे गया तो वहाँ मुझे ऊँघते हुए आलसी साधु ही दिखे। शालाएँ तो नाम-मात्रको रह गई है। उनके प्राण निकल चुके हैं। जिस तरह अन्त्यजोको भरती करना राष्ट्रीय शालाका आवश्यक अंग है उसी तरह चरखा भी है। इस चक्रकी नियमित गतिपर भारतवर्षके चक्रकी गति अवलम्बित है। इस चक्रका पूर्ण विकास तो राष्ट्रीय शालाओके द्वारा ही हो सकता है। मैं प्रत्येक शालामे उसकी साधनाकी आशा रखता हूँ। शिक्षकगण चरखेके प्रति जिस हृदयक आदर पैदा कर सकेंगे उसी हृदयक वे देशभक्त माने जायेंगे। आलस्यकी नीदमे सोये इस देशको उद्यमी बनानेका चरखा ही एक साधन है। चरखा एक निष्काम उद्यम है और इसी कारण पूर्णतः फल-दायी है। वह उद्यमका एक उत्कृष्ट स्वरूप है। आरम्भमे वह भले ही नीरस मालूम हो, पर उसकी नीरसतामे ही रस समाया हुआ है। उस रसके लिए रुचि पैदा करनेका काम शिक्षकोका है। मैं आशा करता हूँ कि दोनो शालाएँ आदर्श बनेगी।

बढवानके नागरिकोसे

राजकोट और बढवानके निवासियोसे मेरा निवेदन है कि वे अपनी-अपनी शालाओमे दिलचस्पी ले, यह निवेदन मुख्यतया बढवानके नागरिकोसे है। बढवानमे आचार्य फूलचन्द तथा नगर निवासियोके बीच कुछ तनाव था। मैंने इस मामलेको समझनेका अवसर खोज निकाला और उन व्यक्तियोसे भी मिला जिन्हे आचार्य फूलचन्दके विरुद्ध कुछ शिकायते थी। बातचीत करनेपर मुझे ऐसा लगा कि इन शिकायतोका कारण भाई फूलचन्दके स्वभावकी उग्रताके सिवा और कुछ न था। नवीन व्यवस्थामे नागरिकोका महत्त्वपूर्ण स्थान है। शाला नगर-निवासियोकी ही है। इसलिए यह वाञ्छनीय है कि वे उसके सचालनमे सोत्साह भाग ले और यह उनका कर्त्तव्य भी है। एक समय था जब वे ऐसा करते थे और शालाके लिए धन भी देते थे। यह बात सभीकी जुवानपर थी कि अगर भाई शिवलाल जीवित होते तो बढवानका तेज कुछ और ही होता। परन्तु मरना तो प्रत्येक व्यक्तिको है। यदि हम चाहें तो जिनसे हमें स्नेह है उन्हें हम अमर बना सकते हैं। बढवानके अनेक बुद्धिमान नागरिक शिवलाल क्यों नहीं बन सकते? इस बातकी उम्मीद करना कि बढवानके सम्पन्न नागरिक अपने नगरकी शालाका खर्च उठा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकारकी सस्थाओके प्राण उनमे काम करनेवाले अध्यापक हैं। शरीर नागरिकोको बनाना चाहिए।

उद्योग-शाला

बढवानमे भाई शिवलाल द्वारा स्थापित कताई-बुनाई सम्बन्धी उद्योग-शाला भी उल्लेखनीय है। इस शालाके द्वारा खादी-प्रचार कार्य समुचित रूपसे हुआ है, परन्तु

समीपवर्ती ग्रामोंकी क्षमताको देखते हुए कहा जा सकता है कि काफी प्रचार नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ आसपास कुछ काम न हुआ हो वहाँ थोड़ा काम भी बहुत दीगता है, इस न्यायसे यह माना जा सकता है कि बढवानने काफी काम किया है। परन्तु हम थोड़ेसे मन्तोप नहीं कर सकते। गवाल तो यह है कि बढवानने शक्ति-भर योग दिया है या नहीं? उस नगरकी शक्ति बहुत बड़ी है—यह मैंने देग लिया है। यह उद्योग-शाला भाई शिवलालका रमारक है, चरगा-प्रचार उनके जीवनका मुख्य ध्येय था। मुझे बतलाया गया था कि उन्होंने चरखेके महत्त्वको भली प्रकार जान लिया था। मैं चाहता हूँ कि बढवानने चरखेके सम्बन्धित सभी कलाओंका विकास हो।

तीन-स्रोत

इन दिनों काठियावाडमें खादीके तीन स्रोत हैं—बढवान, मढडा और जमरेली। कार्यवाहक समितिने और अधिक खादी तैयार करनेकी योजना बनाई है। पर ये तीनों केन्द्र अपने अनुभवोंका आदान-प्रदान करते हुए एक-दूसरेसे स्वस्थ स्पर्धा करे यह वाछनीय है। तीनों केन्द्र खादीकी उत्पत्ति बहुत बढ़ा सकते हैं। राज्योंकी ओरसे खादीको प्रोत्साहन मिलनेकी पूर्ण आशा है। उसलिये वे बिना रके खादीका उत्पादन करते रहे। लोगोंमें खादी-प्रचार लगातार करते रहनेके लिये उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह कार्य मुख्यतः कार्यवाहक समितिका है। मैं तो यह चाहता हूँ कि कार्यवाहक समिति तमाम खादी लागतके दामोंपर खरीद ले और उसका सग्रह करे। समितिको खादीका इजारा ले लेना चाहिए। अमेरिकामें जो बात घनवान लोग अपना घन बढ़ानेके लिये करते हैं वह हम यहाँ जनहितके लिये करे। किसी एक चीजके व्यापारको अपने हाथमें लेनेके लिये वे उसे साराका-सारा खरीद लेते हैं और फिर उसे मनमाने दामपर बेचते हैं। हम लोग हितकी भावनासे खादीके सम्बन्धमें ऐसा ही क्यों न करे? अमेरिकामें वे ऐसा दाम बढ़ानेके लिये करते हैं, हम दाम घटानेके लिये करे। खादीके उत्पादनका खर्च सब जगह एक समान नहीं होता। क्योंकि कताई आदिकी दरोंमें थोड़ा-बहुत फर्क रहा ही करता है। फिर हम तो कपास माँग रहे हैं। यह खादीके लिये “वाउटी” — प्रोत्साहन — के रूपमें है। इससे समिति घाटेपर भी खादी बेच सकती है। पर खानगी सस्थाएँ ऐसा नहीं कर सकती। समिति खादी बनानेसे सम्बन्ध रखनेवाली सब चीजोंके दाम और दानमें मिली कपासका दाम जोड़कर जो भाव पड़े उसपर खादी बेचे। खानगी सस्थाओंसे खादी किस दरपर ली जाये, इसका निर्णय उनसे मिलकर किया जा सकता है। इतनी बातें तो ध्यानमें रखी ही जानी चाहिए।

१ स्थानीय रूपसे जितना माल विक्रय करके, बेच दिया जाये। जैसे कि बढवानमें तैयार की गई खादीके कुछ भागकी विक्री बढवानमें हो जानी चाहिए। इस सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न सस्थाओंको अपने-अपने स्थानोंपर अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।

२ सस्थाओंको सूतकी किस्म और अच्छी बनाने, उसे बटदार और महीन बनानेकी ओर ध्यान देना चाहिए।

३ वुनाईमे मुधार करना चाहिए।

४ समितिसे लागत-मात्र ही ली जाये, और इस सम्बन्धमे समितिको इतमीनात दिला दिया जाये।

यह काम तभी हो सकता है जब सब लोग उमग, परिश्रम, और ईमानदारीके साथ परस्पर विश्वास रखकर काम करे। अभी बहुतेरे लोगोके दिलोमे लोकसेवाके लिए एक साथ मिलकर काम करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है और न ही उसकी योग्यता आ पाई है। इससे हमारे काममे अनेक स्कावटे पैदा होती हैं। ये सस्थाएँ इन तमाम दोषोमे मुक्त रह सकती हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ताओमे लोकसेवाकी भावनाका पर्याप्त विकास हो गया है। उनमे धर्म-भावना है और उन्हें थोडा-बहुत अनुभव भी है। केवल साथ मिलकर काम करनेकी और एक दूसरेके स्वभावको सहन करनेकी तालीमकी कुछ कमी हो सकती है। पर जहाँ भावना अच्छी है वहाँ इम खामीको अनुभव ही दूर कर सकेगा।

चरखेमें सुधार

सामान्य तीरपर मैं यात्रामे भी अपना चरखा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन काठियावाटपर श्रद्धा होनेके कारण और बहुत-सी चीजोको साथ रखनेकी अनिच्छाके कारण मैंने चरखा साथ नहीं लिया और यह निश्चय किया कि जहाँ जाऊँगा वहीमे चरखा माँग लूँगा। इससे मुझे परीक्षाका भी ठीक-ठीक अवसर मिल गया। मैंने राजकोटमे तो अच्छे-अच्छे चरखे देखनेकी उम्मीद बाँध रखी थी। लेकिन जो मिला उसे मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। बढिया चरखा तो वही है जो बराबर चलता हो, जिसकी साडी, माल इत्यादि सब अच्छे हो और जिसका तकुआ पतला और विलकुल सीधा हो। मुझे नहीं लगता कि वहाँका चरखा सब बातोमे पूरा उतरा। चरखेपर जो गर्द और धूल चढी हुई थी वह तो विलकुल असह्य थी। कारीगर हमेशा अपने औजारोको अच्छीसे-अच्छी हालतमे रखता है। चरखेपर वूल क्यों जमी हो? जेतपुरने तो हद्द कर दी। जोगमे आकर देवचन्दभाईने कह दिया कि "मेरे पाम अच्छा चरखा है, अभी भेजता हूँ।" वे मुझे मोटरमे बिठा कर जेतपुर ले गये। रातके ग्यारह बजे थे। लेकिन मैं बिना काते कैसे मो सकता था? चरखा तो लाया गया, लेकिन वह चलता ही न था। तकुआ तो मानो गिरनारका मेहमान हो, साडीकी जगह जैमा-तैमा लपेटा गया सूत, माल तो मानो रस्सा था। चरखा चलाते हुए साधारण तीरपर मेरा कन्वा नहीं यकता। लेकिन इस अवसरपर तो चरखा चलानेमे मुझे इतना जोर लगाना पडा कि आधे घटेमे ही मेरा कन्वा यक गया। इतना बढिया था देवचन्द-भाईका चरखा! ऐसे कटु अनुभवके बाद मानो उस चरखेकी फजीहत करानेके लिए ही देवचन्दभाईने सभा आयोजित की हो! मैंने उस सभामे उस चरखेको तथा उसके मालिकको बदानाम करनेमे कुछ उठा नहीं रखा। लेकिन जैमा कि मैं ऊपर कह गया हूँ, समर्थको दोष नहीं लगता। इस लोकोवितका अनर्थ करके देवचन्दभाईके चरखेका दोष कौन निकालेगा? देवचन्दभाई तो मन्त्री ठहरे। उनके चरखेमे तो दोष हो ही नहीं सकते। उन्होंने भी यही मान लिया था। इसलिए मैं खुलेआम यह बताना देना

चाहता हूँ कि यदि देवचन्द्रभाई अपने चरखेको तुरन्त नहीं सुधारेंगे तो वे मन्त्रीपदमे हटा दिये जायेंगे।

लेकिन विनोद छोड़िए। विनोदमे फटकार तो है ही। परन्तु चूंकि यह आग्रहीकी डाँट है इसलिए उससे चोट तो लगेगी, लेकिन वह भीठी प्रतीत होगी। देवचन्द्रभाई-जैसा खरा और चरित्रवान मन्त्री मिलना मुश्किल है। उनकी सेवाओंका जितना भी उपयोग हम कर सकें, हमें करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि प्रजा मोती हो और राजा जागता रहे। हम स्वयं ही लापरवाह रहे तो फिर देवचन्द्रभाई सावधान कैसे रह सकेंगे? देवचन्द्रभाई चरखेका महत्त्व तो समझते हैं लेकिन चारों तरफ वातावरणमे जिथिलता होनेके कारण उन्होंने उसको दुरुस्त नहीं किया है, और उसे अच्छा नहीं बनाया। यदि उन्हें केवल चरखेकी ही सान्ना करनी होती तो उनके चरखेकी यह अपूर्णता अक्षम्य थी। पोरबन्दरमे अमन्तोप कुछ कम रहा, इसी प्रकार बाँकानेरमे भी। इस अपूर्णताको देखकर मुझे काठियावाडमे चरखेकी प्रगतिका अन्दाजा हो गया। चरखेको जो सम्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिए अभी नहीं मिला है। चरखेको लोग सहन कर लेते हैं लेकिन उसका स्वागत नहीं करते हैं। वह अभी अभ्यागत है, माननीय अतिथि नहीं बना है। और जबतक उसका अतिथि-जैसा स्वागत न होगा, काठियावाडकी भूख नहीं मिटेगी।

चरखेकी अपूर्णताके बारेमें मैंने जो इतना विस्तारसे लिखा है उसमे कुछ मतलब है। चरखेके दोष ढूँढ निकालना आसान है। मेरे मुझाव ये हैं

- (१) मन्त्री लोग चरखेकी गिनती कराये।
- (२) चरखेकी जाँच करनेके लिए एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त किये जाये। और वे धूम-धूमकर प्रत्येक चरखेकी जाँच करे।
- (३) चरखेके मालिकोसे अपने-अपने चरखेके दोषोकी शिकायत दर्ज करानेका अनुरोध किया जाये।
- (४) चालू चरखेके तकुए आदि सुधार दिये जाये। बड़े तकुओको बदल दे और तकुएके पायोमे आवश्यक फेरफार कर दे।
- (५) निरीक्षक लोग चरखेके मालिकोको उसमे किय गये सुधारोके बारेमे समझाएँ।
- (६) निरीक्षक जिस-जिस गाँवमे जाये वहाँ एक स्थानीय व्यक्तिको इस कामके लिए तैयार करे और उसका नाम दर्ज कर ले।
- (७) वह इसका भी हिसाव रखे कि किस चरखेसे कितना सूत काता जाता है और वह कितने घंटे चलाया जाता है।

इस प्रकार व्यवस्थित काम करनेसे थोड़े ही समयमे चरखेमे और उससे उत्पन्न होनेवाले सूतमे बड़ा सुधार होगा। मैंने अनुभव किया है कि मैं अपने चरखेपर आठ घंटेमे १०० गज सूत आसानीसे कात सकता हूँ परन्तु इन चरखेपर तो मैं मुश्किलसे ५० गज सूत ही कात सका। और अच्छे चरखेपर कातनेमे जो आनन्द मिलता है

वह गुने राजगोटके सिवा और कही भी न मिला। इस वर्षके अन्ततक काठियावाड़में गारीली तंत्र मजबूत हो जाये — उतना ही नहीं बल्कि हम इतना वारीक सूत कातने लगे कि गारीली गाड़ियाँ भी बनाई जा सकें। मैंने देखा है कि यद्योदा वहनने अपने पति अष्टाभाके लिए हाथ-कले सूतकी धोतियाँ बुनवाई थी। ये धोतियाँ आन्त्रकी वारीक धोतियोंके मुताबलेमें रंगे जाने योग्य थी। सँकजे भाई-वहन इतना वारीक सूत रंगे नहीं जान सकते ?

राजनीति

पन्चिपदे नमय ऐसे विभाग किये गये थे कि प्रजा चरणे चलाये और खादी पहने और मैं राजनीतिक मामलोंको देखूँ। उम विभाजनका अर्थ तो मैं समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी उसे स्पष्ट करनेकी आवश्यकता माझूम होती है। उमका अर्थ यह कि यदि जनता जागृत रहकर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेगी तो मैं भी जागृत रहूँगा और अपनी प्रतिज्ञाका पालन करूँगा। जनता यदि जागृत रहती है तो अपनी प्रतिज्ञाका नफरनापूर्वक पालन कर सकती है क्योंकि सफलता प्राप्त करना उमके अपने हाथमें है। लेकिन सम्भव है कि मैं जागृत रहनेपर भी और अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेपर भी नफर न होऊँ, क्योंकि मेरी सफलता दूसरोपर निर्भर है। जनताके प्रतिज्ञापालनपर मेरी सफलताका दारोमदार है। बड़े दुःखकी बात तो यह है कि आज भी नूनतम राजनीतिमें क्या सम्भव है, यह समझाना पड़ता है। सूत कातनेमें ही जनताकी सामूहिक शक्ति निहित है। मुझे विश्वास है कि उस शक्तिका अदृश्य प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा। यह हो या न हो, लेकिन यह आवश्यक है कि जनता मेरी प्रतिज्ञाका अर्थ समझ ले। यह नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर सकूँगा ही। जिसे मैं सर्वोत्तम मार्ग समझता हूँ वह मैंने जनताको दिखा दिया है। केवल आन्दोलन करनेसे ही जनता कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। राजाओंकी स्थिति भी समझ लेनी चाहिए। निन्दा करनेसे या टीका करनेसे ही कुछ नहीं बनता। इस स्थितिको समझनेके लिए ही मैंने परिपदको राजनीतिक प्रकरणोंके सम्बन्धमें चुप रहनेकी सलाह दी थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अध्यक्षकी हैमियनमें इन सम्बन्धमें जितनी जाँच कर सकता हूँ, उतनी करूँगा। उसका पालन करनेका मैं अब भी प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं निश्चित होकर न बैठा हूँ और न बैठूँगा। लेकिन इमका मतलब यह नहीं कि जिसे बीमारी है वह अपनी बीमारीका उद्धार ही न करे। मेरी सलाहका मतलब तो सिर्फ यही था कि पूर्ववत् सहायता ही पन्चिपदकी तरफमें मिल सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि न्याय प्राप्त करनेके लिए अगर लोग मृत्यु और शान्तिपूर्ण उपायोंको काममें लाना चाहे तो उसमें मेरी तरफमें कोई रुकावट न होगी। परिपदसे जितनी भी मदद हो सकेगी वह करेगी। आज उम मददका यह रूप है कि जिन राज्योंके बारेमें शिकायतें हो रही हैं उनके सम्बन्धमें मैं अपनी अनुमय-विनय करनेकी शक्तिका उपयोग करूँ। सफलता तो मामले और उममें सम्बन्धित लोगोंकी सचाई तथा जनताके प्रतिज्ञा-पालनपर निर्भर है। जनताको भी अपनी कार्यदक्षताकी छाप डालनी चाहिए। जनता यदि रचनात्मक कार्य करेगी और आत्मसम्मान बनाये रखेगी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज तो

दूसरे भागोंकी ही तरह काठियावाड़की भी जनता अपना आत्मविश्वास खो बैठी है। जनताको भी अपनी कार्यक्षमताकी छाप उालनी चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव तो यह है कि काठियावाड़के बहुतसे राज्योंमें स्थिति यह है कि जनता जितनी चाहे उतनी प्रगति कर सकती है। ब्रिटिश प्रशासनमें जनताको जो सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं वे काठियावाड़की रियासतोंमें हैं। रचनात्मक कार्य करके ही जनता इन सुविधाओंका पूरा लाभ उठा सकती है।

१ अप्रैल

काठियावाड़ने मुझे इतना मोह लिया है कि मैंने अप्रैलमें फिर काठियावाड़ जानेके लिए अवकाश निकाला है। वोटदकी अन्त्यज शाला, अमरेली खादी कार्यालयका काम और मढडाका आश्रम देखनेके लिए मुझे जाना तो था ही। लेकिन पिछली बार मैं वहाँ नहीं जा सका था। जो लोग मुझे कहीं भी ले जाना चाहते हैं वे देवचन्द्रभाई और अमरेली कार्यालयके साथ उग सम्बन्धमें बात कर लें। मैं चाहता हूँ कि जहाँ खादीका आकर्षण न हो वहाँ मुझे ले जानेकी बात कोई न सोचे। अप्रैलमें बहुतसे लोगोंके सदस्य बननेकी आगा करता हूँ और यह आगा भी करता हूँ कि जिन रुईका वादा किया गया था वह प्राप्त हो जायेगी, उसके लिए और लोग भी वादा करेंगे। जिन केन्द्रोंको खोलनेके बारेमें राजकोटमें विचार हुआ है वे सब केन्द्र काम करने लगेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ८-३-१९२५

१५१. टिप्पणियाँ

एक वहनकी भावना

भाई विट्ठलदास जेराजाणी लिखते हैं ^१

इसका रस तो जिसने अनुभव किया है वही जानता है। जिसने अपने हाथ-कते सूतका और अपने हाथसे बुना या किसी दूसरेसे बुनवाया हुआ कपडा पहना है वह इस वहनकी आँखोंसे गिरे हुए मोती-जैसे आँसुओंका मूल्य समझ सकता है। एक भाईका अपने हाथसे कते हुए सूतका बना तौलिया खो गया, जबतक वह मिल न गया तबतक उसकी वचनी कम नहीं हुई। हम एक दियासलाईकी सीक या एक आल-पिनका कोई मूल्य नहीं समझते, किन्तु यदि वह हमारी ही बनाई हुई हो तो? अपने हाथकी पकी रसोईमें जो मिठास और भाव होता है, वही अपने हाथसे काते गये सूत की वनी खादीमें होता है।

१. यह पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है। इसमें केन्द्रमें बुनाईके लिए दी गई अपने हाथके कते सूतकी साड़ीके केन्द्रसे गुम हो जानेपर एक वहनके खेदका वर्णन था। बादमें वह साड़ी मिल गई थी।

८ मार्च, १९२५

अभिनन्दन-पत्र तथा उगमे अभिव्यक्त भावनाओंके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह मेरे लिए अत्यन्त दुःखकी बात है कि उम नमय मेरे साथ न तो मेरे मित्र मौलाना श्रीरुन अली हैं और न मौलाना मुहम्मद अली। जैसाकि आप जानते हैं भारत-का दौरा करते समय हम सदा ही साथ रहे हैं। किन्तु उनमेंमे एक भाई आज पत्रकारितामें व्यस्त हो गये हैं और दूसरे महान् भाईने वम्बई और वम्बईके आस-पासके कार्योंमें अपनेको विलकुल तल्लीन कर लिया है। चूँकि मैं केवल वाडकोम तथा उस प्रदेशमें, जहाँ मुझे अपने वर्तमान दौरमें काम करना है, प्रवेश करनेके लिए इस प्रान्तसे गुजर रहा हूँ, मुझे आपका यह अभिनन्दन-पत्र स्वीकार करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है। यह यात्रा मैंने शान्तिके उद्देश्यमें की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वह सम्पूर्ण समर्थन आप दे जो मुझे इस देशके कोने-कोनेसे सहमतिके रूपमें मिल सकता है। सबसे अधिक शुभकामना मैं उन लोगोंकी प्राप्त करना चाहता हूँ जिनका प्रार्थनामें विश्वास है, चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी या पारसी कोई भी हो। वे चाहे किसी भी धर्ममें विश्वास क्यों न करते हो, यदि वे प्रार्थनामें विश्वास करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वे मेरे इस उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रार्थना करे।

कुछ दूसरी चीजे भी हैं जिनमें मेरी दिलचस्पी है और जिनमें आपकी भी दिलचस्पी होनी चाहिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पडता कि आप खास ब्रिटिश भारतके निवासी हैं या किसी रक्षित-राज्यके। मेरा अभिप्राय उस हिन्दू-मुस्लिम एकता से है जो भारतके विभिन्न धर्मोंको माननेवाली जातियोंकी एकताका ही रूप है। मुझे मालूम हुआ है कि इस राज्यमें हिन्दुओं और मुसलमानों या हिन्दुओं या अन्य जातियोंके बीच कोई समस्या नहीं है। यह मेरे लिए अत्यन्त प्रसन्नताका विषय है कि इस राज्यमें सभी जातियाँ गान्ति, सौहार्द तथा भ्रातृभावके साथ रहती हैं। ईश्वर करे ऐसी स्थिति हमेशा ही बनी रहे। किन्तु जहाँतक चरखेका सम्बन्ध है, आपकी इस तरह प्रशंसा नहीं की जा सकती। मद्रास नगर-निगम द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रका उत्तर देते हुए मैंने अवसरका लाभ उठाकर इस तथ्यका उल्लेख किया था कि तबतक भारतमें किसी भी नगरपालिकाका कार्य पूरा नहीं माना जा सकता जबतक कि वह अपनेको अपने निम्नतम नागरिकोंके साथ एक न कर ले। अक्सर यह जान पडता है कि इस क्रमको उलट दिया गया है, अर्थात् नगरपालिकाएँ उन्हें ही देती हैं जिनके पास पहले ही काफी है और उन्हींसे अधिक लेती हैं जिनके पास कि पहलेसे ही बहुत कम है। (हँसी) वे धनी और शक्तिशाली लोगोंकी ज्यादा परवाह करती हैं और गरीब और दलितकी विलकुल भी परवाह नहीं करती, या कम करती हैं। (तालियाँ) मुझे आशा है कि

१ एर्नाकुलम्-निगम द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें।

यह बात इस नगरपर लागू नहीं होती होगी और जिस वस्तुको जो स्थान दिया जाना चाहिए यहाँ उसे वही स्थान दिया जा रहा होगा। इसलिए मेरा चरखेका सुझाव देना आपके प्रगसनीय कार्योंमें केवल एक कार्य और जोड़ना है। यह मेरे लिए गरीब और अमीरके बीच अटूट सम्बन्धका प्रतीक है। यह भारतकी जनताकी गरीबीका एक निश्चित हल है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चरखेको अपने स्कूलोंमें स्थान दे और साथ ही इससे प्राप्त होनेवाली चीज, खदरको अपनायें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने घरोंमें इसे जो पवित्र स्थान अतीतमें प्राप्त था, वही फिरसे दे। मैंने इसे इस युगका एक यज्ञ कहनेमें सकोच नहीं किया है। जैसा थ्रेण्ट जन करते हैं, वैसा ही इतर प्रजा भी करती है, इसलिए आप जबतक स्वयं चरखेको नहीं अपनायेंगे तबतक आपको इसका सन्देश भारतके गरीब घरोंतक पहुँचानेमें सफलता नहीं मिलेगी। ईश्वर आपको मेरी नम्रतापूर्वक दी गई इस मलाहका अनुसरण करनेके लिए साहस, बल, और सद्भावना प्रदान करे।

[अग्नेजीमे]

हिन्दू, ९-३-१९२५

१५३. भाषण : कोचीनकी सार्वजनिक सभामे

८ मार्च, १९२५

मित्रो,

मुझे इस बातकी बड़ी खुशी है कि आखिरकार मैं आपसे मिल सका। जब मैंने वाडकोम आनेका निश्चय किया था तब मुझे इस बातकी कोई आशा नहीं थी कि वहाँ रवाना होनेके पहले मेरा यहाँ आना जरूरी और सम्भव हो जायेगा। मैं जानता हूँ कि आपका नगर ऐतिहासिक है। यहाँ आकर न जाने कितनी बातें मनमें जाग उठी हैं। वे सभी यादें सुखद नहीं हैं। आप समुद्रके किनारे रहते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि साहसिक कार्योंसे क्या-कुछ कर दिखाया जा सकता है। समुद्र साहसिक कार्योंका प्रतीक है। किन्तु मैं आपसे जैसे साहसिक कार्योंकी अपेक्षा नहीं रखता जो समुद्री किनारेके लोगोंने जुड़े हुए माने जाते हैं। हमें जिन बातकी जरूरत है वह तो यह है कि हममें अपने राष्ट्रीय जीवनमें साहसिक कार्य करनेकी भावना आये। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने लक्ष्यकी ओर नहींके बराबर प्रगति की है तो इसका कारण यह है कि हममें साहसिक कार्य करनेकी भावना नहीं है। उदाहरणके लिए हिन्दू धर्मकी बुराइयोंको ढूँढनेके लिए साहसिक भावनाकी आवश्यकता है। जिन लोगोंमें यह भावना नहीं है वे जिन परिस्थितियोंमें रहते हैं, उन्हींसे सन्तुष्ट रहते हैं। वे यह तक देखनेकी जरूरत नहीं मानते कि वे बुरी हैं या भली। दक्षिण आफ्रिकाके अपने २० वर्षोंके प्रवासके बाद जबसे भारत आया हूँ तभीसे हिन्दुओंसे कहता आ रहा हूँ कि हमारे हिन्दू धर्मका एक कलक है, हमें उसे दूर करना होगा। यह कलक अस्पृश्यता है।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यहाँ तो अस्पृश्यताके साथ अनुपगम्यता भी जुड़ी है। मैं यहाँ कट्टरपन्थियोंमें तर्क करने नहीं आया हूँ। मैं शान्तिका सन्देश लेकर आया हूँ। मैं उनसे विवेकमें काम लेनेकी अपील करता हूँ, उनमें कहता हूँ कि अस्पृश्यता और अनुपगम्यता हिन्दू धर्मका अंग ही नहीं सकती। मैं उनमें यह कहनेके लिए आया हूँ कि जो सत्याग्रही वाइकोममें अत्यधिक कठिनाइयोंके बीच सवर्ष कर रहे हैं वे धर्मको नष्ट करनेके लिए नहीं, बल्कि उसमें सुधार करनेके लिए निकले हैं। मैं उन्हें उस सवर्षके सभी फलितार्थ बताने आया हूँ। मैं उन्हें यह बतानेके लिए भी आया हूँ कि यदि हमें यह भरोसा हो जाये कि ये बातें सच हैं तो फिर हमें उनके वर्तमान रूपमें मन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुझे इससे प्रसन्नता होती है कि मैं अपने साथ आपकी शुभकामनाएँ और सहानुभूति ले जाऊँगा, क्योंकि आपकी ओरसे नगरपालिकाने मुझे जो अभिनन्दन-पत्र भेंट किया है उसमें विश्वास दिलाया गया है कि आपकी महानुभूति और आपका समर्थन मेरे साथ है। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप इस भावनाको थोड़ा और आगे ले जाकर यह मात्ूम कर लें कि सारे भारतमें जनताकी निरन्तर बढ़ती हुई गरीबीका एक प्रबल कारण यह है कि वर्षोंके करीब एक तिहाई भागमें उनके पाम करनेके लिए कुछ भी नहीं होता। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह यह जान लें कि केवल सौ वर्ष पहले चरखेके लिए घर-घरमें स्थान था, और यदि आज भी लोगोंको चरखा दे दिया जाये, तो उन्हें फुरसतके समयमें लगे रहने योग्य काफी काम मिल जायेगा। किन्तु यदि हम लोग विदेशी या मिलके कपड़े पहनना नहीं छोड़ते तो फिर हमारा अपने लाखों घरोंमें चरखेको दाखिल कराना विलकुल बकार होगा।

इसलिए जब मैं यात्रामें होता हूँ तब भी जिन स्त्री-पुरुषोंसे मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ कि विदेशी या मिलके बने कपड़ोंको छोड़ना और उनके स्थानपर हाथसे तैयार किये गये खदरको पहनना उनका अनिवार्य कर्तव्य है। मलावारमें आपका डेर सारे कपड़े पहनना व्यर्थकी बात है। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि आप लोगोंमें से बहुत-से लोग इस समय मुझमें ईर्ष्या कर रहे होंगे। यहाँके इस मौसममें हम जितने कम कपड़े पहने प्रत्येक दृष्टिकोणसे उतना ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप विना सोचे-समझे इस विचारको सही न मानने लगे कि प्रतिष्ठा और सभ्यताके लिए ज्यादा कपड़े पहनना कोई आवश्यक चीज है। (हँसी और हर्षध्वनि)। “वह व्यक्ति सुन्दर नहीं है जो सुन्दर कपड़े पहनता है, बल्कि सुन्दर वह है जो सुन्दर काम करता है।” सभ्यता, संस्कृति और प्रतिष्ठाकी सर्वाधिक सच्ची कसौटी चरित्र है, न कि कपड़े। जब कभी मैं भारतके लोगोंको यह कहते सुनता हूँ कि वे खदरके युगसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इसलिए अब उनका उस वर्ष के युगमें जबकि उनके पूर्वज खदरके कपड़ोंसे सन्तुष्ट हो जाते थे, वापस जाना असम्भव है तो मुझे बड़ा दुःख होता है। जिन लोगोंका ऐसा विचार है, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें यह उत्तर देनेके लिए मेरे साथ हो जाये कि भारतकी गरीबी एवं कगालीसे मुक्त करनेके लिए हम सबको खदर ही पहनना चाहिए। उसका सर्वोत्कृष्ट तरीका यही है। आपमें से जो लोग सजधज और महीन वस्त्रोंको पसन्द करते हैं वे अपनी इच्छानुसार सुन्दर महीन सूत कात

यस्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप प्रयास करेंगे, अपनी वक्षिता उपयोग करेंगे और कौचीनमें हर घरको चरखेमें मुद्योभित करेंगे और साथ ही उन बातका भी ध्यान रखेंगे कि कौचीनका प्रत्येक व्यक्ति पर ही पत्ते की कुछ नहीं।

तो हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपके अली भाइयोंसे से विरोध भी न आना चल रहा है। अभीतक सारे भारतीय भाषाओं के संनामें ने एक भाई मेरे साथ होता ही था किन्तु अब ऐसा करना सम्भव नहीं था। किन्तु मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि यह हिन्दू-मुस्लिम समस्या आपके बीच नहीं है। यह मेरे लिए अत्यन्त हर्षकी बात है कि उन देशमें विभिन्न धर्मोंको माननेवाली नभी जातियाँ मद्भावना और भाईचारेके साथ रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भारतके प्रत्येक भागमें आपके प्रथमनीय उदाहरणका अनुकरण कर सकें। अपने घरोंमें चरखा और चरखे दायित्व करनेके लिए तथा हिन्दू धर्मको सम्माननेके अभिप्रायमें मान करनेके लिए ईश्वर आपको बल और बुद्धि प्रदान करे। ईश्वर को उन मुस्लिम देशमें रहनेवाली नभी जातियाँ सदैव वैसे ही प्रेमके साथ एक होकर रहे, जैसे जान रहती हैं।

[अज्ञेय]

हिन्दू, ९-३-१९२५

१५४. पत्र : सुब्रह्मण्यम्को

[९ मार्च, १९२५]'

सुत्र [सुब्रह्मण्यम्]

पत्रके लिए धन्यवाद। कल सुबह ८ बजे जिला मजिस्ट्रेटके घर आपसे और अन्य मित्रोंने मुलाकात होगी। वे नभी लोग जिनका आपने उल्लेख किया है और अन्य जिनके आप चुने, भेटके समय वहाँ आ जाये। मैं अपनी ओरसे उन व्यक्तियोंके सिवा जिनका कि आपने उल्लेख किया है और किसीको अपने साथ नहीं लाऊगा। किन्तु दृष्टान्तवासी अख्यरके यहाँ न होनेके कारण श्रीयुत कैलप्पन नय्यरको जो उनकी जगहपर आये हैं, अपने साथ लाना चाहता हूँ, वशतँ कि आप इसे स्वीकार करे।

आपने ठीक ही कहा है कि दोनों पक्षोंके बीच कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। हमें एक-दूसरेके विचारोंके प्रति सहिष्णु होना ही चाहिए।

अनुपगम्यताकी आपने और दूसरे मित्रोंने जो व्याख्या की है उसके पक्षमें मैं किसी औरका नहीं, शंकराचार्यका प्रमाण चाहता हूँ। यदि यह प्रश्न सीहार्द तथा

सन्तोषपूर्ण ढंगसे एव उस धर्मकी प्रतिष्ठा और शुद्धताके अनुरूप हल हो जाये, जिसमें हमारा और आपका समाप्त रूपसे विश्वास है तो मुझे अत्यन्त प्रमत्तता होगी।

आपका,
धर्म-सेवक,

[पुनश्च]

मुझे खेद है कि मैं मलयालम नहीं जानता। आपके लिए मेरी हिन्दीको अनूदित कराना कठिन होगा, इसलिए मैं अपना उत्तर अंग्रेजीमें भेज रहा हूँ।

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०५९४) की माइक्रोफिल्ममें।

१५५. पत्र : डा० वरदराजुलु नायडूको

१० मार्च, १९२५

प्रिय डा० वरदराजुलु,

गुरुकुल विवादके^१ सन्दर्भमें मैंने श्री अय्यरसे^२ कहा कि जबतक मैं आपसे नहीं मिलता और आपके विचार नहीं सुन लेता तबतक मैं अपना निश्चित मन्तव्य प्रकट नहीं करूँगा। आपकी बात सुननेके बाद मुझे लगता है कि जहाँतक ब्रह्मचारियोंका सम्बन्ध है यदि ब्राह्मण लडकोके माता-पिता जोर देते हैं कि उनके बच्चोंको अलग भोजन करनेकी अनुमति मिलनी चाहिए तो इनको नैतिक आपत्तियोंको मान लेना चाहिए। किन्तु भविष्यके लिए यह घोषणा कर देनी चाहिए कि ऐसे किसी भी ब्रह्मचारीको यहाँ भरती नहीं किया जायेगा जिसके माता-पिताको उसके अन्य ब्रह्मचारियों के साथ पकितमें बैठकर भोजन करनेमें आपत्ति हो। मुझे आपसे मालूम हुआ है कि गुरुकुलमें रसोइया सदैव ब्राह्मण ही रहेगा। आपकी जो आपत्ति है (वह उचित ही है) वह है अब्राह्मण लडकोको ब्राह्मण लडकोसे अलग रखनेमें। मेरा भी यह निश्चित विचार है कि जब लडके भोजन करे तो वे सभी एक ही पकितमें बैठें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २१-३-१९२५

१ शेरमादेवीमें स्थित तमिल गुरुकुलमें प्रवेश सम्बन्धी प्रश्न।

२ उक्त गुरुकुलके वी० वी० एस० अय्यर।

१५६. वाइकोमके सवर्ण हिन्दू नेताओके साथ बातचीत'

[१० मार्च, १९२५]

गांधीजी क्या यह उचित है कि हिन्दुओकी एक समूची जातिको तथाकथित निम्नवर्गमे उत्पन्न होनेके कारण उन सडकोके उपयोगमे वचित कर दिया जाये जिनका उपयोग अहिन्दू, अपराधी, दुश्चरित्र और यहाँतक कि कुत्ते और ढोर भी कर सकते हैं ?

नम्बूद्री न्यासी इसके लिए क्या किया जा सकता है ? वे अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं।

इसमे कोई मन्देह नहीं कि अछूतोंके रूपमें उत्पन्न होनेकी वजहसे उन्हें जो काम मिला है उनके कारण वे वैश्वे ही कष्ट भोग रहे हैं। अब आप उनके इस कष्ट को और क्यों बढ़ाते हैं ? क्या वे अपराधियों और जानवरोंसे भी गये वीते हैं ?

अवश्यमेव वे ऐसे होंगे, नहीं तो ईश्वर उन्हें अछूतोंके घरोंमें जन्म लेनेकी सजा ही क्यों देता ?

ईश्वर उन्हें सजा दे सकता है, किन्तु हम मानव कौन हैं जो ईश्वरका स्थान ग्रहण कर उनकी सजा बढ़ाये ?

हम तो केवल निमित्त हैं। उन्होंने अपने कर्मोंका जो दण्ड पाया है, उसे उनपर लागू करनेके लिए ईश्वर निमित्त रूपमें हमारा उपयोग करता है।

किन्तु मान लीजिए, अवर्ण कहे कि वे आपको सजा देनेके लिए ईश्वरके हाथोंमे निमित्त-रूप है तो आप क्या करेंगे ?

तब सरकार उनके और हमारे बीच आकर उन्हें रोकेगी। अच्छे आदमी भी ऐसा ही करेंगे। महात्माजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अवर्णको हमारे युगो पुराने अधिकार छीननेसे रोकिये।

क्या आप यह मित्र कर सकते हैं कि आपको उन्हें सडकोका उपयोग न करने देनेका अधिकार है ? मेरा विश्वास है कि पद-दलित जातियोंको भी सडकोके उपयोग-का उतना ही अधिकार है जितना आपको है। शास्त्रोंमे कही भी ऐसा नहीं लिखा है कि वे इन सडकोका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दीवान साहवके विचारानुसार भी आपने गलत रुख अपनाया है ?

१ इसका मक्षिप्त विवरण देते हुए हिन्दूने अपने ११-३-१९२५के अकमें लिखा है " कल मंत्रे ही श्री गांधी मत्याग्रहियोंकी प्रार्थनामें शामिल हुए श्री गांधी इटनतुरिचि नम्ब्यात्तिरीके निवाम स्थानपर स्थानीय ऋद्धरपन्थी सवर्ण हि दुओंके विरोधी नेताओसे मिले। जो लोग श्री गांधीके साथ गये थे, उनमे सर्वश्री राजगोपालाचारी, महादेव देसाइ, रामदाम गांधी तथा कृष्णस्वामी अय्यर थे। उन्होंने बातचीत तीन घंटेसे अधिक समयतक की जिममे व्यावहारिक प्रस्ताव दस दृष्टिसे रखे गये कि सवर्ष जल्दी ही समाप्त हो जाये। वे वैकल्पिक प्रस्ताव ये पत्र निर्णय, जनमत मग्रह तथा चुने हुए पण्डितों द्वारा शकरकी सृष्टियोंका परीक्षण। विरोधियोंने इनमें से किनीको भी नहीं माना "।

दीवान साहब भले ही ऐसा मानते हो। वे चाहें जैसा विचार रखें, यह उनकी मर्जीकी बात है। महात्माजी, आप इन जातियोंके लिए दलित शब्दका उपयोग क्यों करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि वे दलित क्यों हैं?

जी हा। इसका भी ठीक वही कारण है, जिसके लिए, डायरने जलियांवाला बागमे निर्दोषोंका सहार किया था।

इसलिए आपके विचारमें जिन्होंने यह प्रथा चलाई, वे डायर कहलाये? क्या आप शंकराचार्यको डायर मानेंगे?

मैं किसी भी आचार्यको डायर नहीं कहता। किन्तु मैं आपकी कार्यवाहीको जरूर डायरशाही मानता हूँ। यदि कोई आचार्य इस प्रथाको लागू करनेके लिए, सचमुच उत्तरदायी है तो उमका अज्ञान भी उतना ही भयानक माना जायेगा जितना कि जनरल डायरका था।

किन्तु हम प्राचीन प्रथाको छोड़ कैसे सकते हैं? आप कहते हैं कि सत्याग्रही कष्ट उठा रहे हैं। कष्ट तो हम उठा रहे हैं। सत्याग्रही मन्दिरके द्वारपर बैठे रहते हैं। कहीं उनकी छाया हमें अपवित्र न कर दे, इसलिए हमें लम्बे और चक्करदार मार्गसे मन्दिर जाना पडता है। क्या यह कोई बड़ा कष्ट नहीं है?

निश्चित रूपसे यह असाधारण कष्ट है। इसपरसे तो मुझे भेडिये और मेमनेकी कहानी याद आ जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कमसे-कम तर्ककी बात तो करे।

धार्मिक मामलोमें तर्क काम नहीं देता।

यदि यह कोई पुरानी सनातनी प्रथा होती तो इसे भारतमे सर्वत्र प्रचलित होना चाहिए था। लेकिन मैं इसे देशके अन्य किसी भागमे प्रचलित नहीं देखता।

निश्चित रूपसे अस्पृश्यता भारतके हर भागमें मिलती है। हम अस्पृश्यताको थोडा और आगे ले गये हैं। बस इतना ही।

आप कहते हैं कि ये लोग अपराधियोंसे भी गये-बीते हैं। मान लीजिए कि कल ये मुसलमान या ईसाई बन जाये तो क्या फिर ये अपराधी नहीं रहेंगे?

(नम्बूद्री न्यासी मौन रहा। किन्तु कमिश्नर देवस्वम्ने उसकी ओरसे उत्तर दिया: नये मुसलमान या ईसाईको यह अधिकार नहीं होगा। पुराने ईसाई और मुसलमान ही इस अधिकारका उपभोग करते हैं।)

राजगोपालाचारी तो क्या ईसाई और मुसलमान ईश्वरके नियमों और आदेशोंको उलट सकते हैं?

(कोई उत्तर नहीं।)

गांधी आप अपने तर्ककी पुष्टिमें शंकराचार्यको उद्धृत करते हैं। क्या आप यह उद्धरण मुझे भी दिखायेंगे?

न्यासी: अवश्य।

और यदि शकराचार्यके ग्रन्थ इस प्रथाका समर्थन न करे तो क्या आप अपने विरोधको वापस ले लेंगे ?

उनमें इसके काफी प्रमाण हैं। लेकिन वस्तुतः आप उसकी दूसरी व्याख्या करनेमें समर्थ हैं।

मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा। व्याख्या तो माने हुए पण्डित करेयें।

यदि व्याख्या प्रथाके विरुद्ध गई तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते।

इसका यह अर्थ हुआ कि शकराचार्यके ग्रन्थोमें इस प्रथाका कोई समर्थन नहीं है, किन्तु यह आपके विवेककी कमीके कारण प्रचलित है ? मान लीजिए न्यायालय यह निर्णय दे कि अवर्णोंके लिए सड़के खोल देनी चाहिये ?

तो फिर हमें चाहिए कि हम उन सड़कोका उपयोग बन्द कर दें और उन मन्दिरोंको छोड़ दें।

यदि महाराजा, शकराचार्यकी भाँति ही जिन्हें कि आप प्रतिबन्धके समर्थनमें उद्धृत करते हैं, सड़कोको गुला छोड़नेकी घोषणा जारी कर दे तो आप क्या करेंगे ?

राज्यको अधिकार है कि वह जो चाहे आदेश जारी करे। हमें उसका पालन करना ही होगा।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यह न भूले कि आप हिन्दू-वर्मके न्यासी हैं, और मुझे आशा है कि आप उसके उज्ज्वल नामपर धब्बा नहीं लगायेंगे। मैं आपके मामले एक बीचका रास्ता रखता हूँ। क्या आप जनमत सग्रहको स्वीकार करेंगे ?

क्या आपका अभिप्राय केवल मन्दिरमें आनेवाले लोगोंके मत-सग्रहसे है ?

नहीं, यह उचित नहीं है। मेरा मतलब सभी सवर्णोंके मत-सग्रहसे है। मैं अवर्णोंके मत-सग्रहकी बात नहीं कहता। आपको इससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिए।

(कोई उत्तर नहीं।)

दूसरा सुझाव है। मान लीजिए कि हम भारतके किसी माने हुए पण्डितमें शकराचार्यके आदेशकी व्याख्या करनेके लिए कहते हैं। क्या आप उसकी व्याख्याको स्वीकार करेंगे ?

हो सकता है कि स्मृतिमें ऐसा कोई प्रमाण न हो, किन्तु स्मृतिपर लिखी गई टीकामें काफी प्रमाण मिलेंगे।

(यहाँपर एक बूढ़े न्यासीने कहा परशुरामने हमें सारा मलावार दिया है। अब यदि आप हमसे कहे कि परशुरामका पट्टा दिखाओ तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ? प्रस्तुत अधिकारके बारेमें भी यही बात है। इसके लिए हम प्रमाण कहाँसे लायें ?)

अन्तिम विकल्पके रूपमें, क्या आप पंच फँसलेको स्वीकार करेंगे ? आप एक पण्डित नियुक्त करे और मैं भी सत्याग्रहियोंकी ओरसे एक पण्डित नियुक्त करूँ और दीवान साहब निर्णायकका पद ले, आप इस बारेमें क्या कहते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं)

[अंग्रेजीसे]

एपिक ऑफ़ त्रावणकोर

१५७. भाषण : वाइकोमकी सार्वजनिक सभामें

१० मार्च, १९२५

मित्रो,

मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस बातके लिए तो क्षमा कर ही देंगे कि मैं खड़े होकर भाषण नहीं दे सक रहा हूँ, साथ ही मैं यह भी आशा रखता हूँ कि आप मेरे कुछ मिनट विलम्बसे आनेके लिए भी मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपनी ओरसे आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे यहाँ आनेमें जो देरी हुई है उसका कारण व्यक्तिगत नहीं है। जिस उद्देश्यको लेकर मैं यहाँ आया हूँ, उसीके लिए मैं सारा दिन व्यस्त रहा। आप लोग इतनी बड़ी सख्यामें यहाँ उपस्थित हैं, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं आप सबको अपने आनेका उद्देश्य बता सकूँगा।

किन्तु सबसे पहले मैं उन सब लोगोको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे कल अभिनन्दन-पत्र भेट किये थे। जब अभिनन्दन-पत्र भेट किये जा रहे थे उस समय मुझे एक पत्र मिला जिसमें अभिनन्दनका विरोध किया गया था और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि यह अभिनन्दन-पत्र वाइकोमके रहनेवाले सभी लोगोकी भावना-ओका प्रतिनिधित्व नहीं करता (शर्म, शर्म)। मैं सहर्ष इस विरोधको स्वीकार करता हूँ और आपपर उस स्वीकृतिको प्रकट भी कर रहा हूँ। उस पत्रपर कुछ सज्जनोंके हस्ताक्षर थे, और इसलिए जाहिर है कि कमसे-कम इन लोगोका समर्थन तो अभिनन्दन-पत्रको या उसकी शब्दावलीको प्राप्त नहीं था। मुझे इससे भी आश्चर्य नहीं हुआ कि इस अभिनन्दन-पत्रको वाइकोमके सभी लोगोकी स्वीकृति नहीं मिली है। मैं जानता हूँ कि दुर्भाग्यसे आप सब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नपर सहमत नहीं हैं। जहाँतक मेरा अपना प्रश्न है, अभिनन्दन-पत्रका न दिया जाना ही मुझे अधिक रुचिकर लगता है। किन्तु अभिनन्दन-पत्र भेट किये ही जाते हैं तो मुझे उनसे जिन सभाओमें भाषण देने होते हैं भाषणका मसाला मिल जाता है और इस अभिनन्दन-पत्रसे यह तथ्य भली-भाँति प्रकट हो जाता है। जिन लोगोने आज मुझे अभिनन्दन-पत्र दिया है उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसमें भी उसी विषयको, जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ उठाया गया है। वह विषय है अस्पृश्यता, अनुपगम्यता और उन्हें दूर करनेका तरीका अर्थात् वाइकोममें एक विशिष्ट प्रणाली द्वारा अपनाया गया सत्याग्रह। जैसा कि आप जानते हैं, प्रारम्भसे ही इस सघर्षके प्रति मेरी गहरी सहानुभूति रही है और मैं इसकी हार्दिक सराहना करता रहा हूँ। सम्भव है कि सत्याग्रह चलानेवालोंने इस सघर्षमें कोई गलती की हो। ससारमें ऐसा कौन है जिससे गलती न होती हो, किन्तु मुझे इस बातसे सन्तोष है कि यदि कोई गलती हुई भी है तो वह जानबूझकर नहीं की गई। सत्याग्रह, अपने नामके समान ही, कुछ हदतक एक नया सिद्धान्त है। या यो कहिये कि इसमें एक पुराने सिद्धान्तको नये ढंगसे प्रस्तुत किया गया है।

अस्पृश्यता उन प्रश्नोमे से एक है जिसके लिए खास तरहसे सत्याग्रहका सहारा लेना पडता है। क्योंकि सत्याग्रह स्वय कष्ट उठानेका तरीका है। अत इसमे उन लोगोको कष्ट नही दिया जाता जो इसका विरोध करते हैं, वल्कि कष्ट स्वय ही उठाना पडता है। इस समय सत्याग्रहियोने वाइकोममे यह स्थिति ग्रहण की हे कि जो सडके वडे मन्दिरके पाससे गुजरती है, उन्हे अछूत या अनुपगम्य समझे जानेवाले लोगोके लिए खोल दिया जाये। इस दावेका आधार मानवता ही हे। जहाँतक हिन्दुओका सम्बन्ध है ऐसी कोई भी सडक जो जनताके अर्थात् सवर्ण हिन्दुओके लिए खुली है, उन लोगोके लिए भी खुली रहनी चाहिए जो वहिष्कृत है और जिन्हे अछूत या अनुपगम्य कहा जा रहा है। मेरे नम्र विचारमे उनका यह दावा स्वाभाविक और न्यायमगत है। जैसा कि आप जानते है, 'दक्षिण आफ्रिकाके लम्बे प्रवासके बाद मैंने जवसे भारतकी जमीनपर पाँव रखा है तभीसे मैं स्पष्ट रूपसे, निडरताके साथ तथा खुलकर अस्पृश्यताके प्रश्नपर बोलता आ रहा हूँ। मैं सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ। मैं इस बातका भी दावा करता हूँ कि मुझे अपने मतलब-भरके लिए शास्त्रोका काफी ज्ञान है। इसलिए मैं यह मुझाव देनेका साहस करता हूँ कि अस्पृश्यता और अनुपगम्यताके लिए, हमारे इस पवित्र देशमे जैसा उन्हे व्यवहारमे लाया जाता है, हिन्दू शास्त्रोमे न तो कोई विधान ही है और न किसी प्रकारकी स्वीकृति ही। (हर्ष-ध्वनि और तालियाँ)। मेरे कथनका आप न तो अनुमोदन करे और न विरोध करे, उमे केवल मुने। मैं उन लोगोको जो हिन्दू धर्मके अनुयायी होनेका दावा करते हैं, जो हिन्दू धर्मको अपने प्राणोके समान प्रिय समझते है, यह मुझाव देनेका साहस करता हूँ कि प्रत्येक अन्य धर्मके समान ही हिन्दू धर्मको शास्त्रोकी अनुमतिके अलावा भी, अपने-को एक सार्वभौम तर्ककी कसौटीपर कसना जरूरी है। इस तर्क, सार्वभौम ज्ञान तथा शिक्षाके युगमे और ऐसे युगमे जिसमें विभिन्न धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन होता हो, जो धर्म केवल अपन ही शास्त्रीय वचनो और प्रमाणोका अनुसरण करता है, मेरे नम्र विचारमे अमफल ही रहता है। मेरे विचारमे छुआछूत मानवतापर एक कलक है और इसीलिए हिन्दू धर्मपर भी वह कलक हे। यह तर्कको कसौटीपर खरा नही उतर सकता। यह हिन्दू धर्मके मूलभूत नियमोके विरुद्ध है। हिन्दू धर्मके तीन सिद्धान्तोमे से जिन्हे मैं यहाँ प्रतिपादित करना चाहता हूँ, पहला है, "सत्यान्नास्ति परोधर्म" अर्थात् सत्यसे बढकर कोई धर्म नही हे। दूसरा है, "अहिंसा परमोधर्म"। यदि अहिंसाका अर्थ प्रेम हे तो अहिंसा जीवनका कानून हे और वह सबसे बडा धर्म है, वल्कि वही एकमात्र धर्म है। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अस्पृश्यताका सत्यके साथ सीधा विरोध है। तीसरा है, "ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या" अर्थात् अकेला ईश्वर ही सत्य हे, और सब-कुछ क्षणभंगुर हे, माया है। यदि ऐसी बात है तो मैं कहता हूँ कि हमारे लिए अस्पृश्यताकी इस महान् सिद्धान्तके साथ सगति विठाना असम्भव है। इसलिए मैं अपने कट्टर-पन्थी मित्रोके साथ तर्क करने आया हूँ। मैं उनसे और उनके सोजन्य तथा सद्भावनासे अपील करने आया हूँ। आज दोपहरके बाद मुझे उनके साथ बैठनेका अवसर मिला। उन्होने मेरी बात धैर्यपूर्वक और ध्यानसे सुनी। हमने बहस की, मैंने उनके विवेकसे,

उनकी मानवतामे और उनके हिन्दुत्वमे अपील की। मुझे खेदके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि मैं उनपर प्रभाव नहीं डाल सका। मुझे आशा थी कि मैं डाल सकूंगा, किन्तु निराशा एक ऐसा शब्द है जो मेरे शब्दकोशमे नहीं है (हंगी)। मैं अभी निराश होऊँगा जबकि मैं अपनेसे, ईश्वरमे तथा मनुष्यतामे निराश हो जाऊँगा। लेकिन जैसे मैं ईश्वरपर विश्वास करता हूँ, जैसे मैं उस तथ्यपर विश्वास करता हूँ कि हम यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, साथ ही जैसे मैं मानवतापर विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे सारे मतभेदों और हमारे सारे झगड़के बावजूद मानवता जीवित रहती है, उसी प्रकार मैं इसपर भी विश्वास करता हूँ कि जिस सत्यके प्रतिनिधि होनेका दावा मैं उन समय कर रहा हूँ वह यहाँ रहनेवाले मेरे कट्टरपन्थी मित्रोंपर अपना प्रभाव डालेगा।

वाइकोमके सत्याग्रहियोंके नामपर और उनकी ओरमे मैंने अपने इन मित्रोंके सामने तीन उदार प्रस्ताव रखे हैं। ये प्रस्ताव मेरे लिए अपरिहार्य हैं। किन्तु मैंने उन्हें खुली छूट दी है कि वे चाहे तो उन्हें स्वीकार करें और चाहे तो अस्वीकार करें। मैंने उन्हें समझानेकी कोशिशकी है कि उन्हें, चाहे परीक्षणके रूपमे ही मही, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेने चाहिए। मुझे इस एकपक्षीय इकरारपर जरा भी सकोच नहीं हुआ है, क्योंकि उस सत्यपर जिसपर मैं निश्चित रूपसे विश्वास करता हूँ, और जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मुझे विश्वास है। मैं झगड़को उत्तेजित करने एव बढ़ानेके लिए नहीं आया हूँ, बल्कि कट्टरपन्थियों और उन लोगोंके बीच जो आज मनुष्यता और न्यायके नामपर काम करनेकी कोशिश कर रहे हैं, शान्ति और सद्भावना स्थापित करनेके लिए आया हूँ। यद्यपि कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ, किन्तु मेरा उद्देश्य कभी लड़नेका नहीं रहा, न मैंने कभी यह कोशिश की है कि लडाई लम्बी हो, बल्कि मेरा उद्देश्य तो जल्दीसे-जल्दी शान्ति स्थापित करनेका रहा है। जब मैंने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया था तब एक अंग्रेज मित्रने मुझसे कहा कि आपका असहयोग ऊपरी मनसे ही है और सच कहे तो आप सहयोगके लिए ही उत्सुक हैं। मैंने तुरन्त उनकी बात स्वीकार कर ली और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे हृदयको सही रूपमे समझा है। और मैं अपने कट्टरपन्थी भाइयोंको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा इस मामलेमे भी यही रख है। सत्याग्रह चल रहा है लेकिन यह उनके चाहते ही बन्द कर दिया जायेगा। यह उनपर निर्भर करता है कि वे कोई उचित प्रस्ताव रखें। वह स्वीकार कर लिया जायेगा, केवल ध्यान यही रखना है कि उसमे सत्यका गला न घोटा जाये। सत्याग्रही अपनी माँगें सदैव कमसे-कम ही रखता है। और इस सघर्षमे भी कमसे-कम माँग रखी गई है। इस प्रकारकी उचित माँग रखना ही सही है कि जो माँगते ही स्वीकार करने योग्य हो। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि इस सघर्षके बारेमे मनमे कोई दुराव-छिपाव नहीं है।

मैंने भारतके हिन्दुओंको बार-बार बताया है कि अस्पृश्यता-निवारण, मेरे लिए तथा उन लोगोंके लिए जो आज उस पवित्र सघर्षमे रत हैं, क्या अर्थ रखता है। इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्मको भंग करना नहीं है। इसका अर्थ अन्तर्जातीय भोजन और अन्तर्जातीय विवाह भी नहीं है। किन्तु इसका इतना अर्थ जरूर है कि मानव

और मानवके बीच ऐसे सामान्य सम्बन्ध जो कि किसी भी सम्य समाजमे होने चाहिए, स्थापित हो। उम्का यह अर्थ जरूर हे कि यदि पूजाके स्थान किसी व्यक्तिके लिए खुले है तो वे उन सबके लिए, जो हिन्दू कहलाते हैं, खुले रहने चाहिए। किन्तु मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि यदि कोई विगिष्ट वर्ग, मान लीजिए ब्राह्मण मन्दिर बनाना चाहता है और उनमे अब्राह्मणोंको नही आने देना चाहता तो मैं कहता हूँ कि ऐसा करनेका उमे अधिकार है। किन्तु यदि कोई ऐसा मन्दिर हे जो अब्राह्मणोंके लिए भी खुला ह, तो फिर पचम जाति जैसी कोई चीज नही है जिसे कि उस मन्दिरमे वाहर रखा जाये। इस प्रकारके बहिष्कारके लिए तो मुझे हिन्दू शास्त्रोमे कोई प्रमाण नजर नही आता। इसी प्रकार मेरा दावा हे कि स्कूलो-जैसे सार्वजनिक स्थान जो कि अन्य वर्गोंके लिए खुले हो, समान रूपसे अछूतोंके लिए भी खुले रहने चाहिए। यही बात कुओ, तालाबो तथा नदी आदि जलाशयोपर भी लागू होनी चाहिए। उन लोगोंकी ओरमे जो अस्पृश्यता और अनुपगम्यताके विरुद्ध सघर्षमे सलग्न हैं, मेरी इतनी ही माँग है।

किन्तु जहाँतक वाङ्कोमका सम्बन्ध है, मैं स्थितिको थोडा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वर्तमान सत्याग्रह केवल अछूतोंके उन सडकोसे गुजरनेके अधिकारोकी पुष्टिके लिए किया गया है जिनमे गुजरनेका ईसाइयो, मुसलमानों तथा सवर्ण हिन्दुओंको अधिकार हे। सत्याग्रही आज मन्दिर प्रवेशके लिए नही लड रहे है। वे स्कूलो-मे प्रवेशके लिए — मैं नही जानता कि त्रावणकोरके स्कूलोमे प्रवेशपर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध हे या नही — नही लड रहे है। यह बात नही कि वे ऐसा करनेका दावा नही करते। किन्तु मैं वर्तमान सघर्षका सार आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन और विश्वासकी प्रणाली हे, इसमे, जबरदस्तीकी गुजाइश ही नही होती। इसीलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक त्रावणकोर विधानसभामे दिये गये दीवान साहबके भाषणमे कही गई बातमे पूरी तरह सहमत हूँ, 'यदि मुझे ऐसा जान पडा है कि वाङ्कोमके सत्याग्रही, कट्टरपथी हिन्दुओपर अनुचित दवाव डालनेके लिए अपने सिद्धान्तके विपरीत हिंसाका उपयोग करते है या कोई दूसरा तरीका अपनाते है तो आप देखेंगे कि प्रमाण मिठनेपर मैं उन तथाकथित सत्याग्रहियोंमे अपनेको विलकुल अलग कर लूँगा। किन्तु जबतक सत्याग्रही अपने करारकी शर्तोंके अन्तर्गत बने रहते है तब-तक मेरा यह निश्चित कर्तव्य हे कि मैं एक अकेले और विनम्र व्यक्तिके रूपमे जो सहायता दे सकता हूँ, उन्हें देता रहूँ। इसलिए मैं अपनी सारी शक्तिके साथ वाङ्कोमके उन कट्टरपथी ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंसे जो कि इस सघर्षके विरुद्ध है, अपील करता हूँ कि वे सघर्षका अध्ययन उसके सभी पहलुओंको नजरमे रखकर करे और सघर्षको विवेकदृष्टिसे देखकर यदि उन्हें ऐसा लगे कि यह सघर्ष न्यायसगत है और वे तरीके जो मानवताके अधिकारोकी पुष्टिके लिए सत्याग्रहियोंने अपनाये है, उचित, अहिंसक और तर्कसगत है तो वे न्याय और मानवताके पक्षमे खडे हो।

मुझे उम बातकी ताईद करनेमें प्रमत्तता होती है कि पुलिम अधिकारियो तथा सत्याग्रहियोंके बीच आम तौरपर अवतक सम्बन्ध अच्छे ही रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि सम्य और सौजन्यपूर्ण लडाईको किस प्रकार बिना किसी रोपके, बिना किसी तरहकी कठोर वाते कहे तथा बिना किसी हिंसाके चलाया जा सकता है। मैं जानता हूँ, एकाएक पूर्वग्रहोपर विजय पाना बड़ा कठिन है। अस्पृश्यता एक ऐसी कुप्रथा है जो दीर्घकालसे चली आ रही है। उमीलिए मैंने अपने मत्याग्रही मित्रोंसे कहा है कि उन्हें अत्यन्त धैर्यमें काम लेना होगा। समय हमेशा उनका साथ देता है जो धैर्यसे काम लेते हैं। मेरा खयाल है कि वाङ्कोमकी जनताकी राय भी उनके ही पक्षमें है। वाङ्कोमसे बाहरकी जनताकी राय भी उन्हींके पक्षमें है। मसाराकी राय उनके पक्षमें बनती जा रही है और इसलिए यदि मत्याग्रही केवल सारे नियमोंका पालन करते हुए सत्याग्रह करते रहे और धीरज खोये बिना चुपचाप काट सहन करते रहे तो निस्सन्देह विजय उन्हींकी होगी। चावणकोरकी सरकारने, जहाँतक मुझे दीवान साहवके भाषणमें मालूम होता है, दोनों पक्षोंके प्रति समान दृष्टि रखी है। जब मैंने अपने मत्याग्रही भाइयोंसे यहाँपर यह कहा कि दीवान साहवने जो-कुछ कहा है वह आपत्तिसे परे नहीं है तो उन्होंने सहमति प्रकट की। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यदि समाजके दोनों पक्ष आपसमें मिलकर बिना जासकीय हस्तक्षेपके इस प्रश्नका कोई तर्कसंगत तथा सम्मानपूर्ण हल निकाल ले तो यह श्रेयस्कर होगा। दीवान साहवने तो कट्टरपन्थी लोगोपर अपना मन्तव्य प्रकट कर ही दिया है। उन्होंने उनसे समयके साथ चलनेके लिए तथा समयकी भावना पहचाननेके लिए कहा है। मुझे आशा है कि मेरे कट्टरपन्थी मित्र उनकी दो हड्डि इस समुचित सलाहको मुनेगे। कुछ भी हो अपनी ओरसे मैं उन्हें पूरा-पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वे कुछ भी सोचे, चाहे जैसा व्यवहार करे, मेरे प्रस्तावको स्वीकार करे या न करे, मैं तो केवल हिन्दू-धर्मके उस रूपके आदेशानुसार कार्य करूँगा, जिसे मैं जानता हूँ। मैं पृथ्वी-तलपर किसीको भी अपना दुश्मन नहीं समझता। इसलिए उनके और अपने बीच मतभेद होनेपर भी मैं उन्हें प्यार करूँगा। मैं हमेशा ईश्वरसे प्रार्थना करता रहूँगा कि वह उन्हें सही दिशामें चलनेकी प्रेरणा दे, उनके जान-चक्षु खोले और वे यह समझकर कि भविष्य कहाँ जा रहा है अपने इन पद-दलित देशभाइयोंके साथ न्याय करे। साथ ही मैं ईश्वरसे अत्यन्त दीनतापूर्वक यह प्रार्थना भी करता हूँ कि यदि मैंने हिन्दू शास्त्रोंको गलत पढ़ा है, यदि मैंने मानवताको गलत समझा है और यदि मैंने सत्याग्रहियोंको सलाह देनेमें गलती की हो तो वह मेरी भी आँखे खोले, मुझे अपनी गलती सुझाये और मुझे शक्ति और साहस प्रदान करे ताकि मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकूँ और अपने कट्टरपन्थी भाइयोंसे क्षमा-याचना कर सकूँ।

एक बात और कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूँगा। जहाँ अस्पृश्यताके प्रश्नपर आपके और मेरे बीच मतभेद है, वहाँ मुझे आशा है कि दूसरे प्रश्नपर जिसका सम्बन्ध देशके गरीबसे-गरीब लोगोसे है, मतभेद होनेका सवाल ही नहीं उठता। मेरा अर्थ चरखे और खदरसे है। देशके गरीब लोगोके प्रति आपका कर्तव्य है कि

आप चरखेको निष्ठापूर्वक अपनाये और आपका उनके प्रति यह कर्त्तव्य भी है कि आप चरखेसे उपलब्ध खद्दरको पहने और इस तरह अपने देशके गरीबसे-गरीब स्त्री-पुरुषोंके हाथमे दो पैसे पहुँचानेकी व्यवस्था करे। जैसा कि मैंने वार-वार कहा है, मैं तबतक सन्तुष्ट नहीं हो सकता जबतक कि राजा और रक, वाइसराय और उमका अर्दली मिरमे पाँवतक हथकते और हथदुने कपडे न पहनने लगे।

तीसरी बातके बारेमे मुझे आपसे कहनेकी जरूरत नहीं। वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता। इम सम्बन्धमे आपको भारतके शेष भागोंको बहुत-कुछ सिखाना है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि त्रावणकोरमे विभिन्न धर्म और जातियोंके लोग बड़े मेल-जोल और सौहार्दके साथ रहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वास्तवमे हे भी ऐसा ही। मुझे आशा है कि शेष भारत भी इसी प्रगसनीय भावनाका अनुसरण करेगा जो कि आप लोगोंको प्रेरणा देती है। आपने वैंयके साथ मेरा भाषण सुना है, उसके लिए मैं आप मत्रको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस आशा और उत्कट प्रार्थनाके साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि वाइकोममे जो सघर्ष चल रहा है उसका अन्त केवल उसी प्रकार हो जिसे शोभनीय कहा जाये।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, १६-३-१९२५

१५८. भाषण : वाइकोमके सत्याग्रह आश्रममें^१

११ मार्च, १९२५^२

वाइकोममे सत्याग्रह आश्रमके निवासियोंके सामने मैंने जो-कुछ कहा उसे लग-भग ज्योका-त्यो नीचे दिया गया है। आश्रममें इस समय पचाससे ऊपर स्वयसेवक हैं जो वाइकोम मन्दिरके चार प्रवेश द्वारोंकी रक्षाके लिए बनाई गई बाड़ोंके सामने खड़े रहकर या बैठकर घरना दे रहे हैं। घरना देनेवाली एक-एक टोली वहाँ छ घटे रहती है और सूत कातती है। दो दल वारी-वारीसे वहाँ भेजे जाते हैं। मैं यह भाषण इस विचारमे यहाँ दे रहा हूँ कि आम लोग इसमे दिलचस्पी लेंगे, समस्त सत्याग्रहियोंमे भी मैं यही आशा रखता हूँ। मो० क० गांधी।

मुझे दुःख है कि मैं आपमे पूरी और सन्तोपजनक ढंगमे बातचीत किये बिना ही आज चला जाऊँगा। लेकिन लगता है कि इससे ज्यादा कुछ करना सम्भव नहीं है। मेरे कार्यक्रमकी व्यवस्था करनेवालोंकी राय है कि उद्देश्यकी सफलताकी दृष्टिसे मुझे वाइकोमके अलावा और भी जगहें देखनी चाहिए। मैंने उनकी सलाह मान ली है, लेकिन अपने विगत अनुभवोंके आधारपर मेरी निश्चित धारणा यही है कि आन्दोलनकी सफलता किसी बाहरी सहायताकी अपेक्षा खुद आपपर ही अधिक निर्भर

१ यह "सत्याग्रहियोंका कर्त्तव्य" शीर्षकसे यंग इंडियामें छपा था।

२, १४-३-१९२५के हिन्दूके अनुसार।

करती है। यदि स्वयं आपमें कुछ शक्ति नहीं है, तो फिर मेरे श्रोत्री देरके लिए यहाँ आ जानेमें चाहे कितना ही उत्साह क्यों न पैदा हो जाये, वह सब व्यर्थ ही है। और यदि मैं यहाँ न आया होता और जनतामें भी कोई उत्साह न होता, परन्तु यदि आप अपने प्रति सच्चे रहे होते तो किसी बातकी कमी न रहती। उम्र तरहके उद्देश्यके लिए जितने उत्साहकी जरूरत होती, वह आपके कार्यमें पैदा हो जाता। मैंने यहाँ जितना समय गुजारा है अगर उससे ज्यादा समयतक ठहर सकता तो और भी अच्छा होता। जो भी हो, अपने मित्रोंकी मलाहके विरुद्ध मेरे लिए यहाँ और ठहरना सम्भव नहीं है।

इसलिए कमसे-कम शब्दोंमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप कार्यक्रमके राजनीतिक पहलूको भूल जाये। उम्र सघर्षके राजनीतिक परिणाम भी हैं, लेकिन उनकी आप कोई चिन्ता न करें। अगर आप उसकी चिन्ता करेगे तो आप सच्चे फलमें तो हाथ धो ही देंगे, साथ ही राजनीतिक परिणामोंसे भी बचित रह जायेगे। और जब सघर्ष अपनी चरम सीमा-तक पहुँचेगा तब आप उसके अयोग्य सिद्ध होंगे। इसलिए भले ही आपको डर लगे, लेकिन मैं आपके सामने सघर्षका सच्चा स्वरूप रखना चाहता हूँ। यह सघर्ष हिन्दुओंके लिए एक अत्यन्त धार्मिक सघर्ष है। हम हिन्दू धर्मके सबसे बड़े कलकको मिटानेकी कोशिश कर रहे हैं। जिस पूर्वग्रहके विरुद्ध हमें लड़ना है वह युगो पुराना है। मन्दिरके चारों तरफके रास्ते हमारी रायमें सार्वजनिक रास्ते हैं। इन्हें अन्त्यजोंके लिए खुलवानेका यह सघर्ष तो बड़े युद्धका एक छोटा-सा अंग है। अगर वाइकोममें इन रास्तोंके खुलनेके साथ ही हमारी लड़ाई खतम हो जानेवाली होती तो आप विश्वास रखें कि मैं इसके बारेमें चिन्ता न करता। इसलिए अगर आप समझते हैं कि वाइकोममें ये रास्ते अन्त्यजोंके लिए खुलनेके साथ ही यह लड़ाई खतम हो जायेगी तो आप भ्रममें हैं। रास्ता तो खुलना ही चाहिए, वह खुलकर ही रहेगा। लेकिन यह तो शुरुआत ही होगी। असली उद्देश्य तो सम्पूर्ण त्रावणकोरमें ऐसे सभी रास्ते अन्त्यजोंके लिए खुलवानेका है। और केवल यही नहीं हम तो यह आशा करते हैं कि हमारी कोशिशोंसे अछूतों और अन्त्यजोंकी सामान्य दशामें भी सुधार होगा। इसके लिए जबरदस्त बलिदानकी जरूरत होगी। कारण, हमारा उद्देश्य विरोधियोंके प्रति कोई भी हिंसात्मक कार्य करके कुछ प्राप्त करना नहीं है। वैसा करना तो हिंसासे या जबरदस्तीसे मत परिवर्तन कराना होगा, और यदि हम धार्मिक मामलोंमें जबरदस्तीका सहारा लें तो इसमें कोई शक नहीं कि वह आत्मघात होगा। इस सघर्षको हमें पूर्ण अहिंसासे, अर्थात् स्वयं कष्ट सहन करते हुए चलाना है। यही है सत्याग्रहका अर्थ। सवाल यह है कि इस लक्ष्यकी ओर बढ़ते हुए आपपर जो मुसीबतें आयेगी वे तो आपके भाग्यमें हैं ही, पर क्या आपमें उन सभीको झेलनेकी सामर्थ्य है? कष्ट-सहन करते हुए भी आपके मनमें अपने विरोधियोंके प्रति लेशमात्र भी कटुता नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि यह कोई यन्त्रवत् करने-जैसा काम नहीं है। इसके विपरीत मैं चाहता हूँ कि आप अपने विरोधियोंके प्रति प्रेमका भाव रखें, और

इसका तरीका यह है कि आप उन्हें उनके उद्देश्यके प्रति उतना ही सच्चा होनेका श्रेय दें जितना सच्चा होनेका आप स्वयं दावा करते हैं। मैं जानता हूँ कि यह काम कठिन है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कल जब उन लोगोंसे जो अन्त्यजोंको मन्दिरके रास्तोंमें दूर रखनेके अपने अधिकारका आग्रह करते हैं, बातें कर रहा था तब मुझे वैसा करना कठिन लग रहा था। मैं मानता हूँ कि उनकी बातोंके पीछे स्वार्थ-भावना थी। यदि यह सच हो तो मैं उन्हें उद्देश्यके प्रति ईमानदारीका श्रेय कैसे दे सकता हूँ? मैं उनके बारेमें कल सोचता रहा और आज सुबह भी मैंने सोचा। मैंने अपने आपमें मन्त्राल किया “उनकी स्वार्थ-भावना या उनका अपना हित आखिर किस बातमें है? यह सच है कि उनके अपने कुछ हित हैं, जिन्हें वे सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन उसी तरह हमारे हित भी हैं, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। अन्तर इतना ही है कि हम अपने हितको शुद्ध और इसलिए निस्वार्थ मानते हैं। लेकिन इस बातका फलला कौन करेगा कि किम जगह निस्वार्थ भाव समाप्त होता है और स्वार्थभाव आरम्भ हो जाता है। हो सकता है कि निस्वार्थभाव स्वार्थभावका ही शुद्धतम रूप हो।” यह बात मैं केवल तर्कके लिए ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं यह बात सचमुच महसूस करता हूँ। मैं उनके मनकी स्थितिका उन्हींके दृष्टिकोणसे विचार कर रहा हूँ, न कि अपने दृष्टिकोणमें। अगर वे हिन्दू न होते तो उन्होंने कल जिम ढगसे बात की, उन ढगमें न करते। और ज्यों ही हम किसी चीजके बारेमें उस ढगसे विचार करने लगते हैं, जिम ढगमें हमारे विरोधी करते हैं, त्यों ही हम उनके साथ पूरा न्याय करने योग्य बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इसके लिए तटस्थ मन स्थिति आवश्यक है, और ऐसी मन स्थितितक पहुँचना बहुत ही कठिन है। तथापि एक मत्याग्रहीके लिए यह सर्वथा अनिवार्य है। अगर हम अपने विरोधीकी स्थितिमें अपनेको रखकर उनके दृष्टिकोणको समझे तो दुनियामें से तीन-चौथाई दुःख और गलत-फहमिया समाप्त हो जायेगी। तब हम अपने प्रतिपक्षीकी बातसे जल्दी ही सहमत हो जायेंगे या उनके प्रति उदार हो जायेंगे। इस मामलेमें तो अपने प्रतिपक्षियोंके साथ जल्दी सहमत होनेका कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे आदर्श एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। लेकिन हम उनके प्रति उदार हो सकते हैं और यह मान सकते हैं कि उनका वास्तवमें वही अभिप्राय है जो वे कहते हैं। वे अन्त्यजोंके लिए रास्ते नहीं खोजना चाहते। वे स्वार्थकी वजहमें वैसा कहते हो या अज्ञानके कारण, हमारा विश्वास तो यही है कि ऐसा कहना उनकी गलती है। इसलिए हमारा काम यह है कि हम उन्हें दिखा दें कि वे गलतीपर हैं, और यह काम हमें अपने कष्ट-सहन द्वारा करना चाहिए। मैंने पाया है कि जहाँ पूर्वग्रह युगो पुराने हो और तथाकथित धार्मिक प्रमाणोंपर आधारित हो, वहाँ केवल तर्क द्वारा समझानेकी कोशिश बेकार जाती है। तर्कको कष्ट-सहन द्वारा मजबूत करना होगा और कष्ट-सहन विवेकको जगा देता है। इसलिए हमारे कार्योंमें जबरदस्ती लेश-मात्र भी नहीं होनी चाहिए। हमें अवीर नहीं बनना चाहिए और हम जो तरीके अपना रहे हैं उनमें हमारी अडिग आस्था होनी चाहिए। जो तरीका हम इस समय अपना रहे हैं वह यह है

कि हम चारों वाडों तक जाये और रोके जानेपर वहीं बैठ जाये और कताई करे। यही क्रम रोज चलता रहे। हमें विश्वास करना चाहिए कि उम तगीकेसे वे रास्ते खुल जायेंगे। मैं जानता हूँ कि यह एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है। किन्तु यदि आपको सत्याग्रहकी प्रभावकारितामें विश्वास है तो आप उम तिल-तिल होनेवाली यन्त्रणा और कष्ट-सहनमें भी आनन्दका अनुभव करेंगे—और प्रतिदिन चिलचिलाती धूपमें वहाँ जाकर बैठनेमें जो तकलीफ होती है, उसे अनुभव नहीं करेंगे। यदि आपको अपने उद्देश्यमें, अपने साधनमें और ईश्वरमें आस्था है तो तपना हुआ मूरज आपके लिए शीतल बन जायेगा। आप थककर यह न कहें कि 'और कबतक', और न कभी झुंझलाये। जिस पापके लिए हिन्दू वर्ग उत्तरदायी है, उसके लिए आपके प्रायश्चित्तका यह तो एक छोटा-सा अंग है।

आप लोगोंको मैं उम अभियानमें निपाहियोंकी तरह मानना हूँ। आप हर चीज-पर स्वयं विचार करके निष्कर्षपर नहीं पहुँच सकते। आपको आश्रमकी व्यवस्थामें विश्वास है इसीलिए आप इसमें आये हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मुझमें विश्वास है। मैं तो व्यवस्थापक नहीं हूँ। जहाँतक आदर्शों और मोटे-मोटे निर्देशोंका सवाल है, वस उसी हदतक मैं आन्दोलनका संचालन कर रहा हूँ। इसलिए आपका विश्वास उनमें होना चाहिए जो इस समय इसके प्रबन्धक हैं। आश्रम आनेसे पहले पसन्द-नापसन्द करनेका अधिकार आपको था। लेकिन एक बार फैसला करने और आश्रम आ जानेके बाद शका उठानेका अधिकार आपको नहीं है। अगर हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना है तो आपको समय-समयपर जो निर्देश दिये जायें उनका पालन करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे राजनीतिक या धार्मिक जीवनका निर्माण हो सकता है। आपने अपने लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये होंगे और उन्हीं सिद्धान्तोंके अधीन होकर आप इस सघर्षमें शामिल हुए होंगे। जो लोग आश्रममें रुके रहते हैं वे भी सघर्षमें उतना ही हिस्सा ले रहे हैं जितना वे जो नाकेबन्दियों-पर जाकर सत्याग्रह करते हैं। सघर्षके सिलसिलेमें किया जानेवाला प्रत्येक काम समान रूपसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए आश्रममें सफाई रखनेका काम भी उतना ही जरूरी है जितना कि नाकेबन्दियोंपर जाकर सूत कातनेका। और यदि इस स्थानपर टिट्टियों और अहातेकी सफाईका काम कताईकी तुलनामें अधिक अरुचिकर है, तब तो उसे और भी महत्वपूर्ण और हितकर समझना चाहिए। व्यर्थकी बातचीतमें एक क्षण भी वर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे सामने जो काम है उसीमें हमें पूरे मनोयोगसे लगे रहना चाहिए, यदि हममें से हरएक इसी सच्ची भावनासे काम करेगा तो आप देखेंगे कि काममें कितना आनन्द मिलता है। आश्रममें हर वस्तुको आप अपनी सम्पत्ति समझे, ऐसी सम्पत्ति न समझे जो इच्छानुसार व्यर्थ ही वर्बाद की जा सकती है। आपको अन्नका एक दाना, कागजका एक टुकड़ा भी वर्बाद नहीं करना चाहिए और इसी प्रकार अपने समयका एक क्षण भी। यह समय हमारा नहीं है। हमारे समयपर राष्ट्रका अधिकार है, और हम राष्ट्रके न्यासियोंके रूपमें उसका उपयोग करें।

मै जानता हूँ कि आपको यह सब बहुत दुश्वार मालूम होगा। वातको प्रस्तुत करनेका मेरा तरीका कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन इमे किसी ओर ढगसे प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। अगर मै इसे आसान चीज मानकर आपको घोखा दूँ, तो मै गलत काम करूँगा।

हमारा धर्म बहुत विकृत हो गया है। राष्ट्रके रूपमे हम अकर्मण्य हो गये है और समयका महत्त्व भूल गये है। हमारे हर कामके पीछे स्वार्थ रहता है। हममे जो बडेसे-बडे लोग है उनमे भी परस्पर ईर्ष्याभाव है। हम एक दूसरेके प्रति अनुदार भाव रखते है। जिन चीजोकी ओर मैने आपका ध्यान सीचा है, अगर मै वैसा न करूँ तो इन बुराइयोसे पिण्ड छुडाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। सत्याग्रह तो सत्यकी अनवरत खोज है, सत्यको खोजनेका दृढ मकल्प है। मै तो केवल आगा ही कर सकता हूँ कि आप जो-कुछ कर रहे है, उमका अर्थ समझेगे। यदि आप उसका अर्थ समझ लेगे तो आपका रास्ता आसान हो जायेगा—आसान इसलिए कि आप कठिनाइयोमे भी आनन्दका अनुभव करेगे ओर जब हर आदमी निराश्र होगा उम समय भी आपके मनमे आशाका उत्साह बना रहेगा। ऋषियो और कवियोने धार्मिक पुस्तकोमे जो दृष्टान्त दिये है, मुझे उनपर विश्वास है। उदाहरणार्थ, खौलते तेलमे डुबोये जाते समय मुधन्वाका मुस्कराना एक ऐसी घटना है जिसकी सम्भावनामे मुझे अक्षरशः विश्वास है। कारण, सुधन्वाके लिए उबलते तेलमे डाले जानेसे भी बडी यन्त्रणा यी अपने रचयिताको भूलना। और यदि हममे इस आन्दोलनमे सुधन्वाकी-सी आस्थाका एक कण भी हो तो वैसा ही यहाँ भी एक छोटे पैमानेपर हो सकता है।^१

इसके बाद कार्यकर्त्ताओने महात्माजीसे बहुतसे प्रश्न किये। श्री टी० आर० कृष्णस्वामी अद्यरने पूछा कि यह सघर्ष कितने दिनोतक जारी रखा जाना चाहिए। महात्माजीने कहा

मै नहीं जानता। यह कुछ दिनोमे ही समाप्त हो जा सकता हूँ और हमेशा चलता भी रह सकता है। दक्षिण आफ्रिकाका सघर्ष आरम्भ करते समय मैने सोचा था कि वह एक महीनेमे समाप्त हो जायेगा, लेकिन वह आठ सालतक जारी रहा।

यह पूछे जानेपर कि बडे-बडे जत्ये नाकेवन्दियोपर क्यों न भेजे जायें, उन्होंने कहा कि इससे उपद्रव और गलतफहमी होगी, और दूसरे इसके लिए हमारे पास काफी आदमी नहीं है। मेरी रायमें जनमत तैयार करनेके लिए काफी काम करना चाहिए। आपका दावा है कि जनमत आपके पक्षमें है, जो कुछ हदतक ठीक है। लेकिन अभी जनमत प्रभावशाली नहीं हुआ है। इसके लिए जबर्दस्त सगठनकी आवश्यकता, है जो आपके पास नहीं है। मुझे सघर्षको और तेज करनेमें कोई लाभ नजर नहीं आता। कार्यकर्त्ताओको मै तीन महीनेमें हिन्दी, और साथ ही सस्कृत भी सीखनेकी सलाह देता हूँ। उन्हें ऐसे काममें लगना चाहिए जिससे यह आश्रम आगे चलकर आत्मनिर्भर बन जाये। यदि केरल और त्रावणकोरके बाहर अन्य जगहोसे

चन्दा माँगा गया तो लोग ढीले पड जायेंगे। चम्पारनमें मुझे सभी सूत्रोंसे आर्थिक मददके प्रस्ताव आये, लेकिन अपने एक निजी दोस्तके अलावा मैंने और किसीकी मदद लेनेये इनकार कर दिया। इसी प्रकार अहमदाबादमें मजदूरोंकी हड़तालके दौरान मैंने एक व्यक्ति द्वारा हजारों रुपयेकी मददके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया था। खेडाकी लडाईमें मैंने निजी दोस्तोंकी कुछ मदद जरूर स्वीकार की, लेकिन जो धन मिला उसका आधा भी खर्च नहीं हुआ। दक्षिण आफ्रिकामें भी एकत्रित राशियोंसे तीन-चार लाख रुपये बच गये थे। मैंने जितनी भी लडाइयाँ लड़ी हैं उनमें से एकमें भी प्राप्त रकमसे अधिक खर्च करना पडा हो, ऐसा याद नहीं आता। और जो धन-राशि हर सघर्षमें मिली वह बिना कठिनाई या दीडघूपके मिली।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-३-१९२५

हिन्दू, १४-३-१९२५

१५९. राष्ट्रीय शिक्षा

एक राष्ट्रीय सस्थाके उपाचार्यने लिखा है '

सरकारी स्कूलोंकी युवा-पीढीमें दासताकी जो मनोवृत्ति पैदा हो जाती है उससे उनको बचानेके लिए इस शताब्दीके प्रथम दशकमें देशमें बड़े पैमानेपर राष्ट्रीय शिक्षाका आन्दोलन आरम्भ किया गया था। उसका उद्देश्य केवल ऐसे स्कूल खोलना था जिनमें 'राष्ट्रीय आधारपर और राष्ट्रीय नियन्त्रणमें' शिक्षा दी जाती हो। . . .उसके फलस्वरूप कार्यकर्त्ताओंका एक ऐसा दल सामने आया जिसमें से बहुतोंने स्वतन्त्रताके सघर्षमें जोरदार भाग लिया। फिर भी इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि विशुद्ध शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलनके रूपमें उसका न तो मूल ही पृथक था और न अस्तित्व ही। . .

असहयोग आन्दोलनसे राष्ट्रीय शिक्षाके उद्देश्यको दूसरी बार प्रोत्साहन मिला और वह वास्तवमें एक जबरदस्त प्रोत्साहन था। देश-भरमें एकाएक सैकड़ों स्कूल खुल गये। उनका उद्देश्य क्षेत्रकी दृष्टिसे सीमित था। उनका मुख्य उद्देश्य असहयोगी छात्रोंको केवल एक वर्षतक पढानेकी व्यवस्था करना ही था। लडकोंको स्वराज्यके सैनिक अर्थात् उन्हें असहयोगके विभिन्न कार्यक्रमोंको चला सकने योग्य बनाना उनका उद्देश्य था। शिक्षा आन्दोलनका राजनैतिक आन्दोलनसे अलग अस्तित्व नहीं था। जब राजनैतिक आन्दोलन कमजोर पडा तब शिक्षा आन्दोलन भी अशक्त हो गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षाको हमेशा कार्यक्रममें दूसरे दर्जेका या गौण स्थान दिया गया और किसी भी नेताने उसपर कभी शास्त्रीय ढंगसे विधिवत् स्वतन्त्र विचार नहीं किया। ऐसा लगता है कि आपको भी इस आन्दोलनसे उतना प्यार नहीं है जितना आपको खदरसे है, अथवा यह भी हो सकता है कि आपको दृष्टिमें खदर और राष्ट्रीय शिक्षा एक ही वस्तु हो। स्वराज्यवादी लोगोको केवल कौंसिलोसे ही मोह है। इन बातोपर विचार करते हुए क्या इस आन्दोलनकी कुछ भी प्रगति सम्भव है? और यदि यह आन्दोलन बार-बार असफल होता है तो क्या अधिकाश लोगोपर इसका प्रभाव निरुत्साहजनक और शोचनीय नहीं होगा?

शिक्षाका उद्देश्य बच्चोकी शारीरिक और मानसिक शक्तिका विकास करना है, जिससे वे देशके योग्य नागरिक बन सके। यह उनकी माध्यमिक स्कूलोकी अवधिमें ही सम्भव है। उससे पहले वे बहुत छोटे होते हैं और उसके बाद उनका चरित्र विशिष्ट दिशामें मुड चुका होता है। और फिर उसे अभीष्ट दिशामें मोडना कठिन होता है। आपके मतानुसार माध्यमिक स्कूलोमें बच्चोको मुएत सूत कातने, कपडा बुनने और उनसे सम्बन्धित दूसरे सभी कामोमें लगना चाहिए। विभिन्न रुचियो और विभिन्न योग्यताके छात्रोको एक ही ढाचेमें ढालनेकी कोशिशमें क्या शिक्षा अस्वाभाविक नहीं हो जायेगी और क्या उससे बच्चोके मनोपर बोझ नहीं पडेगा? सूत कातना और कपडा बुनना पाठ्यक्रमका एक अंग हो सकता है, लेकिन वह पूरा पाठ्यक्रम नहीं बन सकता और उसे ऐसा बनाया भी नहीं जाना चाहिए। क्या राष्ट्रीय शिक्षाके कुछ व्यापक बुनियादी और निश्चित सिद्धान्त स्थिर करना और प्रत्येक सस्थाको अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य तथा छात्रोकी शक्ति और विवेकके अनुसार कार्य करने देना अधिक अच्छा नहीं है?

पिछले लगभग ४० बरसोमें राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ प्रयोग किये गये हैं। क्या आप कमसे-कम एक ऐसी सस्था बता सकते हैं जिसको आदर्श मानकर उसका अनुकरण करनेके लिए हम गर्वपूर्वक सरकारसे कह सके?

भौतिक सम्प्रतामें, जिसके बिना हम निश्चय ही पिछड जायेंगे, सारा ससार प्रगति कर रहा है। अब यह एक निश्चित तथ्य हो गया है कि भारत पश्चिमी राष्ट्रोके अधीन इसलिए हुआ कि उसकी वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति पर्याप्त नहीं थी। हमने इतिहाससे यह शिक्षा ली है और इसकी उपेक्षा नही की जा सकती। लेकिन ऐसा लगता है कि आप भौतिक विज्ञान और रसायन-शास्त्र-जैसे विषयोको अधिक महत्व नहीं देते। क्या यह अजीब बात नहीं है?

मुझे यह नही मालूम कि सन् १९०६ में स्थितियाँ क्या थी, लेकिन १९२१ में हालत कैसी थी यह मैं जानता हूँ। यदि राष्ट्रीय शिक्षाको हमे सच्चे अर्थोंमें राष्ट्रीय

वनाना हो तो उसमें राष्ट्रकी तत्कालीन दशा प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। और चूँकि इस समय राष्ट्रीय दशा अनिश्चित है, अतः राष्ट्रीय शिक्षा भी न्यूनाधिक अनिश्चित रहेगी। जहाँ आक्रमण हुआ है और जिस स्थानको शत्रुने घेर लिया है, वहाँके बच्चे क्या करते हैं? क्या वे घेरा डालनेवालोंको पीछे हटानेमें अपनी सामर्थ्यके अनुसार भाग नहीं लेते और अपने आपको बंदली हुई परिस्थितियोंके अनुकूल नहीं बना लेते? क्या वह उनकी सच्ची शिक्षा नहीं है? क्या शिक्षा, पढ़नेवाले बच्चोंमें पूर्ण मनुष्यताका विकास करनेकी कलाका नाम नहीं है? वर्तमान शिक्षा-प्रणालीका सबसे बड़ा दोष यह है कि उसपर वास्तविकताकी छाप नहीं है, बच्चोंमें देशकी विभिन्न आवश्यकताओंकी प्रतिक्रिया नहीं होती। सच्ची शिक्षा आसपासकी स्थितियोंके अनुरूप होनी चाहिए और यदि वह वैसी नहीं है तो उममें स्वस्थ विकास नहीं होगा। इस प्रतिक्रियाकी आवश्यकता है, इसी उद्देश्यपूर्तिके लिए शिक्षामें अमहयोग दाखिल किया गया है। यह सच है कि हमने आदर्शके अनुकूल आचरण नहीं किया है। इसका कारण है हमारी सीमाएँ और इसका कारण यह है कि हम अपनी परिस्थितियोंके मोहक प्रभावसे मुक्त होनेमें असमर्थ रहे हैं।

लेकिन ऐसा कहनेका अर्थ यह नहीं कि हमारी शिक्षा सस्थाएँ कताई और बुनाईकी सस्था-मात्र बन कर रह जाये। मैं कताई और बुनाईकी किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालीका आवश्यक अंग समझता हूँ। किन्तु मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चोंका सारा समय इसीमें लग जाये। एक कुशल चिकित्सककी भाँति मेरा ध्यान रोगीके रोग-पीडित अंगपर केन्द्रित रहता है और मैं उसीका उपचार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अन्य अंगोंकी सार-सँभाल करनेका सबसे अच्छा तरीका भी यही है। मैं बच्चोंके हाथोंका, दिमागका और आत्माका विकास करना चाहता हूँ। उसके हाथ लगभग निश्चेष्ट हो गये हैं। उसकी आत्मा नितान्त उपेक्षित रही है। मैं इसीलिए समय और असमय हमारी शिक्षाके इन गम्भीर दोषोंको दूर करनेका अनुरोध करता रहता हूँ। क्या प्रति दिन आधा घंटा सूत कातना हमारे बच्चोंके लिए कोई बहुत भारी काम है? क्या इससे उनका मस्तिष्क कुण्ठित हो जायेगा?

मैं विभिन्न विज्ञानोंकी शिक्षाको महत्व देता हूँ। हमारे बच्चे भौतिक विज्ञान और रसायनशास्त्रका अत्यधिक अध्ययन नहीं कर सकते। और जिन सस्थाओंमें मेरी दिलचस्पी मानी जाती है उनमें यदि इन विषयोंकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है तो इसका कारण यह है कि हमारे पास इन विषयोंके लिए प्राध्यापक नहीं हैं और दूसरे इन विज्ञानोंके प्रयोगात्मक शिक्षणके लिए बहुत महँगी प्रयोगशालाओंकी आवश्यकता होती है, जिनको हम वर्तमान अनिश्चित और आरम्भिक अवस्थामें बनानेमें समर्थ नहीं हैं।

[अग्रजोसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९२५

१६०. दक्षिण आफ्रिका

दक्षिण आफ्रिकामें स्थिति स्पष्ट रूपसे विगजती जा रही है और उसका अन्त कहां होगा, यह नहीं कहा जा सकता। सत्ताएव सरकारने दो अलग-अलग विधेयक प्रस्तुत किये हैं, इन विधेयकोंमें 'एशियाइयो' के विरुद्ध भेद-भाव किया गया है और उनको 'रगदार' लोगोंके वर्गमें न रखकर 'वतनी' लोगोंके वर्गमें रखा गया है। जो लोग कभी दक्षिण आफ्रिका नहीं गये हैं, उनके लिए यह समझना कठिन है कि इस भेदभावका अर्थ क्या है। समझनेकी बात यह है कि अधिकांश वतनीलोग त्रिलकुल ही अनपठ हैं। दूसरी ओर 'रगदार' लोग (अर्थात् वे लोग जिनमें थोड़ा-सा भी यूरोपीय खून है) कुल मिलाकर काफी साक्षर लोग हैं। ऐसा लगता है कि नई सरकारकी नीति, जिसके कर्णधार जनरल स्मट्स और हट्टेजोग हैं, 'एशियाइयो'को और भी अधिक दवानेकी और 'रगदार' लोगोंका दर्जा ऊंचा करनेकी है।

एक और विधेयक भी बनाया जानेवाला है। इसके अनुसार दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकता केवल उन विशुद्ध गोरे लोगोंतक ही सीमित रहेगी जो दक्षिण आफ्रिकामें पैदा हुए हैं और वही पले-पुसे हैं। जो अंग्रेज इंग्लैंडसे सीधा आयेगा वह इंग्लैंडमें जन्म लेने और वहांका मूल निवासी होनेके आधार पर दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकताका अधिकार नहीं मांग सकेगा। उसको दक्षिण आफ्रिकाकी नागरिकता प्राप्त करनेके लिए प्रमाणपत्र लेने पड़ेंगे। दक्षिण आफ्रिकाके प्रमुख समाचारपत्रोंका यह कहना है कि मजदूर दल (जो अंग्रेज मजदूरोंके मतोंपर निर्भर है) और राष्ट्रवादी दल (जो मुख्यतः डचोंके मतोंपर निर्भर है) के बीच इस मान्यताके आधारपर समझौता हो गया है कि राष्ट्रवादी एक जवर्दस्त एशियाई-विरोधी मजदूर नीतिका समर्थन करेंगे वशतः कि मजदूर दलके सदस्य उनकी जवर्दस्त "वर्गर" (नागरिकता सम्बन्धी) नीतिका समर्थन करनेको तैयार हों।

इसके अतिरिक्त हमें यह खबर भी मिली है कि पृथक्करण सम्बन्धी एक नये विधेयकका मसविदा जो पिछले 'वर्गक्षेत्र विधेयक'से भी ज्यादा कड़ा होगा, तैयार किया जा रहा है। पाठकोंको स्मरण होगा कि नेटालके जिस नगरपालिका मताधिकार अधिनियमसे भविष्यमें भारतीयोंको नगरपालिका मताधिकारसे वंचित रखा गया है, वह अधिनियम अब पारित हो गया है और उसपर गवर्नर जनरलने स्वीकृति दे दी है। यदि जातिभेद मूलक पृथक्करण अधिनियम भी पारित कर दिया गया तो यह जानना कठिन है कि हमारे

उन निहित अधिकारों से क्या रह जायेगा जिनका १९१४के स्मट्स-गांधी समझौतेके अनुसार पूरी तौरपर पालन होना था।

ट्रान्सवालमें सभी भारतीय व्यवसायोंका बहिष्कार और उनके विग्न धरना देना फिर आरम्भ कर दिया गया है। इस बार जबकि वातावरण बहुत उत्तेजनापूर्ण है, यह कुछ-कुछ सफल भी हो गया है। नेटालमें 'भरती करने-वाले' सरकारी कर्मचारियोंके द्वारा भारतीयोंको स्वदेश वापस भेजनेका काम अब भी चल रहा है। मद्रासमें जो लोग लौटे हैं, उनसे खुद मंने पूछताछ की है। उन्होंने मुझे बताया है कि उनको भारतमें धन्धा नहीं मिल सका है। इसलिए बड़े अर्थसंकट और अनेक कष्टोंको सहन करनेके वाद ये लोग मलायाके प्रवासी-डिपोमें जाकर इस बातकी अनुमति मांग रहे हैं कि उन्हें भारतसे बाहर संयुक्त मलाया राज्यके रवर बागानोंमें भेज दिया जाये। निःसन्देह दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थिति इतनी गई बीती हो गई है कि वहाँ साहसीसे-साहसी भारतीयका भी हौसला पस्त हो गया है और उसे अपना भविष्य अन्धकारमय देख रहा है। लेकिन एक ऐसी बात भी है जिससे कुछ राहत मिलती है। उसकी झलक हमें भारत पहुँच रही है हर नई खबरसे लगातार मिल रही है। वहाँ हिन्दू-मुसलमानोंकी कोई समस्या नहीं है। इस समान सकटमें सब भारतीय एक हैं। वे मन और प्राणसे एक हैं और वे एक ही देशको अपनी जन्मभूमि मानते हैं।^१

दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिके उपरोक्त निराशाजनक व्यौरेको ध्यानमें रखते हुए इन स्तम्भोंमें गत सप्ताह जनरल स्मट्सका जो कथन^२ उद्धृत किया गया था, वह और भी दिलचस्प हो जाता है। श्री एन्ड्रयूजने जिस धरनेका उल्लेख किया है, वह प्रच्छन्न दवावके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब १९२१ में सब तरहकी सावधानी बरतनेपर भी धरना भारतमें शान्तिपूर्ण नहीं रहा, तब दक्षिण आफ्रिकामें वह शान्तिपूर्ण कैसे रह सकता है, इस बातको वे लोग ही समझ सकते हैं जो वहाँके गोरे लोगोंके स्वभावसे परिचित हैं।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९२५

१ यह लेख श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज द्वारा लिखा गया था।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", ५३-१९२५ के अन्तर्गत उपशीर्षक "दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबन्ध"।

१६१. स्वदेशी और राष्ट्रीयता

नीचे दिया गया पाठ बहुत दिनोंसे मेरे कागजोंमें रखा हुआ था

नि मन्देह आपने एम० रोमा रोला द्वारा रचित 'महात्मा गांधी' नामक पुस्तक पढ़ी ही होगी। उसके पृष्ठ १७६^१ पर लिखा है, "यह राष्ट्रीयताकी अत्यन्त सफुचित और विदुद्धतम विजय नहीं तो और क्या है? घरके अन्दर बने रहो, सब दरवाजे बन्द कर लो, किसी चीजमें परिवर्तन न करो, हर बात-पर जहाँके-तहाँपर चिपके रहो। किसी वस्तुका निर्यात न करो, किसी वस्तुका आयात न करो, देह और आत्माको शुद्ध और उन्नत बनाते रहो।" निश्चय ही यह मध्ययुगीन साधुओंकी ही सीख है। और उदारचेता गांधी इस पुस्तकके साथ अपना नाम जुड़ने देते हैं। (द० बा० कालेलकरके 'स्वदेशी धर्म'की भूमिकाके तीरपर), चूँकि यह वचन आपके एक बड़े प्रशंसकके लिखे हुए हैं, इसलिए इसके सम्बन्धमें आपको उत्तर देना चाहिए। य० इ० के २७ नवम्बरके अकमें एन्ड्र्यूज साहबके "राष्ट्रवादके सम्बन्धमें सचाई" नामक लेखके^२ नीचे आपको एक टिप्पणी इस आशयकी प्रकाशित हुई है कि भारतकी स्वदेशी भावना अशुद्ध या जातिद्वेष-मूलक नहीं बन सकती। क्या आप किसी अगले अकमें इस आशयको और स्पष्ट करके इस अद्भुत पुस्तकके लेखक और उसके असह्य पाठको-की आशका दूर करनेकी कृपा करेंगे?

* नहातक श्री कालेलकरकी पुस्तिकाका सवाल है, स्थिति इस तरह है। वह गुजराती पुस्तिकाका अंग्रेजी अनुवाद है। मैंने प्रस्तावना मूल पुस्तकके लिए लिखी थी। श्री कालेलकर मेरे आदरणीय साथी हैं। इसलिए मैंने पुस्तकको गौरसे देखे बिना ही पाच छ मतरे प्रस्तावनाके तीरपर गुजरातीमें लिख दी। मैंने उसके कुछ वाक्य इधर-उधरमें देव लिये थे। मैं स्वदेशी-सम्बन्धी उनके विचारोंको जानता था। इस कारण मुझे उनके साथ एकमत होनेमें कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन एन्ड्र्यूजके कहने पर मैंने अंग्रेजी अनुवादको पढा और मैं मानता हूँ कि उसमें कहीं-कहीं सकीर्णता आ गई है। मैंने श्री कालेलकरसे भी उमकी चर्चा की और वे भी इस बातको मानते हैं कि अनुवादमें सकीर्णता दिखाई देती है, पर उसके लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं। जहाँतक मेरे विचारोंकी बात है मेरे 'यग इडिया'के लेख इस बातको अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि मेरी स्वदेशी, और इस कारण श्री कालेलकरकी स्वदेशी वैसी सकुचित नहीं है जैसा कि उस पुस्तिकाको पढ़नेसे लगता है।

यह तो हुआ पुस्तिकाके बारेमें।

१ पक्ष पृष्ठ सख्या ११५ होनी चाहिए।

२ दुय अघाउट नेशनलिज्म।

मेरी स्वदेशीकी व्याख्या सभी लोग जानते हैं। मैं अपने नजदीकी पड़ोसीकी हानि करके दूरवर्ती पड़ोसीकी सेवा नहीं करूँगा। इसमें प्रतिशोध या दण्डकी बात जरा भी नहीं है। वह सकुचित किसी भी अर्थमें नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी उन्नति या विकामके लिए जिन-जिन चीजोंकी जरूरत पड़ती है वे सब मैं दुनियाके हर हिस्सेमें खरीदता हूँ। किन्तु मैं किसीसे भी कोई ऐसी चीज लेनेसे इनकार करता हूँ—फिर वह कितनी ही नफीस और खूबसूरत क्यों न हो—अगर वह मेरी या उन लोगोंकी उन्नतिमें, जिनकी सार-सभाल करना कुदरतने मेरा पहला फर्ज बताया है, बाधा डालती हो या नुकसान पहुँचाती हो। मैं उपयोगी और स्वस्थ माहित्य ममारके प्रत्येक भागसे खरीदता हूँ। मैं शल्यचिकित्साके औजार इंग्लैंडमें, पित और पेन्सिले आस्ट्रियामें और घड़ियाँ स्विट्जरलैंडसे मँगाता हूँ। पर मैं उम्दामे-उम्दा एक डच कपडा भी इंग्लैंडमें, जापानमें या दुनियाके ओर किसी हिस्सेसे न खरीदूँगा—क्योंकि उममें भारतके लाखों लोगोंको हानि पहुँच चुकी है और बराबर पहुँच रही है। भारतके लाखों कगाल और जरूरतमन्द लोगोंके द्वारा कते-बुने कपडोंको न खरीदकर विदेशी कपडेको खरीदना मैं पाप मानता हूँ—फिर भले ही वह भारतके हाथ-कते कपडेसे बढिया क्यों न हो। अतएव मेरी स्वदेशीका मध्यविन्दु प्रधानत हाथकती खादी है और उमकी परिधिमें वे सब चीजे आ जाती हैं जो हिन्दुस्तानमें बनती हैं या बनाई जा सकती हैं। मेरी राष्ट्रीयता वहीतक है जहाँ मेरी स्वदेशी भावनाको आँच नहीं आती। भारतके उत्थानकी कामनाके पीछे मेरी यह कामना निहित है कि सारे ससारको लाभ हो। मैं यह नहीं चाहता कि भारत दूसरे राष्ट्रोंका विनाश करता हुआ प्रगति करे। यदि भारतवर्ष सशक्त और समर्थ होगा तो वह दुनियाको अपनी कलात्मक वस्तुएँ और स्वास्थ्यप्रद मसाले भेजता रहेगा और अफीम या नशीली चीजे भेजनेसे इनकार करेगा—भले ही उनके व्यापारसे उसको बहुत बड़े आर्थिक लाभ होनेकी सम्भावना क्यों न हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९२५

१६२. सन्तति नियमन

निहायत झिझक और अनिच्छाके साथ मैं इस विषयमें कुछ लिखनेको प्रवृत्त हुआ हूँ। जबसे मैं भारतवर्ष लौटा हूँ तभीसे पत्र-लेखक कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तति नियमनके प्रश्नपर मुझे लिखते रहे हैं। मैं खानगी तौरपर ही अबतक उनको जवाब देता रहा हूँ। किन्तु अभीतक सार्वजनिक रूपसे मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। आजसे कोई पैंतीस साल पहले जब मैं इंग्लैंडमें पढता था तब इस विषयकी ओर मेरा ध्यान गया था। उस समय वहाँ एक समयवादी और एक डाक्टरके बीच बड़े जोरका विवाद छिडा हुआ था। समयवादी कुदरती साधनोंके सिवा किसी दूसरे साधनको माननेके लिए तैयार न था और डाक्टर कृत्रिम साधनोका हामी था। कुछ समयतक कृत्रिम साधनोकी ओर प्रवृत्त होनेके बाद उसी समयसे मैं उनका पक्का विरोधी हो गया।

अब मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी पत्रोमे कृत्रिम साधनोका वर्णन ऐसे भट्टे तथा कुरुचि-पूर्ण ढंगसे और खुले तौरपर किया गया है कि उसे पढकर गिण्टताकी भावनाको आघात पहुँचता है। और मैं यह भी देखता हूँ कि एक लेखकने तो सन्तति-नियमनके लिए कृत्रिम साधनोके समर्थकोकी सूचीमे मेरा नाम सम्मिलित करनेमे सकोच नही किया हे। मुझे एक भी ऐसा मौका याद नही पडता जबकि मैंने कृत्रिम साधनोके उपयोगके पक्षमे कोई बात कही या लिखी हो। मैंने यह भी देखा हे कि दो ओर प्रसिद्ध पुरुषोके नाम इसके समर्थकोमे दिये गये है। उनसे पूछे बिना मुझे उनका नाम प्रकट करनेमे सकोच हो रहा है।

सन्तति-नियमनकी आवश्यकताके वारेमे तो दो मत हो ही नही सकते, परन्तु इसका एक ही उपाय हे आत्म-सयम या ब्रह्मचर्य, जो कि हमारी युगोकी विरासत है। यह रामवाण और सर्वापरि उपाय हे और जो उसका पालन करते है उन्हे लाभ ही लाभ होता हे। डाक्टर लोगोका मानव-जातिपर बडा उपकार होगा, यदि वे सन्तति-नियमनके लिए कृत्रिम साधनोकी शोध करनेकी जगह आत्मसयमके साधनोकी खोज करे। स्त्री-पुरुषके मिलापका हेतु आनन्द भोग नही वल्कि सन्तानोत्पत्ति हे। जब सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा न हो तब सभोग करना अपराध है।

कृत्रिम साधनोकी सलाह देना मानो दुराचारको बढावा देना है। उससे पुरुष और स्त्री उच्छ्र्वल हो जाते है। और इन कृत्रिम साधनोको जो मान्यता दी जा रही है उससे तो उस सयमके बन्धन समाप्त हो जायेगे जो लोकमतके कारण मनुष्य अपनेपर रखता है। कृत्रिम साधनोके अवलम्बनका कुफल होगा पौरुषहीनता और क्लीवता। यह दवा मर्जसे भी ज्यादा बढतर साबित होगी। किये गये कर्मके फलोको भोगनेसे बचनेकी कोशिश करना अनुचित है, अनीतिपूर्ण है। जो शस्त्र जरूरतसे ज्यादा खा लेता है उसके लिए यह अच्छा हे कि उसके पेटमे दर्द हो और फिर उसे लघन करना पडे। रसनाको बशमे न रखकर खूब डटकर खा लेना ओर वादको पाचक दवाइयोका सेवन करके उसके नतीजोसे बचना अहितकर है। विषय-भोगमे रत रहना और फिर अपने इस कृत्यके परिणामोसे बचना इससे भी बुरा हे। प्रकृति बडी कठोर शासिका है। वह इस प्रकारके नियमोल्लघनोका बदला पूरी तरह चुकाती है। नैतिक सयमके द्वारा ही हमे नैतिक फल मिल सकता हे। दूसरे तमाम प्रकारके सयम-साधन अपने हेतुके ही बिनाशक सिद्ध होंगे। कृत्रिम साधनोके समर्थनके मूलमे यह युक्ति या वारणा रहती हे कि भोग-विलास जीवनकी एक आवश्यक चीज हे। इससे बढकर कोई दूसरा भ्रम हो ही नही सकता। अतएव जो लोग सन्तति-नियमनके लिए उत्सुक है, उन्हे चाहिए कि वे प्राचीन लोगोके बताये हुए उचित उपायोकी खोज करे, और इस बातकी कोशिश करे कि उनको किस तरह पुनर्जीवित किया जाये। उनके सामने बुनियादी काम प्रचुर मात्रामे मौजूद है। बाल-विवाह जनसख्याकी वृद्धिमे सहायक होते है। अवाध प्रजननकी बुराईका बहुत-कुछ सम्बन्ध हमारी वर्तमान जीवन-पद्धति है। यदि इन कारणोकी छानबीन की जाये और उनको दूर करनेका उपाय भी किया जाये तो समाज नैतिक दृष्टिसे बहुत ऊँचा उठ जायेगा। परन्तु यदि हमारे इन जल्दबाज और अति उत्साही लोगोने उनकी ओर ध्यान न दिया और यदि कृत्रिम साधनोका

ही दौर-दौरा रहा तो नैतिक अथ पतनके अतिरिक्त कोई दूसरा परिणाम न निकलेगा। जो समाज पहले ही विविध कारणोंसे नि सत्व हो रहा है, इन कृत्रिम साधनोंके प्रयोगसे और भी अधिक नि सत्व हो जायेगा। इसलिए वे ग्रन्थ जो कि विना सोचे-विचारे कृत्रिम साधनोंका प्रचार करते हैं, नये सिरेसे इस विषयका अध्ययन-मनन करे, अपनी हानिकर कृतियोंसे वाज आये और क्या विवाहित और क्या अविवाहित दोनों ही ब्रह्मचर्यको लोकप्रिय बनाये। सन्ततिनियमनका यही उच्च और सच्चा तरीका है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९२५

१६३. टिप्पणियाँ

और सदस्य

पिछले सप्ताहके बाद गुजरातमें प्राप्त आँकड़ों तथा इलाहाबादसे प्राप्त ५० जवाहर-लालके तारसे जो सूचना मिली है उसके अनुसार सदस्योंकी कुल संख्या ७८५१ हो गई है। पिछले सप्ताह यह संख्या ६६४४ थी। पिछले सप्ताहसे इस सप्ताह सिर्फ पाँच सूचोमें वृद्धि दिखाई देती है। इस सप्ताहके अंक मिलाकर अकोका व्यौरा इस प्रकार है

	अ	ब	योग
१. गुजरात	१८४७	८०	१९२७
२. संयुक्त प्रान्त	१२९	२५४	१०९४
	(अवर्गीकृत अंक भी शामिल हैं)		
३. बिहार	४१८	१४६	७३७
	(अवर्गीकृत अंक भी शामिल हैं)		
४. महाराष्ट्र	४८	१२३	१७१
५. सिन्ध	तफसील प्राप्त नहीं		१६८
६. बर्मा	२६	३	२९

बर्मा उन छ प्रान्तोंमें से एक है जिनकी रिपोर्ट पहली मार्चतक नहीं आई थी। अन्य पाँच प्रान्त हैं, तमिलनाड, केरल, दिल्ली, असम और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त। ऊपरके कुल जोड़में इन प्रान्तोंका लेखा शामिल नहीं है।

जैसा कि पिछली रिपोर्टसे लगा था, अधिकांश प्रान्त अपने-अपने जिलोंके अंक इकट्ठा करनेका काम पूरा नहीं कर पाये हैं। उम्मीद है कि पूरे वर्गीकृत अंक अगले सप्ताह तक 'यंग इंडिया'के कार्यालयमें आ जायेंगे। यह सूचना हमें बुधवारकी सुबहसे पहले मिल जानी चाहिए।

सभासदोंकी सूची

पिछले सप्ताह सभासदोंकी जो सूची प्रकाशित की गई थी उसमें ऐसी बहुत-सी बातें नहीं हैं, जो होनी चाहिए थी। छ प्रान्तोंने तो सूची भेजी ही नहीं। जिन्होंने भेजी भी है उनमेंसे बहुतोंने उसका वर्गीकरण ही नहीं किया है। कुछ सप्ताह पहले

के लिए वह पर्याप्त किया था उनके ऐसा जान पड़ता था कि तमने-तम बगल में ही वे सहायकों की दृष्टि से साते सात नामने जायेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि वे वास्तव में भी नहीं थे। यदि अजमेरा चाहे तो एक हजार कातनेवाले मजदूर तैयार कर सकता है। लेकिन उनके ता से कातनेवाले और १५ गूत देने-वाले ही तैयार हो सकते हैं। वे जाना जाता है कि बगल, जान्त्र, तर्नाटक, सिहार और 'सिंह' नाम के चारों ही देशों में, गारागाँव हवा से, और यह किसी अन्य कारणों से ही केवल अजमेरा ही जाते जाते गुजरात में नहीं अधिक है। उनको तैयार करने के लिए जाते हैं और उनके लोग उसे आज तक भूले नहीं हैं।

१,००० रुपये का इनाम

मुझे आशा है कि श्री 'वेदाङ्ग' के 'आमो' पाठों के लिए कई युवक ही तोड़ कर आगे आते हैं। यह देखते ही बहिया उनके जाने गए जान पड़ रहा है। इन प्रतिद्वन्द्वियों के भाव 'वेदाङ्ग' के जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री अम्बालाल 'मामो' के 'आमो' नाम से जाना स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि इन विषयों के समाप्त होने से दिनामें कुछ और भी उत्कृष्ट लेख प्राप्त होंगे।

दिया हुआ सूत परीक्षा

एक दिन मेरी ही पत्नी के पास है कि कुछ सूत कातनेवालों ने अपने काते हुए सूत कातने के लिए दे दिया सूत कि 'गरीब' के अपने 'अम्बालाल' के लिए उसी-सी सूत कातनेवालों के हैं। वे सुनते हैं कि जिन लोगों ने अपना सूत मदस्यनाकी 'वेदाङ्ग' नाम से देना है वे पूर्वार्ध के 'अम्बालाल' के अपने सूत गरीब नकते हैं या नहीं। निश्चय 'आमो' की ही है कि जेग अपने कपड़ों के लिए फुरतके बहन पर्याप्त मात्रा में। 'अम्बालाल' के नाम से जानने वाली नरने अच्छा और गुणम उपाय है। 'अम्बालाल' के नाम से 'अम्बालाल' के मन्त्रियोंको मन्त्र देना कि वे सूत देनेवालोंको अपना सूत गरीबोंके लिए जरूर उल्लाहित कर, पर इसका उनमीमान कर लें कि वे कि उनी सूत अपना फीसके तीसपर जमा तो नहीं करा रहे हैं।

कुछ प्रभावकारी आंकड़े

एक 'अम्बालाल' ने मुझे कुछ आंकड़े यह मित्र करनेके लिए भेजे हैं कि यदि 'अम्बालाल' सुनते और चरना चराने पर 'अम्बालाल' के रूपसे पहननेके लिए राजी किया जा सके तो कपड़ोंके मामलेमें भारतको स्वावलम्बी बनाना कितना आसान है।

१. देशी "टिप्पणियाँ", १९००-१९०५ के अन्तर्गत उपशीर्षक "पुरस्कार-निबंधके सम्बन्ध"।

२. अम्बालालके एक उद्योगपति।

३. वे दाँत नहीं खिंचे गये हैं। उन आंकड़ोंके अनुसार भारतकी ३१ करोड़ २० लाखकी आबादीके लिए प्रति व्यक्ति, भारत आनन्द २० गज कपड़ेके सिमावसे, ६०८ करोड़ गज कपड़ोंकी जरूरत है। तीन करोड़ रुपये और ३५ लाख रुपये चरना पर कपड़ा देशमें ही तैयार किया जा सकता है। १९०० में लगभग २०० करोड़ गज जो कपड़ा विदेशोंसे मंगाया गया था, उसे देशमें ही सिर्फ एक करोड़ रुपये और १० से १५ लाखपर कपड़ोंपर तैयार किया जा सकता था।

सगसारी 'कुरान'में नहीं है।

मैं नीचे डाक्टर मुहम्मद अली, सदर अहमदिया अजुमन उग्रआते उम्कामका भेजा तार वडी खुशीके साथ प्रकाशित कर रहा हूँ

कैसे भी गुनाहके लिए कुरानशरीफमें सगसारीकी इजाजत नहीं है। आपकी टिप्पणीसे इस्लाम और तबीके साथ अन्याय होता है और उससे इस्लामके खिलाफ दुनियामें जवरदस्त गलतफहमी पैदा होनेका अन्देशा है। मुझे यकीन है कि आपने यह राय सोच-विचार कर कायम नहीं की है, बल्कि इसे आपने यो ही लोगोसे सुनकर लिख दिया है। इस विषयपर 'कुरान' के मेरे अग्रेजी तरजुमेको आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जायेगा कि जिन्होंने आपको यह सवर दी है वे गलतीपर हैं। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि आप इसपर विचार करे और इस गलतफहमीको दूर कर दें।

डा० मुहम्मद अली मेरी टीकाको ठीक-ठीक नहीं समझ सके हैं। मैं यह जानता था कि कुछ लोग किन्ही खास हालतोमे 'सगसारी' को मजाको, 'कुरान' में लिखी हुई समझकर, ठीक मानते हैं। मैंने इस बातपर कि 'कुरान' या 'हदीम' में ऐसी सजा लिखी है या नहीं या यह प्रथा बहुत अर्में चली आ रही है, अपनी राय जाहिर नहीं की है, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि यदि 'कुरान' में ऐसी सजा लिखी भी हो, तो भी उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मुझे वडी खुशी है कि डा० मुहम्मद अली मुझे इस बातका यकीन दिलाते हैं कि 'कुरान' में सगसारी के लिए इजाजत नहीं दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि काबुलमें किस आधार-पर उसका समर्थन किया गया और हिन्दुस्तानमें मुसलमानोके एक वर्गने किस आधार-पर उसे ठीक माना। मैं यह भी चाहता हूँ कि सब मुसलमान एक स्वरसे सगसारीकी सजाकी निन्दा करे। यदि ऐसा हो सका तो फिर इस्लामी दुनियामें ऐसी सजाका दुवारा कही भी दिया जाना नामुमकिन हो जायेगा।

एक खत

एक प्रसिद्ध भारतीय सार्वजनिक कार्यकर्त्ताने एक मुविस्थायत अग्रेजको मुलाकातके लिए एक पत्र लिखा था। उस अग्रेजने जो जवाब दिया था वह नीचे दिया जाता है

आपका पत्र मिला। मुझे अफसोस है; मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा। इसका कारण सिर्फ यही है कि मेरी रायमें भारतीय प्रश्नकी आज जो स्थिति है उसको देखते हुए, आपका मुझसे मिलना फायदेमन्द नहीं होगा। मैं भारतीय नेताओके कामो और उनके इरादोको न तो समझ पाता हूँ और न उनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति हो सकती है। आप लोगोको जिस जातिके लोगोसे वास्ता पड़ा है उसके स्वभावको थोड़ा-बहुत तो अवश्य जान लेना चाहिए। ब्रिटिश सरकारने आपको बहुत-कुछ दिया है। न्यायकी भावनासे जो-कुछ आपको दिया गया है क्या उसका आप पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सकते? मुमकिन है

आप मताधिकारकी शक्तको सुव्यवस्थित करके, योग्य लोगोका चुनाव करके और उनमें जो सर्वोत्कृष्ट हैं उनके कार्योंकी समालोचना करके, क्रमश यह नाबित कर सके कि आप नागरिकताकी जबरदस्त और गम्भीर जवाबदेहीका निर्वाह कर सकते हैं और अपने महत्त्वपूर्ण कर्तव्योंका पालन कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि राजनीतिक सामर्थ्यका यह प्रमाण मिलनेपर मेरे समर्थतम देशवासी आपके भावी राजनीतिक विकासकी दिशामें आपका साथ देंगे और आपको उनको सक्रिय संहानुभूति भी प्राप्त होगी। यदि आपका विश्वास अग्रेजी राजनीतिक दलोंके साथ सौदा करनेमें हो तो उसका नतीजा निराशाजनक ही होगा।

मेरी ममतामें नहीं आ रहा है कि लेखककी इस उद्धृतापर अफसोस करें या अपने विचारोंके प्रति उसकी दृष्टताकी मगहना। उमने तो अपने मनमें यह मान ही लिया है कि मुलाक़ान करनेवाले मज्जनमें उसे जानना कुछ भी नहीं है। उसे तो केवल देना ही देना है। ऐंमे अग्रेजको कौन सन्तुष्ट कर सकता है जो अपनेको चारों तरफने बन्द रचना है और यह ममत्तनेमें उनकार करता है कि वहम करनेकी प्रवलने-प्रवृत्त गतिता मम्पादन करने-भरने हम नागरिकताकी गम्भीर जवाबदेही निभानेके जवित्र नहीं हो सकने। ऐंमे अग्रेजको यह कौन ममज्ञायें कि नागरिकताकी जवाबदेही निभानेके लिए पहले आत्म-रक्षा करनेकी ताकतका होना आवश्यक है और वह ताकत वादविवादमें निष्णात होनेकी कला जाननेमें शामिल नहीं हो सकती। उसे यह कौन बतायें कि मुद उमकी जातिने भी अपने देशकी रक्षा करनेकी ताकतको बढ़ा कर ही म्मगज्यकी कला प्राप्त की है और अग्रेजको वहस करनेकी वर्तमान क्षमता स्वराज्य मित्र चुकनेके बाद ही प्राप्त हुई है। इस लेखक और उमके हम-सयालोको यह कौन ममज्ञायें कि हम भारतीय यह नहीं मानते कि न्यायकी भावनासे हमें बहुत-कुछ दिया जा चुका है। वल्कि हम मानते हैं कि हमें जो-कुछ दिया गया है वह बहुत ही कम है और वह भी दिया गया है परिस्थितियोंके दबावके कारण। अन्तमें उनके मनमें यह दान कौन बैठा सकेगा कि हम लोग अग्रेजोंके "राजनीतिक दलोंकी आपसी सोदेवाजी" में नहीं, अपनी तामतपर ही विश्वास रखते हैं। अग्रेजोंका ऐंमा अज्ञान और उनका जानबूझकर जलग रहनेका रवैया बटे ही दु खका विषय है। इस पत्रसे हमें एक सबक भी मिश्रता है। जिन्हें हम जानते नहीं हैं उनके साथ मुलाकात करनेका प्रयत्न करके हमें अपना अपमान नहीं कराना चाहिए। सारी दुनियाके साथ हमारे सम्बन्धोंका क्या रूप होगा, यह हमारे अपने व्यवहारपर निर्भर है।

एक कार्यकर्ताकी कैदकी सजा

मुझे कोचीनमें एक तार मिला है, जिसमें बताया गया है कि श्री कुशर नम्बूद्रीपादको दो महीनेकी सादी कैदकी सजा दी गई है। यह सजा किस कारण दी गई है यह मैं नहीं जानता। श्री नम्बूद्रीपाद एक मजे हुए सैनिक और निष्ठावान् कार्यकर्ता हैं। मैं उनको इस कैदकी सजापर बधाई देता हूँ। मेरी रायमें जो

व्यक्ति सेवा करते हुए और बिना किसी नैतिक अपराधके कैदकी मजा पाता है वह भी देशकी सेवा करता है।

मैं राजनीतिज्ञ ?

एक अंग्रेज मित्रने श्री एन्ड्रयूजको एक पत्र भेजा है जिसे उन्होंने जवाब देनेके लिए मेरे पास भेज दिया है। उनकी समस्या यह है

हाल ही के एक लेखमें श्री गांधीने सवर्णों और अछूतोंके बीच विवाहका विरोध किया है; उसे पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। इस सवालको तो मैं एक कसौटी मानता हूँ। जिस प्रकार मैं उनसे यह नहीं कहूँगा कि वे इस बातका समर्थन करे कि अमुक व्यक्तिको अमुक व्यक्तिसे विवाह करना चाहिए उसी प्रकार मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करूँगा कि वे यह कहें कि इस जाति और उस जातिके बीच विवाह-सम्बन्ध होना चाहिए। परन्तु यह तो निश्चित है कि जहाँ स्त्री-पुरुष समान विचारके होते हैं वहीं उत्तम दाम्पत्य सम्बन्ध पाये जाते हैं और सन्तान उत्तम होती है। क्या भारतमें श्री गांधीका यही लक्ष्य नहीं है? और जिस हदतक वे इस लक्ष्यको प्राप्त करेंगे उसी हदतक क्या भिन्न-भिन्न जातियोंमें अन्तर्विवाह वैसे ही सहज न हो जायेंगे जैसे एफिसस में यहूदियों और यूनानियोंके बीच?

मैं जानता हूँ कि गांधी एक राजनीतिज्ञ है और मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने यह बात लोगोंकी नाराजगीसे बचनेके लिए लिख दी होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होनेपर भी उनके इस वक्तव्यसे उनके प्रधान लक्ष्यको हानि पहुँचे बिना न रहेगी। यदि ब्राह्मण लोग भंगियोंको, मूहज जातिकी बिनापर, बराबरीके अधिकार देनेसे इनकार करे तो केनियाके यूरोपीय किसानोंसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे वहाँ हिन्दुस्तानी दुकानदारोंसे समुचित व्यवहार करेंगे?

मैंने जाति-भेद और अन्तर्विवाहके सम्बन्धमें अपने विचार अनेक बार व्यक्त किये हैं। मेरे नजदीक विवाह पति-पत्नीतककी पारस्परिक सोहार्दकी आवश्यक कसौटी नहीं है, फिर उनकी जातिकी तो बात ही क्या? मैं ऐसे किसी कालकी कल्पना नहीं कर सकता जब कि सारी मनुष्य-जातिका धर्म एक ही हो जायेगा। ऐसी अवस्थामें आम तौरपर धार्मिक भेद रहेंगे ही। लोग अपने अपने-धर्ममें विवाह करेंगे। उसी तरह क्षेत्रीय प्रतिबन्ध भी रहेंगे। जातीय प्रतिबन्ध उसी सिद्धान्तका व्यापक रूप है। यह एक प्रकारकी सामाजिक सुविधा है। किसी अभिजात कुलवाले अंग्रेज व्यक्तिको पुत्र आम तौरपर किसी पसारीकी लडकीसे शादी नहीं करता। आम तौरपर कुलकी बातको सोचकर ही वह ऐसी लडकीमें सगन्ध नहीं करेगा। मैं अस्पृश्यताके खिलाफ इसलिए हूँ कि उसके कारण सेवाका क्षेत्र सकुचित हो जाता है। विवाह कोई सेवा-कार्य नहीं है। वह तो एक ऐसा मुख-साधन है जिसे स्त्री या पुरुष अपने लिए चाहते

है। इसलिए यदि मुख्यता माथी चुननेका क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है या विवाह जीने महत्त्वपूर्ण जीवन परिवर्तनके लिए सोच-समझकर चुनाव किया जाता है तो मुझे उम्मे कोई हानि नहीं दिखाई देती। अगर केनियाका कोई वाशिंग्टन मेरा केनियामे रहना केवल उन्ही विनापर चरदास्त नहीं कर सकता कि मैं अपनी लडकीकी शादी उनके साथ नहीं करता या उमकी लडकीका पाणिग्रहण अपने लडकेके साथ नहीं होने देता, तो मुझे उनके लिए पेटे होगा, पर मजबूर होकर ऐसे अनमेल या अनुपयुक्त रिश्ते करनेके बजाय मैं केनियामे निकाल दिये जानमे अधिक सन्तोष मानूंगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि केनियावासी तो मुझे ऐसी बात मोचने भी न देगा। और यदि मैं ऐसा कोई शर्त पेश भी करता हूँ तो वह मुझे वहाँमे हटाये जानेका एक और कारण बन जायेगा। यद्यपि यह विषय मेरी दृष्टिमे बहुत माफ है और सारी दुनियामे विवाह सम्बन्ध करनेके लिए जानि, वण जादिकी मर्यादाओंका पालन होता है, तथापि सम्भव है कि श्री एन्ड्रयूजके मित्रको मेरे उत्तरमे सन्तोष न हो। पर मैं उम्मे यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैंने किमीकी नाराजगीके ख्यालमे मवालको टाला नहीं है। लेकरने राजनीतिज्ञ मन्त्रालय प्रयोग जिम सयुचित अर्थमे किया है उस अर्थमे मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैंने वही बात लिखी है, जिमे मैं मानता हूँ। मैंने किमी राजनीतिक लाभके लिए मिद्वान्तका नहीं छोडा है। यदि मैं अन्तविवाहपर लगाये हिन्दू धर्मके सयम-विधानको न मानूँ तो जायद मैं उन लोगोंमे अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर लूँगा जिनमे मैं मित्रता-जुठना हूँ। और मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है? मनुष्य-मात्रके साथ समान व्यवहार। और समान व्यवहारका अर्थ है समान सेवा। सेवा करनेके अधिकारमे किमीको वचित नहीं रखा जा सकता। विवाह-सम्बन्धमे गुण-शीलकी समानता होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री किमी लालच वाले पुरुषमे विवाह करनेमे इनकार कर दे तो यह कोई गुनाह न होगा, पर अगर वह उमके लालच वालेके कारण उमकी सेवा करनेके अपने कर्तव्यकी अज्ञानता करेगी तो वह पापकी भागिनी होगी। विवाह अपनी रुचिका विषय है। सेवा एक कर्तव्य है जिममे हम वच नहीं सकते।

एक क्रान्तिकारी

मुझे अदेशा है कि आपकी इस सलाहका पालन करना कि मैं सार्वजनिक जीवनमे हट जाऊँ, आसान नहीं है। ऐसी सलाह देना आसान हो सकता है। मेरा दावा है कि मैं भारतका और उसके माध्यममे सारी मानव-जातिका सेवक हूँ। मैं हमेशा जैसा चाहूँ वैसा नहीं हो सकता। अगर मौसम कभी मेरे अनुकूल रहा है तो मुझे प्रतिकूलताका भी मुकाबला करना चाहिए। जबतक मुझे लगता है कि अभी मेरी जरूरत है तबतक मुझे मैदान नहीं छोडना चाहिए। जब मेरा काम सतम हो जायेगा और मैं एक असमर्थ या थका-हारा सिपाही रह जाऊँगा तब लोग मुझे अलग कर देंगे। तबतक मुझे अपना काम करते रहना है और क्रान्तिकारी हलचलोके विपक्षित अमरको सतम करनेके लिए जो-कुछ भी सम्भव है उसे करना है। उस समय जब कि रोगीको अग्ररका ताजा रस पिलानेकी जरूरत है यदि कोई डाक्टर उसे सखियाकी भस्म खिलाता है तो फिर उसका उद्देश्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो और वह

कितना ही आत्मत्यागी क्यों न हो, वह दूरसे ही नमस्कार कर लेनेके योग्य है। मेरा क्रान्तिकारियोंसे कहना है कि वे अपने हाथों आत्मघात न करें और अनिच्छुक लोगोंको अपने साथ न घसीटें। यूरोपका रास्ता हिन्दुगानका रास्ता नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान कलकत्ता या बम्बईमें नहीं है। हिन्दुस्तान तो अपने मातृ लाभ गांवोंमें बसा हुआ है। यदि क्रान्तिकारियोंकी सख्या बहुत है तो वे उन गांवोंमें फैल जायें और अपने देशकी लासों अन्वेषी झोपड़ियोंमें कुछ उजाला पहुँचायें। अग्रेज अधिकारियों तथा उनके अन्य सहायक लोगोंके खूनके प्यासे बने रहनेकी अपेक्षा ऐसा करना उनकी महत्वाकांक्षा और देश-प्रेमके अधिक अनुरूप होगा। अधिकारियोंको मार डालनेकी अपेक्षा उनके मनोभावको बदलनेकी कोशिश करना कहीं अच्छा है।

हिन्दुओंकी ज्यादाती

एक मुसलमान सवाददाताने, निजी सम्पत्तिपर कथित मस्जिद बनानेके सम्बन्धमें लिखे गये मेरे लेखपर नरम शब्दोंमें मेरी भर्त्सना की है और हिन्दुओंकी कथित ज्यादातियोंके कई उदाहरण दिये हैं किन्तु उनके सम्बन्धमें उमने कोई प्रमाण पेश नहीं किये हैं। अपने एक आरोपके समर्थनमें उसने कुछ तथ्य अवश्य दिये हैं। मैंने उससे कहा है कि वह अपने दूसरे आरोपोंको भी सिद्ध करे। मैंने वचन दिया है कि यदि वे उनके प्रमाण देंगे तो मैं उन्हें पूराका-पूरा छाप दूँगा और मामलेकी पूछताछ भी करूँगा। फिलहाल मैं नीचे उस एक आरोपको देता हूँ जो सवाददाताने सप्रमाण लगाया है

लोहानीके मुसलमान एक पुरानी कच्ची मस्जिदकी जगह एक पक्की मस्जिद बनाना चाहते हैं। वरुशाली हिन्दू मुसलमानोंको अपने इस अधिकारका प्रयोग नहीं करने देते। हमारे ये भाई अपने देशवासियोंके न्याय्य अधिकारोंके विरुद्ध उसी वहिष्कार-अस्त्रका प्रयोग कर रहे हैं जिसका प्रयोग उन्हें विदेशी आक्रमणकारीके विरुद्ध करना सिखाया गया है। वहाँ नमाज और अजान बिल्कुल बन्द है।

यदि लोहानीके हिन्दुओंने, उनपर जो-कुछ करनेका आरोप लगाया गया है वह काम किया है तो निश्चय ही उन्होंने ज्यादाती की है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना कथन प्रकाशनके लिए भेजें और यदि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप ठीक हो तो मेरा उनसे कहना है कि वे अपनी भूल तुरन्त सुधार लें। न्यायकी माँग करने-वालोंको खुद निर्दोष रहना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-३-१९२५

१६४. केनियाके मैदान'

मैं अभी हालमें दिल्ली गया था। वहाँसे लौटकर मुझे लगा कि किसीको जरा भी गलतफहमी न हो, इसलिए मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि केनियाके मैदानोंके जिस क्षेत्रमें भारतीयोंको बसानेके लिए बड़े पैमानेपर सरकारी जमीनों मुफ्त देनेका प्रस्ताव है उस क्षेत्रके सम्बन्धमें जाँच करनेके लिए सरकारी तौरपर भारतसे किसीको भेजे जानेपर मुझे प्रबल आपत्ति है।

पहली बात तो यह है कि ऐसे प्रस्तावको अस्थायी रूपसे भी मानना या उसको माननेके सवालसे उसपर विचार भी करना समस्त भारतीय स्थितिको हास्यास्पद बनाना है, क्योंकि भारतीयोंकी माँग यह नहीं है कि उन्हें किसी दूसरी जगह सरकारी जमीनों मुफ्त दी जायें, उनकी माँग तो यह है कि उनको वचन दिये जानेके बावजूद, केनियाके पहाड़ी प्रदेशोंमें जमीनों खरीदने और बेचनेका जो कानूनी अधिकार अबैध रूपसे उनसे छीन लिया गया है वह उन्हें फिर वापस दे दिया जाये। भारतीय नागरिकताके प्राथमिक अधिकारकी माँग कर रहे हैं। उनकी माँग यही है कि कानूनकी निगाहमें उन्हें दूसरे नागरिकोंके साथ बराबरीका दर्जा दिया जाये। इसलिए यह आसानीसे समझा जा सकता है कि यदि भारतीय केनियाके मैदानोंमें मुफ्त जमीनों पानेके प्रस्तावपर विचाररतक करेंगे तो इससे निश्चित रूपसे यही समझा जायेगा कि उन्होंने अन्यत्र अपने कानूनी अधिकार एकदम छोड़ दिये हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि मैदानोंमें किसी क्षेत्रकी जाँच करनेके लिए किसी भारतीय अधिकारीके भेजे जानेका अर्थ यही होगा कि भारतीयोंने केनियाके पहाड़ी प्रदेशोंमें अपने कानूनी अधिकार बिल्कुल छोड़ दिये हैं।

दूसरी बात यह है कि केनियाके पहाड़ी प्रदेशोंमें गोरोंने वतनियोंकी १२,००० वर्गमील उपजाऊ जमीन तो ले ही ली है, और अब इसके सिवा यदि भारतीय इन मैदानोंके एक बड़े क्षेत्रको अंग्रेजी सैनिक शक्तिकी सहायतासे कब्जेमें ले और वतनियोंको इस नये प्रदेशसे भी वंचित करे तो यह अन्याय होगा। इस तरह भारत पहली बार वह कदम उठायेगा जिसका अर्थ होगा सम्भव दिखनेपर जमीनों हड़पनेकी साम्राज्यवादी नीतिपर अमल करनेके लिए उसका तैयार होना। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि आफ्रिकाके वतनी, जहाँतक उन्हें अपनी बात कहनेका अधिकार है, भारतीयों द्वारा जमीनों हड़पनेकी ऐसी किसी नीतिके विरुद्ध अत्यन्त प्रबल आपत्ति करेंगे। यदि उन्हें अपनी बात कहनेका

अधिकार प्राप्त नहीं है और वे शक्तिहीन हैं तब तो उनके साथ किया गया यह अन्याय और भी बड़ा अन्याय कहलायेगा। यह याद रखना चाहिए कि केनिया कोई निर्जन देश नहीं है; वह ऐसा देश नहीं है जिसमें वहाँके मूलनिवासी न हो। यह एक बड़ा प्रदेश है किन्तु उसमें बहुत थोड़ी जमीन ऐसी है जहाँ सिचाईके लिए भरपूर साधन उपलब्ध हैं और जहाँ पत्ती की जा सकती है। अगर अपने स्वार्थ-साधनके लिए वतनियोको मजदूर बनाकर उनका शोषण न किया गया होता, ऐसा शोषण जिससे वतनियोका दिन-ब-दिन अध पतन हो रहा है, तो वतनी लोगोकी आवादी सारी कृषि योग्य भूमिमें फैल गई होती और उसने उसपर अधिकार कर लिया होता। आज भी इस शोषणके बावजूद वतनी लोगोके लिए 'रक्षित भूमि' बहुत कम पड रही है। इसलिए यदि भारतीय, अंग्रेज और भारतीय सैनिकोकी सगीनोके बलपर उस प्रदेशमें से, जो अब भी वतनियोके लिये खुला है, बड़ा भाग हथिया लेंगे तो यह उनके प्रति घोर अन्याय होगा।

तीसरी बात यह है कि केनिया और युगाण्डामें भारतीय अबाध प्रवासका दावा इसी आधारपर करते हैं कि वे वतनी लोगोकी उन्नतिमें सहायता दे रहे हैं और उनके मार्गमें रुकावटें नहीं डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई दूसरा दावा नहीं है। उनका कहना यह है कि पूर्वी आफ्रिका और भारतके बीच दो हजार सालसे व्यापार चल रहा है। भारतीय पूर्वी आफ्रिकामें बेरोक-टोक आते रहे और वहाँ उनका स्वागत किया गया, क्योंकि वे वहाँ मेल-जोलसे रहनेके लिए गये—लड़नेके लिए नहीं, और क्योंकि भारतीयो और वतनियोके बीच व्यापार और वस्तु-विनिमयका दोनोको फायदा हुआ है। इधरसे पूर्वी आफ्रिकाके लोग भी भारतमें इसी प्रकार अबाध रूपसे जा सके हैं। वहाँ भी इसी कारण उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया गया है। इस प्रकार दोनो ओरसे मुक्त प्रवासको बढ़ावा दिया गया है और वह प्रवास लगातार चलता रहा है। लेकिन यदि दोनोके बीच एक नये ही सम्बन्धकी—विजेताकी भावनासे अधिकार करनेकी—कालतकी जाती है (चाहे उसे कैसा ही शिष्ट रूप क्यो न दिया जाये) तो पूरी स्थिति ही बदल जाती है। भारतीयोका यह दावा कि वे वतनियोका सम्मान करते हैं और उन्हें लाभ पहुँचाते हैं, व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। भारतीय आफ्रिकामें साम्राज्यवादी आक्रमणकारी बन जाते हैं और वे इस मामलेमें यूरोपीयोकी श्रेणीमें आ जाते हैं। यद्यपि वे स्वयं गुलामीकी बेडियोमें जकडे हुये हैं फिर भी दूसरोको गुलाम बनानेके लिए तैयार हैं। वे पीडित और शोषितोके पक्षमें नहीं हैं, बल्कि अन्यायियोके साथी बन जाते हैं और लूटमें हिस्सा लेते हैं। उत्तरदायी भारतीय ऐसे कार्य करेगे और इतने बड़े पैमानपर जैसा कि अब विचार किया जा रहा है, यह बात मैं सोच भी नहीं सकता।

मैं श्री एन्ड्र्यूजके इस विचारका पूरा समर्थन करता हूँ कि भारतीय लोगोको पहाड़ी प्रदेशोमे हटाकर साम तौरसे मैदानोमे बसानेके विचारको मानना हर तरहसे अनुचित होगा, विशेषतया जब इसमे इन मैदानोको बतनी लोगोसे छीननेकी बात हो।

[अग्नेजीमे]

यग इडिया, १२-३-१९२५

१६५. एम० वी० एन० से

मैं अस्पृश्यता और वर्ण या जातिमें बहुत बड़ा अन्तर मानता हूँ। अस्पृश्यताका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उसका समर्थन तर्कसे नहीं किया जा सकता। उसके कारण मनुष्य अपने साथियोंकी सेवा करनेके अधिकारसे वंचित हो जाता है और मुसीबतमें पड़े “जटून” अपने इतर सह मनुष्योंकी सेवा पानेके अधिकारी नहीं रहते। मेरी रायमे वर्ण-व्यवस्थाका आधार वैज्ञानिक है। विवेकसे उसका विरोध नहीं है। यदि इसमे हानिया हैं तो लाभ भी हैं। वर्ण-व्यवस्था किसी ब्राह्मणको अपने शूद्र भाईकी सेवा करनेमे नहीं रोकती। वर्णसे सामाजिक और नैतिक मर्यादा बची रहती है। वर्णके मिथ्यात्वको इससे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मैं उसे चार वर्णतक ही सीमित मानता हूँ। उन्हें और बढ़ानेसे बुराइयाँ आयेगी। मैं वर्णोंका सुधार करना और उनमें सचमुच जो बुराइयाँ आ गई हैं उन्हें दूर करना चाहता हूँ। किन्तु मुझे वर्णोंको ही रक्षित करनेका कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरी दृष्टिमें वहाँ ऊँच-नीचका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो ब्राह्मण यह समझता है कि वह श्रेष्ठ प्राणी है और दूसरे वर्णोंका तिरस्कार करता है, वह ब्राह्मण नहीं है। यदि उसको वर्णोंमे अग्रगण्य स्थान मिलता है तो वह सेवाके अधिकारकी दृष्टिसे है।

[अग्नेजीमे]

यग इडिया, १२-३-१९२५

१६६. आर० एस० एस० आर० से

आपने अपना पता नहीं दिया है। यदि आपके मतसे ‘गीता’ के अन्य अध्यायोंमें हिंसाका समर्थन किया गया है, तो फिर आपने १२ वे अध्यायसे जो श्लोक उद्धृत किये हैं उनसे भी अहिंसाका अधिक समर्थन नहीं होता। लेकिन आपके इस कथनमे कि ‘गीता’मे कहीं भी हिंसाका समर्थन है और उसकी शिक्षा दी गई है, मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरे अध्यायके अन्तके श्लोकको देखिए। यद्यपि उस अध्यायके शुरूके श्लोकोंकी व्याख्या हिंसामूलक की जा सकती है, फिर भी मुझे लगता है कि उस अध्यायके अन्तमें जो श्लोक हैं उनका वैसा अर्थ नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि ‘गीता’ की शाब्दिक व्याख्या करनेसे पाठक विरोधोके जालमे फँस सकता है। जैसा कहा गया है, “शब्द मारक होता है, भाव तारक होता है।”

[अग्नेजीसे]

यग इडिया, १२-३-१९२५

१६७. भेंटके सम्बन्धमें तार

१२ मार्च, १९२५

खेद हे वर्तमान कार्यक्रममें भूतपूर्व महाराजामें^१ मिलनेके लिए दिन निकालना असम्भव^२

[अग्नेजीमे]

हिन्दू, १४-३-१९२५

१६८. भाषण : क्विलोनमें^३

१२ मार्च, १९२५

अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाके पार्षदगण तथा मित्रो,

आपने जो सुन्दर अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया है और उसमें जो भाव व्यक्त किये हैं उनके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह आपको भी मेरे मित्र मौलाना गौकत अलीकी अनुपस्थितिपर दुःख है। आम तौरपर ऐसे सभी दौरोंमें वे मेरे साथ रहते हैं। हुआ यह है कि कुछ विशेष कार्योंमें उलझे होनेके कारण दिल्लीसे उनका हटना सम्भव नहीं है, और फिर इस दौरमें उनका मेरे साथ आना जरूरी भी नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल त्रावणकोरमें मैं एक विशेष काममें आया हुआ हूँ जिसमें उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं है, जितनी कि हम हिन्दुओंकी है।

अस्पृश्यताकी समस्या अपनी सारी बुराइयोंके साथ मलावारमें प्रकट हुई है। मैं स्वीकार करता हूँ कि वाइकोममें सघर्ष शुरू होनेसे पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि अस्पृश्यता किन्हीं विशेष स्थानोंमें प्रवेश कोई अपराध है। त्रावणकोर भारतके उन चन्द भाग्यशाली क्षेत्रोंमें से है जहाँ लगभग सभी लोग शिक्षित हैं। आप लोग एक ऐसे राज्यमें रहते हैं जो प्रगतिशील समझा जाता है, और मेरी रायमें ऐसा समझना ठीक ही है। मैं जानता हूँ कि इस राज्यमें उन लोगोंके लिए बहुत-कुछ किया है, जिन्हें भ्रमवश नीच जातिका कहा जाता है। मैं उन्हें नीच जातिका कहना गलत मानता हूँ, उनके लिए सही शब्द होगा दलित जाति। स्वामी विवेकानन्दने हमें याद दिलाया था कि ऊँची जातिवालोंने ही अपनेमें से कुछ लोगोंको दलित किया था और इस प्रकार स्वयं नीच हो गये थे। आप अपने ही वर्गके मनुष्योंको नीचा

१ सर श्रीराम वर्मा, कोचीनके भूतपूर्व महाराजा।

२ १९-३-१९२५ के हिन्दूके अनुसार गाधीजी १८ मार्चको महाराजासे मिले।

३. यह भाषण क्विलोन नगरपालिका द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें दिया गया था।

करके खुद ऊँचे नहीं बने रह सकते। यह बात अकल्पनीय लगती है कि किसी मनुष्य-के लिए अर्द्ध-सार्वजनिक या सार्वजनिक सडकोका उपयोग करना निषिद्ध कर दिया जाये। जबसे मैंने त्रावणकोरमे कदम रखा है तबसे मैं इस प्रकारके निषेधके पक्षमे जितने तर्क दिये जा सकते हैं, उन सभी तर्कोंको धैर्य और नम्रताके साथ सुनता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ— इसलिए नहीं कि मैं दूसरेकी बात समझनेके लिए तैयार नहीं हूँ बल्कि इसलिए कि कट्टरपन्थी लोगो द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, वह मूलतः गलत है।

मैंने उनके सामने तीन निश्चित प्रस्ताव रखे हैं। इस समय मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप सबसे जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मेरा निवेदन है कि आप मुझे तथा इस अनुष्ठानको अपनी सक्रिय सहानुभूति और सहयोग प्रदान करें। (हर्षध्वनि) हिन्दू धर्ममे जो बुराई घुम गई है, यदि आप उसे हृदयमे स्वीकार करते हैं तो मैं इस नगरके प्रत्येक स्त्री और पुरुषमे सहयोग और सहानुभूति देनेका अनुरोध करूँगा। कृपया याद रखे कि इस समय दुनियाके सभी धर्ममे अव्यवस्था और गडबडी फैली हुई है। अब वे केवल अपने धर्म-ग्रन्थोके प्रमाणोके सहारे ही नहीं खड़े रह सकते। उन्हें अब तर्क और बुद्धिकी कडीसे-कडी परीक्षा पास करनी होगी। मैं सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, फिर भी मैंने जो बात कई मौकोपर पहले कही है उसे फिर दोहरानेमे मुझे हिचक नहीं है, और वह यह है कि यदि 'वेदो' या 'पुराणो' मे मुझे ऐसी चीजे दिखाई पडे जो बुद्धिकी कसीटीपर खरी न उतरे तो उन्हें अस्वीकार करनेमे मैं कोई आगा-पीछा नहीं करूँगा। लेकिन अपने सीमित समय और सीमित ज्ञानके अनुसार मैं स्वयं जितनी खोज कर सका हूँ, और भारतके बड़े-से-बड़े विद्वान् शास्त्रियोसे मुझे जितनी कुछ सहायता मिली है, उसके आधारपर मेरी यह दृढ धारणा बन गई है कि इस समय भारतमे अनुपगम्यता अथवा अस्पृश्यता जिस रूपमे प्रचलित है, उनके लिए शास्त्रोमे कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। यह देश ज्ञानका भण्डार है और यदि आप मेरे कथनका खण्डन करना चाहते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरी सहायता कीजिए और मुझे वे श्लोक दिखाइये जो आपकी रायमे कट्टरपन्थियोके मतका समर्थन करते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि यदि आप समय रहते नहीं चेते—यह बात मैं यहाँ उपस्थित हिन्दू श्रोताओमे कह रहा हूँ— तो हमारे धर्मके सर्वनाशका भय है।

इम सुधारके वारेमे मुझसे धीरज रखनेको कहा जाता है। मैं अनुभवसे जानता हूँ कि धीरज एक गुण है। मैंने पिछले ४० वर्षोसे अपने विनम्र ढगसे बहुत प्रयास-पूर्वक इस गुणको अपने भीतर पैदा किया है, लेकिन मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं हिन्दू धर्मको कलकित करनेवाले इस अभिशापके प्रति धीरज नहीं रख सकता। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इस अभिशापके प्रति अवैर्यको एक गुण समझे। मेरे शब्दोपर ध्यान दीजिए। मैं कट्टरपन्थियोके प्रति अवैर्यको बरतनेको नहीं कहता, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रति अधीरता बरते। देशको इस अभिशापसे जबतक मुक्त न कर ले, चैनसे न बैठे। अगर आप हलचल करे और अपनी रायको जोरदार ढगसे व्यक्त करे तो अन्धी कट्टरताका विरोध छिन्न-भिन्न हो जायेगा।

सत्याग्रह अपनी रायकी जोरदार अभिव्यक्तिके सिवा कुछ नहीं है। और जरूरत बातोपर जोर देनेकी नहीं है, कार्योपर जोर देनेकी है, और कार्योपर जोर देनेका मतलब है स्वयं कष्ट सहन करना। मैं चाहता हूँ कि आप इस कसीटीपर वाइकोममे चल रहे सवर्षको जाँचे और यदि आपको वहाँ सत्याग्रहियोंमें हिंसाका लेश भी नजर आये तो आप उनकी कटुतम शब्दोंमें निन्दा करे। किन्तु यदि आप पाये कि वाइकोमकी कट्टरपन्थी विचारधाराकी अवहेलना करनेवाले वे लोग ईमानदार हैं और वे कष्टोंको सत्याग्रहियोंकी भाँति सहन कर रहे हैं, यदि आप देखे कि इन लोगोंके बारेमें मैं जो-कुछ आपको बता रहा हूँ वह सच है, तो मैं आपमें उनका समर्थन करनेका अनुरोध करता हूँ।

सत्याग्रहने अब एक चिरन्तन शक्तिका रूप ले लिया है। सत्सारीकी कोई भी शक्ति उसका विनाश नहीं कर सकती। सत्याग्रह एक अमूल्य निधि है। वह सत्याग्रही और जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाये, दोनोंका ही कल्याण करता है। इससे किसीको डरनेकी जरूरत नहीं है और मैं चाहूँगा कि यहाँ रहनेवाले आप शिक्षित लोग सत्याग्रह और उसके समूचे फलाफलका अव्ययन करे, तब आप मुझसे सहमत होंगे कि सत्याग्रहको यदि ठीकसे समझा जाये और ठीकसे प्रयोगसे लाया जाये तो यह एक लाजवाब तरीका है।

त्रावणकोरके दीवानके मानपत्रमें चरखेका उल्लेख देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। आप लोगोंने अपनी विधान सभामें एक प्रस्ताव पास किया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्कूलोंमें चरखेको अपनानेकी सिफारिश की गई है। मैं विधान सभाको इस प्रस्तावके लिए वधाई देता हूँ, लेकिन त्रावणकोरके नगरो और कस्बोंकी यात्रा कर चुकनेके बाद मुझे अब आपसे यह कहना ही पडेगा कि आपके स्कूलोंमें चरखेकी योजनाकी सफलताके बारेमें मुझे शक है। अगर मुझे ठीक याद है तो दीवान महोदयने एक कुशल कतैयेके लिए विज्ञापन निकलवाया है। मुझे त्रावणकोरमें एक भी कुशल कतैया मिलनेमें शक है। और अगर आपके पास पर्याप्त सख्यामें कुशल कतैये नहीं हैं तो मैं नहीं जानता कि आप अपने स्कूलोंके लिए कताई-शिक्षक कहाँसे लायेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जब आपने प्रस्ताव पास कर दिया है तो उसे अब सफल बनाइए। आप विश्वास करे कि यदि भारतकी दिनोदिन बढ़ती गरीबीकी समस्याको कोई चीज हल कर सकती है तो वह केवल चरखा ही है। समूचे भारतके कृषक वर्गके लिए किसी एक सहायक धन्वेकी जरूरत है। ऐसा सहायक धन्वा केवल चरखेसे ही मिल सकता है। यह कोई नई चीज नहीं है। आजसे सिर्फ सौ साल पहले भारतकी हर कुटियामें चरखा रहता था। चरखेको उसका पुराना स्थान देते ही आप देखेंगे कि आपने गरीबीकी समस्या हल कर ली है।

मेरे मनमें त्रावणकोरकी स्त्रियोंके प्रति ममता उत्पन्न हो गई है। उन्हें तन ढँकनेके लिए उतने लम्बे वस्त्रकी जरूरत नहीं पडती जितनी तमिलनाडुकी स्त्रियोंको पडती है। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि त्रावणकोरकी स्त्रियाँ अपना तन ढाँक लेनेमें ही पर्याप्त श्रृंगार मानती हैं। उनका श्वेत परिधान मुझे बहुत प्रिय जान पडता है। मुझे आशा और विश्वास है कि यह श्वेत परिधान उनकी आन्तरिक पवित्रताका

घोतक और प्रतीक है (हर्षध्वनि) लेकिन मुझे यह देखकर दुःख हुआ है कि वे मैनेस्टर-का, और वहाँका नहीं तो अहमदाबादका ही बना वस्त्र पहनती है। मेरा अनुरोध है कि वे असमकी अपनी वहनोका अनुकरण करे। असमकी हर स्त्री बुनना जानती है, और असमके लगभग सभी घरोंमें हाथकरघा होता है। मैं हर स्त्री-पुरुषसे हाथकता और हाथ-बुना सट्टर पहननेका अनुरोध करता हूँ। ऐसा करनेसे आपका देशके गरीबसे-गरीब व्यक्तिके साथ सीधा सम्पर्क होगा और यदि आप मेरी नम्र सलाहको कृपापूर्वक मान लेंगे तो आप देखेंगे कि यह देश फिरसे समृद्ध हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १४-३-१९२५

१६९. भाषण : वर्कलामे^१

१३ मार्च, १९२५

आपने कृपापूर्वक जो अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मेरे मनमें यहाँ आनेकी बहुत इच्छा थी। मैं जानना चाहता था कि वे विभिन्न जातियाँ कौन-सी हैं जिन्हें वाइकोमकी उन सड़कोपर जो सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक है, जानेकी मनाही है। इसलिए मेरा यहाँ आना और आप लोगोंके साथ व्यक्तिगत रूपसे मिलना और बातचीत करना स्थितिके अव्ययनमें सहायक हुआ है। घटनाचक्रके अवलोकनसे अब मुझे यह प्रत्यक्ष दीख गया है कि यदि पूज्य स्वामीजी^२ वाइकोम जाकर नाकेबन्दीको लाघनेकी कोशिश करेंगे तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा।

जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजमातासे मिलनेवाला था, और पूज्य स्वामीजीसे भी भेंट करनेवाला था। मैं कल दोनोसे मिला। यह मेरा सीभाग्य है कि मैं इन दोनो महान् व्यक्तियोंसे मिल पाया। मैं आपको बताना सकता हूँ कि जहाँतक राजमाताका व्यक्तिगत रूपसे सम्बन्ध है, उनकी सहानुभूति पूरी तरह न्यायकी माँग करनेवालोंके साथ है। मैं आपको यह भी बतानेकी स्थितिमें हूँ कि उनकी रायमें वाइकोम और अन्य स्थानोंकी सभी सड़के सभी वर्गोंके लिए खुली होनी चाहिए (हर्षध्वनि), लेकिन राज्यकी प्रधान होनेके नाते वे अनुभव करती हैं कि जबतक उनके पीछे जनमतका बल न हो, अर्थात् जबतक त्रावणकोरमें जनमत पूर्णतः वैध, शान्तिपूर्ण और विधानसम्मत ढंगसे संगठित नहीं हो जाता, और जबतक यह मत उतने ही वैध, शान्तिपूर्ण विधानसम्मत रूपमें, फिर वह कितना ही जोरदार क्यों न हो, व्यक्त नहीं किया जाता, तबतक वे उस छूटका आदेश देनेमें असमर्थ हैं, जो माँगी जा रही है। जहाँतक मेरा सवाल है, मैं उनकी बातको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। अब आपका

१ यह एजवाइसों तथा अन्य अस्पृश्यों द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें दिया गया था।

२ स्वामी नारायण गुरु।

और मेरा कर्तव्य है कि हम अन्व कट्टरताके विरोधको समाप्त कर दें। जबतक आप इन विरोधकी दीवारोको तोड़नेमें स्वयं मुख्य भाग नहीं लेंगे तबतक आप मुक्ति और स्वतन्त्रताके आनन्दका अनुभव नहीं करेंगे।

मैं जिन कट्टरपन्थी भाइयोसे मिला, उन्होंने बड़े शुष्क ढंगसे कर्मफलके भोगकी बात कही, और वह ठीक ही है। कर्मके सिद्धान्तका जो भावार्थ मैं देना चाहूँगा वह यह है कि हर व्यक्ति जिसके योग्य होता है वही पाता है, और हमें जो कुछ जन्मसे प्राप्त हुआ है, हम उसके पात्र हैं। हिन्दू धर्म वश-परम्परामें विश्वास करता है, और वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। हिन्दू धर्म तो व्यवहारगत विज्ञान ही है। लेकिन यही विज्ञान, यही हिन्दुत्व हमें कर्मकी गतिको बदलना भी सिखाता है। कर्मकी गति बदली जाती है, पूर्वकृत कर्मोंसे विलकुल विपरीत ढंगके कर्म करनेसे। यदि अपने पूर्वजन्ममें मैं ऐसा कोई काम किया है जो गलत है तो उस पूर्वकर्मके फलको मैं उस पाप कर्मसे विलकुल उलटा कोई पुण्य कार्य करके समाप्त कर सकता हूँ। और जिस प्रकार हमारे लिये विगतकी अपेक्षा इस जन्ममें ज्यादा अच्छे कर्म कर सकना सम्भव है उसी प्रकार इन कट्टरपन्थियोंके लिये सम्भव है कि वे इस जन्ममें बुरेपर-बुरे कर्म ही करते चले जायें और बादमें अपने कर्मोंका कड़वा फल चखें। कर्मका सिद्धान्त किसीके साथ पक्षपात या अन्याय नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप कट्टरपन्थियोंको उन्हींके हालपर छोड़ दीजिए। मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका निर्माता है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने भाग्यके निर्माता आप स्वयं बनें। मैं इन कट्टरपन्थियों और उनकी कट्टरतासे पीड़ित लोगोंके बीच सेतु बननेकी कोशिश कर रहा हूँ, अतएव मेरे लिए जहाँतक सम्भव है मैं आप लोगोंमें से ही एक बननेकी कोशिश कर रहा हूँ। और फिर, जैसा कि आज सुबह मैंने पूज्यपादको भी बताया था, मैं अपनेको भगी कहता हूँ, और भगियोका स्थान दलित वर्गोंमें सबसे नीचा है। मुझे अपनेको भगी कहनेमें लज्जा नहीं है और मैं भगियोसे कहता हूँ कि वे अपने पेशेपर लज्जाका अनुभव न करें। एक ईमानदार भगी तो स्वच्छता रखनेवाला व्यक्ति है। मैं अपनेको बुनकर, कतैया और किसान भी कहता हूँ। कट्टरपन्थी कहते हैं कि दलित वर्गको अपनी जन्मजात बुराईयोंके कारण दलितवर्गमें ही रहना चाहिए। हमारा और आपका यह काम है कि हम और आप दिखा दें कि मनुष्यमें कोई बुराई जन्मजात नहीं है। मनुष्यमें जो-कुछ जन्मजात है वे गुण ही हैं। अपनी सामर्थ्य और सम्भावनाओंकी अनुभूति करते ही मनुष्य देवताके समान बन जाता है और मैं चाहता हूँ कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति जो उसे बनना चाहिए वही बने, न कि वह जैसा है वैसा ही बना रहे।

मुझे आपके बीच इतने सारे शिक्षित लोग, वकील, डाक्टर और अन्य घन्घोंके लोग देखकर खुशी तो होती है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि केवल मेरे सन्तोपके लिए इतना ही काफी नहीं है। पढा-लिखा होना अच्छा तो है, लेकिन यही कुछ नहीं है। अन्तमें जो चीज काम आयेगी वह शब्दज्ञान नहीं बल्कि चरित्रवत्त है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपने अन्दरके सभी अच्छे गुणोंका विकास कीजिए, और आप देखेंगे कि चाहे जितनी दुर्घर्ष शक्तिसे पाला क्यों न पड़े वह शक्ति उस

आन्तरिक बलके आगे नही टिक सकेगी जो आप अपनेमे पैदा कर लेगे। हिन्दुस्तान-भरमे ऐसे लोगोके असख्य उदाहरण है जो दलितवर्गके थे लेकिन जिन्होंने अपनेको कुछ बनाकर दिखाया, यही नही वे बडेसे-बडे ब्राह्मणोसे सम्मानित हुए। मैं चाहता हूँ कि इन विशिष्ट व्यक्तियोने आपसे पहले जो-कुछ कर दिखाया है आप उससे पीछे न रहे। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनेको हिन्दू धर्मके कल्याणका न्यासी समझे। मैं जानता हूँ कि इस समय त्रावणकोरमे ही नही, मारे हिन्दुस्तानके दलितवर्गोमे वेचैनीकी एक लहर दौड रही है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रकार अवीर होना अनुचित है। आप धैर्य खोकर कोई स्थायी सुवार नही कर सकते। अवीर ही होना है तो हमे अन्यायीके विरुद्ध नही, अपने प्रति अवीर होना चाहिए। अग्रेजोका हमारे प्रति जो रवैया है, उसके बारेमे भी मैंने भारतके सामने यही उपाय रखा है, और मैं आपके प्रति कट्टरपन्थियोके रवैयेके खिलाफ भी कोई दूसरा उपाय नही सुझा सकता। वे हममे जो-जो बुराइयाँ गिनाते हैं यदि हम उन सबको समाप्त कर दे तो आप देखेंगे कि रुढिवादिताके पाँवोके नीचेकी जमीन खिसक जायेगी। आप पूछ सकते हैं, और ऐसा पूछना ठीक ही होगा कि एक सार्वजनिक सडकपर प्रवेशके सवालसे गुण और चरित्रका क्या सम्बन्ध है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इस विषयपर जरा गहराईसे विचार करे। कट्टरपन्थियोके दिमागमे कुछ खास-खास सार्वजनिक सडकोके इस्तेमालका सवाल धर्मसे बुरी तरह जुडा हुआ है।

कट्टरपन्थियोने जो स्थिति अपनाई है वह गलत, भ्रान्तिपूर्ण, अनैतिक और पापमय है। लेकिन यह मेरा और आपका दृष्टिकोण है—कट्टरपन्थियोका नही। एक समय था जब हमारे पूर्वज मानव-बलि चढाया करते थे। हम जानते हैं कि यह राक्षसी कृत्य था, अवर्म था, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसा नही मानते थे। उन्हें यह ठीक ही लगता था और उन्होंने इस दुर्गुणको गुण मान रखा था। अगर हम उन्हें आजके मापदण्डसे नापे तो यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। अगर हम उनके साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हमे अपनेको उनकी स्थितिमे रखकर यह देखना होगा कि मानवबलि देनेकी प्रथा समाप्त होनेपर उन्हें कितनी चोट लगी थी। यह बात उनके पिछले कृत्योको न्याय नही ठहराती। यह एक वस्तुस्थिति है कि वे इन कामोको सर्वथा ठीक समझते थे और उनका इसके अतिरिक्त कुछ न समझ सकना ऐसी बात है जो हमारे पूर्वजोके पक्षमे जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप आजके धर्मान्व कट्टरपन्थियोको भी इसी दृष्टिसे देखे। उन्हें अपनी ही बात निर्दोष लगती है, मैं यह बात कट्टर अनुभवसे कह रहा हूँ। मैं यह बात अपने घरेलू-जीवनके अनुभवसे कह रहा हूँ। मैं अपनी प्रिय पत्नीके चारो ओर पूर्वग्रहोकी खडी हुई दीवारको अभीतक हटा नही पाया हूँ, लेकिन मैं उसके प्रति अवीर भी नही होता। उसके प्रति ज्यादासे-ज्यादा लिहाज, ज्यादासे-ज्यादा सौजन्य, और यदि अधिक स्नेह सम्भव हो तो अधिक स्नेहके बलपर उसे अपने विचारोसे सहमत करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। अपने निजी आचरणके प्रति मैं पूरी पूरी कठोरता बरतता हूँ, मुझे जहाँ अपने अन्दर पैठी हुई छोटीसे-छोटी अन्याय भावनाको भी सहन नही करना चाहिए वहाँ मुझे अपनी पत्नीके प्रति उदार होना

चाहिए। आप भी मुझसे किसी दूसरे व्यवहारकी अपेक्षा नहीं करेगे। इसी प्रकार मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप कट्टरपन्थियोंके प्रति अन्यथा भाव नहीं रखेगे। यही सच्चे धर्ममय जीवनका रहस्य है। स्वामीजीने कल मुझसे कहा कि धर्म एक है। मैंने इस विचारका विरोध किया और आज यहाँ भी मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। जबतक अलग-अलग मनुष्य हैं तबतक भिन्न-भिन्न धर्म रहेगे, लेकिन सच्चे धार्मिक जीवनका रहस्य एक-दूसरेके धर्मके प्रति सहिष्णुता बरतनेमें है। कुछ धार्मिक प्रथाओंमें जो चीज हमें बुरी लग सकती है वह उस प्रथाको माननेवालोंको भी बुरी लगे, यह जरूरी नहीं है। मैं वर्तमान मतभेदोंकी तरफसे आँख बन्द नहीं करना चाहता, ऐसा करनेका साहस भी नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो भी उन भेदोंको मिटा नहीं सकता, लेकिन उन भेदोंको जानते हुए, मैं उन लोगोंसे भी प्रेम करूँगा जो मुझसे भिन्न मत रखते हैं। आप इस नियमको सारी दुनियामें देख सकते हैं। हम जिस पेड़की छायामें बैठे हैं, उसकी कोई भी दो पत्तियाँ एक समान नहीं हैं, हालाँकि वे एक ही मूलसे उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार पत्तियाँ आपसमें पूरी तरह हिलमिल कर रहती हैं और कुल मिलाकर सघन वृक्षके रूपमें एक सुन्दर दृश्य प्रस्तुत करती हैं, उसी प्रकार हमारा मानव-समाज अपनी समस्त विभिन्नताओंके साथ देखनेवालोंको एक सुन्दर समष्टिके रूपमें दिखना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब अपनी भिन्नताओंके बावजूद हम एक-दूसरेके प्रति प्रेम रखना और परस्पर सहिष्णुता बरतना शुरू करें। अतः यद्यपि मैं विवेकशून्य कट्टरवादितामें निपट जड़तापूर्ण अज्ञान देखता हूँ, फिर भी उस कट्टरताके प्रति असहिष्णु नहीं बनता, इसीलिए मैंने दुनियाके सामने अहिंसाका सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति इस धरतीपर धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता है और जो इसी जन्ममें इस पृथ्वीपर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे हर रूपमें, हर प्रकारसे और अपने हर कृत्यमें अहिंसक रहना चाहिए। मैं आपसे यहाँ यह कहने आया हूँ कि यदि वाइकोमका यह सत्याग्रह पूरी तरह अहिंसात्मक भावनासे चलाया गया होता और यदि उसे आपसे जो समर्थन मिलना चाहिए वह मिला होता तो लड़ाई कबकी बन्द हो गई होती। मैंने वाइकोमके सत्याग्रहियोंकी तारीफ की है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वे मेरी प्रशंसाके पात्र हैं, लेकिन यह तसवीरका एक ही पहलू है। अगर मैं आपके सामने दूसरा पहलू न रखूँ तो आपके साथ अप्रामाणिकता होगी। लेकिन यह दूसरा पहलू रखते हुए भी अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार मुझे उनकी निन्दा नहीं करनी है। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने जरूर किया है, लेकिन मैं उनसे और आपसे और भी अच्छा काम कर दिखानेको कहता हूँ। उन्होंने किसीपर प्रहार नहीं किया, लेकिन उनके विचार और उनके मनमें हिंसाकी भावना थी। उनसे बातचीतके दौरान भी मैंने यह बात देखी। अस्पृश्यताका विरोध करनेवाले कट्टरपन्थियोंके प्रति उनके मनोमें बड़ी कटुता है। वे उनसे क्रुद्ध हैं और उनकी नीयतपर शक करते हैं। वे सरकारकी नीयतपर भी शक करते हैं। मेरा कहना है कि ये सारी चीजे सत्याग्रहकी मर्यादाके विपरीत हैं। मैं सरकारके वचनपर भरोसा करूँगा। कट्टरपन्थी यदि यह कहते हैं

कि जब मैं उनकी सडकपरसे गुजरता हूँ तो इससे उनकी धार्मिक भावनाको चोट पहुँचती है तो मैं उनकी इस बातका विश्वास करता हूँ, और जिस ईमानदारीका दावा मैं स्वयं करता हूँ उसी ईमानदारीका श्रेय उन्हें देकर मैं उनके सन्देह और उनके विरोधको समाप्त कर देता हूँ। अपनेको उनके आदरका पात्र बनाकर मैं स्थितिको अपने लिए बहुत अनुकूल बना सकता हूँ। और इम प्रकार मैं आशा कर सकता हूँ कि मैं उनके विवेकको जगा सकूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मानसिक रूपसे यही रख अपनाएँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि विचार कर्मकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हमारे कर्म हमारे विचारोकी अधूरी-सी प्रतिष्कृति होते हैं, और किसी कार्यका विश्लेषण करके उसकी जटलक पहुँचनेमें मनोविज्ञानके जानकारोको कोई कठिनाई नहीं होती, और न यह खोज निकालनेमें ही कठिनाई होती है कि अमुक व्यक्ति कितना नेक और वीर है, लेकिन फिर भी कितनी बार वह नीचताके काम कर डालता है।

मेरा उद्देश्य आज इन मुख्य सिद्धान्तोको फिरसे दोहरा देना है कि हमें अपनी मुक्ति मन्त्र प्राप्त करनी चाहिए, हमें स्वावलम्बी बनना चाहिए, हमें डटकर उद्योग करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने जो भी दूसरे काम हो उन्हें आप एक तरफ रख दें और इस सत्याग्रहको सफलताके साथ पूरा करनेके लिए प्रयत्नशील हों। यह सघर्ष आपकी कसौटी है, इसपर पूरा उतरनेका यही तरीका है कि आप इन वीर सत्याग्रहियोंके दलकी जरूरतोको हर माननेमें पूरा करें। आपको इस प्रान्तसे बाहरके, बल्कि ही सके तो बाइकोमके बाहरके किसी आदमीसे या मुझसे पैसा लेनेमें लज्जा आनी चाहिए। आपको सत्याग्रहियोंके लिए पैसेका इन्तजाम तो करना ही चाहिए बल्कि आपको इस अनुष्ठानमें भी पूरी लगनसे लग जाना चाहिए। ध्यान रखें कि सत्याग्रहियोंकी टोलियाँ आती रहें। कुछ थोड़ेसे नौजवान, बहादुर लडके, दिन-प्रतिदिन नाकेबन्दियोंके सामने तेज धूपमें बैठकर सूत कातते रहें, आपको इतने ही में सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इस अनुष्ठानमें हिस्सा लेकर कष्ट सहन करना चाहिए, आपको भी इस कड़ी धूपमें धरना देकर तपश्चर्या करनी चाहिए, और इममें भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि त्याग और बलिदान पवित्र गुण हैं, आपको यह काम पवित्र मनसे करना चाहिए। इसलिए आपका चरित्र सन्देहमें परे होना चाहिए, और आपको सत्यवादी और आत्मसयमी बनना चाहिए। कममें-कम सत्याग्रहके दौरान आपको भोग विलाससे दूर रहना चाहिए, और अपनी आवश्यकताएं न्यूनातिन्यून कर देनी चाहिए। कुछ दिनोंके लिए आपको किसी सासारिक बन्धनमें नहीं पडना चाहिए। आप अपने वुजुर्गोकी आज्ञा लेकर फिर घर-द्वारकी ओर मुँह भी न करें। उनसे कह दें कि एक बार जब आप सत्याग्रहके लिए घरसे निकल पड़े हैं तो जरूरत होनेपर भी वे आपकी सहायताकी अपेक्षा न करें। आप यह सब काम सच्चे मनसे कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपने अपने लिए वह स्थान प्राप्त कर लिया है जिसे दुनियाकी कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। ऐसा विशेष कार्य करनेका सीमाय तो सभीको नहीं मिल सकता, लेकिन अपने समाजमें सामाजिक सुधारका काम सभी कर सकते हैं। आपको अपने बीचसे अस्पृश्यता समाप्त

कर देनी चाहिए। आपके समाजमें अन्य कौन-कौनसे दुर्व्यसन हैं मो मैं नहीं जानता, किन्तु आपको अपने बीचसे अस्पृश्यताको तो दूर ही कर डालना चाहिए। दलित वर्गोंमें जो आपसे नीची जातिवाले हैं, उनके बीच आपको जाना चाहिए, उन्हें अपना मित्र बनाना चाहिए और जैसे वन वैसे उनकी सहायता करनी चाहिए।

कताई और खहरके सन्देशको अपना लीजिए। उसे हृदयगम कीजिये। मैंने पूज्यपाद स्वामीजीसे इस कामको पूरी लगनसे उठानेका आग्रह किया है और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप कताई और बुनाईको अपनाइए और अपने श्रममें तैयार किया गया कपडा पहनिए। मुझे मालूम हुआ है कि बहुत समय नहीं हुआ जब आपमें से हर व्यक्ति, या कमसे-कम आपके समाजकी प्रत्येक स्त्री बहुत अच्छी कताई कर लेती थी। हजारों लोग बुनाईका काम जानते थे। ये दोनों ही गौरवपूर्ण बन्वे हैं। मेरा निश्चित मत है कि कताईमें ही भारतकी आर्थिक मुक्ति निहित है। हाँ, यह जरूर है कि वैयक्तिक स्तरपर कताई लाभदायक बन्वा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तरपर यह अत्यन्त सम्मानपूर्ण और लाभजनक बन्वोमें से है। इसीलिए मैंने कताईको भारतके लिए इस युगका यज्ञ कहा है। मुझे उस समय अपार हर्ष हुआ जब पूज्यपाद स्वामीजीने मुझसे कहा कि वे स्वयं कताई करेंगे (हर्षव्वनि) और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वे अपने गिप्योसे कहेंगे कि बवल खादीके वस्त्र पहनकर ही वे उनके सामने आ सकेंगे, अन्यथा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपमें से सभी शिक्षित लोग कताई करने और खादी पहननेमें गौरव अनुभव करें। मैं आशा करता हूँ कि आप महिलाओके पास जायेंगे और उनसे भी ऐसा ही करनेको कहेंगे। मद्रास प्रान्तमें तमिल बहने जो भारी-भारी साडियाँ पहनती हैं, आप उनकी नकल न कीजिए। आप विविधता और रंगोंके पीछे न पडे। मैं आपकी स्त्रियोंके बवल परिवानपर मुग्ध हूँ। पुरुष या स्त्रीकी जरूरतके लिए कुछ गज कपडा काफी होता है। आप मैचैस्टर या अहमदाबादके बने कपडेपर निर्भर रहते हैं, यह आपके लिए गर्म और अपमानकी बात है, इसमें आपके गौरवकी हानि है। यदि आप इन चीजोंकी ओर ध्यान देंगे, तो राष्ट्रीय अनुष्ठान या वाइकोमके सत्याग्रहमें यही आपका योगदान होगा। वह लडाई लम्बी चलेगी, इसमें डरिए मत। स्वामीजीने कल मुझसे कहा कि हो सकता है कि शायद हम अपने जीवनमें, इस पीढीमें इस दुःखका अन्त न देख सके, और सम्भवत मुझे इस दुःखद स्थितिका अन्त देखनेका मुख अगले जन्मसे पहले न मिले। मैंने आदर-पूर्वक उनसे असहमति प्रकट की। मैं इसका अन्त इसी युगमें और अपने जीवनकालमें ही देखनेकी आशा रखता हूँ, लेकिन बिना आपकी सहायताके नहीं। आप अपनी सामर्थ्य-भर मेरी सहायता करें ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस अन्यायका समय बीत चुका है। आप मर्दकी तरह अपना कर्त्तव्य करें, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं हिन्दू समाजमें से पञ्चम वर्ग समाप्त कर दूँगा। (हर्षव्वनि) ईश्वर स्वामीजीको शक्ति और सकल्प-बल प्रदान करें कि वे आपमें समुचित समझ पैदा कर सकें, और ईश्वर आपको इस पुण्य कार्यको सम्पन्न कर सकनेकी वृद्धि और शक्ति दे।

मैं सार्वजनिक रूपसे पूज्यपाद स्वामीजीको अपने प्रति दिखाई गई असीम कृपा और सत्कारके लिए बन्ववाद देता हूँ। आपने मुझे जो अभिनन्दन-पत्र दिया है और

जिन धर्मोंके साथ मेरी बात सुनी है उनके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद देना है, लेकिन आप मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार यही दे सकते हैं कि आपने जो-कुछ सुना है, उसे आप कर दिया है। (जोरसे हर्षघृति)।

[अप्रेजीने]

हिन्दू, १६-३-१९२५

१७०. भाषण : महाराजा कालेज, त्रिवेन्द्रममें^१

१३ मार्च, १९२५

भाग्यमें जीर जैसा कि मुझे यूरोप और अमेरिकामें प्राप्त होनेवाले पत्रोंसे विदित होता है, भारतके बाहर तो और भी अधिक व्यापक रूपसे यह भ्रममूलक धारणा फैली हुई है कि मैं विज्ञानका विरोधी हूँ, उमराग शत्रु हूँ। इस तरहके आरोपसे अधिक मिथ्या कोई अन्य आरोप हो ही नहीं सकता। यह विलकुल सच है कि जो बात मैं आपसे अभी कहनेवाला हूँ, अगर विज्ञानके साथ वह बात न हो तो मैं उस तरहके विज्ञानका प्रचारक नहीं हूँ। मेरी रायमें अगर हम विज्ञानका उचित उपयोग करें तो विज्ञान हमारे लिए मजबूती बूटी है। किन्तु समारमें अपने भ्रमणके दौरान मैंने विज्ञानका इतना दुरुपयोग होते देखा है कि प्रायः कई बार मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ी हैं या मैंने कही हैं जिनमें लोग सोच सकते हैं कि मैं विज्ञानका विरोधी हूँ। मेरी नज़र रायमें वैज्ञानिक शोधकी भी सीमाएँ हैं और वैज्ञानिक शोधकी जो सीमाएँ मैं मानता हूँ, वे मानवताके विचारमें मानता हूँ। अभी हाल हीमें मैं एक मित्रके साथ विज्ञानके उपयोगोंके बारेमें चर्चा कर रहा था। उस समय मैंने अपने जीवनका एक किस्सा उनको सुनाया। आपको भी सुनाता हूँ। उनसे मैंने कहा कि मेरे जीवनमें एक ऐसा समय भी आया था कि जब मैंने करीब-करीब डाक्टरों पढ़नेका निश्चय कर लिया था। और मैंने उन्हें यह भी बताया कि अगर मैंने डाक्टरों पढ़ी होती तो शायद मैं एक विख्यात चिकित्सक या विख्यात सर्जन, या दोनों ही हो गया होता। कारण मैं वास्तवमें डाक्टरोंकी उन दोनों शाखाओंका प्रेमी हूँ, और मुझे लगता है कि मैं डाक्टरके रूपमें बहुत सेवा कर सकता था। लेकिन जब मेरे एक डाक्टर दोस्तने बताया — और वह एक अच्छे डाक्टर थे — कि मुझे चीर-फाट करनी पड़ेगी, तब मेरा मन घुमाने भर गया और उस तरफमें विलकुल हट गया।

शायद आपमें से कुछ लोग मेरी इस बातपर हैंसें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसपर आप हँसे नहीं बल्कि ध्यानसे विचार करें। मुझे लगता है कि हम पृथ्वीपर इसलिए जन्मे हैं कि हम अपने स्रष्टाकी आराधना करें, अपनेको पहचानें, दूसरे शब्दोंमें आत्मानुभूति करें और इस तरह अपने प्रारब्धको जानें। मेरी

१ यह भाषण महाराजा कालेज ऑफ साइंसके विद्यार्थियों द्वारा सेंट किये गये अभिनन्दन पत्रके उत्तरमें दिया गया था।

रायमे चीर-फाड़ हमारे नैतिक उत्थानमे रस्ती-भर भी सहायक नहीं होता। चीर-फाड़से उस व्यक्तिको जिसके शरीरमे कोई कष्ट है, शायद कुछ राहत मिल सकती है। हालाँकि कई डाक्टरोंने मुझे बताया है कि यह बात भी पूर्ण रूपसे सही नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह बात सच्चे दिलसे कहना चाहता हूँ कि मैं शरीरको जीवित रखनेके उपायोपर प्रतिबन्ध लगानेमे विश्वास करता हूँ। शरीरका क्या भरोसा? वह क्षण-भंगुर है। और किसी भी समय छूट जा सकता है। कर्नल मैडॉकके कुशल हाथो द्वारा किये गये उस ऑपरेशनमे तो चगा होकर मैं निकल आया, लेकिन मेरे अच्छे हो जानेके बाद इस बातकी कोई गारंटी नहीं थी कि विजली गिर जानेमे या किसी दुर्घटनामे पडकर मेरी मृत्यु नहीं हो जायेगी। ऐसी स्थितिमे मैं समझता हूँ कि हमे इस बातका पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए उचित क्या है—मयम रखना अथवा कोई बन्धन न मानना।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और विज्ञानके उपयोगोके ऊपर मैं जो सीमाएँ लगाना चाहूँगा, यह तो उसका मैंने केवल एक उदाहरण ही दिया है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा—जैसा कि मैंने भारतके बहुत-मारे छात्रोंसे कहा है, और चूँकि मुझे छात्र-जगतका विश्वास प्राप्त होने और भारत-भरमे हजारों-लाखों छात्रोंके सम्पर्कमे आनेका सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए मैं उनसे कहनेमे सकोच नहीं करूँगा—कि उन्हें जीवनमे कमसे-कम एक चीजके वारेमे निश्चित होना चाहिए, अर्थात् इस वारेमे कि वे इस दुनियामे किसलिए आये हैं। मैं यही विचार पूरी नम्रताके साथ प्रोफेसरों और शिक्षकोंके सामने भी रखता हूँ, और यही कारण है कि मैंने आधुनिक सभ्यताकी—मैं पश्चिमी सभ्यता नहीं कहूँगा, हालाँकि वर्तमान स्थितिमे ये दोनों एक-दूसरेके पर्यायवाची बन गये हैं—भौतिकवादी प्रकृतिके वारेमे और उसके विरुद्ध अक्सर लिखा और कहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत-से छात्र ज्ञानार्जनके लिए विज्ञान नहीं पढते बल्कि विज्ञान पढकर नौकरी मिलेगी, इसलिए पढते हैं। यह बात विज्ञानकी शिक्षा लेनेवाले कालेजोंके छात्रोंके वारेमे ही नहीं, बल्कि सभी कालेजोंके छात्रोंके वारेमे सच है। लेकिन यह देखते हुए कि विज्ञान उन कुछ चीजोंमे से है जिसमे विचार और प्रयोगकी यथार्थतापर आग्रह रखना होता है, मैं आपको जो चेतावनी देना चाहता हूँ वह औरोकी अपेक्षा आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे।

मैं चाहूँगा कि हमारे अपने देशमे जो दो महान् वैज्ञानिक हुए हैं, उन्हें आप सामने रखें। ये दोनों हैं डाक्टर जगदीश चन्द्र बोस तथा डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय। कम-से-कम विज्ञानके छात्रोंके लिए तो ये जाने-माने नाम हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त शिक्षित भारतके लिए ये नाम सुपरिचित हैं। इन दोनोंने 'विज्ञानके लिए विज्ञान' का उद्देश्य निश्चित किया, और हम जानते हैं कि उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि विज्ञान पढकर उन्हें धन या यशके रूपमे क्या मिलेगा। उन्होंने विज्ञानके ही लिए विज्ञानका अध्ययन किया। सर जगदीशचन्द्र बोसने एक बार मुझे बताया था कि विज्ञानके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो। उस सिल-

निश्चये मैंने जब कुछ नहीं कहा था, उसमें बहुत पहले ही उन्होंने अपनी हृदयक विज्ञानती सीमाएँ स्वीकार कर ली थी। मैं उनके ही कथनके आधारपर कह रहा हूँ कि उनकी तमाम वैज्ञानिक योजना उद्देश्य यही रहा है कि उसके सहारे हम अपने लक्ष्यके और निकट पहुँच सकें।

लेकिन भारतमें छात्रोंके नामने एक भारी समस्या है। इस तरहकी शिक्षा या उच्चतर शिक्षा पानेवाले छात्र मध्यवर्गके परिवारमें आते हैं। यह हमारा और हमारे देशका दुर्भाग्य है कि मध्यवर्गके लोग अपने हाथका इस्तेमाल करना लगभग भूल चुके हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई लड़का अपनी आम्नीन चढाकर मडकपर काम करनेवाले विद्वाने मामूली मजदूरकी तरह परिश्रम नहीं कर सकता तो उस लड़केके लिए विज्ञानके गहन्योंको या वैज्ञानिक क्रिया-कलापोंमें प्राप्त होनेवाले आनन्दको समझना असम्भव है।

जब मैं सायनशास्त्र पढ़ता था उस समयकी मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे वह सबके नीचे विषय लगता था (हैमी)। अब मैं जानता हूँ कि यह कितना दिलचस्प विषय है। हाशकि मैं अपने सभी शिक्षकोंका भक्त हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनमें गहरी भेरी नहीं थी, मेरे शिक्षककी थी। उन्होंने मुझसे बड़े-बड़े और निकट लगनेवाले नाम जवानी याद करनेको कहा—जवकि मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उनके मनलप क्या है। विभिन्न बातुएँ भी उन्होंने मुझे कभी नहीं दिखाईं। मुझे वन हर चीज जवानी याद करनी पडी। वे अपने सावधानीमें लिखे गये बड़े-बड़े नोट्स लाते थे और हमारे नामने पढ देते थे। हमें उनको लिख लेना और याद करना होता था। मैंने इसका विरोध किया और उसी एक विषयमें फेल हो गया (हैमी)। और स्थिति यह हुई कि वे तो शायद मैट्रिकुलेशन परीक्षामें बैठनेके लिए मुझे प्रमाणपत्र भी न देते। भाग्यवश मैं उस समय बीमार था, उन्हें मुझपर दया आ गई और उन्होंने प्रमाणपत्र दे दिया। अगर ऐसा न होता तो वे सायनशास्त्रके पत्रोंमें पास न होनेके लिए अपनेको दोष न देकर वास्तवमें मुझे दोष देने और मुझे परीक्षामें बैठनेमें रोक लेते।

अतः प्रोफेसर और शिक्षक—श्रीमान्, मैं आपको और आपकी जातिको इनमें शामिल नहीं करना— भारतीय शिक्षक और प्रोफेसर तथा छात्र सभी एक ही नावपर सवार हैं। विज्ञान मूलतः उन चीजोंमें से है जिसमें जवतक आपको व्यावहारिक ज्ञान न हो और आप उसका व्यावहारिक प्रयोग न करें, केवल सिद्धान्तका कोई महत्त्व नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप लोग किस हृदयक व्यावहारिक प्रयोग करते हैं और उसमें किम हृदयक आनन्द लेते हैं। अगर आप सही भावनासे विज्ञान पढते हैं तो मेरी रायमें हमारे विचार और कामको सटीक बनानेमें इससे अधिक महत्त्वपूर्ण व सहायक और कोई वस्तु नहीं है। जवतक हमारे दिमाग और हमारे हाथ मिलकर सायनशास्त्र नहीं चलेंगे तवतक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे।

दुर्भाग्यवश, हम कालेजोंमें पढनेवाले लोग भूल जाते हैं कि असली भारत गावोंमें है, नगरोंमें नहीं।

भारतमें ७,००,००० गाँव हैं, और उदार शिक्षा प्राप्त करनेवाले आप-जैसे लोगोसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस शिक्षाको, या इस शिक्षाके फलको गाँवोंमें ले जायेंगे। अपने वैज्ञानिक ज्ञानका प्रसार गाँवोंके लोगोमें आप कैसे करेंगे? क्या आप गाँवोंको ध्यानमें रखते हुए विज्ञान पढ रहे हैं, और क्या आप इतने कुशल और व्यावहारिक बन सकेंगे कि इतने शानदार, सामानवाले शानदार कालेजोंमें जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग गाँवोंके लाभके लिए करें?

और अन्तमें मैं एक ऐसे यन्त्रकी बात आपके सामने रखता हूँ जिसपर आप अपने वैज्ञानिक ज्ञानका प्रयोग कर सकते हैं, और वह यन्त्र है मामूली चीज — चरखा। भारतके सात लाख गाँव आज इमी रीधे-सादे यन्त्रके अभावमें दिन-प्रतिदिन विपन्न होते जा रहे हैं। सिर्फ एक सदी पहले भारतके घर-घरमें चरखा था, और उस समय भारत वैसा काहिल देश नहीं था, जैसा कि आज है। तब उसके किसान जो कुल जनसंख्याके ८५ प्रतिशत हैं, सालमें कममें-कम चार महीने बेकार रहनेको मजबूर नहीं थे। यह मैं नहीं बता रहा हूँ, यह मेरी वनाई हुई बात नहीं है। यह एक अर्थशास्त्री श्री हिंगिनवाँटमका^१ कथन है। उन्होंने इधर कर-समितिके सामने वक्तव्य दिया है और उनका कहना है कि भारतकी बढ़ती हुई गरीबी घटनेके वजाय तबतक बढ़ती रहेगी जबतक कि भारतके करोड़ों लोगोके पास कोई सहायक धन्वा नहीं होगा। अब आप अपने वैज्ञानिक साधनोंके सहारे पता चलाइए कि ऐसा कौन-सा सहायक धन्वा हो सकता है जो १,९०० मील लम्बे और १,५०० मील चौड़े घरातलपर फैले हुए ७,००,००० गाँवोंकी ज़रूरतोंको पूरा कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मजबूर होकर इस नतीजेपर पहुँचेंगे कि केवल चरखा ही ऐसा कर सकनेमें समर्थ है।

आज चरखेका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जहाँ-कहीं मैं जाता हूँ चरखेकी माँग करता हूँ और मुझे चरखेके नामपर जो चीज मिलती है वह तो एक खिलौना-भर है। इन खिलौनोंसे मुझे वह सूत नहीं मिल सकता जो आपको अच्छी खादी दे सके। देशमें चरखेकी गूँज सुनाई दे, यह तो आपपर निर्भर है। मैं आपके सामने बगाल कैमिकल वर्क्सके सस्थापक डा० प्रफुल्लचन्द्र रायका सुन्दर उदाहरण रखता हूँ। बगाल कैमिकल वर्क्स एक बढ़ती हुई सस्था है, जिसने सैकड़ों छात्रोंको काम दिया है। डा० राय वैज्ञानिकोंमें भी अग्रगण्य हैं। वे भारतमें गाँववालोंको अपने वैज्ञानिक ज्ञानका लाभ देना चाहते हैं। उन्होंने खुलनाके अकालके समय काम करते हुए चरखेका रहस्य समझा, और आप जानते हैं कि आज वे अपना जीवन केवल चरखेके प्रचारमें लगा रहे हैं और उनके अधीन काम करनेवाले सभी कार्यकर्ता, जो सब वैज्ञानिक हैं, चरखे और चरखेके ज़रूरी उपसाधनोंको अधिकसे-अधिक उन्नत बनानेकी कोशिशमें लगे हुए हैं। यह एक श्रेष्ठ कार्य है। यह वैज्ञानिकोंके योग्य है। ईश्वर करे आपके मनमें भी इसके प्रति उत्साह उत्पन्न हो और वह स्थायी बने। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए धन्यवाद। (हर्षध्वनि)।

१ इलाहाबादके कृषि-संस्थानसे सम्बद्ध।

प्रधानाचार्य महोदयने तव महात्माजीको माला पहनाई और एक सुन्दर गुलदस्ता भेंट किया। महात्माजीने कहा-

मैंने सोचा था कि माला हाथ-कते सूतकी होगी।

फारमें बँठते हुए उन्होंने कहा

अगली बार मैं आप सबको खदर पहने देखना चाहता हूँ, आपके अपने वुने हुए खदरमे।

‘वन्दे मातरम्’ और हर्षध्वनिके बीच महात्माजीने साइस कालेजसे प्रस्थान किया।

[अप्रेजीमे]

हिन्दू, १९-३-१९२५

१७१. भाषण : त्रिवेन्द्रमकी सार्वजनिक सभामे^१

१३ मार्च, १९२५

महात्माजीने सभी अभिनन्दनपत्रोका उत्तर एक साथ देते हुए त्रावणकोरकी राज-माताको तथा दोवान महोदयको सार्वजनिक रूपसे धन्यवाद दिया। महात्माजी उनसे वाइकोम सघर्षके सिलसिलेमें मिले थे और उन्होंने शिवगिरि मठमें स्वामी नारायण गुरुसे भी भेंट की थी। वहाँ उन्होंने कुछ पुलाया बालकोको संस्कृत श्लोकोका पाठ करते सुना था। महात्माजीने कहा कि एजवाहा लोग स्वच्छ हैं और देशकी किसी सर्वश्रेष्ठ जातिसे किसी प्रकार कम नहीं हैं। स्वामीजी वाइकोमकी निषिद्ध सड़कोमें प्रवेश नहीं कर सकते यह देखकर मेरी धार्मिक, मानवीय और राष्ट्रीयताकी भावनाको ठेस लगती है।

वाइकोमके रूढिवादी लोगोके साथ हुई अपनी बातचीतका^२ उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उनके सामने स्वीकृतिके लिए तीन प्रस्ताव रखे। पहला यह था कि वाइकोममें या सम्पूर्ण त्रावणकोरमें केवल सवर्ण हिन्दुओकी मतगणना करा ली जाये जिसे रूढिवादियोके प्रतिनिधियोने स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहा कि जिनके अपने निश्चित विश्वास हैं वे लोग बहुमतका निर्णय माननेके लिए बाध्य नहीं हैं। दूसरा प्रस्ताव मैंने यह रखा कि रूढिवादियोके निश्चित विश्वासोके प्रामाणिक आधार भारतके विद्वान् शास्त्रियोके सामने रखे जायें। इसके जवाबमें कहा गया कि प्रमाणोकी प्रामाणिकता और व्याख्याके बारेमें शास्त्रियोका निर्णय अपने अनुकूल न होनेपर वे उसे अस्वीकार करनेको स्वतन्त्र होंगे। तीसरा प्रस्ताव मैंने यह रखा कि सत्याग्रहियोकी ओरसे मैं एक शास्त्रीको पंच नामजद करूँगा और विरोधी लोग अपना एक पंच

१ त्रावणकोरके नागरिको, केरल हिन्दू सभा, मानवदया सभ, स्थानीय कांग्रेस कमेटी तथा खिलाफत कमेटी और हिन्दीके विद्यार्थियो द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रोके उत्तरमें।

२ खिए “वाइकोमके सवर्ण हिन्दू नेताओके साथ बातचीत”, १०-३-१९२५।

नामजद करे। इन दोनोंके बीच मध्यस्थके पदपर दीवान महोदय रहेंगे। मैंने कहा कि पंच और मध्यस्थका जो निर्णय होगा उसे मैं अपने लिए वाध्यकारी मानूंगा। ये तीनों प्रस्ताव अब भी कायम हैं। सवर्ण हिन्दुओं और समस्त हिन्दू समाजसे मेरा अनुरोध है कि वे वाइकोममें कट्टर पन्थियोंके 'पूर्वग्रहको मिटा दें और जनमतके भारी दबावसे इन रास्तोंको अस्पृश्यों और अन्त्यजोंके लिए खुलवा दें। राजमाता और दीवान, दोनोंने मेरे प्रस्तावोंको पसन्द किया और सुधारकोके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की, और दोनोंने वादा किया है कि वे इस समय कोई कानून तो नहीं बनायेंगे लेकिन अन्य सभी तरीकोंसे सुधार-आन्दोलनकी अपनी सामर्थ्य-भर सहायता करेगे। मुझे विश्वास है कि संगठित जनमत कानूनी कदम उठाकर भी सुधारकोकी सहायता करेगा। मैंने राजमातासे मतगणना करानेको कहा है, लेकिन वे वसा कर सके या न कर सके, जनमत संगठित करनेसे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। विवेक-शून्य कट्टरता स्थानीय जन-आलोचनाका तेज नहीं सह सकेगी, वशतें कि यह आलोचना सहानुभूतिपूर्ण, अहिंसक और विनम्र हो। मलाबारमें ६० हजार ब्राह्मणोंके मुकाबिले आठ लाख अन्नाह्वण और १७ लाख अस्पृश्य हैं। उनमें शिक्षाका प्रसार देख कर मुझे खुशी होती है; लेकिन उन्हें सामान्य अधिकारोंसे भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सभामें काफी संख्यामें उपस्थित महिलाओंसे खट्टर पहननेकी अपीलके बाद महात्माजीने अपना भाषण समाप्त किया।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, १४-३-१९२५

१७२. भाषण : अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें'

१४ मार्च, १९२५

अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें महात्माजीने कहा :

त्रावणकोरमें मैंने जो कुछ देखा है, उसके आधारपर मैं, आपके द्वारा त्रावणकोर राजपरिवारके प्रति मानपत्रमें व्यक्त किये गये उदारभावोंका हार्दिक समर्थन कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने अपने साथी मित्रोंको बताया है, त्रावणकोरके राजपरिवारकी सादगीपर मैं मुग्ध हो गया हूँ। मैं भारतके बहुतसे राजाओं और उनके रहन-सहनसे परिचित हूँ। और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने त्रावणकोरके राजघरानेमें इस सादगीसे भरे जीवनको देखनेकी बिल्कुल आशा नहीं की थी। मुझे लगा कि जिस चीजने मुझे इतना विमोहित किया है यदि उसे सार्वजनिक रूपसे व्यक्त न करूँ तो यह अशिष्टता, यहाँतक कि सत्यको छिपाना होगा।

१. यह अभिनन्दन-पत्र त्रिवेन्द्रम नगरपालिका द्वारा दिया गया था।

मोटरसे आते हुए मार्गमें उन्होंने त्रिवेन्द्रमकी दो गन्दी वस्तियाँ देखी थीं, उनका उल्लेख करनेके बाद महात्माजीने कहा कि मेरी रायमें नगरपालिकाका सदस्य अपने पदके योग्य तभी है जब वह अपनेको उन नागरिकोंके स्वास्थ्यका जिम्मेदार माने जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। नगरमें ज्यादातर बीमारियाँ धूल, कूड़ा-कचरा और गन्दी हवासे पैदा होती हैं। उन्होंने तिरुचिनापल्लीका दृष्टान्त दिया जहाँ कावेरी नदीके तटपर ही, जिसका जल लोग पीते हैं, लोग मलमूत्र त्यागने बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि तिरुचिनापल्ली एक बड़ा नगर है लेकिन वहाँके नागरिकों द्वारा जल-व्यवस्थाकी घोर उपेक्षा की जाती है, लेकिन त्रिवेन्द्रममें यहाँकी स्वच्छता और सफाई देखकर मैं दग रह गया हूँ। लोग बड़े नगरोंमें काल कोठरियों-जैसे मकानोंमें रहकर घुटते रहते हैं, जहाँ ताजी हवा भी नहीं मिल सकती। लेकिन मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि समूचे त्रावणकोरमें लोग दूर-दूर बने मकानोंमें रहते हैं। नागरिक जीवन पसन्द होनेके कारण मैंने कई नगर-निगमोंकी गतिविधियोंका अध्ययन किया है, और मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं अपना जीवन नगरपालिकाके काममें नहीं लग सका।

इसके बाद महात्माजीने कहा कि हालाँकि दक्षिण आफ्रिकामें हमारे देशभाई कुछ नियोग्यताओंसे पीड़ित हैं जो मेरी समझमें अस्थायी हैं, लेकिन दक्षिण आफ्रिकामें बहुत अच्छे लोग हैं जो दुनियाके रखको समझते हैं। रगके विषयमें उनके विचार जो भी हों, लेकिन जिस ढंगसे वे अपने नगर-निगमोंका प्रबन्ध करते हैं उससे मैंने बहुत-कुछ सीखा है। उन्होंने गन्दे और असुन्दर स्थानोंको सुरम्य बना दिया है। जोहानिसवर्गको जो पहले एक रेतीला मैदान था उन्होंने एक सुन्दर उद्यानमें बदल दिया और उस नगरको रमणीक बनानेमें बहुत धन खर्च किया। जब जोहानिसवर्गमें प्लेग फैला तब उन्होंने पैसा पानीकी तरह बहाया और २४ घण्टेके अन्दर ही नगरको इस बीमारीसे मुक्त कर दिया। उन्होंने प्लेगसे आक्रान्त सारे क्षेत्रको शेष भागोंसे अलग कर दिया और सफाई इन्स्पेक्टरकी रिपोर्टपर सरकारने एक खूबसूरत वाजारको जला कर राख कर दिया। आनेवाले सकटके उपाय पहलेसे ही सोच रखना और समय रहते तत्परतासे कदम उठाना नगरपालिकाकी मितव्ययिता कही जाती है।

भारत-भरमें नगरपालिकाओंको राजनीतिसे अलग रहना चाहिए। उन्हें अपना सारा ध्यान नागरिकोंके स्वास्थ्य, उनके समुचित आहार और उनकी समुचित शिक्षा-पर लगाना चाहिए। मैं एक क्षणको भी यह नहीं मानता कि नगरपालिकाएँ केवल प्राथमिक शिक्षाकी व्यवस्था ही करे। मेरे विचारसे उन्हें चाहिए कि वे अपनी देख-रेखमें बड़े होनेवाले बच्चोंकी उच्चतम शिक्षाका प्रबन्ध भी करे। दो बड़े नगरनिगमोंके अनुभवसे मेरा यह मत दृढ़ हो गया है कि अपने नगरोंकी सड़कोंकी रोशनी और नगरकी सफाईके इन्तजामके अलावा नगरपालिकाओंके हाथमें पुलिसका प्रबन्ध भी होना चाहिए। गांधीजीने उक्त नगरपालिकाके सदस्योंको अपनी एक बैठकमें सूत

कातनेके पक्षम प्रस्ताव पास करनेके लिए बधाई दी। गांधीजीने कहा कि आप लोग इस सम्बन्धमें सच्चे दिलसे और लगनके साथ कार्य करे।

[अग्रजीसे]

हिन्दू, १६-३-१९२५

१७३. भाषण : लॉ कालेज, त्रिवेन्द्रममें

१४ मार्च, १९२५

फोर्ट हाइस्कूल और महिला मन्दिरमें थोड़ी-थोड़ी देर रुकनेके बाद महात्माजी लॉ कालेज पहुँचे जहाँ कालेजके कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री एम० के० गोविन्द पिल्लैने उनका स्वागत किया। कालेजके छात्रोंकी ओरसे एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया। उसका उत्तर देते हुए महात्माजीने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा, इंग्लैंडकी पहली यात्रा आदिकी चर्चा की और बताया कि किस प्रकार ४० वर्ष पहले उन्होंने उस समय जबकि पहले ही वकीलोंकी भरमार थी, वकालतके पेशेमें पैर रखा था। उन्होंने वकालतका इरादा रखनेवाले छात्रोंको सलाह दी कि उनके लिए तथ्योंकी पूरी जानकारी और मानव-स्वभावकी समझ जरूरी है और जो भी मामला उनके सामने आये उसका पूरा-पूरा अध्ययन करनेके बाद अगर लगे कि मामला न्यायसम्मत है तो वे उसे हाथमें ले, वरना छोड़ दें। वकीलोंकी हैसियतसे उन्हें पैसेके लिए अपनी आत्मा नहीं बेच देनी चाहिए। जब कोई ठीक और सही मामला उनको मिले, तो फिर उन्हें मुवक्किलके मामलेको अपना मामला समझकर पैरवी करनी चाहिए। जो सवालात ठीक लगे उनके आधारपर मुवक्किलकी बातोंमें आये बिना उन्हें सभी तथ्य मालूम कर लेने चाहिए।

गांधीजीने कहा :

आप जानते हैं कि मैंने वकीलो और उनके तरीकोंकी बहुत कड़ी और कटु आलोचना की है। लेकिन अगर मैं ऐसा न कहूँ तो कौन करेगा, क्योंकि मैं वकालतके पेशेकी अच्छाइयो, बुराइयो और पेचीदगियोसे परिचित हूँ। इसीलिए इस पेशेके सम्बन्धमें मेरे मनमें जो-कुछ था उसे मैंने साहसके साथ कहा है।

स्वर्गीय सर फीरोजशाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी वकीलोंकी हैसियतसे सबसे श्रेष्ठ तो नहीं थे, लेकिन राष्ट्रके लिए उनकी सेवाएँ अमूल्य थी। स्वर्गीय मनमोहन घोष गरीबोंके मित्र थे और जब किसी गरीबका मुकदमा उनके हाथमें आता तो वे फीस नहीं लेते थे। बंगालमें नील-बागानोंसे सम्बन्धित उपद्रवोंके समय उन्होंने बहुमूल्य सेवा की।

१ मनमोहन घोषने हिन्दू पैट्रियटमें नील बागानोंके बारेमें लिखकर आन्दोलन खड़ा किया था, जिसके फलस्वरूप एक आयोग नियुक्त किया गया।

श्री घोष-जैसे वकीलोंके जीवनका अध्ययन करनेकी सलाह देते हुए महात्मा गांधीने कहा कि इन महान् वकीलोंने भावी वकीलोंके लिए जो विरासत छोडी है, उससे ही आप सन्तुष्ट न हों, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आगोंकी पीडियाँ उनसे भी ज्यादा अच्छे काम कर दिलावे। उन्हें हर अर्थमें गरीबोंका मित्र बन जाना चाहिए और तभी वे यशस्वतः पेशेका भीचित्य सिद्ध कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आपका लक्ष्य जरूरतसे ज्यादा पंसा या जीवनमें मान कमाना नहीं, बल्कि मातृभूमिकी सेवा करनेके लिए नायबतारी सेवा करना है। आप लोगोंको शगडें बढ़ानेके लिए वकील नहीं बनना है। आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वह आजीविका कमाने-जैसे तुच्छ कामके लिए नहीं होनी चाहिए। बल्कि उमका उपयोग नैतिक उत्थानके उद्देश्यसे होना चाहिए ताकि आप अपने-आपको पहचान सके और समझ सके कि आपके ऊपर आपका निरजनहार बंधा तब-कुछ देना रहा है, वह आपके नेक और बंद सब विचारोंका लेखा रगता है। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उमका उपयोग कठोर आत्मविश्लेषणके लिए है, न कि पंसा कमाने भरके लिए।

अन्तमें महात्माजीने छात्रोंको चरखेका सन्देश दिया और कहा कि आप याद रखें कि न तो कानूनकी किताबोंसे और न मचोंसे दिये गये भाषणों ही से बल्कि केवल चरखेमें आप भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं।

विष्टके दिनकी सांख्यनिक सभामें एकत्र किये गये ५०० रुपये महात्माजीको भेंट किये गये।

[अंग्रेजीमें]

हिन्दू, १६-३-१९२५

१७४. ज्ञानकी शोधमें

१५ मार्च, १९२५

फ्रांसके एक लेखकने एक कहानी लिखी है। उमका शीर्षक 'ज्ञानकी शोधमें' रखा जा सकता है। लेखक कितने ही विद्वानोंको भिन्न-भिन्न देशोंमें ज्ञानकी शोधके लिए भेजता है। शोधकोंका एक दल हिन्दुस्तान आता है और उस दलके सदस्य ब्रह्मजानियों, शास्त्रियों, दरबारियों, उत्यादिके दरवाजे खटखटाते हैं, परन्तु ज्ञान उन्हें कहीं नहीं मिलता। उक्त शोधक-दल ज्ञानका अर्थ ईश्वरकी खोज मानता है। अन्तमें वे एक अन्त्यजके घर पहुँचते हैं। वहाँ वे भक्तिकी पराकाष्ठा देखते हैं। वहाँ उन्हें पहली बार मरलता, मादगी तथा निष्कपटता देखनेको मिलती है। वहाँ उन्हें ईश्वरका साक्षात्कार होता है और वे इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि जो व्यक्ति अनायास ईश्वरमें साक्षात्कार करना चाहता है उसे ईश्वरकी खोज गरीब और तिरस्कृत लोगोंमें करनी चाहिए।

यह वार्ता तो कल्पित है, परन्तु हमारे शास्त्र इसी बातका सादय देते हैं। सुदामाको भगवान् सहजमे मिल गये। और मीराबाई जब रानी नहीं रही तब भगवान्से मिल पाई। दुर्योधन कृष्णके सिरहाने जाकर बैठा तो उमे भगवान्ने केवल अपनी सेना दी। वे सारथि तो हुए पैरोके पास बैठनेवाले अर्जुनके।

ये विचार मेरे मनमे नीचे लिखे पत्रको पढकर उत्पन्न हो रहे हैं '

इस पत्रका लेखक निर्मल-हृदय है। वह ज्ञानकी गोधमे है। पर ज्यो-ज्यो वह ज्ञानको खोजता है त्यो-त्यो उसे ज्ञान दूर भागता हुआ दिखाई देता है। जो चीज बुद्धिके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती उसके लिए वह बुद्धिका प्रयोग कर रहा है। फिर ईश्वरको प्राप्त करनेके लिए वह जो अक्ल लडा रहा है उसका फल देखनेके लिए भी बहुत व्याकुल है। कर्मके फलकी आशा न रखनेका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं बल्कि कर्म तो कोई भी निष्फल नहीं जाता, और ससारकी विचित्र रचना ऐसी रहस्यमयी है कि यही समझमे नहीं आता कि इस वृक्षका तना कौनसा है और शाखा कौनसी। तब फिर अनेक मनुष्योंके अनेक कर्मोंके समुदायके सम्मिलित फलमेसे एक व्यक्तिके कर्मके फलको कौन छांट ले सकता है? और इसका हमें अधिकार भी क्या है? एक राजाके सिपाहीको भी अपने किये कर्मका फल जाननेका अधिकार नहीं होता तो फिर हमें, जो कि इस ससारके सिपाही हैं, अपने कर्मके फलको जानकर क्या करना है? क्या यही ज्ञान काफी नहीं है कि कर्मका फल अवश्य मिलता है?

पर इस लेखकके हृदयमे न तो राम-नाममें और न ईश्वरमे ही श्रद्धा है। उसे मेरी सलाह है कि वह करोडोंके अनुभवपर श्रद्धा रखे। ससार ईश्वरके होनेसे कायम है। राम-नाम ईश्वरका एक नाम है। राम-नाम न रुचे तो वह ईश्वरकी उपासना अपनी मर्जीके किसी दूसरे नामसे कर सकता है। अजामिलका उदाहरण झूठ है, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं। सवाल यह नहीं है कि अजामिल हुआ था या नहीं, बल्कि यह है कि ईश्वरका नाम लेता हुआ वह पार हो गया या नहीं। पीराणिकोने मनुष्य जातिके अनुभवोका जो वर्णन किया है उनकी अवहेलना करना इतिहासकी अवहेलना करना है। मायाके साथ सघर्ष तो चल ही रहा है। अजामिल-जैसोने युद्ध करते हुए नारायण-नामका जप किया है। मीराबाई उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते, गिरिघरका नाम जपती थी। युद्धके बदलेमे राम-नाम नहीं लिया जा सकता बल्कि युद्ध करते हुए उसका जप युद्धको पवित्र बनाता है। राम-नाम लेनेवाला, द्वादश मन्त्र जपनेवाला व्यक्ति मायाके साथ सघर्ष करते हुए नहीं थकता, बल्कि मायाको ही थका देता है। इसीसे कविने गाया है—

'माया मोहित करे सभीको, हरिजनसे वह हारी रे।'^१

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें २५ वर्षीय एक नवयुवकने धर्म सम्बन्धी अपनी कुछ शक़ाएँ व्यक्त की थीं।

२. माया सहुने मोह पमाडे हरिजन थी रहि हारी रे।

राम-रावणता दृष्टान्त तो शास्त्रत है। इसमें सन्तोष न होना अर्थ इतना ही है कि अस्तित्व होनेवाले राम-रावणको ऐतिहासिक पात्र मान लिया है। ऐतिहासिक राम-रावण तो चले गये। परन्तु मायावी रावण आज भी मौजूद है और जिनके हृदयमें रामता निवास है वे रामभात आज भी रावणका सहार कर रहे हैं।

जो बात मृत्युके बाद ही जानी जाती है उनको आज जान लेनेका लोभ रखना कितना जबरदस्त मोह है? यदि पाच भाइयों कोई बालक पचासवें वर्षमें क्या हो जायेगा, यह जाननेका लोभ रखे तो उसकी क्या स्थिति होगी? परन्तु जिम तरह जानी जायक जीवोंके अनुभवमें अपने सम्बन्धमें कुछ अनुमान कर सकता है उसी तरह हम भी जीवोंके अनुभवमें मृत्युके बादकी स्थितिका कुछ अनुमान करके सन्तुष्ट रह सकते हैं।

अथवा मृत्युके बाद क्या होगा, यह जानने में क्या लाभ? क्या इतना जान लेना काफी नहीं है कि मुक्तका फल मोठा और दुःखका कड़ा होता है? सर्वोत्तम दृष्टिको फल मोक्ष है। मैं मोक्षकी यह व्याख्या उक्त पत्र-लेखकको बताना चाहता हूँ।

लेखक महोदय मूर्तिका मूल अर्थ करके भ्रमात्मक उपमाका सहारा लेते हुए मुद्दा ही भुलावेमें पड़ गये हैं। मूर्ति परमेश्वर नहीं है। बल्कि लोग मूर्तिमें परमेश्वरका आरोप करके उसकी आराधनामें तल्लीन होते हैं। हम लकड़ीके मनुष्य बनाकर लकड़ीके उन पुत्रोंमें मनुष्यका काम नहीं ले सकते। लाखों सुपुत्र और सुपुत्रियाँ चित्र बनकर अपने माता-पिताओंकी स्मृति ताजा बनाये रखते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? परमेश्वर सर्वव्यापक है। नर्मदाके एक पत्थरमें भी उसका आरोप करके परमेश्वरकी भक्ति सम्भव है।

अन्तमें, लेखक महोदय यदि यह मानते हो कि देहातमें रहकर चरखेके द्वारा देहानियोंकी सेवा करनेमें उन्हें सन्तोष होगा तो उन्हें देहातमें चले जानेकी तैयारी फौरन करनी चाहिए।

[गुजरातीमें]

नवजीवन, १५-३-१९२५

१७५. 'नवजीवन' के सम्बन्धमें

'नवजीवन' के एक ग्राहकने एक लम्बा शिकायतनामा भेजा है। उसका आशय इस प्रकार है

१ 'नवजीवन' मासिक-पत्रोके ढगका पत्र हो गया है क्योंकि उसमें केवल चरखे और खादीके सम्बन्धमें नीरस और निराशा-भरे लेख रहते हैं।

२. 'नवजीवन' में महादेव मेरे दौरोका दैनिक विवरण लगभग डायरीके रूपमें देते हैं और फिर उसीको लेकर लिखते चले जाते हैं।

३ 'नवजीवन' के परिशिष्टाकमें, जिसके वारेमें यह माना गया है कि वह शिक्षा, सम्बन्धी बातोंके लिए ही है, जो शिक्षा-सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए हैं, उन्हें पढकर निराशा ही होती है और उसमें शिक्षाकी कोई योजना भी नहीं दी गई है।

४ 'नवजीवन' में अन्य लेख तो दिए ही नहीं जाते हैं। यह तो हद ही हो गई।

५ 'नवजीवन' जैसा महंगा साप्ताहिक दुनियामे कदाचित् ही कोई दूसरा होगा। कागजका दाम कम हो जानेपर भी 'नवजीवन' का दाम अभीतक वही बना हुआ है।

इन तर्कोंमें कुछ सत्य है। ग्राहक महोदयका आग्रह है कि मैं इस विषयकी चर्चा 'नवजीवन' में करूँ।

मैं ग्राहकोको 'नवजीवन' का हिस्सेदार मानता हूँ। जबतक वे एक निश्चित सख्यामें 'नवजीवन' खरीदते रहेंगे तबतक मैं उसका प्रकाशन अवश्य करूँगा। मुझे 'नवजीवन' को ग्राहकोके द्वारा भेजे गये वार्षिक चन्देके बलपर ही चलाना है, विज्ञापनोका सहारा लेकर नहीं। इसलिए ग्राहक यदि चाहे तो उसका प्रकाशन बन्द हो जा सकता है।

यह बात विलकुल सच है कि 'नवजीवन' ताजी खबरे छापनेवाला पत्र नहीं, बल्कि इसमें कुछ निश्चित विचारोका प्रतिपादन किया जाता है। फिर वह इन विचारोकी कसौटी भी करता है और यह दो तरीकेसे, एक तो समय-समयपर उनपर बहसको स्थान देकर और दूसरे यह मालूम करके कि उन विचारोका समर्थन करनेवाले लोग कितने हैं।

'नवजीवन' स्वराज्य प्राप्तिके उपायोकी खोज करता है और उन्हें जनताके सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसलिए 'नवजीवन' एक नई वस्तु देता है। दूसरे अख-वार जो देते हैं उसे देनेका प्रयत्न 'नवजीवन' नहीं करता। जिसे दूसरे पत्र नहीं देते उसको 'नवजीवन' निरन्तर देता है। इससे उसकी नवीनता अथवा विशिष्टता बनी रहती है। 'नवजीवन' का दूसरे पत्रोसे स्पर्धा करनेका इरादा नहीं है।

'नवजीवन' में जो रोचकता पहले थी वह आज नहीं है, यह स्पष्ट है। एक समय था जब 'नवजीवन' के लगभग ४०,००० ग्राहक थे, किन्तु आज तो ६,००० ग्राहक

ती — गये। स्वामी आन्दोलन लगा है कि उनका कारण यह है कि मैं आजकल 'नवजीवन' के लिए हम जोर 'रा शक्ति' के लिए अधिक लग्नता हूँ। मैं इस कारणों की माता, क्योंकि उस समय जैसी मौखिक स्थिति 'नवजीवन' की है वैसे ही 'रा शक्ति' की भी है। उनकी राहत मर्यादा अभी ३०,००० थी, किन्तु आज वह भी लगभग 'नवजीवन' के बराबर ही रह गई है।

दिए तो 'नवजीवन' में जोर अधिक लगानेकी बेगी कामना तो है ही। यदि ईश्वरके इच्छा होती तो बेगी यह कामना पूरी होगी और तब स्वामीकी शक्ति दूर हो जायेगी।

परंतु यह है कि मैं उन समय योगके सम्मुख जिन चीजों का रहा हूँ उनमें उतरी स्थिति प्रकृति उत्प्रेक्षा या जोर नहीं मिलता। फिर स्वराज्य जल्दी मिलेगी जगत् की है। 'नवजीवन' में स्वराज्य प्राप्त करनेके नये-नये साधन प्रस्तुत की गिये जाते। प्रस्तुत यह उतरी उपायोंके नये जगत् योगके सम्मुख रगनेका प्रयत्न करता है। 'नवजीवन' का हम उनकी उन नीरसतामें ही है। यह तो स्वराज्यका शोक है क्योंकि विनाश करने और जगत् प्रकारके अन्य साधनोंमें विश्वास है, वे ही 'नवजीवन' कीरते हैं। मुझे एतनेमें ही मन्तोप है। जयतक एक निश्चित साधने राहतको उनके मन्तोप मिश्रता रहेगा यह पत्र चल्ता रहेगा।

जो लोग चलेते स्वराज्य प्राप्तिका एक मूल साधन मानते हैं और जो उसे मातृकी तीव्रता दूर करनेके लिए समर्पण मानते हैं, वे 'नवजीवन' में नहीं लगे। जिनमें धर्म है, श्रद्धा है, वे उन साधनों के साधकों आज नहीं तो कल अवश्य बन जायेंगे। मुझे उन सम्बन्धमें कोई शक नहीं है और आशा है कि 'नवजीवन' के पाठकोंकी भी नहीं होगी।

भाई महादेव देनाई मेरे शेरकी देवन्दिनी देते हैं, उन कारण किसीको शिकायत नहीं होगी चाहिए। मैं भ्रमण अपने मनोरजनके लिए नहीं, सेवाके लिए करता हूँ। अतिशय पाठकोंको मेरे भ्रमणका परिणाम जाननेका अधिकार है और उमको किसी न किसी नामे देना भग्न करना है। कई बार महादेवकी देवन्दिनीमें मेरी प्रशंसा रहा जाती है। यह दोष तो उममें है ही। किन्तु लगता है कि यह दोष तो उसके लिए उगम जनितार्थ हो गया है। मेरा मन्त्र जो यात्रामें मेरे साथ रहता है और मेरे चारोंको तब जुटा रहता है, मेरी आशेचना शायद ही कर सके। वह तो केवल प्रेम या मोहने प्रेरित होकर ही मेरे साथ घूमता है। उमके लिए वेतनके लोभका तो प्रभाव ही ही नहीं सकता। उमकी स्तुतिपर मैं अकुश लगा सकता हूँ, किन्तु उमे त्रिभुक्त बन्द नहीं कर सकता। मेरे वारेमें मेरे निकटतम साथियोंके दिलोंमें जो प्रशंसाका भाव है उममें मैं फूट नहीं उठता, मैं उम स्तुतिको एक बोझ मानता हूँ और उमके योग्य बननेका विशेष प्रयत्न करता हूँ, जबतक मैं इस प्रकारका प्रयत्न करता हूँ, तबतक यह प्रशंसा हानिकर सिद्ध नहीं हो सकती।

फिर भी मैं उन आलोचनाके वारेमें विशेष तीरपर कुछ कहना चाहता हूँ। स्तुतिमें कुछ भय हमेशा रहता है। यदि वेदा वापकी स्तुति निरन्तर करता रहे तो वह अपने वापकी भ्रमित करनेके पापका भागी बन जा सकता है। इसलिए वह पुत्र

जो अपने पिताके प्रति प्रेमभाव रखता है, पिताकी प्रशंसा नहीं किया करता। उसी प्रकार यदि बाप बेटेकी तारीफ हर समय किया करे तो उस बापसे बेटेका भला होनेके वजाय बुरा ही होनेकी सम्भावना है; इसी प्रकार मित्र यदि मित्रकी स्तुति करता है तो वे दोनों एक दूसरेके लिए गड़ढा खोदते हैं।

इसलिए महादेवको मेरी सलाह है कि वे उक्त लेखककी आलोचनाके सारको समझे और तदनुसार कार्य करे। मैं भी और सावधान रहनका प्रयत्न करूँगा।

इसमें भी एक कठिनाई तो रहती है। वह यह कि मैं महादेवके सब लेखोको 'नवजीवन' में छपनेसे पहले पढ़ नहीं सकता, और बादमें भी पढ़नेका समय नहीं मिलता, इस कारण कुछ बातें ऐसी छप जाती हैं जिन्हें मैं समयपर पढ़ पाऊँ तो निकाल दूँ। इस स्थितिमें यदि 'नवजीवन' अन्यथा उपयोगी सेवा कर रहा हो तो इस ग्राहक-जैसे पाठकगण कृपया उक्त दोषको, जिस हदतक वह अनिवार्य हो उस हदतक दरगुजर करे।

'नवजीवन' का शिक्षा-सम्बन्धी अंक भी सेवाके निमित्त ही निकाला गया है। यह निश्चय किया गया कि विद्यापीठ अपनी शिक्षा-सम्बन्धी मासिक पत्रिका 'नवजीवन' के परिशिष्टांकके रूपमें निकाला करे तो व्ययकी काफी बचत हो सकती है। यह अंक उस निश्चयके बाद निकाला गया है। उससे भी लोगोको राष्ट्रीय शिक्षाकी सही तस्वीर मिलती है, इसलिए इससे ग्राहकोका हताश होना स्वाभाविक ही है। यदि सत्य नीरस हो, कष्टप्रद हो तो भी उपयुक्त अवसर आनेपर उसे व्यक्त करना ही पड़ता है। इस समय राष्ट्रीय शिक्षाकी गतिविधि शिथिल है, इसलिए उससे सम्बन्धित लेखे-जोखेमें निराशाजनक समाचार ही हो सकते हैं। किन्तु इस अन्वकारपूर्ण निराशामें आशाकी किरणें दिखाई देने लगी हैं। उनमें कितने बालक पढ़ते हैं, इस बातकी ओर पाठक ध्यान न दें। किन्तु जिन कठिनाइयोके बीच हमारी राष्ट्रीय शिक्षाकी नौका आगे बढ़ रही है, पाठक उनकी ओर ध्यान दें। आज राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा बालकोको जो सिखाया जा रहा है उससे उनमें निर्भयता और स्वराज्य लेनेकी योग्यता आयेगी एवं उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी।

'नवजीवन' का मूल्य क्यों नहीं घटाया जा सकता, अब यह बतानेकी आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी मैं यह तो कह ही दूँ कि 'नवजीवन' के ग्राहक 'नवजीवन' के मालिक हैं, इतना ही नहीं बल्कि जो लाभ होता है उसका कोई निजी उपयोग नहीं किया जाता, वह भी लोकोपयोगी सम्पत्ति है। 'नवजीवन' मासिक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें केवल लेख ही नहीं होते, स्वराज्यकी प्रगतिका साप्ताहिक विवरण भी रहा करता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९२५

१७६. अहिंसाका मर्म

एक सज्जन नीचे लिखे सवाल करते हैं :

१ क्या यह बात सच है कि विदेशी चीनीमें हड्डियाँ तथा खून आदि अपवित्र चीजें डाली जाती हैं ?

२ अहिंसा-व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य क्या विदेशी चीनी खा सकता है ?

३ जो शस्त्र अहिंसाकी दृष्टिसे खादी पहनते हैं वे क्या स्वराज्य मिलनेके वाद भी खादी पहनते रहेगे या दूसरे कपड़े पहन सकेगे ?

४ खादी पहनना अहिंसाका सवाल है या राजनीतिका ? हिंसाकी दृष्टिसे मिलके कपड़ोंमें अधिक हिंसा है या विलायती कपड़ोंमें; वने तो वे दोनों ही मशीनके हैं।

५ अहिंसा-व्रतका पालन करनेवाला चाय पी सकता है ? यदि नहीं पीनी चाहिए तो उसे पीनेमें हिंसा कहाँ है ?

ऐसे सवालका जवाब देते हुए मुझे सकोच होता है, क्योंकि ऐसे सवाल अज्ञान-सूचक हैं। परन्तु चूँकि कितने ही पाठक ऐसे सवाल किया करते हैं इसलिए उनका निर्णय कर डालना उचित मालूम होता है। इन सवालके जवाबके निमित्त मैं अहिंसा-तत्त्वको भी जिस तरह समझता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

विदेशी चीनीके अन्दर हड्डियाँ आदि नहीं डाली जाती, हाँ, ऐसा सुना है कि उनका उपयोग चीनी साफ करनेमें किया जाता है। यह माननेका भी कोई कारण नहीं कि ऐसा प्रयोग देशी चीनीके लिए नहीं किया जाता।

इस कारण अहिंसाकी दृष्टिसे शायद दोनों प्रकारकी चीनी त्याज्य है। यदि लेना ही हो तो वह कहाँ-कैसे बनती है, इसकी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। स्वदेशी-को प्रोत्साहन देनेके लिए विदेशी चीनीका त्याग करना उचित है। अहिंसाकी एक सूक्ष्म दृष्टिमें तो चीनीका ही त्याग कर देना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रियामें हिंसा होती है। इसलिए जिस खाद्यपदार्थपर जितनी कम प्रक्रिया होती हो वह उतना ही अच्छा है। गन्ना चूसना सबसे उत्तम है, गुड खाना उससे कम अच्छा है और चीनी खाना उससे भी कम। परन्तु मैं सर्व-साधारणके लिए इतना बारीकीमें जानेकी विलकुल जरूरत नहीं समझता।

खादी पहननेवाला अहिंसा और स्वराज्य दोनों दृष्टियोंसे स्वराज्य मिलनेके वाद भी खादी ही पहनेगा। स्वराज्य जिन साधनोंके बलपर मिलेगा उन्हीं साधनोंके बल-पर वह कायम रह सकेगा। जो राष्ट्र अपनी जरूरतके लिए विदेशीपर मुनहसिर रहता है, या तो वह गुलाम बन जाता है या औरोको गुलाम बनाता है।

खादी पहननेमें अहिंसा, राजनीति और अर्थशास्त्र तीनोंका समावेश हो जाता है। पूर्वोक्त नियमके अनुसार खादीकी प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए उसमें हिंसाका समावेश कम है।

अब विदेशी या स्वदेशी मिलके कपड़ेका मुकाबला करे तो भले ही दोनोंमे एक ही प्रकारकी मशीनोका उपयोग होता है, स्वदेशी मिलके कपड़े पहननेमे कम हिंसा है। क्योंकि ऐसा करते हुए हमारे हृदयमे अपने देश-भाइयोके प्रति प्रेम रहता है। परन्तु विदेशी कपड़ेका इस्तेमाल करनेमे प्रेमका अभाव होता है। यही नहीं, बल्कि विलकुल स्वच्छन्दता, स्वार्थ या अपनी ही सुख-सुविधाका सवाल रहता है और पर-मार्थका, प्रेमका अर्थात् अहिंसाका अभाव रहता है।

अहिंसा-व्रतका पालन करनेवाला चाय पी भी सकता है और नहीं भी पी सकता है। चाय [कि पोवे] मे भी प्राण है। वह निरूपयोगी वस्तु है। इस कारण उसे पीनेमे होनेवाली हिंसा अनिवार्य नहीं है। अतएव उसका त्याग इष्ट है। जहाँ-जहाँ चायके बगीचे हैं, वहाँ-वहाँ गिरमिटिया लोगोसे मजूरी कराई जाती है। गिरमिटिया लोगोके दु खोमे हिन्दुस्तान वाकिफ है। जिम पदार्थके उत्पादनमे मजदूरोको कष्ट मिलता हो वह भी अहिंसाकी दृष्टिसे त्याज्य है। व्यवहारमे हम इतनी छोटी-मोटी बातोका खयाल नहीं करते। इस कारण जिस तरह दूसरी चीजोको अहिंसाकी दृष्टिसे निर्दोष समझते हैं उसी तरह चायको भी मान सकते हैं। वैद्यकी दृष्टिसे चायमे गुणकी अपेक्षा दोष अधिक है, खासकर तब जबकि वह उवाल ली जाती है।

इन प्रश्नोसे यह प्रकट होता है कि अहिंसाकी बातें करनेवालोको अहिंसाके बारेमे कितना कम मालूम है। अहिंसा एक मानसिक स्थिति है। जो इस स्थितिको नहीं पा सका वह चाहे कितनी ही चीजोको त्याग दे तो भी उसे उसका फल शायद ही मिल सकेगा। रोगी, रोगके कारण अनेक चीजोसे परहेज करता है। उसके इस त्यागका फल रोग दूर करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अकाल पीडितको यदि भोजन न मिले तो इससे उसे उपवासका फल नहीं मिलता। जिसका मन सयमी नहीं है उसकी कृतिमे भले ही सयम दिखाई दे, पर वह सयम नहीं है। खाद्य-अखाद्यके विषयमे अहिंसाका समावेश नहीं होता। अहिंसा क्षत्रियका गुण है। कायर उसका पालन कर ही नहीं सकता। दया तो शूरवीर ही दिखा सकते हैं। जिस कार्यमे जिस अगतक दया है उस कार्यमे उसी अगतक अहिंसा हो सकती है। इसलिए दयामे ज्ञानकी आवश्यकता है। अन्व प्रेमको अहिंसा नहीं कहते। अन्व प्रेमके अधीन होकर जो माता अपने बालकको अनेक तरहसे लाड करती है उसमे अहिंसा नहीं बल्कि अज्ञानजनित हिंसा है। मैं चाहता हूँ कि लोग खाने-पीनेकी मर्यादा-ओको ज्यादा महत्त्व न दे और उनका पालन करते हुए भी अहिंसाके विराट् रूपको, उसकी सूक्ष्मताको, उसके मर्मको समझे। रिवाजके अनुसार चलनेवाला पश्चिमका कोई साधु पुरुष गोमास खानेपर भी रूढ़ि रिवाजके अनुसार गोमासको छोड़नेवाले एक पाखण्डी क्रूर मनुष्यसे हजार गुना अधिक अहिंसक है। मैं चाहूँगा कि मुझसे प्रश्न पूछनेवाले अपने आपसे यह कहे कि मैं विदेशी चीनी, विदेशी कपड़े और चायको छोड़ भी दूँ पर अपने पडोसीके प्रति दयाभाव न रखूँ, दूसरोके लडकोको अपने लडकेके बराबर न मानूँ, अपने व्यवसायमे सचाईका पावन्द न वनूँ, अपने नौकरो-चाकरोको अपना कुटुम्बी मानकर उनके साथ प्रेम-भाव न रखूँ तो मेरी खाने-पीनेकी मर्यादाका कुछ मूल्य नहीं है, मेरी यह मर्यादा आडम्बर-मात्र है और अज्ञानजनित दिखावा है। नरसिंह

मेहताका पवित्र वचन है कि “ज्या लगी आतमा तत्व चीन्ह्यो नही त्या लगी सावना सर्व झूठी।” आत्म-तत्त्वको पहचाननेके मानी है अहिंसामय होना। अहिंसामय होनेका अर्थ है विरोधीके प्रति भी प्रेमभाव रखना, अपकारीका भी उपकार करना, बुराईका बदला भलाईसे देना और ऐसा करते हुए यह मानना कि यह कोई अनोखी बात नहीं है, यह तो हमारा कर्तव्य है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९२५

१७७. टिप्पणी

एक शिक्षकका दुःख

एक शिक्षक लिखते हैं^१

उक्त शिक्षकने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दे दिया है। इससे मेरा काम कुछ हलका हो गया है। मेरे कहनेका आशय यह तो माना ही नहीं जा सकता कि दस शिक्षक या एक शिक्षक केवल एक ही बालकको पढाकर आराम करने लग जाये, मेरा अभिप्राय तो यह है कि दस नहीं यदि बीस शिक्षक भी हो और विद्यार्थी एक ही हो तो भी वे शालाका त्याग न करे वरन् विद्यार्थियोंकी सख्या बढ़ानेका प्रयत्न करे। जब विद्यार्थी पर्याप्त सख्यामे मिलने लगे तो शिक्षक अपनी आजीविका-भरके लिए वेतन ले, पर प्रतिकूल परिस्थितिमे कुछ भी वेतन न लेनेमे उनकी सच्ची कसौटी है, भले ही वे स्वयं और उनके आश्रित जन भी भूखो मरे। ऐसा शिक्षक अपने कार्यके निमित्त अपने सगे-सम्बन्धियों, माँ-बाप, बाल-बच्चो और अपने सर्वस्वकी आहुति दे देता है। जब लोग दूसरे घन्वोमे अपनी पूंजी गँवा बैठते हैं, तब वे क्या करते हैं? यथाशक्ति प्रयत्न करनेपर भी जब मनुष्यको कोई काम-काज नहीं मिलता तब वह अपना और अपने बाल-बच्चोका भूखो मरना सहन कर लेता है। राष्ट्रीय शालाओके शिक्षकोके विषयमे भी यही बात लागू होनी चाहिए। इससे उनके आश्रित भी पेट भरने लायक पैसा कमानेके लिए काम करने लगेंगे। जिन दिनों शिक्षक विद्यार्थियोंके न होनेके फलस्वरूप बेकार रहे उन दिनों वे अवश्य दूसरा काम उठा ले सकते हैं, किन्तु तब भी उनको शालाओके उद्धारका प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। दूसरा काम खोज लिया जाये, इसका अर्थ यही है कि यदि विद्यार्थी न हो और समय व्यर्थ जा रहा हो तो उसमे शिक्षक घुनाई या घुनाईका काम करके अपना गुजारा करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-३-१९२५

१. यह नहीं दिया जा रहा है।

१७८. भाषण : कोट्टयममें^१

१५ मार्च, १९२५

मुझे ईसाई मतावलम्बी लोगोके मुख्य केन्द्र कोट्टयममें आ सकनेसे खुशी हुई है। दुनियाके सभी देशोमें मेरे बहुतसे ईसाई दोस्त हैं, और मैं भारतके ईसाइयोसे बहुत उम्मीद रखता हूँ। मैंने देशके सामने जो कार्यक्रम रखनेका साहस किया है, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें ईसाई लोग हार्दिक सहयोग न दे सकते हो। मैं तो यहाँतक कहनेको तैयार हूँ—और विनम्रतापूर्वक यही निवेदन करूँगा कि यदि कोई ईसाई इस रचनात्मक कार्यक्रममें सच्चे दिलसे भाग नहीं लेता तो वह सही अर्थमें ईसाई धर्मका पालन नहीं करता। अगर ईसाई लोग, जो इस देशमें जन्मे और बड़े हुए हैं और जिनके लिए यह भूमि उसी प्रकार मातृभूमि है जिस प्रकार मेरी या मुसलमानोकी है, अगर वे लोग इस देशके विकासमें सहायक नहीं बनते तो मैं कहूँगा कि वे उस हदतक ईसाइयतसे विमुख होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ईश्वरकी सेवा तो करे और अपने पड़ोसीकी सेवा करनेसे इनकार करे। जो व्यक्ति अपने पड़ोसीकी उपेक्षा करता है वह हिन्दू, ईसाई या मुसलमान कोई भी हो, अपने ईश्वरसे विमुख होता है। इसलिए मैं अपने ईसाई मित्रोंसे कहूँगा कि वे अपनी शक्ति-भर भारतकी सेवा करना अपना विशेष सौभाग्य और विशेष कर्त्तव्य माने।

हमारे जुदा-जुदा धर्म हो सकते हैं, ईश्वरके वारेमें हमारी कल्पनाएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, और मुक्तिके विषयमें हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो सभी भारतीयोंको इस देशकी धरतीसे बाँधती है। एक चीज है जो सभी भारतीयोंको अटूट बन्धनमें बाँधती है, और वह चीज है चरखा और उससे बननेवाला खद्दर। मैं समय-असमय खद्दर और चरखेकी बात कहता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खद्दरमें ही, चरखेमें ही भारतकी आर्थिक मुक्तिकी कुजी है। चरखा एक प्रतीक है, जनसाधारण और उच्च वर्गोंको आपसमें बाँधनेवाले बन्धनका। जनसाधारणका श्रम ही उच्च वर्गोंका जीवनाधार है, और उच्च वर्गोंसे मेरी विनती है कि वे जनसाधारणसे जो-कुछ पाते हैं उसके बदले कुछ थोडा-सा प्रतिदान दे। इसलिए मैं प्रत्येक भारतीयसे, भारतमें निवास करनेवाले अंग्रेजोंसे भी, बल्कि भारतसे अपनी आजीविका प्राप्त करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे कहता हूँ कि वह खद्दरको अपनाये। अपने घरमें वह सिरसे पैरतक खद्दर ही पहने और इस प्रकार जनसाधारणको प्रतिदान दे। (हर्षध्वनि)

मैं कोट्टयम और आसपासके इलाकोकी महिलाओंसे और पुरुषोंसे कहता हूँ, “अगर आप चरखेको अपने घरोंमें पुनः प्रतिष्ठित करेंगे तो आप देखेंगे कि इस

१ यह भाषण कोट्टयम नगरपालिका और हिन्दी छात्रोंकी ओरसे दिये गये अभिनन्दन-पत्रोंके उत्तरमें दिया गया था।

तरह आपने भारतकी कोटि-कोटि भूमी मानवताको आशा और सान्त्वनाका सन्देश दिया है।”

अस्पृश्यताका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा-

आपकी राजमाता और दीवान महोदयने मुझे विश्वास दिलाया है कि उनकी नरानुभूति गुमारगोके नाय है, और मैंने अगर उन्हें ठीक ममज्ञा है तो मैं जानता हूँ कि उन कर्मको दूर करनेके लिए वे इसी बातका इन्तजार कर रहे हैं कि जनतातो जागते मरण हिन्दू लोग उनके पक्षमें जोरदार, सुस्पष्ट और सयमित आवाज उठाएँ। यदि हिन्दू लोग अपने धर्मके प्रति सच्चे हैं और स्वयंको अपने धर्मकी गन्गामात्र धर मानने हैं, और यदि अस्पृश्यताके विरुद्ध उनकी भावना उतनी ही तीव्र है जितनी कि मेरी है तो वे तत्रतक चैनने नहीं बैठेंगे जबतक कि राजमाता और दीवान महोदयगो उन बातका यकीन नहीं दिला देते कि त्रावणकोरकी सारी जनता उन गुमारगो माग करती है।

[अप्रेजीने]

हिन्दू, १६-३-१९२५

१७९. अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल

[१६ मार्च, १९२५]'

पाठकोको याद होगा कि पिछले दिसम्बरमें बेलगांवमें जो अनेक परिपदें हुई थी, उनमें एक गोरक्षा परिपद् भी थी। अनिच्छा होते हुए भी प्रेमके वश होकर मैंने उसका अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था। मेरी यह मान्यता है कि इस युगमें हिन्दू धर्मके माननेवालोंके लिए गोरक्षा महत्त्वपूर्ण और एक आवश्यक कर्त्तव्य है। मेरी यह भी मन्त्र मान्यता है कि मैं अपने नगीकोमें उस कार्यको वर्षोंमें कर रहा हूँ। उन बातको तो माग हिन्दुस्तान जानता है कि मैं जो जानवूझकर मुमलमानोंके साथ मैत्रीभाव बढ़ा रहा हूँ उसके पीछे गोरक्षा एक प्रबल कारण है। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मुमलमानोंके हाथमें गायको बचाना गोरक्षाका सबसे बड़ा अंग है। उसका मन्त्रमें बड़ा अंग तो हिन्दुओंमें गायकी रक्षा करना ही है। गोरक्षाकी मेरी व्याख्यामें गाय-त्रैलोपर किये जानेवाले जुल्मोंसे उनकी रक्षा करना भी शामिल है।

लेकिन इस महान् कार्यमें अभीतक मैंने खुद बहुत भाग नहीं लिया है। ऐसा कार्य करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए मैंने तपश्चर्या की है, लेकिन पूरी योग्यता अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अध्यक्ष बननेमें मुझे सकोच होता था, फिर भी मैंने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया। परिपद्में एक प्रस्ताव यह भी पाम हुआ था कि एक स्थायी मण्डल स्थापित किया जाये। इस कार्यमें भी तो मेरा योग देना जरूरी

१ कन्या कुमारीकी यात्राके उल्लेखसे पता लगता है कि यह लेख गाधीजीने १६ मार्चको लिखा होगा।

था। इसलिए मैं दिल्ली गया। गत जनवरी मासके आखिरी सप्ताहमें परिषद् द्वारा नियुक्त समितिकी बैठक हुई।^१ उसमें अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल स्थापित करनेका निश्चय किया गया। सगठनका सविधान तैयार किया गया, और उसे समितिने मजूर किया। यह मण्डल जितना-कुछ कर पाया है, उसका मुख्य ध्येय वाईके प्रख्यात गोसेवक चौड़े महाराजको है। उन्हीकी इच्छा और साहससे प्रेरित होकर मैं यह काम कर पा रहा हूँ। दादासाहब करन्दीकर,^२ लाला लाजपतराय, बाबू भगवानदास, श्री केलकर, डाक्टर मुर्जे,^३ स्वामी श्रद्धानन्दजी इत्यादि इस समितिके सदस्य हैं। परन्तु भारत भूषण मालवीयजीके बिना इस मण्डलके अस्तित्वको मैं असम्भव मानता हूँ। इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि उसे जनताके सामने लानेके पहले उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसे सवने स्वीकार किया और उन्हे इस सस्थाके विधि-विधानको दिखानेका काम मेरे जिम्मे पडा। उन्हे वह दिखाया गया और उन्होंने इसे पसन्द किया।

लेकिन इसे प्रकाशित करनेमें मुझे सकोच होता है, क्योंकि उसका अध्यक्ष अभी तक मैं ही हूँ। मूल सस्थापकोकी इच्छा यह है कि मैं ही उसका अध्यक्ष बना रहूँ। मुझे अपनी योग्यताके बारेमें शका रहती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जबतक इस महान् कार्यमें अगुआ गिने जानेवाले हिन्दुओकी सहमति न होगी तबतक इसमें विशेष प्रगति न हो सकेगी। मुझे अपने दिलमें हमेशा यह भय बना रहता है कि कहीं मेरे अस्पृश्यता-सम्बन्धी दृढ विचारोके कारण मेरा अध्यक्ष होना इसके लिए हानिकारक साबित न हो। मैंने अपनी यह आशका चौड़े महाराजजीपर प्रकट की। उनका खयाल है कि मेरे अस्पृश्यता-विषयक विचारोका इस कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और यदि सम्बन्ध है, इस विचारसे कोई उससे अलग रहता है तो भी यह जोखिम उठाकर इस कार्यको आगे बढ़ाना हमारा धर्म है।

यह धर्म है या नहीं सो मैं नहीं जानता। लेकिन समितिने जिस विधानको स्वीकार किया है, उसे मैं जनताके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं २६को बम्बई पहुँच जाऊँगा। तब इस नियमावलीको मजूर करानेके लिए एक सभा बुलानेकी तारीख तय की जायेगी। तारीख तय हो जाये तो सभा बुलाई जायेगी।

हे द्रौपदीके सहायक! तू मेरी सहायता कर। तू ही मुझ अनाथका नाथ बन। यह तू ही जानता है कि मुझे गोरक्षासे कितना प्रेम है। यदि यह प्रेम शुद्ध हो तो तू इस अयोग्य सेवकको योग्य बना लेना। तेरी डाली हुई अनेक जिम्मेदारियोंको मैंने उठा रखा है। उसमें यदि यह एक और बढ़ानी हो तो बढ़ा देना। मेरी शर्म तो तू ही ढँक सकता है।

पाठक, मेरे हृदयकी पीडा आप नहीं समझ सकेगे। यह मैं बड़े तडके लिख रहा हूँ और लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं। आँखोंमें आँसू हैं। कल ही कन्या-

१ बॉम्बे सीक्रेट एन्सट्रैक्ट्स, १९२५के अनुसार यह बैठक २४ जनवरीको हुई थी।

२ रघुनाथ पाडुरग करन्दीकर, (१८५७-१९३५), सुप्रसिद्ध वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता।

३ नागपुरके प्रख्यात नेत्रचिकित्सक, हिन्दू महासभाके नेता, १९३०के गोलमेज परिषद्के सदस्य।

तुमारीके दर्शन करके लौटा हूँ। जो विचार हृदयमे उमड़ रहे हैं, यदि समय मिला तो उन्हें आपके नामने रगूंगा। जिस प्रकार किसी बालकको खूब खानेकी इच्छा तो हो पर खानेको धान न होनेके कारण वह फूट-फूट कर रोता है, मेरी स्थिति भी कुछ वैसी ही है। मैं लोभी हूँ। मैं धर्मकी विजय देखने और उसे समारके सामने रखनेके लिए बड़ा धातुर हूँ। इसके लिए आवश्यक कार्य करनेकी मुझे बड़ी अभिलाषा रहती है। मुझे हिन्दू-म्वराज्य भी इसीलिए चाहिए। गोरक्षा, चरमा-प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-निवारण, और मन्त्रपान-निषेध सब इसीलिए चाहिए। इनमे से मैं क्या करूँ और क्या न करूँ? तूफानी समुद्रमे मेरी अभिलाषा-रूपी नैया डोल रही है।

एक नम्र नम्रमे एक बड़ा भयकर तूफान आया। सब यात्री व्याकुल हो गये। मरने नर्गनह मेहताके उष्ट देवको स्मरण किया। मुसलमान अल्लाह-अल्लाह पुकारने लगे। हिन्दुओंने राम-राम जपना शुरू किया। पारसी भी अपने धर्मग्रन्थका पाठ करने लगे। मैंने मभीके चेहरोपर चिन्ता देखी। तूफान शान्त हुआ और सबके-सब खुश हो गये। युग होनेपर वे ईश्वरको भूल गये और ऐसा व्यवहार करने लगे मानो कभी तूफान आया ही न हो।

मेरी स्थिति विचित्र है। मैं तो हर क्षण तूफान ही में रहता हूँ और इसलिए मोतापनि को नहीं भूल सकता। लेकिन जब कभी बहुत बड़े तूफानके बीच फँस जाता हूँ तब तो मैं अपने उन साधियोंमे भी अधिक विकल हो जाता हूँ और "पाहि माम् पाहि माम्" पुकार उठता हूँ।

इनकी प्रस्तावना लिखनेके बाद मैं गोमाताका स्मरण करके, परमात्माका ध्यान करके, इस मण्डलके सविधानको जनताके समक्ष रखता हूँ।^१

[गुजरातीमे]

नवजीवन, २२-३-१९२५

१८०. पत्र : कल्याणजी वि० मेहताको

सोमवार [१६ मार्च, १९२५]^३

भाई कल्याणजी,

तुम्हें तार देनेकी इच्छा हुई थी, किन्तु लोभके बंध होकर पैसेकी वचत करनेका निश्चय किया। मैंने तुम्हारी रिहाईकी खबर आज ही 'नवजीवन' मे पढ़ी है। रिहा हो गये, अच्छा हुआ। मैं २७ तारीखको आश्रममे पहुँचूंगा। तुम मुझे आश्रममे मिलोगे ही। आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २६७८) की फोटो-नकलसे।

१ यहाँ नहीं दिया गया है। देखिए "अ० भा० गोरक्षा मण्डलके सविधानका मसविदा", २४ १-१९२५।

२ मावगमती जेलसे कल्याणजीकी रिहाईकी खबर १५-३-१९२५के नवजीवनमें छपी थी।

१८१. पत्र : डब्ल्यू० एच० पिटको

अलवाई

१८ मार्च, १९२५

प्रिय श्री पिट,^१

वाइकोममे मन्दिरको जानेवाली सडकपर सत्याग्रहियोंको सीमा-रेखा पार करनेसे रोकनेके लिए बनाई गई नाकेबन्दियों और पुलिस दलको हटानेकी सम्भावना और वाछनीयतापर हमारी जो बातचीत^२ हुई थी उसे देखते हुए स्थितिको जैसा मैंने समझा है वह इस प्रकार है सरकार और मुखारक दोनोंका एक यही उद्देश्य है कि तथाकथित अछूतो द्वारा सडकोका उपयोग करनेपर लगाई गई पावन्दी हटा ली जाये। आपका विचार है कि यदि मैं सत्याग्रहियोंको यह सलाह दूँ कि वे नाकेबन्दियों और पुलिस दलके न रहते हुए भी अन्तिम निर्णय होनेतक सीमा-रेखाको पार न करे तो मैं जो-कुछ चाहता हूँ वह और भी जल्दी हो जायेगा। आप मुझसे कहते हैं कि कट्टरपन्थी लोगोंको नाकेबन्दियों तथा पुलिस दलकी उपस्थितिसे बल मिलता है क्योंकि वे यह गलत अनुमान लगा लेते हैं कि नाकेबन्दियाँ खडा करने और पुलिस दल बैठानेका उद्देश्य उनके मनके अनुसार स्थिति बनाये रखनेमे सहायता पहुँचाना है। आपके साथ हुई बातचीतसे मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं आपके सुझाये हुए ढंगपर सीमा-रेखाका उल्लंघन न करनेका वादा करूँ तो आप उन आदेशोंको जिनके अधीन आप कार्रवाई कर रहे हैं, वापस करा सकेगे। यद्यपि मैं सहज ही यह विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि यदि सत्याग्रही आपके बताये हुए तरीकेको उपयोगमे लाये तो कट्टरपन्थियोंका दिल पसीज जायेगा और उनकी स्थिति कमजोर हो जायेगी, फिर भी आपके सुझावके पीछे जो भावना है उसकी मैं कद्र करता हूँ। इसलिए मैं परीक्षणके तौरपर आपके दिये हुए सुझावको स्वीकार करनेकी सलाह देनेके लिए तैयार हूँ। आखिर सत्याग्रही यही तो चाहते हैं कि जनताकी सक्रिय तथा जबरदस्त राय उनके पक्षमे हो जाये। उनका उद्देश्य कट्टरपन्थियोंको नाराज करनेका नहीं है बल्कि उन्हें अपने पक्षमे लानेका है। इसके अतिरिक्त उनका उद्देश्य इस आन्दोलनको चलाकर किसी प्रकार भी सरकारको परेशान करना नहीं है, बल्कि जहाँतक सम्भव हो, उसकी सहानुभूति और उसके समर्थनको प्राप्त करना है। इसलिए आपकी ओर से यह जानकारी मिलनेपर कि इस पत्रमे उल्लिखित प्रतिषेधात्मक आदेश वापस ले लिया गया है, मैं आपके सुझावपर तुरन्त अमल करनेके लिए तैयार हूँ। इसका असर यह होगा कि सत्याग्रही बहुत कम सख्यामे जो कि वर्तमान सख्यासे ज्यादा नहीं होगी अपने उद्देश्यके समर्थनमे सीमा-रेखातक जायेगे और जाकर खडे रहेगे या

१ त्रिवेन्द्रमके पुलिस कमिश्नर।

२ १० मार्चको त्रिवेन्द्रममें।

चरखा कातेगे, जैसा कि वे सीमा-रेखापर अव कर रहे हैं। जवतक यह समझीता रहेगा तवतक वे सीमा-रेखाको कदापि पार नही करेगे। मैं आशा करता हूँ कि यदि कभी उस तथाकथित अधिकार या प्रथाके विरुद्ध, जिसके अन्तर्गत तथाकथित अस्पृश्योको मन्दिरके आसपासकी सडकोका उपयोग करनेसे रोका गया है, अदालतमे मुकदमा चलानेकी जरूरत पड़ेगी तो वह मुकदमा त्रावणकोरके आम फौजदारी कानूनके अन्तर्गत ही चलाया जायेगा। किन्तु मुझे आशा है कि त्रावणकोर सरकारकी सहायतासे जनमतको इस प्रकार सुगठित किया जायेगा कि वह दुर्निवार हो जाये और दोनो पक्षो द्वारा कानूनकी शरण लिये विना सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक सडकोका उपयोग करनेसे किसी भी व्यक्तिको, फिर वह किसी भी जातिका क्यों न हो, रोका न जा सके। मैंने आपके सामने जो तीन प्रस्ताव रखे थे उनपर मैं आपसे पहले ही वातचीत कर चुका हूँ। वे प्रस्ताव हैं चुने हुए क्षेत्रोमे सवर्ण हिन्दुओका मत लेकर जनमत जानना, पत्र निर्णय या हिन्दू शास्त्रोके उन प्रमाणोकी व्याख्या और परीक्षण करना जिनको कट्टरपन्थी कुछ मन्दिरके आसपासकी सडकोके उपयोगके सम्बन्धमे अपने समर्थनमे उद्धृत करते हैं। इनमे से एक या सभी सुझावोको स्वीकार करनेमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

इस पत्रको समाप्त करते हुए त्रावणकोरके मेरे दौरेमे बहुत ही अच्छा प्रवन्ध करनेके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ।'

हृदयसे आपका,

अग्नेजी पत्र (एस० एन० १३२६७) की माइक्रोफिल्मसे।

१८२, भाषण : परूरमें^३

१८ मार्च, १९२५

महात्माजीने उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस वातका निश्चय करते हैं उसका अक्षरशः पालन भी करते हैं, यह आपकी परम्परा ही है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि नगरपालिकाके सदस्योने आजसे चरखा चलाने और खद्वर पहननेका अपना जो निश्चय व्यक्त किया है उसको वे तत्परताके साथ पूरा करेगे। मुझे इस वातका दुःख है कि त्रावणकोरमें अस्पृश्यता और अनुपगम्यता बहुत बुरी तरहसे फैली हुई है। आप लोगोका अपनी मातृभूमि एव हिन्दू धर्मके प्रति यह कर्तव्य है कि उसे दूर कर दें। मैं देखता हूँ, आप लोगोकी रुचि इतनी सादी है कि बहुतसे कपडे

१ पुलिस कमिश्नरके उत्तरके लिए देखिए "तार डब्यू० एच० पिट्टो", २४-३-१९२५ की पाद-टिप्पणी।

२ यह भाषण परूर नगरपालिका, नागरिको और एजवाहों द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्रके उत्तरमें दिया गया था।

पहनना न तो पुरुष सभ्यतापूर्ण समझते हैं और न स्त्रियाँ ही। मैं विदेशी या मिलके बने कपड़ोको पहनना लज्जाजनक और अपमानजनक समझता हूँ। एजवाहा लोग एक समय बुनकर थे और वे अपने कपड़े स्वयं तैयार करते थे। एक ईसाई महोदयने मुझे लिखा है कि खद्दर पहनना असम्भव है। मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता कि कोई लाट पादरी या रोमन कैथोलिक पादरी अपने धर्मावलम्बियोंको शुद्ध हाथ बना खद्दर न पहननेका आदेश दे सकता है। अपने खद्दर पहननेके वादेको पूरा करनेके लिए आपको संगठन तथा विशेषज्ञकी सहायताकी आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप तमिलनाडुके मित्रोंकी सहायता ले।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-३-१९२५

१८३. भाषण : अलवाईके यूनियन कालेजमें

१८ मार्च, १९२५

गांधीजीने उत्तर देते हुए एशियाके महाकवि' द्वारा छात्रावासके उद्घाटनपर और ज्ञानदार जगहके लिए कालेजको बधाई दी। उन्होंने कहा कि बौद्धिक ज्ञान द्वारा जीविकोपार्जन करना शिक्षाका दुरुपयोग है। मेरा खयाल है कि आप लोग हृदय और शरीरकी संस्कृतिकी उपेक्षा कर रहे हैं। भाषण समाप्त करते हुए महात्माजीने छात्रोंसे कहा कि वे खद्दर और चरखेके सम्बन्धमें उदासीन रहनेमें ही उदारता मानकर सन्तुष्ट न हो जायें। मैं आपके सामने डा० प्रफुल्लचन्द्र रायका अनुकरणीय उदाहरण रखना चाहता हूँ जिन्होंने गरीबोंको राहत पहुँचानेके लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-३-१९२५

१८४. भाषण : अलवाईके अद्वैताश्रममे

[१८ मार्च, १९२५]'

आपने मुझे जो सुन्दर मानपत्र दिया है और जिसे एक अन्त्यज छात्रने पढा है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। खेद है कि मैं इसका उत्तर सस्कृतमे नहीं दे सकता। फिर भी, यदि मैं सस्कृतका विद्वान् होता तो भी इसका उत्तर सस्कृतमे न देता क्योंकि हम हिन्दू आज सस्कृतके अध्ययनके प्रति उदासीन हो गये हैं। इसलिए सामान्य वर्गकी जनतासे सस्कृत समझनेकी आशा नहीं की जा सकती। किन्तु मैं यहाँके सस्कृतमय वातावरणकी अनुकूलताका स्याल करके हिन्दीमे बोल सकता तो कदाचित् मैं हिन्दीमे बोलता। किन्तु आप उसे भी नहीं समझ पाते हैं। यह हमारी दुःखद स्थितिका सूचक है। मैं चाहता हूँ कि आश्रमके सचालक ऐसी व्यवस्था करे जिससे आश्रमका प्रत्येक छात्र हिन्दी समझ सके। यह जरूरी है कि हम अपनी मर्यादाओंको समझ ले। आज हमारे लिए अपने जीवनको इतना सस्कृतमय बना देना कि हम अपना समस्त व्यवहार सस्कृतमे चला सके, अपनी सामर्थ्यसे बाहर है। किन्तु हमारे लिए हिन्दीमे व्यवहार चलाना कठिन नहीं है।

आपका आदर्श 'एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर' से है। चूँकि मैंने इस बारेमे नारायणगुरु स्वामीसे वातचीत की थी और आपने अपने मानपत्रमे इसका उल्लेख सबसे पहले किया है, इसलिए मैं भी इसकी चर्चा करनेके लिए बाध्य हूँ। मुझे लगता है कि इस आदर्शमे उल्लिखित उद्देश्यको प्राप्त करना भी हमारे सामर्थ्यके बाहर है। मैं 'एक ईश्वर' के सिद्धान्तको समझ सकता हूँ। हम इस एक ईश्वरकी उपासना करोडों रूपोमे करते हैं, फिर भी हमारी भक्ति उसतक पहुँचती है। किन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि जबतक मानव जातिका अस्तित्व रहेगा तबतक विविध मत-मतान्तरों और धर्मोंका अस्तित्व भी रहेगा, क्योंकि यह मानव-जाति एकमति नहीं, अनेकमति है। यदि हम प्रकृतिको देखे तो हमे वह भी वेहद विविधतासे भरी दिखाई देगी। ईश्वर इस विविधताके द्वारा सहज ही बहुरूप बन जाता है। मुझे लगता है कि मानव-जातिके इतिहासमे ऐसी अवस्था आनेकी आशा रखना प्रकृति-नियमके विरुद्ध ही होगा कि जब यह समस्त जगत एक धर्मावलम्बी या एक मतावलम्बी हो सके। मैंने जो भी थोडा-सा श्रवण, मनन और निदिध्यासन किया है उसके फलस्वरूप मेरा मत तो यह बना है कि मानव-जातिका काम, वर्णाश्रम धर्मके बिना चल ही नहीं सकता। इसलिए मुझे विविध मत-मतान्तर और धर्म भी अनिवार्य लगते हैं। इस स्थितिमे हमारा लक्ष्य होना चाहिए सहिष्णुता। यदि हम सब एक मत हो जायेंगे तो इस उदात्त गुणको अवकाश ही कहाँ मिलेगा? किन्तु सब लोगोका एकमत होना व्यर्थकी आशा है। इसलिए हम एक दूसरेके मतके प्रति सहिष्णु बने, यही एक वात सम्भव

जान पडती है। मेरे मुसलमान मित्रोंका मत है कि मैं तो जन्मजात मूर्तिपूजक हूँ और अवतारवाद और पुनर्जन्ममे विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे अपने भीतर मूर्ति-पूजा, अवतारवाद और पुनर्जन्ममे आस्था न रखनेवाले मुसलमानोंके प्रति सहिष्णुताका भाव विकसित करना चाहिए। मैं अवतारोमे विश्वास रखता हूँ, अतः यह नहीं मानता कि ईसा ही एकमात्र ईश्वर अथवा ईश्वरका पुत्र है। परन्तु मुझे अपने ईसाई मित्रोंका ईसाको ईश्वर-रूप मानना सहन करना चाहिए और इसी प्रकार मेरे ईसाई और मुसलमान मित्रोंको भी मेरा कन्याकुमारी और जगन्नाथको प्रणिपात करना सहन करना चाहिए। एक-दूसरेके धर्मके प्रति सहिष्णुताका यह भाव मैं अपने ही इस युगमें आता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि अहिंसा धर्मके मूलमे यह भाव निहित ही है। यही भाव सत्य धर्मके मूलमे भी निहित है। जैसे ईश्वर सहस्र रूप है, वैसा ही सहस्र रूप सत्य भी है। अतः सत्य क्या है, इस सम्बन्धमे मेरा मत ही सत्य है और अन्य सबका असत्य, मैं यह दुराग्रह नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि एक दूसरेके प्रति सहिष्णुता और प्रेमभाव रखनेका युग समीप आता जाता है। इसलिए यदि मैं श्री नारायणगुरु स्वामीसे अपने इस सहिष्णुताके आदर्शको नहीं मनवा सकता तो उनके उपर्युक्त आदर्शकी अपनी व्याख्या करके ही सन्तोष कर लूँगा।

किन्तु हम अब इस सूक्ष्म विवेचनको छोड़कर स्थूल वातोपर आते हैं। यदि हम अपने सम्मुख 'एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर' का आदर्श नहीं रख सकते तो अपने देशके कल्याणार्थ एक नित्य नियमित कार्यका आदर्श तो रख ही सकते हैं। हम खादी पहनना सीखकर देशके अत्यन्त निर्धन वर्गसे एकरूपता कब स्थापित करेंगे? हम इस एक मन्त्रकी साधना तो कर ही सकते हैं कि निर्धनोंका और हमारा हित समान होना चाहिए। यदि हम विश्व प्रेमकी वाते करनेके बजाय अहमदावाद, जापान या इंग्लैंडका वना कैलिको कपडा पहनना बन्द करके अपने प्रान्तके इन भाइयों और बहनोके द्वारा कात-बुनकर तैयार किया गया कपडा पहनकर उसमे निहित सहज प्रेमको अनुभव कर सकेंगे तो इतना पर्याप्त है। मुझे श्री नारायण गुरु स्वामीने विश्वास दिलाया है कि वे स्वयं सूत कातेगे और अपने खादी न पहन कर आनेवाले अनुयायियोंसे मिलना बन्द कर देंगे।

हमें अहिंसा-धर्म और प्रेम-धर्मका पालन एक दूसरे मामलेमे भी करना है। हम अपने भाइयोंको अस्पृश्य मानते हैं और दुरदुराते हैं, हमें अपने देशको इस पापसे मुक्त करना ही होगा। एक सवर्ण हिन्दू मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि एजवाहा अपनेसे निम्न वर्गके अन्त्यजोंको अस्पृश्य मानते हैं। यह दोष दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि एजवाहा और पुलाया मद्यपान करना त्याग दे तो अस्पृश्यताकी समस्या स्वतः ही हल हो जायेगी। मैं इस तर्कसे अस्पृश्यताका समर्थन करना उचित नहीं मानता। किन्तु हमें उनकी इस सलाहका लाभ उठाकर जो-कुछ करना चाहिए वह तो करना ही होगा। हम इसका यह उत्तर अवश्य ही नहीं दे सकते कि सवर्ण हिन्दू भी लुक-छिपकर मद्यपान करते हैं। हम तो अपने दोष देखे और दूर करे, हमारे लिए इतना पर्याप्त है। आशा है, इस सस्कृतमय वातावरणमे आपने अभी सक्षेपमे जो-कुछ कहा है, उसे अपने हृदयमे बिठा लेंगे और

श्री नारायण गुरु स्वामीने बर्मका जो आदर्श सम्मुख रखा है, उसकी ओर द्रुत गतिसे अग्रसर होंगे।

[गुजरातीने]

नवजीवन, ५-४-१९२५ (परिगिष्ठाक)

१८५ भाषण : त्रिचूरमें^१

१८ मार्च, १९२५

मुझे इन मणाय प्रदेशमें और अधिक न ठहर सकनेका दुःख है। अब मुझे जाने छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं जानता फिर अब यहाँ कब आ सकूँगा। मुझे यहाँ जो अगाध प्रेम मिला है उसके बीचसे जाना मेरे लिए कठिन हो रहा है। यहाँ चारों तरफ मैंने जो मनोरम दृश्य देखे हैं उन सबकी याद मेरे मनमें सदा बनी रहेगी, किन्तु इन सभी सुखद अनुभवोंके साथ एक कटु अनुभव भी मेरे मन में खटकता रहेगा। मैंने देखा कि यह सुन्दर प्रदेश अस्पृश्यता और अनुपगम्यताके अभिशापसे ग्रस्त है। किन्तु एक ध्यानकी और मेरा ध्यान अभी दिलाया गया है कि इन दो बातोंके अतिरिक्त इस प्रदेशमें "अदृश्यता" का शाप भी है, यहाँ लोगोंको देखनेसे भी पाप लगता है। यदि इनको हिन्दू धर्म कहते हैं तो मैं आज ही उसे छोड़नेको तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनेको नानातन हिन्दू मानता हूँ, और मेरा पालन-पोषण रुढ़िवादी परिवारमें हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आज अस्पृश्यता, अनुपगम्यता तथा अदृश्यताको जिन रूपमें माना जा रहा है वह हिन्दू धर्मका अंग नहीं है। लेकिन मैं यह आशा लेकर इस प्रदेशमें जा रहा हूँ कि वे सभी लोग, जो इस प्रकारकी सभाओंमें शामिल हुए हैं और अभिनन्दन-मंत्रोंमें जाति-प्रथाके विरुद्ध व्यक्त की गई भावनाओंसे सहमत हैं, इन कलकत्ता त्रावणकोर और कोचीनमें दूर करनेका प्रयत्न करेंगे।

मैंने त्रावणकोर और कोचीनमें हजारों वहनोंको देखा है। उन्हें सुन्दर श्वेत वेशभूषामें देखना मेरे लिए एक लुभावना और भव्य दृश्य रहा है। किन्तु मुझे यह देखकर उतना ही दुःख भी हुआ कि वे खदरके स्थानपर मिलके बने कपड़े पहनती हैं। यदि आप खदर पहनना चाहते हैं तो आप सभी स्त्री-पुरुष बिना किसी कठिनाई और विलम्बके ऐसा कर सकते हैं। यह बहुत दिनोंकी बात नहीं है जबकि मलाबारके प्रत्येक घरमें चरखा होता था। मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रत्येक घरमें फिरसे चरखेकी स्थापना करें। आपके पास अब भी हजारों एजवाहा बुनकर हैं, जो सुन्दर कपड़ा बुनते हैं। आप कताई करें और वे आपके काते सूतसे आपके लिए कपड़ा बुनेंगे। यदि आप केवल इतना ही करें तो आपको मालूम हो जायेगा कि आपने अपने देशके लिए लाखों रुपये बचा लिये हैं। त्रावणकोर और कोचीन दोनोंको मिला-

१ यह भाषण नगरपालिका, नम्बूद्री योगक्षेम सभा तथा त्रिचूरके छात्रों द्वारा तर्किक्काड मैदानमें आयोजित सभामें अभिनन्दन-मंत्र मंत्र किये जानेपर दिया गया था।

कर यहाँकी जनसंख्या लगभग ७० लाख है। यदि मैं कातने और बुननेकी लागतका हिसाब लगाऊँ तो यह औसतन प्रति व्यक्ति ३ रुपया आयेगी। इसका मतलब है लगभग २ करोड़ १० लाख रुपये। जरा सोचिए तो सही कि इस देशके लिए इसका क्या महत्त्व हो सकता है, और फिर खदर पहननेके लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पडती।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-३-१९२५

१८६. टिप्पणियाँ

वाङ्कोम सत्याग्रह

मैं यहाँ त्रावणकोरके दीवान द्वारा वहाँकी जनसभामें दिये गये भाषणका वाङ्कोम सत्याग्रह सम्बन्धी पूरा अर्थ देना चाहता हूँ। वाङ्कोम सत्याग्रहको अधिक स्थान देनेके लिए मुझे पाठकोसे क्षमायाचना करनेकी आवश्यकता नहीं है। इससे पाठक गण सत्याग्रहियोंके एक दल द्वारा चलाये जा रहे उस वीरतापूर्ण संघर्षको समझने और उसका मूल्यांकन करनेमें समर्थ हो जायेंगे। साथ ही इससे पाठक उस उद्देश्यके महत्त्वको भी समझ सकेंगे जिसके लिए सत्याग्रह चलाया जा रहा है। जहाँतक त्रावणकोर और इसी तरह जहाँतक मलाबारका सम्बन्ध है, वाङ्कोम सत्याग्रह एक कसौटी है। इस सत्याग्रहका असर त्रावणकोरकी जनसंख्याके छोटे भागके आम अधिकारोपर पडता है। इसलिए जो लोग अस्पृश्यताके अभिशापको दूर करनेमें रुचि रखते हैं वे दीवानके भाषणको दिलचस्पीके साथ पढे बिना नहीं रह सकते। इस सप्ताह इसपर टिप्पणी करनेका मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि इसके प्रकाशनसे पहले ही मुझे उनसे मिलनेका अवसर मिलेगा और साथ ही चूँकि मैंने लिखनेके समयतक अपनी जाँच-पडताल पूरी नहीं की है, मेरे लिए इसपर कुछ कहना अनुचित होगा। किन्तु मैं दीवान वहादुर टी० राघवय्याके इस मन्तव्यकी पुष्टि किये बिना नहीं रह सकता कि

सत्याग्रहका उपयोग शिक्षाके साधनके रूपमें तथा सरकारपर या सरकारके जरिये कट्टरपन्थी हिन्दुओपर दबाव डालनेके साधनके रूपमें करनेमें एक बहुत बड़ा अन्तर है। सत्याग्रहियोंका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वे उन कट्टरपन्थियोंका हृदय-परिवर्तन करे जिनके लेखे अस्पृश्यता धर्मका ही एक अंग है।

मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि वाङ्कोमके सत्याग्रहका प्रारम्भसे ही यह उद्देश्य रहा है कि उसका शिक्षाके साधनके रूपमें उपयोग किया जाये। उसका उद्देश्य कट्टरपन्थियोपर दबाव डालना कभी नहीं रहा। इसीलिए कट्टरपन्थियोंके विरुद्ध किया जानेवाला उपवास त्याग दिया गया। इस विषयमें सावधानी बरती गई है कि नाके-

वन्दियोंको न लाँधा जाये जिससे सरकारपर अनुचित दवाव न पड़े। इसी कारणसे तो पुलिसको चकमा देनेकी कोशिश नहीं की गई। यह बात स्वीकार कर ली गई है कि सुधारकोके लिए जो चीज स्पष्टतः एक पापपूर्ण अन्वविश्वास है वही कट्टरपन्थियोंके लिए उनके धर्मका एक अंग है। इसलिए सत्याग्रहियोंकी अपील कट्टरपन्थियोंकी विवेक-भावनासे है। किन्तु अनुभव यह है कि जिनकी अपनी मुनिश्चित धारणाएँ हैं उनकी विवेक-भावनाके प्रति अपील करनेसे उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी समझकी आँखें दलीलोसे नहीं बल्कि सत्याग्रहियोंके कण्ट सहनसे खुलती है। सत्याग्रही हृदयके मार्गसे विवेक भावनातक पहुँचनेकी कोशिश करता है। हृदयतक पहुँचनेका तरीका जनमतको जागृत करना है। व्यक्तियोंको जनमतकी परवाह होती है, इसलिए जनमत वारुदमे भी अधिक शक्तिशाली होता है। वाडकोम सत्याग्रहने अपने आपको न्यायसगत साबित कर दिखाया है, क्योंकि उसने सारे भारतका ध्यान अपने उद्देश्यकी ओर आकर्षित किया है, और उसीके कारण त्रावणकोर विधान सभामें उस याचित सुधारके पक्षमें एक असाधारण वाद-विवादके समय एक प्रस्तावपर विचार किया गया और अन्तमें इसीके कारण त्रावणकोरके दीवानने अपना मुविचारित उत्तर दिया। यदि सत्याग्रही केवल धैर्य धारण करे और कण्ट सहनकी भावनाको बनाये रखे तो मुझे विश्वास है कि विजय निश्चित है।

मनुष्यकी मनुष्यके प्रति बर्बरता

ताड वृक्षोंकी इस भूमि (त्रावणकोर) में, जहाँसे मैं इन टिप्पणियोंको लिख रहा हूँ, अपने लगातार किये जानेवाले इस दौरेमें मैं एक अविस्मरणीय दृश्यका उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता, जो मुझे कोचीनमें देखना पड़ा था। कोचीनमें जापानसे बहुत-सी रिक्शाएँ मँगाई गई हैं जिनका उपयोग यहाँके समृद्ध नागरिक अपनी सुविधाके लिए करते हैं। इन रिक्शाओंको पगु नहीं, मनुष्य खींचते हैं। मेरे पाससे जितने रिक्शाचालक निकले मैंने उन सबको बहुत ध्यानसे देखा। मुझे उनमें से किसीकी भी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं लगी। उनकी पिण्डलियाँ या छाती या वाहे ऐसी सुगठित नहीं थी कि वे इस तेज धूपमें और पसीना-पसीना कर देनेवाली गर्मीमें इम भारी बोझको खींचनेका कठिन काम कर सकें। ये रिक्शाएँ केवल एक यात्रीको ले जानेके लिए बनाई जाती हैं। मेरी रायमें किसी स्वस्थ और पूरे अगवाले मनुष्यके लिए यह बहुत बुरा है कि उसे कोई मनुष्य खींचकर ले जाये, लेकिन जब मैंने कुछ रिक्शाओंमें दो-दो या तीन-तीन यात्री लदे देखे तो मुझे अपने इन भाइयोंपर शर्म आई और वेहद दुःख हुआ। रिक्शा-चालकने एकसे ज्यादा व्यक्तियोंको ले जानेसे इनकार नहीं किया, यह निःसन्देह उसकी गलती थी। लेकिन उन लोगोंके लिए क्या कहा जाये जो अपने थोड़ेसे पैसे बचानेके लिए एक साथ दो या तीन एक ही रिक्शामें चढ़ जाते हैं, जब कि रिक्शा-चालक उनमें से एकको भी खींचनेके लायक नहीं है। मुझे आशा है कि कोचीनमें ऐसा कोई कानून होगा जिसके अनुसार इन रिक्शाओंमें एकसे अधिक सवारीका बैठना निषिद्ध है और यदि ऐसा कानून है तो मैं आशा करता हूँ कि कृपालु नागरिक उसका पूरा-पूरा पालन करनेका ध्यान रखेंगे। यदि वहाँ कोई ऐसा

कानून नहीं है तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कानून बना दिया जायेगा जिससे इन रिक्शाओमें एकसे अधिक सवारी न बैठई जा सकेगी। यदि मेरे हाथमें सत्ता होती तो मैं रिक्शाओको बन्द कर देता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी यह आशा केवल कोरी आशा ही रहेगी। लेकिन क्या यह भी नहीं हो सकता कि जो लोग इन रिक्शाओको चलाते हैं उनकी कड़ी डाक्टररी परीक्षा की जाये और यह देखा जाये कि वे इस भारी कामको करनेके योग्य हैं या नहीं?

सहभोज

एक सज्जन मुझे लिखते हैं “क्या विभिन्न जातियोंके बच्चोंको जो एक ही छात्रावासमें रहते हो, एक ही भोजन-कक्षमें साथ-साथ बैठकर भोजन कराना चाहिए?” यह प्रश्न ठीक तरहसे नहीं रखा गया, लेकिन जैसा यह प्रश्न है उसका उत्तर तो यही होगा कि बच्चोंको साथ-साथ बैठकर भोजन नहीं कराया जा सकता। किन्तु यदि यह कहा जाये कि किसी भी छात्रावासका मालिक ऐसे नियम बना सकता है जिनके अनुसार उसमें रहनेवाले लड़कोंके लिए एक साथ बैठकर भोजन करना आवश्यक हो, तो यह माँग भी उतनी ही अनुचित होगी जितनी एक साथ बैठकर भोजन करनेकी शर्त किये बिना भरती किये गये बच्चोंको दूसरी जातियोंके बच्चोंके साथ बैठकर भोजन करनेके लिए विवश करना। जबतक इसके विरुद्ध कोई नियम नहीं बनाया जाता तबतक मेरा खयाल है, यही माना जायेगा कि अलग-अलग भोजनकी व्यवस्थाके सामान्य नियम लागू रहेंगे। एक साथ बैठकर भोजन करनेका यह प्रश्न एक टेढ़ा प्रश्न है और मेरी रायमें इस बारेमें कोई निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते। मुझे स्वयं इस बातका विश्वास नहीं है कि एक साथ बैठकर भोजन करना कोई आवश्यक सुधार है, किन्तु साथ ही मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस प्रतिबन्धको बिलकुल तोड़ देनेकी ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं इस प्रतिबन्धके पक्षमें और विपक्षमें प्रमाण दे सकता हूँ। मैं कोई उतावली करना नहीं चाहता। यदि कोई आदमी किसी दूसरेके साथ बैठकर खाना नहीं खाता तो मैं इसे पाप नहीं समझता और यदि कोई एक साथ बैठकर खाना खानेका समर्थन करता है और खाना खाता है तो मैं इसे भी पाप नहीं मानता। लेकिन यदि इसमें किसीको आपत्ति हो तो उसकी उपेक्षा करके इस प्रतिबन्धको तोड़नेके प्रयत्नका मैं विरोध करूँगा। बल्कि मैं तो उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियोंका आदर करूँगा।

अवधके किसान

फैजाबादके श्री मणिलाल डाक्टरने मेरे पास प्रकाशनार्थ यह पत्र भेजा है

मैं हजारों किसानोंके प्रार्थना करनेपर गयासे फैजाबाद लाया गया हूँ।

बिहारमें—चम्पारनमें मेरा भ्रम टूट चुका है। खेतोंमें काम करनेवाले मजदूरोंके लिए भारतमें कोई सुखकी सेज नहीं है। कुलियोंको असम, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, बर्मा और दूर-दूरके उपनिवेश अपनी ओर खींच सकते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है। अवधकी हालत तो और भी खराब है।

यहाँ मांग है कि "हमें विदेशी शासनसे मुक्त होने दो तब मजदूरोको अपना प्राप्य मिल जायेगा।" मुझे विश्वास नहीं होता कि ब्रिटिश सरकारकी जगह जिन लोगोके आनेकी सम्भावना है, वे मजदूरो और किसानोके साथ न्याय करेगे।

कुछ भी हो, जिस स्थितिमें मैं काम करनेके लिए तैयार हुआ हूँ वह इस प्रकार है मजदूरो और किसानोको भारतीय पूंजीवादियो या ब्रिटिश सरकारके हाथोका खिलौना नहीं बनना चाहिए। उन्हें अपने हितोकी देखभाल स्वयं करनी चाहिए और जहाँतक उनके हितोमें हो केवल वहाँतक उनको 'सहयोग' या 'असहयोग' करना चाहिए। उन लोगोमें चरखेका प्रचार अवश्य किया जाना चाहिए और यदि वे सालके खाली महीनोमें मुकदमेवाजी करनेके वजाय अपने कपडे बनानेके लिए सूत काते तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनकी आजीविका तो वर्षके ४ महीनोपर पूरी तरह निर्भर है। उष्ण कटि-वन्धके उपनिवेशोकी तरह नहीं जहाँ साल-भर वर्षा होती है।

भारत एक अच्छा देश है, लेकिन उसे देशी और विदेशी लोगोने मिलकर नरक बना दिया है! हे भगवान, यह दशा कबतक रहेगी!

मुझे आशा है कि श्री मणिलाल डाक्टरको गाँवोमें किसानोके हर घरमें चरखा पहुँचाने और ऐमा करते हुए उन्हें इन लोगोकी आर्थिक स्थितिकी पूरी-पूरी जाँच करनेमें सफलता मिलेगी। हमें जरूरत इस बातकी है कि हम भारतके कुछ गाँवोको चुनकर उनका धैर्यपूर्वक और ठीक-ठीक अध्ययन करे। जैसा कि डाक्टर मैनने^१ दक्षिणके कुछ गाँवोके सम्बन्धमें कुछ साल पहले किया था और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

[अंग्रेजीमें]

यग इंडिया, १९-३-१९२५

१८७. कठिन समस्या

आन्ध्रके एक पत्र-लेखकने अपनी मुश्किलोका इस प्रकार वर्णन किया है

गत सप्ताहके 'यग इंडिया' में एक बगाली सज्जनकी अस्पृश्यता-विषयक पत्रके जवाबमें आपने कहा है, "जब हम शूद्रोके हाथका पानी पी लेते हैं तब हमें अस्पृश्योके हाथका पानी ललेनेमें सकोच नहीं होना चाहिए। 'हम' से मतलब सवर्ण हिन्दुओसे है। मैं उत्तर भारतमें प्रचलित रिवाजोको नहीं जानता। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आन्ध्रमें और हिन्दुस्तानके दक्षिणके दूसरे भागोमें केवल इतना ही नहीं कि ब्राह्मण लोग अब्राह्मणो (दूसरे तीन वर्णों)के हाथका पानी नहीं पीते बल्कि जो लोग अधिक कट्टर हैं वे तो अब्राह्मणोके साथ एक-दम अछूतोका-सा व्यवहार करते हैं।

१ सर हेरोल्ड एच० मैन, सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्री, तथा समाज-सेवी। बम्बई प्रान्तके कृषिसचालक।

आपने अक्सर यह बात कही है कि आप जातिगत ऊँच-नीचके मिथ्या भावको दूर करनेके लिए रोटी-व्यवहार रखनेकी आवश्यकताको जरूरी नहीं मानते हैं। एक बार आपने इस बातको साबित करनेके लिए मालवीयजीका उदाहरण भी पेश किया था और कहा था कि परस्पर आदर और सद्भाव होनेपर भी यदि मालवीयजी आपके हाथका पानी या दूसरी कोई चीज पीने या खानेसे इनकार कर दें तो आपके खयालसे यह आपका तिरस्कार न होगा। मैं यह मानता हूँ कि उनके ऐसा करनेके पीछे तिरस्कारकी भावना न होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रान्तके ब्राह्मण, १०० गजके फासलेसे भी यदि कोई अब्राह्मण उनका खाना देख ले तो उसे न खायेंगे—खाना छू जानेकी बात तो दूर रही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राह चलता कोई शूद्र यदि एक-आध शब्द भी कह दे तो भोजन करते हुए ब्राह्मणको उतनेसे ही गुस्सा आ जायेगा और फिर वह दिन-भर कुछ न खायेगा। यदि यह तिरस्कार नहीं तो फिर क्या है? क्या यह ब्राह्मणोकी अहमन्यता नहीं है? क्या आप इस विषयपर प्रकाश डालेंगे? मैं स्वयं एक ब्राह्मण युवक हूँ और इसलिए अपने अनुभवसे ही ये बातें लिख रहा हूँ।

अस्पृश्यता बहुमुखी दानव है। यह धर्म और नीतिकी दृष्टिमें बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है। मेरी दृष्टिमें रोटी व्यवहार एक सामाजिक प्रश्न है। निश्चय ही वर्तमान अस्पृश्यताकी ओटमें मनुष्य-जातिके कुछ लोगोके प्रति तिरस्कार भाव छिपा हुआ है। यह एक घुन है जो समाजको अन्दर-ही-अन्दरसे खोखला कर रहा है। मनुष्यको अछूत मानना उसके बुनियादी हकोसे इनकार करना है। रोटी व्यवहार न रखना और अस्पृश्यता एक ही चीज नहीं है। समाज सुधारकोसे मेरी प्रार्थना है कि वे इन दोनोंको एक-जैसा न माने। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे “अस्पृश्यो और अनुपगम्यो” के हितको हानि पहुँचायेंगे। इस ब्राह्मण पत्र-लेखककी कठिनाई सच्ची कठिनाई है। इससे मालूम होता है कि यह बुराई कितनी गहरी पैठ गई है। ब्राह्मण शब्द तो नम्रता, अहविस्मृति, त्याग, पवित्रता, साहस, क्षमा, और सत्यज्ञानका पर्यायवाची होना चाहिए, जैसा वह एक समय था। लेकिन आज तो यह पवित्रभूमि ब्राह्मण-अब्राह्मणके आपसी वैमनस्यसे अभिशप्त है। बहुत बातोंमें ब्राह्मणोंने अपनी उस श्रेष्ठताको खो दिया है जिसका उन्होंने दावा कभी नहीं किया था, लेकिन जो उन्हें सेवाके बलपर प्राप्त थी। ब्राह्मण लोग जिसका आज दावा नहीं कर सकते, वे उसी श्रेष्ठताको फिरसे पानेके लिए जी-तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं और इससे हिन्दुस्तानके कुछ भागोंमें अब्राह्मणोको उनके प्रति ईर्ष्या हो गई है। हिन्दू धर्म और देशके सद्भाग्यसे पत्र लेखक-जैसे ब्राह्मण भी हैं जो इस भयकर कुप्रवृत्तिके खिलाफ अपनी पूरी ताकतके साथ लड़ रहे हैं और अब्राह्मणोकी निस्वार्थ भाव और लगनसे बराबर सेवा कर रहे हैं। यह उनकी महान् परम्पराके अनुरूप है। जहाँ-कहीं देखे आज ब्राह्मण ही सबसे आगे आकर अस्पृश्यताके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और अपने पक्षके समर्थनमें शास्त्रोकी साक्षी देते हैं। पत्र-लेखकने दक्षिण-

के जिन ब्राह्मणोंका जिक्र किया है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे समयको पहचाने और ऊँच-नीचकी गलत धारणाको मनमें निकाल दे तथा इस वहमको भी छोड़ दे कि अब्राह्मणको देखने-मात्रसे पाप लगता है और उनकी आवाज सुनकर उनका भोजन अपवित्र हो जाता है। ब्राह्मणोंने ही ब्रह्मको सर्वत्र देखनेकी ससारको शिक्षा दी है तो फिर बाहर अपवित्रता कहाँसे आयेगी। वह तो मनका विकार है। आज ब्राह्मण यह सन्देश फिर दोहराये कि अस्पृश्यताका विचार, कुविचार है। उसीने ससारको यह शिक्षा दी है “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ” मनुष्य स्वय ही अपना उद्धारक है और स्वय अपना शत्रु तथा नाशक भी वही है।

इस आन्त्र पत्र-लेखकने जिन बातोंका उल्लेख किया है, उनसे अब्राह्मणोंको क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। इस पत्र-लेखक-जैसे कितने ही ब्राह्मण उनके सघर्षमें उसी तरह भाग लेंगे जिस तरह वे खुद ले रहे हैं। कुछ लोगोंके पापोंके कारण ब्राह्मणोंकी सारी जातिको ही नहीं धिक्कारना चाहिए। मुझे डर है कि यह वृत्ति बढ़ रही है। अब्राह्मण इतने उदार बने कि अभद्र व्यवहार करनेवालोंसे अच्छे व्यवहारकी आशा ही न करे। कोई राहगीर यदि मेरी तरफ नहीं देखता है अथवा वह मेरे छूनेमें या मेरी उपस्थितिसे या मेरी आवाजसे अपनेको अपवित्र हुआ समझता है तो इसको मैं अपना अपमान नहीं मानूँगा। इतना ही काफी है कि उसके कहनेसे मैं अपने रास्तेसे न हटूँ, या वह सुन लेगा इस डरसे बोलना बन्द न करूँ। जो अपनेको उच्च मानता है उसके अज्ञान और अन्धविश्वासपर मुझे दया आ सकती है लेकिन मैं उसपर क्रोध और उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मेरा तिरस्कार किया जायेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। समय खो देनेसे तो अब्राह्मणोंका मामला ही विगड़ जायेगा। सबसे महत्त्वकी बात तो यह है कि कहीं हृदसे आगे बढ़कर वे अपने ब्राह्मण समर्थकोंको दिक्कतमें न डाल दे। ब्राह्मण तो हिन्दू धर्म और मानवताका सबसे अधिक महकता-दमकता प्रसून है। मैं ऐसा एक भी काम न करूँगा जिससे वह मुरझा जाये। मैं यह जानता हूँ कि वह अपनी रक्षा करनेमें समर्थ है। वह पहले भी बहुत-सी आँधियोंका सामना कर चुका है। लेकिन अब्राह्मण यह कहनेका मौका न दे कि उन्होंने इस प्रसूनकी मुवास और सौन्दर्यको मसल देनेका प्रयत्न किया है। मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मणोंको बरवाद करके अब्राह्मण ऊँचे उठे। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि वे उस ऊँचाईको पहुँच जाये जहाँ अबतक ब्राह्मण पहुँचे हुए थे। ब्राह्मण जन्मसे होते हैं लेकिन ब्राह्मणत्व जन्मसे नहीं होता। यह तो वह गुण है जिसको हममें से छोटेसे-छोटा आदमी भी अपनेमें विकसित कर सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, १९-३-१९२५

१८८. टिप्पणियाँ

“ पागल या महात्मा ”

एक मित्रने निम्नलिखित उद्धरण “ माई मेगजीन ” से नकल करके मेरे पास भेजा है। उनका कहना है कि यह वच्चोके लिए लिखा गया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इसका उत्तर दूँ

१९१८ में उसकी आत्माको कुछ हो गया, जो उसकी शक्तिके लिए घातक सिद्ध हुआ। वह न तो महात्मा बना और न राजनीतिज्ञ ही; बल्कि वह एक हठधर्मी बन गया . . . ब्रिटेनके वचनमें आस्था खोनेके साथ-साथ गांधीने अपना मानसिक सन्तुलन भी खो दिया है।

यूरोपीय सभ्यताके प्रति अपने रोषके कारण वह सम्पूर्ण विज्ञान और सम्पूर्ण संस्कृतिकी निन्दा करनेकी चरम सीमातक पहुँच गया है। उसके विचारसे न अध्यापक, न डाक्टर तथा न इंजीनियरकी जरूरत है। यह रोगाणु शास्त्री तथा निर्माता दोनोंको उपयोगी नहीं मानता है। किसीको कुछ सीखना नहीं है। आदमीके शरीरको अनन्त कर्मण्यतामें रहना होगा और आत्माको ईश्वरकी आवाज सुननेके सिवा और कुछ नहीं करना होगा।

हम उसकी बात उचित ठहरानेकी कोशिश कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि यूरोपीय सभ्यता एक बीमारी है। हम बीमारी और हडताल, गन्दी बस्ती और गरीबी, पापाचरण और निर्लज्ज विषयभोगकी आलोचना भले ही कर सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यही है कि इंजीनियरोंने ही भारतके रेगिस्तानोको सींचा है, डाक्टरोंने ही प्लेगसे संघर्ष किया है और स्कूलके अध्यापकोने ही भारतीयोके मस्तिष्कको जागरूक बनाया है। वैज्ञानिकके निरन्तर परिश्रम किये बिना बीमारियोंके कारण भारत नष्ट हो जायेगा और बिना ब्रिटेनकी सुरक्षाके वह जापानका गुलाम बन जायेगा।

गांधीका विश्वास है कि मानवोको अतीतकी उसी स्थितिमें वापस जाना चाहिए जब शान्ति और प्रेमका ही राज्य था। हमारा विश्वास है कि बर्बरता और अकर्मण्यताको छोड़कर आत्माको ज्ञान, शक्ति और प्रभुत्वकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। गांधीके विचारमें हम गलत रास्तेपर हैं; हम सोचते हैं कि हमारा रास्ता कठिन होते हुए भी वह हमें श्रेष्ठतर जीवनकी ओर ले जाता है। गांधीका विचार है कि मनुष्यको उसकी आत्मा ही ऊँचा उठाती है और हमारा विचार है कि कभी सन्तुष्ट न होनेवाला मस्तिष्क ही सर्वोत्कृष्ट ढंगसे आत्माको ऊँचा उठा सकता है। हम कर्म, ज्ञान और ऐश्वर्यमें विश्वास करते हैं। गांधी अप्रतिरोध, अज्ञान और अकर्मण्यतामें विश्वास करता है।

यूरोपीय सभ्यताके खिलाफ लगाये गये आरोपोंमें कुछ दम जरूर है, लेकिन हमें यही नहीं मानना चाहिए कि भारत सौन्दर्य, शान्ति और सौजन्यकी भूमि है और यहाँके लोग ईश्वर प्रेममें मग्न रहते हैं। भारतमें कुछ ऐसी भयानक चीजें हैं कि जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ ऐसी गन्दी वस्तियाँ हैं, जैसी यूरोपमें कहीं नहीं मिलेगी। यदि हमारी सभ्यता आध्यात्मिक जीवनके लिए खतरनाक है तो भारतीय सभ्यता उसके लिए घातक है। आदमीके मस्तिष्कको निद्रालु होने दिया जाये तो वह नष्ट हो जायेगा।

यह सोचना अशिष्टता नहीं है कि यदि गांधी हमारी सभ्यतामें जो घुराइयाँ हैं उन्हें नहीं बल्कि जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें जाननेकी शिष्टता-मात्र दिखाये तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं।

एक निन्दात्मक लेख

ऐसा माना गया है कि जिस लेखमें ये उद्धरण लिये गये हैं वे मेरे तथाकथित उद्देश्यके आलोचनात्मक विवेचनके लिए लिखा गया है और उसका शीर्षक है "एक असाधारण व्यक्ति—क्या वह पागल है या महात्मा?" मैंने अकसर कहा है कि सत्यकी खोजके पीछे पागल हुए व्यक्तिको ही असाधारण कहना ठीक नहीं है और मैं असाधारण मानव होनेका दावा नहीं करता। जिस अर्थमें प्रत्येक ईमानदार आदमीको पागल होना चाहिए उस अर्थमें, सचमुच मैं पागल हूँ। मैंने महात्माकी पदवीको अस्वीकार किया है, क्योंकि मैं अपनी सीमाओंको और अपूर्णताओंको जानता हूँ। मैं भारतका सेवक होनेका और उसके जरिये मानवताका सेवक होनेका दावा करता हूँ।

उक्त लेखका लेखक ईमानदार है, लेकिन साथ ही अनभिज्ञ भी है। फिर भी वह ऐसे विज्ञासके साथ लिखता है जो आश्चर्यजनक है। तरस इस बातपर आता है कि आधुनिक माहित्यमें इस प्रकारका लेख लिखना कोई नई बात नहीं है। यदि समकालीन पुरुषों और महिलाओंके वारेमें जो स्पष्ट ही असत्य है उसे जनताके सामने रखा जा सकता है तो यह मोचकर मन काँप जाता है कि उन व्यक्तियोंके मरनेके वपों वाद वह अमत्य किम प्रकार विकृत हो कर लोगोंके सामने आयेगा।

अब हम देखते हैं कि इस लेखके लेखकके हाथों सत्यकी कितनी छीछालेदर हुई है। लेखक कहता है, "यूरोपीय सभ्यताके प्रति अपने रोपके कारण वह सम्पूर्ण विज्ञान और उसकी सम्पूर्ण सस्कृतिकी निन्दा करनेकी चरम सीमातक पहुँच गया है।" यद्यपि मैंने नि सन्देह यूरोपीय सभ्यताके खिलाफ जोरदार शब्दोंमें कहा और लिखा है, फिर भी मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी "सम्पूर्ण विज्ञान और उसकी सम्पूर्ण सस्कृति" की निन्दा की हो। इस अपमानजनक लेखके खिलाफ मेरा सारा जीवन एक जीवन्त उदाहरण है। इसके वादका प्रत्येक वाक्य सत्यके विलकुल विपरीत है। लेखकने यह निष्कर्ष कहाँमें निकाला है, यह मैं नहीं जानता। कि मैं स्कूलके अध्यापको और डजीनियरोको विलकुल समाप्त कर देना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति जिसे मेरे वारेमें जरा भी जानकारी है, जानता है कि मैं शारीरिक अकर्मण्यतासे घृणा करता हूँ।

मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे चारों ओर प्रकृति निरन्तर गतिशील है और उससे सहयोग करनेके लिए मैं अपनेको तथा अपने साथी कार्यकर्त्ताओंको निरन्तर ऐसे शारीरिक कार्योंमें लगाये रखता हूँ, जिन्हें मैं लाभदायक मानता हूँ। लेखकका कहना है कि “ब्रिटेनके सरक्षणके बिना भारत जापानका गुलाम बन जायेगा।” यदि किसी स्कूलके छात्रसे कहा जाये कि वह बताये कि उक्त वक्तव्यमें गलती कहाँ है तो वह भी यही कहेगा कि ब्रिटेनकी गुलामी न रहनेपर भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जायेगा और वह जापान तथा अपने दूसरे एगियाई पड़ोसियोंके साथ शान्ति और मेलसे रहेगा। लेखकका विचार है कि भारतीय सभ्यता आध्यात्मिक जीवनके लिए घातक है। जहाँतक मैं जानता हूँ किसी यूरोपीय विद्वान्ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया। चाहे भारतमें ओर कुछ न हो लेकिन उसमें एक बात अवश्य है। वह आध्यात्मिक ज्ञानका सबसे बड़ा भण्डार है। वह आध्यात्मिक जीवनका सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि है। वह अपने मस्तिष्कको एक क्षणके लिए भी निद्रालु नहीं होने देता।

“कैसे रहना चाहिए”

‘यंग इंडिया’में श्री एन्ड्रयूजका लेख पढ़कर एक व्यक्तिये निम्नलिखित समस्या उन्हें लिखकर भेजी थी और उन्होंने उत्तर देनेके लिए कुछ मास पूर्व उसे मुझे दे दिया था।

मैं गाँवमें पैदा हुआ और पाला-पोसा गया। मेरे पिता जब अपने मित्रोंके साथ धार्मिक विषयपर बातचीत करते थे तब वे अक्सर कहा करते थे, ‘अहिंसा परमोधर्म’। जैसा कि आप कहते हैं कि अहिंसा मूल सत्य अद्वैतका ही फलितार्थ है, मैं इस सत्यको वास्तविक रूपमें स्वीकार करता हूँ। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अद्वैत सम्पूर्ण आध्यात्मिक जीवनकी एकतातक ही सीमित नहीं है। जैसा कि आपका विचार मालूम होता है अद्वैतका मतलब है विश्वकी सभी वस्तुओंकी एकता। इसमें किसी तरहका कोई अपवाद नहीं है।

जिस क्षण आदमी अद्वैतको अपना मार्गदर्शक स्वीकार करनेके योग्य बन जाता है उसी क्षण उसकी प्रगति निश्चित हो जाती है। सभी भेदभाव दूर हो जाने चाहिए। हम सब एक हैं। यदि मैं उसे जो कि स्वयं मेरा ही अंग है आघात पहुँचाऊँ तो मुझे कैसे उचित ठहराया जा सकता है। किन्तु यहाँ-पर सन्देह सिर उठाने लगता है। क्या अहिंसाको तर्कसिद्ध अन्तिम सीमा तक व्यवहारमें लाया जाये? यदि ऐसा किया जाये तो क्या तब भी वह सद्गुण रहेगी?

मेरे पिता ‘अहिंसा परमोधर्म’ कहा करते थे। फिर भी जब हमारे परिवारकी भैंस दूध देनेके लिए सीधे खड़े नहीं रहती थी तब वे डण्डा लेकर उसे खूब पीटते थे। वे ऐसा अपने बच्चोंके लिए दूध प्राप्त करनेके लिए करते थे। क्या उनका यह कार्य उचित था?

हिन्दू रामको धर्मवितार फहते हैं। रामने रावणको मारा। क्या यह अनुचित कार्य था? रामने वालिको मारा और वालिके विरोध करनेपर रामने कहा •

अनुजवधू भगिनी सुतनारी।
 चुन सठ ये फन्या सम चारी॥
 इनहि कुदृष्टि चिलोकाहि जोई।
 तेहि घषे फट्ट पाप न होई॥^१

यहांपर यह सिद्धान्त कि 'मारना, हत्या करना नहीं है' धर्मके साक्षात् अवतारके मुहने फहलाया गया है।

उसके बाद हम भगवान् कृष्णके समयमें आये। उस कालकी हमारे पास 'भगवद्गीता' है। जातिर अर्जुनके जो-जो सम्बन्धी हैं, उन्हें वह मारनेके लिए तैयार नहीं। भगवान् कृष्ण उसे लज्जे और मारनेके लिए विवश करते हैं। इसलिए यहां अहिंसाका सिद्धान्त ताकमें रस दिया गया है।

इसलिए मनुष्यको यह पूछना ही पड़ता है कि अहिंसापर अमल करनेके लिए क्या कोई सीमा है। एक लडकीपर बलात्कार हो रहा है। क्या यह उसके लिए सही नहीं है कि वह उस राक्षसको मारकर अपनेको उसके पजेसे छुजा ले? क्या उसे अहिंसाका पालन करना चाहिए?

मछली पकड़ना हिंसा है, सज्जीके रूपमें उपयोग करनेके लिए पीधोको उग्राटना हिंसा है। बीमारीके कीटाणुओंको मारनेके लिए कीटाणुनाशक औषधियोंका उपयोग करना हिंसा है, फिर किस प्रकार जीवित रहा जाये?

एक ब्राह्मण

यदि पिता उन भंगला दूय न निगलने तो दुनियाकी कोई हानि नहीं होती। तुलसीदासने रामके मुंहमें बहून-सी बातें कहलाई हैं, जो मेरी समझमें नहीं आती। वालिका नारा उपायान भी उन्नी प्रकार है। जो पत्तियाँ रामके मुंहमें कहलाई गई हैं उनके शाब्दिक अर्थको माननेवाला आदमी फाँसीपर भले ही न चढाया जाये, वह मुमीवतमे तो पट्ट ही जायेगा। 'रामायण' या 'महाभारत' में किसी नायकसे जो कुछ बतलाया गया है मैं उसे शाब्दिक अर्थमें नहीं लेना और न मैं यह समझता कि ये पुस्तके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। वे विविध ढंगमें हमें मूलभूत सत्यका साक्षात्कार कराती हैं। जैसा इन दो महाकाव्योंमें वर्णित है, मैं यह नहीं मानता कि राम और कृष्ण दोषोंमें परे हैं। वे अपने युगके विचारों और महत्वाकाक्षाओंको व्यक्त करते हैं। केवल एक दोषाक्षम व्यक्ति ही दोषाक्षम व्यक्तियोंका सही चित्रण कर सकता है। इसलिए आदमीको केवल इन महान् रचनाओंमें निहित भावनाको ही पथ-प्रदर्शकके रूपमें ग्रहण करना चाहिए। शब्द तो आदमीका गला घोट देगे और सारी

प्रगतिको वन्द कर देगे। जहाँतक 'गीता'का सम्बन्ध है मैं इसे ऐतिहासिक विवरण नहीं मानता। यह आध्यात्मिक सत्यको हृदयमे बैठानेके लिए भौतिक उदाहरणका आश्रय लेती है। यह चचेरे भाइयोंके बीच होनेवाली लड़ाईका नहीं बल्कि हममें रहनेवाली दो प्रकृतियों — अच्छाई और बुराई — के बीच होनेवाली लड़ाईका वर्णन है। मैं 'ब्राह्मण' को सुझाव देता हूँ कि वह उन घटनाओंको जो उसने उद्धृत की हैं, एक ओर रखकर स्वयं अहिंसाके सिद्धान्तका परीक्षण करे। 'अहिंसा परमोधर्म' यह जीवनके सर्वोच्च सत्योमे से है। उसके पालनसे तनिक भी चूकना पतन मानना चाहिए। हो सकता है यूक्लिड द्वारा परिभाषित सीधी लकीरे खींची न जा सके। किन्तु कार्य न होनेसे परिभाषाको नहीं बदला जा सकता। यदि इस कसीटीपर कसा जाये तो पीधोको उखाडना भी एक बुराई है। और कौन ऐसा है जो सुन्दर गुलाबके फूलको तोड़नेमे पीडा अनुभव नहीं करता? हम घासपातको उखाडनेमे पीडा महसूस नहीं करते किन्तु इससे सिद्धान्तपर कोई प्रभाव नहीं पडता। इससे मालूम होता है कि हम यह नहीं जानते कि घासपातका प्रकृतिमे क्या स्थान है। किसी भी तरहका आघात पहुँचाना अहिंसाके सिद्धान्तका उल्लंघन करना है। अहिंसाके पूर्ण उपयोगसे जरूर जीवन असम्भव हो जाता है। तब सत्यको ही कायम रहने दिया जाये, चाहे हम सब न रहे। प्राचीन शिक्षक इस सिद्धान्तको आखिरी तर्कसिद्ध सीमातक ले गये हैं और उन्होंने लिखा है कि भौतिक जीवन एक पाप है, एक उलझन है। इसलिए मोक्ष भौतिक जीवनसे ऊपरकी स्थिति है, जिसमे शरीरका अस्तित्व नहीं होता। उसमे न तो खाना होता है, न पीना और इसीलिए न भैंसका दूध निकालना होता है और न घासपातका उखाडना ही। हो सकता है कि हमारे लिए सत्यको ग्रहण करना या उसका मूल्यांकन करना कठिन हो। विलकुल उसके अनुसार आचरण करना असम्भव हो सकता है, और है भी। फिर भी मुझे सन्देह नहीं कि यही सत्य है। हम इसके अनुरूप अपने जीवनको ढालनेका भरसक प्रयत्न करे यही ठीक है। सच्चे ज्ञानका मतलब है, आधी विजय। जिस सीमातक हम इस महान् सिद्धान्तको अपने वास्तविक जीवनमे उतारते हैं उसी सीमातक वह जीने और प्रेम करने योग्य बनता है। तब हम शरीरके शाश्वत गुलाम बने रहनेकी अपेक्षा शरीरको ही अपना गुलाम बना कर रखते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-३-१९२५

१८९. कोहाटकी जाँच^१

तिरुपुर

१९ मार्च, १९२५

कोहाटकी दुर्घटनाके सम्बन्धमें मैं अपना और मौलाना शौकत अलीका वक्तव्य अब प्रकाशित कर पा रहा हूँ। इससे पहले उसे प्रकाशित करना सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि मैं और मौलाना दोनों सफरमें रहे और हम दोनोंकी ठहरनेकी जगह भी हमेशा एक नहीं होती थी। मैं यह निश्चित रूपसे नहीं कह सकता कि इस अवसरपर इन वक्तव्योको प्रकाशित करनेसे सिवा इसके कि इससे मेरा वादा पूरा होगा और कोई बड़ा लाभ होगा या नहीं। लेकिन इनके प्रकाशनसे एक फायदा जरूर होगा। एक-से ही तथ्योंसे हम लोगोंने जो अनुमान लगाये हैं, उनमें भारी भेद है। गवाहोकी गवाहीपर भी किसने कितना विश्वास किया इसमें भी फर्क है। जब हमने इस मतभेदको महसूस किया तो हमें दुःख हुआ और इस मतभेदको जितना भी हो सके दूर करनेकी हम दोनोंने कोशिश की। अपने इस मतभेदको हमने हकीम साहब और डा० असारीके सामने भी पेश किया और उनकी सलाह माँगी। सौभाग्यसे जब हम इसपर विचार कर रहे थे, पण्डित मोतीलालजी भी वहाँ मौजूद थे। इस विचार-विमर्शमें हमें कोई बात ऐसी न मिली जिससे हमारे दृष्टिकोणमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आता। यह बहस दिल्लीमें हुई थी। हमने फिर यह निश्चय किया कि कुछ घटे हम दोनों साथ-साथ सफर करे और अपने हृदयकी इस दृष्टिसे परीक्षा करे कि हम अपने वक्तव्योको बदल सकते हैं या नहीं। कुछ बातोंको हम लोगोंने बदला जरूर लेकिन हमारे मतभेद दूर नहीं हो सके। हम लोगोंने हकीम साहबके इस सुझावपर भी, जिसका कुछ अंशमें पण्डित मोतीलालजीने भी समर्थन किया था, विचार किया है कि हमारा वक्तव्य प्रकाशित ही न किया जाये। लेकिन हम, कमसे-कम मैं तो इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि जनताको जो मुझे और अली भाइयोको कुछ सार्वजनिक प्रश्नोपर हमेशा एक मानती थी, यह भी जान लेना चाहिए कि कुछ प्रश्नोपर हममें भी मतभेद हो सकता है। इस मतभेदके बावजूद हमारे मनमें यह शका नहीं आई कि हममें से किसीने जानबूझकर पक्षपात किया है या सत्य प्रमाणोको तोड़-मरोड़कर उससे अपना मतलब निकाला है और न इससे हमारे आपसी प्रेममें कोई फर्क ही आया है। हम यदि खुले तौरसे अपने मतभेदोको स्वीकार कर लेंगे तो वह जनताके लिए आपसी सहनशीलताका एक पदार्थपाठ बन सकेगा। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस मतभेदको दूर करनेके प्रयत्नमें मैंने या मौलाना साहबने कोई बात उठा नहीं रखी है। लेकिन अपनी रायको छिपानेकी भी हम लोगोकी कोई

१ इसका मसविदा (एस० एन० १०६७६ आर०) गाधीजीने रावलपिण्डीसे लौटते हुए तैयार किया था। देखिए “कोहाटके हिन्दू”, ९-२-१९२५।

मशा नहीं थी। अपने मूल वक्तव्यमें हमने कुछ रद्दोवदल किया है लेकिन दोनों अपने-अपने निश्चित मतपर कायम ही रहे। किसीको बुरा न मालूम हो इसलिए हम दोनोंने कुछ जगहोमें भाषा नरम कर दी है, लेकिन इसके सिवा मूल वक्तव्योमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है।

मो० क० गांधी

श्री गांधीका वक्तव्य

तिरुपुर

१९ मार्च, १९२५

मौलाना शौकत अली और मैं कोहाटके हिन्दू आश्रितो और कुछ मुसलमानोसे मिलनेके लिए ४ तारीखको रावलपिंडी पहुँचे। इन मुसलमानोको मौलानाने पत्र लिख कर निमन्त्रित किया था और ये लोग रावलपिंडी आनेवाले थे। एक दिन बाद लाला लाजपतराय भी आ पहुँचे। लेकिन दुर्भाग्यसे वे बुखार ले कर ही आये थे और जबतक हम लोग रावलपिंडीमें रहे उन्हें विस्तरपर ही रहना पडा।

जिन मुसलमानोकी हमने गवाही ली उनमें मौलवी अहमद गुल और पीर साहब कमाल मुख्य थे। हिन्दुओके पास तो लिखा और छपा हुआ वक्तव्य था। उन्हें उससे अधिक कुछ नहीं कहना था। कोहाटमें जो मुस्लिम कार्यवाहक समिति काम कर रही है वह न तो गवाही देना चाहती थी और न उसने दी। उसने मौलाना साहबको इस मतलबका तार भेजा

हिन्दू और मुसलमानोमें पहले ही समझौता हो गया है। हमारी रायमें इस सवालको फिर छेडना उचित नहीं है। इसलिए यदि मुसलमान लोग अपने प्रतिनिधि रावलपिंडी न भेजें तो उन्हें आप क्षमा करेगे।

मौलवी अहमद गुल और जो दूसरे सज्जन उनके साथ रावलपिंडी आये थे वे इस कार्यवाहक समितिके सदस्य थे। लेकिन उन्होने कहा कि वे खिलाफत समितिके सदस्यकी हैसियतसे आये हैं, कार्यवाहक समितिके सदस्यकी हैसियतसे नहीं।

ऐसी स्थितिमें मोकेपर जाकर पूरा निरीक्षण किये बिना और अन्य दूसरे गवाहोकी गवाही लिये बिना, छोटी-छोटी तफसीलोके सम्बन्धमें निष्कर्षपर पहुँचना बड़ा ही मुश्किल था। हम लोग यह नहीं कर सके, न हम कोहाट ही जा सके। हमारा यह इरादा भी नहीं था कि छोटी-छोटी बातोपर ध्यान देकर गंडे मुर्दे उखाड़े। हमारा मकसद तो यही था कि यदि मुमकिन हो तो दोनों दलोमें समझौता करा दे। इसलिए हमने जितना बन सका मुख्य-मुख्य बातोको ही स्पष्ट करनेकी कोशिश की।

मौलाना साहबके साथ इन सब बातोके बारेमें मशविरा किये बिना ही मैं यह लिख रहा हूँ इसलिए इसमें सिर्फ मैंने अपना ही निर्णय दिया है। मौलाना ठीक समझे तो इसका समर्थन करे अथवा अपना वक्तव्य अलग प्रकाशित कराये।

९ सितम्बर और उसके बाद जो घटनाएँ हुईं उनके कई कारण थे। उनमें एक यह भी था कि हिन्दू पुरुष और विवाहित स्त्रियोके धर्मान्तर (मेरी रायमें ऐसे

धर्मान्तरको वास्तविक धर्मान्तर नहीं कह सकते) से हिन्दू लोग विगडे और उन्होंने उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की उससे मुसलमान लोग उससे भी ज्यादा विगड उठे। दूसरा कारण था कोहाटके हिन्दू व्यापारियोंको निकाल देनेकी पराचाओ (मुसलमान व्यापारी) की इच्छा।^१ और तीसरा कारण मुसलमानोंका इस अफवाहसे उत्तेजित होना था कि सरदार माखनसिंहजीके पुत्रने किसी विवाहित मुसलमान लडकीका हरण किया है।^२

इन सब कारणोंका परिणाम यह हुआ कि दोनों कौमोंके बीच बड़ा तनाव आ गया। इस आगके एकदम भडक उठनेका कारण हुई सनातन धर्म सभाके मन्त्री श्री जीवनदासकी मशहूर पत्रिकाकी एक कविता। यह पत्रिका रावलपिंडीमें प्रकाशित होकर कोहाटमें पहुँची। उसमें श्रीकृष्ण और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी तारीफमें कितनी ही कविताएँ और भजन थे। लेकिन उसमें वह अपमानजनक कविता भी थी, जो जानबूझ कर मुसलमानोंके दिलोंको दुखानेके लिए लिखी गई थी। वह श्री जीवनदासकी लिखी हुई नहीं थी और न वे उस पत्रिकाको मुसलमानोंको चिढ़ानेके लिए कोहाट लाये थे। जैसे ही सनातन धर्म सभाका इस बातकी ओर ध्यान खींचा गया, उसने उम कविताके लिए लिखित माफी माँगी और बची हुई प्रतियोंमें से उसे निकलवा दिया। उससे मुसलमानोंको सन्तोष हो जाना चाहिए था लेकिन उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। बची हुई प्रतियाँ जो मुसलमानोंके मुताबिक ५०० से कुछ अधिक और हिन्दुओंके मुताबिक ९०० से कुछ अधिक थी टाउन हालमें लाई गई और डिप्टी कमिश्नर और मुसलमानोंकी एक बड़ी भीडके सामने सार्वजनिक तौरपर जला दी गई। पत्रिकाके मुरय पृष्ठपर श्रीकृष्णकी तस्वीर भी थी। श्री जीवनदासको गिरफ्तार किया गया। यह घटना ३ सितम्बर, १९२४को हुई। ११ तारीखको वे अदालतमें पेश किये जानेवाले थे। हिन्दुओंने अदालतसे बाहर ही आपसमें निपटारा करनेकी कोशिश की। इसके लिए पेशावरसे खिलाफतवालोंका एक शिष्टमण्डल भी आया था। मुसलमान लोग शरीयतके मुताबिक जीवनदासका इन्साफ करना चाहते थे। हिन्दुओंने इससे इनकार किया लेकिन खिलाफतवालोंके निर्णयको माननेके लिए वे राजी हो गये। लेकिन सब कोशिशें बेकार गईं। इसलिए हिन्दुओंने श्री जीवनदासको रिहा करनेके लिए अर्जी दी। ८ सितम्बरको जमानत लेकर और इस शर्तपर कि वे कोहाट छोडकर चले जायेंगे, उन्हें छोड दिया गया। उन्होंने तो कोहाट एकदम छोड दिया। लेकिन मुकदमेसे पहले उनके इस प्रकार छूट जानेके कारण मुसलमानोंका क्रोध भडक उठा। ८ सितम्बरकी रातमें उनकी एक सभा हुई जिसमें बड़े जोशीले व्याख्यान हुए। उसमें यह निर्णय हुआ कि वे सब मिलकर डिप्टी कमिश्नरके पास जायें और जीवनदासको फिर गिरफ्तार करनेके लिए और सनातन धर्म सभाके कुछ और सदस्योंको भी गिरफ्तार करनेकी माँग करें। और डिप्टी कमिश्नरके यह बात न माननेपर हिन्दुओंमें पूरा-पूरा बदला लेनेकी धमकी

१ मूल मसविदेमें वाक्य इस प्रकार है “(३) क्योंकि विजय सम्बंधी ममारोहोंमें हिन्दुओंके भाग न लेनेके कारण मुसलमान नाराज थे।”

२ मूल मसविदेमें यह वाक्य भी है “यह मामला झूठा साबित हुआ है।”

भी दी गई थी। आसपासके गाँवोंको सन्देश भेजे गये कि लोग सुबह इस सभामे आ कर शामिल हो। पीर कमाल साहबके मुताबिक दूसरे दिन गुस्सेसे भरे हुए कोई दो हजार मुसलमान टाउन हालकी तरफ रवाना हुए। डिप्टी कमिश्नरने उनसे प्रार्थना की कि उनमे से कुछ थोड़े लोग आकर उनसे मिले। लेकिन लोग न माने और उन्हे मजबूरन बाहर आकर इतनी बड़ी भीडका सामना करना पडा। उन्होने उनकी माँग स्वीकार कर ली, और अपनी जीतपर खुश भीड तितर-बितर हो गई।

पिछले हफ्तेमे हिन्दू लोग डरके मारे घबडा गये थे। उन्होने ६ सितम्बरको एक पत्र लिखकर मुसलमानोमे फैले हुए जोशकी डिप्टी कमिश्नरको खबर दी। लेकिन उनकी हिफाजतके लिए डिप्टी कमिश्नरने कोई कदम नही उठाये। ८ तारीखको रातमे जो सभा हुई थी उसकी उन्हे खबर थी। उन्होने ९ तारीखकी सुबह अपना भय अधिकारियोपर प्रकट करनेके लिए, कितने ही तार भेजे और श्री जीवनदासको फिर गिरफ्तार न करनेका अनुरोध किया। अधिकारियोने फिर भी कुछ ध्यान न दिया। टाउन हालसे वापस आकर भीडने क्या किया इसपर बडा ही मतभेद है। मुसलमान कहते है कि हिन्दुओने ही पहले गोली चलाई थी। उससे एक मुसलमान लडका मर गया और दूसरा घायल हो गया। इससे उस भीडका गुस्सा भडक उठा जिसके फलस्वरूप लूटमार और आगजनी आदि वारदाते हुई। हिन्दुओका कहना है कि मुसलमानोने ही पहले गोली चलाई थी और हिन्दुओने बादमे आत्मरक्षा करनेके लिए गोलियाँ चलाई। वे कहते है कि यह लूटना, आग लगाना इत्यादि कार्रवाइयाँ पहले ही से निश्चित योजनाके अनुसार और इशारेपर की गई थी।

इसका कोई ठीक प्रमाण नही मिलता है इसलिए मैं कोई निश्चित निर्णयपर नही पहुँच सका हूँ। मुसलमानोका कहना है कि यदि हिन्दुओने पहले गोली न चलाई होती तो कुछ भी नुकसान न होता। मैं इसे नही मान सकता। मेरा खयाल तो यह है कि हिन्दुओने गोलियाँ चलाई होती या न चलाई होती, कुछ नुकसान तो जरूर ही होना था।

किसीने भी पहले गोली क्यों न चलाई हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गोली चलनेके पहले ही भीडने सरदार माखनसिंहका बाग उजाड दिया था और उनके मकानमे आग लगा दी थी। इसमे भी कोई शक नही कि हिन्दुओने किसी समय गोलियाँ जरूर चलाई थी। जिनसे कुछ मुसलमान मारे गये और कुछ जखमी हुए थे। मेरा खयाल यह है कि अपनी विजयपर इतराती हुई वह भीड जब चारो तरफ बिखरने लगी तब जाते-जाते उसने हिन्दुओके घरो और दुकानोके सामने कुछ उत्तेजनात्मक प्रदर्शन जरूर ही किये होंगे। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ हिन्दू घबडा ही रहे थे और उन्हे हरदम उपद्रव मचनेका डर लगा हुआ था। इसलिए कोई आश्चयकी बात नही यदि वे उनके प्रदर्शनोको देखकर काँप उठे हो और उनमे से किसीने गोली चलाकर भीडको भगा देना चाहा हो। लेकिन मुसलमानोका गुस्सा तो इससे जरूर ही बढ़ता, क्योंकि उन्हे हिन्दुओकी तरफसे मुकाबलेकी आदत ही न थी। जैसा कि पीर साहब कहते है कि सीमा प्रान्तके मुसलमान अपनेको 'नायक' (रक्षक) और हिन्दुओको

‘हमसाया’ (रक्षित) मानते हैं। इसलिए हिन्दुओंने जितना अधिक डटकर मुकाबला किया उतना ही अधिक उस भीड़का क्रोध बढ़ता गया।

इसलिए इस घटनाके लिए कौन कितना जिम्मेदार है इसका निर्णय करते समय मेरी दृष्टिमें पहले गोली किसने चलाई, इस प्रश्नका कुछ अधिक महत्त्व नहीं है। इसमें शक नहीं कि यदि हिन्दुओंने आत्मरक्षाके लिए भी उनका सामना न किया होता अथवा उन्होंने पहले गोली न चलाई होती—यदि मान लें कि उन्होंने चलाई ही थी—तो मुसलमानोंका उपद्रव जल्दी ही शान्त हो गया होता। लेकिन जिन हिन्दुओंके पास हथियार थे और जो उनको थोड़ा-बहुत चलाना भी जानते थे उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे मुसलमानोंका सामना न करते। मुसलमान गवाहोंको इस वानमें भी शका है कि ९ तारीखको कुछ हिन्दू मारे गये या जल्मी हुए। लेकिन मैं यह निश्चय मानता हूँ कि उस रोज मुसलमानोंके हाथ कुछ हिन्दू जरूर मारे गये या जल्मी हुए थे। हताहतोंकी कुल मर्यादा देना मुश्किल है। मुझे यह लिखते समय सुगो है कि कुछ मुसलमानोंने हिन्दुओंके दोस्त बनकर उन्हें आश्रय दिया था।

यह तो आमतौरपर स्वीकार कर लिया गया है कि १० सितम्बरको मुसलमानोंके क्रोधकी कुछ सीमा न थी। निःसन्देह हिन्दुओंके हाथों बहुतसे मुसलमानोंके मारे जानेकी अफवाहें बड़ा-चढाकर फैलाई गईं और आमपासके कबाइली मुसलमान दीवारों तोड़कर या दूसरे रास्तोंसे कोहाटमें घुस आये। सारे शहरमें कल और लूट शुरू हो गई, पुलिसने भी डममें खुलकर हिस्सा लिया और अधिकारी जो इसे रोक सकते थे, खड़े तमाशा देखते रहे। अगर हिन्दुओंको उनके घरोंसे हटाकर छावनीमें न पहुँचाया गया होता तो उनमें से शायद ही कोई बच पाता। इस बातपर भी बड़ा जोर दिया जा रहा है कि मुसलमानोंका भी नुकसान हुआ है। कबाइली मुसलमानोंपर तो जब एक मरतवा लूटनेका भूत सवार हो गया फिर उन्होंने यह नहीं देखा कि यह हिन्दूका माल है या मुसलमानका। हालाँकि यह बात सच है, फिर भी मैं यह नहीं मानता कि हिन्दुओंके मुकाबलेमें मुसलमानोंको कुछ भी नुकसान पहुँचा है। और मैं सादर यह भी कहना चाहता हूँ कि खिलाफतके कुछ स्वयंसेवकोंने, जिनका कर्तव्य ऐसे समयमें हिन्दुओंको अपना भाई मानकर उनकी रक्षा करना था, अपना फर्ज अदा नहीं किया। वे मिर्फ लूटमें ही शामिल नहीं हुए बल्कि लोगोंको शुरूमें उकसानेमें भी उन्होंने हिस्सा लिया।

लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात तो अभी कहनी बाकी ही है। झगड़के दिनोंमें मन्दिरोंको भी, जिनमें एक गुरुद्वारा भी शामिल था, नुकसान पहुँचाया गया था और मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी। बहुतसे लोगोंने जवरन धर्मपरिवर्तन या कहनेको धर्मपरिवर्तन किया अर्थात् अपनी जान बचानेके लिए इस्लाम अपनानेका दिखावा किया। दो

१ २६-३-१९२५ के रंग इडियामें प्रकाशित वक्तव्यमें शौकत अलीने लिखा था जहाँतक दंगोंके दिनोंमें हुए इन तथाकथित बलात् धर्मपरिवर्तनोंका सवाल है, मेरी स्थिति स्पष्ट है। मुझे बलात् धर्मपरिवर्तनसे सख्त नफरत है। ऐसा करना इस्लामकी भावनाके खिलाफ है। यदि ऐसा किया गया हो तो वह घोर निन्दाके लायक है, पर सचमुचमें ऐसा हुआ है इसका मुझे विश्वास नहीं है।

हिन्दुओको सिर्फ इसलिए बुरी तरहसे कल्ल किया गया था क्योंकि उन्होंने (एकने निश्चय ही, दूसरेने अनुमानत) इस्लामको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया था। ऐसे धर्मपरिवर्तनका एक मुसलमान गवाह इस प्रकार वर्णन करता है।

हिन्दू मुसलमानोके पास आये और उनसे अपनी शिखा काट लेने और जनेऊ तोड़ डालनेके लिए कहा। अथवा जिन मुसलमानोंके पास आश्रय पानेके लिए गये उन्होने उनसे कहा, “यदि तुम अपनेको मुसलमान घोषित कर दो और हिन्दू धर्मके चिह्न निकाल फेंको तो तुम्हारी रक्षा की जायेगी।”

यदि हिन्दुओके कहनेपर विश्वास किया जाये तो सत्य इससे भी अधिक कटु है। इन मुसलमान मित्रके साथ न्याय करनेके लिए मुझे यहाँ यह कह देना चाहिए कि उन्होने ऐसे कार्योको धर्मपरिवर्तन नहीं माना। इसके वारेमे कमसे-कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह हिन्दू-मुसलमान दोनोके लिए शर्मकी बात है। मुसलमानोने यदि उन नामर्द हिन्दुओको हिम्मत दी होती और हिन्दू बने रहने और हिन्दू धर्मके चिह्न रखनेपर भी उनकी रक्षा की होती तभी मैं उन्हें काबिले-तारीफ मानता। हिन्दुओने भी यदि सिर्फ जिन्दा रहनेके लिए, चाहे वह उपरी दिखावेके लिए ही क्यों न हो, अपने धर्मका परित्याग करनेके बजाय मर जाना अधिक पसन्द किया होता तो सिर्फ हिन्दू ही नहीं सारी मानव-जातिकी भावी पीढियाँ उन्हें वीर और शहीद मानकर पूजती और उनपर गर्व करती।

मुझे अब सरकारके वारेमे भी कुछ कहना है। स्थानीय अधिकारियोने अपने कर्त्तव्यके प्रति शर्मनाक उदासीनता, अयोग्यता और कमजोरी दिखाई है।

उस अपमानजनक कविताके निकाल देनेके बाद पत्रिकाका जलाना भूल थी।

श्री जीवनदासको गिरफ्तार कर लेना ठीक था लेकिन उन्हें ११ तारीखके पहले छोड़ देना एक भूल थी।

छोड़ देनेके बाद उन्हें फिर गिरफ्तार करना एक जुर्म था।

६ सितम्बरको और फिर ९ तारीखको हिन्दुओकी इस चेतावनीपर कि उनकी जान व माल खतरेमे है, ध्यान न देना जुर्म था।

आखिरकार जब दगा हुआ उस समय उनकी रक्षा न करना भी बडा जुर्म था।

आश्रितोको वहाँसे हटानेके बाद उनके खानेकी व्यवस्था न करना और रावल्पींडी पहुँचानेके बाद उनको अपने ही भरोसे छोड़ देना एक अमानवीय काम था।

भारत सरकारने इस मामलेकी, और इससे सम्बन्धित अधिकारियोकी जाँचके लिए एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त न करके अपने कर्त्तव्यके प्रति बडी लापरवाही दिखाई है।

अब रही भविष्यकी बात। मुझे अफसोस है कि वह भी कुछ अधिक उजला नहीं दिखाई देता। यह बडे दुःखकी बात है कि मुस्लिम कार्यवाहक समितिने हमारी जाँचके समय अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। जिस समझौतेका जिक्र किया गया है वह समझौता दोनो कौमोके खिलाफ मुकदमे चलानेकी धमकी देकर करवाया गया है। यह समझमे नहीं आता कि ऐसी शक्तिशाली सरकारने ऐसा समझौता करानेमे भाग

कैसे लिया। यदि इस डरसे कि कवाइली मुसलमान फिर दगा मचायेगे, सरकार मुकदमे नहीं चलाना चाहती थी तो उसे यह बात साफ-साफ कह देनी चाहिए थी और मुकदमे चलानेसे इनकार कर देना था, और वादमें सरकारको दोनो कौमोंमें वाइज्जत सुलह व मैत्री करानेका प्रयत्न करना चाहिए था।

यह समझीता मूलत गलत है, क्योंकि इसमें खोये और नष्ट मालकी क्षतिपूर्ति-का कोई उल्लेख नहीं है। और यह इसलिए भी बुरा है कि इसके अनुसार श्री जीवन-दासपर, जिन्हें बेकार ही बलिका बकरा बनाया जा रहा है, अभी मुकदमा चलाया जानेवाला है।

इसलिए यदि सचमुच दिलोसे ट्रेप दूर करना है और सच्ची सुलह करनी है तो यह आवश्यक है कि मुसलमान हिन्दू आश्रितोको बुलाकर उन्हें उनकी हिफाजतका यकीन दिलाये और उनके मन्दिरों और गुम्बारोंको फिरसे बनानेमें मदद करनेका वचन दे।

लेकिन सबसे बड़ा आश्वासन तो उन्हें इस बातका देना होगा कि जवरदस्ती किसीका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जायेगा और दोनो कौमों ऐसे धर्म परिवर्तनोको कबूल भी न करेगी, सिर्फ वही धर्म परिवर्तन माना जायेगा जिसके साक्षी दोनो कौमोंके अगुआ रहेंगे और जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा हो वह यह अच्छी तरह समझता हो कि वह क्या कर रहा है। मैं स्वयं तो यही पसन्द करूँगा कि धर्मान्तर और शुद्धि सब, पूरी तरह वन्द कर दिये जाये। हर व्यक्तिका धर्म उसका अपना निजी मामला है। वालिग स्त्री या पुरुष जब या जितनी दफा चाहे अपना धर्म बदल सकते हैं। किन्तु यदि मेरा बस चलता तो मैं मनुष्यके अपने व्यक्तिगत आचरणसे दूसरेको प्रभावित करनेके अलावा और सभी प्रकारके प्रचार-कार्य वन्द कर देता। सीमा प्रान्तमें किसी सच्चे धर्म परिवर्तनके होनेकी बात भी मैं सोच नहीं सकता। हिन्दू लोग वहाँ सिर्फ ऐसे व्यापारकी गरजसे रहते हैं, सख्यामे बहुत ही कम और हथियार चलाना न आने पर भी वे ऐसे बहुसख्यक लोगोके साथ रहते हैं जो शारीरिक शक्तिमे और हथियार चलानेमे उनसे कहीं बढकर हैं। ऐसी परिस्थितिमे दुर्बल हृदयके मनुष्यका सासारिक लाभके लिए इस्लामको अगीकार करनेके लोभसे वचना कठिन होता है।

ऐसा आश्वासन उनकी ओरसे मिले या न मिले, हृदयका सच्चा परिवर्तन सम्भव हो या न हो, मुझे तो जो रास्ता अपनाना चाहिए वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबतक यह विदेशी सत्ता कायम रहेगी उसके साथ कहीं-न-कहीं सम्बन्ध रखना भी अनिवार्य होगा। लेकिन जहाँ मुमकिन हो वहाँ उससे सब प्रकारके ऐच्छिक सम्बन्ध तोड़ देने चाहिए, यही एक रास्ता है जिससे कि हम लोग आजादी महसूस कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। जब एक बहुत बड़ी सख्यामे लोग आजादी महसूस करने लगेंगे, हम स्वराज्यके लिए तैयार हो जायेंगे। स्वराज्यके सन्दर्भमे ही मैं ऐसे सवालोकें जवाब सुझा सकता हूँ। इसलिए मैं भविष्य के राष्ट्रीय लाभकी वेदीपर वर्तमान व्यक्तिगत लाभोका बलिदान करना चाहूँगा। यदि मुसलमान हिन्दुओकी ओर मित्रताका हाथ बढानेसे इनकार करे और कोहाटके हिन्दुओकी सब-कुछ खोना पड़े,

तो भी मैं यही कहूँगा कि जबतक उनमें और मुसलमानोंमें पूरी तरह सुलह नहीं हो जाती और वे यह महसूस नहीं करते कि वे ब्रिटिश सगीनोंकी मददके बिना उनके साथ चैनसे रह सकेंगे तबतक, उन्हें कोहाट वापस लौटनेका विचार भी न करना चाहिए। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यह तो आदर्शकी बात है और यह सम्भव नहीं कि हिन्दू उसके अनुसार चल सकें। फिर भी मैं कोई दूसरी सलाह नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ यही एक व्यावहारिक सलाह दे सकता हूँ। यदि वे इसकी कद्र नहीं कर सकते तो उन्हें अपने ही मनके अनुसार काम करना चाहिए। वे ही अपनी शक्तको अच्छी तरह जानते हैं। वे देशभक्त या देशसेवककी हैसियतसे तो कोहाट नहीं गये थे और न ही वे अब देशसेवककी हैसियतसे वहाँ वापस लौटना चाहते हैं। वे तो अपने माल-पर फिर कब्जा पानेके लिए ही वहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए वे वही काम करेंगे जो उन्हें लाभदायी और सम्भव मालूम होगा। उन्हें सिर्फ दो बातें एक साथ नहीं करनी चाहिए, अर्थात् एक ओर मेरी सलाहपर अमल करनेकी कोशिश करना और साथ-ही-साथ सरकारसे सुलहकी शर्तोंके लिए लिखा-पढी करना। मैं जानता हूँ कि वे असहयोगी नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेजोंकी मददपर हमेशा भरोसा रखा है। मैं तो उन्हें परिणाम-भर बता सकता हूँ। आगे अपना रास्ता वे खुद पसन्द करे।

मुसलमानोंके लिए भी मेरी सलाह वैसी ही सीधी-सादी है।

जवरदस्ती किये गये या ऐसे ही नाम-मात्रके धर्म परिवर्तनसे हिन्दुओंको उद्वेग हो या कुछ हिन्दू अपनी खोई हुई पत्नियोंको वापस लानेका प्रयत्न करे तो इसमें मुसलमानोंके नाराज होनेकी कोई बात नहीं है।

मैं यह जानता हूँ कि सरदार माखनसिंहका पुत्र अदालतसे अपहरणके दोषसे बरी होकर छूट गया तो भी बहुतसे मुसलमान उसे दोषी ही मानते हैं। लेकिन यदि यह मान भी ले कि उसने यह कसूर किया था तो भी उस एकके दोषके कारण सारी जातिसे ऐसा भयकर बदला लेना उचित नहीं है।

उस पत्रिकाको, जिसमें वह अपमान करनेवाली कविता छपी थी, मँगाना, खासकर कोहाट जैसी जगहमें बेशक बुरा था। परन्तु सनातन धर्म सभाने लिखित माफी माँगकर उसका काफी प्रायश्चित्त कर लिया था। मुसलमानोंको उससे सन्तोष न हुआ और उन्होंने उस पत्रिकाको श्रीकृष्णकी तस्वीरके साथ ही जला देनेपर सभाको मजबूर किया। उसके बाद उन्होंने जो-कुछ भी हिन्दुओंके साथ किया वह जरूरतसे कहीं ज्यादा था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मैं यह निश्चित रूपसे नहीं कह सकता कि पहले गोली किसने चलाई थी। लेकिन यदि यह मान भी ले कि हिन्दुओंने ही पहले गोली चलाई थी तो उन्होंने डरकर, धवराकर आत्मरक्षाके लिए ही गोली चलाई थी। इसलिए यद्यपि इसे उचित नहीं कह सकते तो भी वह क्षम्य तो अवश्य था। उसके बाद जो ज्यादातियाँ की गईं, सब अनुचित और अनावश्यक थीं। मुसलमानोंका स्पष्ट कर्त्तव्य है कि इस स्थितिमें वे जितना बन पड़े हिन्दुओंके नुकसानकी भरपाई करे। मुसलमानोंको हिन्दुओंसे अपनी हिफाजतके लिए सरकारी मददकी कोई जरूरत नहीं है। यदि हिन्दू चाहे तो भी उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन यहाँ भी मेरी

स्थिति मजबूत नहीं है। मुझे अभीतक कोहाटके उन मुसलमानोंमें परिचय करनेका भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो मुसलमान-जनताके सलाहकार हैं। इसलिए इस बातका तो वे अच्छी तरह निर्णय कर सकेंगे कि मुसलमानोंके लिए और हिन्दुस्तानके लिए क्या हितकर होगा।

यदि दोनों पक्ष सरकारका वीच-वचाव चाहते हैं तो मेरी सेवाएँ व्यर्थ हैं, क्योंकि मुझे ऐसे वीच-वचावकी आवश्यकतामें विश्वास ही नहीं है, और सरकारके साथ समझौतेके लिए जो बातचीत की जायेगी उसमें मैं कोई भी भाग न ले सकूंगा। यह सच है कि मुसलमानोंमें अच्छा व्यवहार पाने और माँगनेका हिन्दुओंको हक है। लेकिन दोनों कौमोंको सरकारसे बचकर रहना चाहिए क्योंकि उसकी तो नीति ही यही है कि एकको दूसरेमें भिडा दे। सीमाप्रान्तकी हुकूमत खुदमुस्तार है। अधिकारीकी इच्छा ही वहाँ कानून है। इस स्थितिमें दोनों कौमोंको मिलकर प्रतिनिधि सरकार बनानेका प्रयत्न करना चाहिए और उसमें अपना गौरव मानना चाहिए। लेकिन जबतक दोनों कौमों में एक-दूसरेपर विश्वास नहीं करती और प्रतिनिधि सरकार बनानेकी इच्छा दोनोंकी महत्वाकांक्षा नहीं बन जाती तबतक यह सम्भव नहीं है।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, २६-३-१९२५

१९०. भाषण : पोदनूरमें^१

१९ मार्च, १९२५

महात्माजीने उत्तर देते हुए कहा कि मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ सभी जातियोंके लोग परस्पर शान्ति और सद्भावसे रहते हैं और यहाँ अस्पृश्यता या हिन्दुओं और मुसलमानोंका कोई झगडा नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप देशके लिए प्रतिदिन आधा घटा चरखा कातें और खदर पहनें। यदि मौलाना शीकत अली मेरे साथ होते तो वे यह सुनकर खुश होते कि मजदूरोंमें कोई साम्प्रदायिक द्वेष नहीं है। अन्तमें मैं आप लोगोंको यही सलाह देता हूँ कि आप शराबकी लत छोड दें।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-३-१९२५

१९१. भाषण : तिरुपुरमें^१

१९ मार्च, १९२५

भाइयो,

इन सब अभिनन्दन-पत्रोंके लिए मैं आप सबका बहुत आभार मानता हूँ। मुझे दुःख है कि मुसलमान मित्रों द्वारा दिये गये अन्तिम अभिनन्दन-पत्रका अनुवाद न होनेके कारण मैं उसे समझ नहीं सका। किन्तु मेरा खयाल है कि इसमें भी अधिकतर वही भावनाएँ होगी जो कि अन्य अभिनन्दन-पत्रोंमें व्यक्त की गई है। मेरे साथ आपको भी इस बातसे दुःख होगा कि इस बार दोनों अलीभाई या उनमें से कोई एक भी मेरे साथ नहीं है। दिल्ली और बम्बईमें पहलेसे ही व्यस्त रहनेके कारण दोनोंमें से एक भी मेरे साथ नहीं आ सका।

नगरपालिकाके अभिनन्दन-पत्रमें इस नगरको खद्दरकी राजधानी और मुझे खद्दरका बादशाह कहा गया है। ऐसा कहकर आपने मेरी बहुत बड़ी प्रशंसा की है। मुझे लगता है कि यदि कोई स्थान खद्दरकी राजधानीके योग्य है तो वह तिरुपुर ही हो सकता है। किन्तु मैं अपनी सीमाओंको भलीभाँति जानता हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं खद्दरका कितना गरीब बादशाह हूँ। (हँसी)। क्योंकि इस खद्दरकी राजधानीमें १० हजारसे अधिक चरखे और हजारसे अधिक करघे नहीं हैं। विक्री भी तीन, साढ़े तीन लाखके आसपास है। जब आपको मालूम होगा कि खद्दरके बादशाहकी क्या महत्वाकांक्षा है तब आप समझ सकेंगे कि इन आँकड़ोंको सुनकर वह कितनी हीनताका अनुभव करता है। मुझे बताया गया है कि यद्यपि इस जिलेमें प्रतिवर्ष ५० लाख रुपयेकी कीमतका खद्दर बनाया जा सकता है फिर भी यहाँ उसकी १० प्रतिशतसे अधिककी खपत नहीं हो सकती। जब मैं इस सभामें अपने चारों ओर आप सब लोगोंको, स्त्री और पुरुषों दोनोंको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उक्त कथन कितना सत्य है।

जब मैं इस नगरके कुछ खद्दर भंडारोंको देखनेके लिए गया तब खादी मण्डल भंडारने मुझे नमूनोंकी यह पुस्तक दी। मैं नहीं जानता कि आप सबको यह बात मालूम है या नहीं कि तिरुपुरमें आपको कितना अच्छा खद्दर मिल सकता है। यहाँ आपके पास कपडेमें विभिन्न प्रकारके चौखानोंके नमूने हैं। कपडोंमें रंग भी कई मिलते हैं। यहाँ मिलनेवाला सभी प्रकारका खद्दर इतना मोटा भी नहीं होता। इस जलवायुमें बारीक सूत भी बुना जा सकता है। यहाँ ऐसी महिलाएँ हैं जो बीस अकका या उससे भी महीन सूत कात सकती हैं। आपको यहाँ कई प्रकारकी छीट और उजला सफेद खद्दर भी मिल सकता है। जो लोग किनारी पसन्द करते हैं उन्हें कई किस्मकी किनारियाँ मिल सकती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खद्दरका मूल्य प्रति गज मैनचेस्टर, जापान या

१. नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें।

वम्बई तथा अहमदाबादके रूपसे अधिक है। किन्तु जब आप इस चद्दरकी मजबूतीकी तुलना मैनचेस्टरके माऊने करेंगे, तब मुझे विश्वास है कि आपको यह चद्दर उस कपड़ेसे मन्ना लगेगा। मैं आपको सदा चद्दर पहानेवागोता सामान्य अनुभव बता सकता हूँ। उसकी रचि इतनी सुगन्धुत और इतनी मारी हो गई है कि जवमे उन्होंने चद्दर पहनना शुरू किया है तबसे कम कपड़ोंमे ही उनका काम चलने लगा है। इसके अतिरिक्त क्या उन जिधेमें रहनेवाले गरीब मनी-पुग्गोंके प्रति आपका यह कर्त्तव्य नहीं है कि आप उनका कपड़ा मैनचेस्टर या जापान और यहाँतक कि वम्बई और अहमदाबादके बने कपड़ोंमे कुछ लेंगे। रोनेपर भी लीये। आपको विदेशी मालके बजाय अपने देशका माल लीयेना चाहिए। यद्यपि अभी जासके पडोमी है, फिर भी यदि आप दूरस्थ पनाबो लिए, चाहे पजाब भारतमे ही त्यों न हो अपने निकटतम पडोमियोंकी उपेक्षा करने हें तो आपको देगमे नन्ना प्रेम नहीं है। यदि आप सब अपने-अपने पडोमियोंका ध्यान लें तो आप पायेंगे कि देगकी नगी नमन्याएँ और कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। आप सब उन बातों सहमत हैं कि चद्दरका यह मन्देश महान् मन्देश है। इसलिए मैं आप सबमे कहता हूँ कि यदि आपने अभीतक चद्दरको न अपनाया हो तो आप उसे तुरन्त अपना लें। मैं आपने यह भी कहता हूँ कि आप प्रत्येक घरमें चरखेकी पुन स्थापना करें, क्योंकि जगतक मैकड़ों, हजारों लोग म्बेच्छया कर्ताईको नहीं अपनाते तबतक उनका महीन मून नहीं काता जा सकता और न ही चद्दरको उतना सस्ता बनाया जा सकता है जितना कि हम चाहते हैं। चरखेकी अनन्त सम्भावनाओंके कारण ही मैंने प्रत्येक कारेगीको यह मुझसे देनेका साहस किया कि मताधिकारमें कर्ताई-परीक्षाको शामिल किया जाये। आज बहुतेरी बहनोको चरखा कातते देखकर मुझे बड़े प्रसन्नता हुई।

मैं आदर्श गाँवके बुनकरोंके पान भी गया। यदि आपने उन महिलाओंको चरखा कातते देना हों और यदि आपने देना हो कि चरखा उनके घरोंमें कैमी खुशी ले आया है तो आप चद्दरके मन्देशपर जल्दी ही अमल करने लेंगे। मुझे मालूम हुआ कि आपका सरक्षण न मिलनेके कारण ही सारी मण्डल हजारों कातनेवाली महिलाओंको काम देनेमें अममय है। नगरपालिकाके सदस्यों और यहाँके नागरिकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इन केन्द्रोंमें जायें और जो-कुछ मैं कह रहा हूँ उसकी सचाई स्वयं देखें।

मुझे इस बातकी खुशी हुई है कि आप लोगोंके सामने अस्पृश्यता या अनुप-गम्यताकी समस्या नहीं है, जैसे कि दक्षिणके कुछ भागोंमें है। किन्तु मुझे आशा है कि यदि अब भी कहीं अस्पृश्यता या अनुपम्यताकी समस्या है तो उसे नि सकोच दूर कर दिया जायेगा। मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि वह हिन्दू धर्मका अंग नहीं है।

तीसरी जिम बातका उल्लेख मैंने बार-बार किया है, वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता। जबतक हम अपने देशकी सभी जातियोंमें एकता स्थापित करनेके महत्त्वको नहीं समझते तबतक विकासकी उस चरम स्थितितक नहीं पहुँच सकते जहाँतक पहुँचनेकी हममें सामर्थ्य है। चौथी बात है, नयावन्दी। ब्रावणकोर और कोचीनकी सम्पूर्ण यात्रामें मुझे जोर देकर यह कहा गया कि शराबकी लतमे बहुतसे घर बरबाद होते जा रहे

है। यदि यहाँ की जनताको शराबकी लत है तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस समस्याको भी हल करेंगे। (जोरोसे और देरतक हर्षध्वनि)।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २०-३-१९२५

१९२. भाषण : पुढुपालयमकी ग्रामीण सभामें

२१ मार्च, १९२५

भाइयो,

जहाँ पहुँचना मुश्किल है ऐसे स्थानपर पहुँचकर और आप सबसे मिलकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। जब मेरी नजर आपके वाद्योपर पड़ी तब मेरी इच्छा हुई कि मैं स्वाभाविक रूपमे गाये हुए आपके कुछ गीत सुनूँ। मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय जीवनके विकासमे गीतोका महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। गीत-गीतमे अन्तर होता है और विभिन्न प्रकारके गीतोमे जमीन-आसमानका फर्क होता है। ऐसे भी गीत होते हैं जो मनुष्यको ऊँचा उठाते हैं और ऐसे भी गीत होते हैं जो उसे गिराते हैं। जब आपको सचमुचमे कोई अच्छा गीत मिले, जो भक्ति और ओजसे भरपूर हो, तब वह आपको ऊँचा उठाता है। हमारे कुछ प्राचीन गीत इसी प्रकारके हैं। वे सारे भारतमे पाये जाते हैं। प्राचीन कालमे हमारे अपने तारवाले वाद्य होते थे, किन्तु आज हारमोनियमने उन श्रेष्ठ वाद्योका स्थान ग्रहण कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि हम उन तारवाले वाद्योको फिरसे अपना ले। उनका सगीत अधिक मधुर होता है। हारमोनियमकी अपेक्षा मुझे उनके सगीतसे अधिक शान्ति प्राप्त होती है।

जब मैं आप सबपर और यहाँ उपस्थित सभी बहनोपर निगाह डालता हूँ तब मैं देखता हूँ कि आपमे से अधिकांश विदेशी वस्त्र पहने हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देरके लिए इस बातपर विचार करे कि विदेशी वस्त्र पहननेका मतलब क्या है। एक सौ वर्षोंसे अधिक समय नहीं बीता जबकि आपके पूर्वजो—स्त्री और पुरुषो—के घरमे चरखे थे। जिस प्रकार आज हर घरमे रसोईघर और चूल्हा रहता है उसी प्रकार हर घरमे चरखा भी होता था, जिसपर महिलाएँ सूत काता करती थी। जो सूत हमारी बहने कातती थी उसे गाँवके बुनकर बुनते थे और वही कपडा हम पहनते थे। मान लीजिए हममे से प्रत्येक साल-भरके लिए अपने कपडोपर ८ रु० खर्च करता है और इस गाँवकी आवादी ५,००० है तो हम प्रतिवर्ष ४०,००० रु० की बचत करते। आज हम अपने गाँवसे करीब ४०,००० रु० मैनचेस्टर, जापान या बम्बईको भेज रहे हैं। किसी भी हालतमे यह ठीक नहीं है।

प्राचीन कालमे हम वही काम करते थे जो उचित थे, जिनसे देशका हित होता था और भुखमरी दूर रहती थी। अब हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए जब यहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है तब हमारी समझमे नहीं आता कि हमे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं

चाहूँगा कि आपमें से हर व्यक्ति आजसे हाथकती और हाथवुनी खादीके सिवा और कुछ न पहननेका वादा करे।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि जिनके घरमें अभीतक चरखा न आया हो वे चरखा खरीदे। चरखा हमारे लिए कामधेनु होगा। यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि हमारे मित्र 'रत्नसभापति गोडरने' अपने परिवारके लिए एक नही बल्कि कई चरखे लिए हैं। मुझे जब कल उनके घर जानेका अवसर मिला तब घरकी महिलाओको कातते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री गोडरने उनके द्वारा कते हुए सूतसे वुने कपडे पहन रखे थे। वे और उनका सारा परिवार सिर्फ खद्दरके ही कपडे पहने हुए था। ईश्वरकी कृपासे उनके पास खूब धन है, लेकिन उन्होंने धनके लिए चरखे और खद्दरको नही अपनाया बल्कि देशके लिए, धर्मके लिए ऐसा किया है, किन्तु हम लोगोको, जो गरीब है, खुद अपने लिए ऐसा करना चाहिए।

मुझे एक सज्जनने कुछ रुपये दिये हैं कि मैं भोजन खरीदकर गरीबोंमें बाँटूँ। गरीबसे-गरीब व्यक्तिमें भी अपनी रोटी कमानेकी सामर्थ्य है। मैं मुफ्त रोटी देनेमें विश्वास नही करता। और न मैं इस बातपर विश्वास करता हूँ कि जो लोग कमा सकते हैं उन्हें वस्त्र दिये जाये। मेरे विचारमें जब धनी लोग विना सोचे-समझे गरीबोको पैसा देते हैं तब वे गलत ढंगसे दान करते हैं। ऐसा वे केवल अपने सन्तोषके लिए करते हैं। इस प्रकारका दान तो केवल उन्ही लोगोको देना चाहिए जो कि अपग हैं, लगडे या अन्धे हैं या किसी और कारणसे काम करनेमें असमर्थ हैं।

इसलिए श्रीयुत च० राजगोपालाचारीके साथ विचार-विमर्श करके मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि इस धनसे कपडा खरीदकर उसे इस गाँवके या यहाँ बैठे हुए गरीबोको बाजार भावसे कुछ सस्ते दामोपर बेच दिया जाये। साधारण तौरपर मुझे स्वीकार करना होगा कि प्रति गजके हिसाबसे देखा जाये तो बाजारमें बेचे जानेवाले कपडेसे खद्दर महँगा है, और बहुतसे गरीब लोगोंने मुझसे कहा है कि यदि खद्दर बाजारके कपडेके भावसे बेचा जाये तो वे खुशी-खुशी उसे पहनेंगे। इसलिए मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूँ कि आप लोगोमें जो सचमुच गरीब हैं और जो अधिक पैसा खर्च नही कर सकते वे अपना नाम दर्ज करायें और वादा करे कि इसके बाद वे केवल खद्दर पहनेंगे। ऐसे लोगोको बाजारके मुकाबले सस्ते दामोपर खद्दर मुहैया किया जायेगा। और यदि यहाँ गरीबोकी सख्या इतनी ज्यादा है कि सबको इस दानसे खद्दर मुहैया न किया जा सके तो मैं अधिक दाम प्राप्त करनेका प्रबन्ध करूँगा, वशतें कि आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, केवल खद्दर पहननेका वादा करे। इस अच्छी वस्तुका हमने त्याग कर दिया था। इसे हमें अब फिरसे अपनाना चाहिए। अब मैं आपसे उस बुरी बातके बारेमें कहना चाहता हूँ जिसे छोडनेसे हम इनकार करते हैं।

वह बुरी चीज है अस्पृश्यता। यह एक घोर अभिशाप है जो हमारे देश और हमारे धर्मका सर्वनाश कर रहा है। सनातनी हिन्दू होनेके नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस रूपमें अस्पृश्यताका व्यवहार आज हो रहा है, हमारा धर्म उसकी पुष्टि

नहीं करता। यदि 'भगवद्गीता' हमारा धर्मग्रन्थ है तो मेरे विचारमें अस्पृश्यता एक पाप है। वर्ण केवल चार होते हैं, पाँच नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि स्मृतियोंमें कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनमें अस्पृश्यताका उल्लेख है, लेकिन आज-जैसी अस्पृश्यताका नहीं। वह अस्पृश्यता कुछ व्यवसायो और कुछ अवस्थाओं — अस्थायी अवस्थाओं — तक सीमित है। हो सकता है कि मासिक धर्मके दिनोंमें अपनी माँ, बहन अथवा पत्नीको मैं न छूऊँ। जब मेरी माँ अपने दूसरे छोटे बच्चेको साफ करती है तब वह स्नान कर लेने तक अछूत रहती है। इसी प्रकार वह भगी भी जो मेरी टट्टी साफ करता है तबतक अछूत है जबतक कि वह टट्टी साफ करनेके बाद अपनेको साफ नहीं कर लेता। अस्पृश्यता एक अस्थायी अवस्था है जिसका व्यवहार केवल ऐसे व्यवसायोंके साथ किया जाता है जो गन्दे कामसे सम्बद्ध हैं। किन्तु किसी व्यक्तिको इसलिए अछूत समझना पाप और अपराध है कि वह किसी विशेष जातिमें पैदा हुआ है। आखिर शास्त्र भी हमें क्या आदेश देते हैं, यही कि किसी खास आदमीको छूनेपर हम स्नान करें। किन्तु आजकी अस्पृश्यताने हिन्दू जातिके एक पंचमाशको नीच बना दिया है। इसके कारण हम अपने देशके लोगोको दलित कर रहे हैं। इससे ऊँच-नीचके भेदभाववाली व्यवस्था खड़ी हो गई है। तथाकथित सवर्ण हिन्दू, ब्राह्मण और अब्राह्मण अछूतों और पंचम जातिके साथ घृणा और अवज्ञाका व्यवहार करते हैं। वे उन्हें बुरा और गन्दा खाना देकर पाप करते हैं। वे सार्वजनिक सड़कोका उपयोग करनेसे उन्हें मना करके पाप करते हैं। वे हर तरहसे उनका अपमान करते हैं। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि अपने बन्धुओंके साथ इस प्रकारके अमानवीय व्यवहार करनेका हमारे शास्त्रोंने हमें कोई अधिकार नहीं दिया है। यह कहना कि सवर्ण हिन्दुओंको साँप या विच्छू द्वारा काटे गये अछूतकी सेवा नहीं करनी चाहिए, मानवीयता और उस धर्म, अहिंसा धर्मके विरुद्ध है जिसके अनुयायी होनेका हम दम भरते हैं। इसके विपरीत मेरा धर्म, हिन्दू धर्म, मुझे सिखाता है कि यदि मेरे अपने पुत्र और एक अछूतको साँपने काटा हो और मेरे सामने सवाल यह हो कि दोनोंमें से पहले किसको बचाना चाहिए तो उस स्थितिमें अपने पुत्रको छोड़कर अछूतको बचाना ही मेरा परम कर्तव्य है। यदि मैं उस अछूत बालकको छोड़ दूँगा तो ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। सम्पूर्ण रूपसे आत्मोत्सर्गके सिवा आत्मज्ञानका और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यह बुरी प्रथा कितने वर्षोंसे चली आ रही है इसका खयाल किये बिना आप इसे छोड़ दें।

तीसरी चीज है मद्यपानका अभिशाप। मैं जानता हूँ कि इस दक्षिणी प्रदेशमें बहुतसे लोगोको मद्यपानकी लत है। मैं आशा करता हूँ कि इस सभामें बैठे प्रत्येक व्यक्ति, जिसे मद्यपानकी लत है, उसे एकदम छोड़ देगा। मद्यपानसे मनुष्य अपनेको भूल जाता है। वह कुछ समयके लिए मानव नहीं रहता। वह जानवरसे भी बदतर हो जाता है। उसका अपनी जुवान और अपने हाथ-पैरोपर कोई नियन्त्रण नहीं रहता। मद्यपानसे कभी किसीका भला नहीं होता। इसलिए मुझे आशा है कि आप मद्यपानकी इस बुराईके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाकर सघर्ष करेंगे।

अस्पृश्यता तथा मद्यपानकी वीमारीके विरुद्ध सघर्ष करने एव लोगोमें खट्टर तथा चरखेको लोकप्रिय बनानेके लिए श्रीयुत च० राजगोपालाचारी आपके बीच डटकर काम कर रहे हैं।

उनके पास सहायताके लिए ऐसे नवयुवक हैं जो योग्य, बुद्धिमान तथा आत्मत्यागी हैं। श्री गोडरने अपना सुन्दर वाग उनको दे दिया है। वे सभी अपने लाभप्रद व्यवसायो को छोड़कर, आपके बीच, आपकी सेवा करने आये हैं। इन कुछ ही महीनोके अन्दर सैकडो चरखे पुन स्थापित किये जा चुके हैं। प्रति सप्ताह सैकडो महिलाओको रुई दी जा रही है। वे उसका सूत कातकर प्रति सप्ताह लाती हैं और सूतका मूल्य ले जाती हैं। इसी सूतको बुना जाता है, और उससे बुनी खादी आप खरीद सकते हैं। किन्तु जवतक आप उनसे सहयोग नहीं करते तवतक वे और उनके थोडेसे कार्यकर्त्ता आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। यह एक गरीब जिला है जिसमे गत तीन चार सालसे दुर्भिक्ष पड रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुर्भिक्षके विरुद्ध कोई भी उपाय इतना प्रभावशाली नहीं, जितना चरखा है।

और आप कई प्रकारसे उन्हें सहायता दे सकते हैं। आपमे से जो अच्छे खाते-पीते लोग हैं लेकिन ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, वे प्रतिदिन आवा घटा कताई कर सकते हैं। आप यहाँ आश्रममे कातना और धुनना सीखे और प्रति सप्ताह रुई लाकर उसका सूत कातकर उसे मुफ्त आश्रमको दे। इससे श्रीयुत राजगोपालाचारी खादीको आजकी अपेक्षा सस्ते दामोपर ब्रेच सकेंगे। आपमे से जो लोग रुई नहीं दे सकते, वे नकद दे। आश्रम सार्वजनिक सम्पत्ति है। आप जब चाहे तब उसे जाकर देख सकते हैं। वह आपके पासमें है। जवतक आप समझते हैं कि आश्रमके कार्यकलाप उपयोगी है और आपके जिलेके लिए लाभकारी है तवतक हर प्रकारसे उसकी सहायता करना आपका परम कर्त्तव्य है।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

१९३. भाषण : पुद्दुपालयमके आश्रममें^१

२१ मार्च, १९२५

मैंने अभिनन्दन-पत्रका अनुवाद वडे ध्यानसे पढा है। स्वभावत आप लोगोसे मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं सबसे पहले कोकोनाडामे, इन लोगोके^२ सम्पर्कमे आया और तबसे उनकी समस्याओ और कठिनाइयोमे मेरी गहरी दिलचस्पी हो गई है। धर्मके नामपर जो-कुछ हम रोजाना कर रहे हैं, वह एक अत्यन्त भयकर चीज है। मैं इससे सहमत हूँ कि जवतक ऐसे आदमी हैं जो स्त्रियोके सतीत्वके साथ खिलवाड करते हैं और जवतक ऐसी स्त्रियाँ हैं जो पैसेके लिए अपना सतीत्व बेचनेको तैयार रहती हैं तवतक इस समस्याको सुलझाना बडा कठिन है। जवतक ऐसे लोग रहेंगे तवतक यह चलता ही

१ कोयम्बटूर जिला सेनगुन्धर महाजन सगमके सदस्यो द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्रके उत्तरमें।

२ अभिप्राय देवदासियोंसे है।

रहेगा। किन्तु एक काम हम कर सकते हैं, वह यह कि इस पेशेको गर्हित घोषित कर दे और उसकी जो प्रतिष्ठा इस समय है उसे नष्ट कर दे। उसकी प्रतिष्ठाके प्रत्येक चिह्नको मिटा दे। ऐसा करनेके लिए हम इस प्रथाकी घोर निन्दा करें।

मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे प्रत्येक परिवारकी गणना करें जहाँ एक लडकीको वेश्यावृत्तिके लिए अलग रखनेकी प्रथा है। हमें लोगोको समझाना होगा कि उनका ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। दूसरी बात यह है कि हमें इन अभागी स्त्रियोके मामलेको अपने हाथमें लेना होगा और उनके लिए उपयुक्त रोजगार ढूँढने होंगे। मैंने बंगालमें बारीसालकी ऐसी स्त्रियोके साथ इस मामलेपर दो घंटेसे अधिक समयतक बातचीत की थी। इन स्त्रियोकी काफी आय है। हम उनसे यह वादा नहीं कर सकते कि दूसरे किसी रोजगारसे उनको उतनी ही आय होगी, जितनी कि इस पापपूर्ण पेशेसे होती है। यदि वे अपना जीवन सुधार लेती हैं तो उन्हें उतनी आयकी आवश्यकता भी नहीं होगी। कताईसे उनकी आजीविका नहीं चल सकती। वे इसे केवल मन बहलाने और आत्मत्यागकी भावनासे अपनाये। कताई करनेका मेरा यह सुझाव केवल उनकी आत्मशुद्धिके लिए है। किन्तु उनके लिए घन्वे भी ढूँढे जा सकते हैं, जिन्हें कि वे आसानीसे सीखकर अपना काम चला सकती हैं। वे घन्वे हैं, बुनाई, सिलाई या खद्दरपर किया जानेवाला कशीदेका काम। कुछ पारसी महिलाएँ रंग-विरंगी सुन्दर बुनाईका काम कर रही हैं। गोटेका काम, कशीदाकारी और ऐसी दूसरी दस्तकारियाँ भी हैं, जिनसे वे सरलतापूर्वक १२ आनेसे लेकर डेढ़ रुपयातक प्रतिदिन कमा सकती हैं। देवदासियोकी सख्या ज्यादा नहीं है। इस कारण उनके लिए ५-६ दस्तकारियोको ढूँढ निकालना कठिन नहीं होगा। हमें ऐसे स्त्री-पुरुषो, विशेषकर स्त्रियोकी आवश्यकता है जो इन दस्तकारियोमें प्रशिक्षित हो और जो पवित्र जीवन बिताती हो, वे अपनी इन पतित बहनोके सुधारका कार्य अपने हाथमें ले। आप ऐसे ही उद्देश्यसे स्थापित अन्य सस्थाओका अध्ययन करके उनका अनुकरण भी कर सकते हैं। उद्धारके इस पुण्य कार्यके लिए एक जानकारकी आवश्यकता है जो इसके लिए अपना जीवन अर्पित कर सके।

भाषण समाप्त होनेपर जब महात्माजीने लोगोसे प्रार्थना की तब सार्वजनिक कार्यके लिए उन्हें लक्ष्मण मुदलियरने कानोके बुन्दे और अँगूठी दी। उन्होने उन्हें श्री लक्ष्मण मुदलियरको वापस देकर कहा कि देवदासियोके सुधारके लिए हम जो कोष इकट्ठा करनेवाले हैं उसके लिए इसे प्रथम दान माना जाये।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

भाइयो,

मैं इन अभिनन्दन-पत्रोंके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं देखता हूँ कि गद्दरसे सम्बन्धित मेरी गतिविधियोंका आप समर्थन करते हैं। जितना अधिक चरखे और आवादीकी सम्भावनाओंके बारेमें मैं विचार करता हूँ उतना ही मेरा विश्वास बृद्ध होता जाता है कि हमारे देशमें फैले व्यापक सकटका यही एकमात्र हल है। और जैसा कि मैंने आज सुबह देखा, बूढ़े स्त्री-पुरुष एकके-बाद-एक आश्रममें आ रहे थे और बूढ़ी स्त्रियोंको रई दी जा रही थी, यह देखकर मुझे लगा कि उनके समान लाखों अन्य स्त्री-पुरुषोंके लिए चरखेके बिना कोई दूसरा पेशा न तो है, न हो सकता है। यदि हम अपने जीवनको सुखी मानकर उससे सतुष्ट न रहते और भारतकी कगालीका ध्यान करते तो हमारे लिए जीवन असह्य भार हो जाता। यदि कल्पना करे कि भारतकी आवादीके दसवें भागको केवल एक जून खाना नसीब होता है, वह सूखी रोटी और चुटकी-भर नमकपर जी रहा है, तब आप भारतमें फैली गरीबीका कुछ अन्दाज लगा सकेंगे। यह तसवीर, मेरी कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह उन तथ्योंपर आधारित है जिन्हें भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीने अपने अटूट प्रयत्नोंमें एकत्र किया था। उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजी प्रशासकों द्वारा तैयार किये गये आंकड़े हमारे सामने रखे और इन आंकड़ोंसे हमें यह अहसास कराया कि भारत दिन-प्रतिदिन दरिद्र होता जा रहा है।

अब इस कष्टको दूर करनेका उपाय हमारे अपने हाथमें है। इस कष्टके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने वह कपडा पहनना छोड़ दिया जिसे हमारी अपनी लाखों बहनो द्वारा काते गये सूतमें हमारे अपने धुनकर तैयार करते थे। हमने मैनचेस्टर, और जापान और हालमें ही बम्बई तथा अहमदाबादकी मिलोंके बने कपडोंको अपनाया है। और ऐसा करते हुए हमने इस बातकी जरा भी परवाह नहीं की कि हमारे अपने पटोसियोंपर क्या गुजरी है। हमने यह भी नहीं सोचा कि मिलके बने कपडोंके उपयोगमें चाहे वह मिल कहींकी भी क्यों न हो, हम गरीब खेतिहर मजदूरोंको उस आयसे वंचित कर रहे हैं जो उन्हें अपने खाली समयमें काम करके मिलती थी। अपने इस अपराधके लिए हमें भारी हर्जाना भरना पडा है और अब भी हम उसे भर रहे हैं। किन्तु खुशकिस्मतीसे अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। यदि हम अपने देशके स्त्री-पुरुषोंके कष्टोंके प्रति क्रूर और उदासीन होना छोड़ दें तो हम आज ही इसका उपाय कर सकते हैं और अपने देशसे गरीबी दूर कर सकते हैं।

१ तिरुचंचंगोड सत्र, स्थानीय कांग्रेस कमेटी तथा बलीवा स्वराज्य सगमके सदस्यों द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रोंके उत्तरमें। डा० टी० एस० एस० राजन्ने भाषणका अनुवाद किया।

मैं दक्षिणके खद्दर केन्द्रोमें गया हूँ। वहाँ मुझे बताया गया है कि यदि इस प्रदेशके लोग खद्दर खरीदकर लोगोको सरक्षण दे या कहिये कि उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करे तो इन हजारो स्त्री और पुरुषोको दो चार पैसे और मिल जायेगे। हर जगह वे लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत-सी स्त्रियोको जो रुई लेनेके लिए उनके पास आती है, खाली हाथ वापस भेजना पडता है, क्योंकि वे उनके बनाये सारे खद्दरको बेच नहीं पाते। इसलिए मैं प्रत्येक स्त्री और पुरुषसे जो मेरी पुकार सुन सकते हैं, अपील करता हूँ कि आप जो मिलके कपडे पहने हुए हैं, उन्हें जल्दी त्याग दे और खद्दर पहने। उससे आपकी गरीब बहनो और भाइयोको सहायता मिलेगी। आप अपनी मातृभूमिकी यही सबसे बडी सेवा कर सकते हैं। यदि आप केवल यहाँ बननेवाले खद्दरको पहनकर सन्तुष्ट रहेंगे तो आप देशकी सेवा करेगे। महीन खद्दर बनाने लायक महीन सूत प्राप्त करनेके लिए तथा उस खद्दरको गरीब और अमीर सभीको मैनचेस्टरके कपडोके बराबर ही सस्ते भावोपर मुहैया करनेके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रतिदिन आधा घटा कातनेमें लगाये। यही उस समस्याका जिसमें हमारे देशके सर्वश्रेष्ठ लोग एक अरसेसे उलझे हुए हैं, बहुत ही सरल और निश्चित समाधान है। अब आप यह शिकायत नहीं कर सकते कि कताई सीखने और खद्दर प्राप्त करनेके लिए कोई साधन नहीं है। आप लोगोके बीच एक आश्रम स्थापित कर दिया गया है। इस आश्रममें रहकर देशके कुछ सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली नवयुवक अपनी सारी शक्ति खद्दरके प्रचार और प्रसारमें लगा रहे हैं। आपको केवल वहाँ जाना होगा। आप वहाँ मुफ्त कताई सीख सकते हैं, अच्छे चरखे उपलब्ध कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार खद्दर आपको मिल सकता है।

यदि हमें अपने धर्मकी सेवा करनी है तो अस्पृश्यताका प्रश्न भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। मैं तो बार-बार कहूँगा कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। आज हम इसपर जिस रूपमें अमल करते हैं, उसके लिए हमारे शास्त्रोमें कोई प्रमाण नहीं है। यह मानवीयता और विवेक दोनोके प्रतिकूल है। ऐसा करना ईश्वरके अस्तित्वसे इनकार करना है। ईश्वरने मनुष्यको इसलिए नहीं बनाया कि वह दूसरे मनुष्यको अछूत समझे। मैं आपको किसी भी व्यक्तिके साथ खानेके लिए नहीं कहता। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप अपनी लडकियोका विवाह ऐसे व्यक्तियोसे करे जो आपको इस योग्य नहीं लगते। किन्तु मैं आपसे यह जरूर कहूँगा कि आप किसी व्यक्तिके साथ केवल इसलिए अस्पृश्यताका व्यवहार न करे कि वह किसी एक खास जातिमें पैदा हुआ है। क्या ईश्वर किसीके मस्तकपर 'नीच' लिखकर जन्म देता है? जिस दिन वह ऐसा करेगा उस दिन वह ईश्वर नहीं रहेगा। आप आश्रममें जाये और आप उन पचम बालकोको देखे जिनका कि पालन-पोषण वहाँ हुआ है और मैं दावेके साथ कहता हूँ कि आप पचम बालको और ब्राह्मण या सवर्ण हिन्दू बालकोके बीच भेद नहीं कर सकेगे। थोडी-सी करुणा, थोडी-सी मानवता और प्रेमके स्पर्शने उन्हें आश्रममें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति-जैसा बना दिया है। वे उसी प्रकार प्रतिभाशाली, शिष्ट और प्रिय हैं, जैसा कि आश्रममें रहनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति। वे उसी प्रकार साफ-

सुयरे रहते हैं और ईश्वरसे डरते हैं जैसे कि आश्रमका सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। इसलिए हम समयपर नचेत हो और अपना अहंकार छोड़कर हिन्दू धर्मको उस विपत्तिसे बचायें जो कि उनके सिरपर मडरा रही है।

मद्यपान एक और समस्या है जिसे तुरन्त सुलझाना होगा। यह बहुतसे घरोंको नष्ट कर रही है और मुझे आशा है कि आपमें जो लोग देशभक्त हैं, जो अपनेको देगका सेवक समझते हैं, वे उन लोगोंके बीच जायेंगे जिन्हें कि पीनेकी लत है और उन्हें राहपर लानेकी कोशिश करेंगे। आप श्री रत्नसभापति गोडरके शानदार उदाहरणका अनुकरण करें और मद्यपानके अभिशापसे नष्ट हो रहे देशको बचानेके लिए, वे जो-कुछ कर रहे हैं वही आप भी करें। जब कुछ ही मास पूर्व उनके चचेरे भाईने मेरे सामने यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि वे शराबबन्दी तथा सहरके कार्यमें जी-जानसे लग जायेंगे तो मुझे बहुत नतोप हुआ और खुशी भी। उनकी पत्नीको चरखा कातते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें पैसेकी आवश्यकता नहीं है। वे अपने देशके लिए कर्ताई करती हैं। मैं प्रत्येक स्त्री-पुरुषसे आजसे ही कातना शुरू कर देनेके लिए कहता हूँ।

मैं आपके अभिनन्दन-पत्रके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो-कुछ मैंने कहनेका साहस किया है आप उसे याद रखेंगे और इन तीन कामोंको करनेके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

१९५. जहाँ मद्यपान हो, वहाँ क्या करें ?

एक भाईने दु खित हृदयमें यह पूछा है ^१

उद्यान-भोजमें शराब दी गई थी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किन्तु यदि मुझे यह पता चल जाता कि उनमें शराब दी जायेगी, तो भी मैं उसमें जाता। जिस दिन यह उद्यान-भोज था उसी दिन मुख्य दावत भी थी। इस दावतमें शराब दी गई थी, फिर भी मैं उसमें बैठा रहा। मुझे तो इन दोनोंमें से कुछ खाना ही नहीं था। दावतमें मेरे एक ओर एक महिला बैठी थी और दूसरी ओर एक भद्रपुरुष। महिलाके शराब लेनेके बाद बोतल मेरे पास आती और मैं उसे उक्त सज्जनको दे देता। उन सज्जनको बोतल देना मेरा कर्तव्य था। मैंने सोच-समझकर इस कर्तव्यका पालन किया। यह हो सकता था कि मैं इस बोतलको नहीं छू सकता, यों कहकर मैं उसे आगे न बढ़ाता, किन्तु ऐसा करना मैंने अनुचित समझा।

१ पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है। इसमें राजकोटके ठाकुर साहब द्वारा १७ फरवरीको दिये गये एक उद्यान भोजना जिक्र किया गया है। इसमें अतिथियोंको शराब दी गई थी।

अब प्रश्न दो रहते हैं। जहाँ शराब दी जाती हो, क्या वहाँ मेरे-जैसे लोगोंका जाना उचित है? यदि जाना उचित भी हो तो क्या शराबकी बोटलको एकसे लेकर दूसरेको देना उचित है? जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, दोनो प्रश्नोका मेरा उत्तर यह है कि मेरे लिए वहाँ जाना और शराबकी बोटल पहुँचाना — दोनो ही वाते उचित थी। लेकिन किसी दूसरेके लिए यही बात अनुचित हो सकती है। ऐसे मामलोमें राजमार्ग क्या हो सकता है सो मुझे नहीं मालूम। यदि कोई राजमार्ग हो तो वह यही हो सकता है कि हम ऐसे आयोजनो और दावतोमे बिलकुल न जाये। यदि हम शराबपर बन्धन लगाते हैं तो माँसपर बन्धन क्यों न लगाये? यदि हम माँसपर बन्धन लगाये तो फिर अन्य अभक्ष्य पदार्थोपर बन्धन क्यों न लगायें? इसलिए यदि हम कुछ परिस्थितियोमे ऐसे समारोहोमे जाना अनिष्टकर मानते हो, तो मुझे सर्वोत्तम मार्ग यही जान पडता है कि हम किसी भी समारोहमे न जाये।

तब मैं वहाँ क्यों गया था? मैं वहाँ इसीलिए गया था कि मैं ऐसे समारोहोमे बरसोसे जा रहा हूँ और इस अवसरपर न जानेका मेरे लिए कोई विशेष कारण नहीं था। मैं स्वयं ऐसे समारोहोमे कुछ खाता नहीं, खाता ही हूँ तो केवल फल। मैं इससे अपने मनको समझा सकता हूँ कि जिस प्रकार मैं इनमे भाग लेता हूँ उसमे कुछ अनुचित नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस प्रकार भाग लेनेसे कुछ लोगोने मद्यपान और कुछ लोगोने माँसाहार छोड दिया है। किन्तु इन समारोहोमे जानेके पक्षमे यह तर्क नहीं दिया जा सकता। मैं यह बतता हूँ कि मैंने स्वयं अपने मनको कैसे समझाया। यदि जैसा मैं करता हूँ वैसा ही सब करे तो मुझे लेशमात्र भी चिन्ता न हो। किन्तु मैं जानता हूँ कि मेरा अनुकरण करके उसमे दूसरे लोग उपस्थित होंगे, इतना ही नहीं बल्कि भय यह भी है कि वे खाद्य-अखाद्य और पेय-अपेयका विवेक भी छोड बैठेंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसा हुआ है। अब तीसरा प्रश्न यह उठता है कि तब हम इस भयसे कबतक अपने ऊपर रोक लगाये रखें? ऐसे प्रश्न सदा ही धर्म सकट उपस्थित करते हैं। और उनका निर्णय सबको अपने-अपने विवेकके अनुसार कर लेना चाहिए। इस सम्बन्धमे मेरी सलाह यह है कि जब कोई ऐसे मामलोमे किसी निश्चित मार्गका निर्णय न कर सके और मेरे व्यवहारसे विरुद्ध व्यवहार करना उचित मालूम होनेके बावजूद वह मेरी सलाहपर चलना चाहता हो तो मेरा अपना व्यवहार चाहे कैसा भी क्यों न हो, उसे जैसा मैं कहूँ वैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं जैसा करता हूँ, वैसा करनेमे जोखिम है। इसलिए जहाँ मद्य और मास परोसे जाते हैं वहाँ मैं भले ही जाता होऊँ, लोगोके लिए वहाँ न जाना ही उचित है।

मेरे खादीके आग्रहमे और मद्यपानके उदाहरणमे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन जगहोमे खादी नहीं पहनी जाती वहाँ मैं नहीं जाता होऊँ सो बात भी नहीं है। जिन सभा सस्थाओपर मेरा अकुश होता है, उनमे अथवा जहाँ मेरी खादी सम्बन्धी दृढताका अर्थ विपरीत नहीं समझा जा सकता, वहाँ मैं खादीके व्यवहारके सम्बन्धमे दृढ रहता हूँ। राजकोटके दरबारमे सभी लोग खादीधारी नहीं थे, फिर भी मैं वहाँ गया था। विवाह और ऐसे ही अन्य उत्सवोमे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस-

लिए यदि कोई मुझसे उनमें आनेका आग्रह करता है और मैं खादीके कपडोकी शर्त मनवा नकता हूँ तो मनवा लेता हूँ।

इन सभी प्रश्नोंमें विवेक और प्रेमकी बात आती है। जो बात एक अवसरपर उचित होती है वही दूसरे अवसरपर अनुचित हो सकती है। मनुष्य तो चेतन प्राणी है, यन्त्रवत् जड नहीं। इसी कारण हर मनुष्यके कार्यमें भिन्नता, नवीनता और विरोधाभास आदि होते ही हैं। किन्तु जहाँ सत्य और प्रेमरूपी दो दिव्य मार्गदर्शक हों, वहाँ सूक्ष्मदर्शी पुरुष भिन्नतामें अभिन्नता, विरोधमें अविरोध और अनेकतामें एकताके दर्शन किये बिना नहीं रहता। जिस प्रेममें सहिष्णुता नहीं है, वह प्रेम ही नहीं है। मेरे लिए पूजनीय गौको मारनेवाले मुसलमानके गोवधको मैं सहन कर लेता हूँ; इसीसे मुझे उसने गोवध न करनेका विनयपूर्वक अनुरोध करनेका अधिकार प्राप्त होता है। माननीय ठाकुर साहबके समारोहमें शरावके दिये जानेको सहन करके ही मुझे उनसे विनयपूर्वक मद्यपान निषेधकी बात कहनेका अधिकार प्राप्त होता है। कोई पूछे कि यदि आप उनके भोजनमें न जाते तो क्या माननीय ठाकुर साहब आपको मद्यनिषेधकी बात कहनेसे रोक सकते थे? इसका उत्तर यह है कि ठाकुर साहब गिण्टतावश सुनेगे अवश्य, किन्तु वे उसे सुनकर भी उसपर ध्यान नहीं देंगे। किन्तु यदि मैं उनके समारोहमें भाग लेनेपर भी उनसे मद्यनिषेधकी बात कहूँ तो वे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी महिष्णुताको निष्फल नहीं जाने देंगे।

अन्तमें मुझे इस विषयको समाप्त करते हुए कहना चाहिए कि इस सम्बन्धमें मेरा अनुकरण करना हानिकर हो नकता है। इसलिए मेरे साथ रहनेवाले लोगोको ऐसा अनुकरण करते हुए सावधान रहना चाहिए।

[गुजरातीमें]

नवजीवन, २२-३-१९२५

१९६. एक शिक्षककी उलझन

जो शालाएँ खादी-प्रचारको स्वराज्य प्राप्तिके लिए आवश्यक मानती हैं उनमें खादी अनिवार्य करनेके विरुद्ध एक शिक्षक नीचे लिखी दलीले देते हैं^१

१ आसपासके कुटुम्बियो और पडोसियोके रग-विरगो विलायती कपडोसे मोहित होकर नासमझ बच्चे खादीको आफत समझकर ही अपना पाते हैं और इस तरह बचपनसे ही ढोगी बनना सीखते हैं। अगर आपका यह कहना है कि जिस स्कूलमें अधिकांश विद्यार्थी खादी पहनते हों, वहाँ ऐसे बच्चे भी स्वयं खादी पहनना ही पसन्द करेगे, तो नासमझ बच्चोके लिए खादी पहनना अनिवार्य बना कर उसे अप्रिय बनानेके बजाय स्कूलमें भरती होनेके बाद उन्हें स्वतः खादी पसन्द करने दी जाये। और इसके लिए थोड़े दिन धोरज रखना पडे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

१ इन्हें सक्षिप्त रूपमें दिया जा रहा है।

अनिवार्य शब्दका यहाँ अनर्थ हुआ है। अगर राष्ट्रीय स्कूलमें आना अनिवार्य हो और उसके लिए खादी पहननेका नियम भी अनिवार्य हो, तो खादीका इस्तेमाल शायद बेजा तौरपर 'अनिवार्य' बनाया हुआ माना जा सकता है। मैं यहाँ 'शायद' शब्दका उपयोग इसलिए करता हूँ कि अनिवार्य शिक्षा होनेपर भी स्कूलमें भरती होनेकी कुछ शर्तें तो होगी। उन शर्तोंको बेजा कहना मुश्किल है। वहाँ बच्चोंको कुछ खास विषय पढ़ने होंगे। साथ ही उनका साफ होकर आना, मैले कपड़े न पहनना, नगे न आना, रंग-बिरंगे हास्यजनक कपड़े पहनकर न आना भी अनिवार्य होगा। ये सभी नियम होंगे, अतः उन्हें कोई अनुचित कहनेकी हिम्मत नहीं कर सकता।

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि खादीकी आवश्यकताके बारेमें जिन्हें पूरा यकीन नहीं हुआ है, उन्हींके सामने मर्जी-बेमर्जीका सवाल खड़ा होता है। माँ-बापको अच्छा लगे या न लगे, पड़ोसियोंका वर्तव अनुकूल हो या प्रतिकूल, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारेमें बच्चोंपर पाबन्दी लगाये बिना काम नहीं चलेगा। जैसे, जंगलसे आया हुआ बच्चा बिलकुल नगा होगा तो हमें उसे कपड़े पहनाने पड़ेंगे, भले ही वह अपने घर जाकर फिर कपड़े उतार दे। बच्चा गन्दी भाषाका उपयोग करेगा तो हमें उसे रोकना ही होगा। हरएक शिक्षक ऐसे कई अनिवार्य प्रतिबन्ध ठीक समझकर लगा सकता है और उनके विरुद्ध ऊपरके शिक्षककी एक भी दलील काम नहीं आयेगी। यानी जो नियम समाजमें घर कर चुके हैं, वे अनिवार्य होनेपर भी अनिवार्य नहीं माने जाते।

वात यह नहीं है कि लोगोंको स्वेच्छासे खादी पहनानेका हमारा प्रयत्न विफल हो गया है इसलिए खादीको अनिवार्य बनाया जा रहा है। बल्कि मुझे और अन्य कुछ लोगोंको लगता है कि अब खादीको अनिवार्य बनाने लायक वातावरण तैयार हो गया है, इसलिए राष्ट्रीय पाठशालाओंमें खादी और कताईको अनिवार्य बनाया जा रहा है। अक्सर समाजका मन तैयार हो जाता है, पर शरीर तैयार नहीं होता, इसलिए समाज अनिवार्य बन्वनोंको स्वीकार कर लेता है। इस तरह हम अनिवार्य शब्दका अर्थ समझ ले तो बहुत-सी परेशानियाँ हल हो जायें। 'अनिवार्य' प्रतिबन्ध तो वे हैं जो सत्ता या हुकूमत बलपूर्वक प्रजापर लगाती हैं और अगर प्रजा उन्हें नहीं मानती तो उसे सजा दी जाती है। अगर यह व्याख्या मान ली जाये तो अनिवार्य प्रतिबन्धोंके बारेमें उपरोक्त शिक्षकने जो चर्चा की है उसका कोई आधार नहीं रह जाता।

२: समझानेसे, प्रेमसे और होडसे पहनी हुई खादी ज्यादा दिन पहनी जायेगी . . .। क्या पहले ही दिनसे खादी अनिवार्य करनेके बजाय थोड़े दिन धीरज रखना मूल उद्देश्यके लिए कम सहायक है?

खादी अनिवार्य बना देनेमें समझाना, प्रेम और होड वगैरा तो हैं ही। खादीको अनिवार्य बनानेका भार शिक्षकोंपर है, बच्चोंपर नहीं। शिक्षकोंको सिपाहीकी तरह हुकम नहीं देना है, बल्कि जिस प्रकार भी हो उसे बच्चोंका मन जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ प्रश्न 'पहले ही दिन' खादी पहनानेका नहीं है पर चार बरस

वाद खादी पहनानेका है। “अनिवार्य” शब्दकी पावन्दी शिक्षकपर है। वह शिक्षकको उसके कर्त्तव्यकी याद दिलाता है। इस तरह “धीरज रखना” मूल उद्देश्यके लिए कम सहायक है या ज्यादा, यह सवाल ही खडा नहीं होता। धीरज तो शिक्षकका गुण है ही या होना ही चाहिए।

३. खादीको अनिवार्य बनाना क्या इस बातका ढिंढोरा नहीं है कि लोगोने उसे स्वेच्छासे नहीं अपनाया है? . .

इस शकाका जवाब ऊपर दे दिया गया है।

४ क्या अनिवार्य खादीके नियमसे पाठशालामें प्रवेश पानेके लिए ही खादी पहननेवाले ढोगियोकी तादाद नहीं बढ़ेगी?

अगर ढोगका डर बच्चोके वारेमे ही तो उसे मैं नहीं मानता। बच्चे ढोग नहीं कर सकते। शिक्षकके वारेमे ऐसा अन्देशा हो सकता है। लेकिन जहाँ थोडा बहुत नियम-पालन होता है, वहाँ ढोग तो आ ही जाता है। उसका उपाय वातावरणको शुद्ध बनाना है, नियमोको आसान बनाना नहीं।

५ . . अनिवार्य खादीके खयालसे तो राष्ट्रीय शालाएँ उनके लिए हैं जिन्होने स्वराज्यकी शर्तें पूरी की हो, तो फिर जिन्हे अभी उसकी शिक्षा देनी है, उनके लिए कौन-सी पाठशाला है?

राष्ट्रीय स्कूलोके अस्तित्वके दो कारण हैं एक तो जिनपर राष्ट्रीयताका रग चढा है उनके लिए सुविधाएँ प्रदान करना, और दूसरा, जिनपर रग नहीं चढा उनके लिए खुद उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें प्रभावित करना। जिनपर रग नहीं चढा, उनके लिए नियमोको आसान बनाकर उन्हें लुभानेका हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे-जैसे राष्ट्रीय स्कूलोके शिक्षको और लडकोके चरित्रका विकाम होगा और लोग उन्हें देखेगे वैसे-वैसे वे इन शालाओमे प्रवेश पानेके लिए उत्सुक हो उठेगे।

६ नियम जालके समान बन जाते हैं। . .

नियमोका जाल बनना या न बनना, नियम चलानेवालेपर निर्भर है। उनका सहज पालन कराना भी नियामकपर निर्भर है। प्राथमिक पाठशालाएँ कोमल उालियाँ हैं। उन्हें जिवर मोडिये उधर ही मुट जायेगी। हमारे हायमे वे सीधी दिशामें मुडनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-३-१९२५

१९७. टिप्पणियाँ

निर्दयता

मैं इन टिप्पणियोंको कोचीन त्रावणकोरमें लिख रहा हूँ। वाइकोमके स्टीमरमें सवार होनेको जाते समय रास्तेमें, बहुत सुन्दर दृश्योंके बीच वाइकोममें मैंने जो एक असह्य दृश्य देखा उसकी स्मृति मनसे नहीं जाती। कोचीनके लोग घोडागाडियो और मोटरोका उपयोग बहुत कम करते हैं, वे गाडी खीचनेमें मनुष्यका उपयोग करते हैं। वहाँ जापानी ढगकी रिक्शा सर्वत्र दिखाई देती है। रिक्शाओंको देखकर तो मुझे अधिक आघात नहीं लगा, क्योंकि वे तो मैंने डर्वनमें बहुत देखी थी। किन्तु जब मैंने देखा कि तीन-चार लोग एक साथ रिक्शामें लदे हुए हैं तो मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी गाडीमें से उतर कर रिक्शा कुलीकी सहायता करूँ। मुझे अपने रास्तेपर आगे बढ़ना था और मेरा इस प्रकार उतर कर सहायता करना सम्भव नहीं था। किन्तु मनमें इसका घाव रह गया है। यह रिक्शा एक ही मनुष्यके बैठनेके लायक बनाई गई है। हो सकता है कि यदि रिक्शा कुली इनकार करे तो उसमें इतने लोग न चढे। किन्तु इससे सवारियोंके मनमें दयाभाव नहीं है, मेरा यह विचार नहीं कटता। जरूरतमन्द आदमी न करने योग्य हजारों काम करता है। वह पेटके बल रेगता है और जाने क्या-क्या काम करता है। किन्तु जो इन कामोंको अविचलित भावसे देखते रहते हैं, उनके सम्बन्धमें क्या कहा जाये? जो उन्हें ऐसा करनेके लिए विवश करते हैं, उनके वारेमें तो कहना ही क्या है? हो सकता है कोचीनमें रिक्शामें एकसे अधिक सवारी न बैठानेका नियम भी हो। यदि ऐसा हो तो सवारियाँ दोहरा अपराध करती हैं। कोचीनमें गुजराती बहुत रहते हैं। वे प्रभावशाली लोग हैं। मैंने रिक्शामें जो लोग बैठे देखे, वे लोग मलावारी थे। गुजराती भी ऐसा करते हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता। किन्तु मुझे आशा है कि गुजराती इतनी निर्दयता न करते होंगे। मैं तो उनको कोचीनकी सेवाका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वे कोचीनमें ऐसा लोकमत तैयार करे कि कोई भी मनुष्य रिक्शेका दुरुपयोग कदापि न करे। मैं तो उनको रिक्शेका उपयोग बन्द करनेकी सलाह भी दूँगा। रिक्शेका उपयोग बन्द करनेसे उन्हें जो थोडा बहुत श्रम करना होगा, उससे उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। जबतक कोई मनुष्य रोगी या अशक्त न हो तबतक उसका दूसरे मनुष्यपर चढकर चलना पाप है। हम मनुष्यका उपयोग पशुकी तरह कैसे कर सकते हैं? जिस कामको स्वयं हम करनेके लिए तैयार न हो उसे किसी दूसरेसे कैसे करा सकते हैं?

पतिका कर्त्तव्य

एक भाई प्रश्न करते हैं कि यदि पत्नी सयम-धर्मके पालनमें पतिकी सहायता न करे तो पतिको क्या करना चाहिए? मेरा अनुभव तो यह कहता है कि सयमके पालनमें एकोक दूसरेकी अनुमतिकी जरूरत नहीं। भोगके लिए दोनोंकी रजामन्दी

होती चाहिए। त्याग तो प्रखरता का धर्म है। परन्तु ऐसी बातोंमें विवेककी बहुत आवश्यकता रहती है। समयको सच्चा नयन होना चाहिए। पुरुषको चाहिए कि वह अपने पत्नीके साथ जांच ले। विवेक और मुझ प्रेममें पति पत्नीको अपने मकरपसे मूकता कर सकता है। हा, यह सम्भव है कि पतिने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उतना पत्नीने न किया हो। उन पतिजग धर्म है कि वह पत्नीको भी अपने ज्ञानमें भागी बनाये। उस तरह जहाँ गृहस्थी विवेकपूर्वक चलती हो वहाँ समयके पालनमें कठिनाई नहीं पत्नी। मेरा यह अनुभव है कि समयके पालनमें स्त्री ही आगे रहती है। पति ही उसके साथ जाता है। इस कारण यह प्रश्न मुझे बहुत मालूम होता है। पति भी जहाँ जहाँ उचित समझकर यहाँ कुछ सकोचके साथ ही लिया है।

पिता-पुत्र भेद

पिता पत्नी है जो भोगी है। पुत्र त्यागी है और मादा जीवन विताना चाहता है। पिता सत्ता है। पुत्रको क्या करना चाहिए? अपनी अल्पमतिके अनुसार मुझे तो पत्नी समझते हैं कि पुत्र अपने त्यागभावको न छोड़े। वह त्रिनयके साथ पिता-पत्नी समझते हैं। मैं मानता हूँ कि जहाँ पुत्रमें विवेक और दृढ़ता दोनों गुण होते हैं वहाँ पिता बाधा नहीं होता। बहुत बार पुत्रके उन्नत होनेके कारण त्याग भी स्वच्छन्दताका रूप ले लेता है, जिसमें पिता चिड़ जाता है। मैं ऐसे त्यागको त्याग नहीं मानता। शुरू त्यागमें जितनी नरता होती है कि पिताको वह दिखाई भी नहीं देगा। त्यागको राज स्वरूप देती आवश्यकता नहीं होती। जब मनुष्यके जीवनमें अच्छा त्याग प्रवेश करना है तब पहले उगला टोल नहीं पीटा जाता। वह चुपचाप आता है और जितनी उन्नती अवसर नहीं होती। ऐसा त्याग ही शोभा पाता है और जितना टिकता है। ऐसा त्याग जितनीको भार नहीं लगता और दूसरोंको प्रभावित भी करता है।

अन्त्यजोंका शिक्षक

उन पन्नाज' उत्तर मुगम है। यदि अन्य वर्णोंके लिए ६० रुपयेसे ७५ रुपये तक पर शिक्षक रखा जा सकता है तो वह उतने वेतनपर अन्त्यजोंके लिए भी रखा जा सकता है। किन्तु बहुत-कुछ तो शिक्षकके चरित्रपर निर्भर है। कोई विद्यापीठका न्नातक हो जानेमें ही इतने वेतनका पात्र हो जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि सभी न्नातक चरित्रवान हो। किन्तु ऐसा नहीं होता, यह मैं जानता हूँ। अन्त्यजोंको बुनाईके अनिश्चित बटई आदिका काम भी सिखाया जा सकता है। किन्तु मैं यथामुम्भव बुनाईके बन्धेको ही अधिक विकसित करना चाहता हूँ। अधिकांश अन्त्यज बुनाईका काम करते हैं। अन्त्यज बालकोंको इस बन्धेमें पूरी तरह निपुण बनानेमें बहुत समय लग सकता है। अन्त्यज बुनकर वारीक सूत अधिक नहीं बुनते। वे बड़ा पना भी नहीं बुन पाते। डिजाइन तो शायद ही बुनते हैं। हमारा काम अन्त्यजोंको बुनाईकी समस्त कला सिखाना है। किन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि

१ वर्ष उद्धृत नहीं किया गया है।

हम स्वयं इतना नहीं सीख पाये हैं। हम अपनी ही इस अपूर्णताको दूर करें। क्योंकि वही हमारी सच्ची कठिनाई है। क्या सिखाना चाहिए, यह हमें मालूम हो गया है। किन्तु हममें उसे सिखानेकी योग्यता अभी नहीं आई है।

राष्ट्रीय शालाओमें कितने विद्यार्थियोंके लिए कितने शिक्षक होने चाहिए इस सम्बन्धमें कोई नियम आज बनाना कठिन है। आदर्श शालाओमें छात्र कम तो होंगे ही। इन शालाओको बालकोसे भरनेमें समय लगेगा। तबतक हम कोई निश्चित सख्या तय नहीं कर सकते।

हमारी मर्यादा

वही शिक्षक लिखता है।^१

यदि राजा लोग अपने शिक्षा विभाग हमें सौंपते हैं तो हमें उनको अवश्य हाथमें लेना चाहिए। पर उसके लिए हमारी शर्तें तो होंगी ही। खादी, सूत आदिके सम्बन्धमें हमारे नियम उन्हें स्वीकार होने चाहिए। जिस शिक्षा-विभागमें अन्त्यजोंके प्रवेशपर रोक हो वह हमारे लिए अस्पृश्य ही होना चाहिए। यदि हम धीरे-धीरे सुधार कर पानेकी आशासे उन्हें हाथमें लेंगे तो हम उनमें ही खप जायेंगे। किसी कामको हाथमें लेनेके बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम जिन नियमोंको आवश्यक मानते हैं उनके पालनके सम्बन्धमें हमें एक क्षण भी उदासीन नहीं रहना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-३-१९२५

१९८. पत्र : कुँवरजी खेतसीकी

फाल्गुन वदी १३ [२२ मार्च, १९२५]^२

चि० कुँवरजी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। चि० रामीकी^३ तुम्हारे हाथमें सौंप देनेके बाद मैंने उसकी चिन्ता छोड़ दी है। तुमपर मुझे पूरा विश्वास है। रोग तो देहके साथ जुड़े है। वे तो आयेंगे और जायेंगे। तुम्हारे पत्रके बाद चि० बलीकाँ^४ पत्र मिला। उसमें रामीकी अवस्थामें सुधार होनेका समाचार था। रामीसे उसकी शक्तिके अनुसार काम लेना। इससे उसका शरीर ठीक रहेगा। मैं २७ तारीखको आश्रम पहुँचूँगा। रामीसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे।

बापूके आशीर्वाद

१. इसे उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

२. गाँधीजी वाइकोम, मद्रास अन्य स्थानोंका दौरा करके आश्रममें २७ मार्च, १९२५ को पहुँचे थे।

३. हरिलाल गांधीकी पुत्री।

४. हरिलाल गांधीकी साली।

चि० कुँवरजी

द्वारा

पारेस गोकलदास त्रिभुवन

मोरवी, काठियावाड

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६७८) से।

सौजन्य नवजीवन ट्रस्ट

१९९. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको

फाल्गुन कृष्ण १३ [२२ मार्च, १९२५]†

भाई घनश्यामदासजी,

आपके दो पत्र मीले हैं।

मुस्लीम युनिवरसिटीके वारेमे आपने मुझको निश्चित कर दीया है। मैं यह तो हरगीज नहीं चाहता हु कि आपके दामसे आप भाइयोमे कुछ भी विखवाद हो। आपका नाम मैं प्रकट नहीं करूंगा।

आपने जो जमीन छोटा नागपुरमे ली है उसको नौकरोके मृत्युके कारण छोडनेकी सलाह मैं नहीं दुगा। धातुरूप और जमीन रूप द्रव्य मैं बडा फरक नहीं है। द्रव्यके कारण झगडा होना, खुन भी होना अनिवार्य है। आपके धर्म सकटका एक ही इलाज है। मीलकी-यत छोड देना। यह तो आप इस समय करना नहीं चाहते हैं। हा, एक बात तो मैंने कही है। क्योकि मिलकीयत फसादोका कारण बनती है औ [र] हमारे पास अकर्तव्य भी करवाती है, उमे छोड देना और जबतक उसको हम सम्पूर्णतया छोडनेके लिये तैयार नहीं है तबतक उसका व्यय पारमार्थिक भावसे — ट्रस्टीकी हैसियतसे — करना और अपने भागोके लिये उसका कमसे-कम व्यय करना। एक बात और सभवित है। जो सज्जन झगडा करता है उसको मीलनेकी कुछ कोशीश हुई है? उसकी अशा-तिका कारण क्या है? क्या उसकी मूर्खता भले हो परन्तु उसकी जमीन पानीके दाम-से तो नहीं मीली है? दुष्ट पुरुष भी अपनी मीलकत फेक देना नहीं चाहता है। यह तो दूसरा तात्विक प्रश्न मैंने छोडा है।

आपकी धर्मपत्नीका स्वास्थ्य कुछ ठीक है क्या?

मैं मद्रास २४ तारीखको छोडुगा।

आपका,

मोहनदास गाधी.

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०७) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिडला

१ २१ फरवरी, १९२५ को लिखे अपने पत्रमें गाधीजीने श्री बिडलासे ५०,००० रुपये अलीगढ युनिवर्सिटीको दान देनेका अनुरोध किया था।

२२ मार्च, १९२५

मद्रास अहातेमे अपने दीरेके इस हिस्सेकी शुरुआत इस समारोहके साथ करते हुए मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। अभी एक मानपत्र पढा गया। आपने उसमें यहाँ आनेकी दावत मजूर करनेपर मेरा शुक्रिया अदा किया है। लेकिन शुक्रिया तो आपको मेरा, एक कैदीका नहीं, बल्कि मुझे कैद करनेवाले, मेरे जेलर, श्री एस० श्रीनिवास आयगरका अदा करना चाहिए। (हँसी)। यहाँ मेरे सारे वक्तके वँटवारेका काम उन्हीके हाथमे था। अस्पृश्यता-निवारणकी लगन उनमे उतनी ही है जितनी हममे से किसीमे भी हो सकती है। आपने समाज-सेवाके प्रति नई पीढीके लोगोके उपेक्षा भावका जिक्र किया है। मैं एक हदतक इसकी तार्ईद करता हूँ। यह सच है कि नई पीढीके लोग काम नहीं चाहते, जोश चाहते हैं। पर मैं आपको यह भी बतला दूँ कि अभी ऐसे सैकड़ो लोग पडे हैं जिनको दुनिया नहीं जानती और जिनकी कही भी शोहरत नहीं, परन्तु जिन्होने इस तरहकी समाजसेवामे अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, जो अभी-अभी आपकी बतार्ई समाज-सेवासे भी बहुत कठिन है। यहाँ मद्रासमे आपको उस व्यवस्थाकी सुख-सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो सभ्यता कही जाती है। (हँसी)। मैं आपसे जिन युवकोकी बात कर रहा हूँ और जिनके नाम मेरे दिमागमे हैं, उन्होने अपना सारा समय गाँवोमे रहकर समाज-सेवा करनेमे लगाया है। बाहरकी दुनियासे उनका कोई सम्पर्क नहीं। वे अखवार नहीं पढते। उनकी किताबमे जोश नामका कोई शब्द नहीं। वे जनताके बीचमे रहे हैं। और उनका जीवन विलकुल जनताकी तरह है। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी मौन सेवाओपर ध्यान दे। इतने मनोयोग और इतने आत्म-त्यागपूर्ण ढंगसे की गई उनकी इस सेवाको आप अन्य नवयुवको द्वारा की जानेवाली उपेक्षाका प्रायश्चित्त माने और शेष नवयुवक जो वास्तविक सेवाका अर्थ नहीं जानते, उनकी इस आत्म-त्यागपूर्ण सेवासे प्रेरणा ले।

मेरी रायमे तो यह सेवा ही हमारी शिक्षाकर्म सबसे अच्छा अंश है। हमारे वेशुमार स्कूलोमें जो शिक्षा दी जा रही है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं जिस तौर-तरीकेके जीवनका हामी हूँ, उसमे इस प्रकारकी शिक्षा दायम दर्जेपर आती है। यदि यह शिक्षा हमे राष्ट्रका सेवक नहीं बना सकती तो मैं इसकी उपयोगिताको नहीं मान सकता। मुझे तो लगता है कि हमारे नगरोमे आमतौरपर जिस ढंगकी समाज-सेवा की जाती है वह गोखलेके^२ मतानुसार मनोरजनका रूप ले लेती है। यदि हमे समाज-सेवाको जिन लोगोकी हम सेवा करते हैं, उनके लिए और राष्ट्रके लिए प्रभावकारी और उपयोगी

१. सोशल सर्विस लीग द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें।

२. गोपाल कृष्ण गोखले।

बनाना है तो हमारे रोजानाके कामकाजमें उसका मुख्य स्थान होना चाहिए। जिस समाज-सेवामें सरपरस्तीका भाव हो, वह सेवा नहीं होती।

आप जिस महान् कार्यमें लगे हुए हैं, मैं उसके लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि वह अपने-आपमें अंधूरा है और उसमें बहुत सुधार किया जा सकता है। मेरी रायमें तो इस देशकी दशाको देखते हुए, कोई भी सेवा तबतक पूर्ण नहीं है जबतक उसकी नींव चरखे और खदरपर न रखी गई हो। आप चाहे तो इसपर हँस सकते हैं, पर समय आ रहा है जब यह बात समाज-सेवाका आधारभूत सूत्र बन जायेगी कि कोई भी समाज-सेवी तबतक समाज-सेवी नहीं माना जाये जबतक वह ऊपरसे नीचेतक केवल खदर न पहने हो और कातना न जानता हो। मैं आपको इसका कारण बतलाता हूँ। समाजके सबसे निचले वर्गके लोगोकी सेवाका काम शुरू करके आपने उचित ही किया है। तब क्या इसके सम्बन्धमें मैं आपको एक तथ्यकी, एक ऐसे तथ्यकी याद दिलाऊँ जिसकी सचाईमें शका नहीं की जा सकती? वह तथ्य यह है कि हमारे समाजके सबसे निचले वर्गके लोग शहरोमें नहीं, देहातोमें रहते हैं। मैं आपको एक दूसरा तथ्य भी बता दूँ, जिसे मेरे जैसे मनुष्यने नहीं इतिहासज्ञोंने प्रस्तुत किया है। तथ्य यह है कि भारतमें जनसख्याका दसवाँ भाग आधे पेट खाकर रहता है। साथमें यह भी स्वीकार किया जाता है कि उनको आधे पेट इसलिए रहना पडता है कि सालमें लगभग चार महीने उनके पास कोई काम नहीं रहता। इसलिए एक ऐसा सार्वत्रिक घन्धा होना चाहिए जिसे देशका हर आदमी अपना सके। चरखा चलाना ही ऐसा एकमात्र घन्धा है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसपर व्यक्तिकी दृष्टिसे नहीं, समूचे राष्ट्रकी दृष्टिसे विचार करे। तब आपके सामने तुरन्त स्पष्ट हो जायेगा कि इससे राष्ट्रको केवल कुछ लाख रुपयोकी नहीं, बल्कि करीब १२० करोड रुपयोकी वचत होगी। जिस सेवाका पुरस्कार उसके साथ जुडा हुआ रहता है, ऐसी असन्दिग्ध यही एक सेवा है। यदि हम सरपरस्तीका भाव लेकर जनताके बीच सेवा करने जाये, तो यह सेवा असम्भव है। हम तब स्वयं उनके बीच खदर पहनकर जाये, तभी उनसे खदर पहननेके लिए कह सकते हैं और तभी उनकी ऐसी सेवा कर सकते हैं। यदि हम खुद आज ही कताई शुरू नहीं करते तो जनता चरखेकी ओर आकर्षित नहीं होगी। और चूँकि हमने चरखा चलानेकी कला भुला दी है, इसलिए हम जबतक चरखे-जैसे सीधे-सादे यन्त्रकी सभी बारीकियोको समझ नहीं लेते और चरखेकी सँभाल और मरम्मतमें सिद्धहस्त नहीं बन जाते, तबतक मनुष्यके लिए जनतातक चरखेका सन्देश पहुँचाना असम्भव है। केवल यही एक सेवा ऐसी है जिसमें हमारा एक भी प्रयत्न बेकार नहीं जाता। इसमें निराशाकी गुजाइश ही नहीं है। जैसे किसान द्वारा उपजाई हुई छोटीसे-छोटी चीज भी देशकी सम्पदाकी अभिवृद्धि करती है, वैसे ही देशकी खातिर काता हुआ एक-एक गज सूत देशकी सम्पदाकी अभिवृद्धि करता है। उससे चाहे एक पाई भी मिले, वह करोडोकी तादादमें भूखो मरती जनताकी जेबमें ही पहुँचती है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक आशा करता हूँ कि आप (श्री टी० वी० शोपगिरि अय्यरकी ओर

मुडकर) कार्यकर्ताओंकी इस टोलीके नेताकी हेसियतसे इस समस्याके सभी पहलुओंका अध्ययन करेगे और अपनी सारी सूझ-बूझ और बुद्धि इसे हल करनेमें लगायेंगे। मुझे यह भी पक्का भरोसा है कि इस अध्ययनके फलस्वरूप आप भी महान् प्रफुल्लचन्द्र रायकी तरह इसी निष्कर्षपर पहुँचेंगे कि भारतकी मेहनतकश जनताका उद्धार केवल चरखेसे ही हो सकता है।

आज मेरे पास काम बहुत और समय थोड़ा है। मेरे जेलरने मुझपर एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम लाद दिया है। ये जेलर तो यरवदाके जेलरसे भी अधिक कठोर काम लेनेवाले है। (हँसी)। मैं आपके सम्मुख समाज-सेवाकी कई और शाखाओंकी भी चर्चा करना चाहता था। पर मैं चरखेके इस सन्देशपर ही बस करता हूँ। आशा है कि मुझे अगली बार जब आपसे मिलनेका अवसर मिलेगा तब आप सभी सिरसे पैर-तक खद्दर पहने दिखाई पड़ेंगे। मैं आपको अपनी लीग द्वारा किये गये कार्यके लिए फिर बधाई देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

२०१. भाषण : मद्रासकी महिला सभामें^१

२२ मार्च, १९२५

वहनों और मित्रों,

इस सुन्दर अभिनन्दन-पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस कताई-प्रतियोगिताके सिलसिलेमें यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक बातसे मुझे दुःख पहुँचा है और उसे मैं आपसे छिपा नहीं सकता। वह यह है कि यहाँ बहुत-सी बहनें ऐसी हैं जो खद्दर नहीं पहने हैं। भारतकी स्त्रियोंकी मुट्ठीमें ही इस देशका भाग्य है। जबतक भारतीय स्त्रियाँ, पुरुषोंके साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर पूरी शक्तिसे काम नहीं करती, तबतक वह स्वराज्य स्थापित नहीं किया जा सकता, जिसका मैं स्वप्न देखता हूँ। स्त्रियोंकी सभाओंमें मैंने स्वराज्यको रामराज्य कहा है और देशमें जबतक हजारों सीता पैदा नहीं होती, तबतक रामराज्य होना असम्भव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राम और सीताके जमानेमें हाथ कते और हाथ बुने वस्त्र खद्दरके अतिरिक्त दूसरा कोई वस्त्र ही नहीं होता था। सीता आपकी तरह विदेशी वस्त्रोंमें सजकर देश-भरमें नहीं घूमी थी। सीताके लिए तो अपनी सज्जाके लिए अपने देशमें तैयार वस्त्र पर्याप्त था। यह तो भारतकी आधुनिक स्त्रियाँ ही हैं, जो मुझसे कहती हैं कि खद्दर इतना मोटा-झोटा और खुरदरा है कि वे उसे नहीं पहन सकती। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपके खद्दर पहनना बन्द कर देनेसे हमारे सैकड़ों भाई-बहिन गरीब हो गये हैं। आप

१. श्रीमती चिन्नास्वामी आधगर द्वारा भेंट किये गये मूल तमिल अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें गांधीजीने अंग्रेजीमें भाषण दिया था। उसका वाक्यश तमिल अनुवाद श्री एस० श्रीनिवास आधगरने किया था।

खाते-पीते धरोकी है, इसलिए १८ हाथकी साडियाँ पहनकर मजेमे सामाजिक समारोहो-में और इधर-उधर आ-जा सकती है। पर आप यह भी याद रखे कि गाँवोमे रहनेवाली आपकी वहनोको साडियाँ तो क्या, पेट-भर भोजनतक नही मिलता। यह मैं आपसे विलकुल सच कह रहा हूँ, मैने खुद अपनी आँखोसे ऐसी हजारो नही तो सैकडो वहनें तो देखी ही है, जो वस्त्रोके अभावमे चिथडोसे अपना तन ढकती है।

इसलिए मैं उन वहनोके तथा धर्म और ईश्वरके नामपर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जिन विदेशी वस्त्रोको काममे ला रही है उन्हें त्याग दे और खदरकी साडियाँ, जैसी भी मिल सके पहने। खदरको मस्ते दामोमे मुलभ बनाने और अपनी पसन्द-लायक महीन साडियाँ प्राप्त करनेके लिए आप रोज कमसे-कम आधा घण्टा कताई करे और अपना कता हुआ सूत देशको दे। इससे खदर सस्ते दामोमे मुलभ हो सकेगा। आप सवने पिछवाडेके बडे कमरेमे वहनोको सूत कातते देखा ही होगा। यदि न देखा हो, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप दम-दसकी टोलियाँ बनाकर सूतकी कताई देखें। इसे अभी कोई बडा जमाना नही गुजरा है जब हमारे यहाँ हर घरमे जैसे आज चूल्हा रहता है वैसे ही एक चरखा भी रहता था। चरखेको अपने धरोसे निकालकर हमने अपनी कमसे-कम एक-चौथाई आमदनीका रास्ता बन्द कर लिया है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप चरखेको पुन उचित स्थानपर प्रतिष्ठित करे। आपके यहाँ आनेसे मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन यदि आप इन सभाओमे विदेशी वस्त्र पहनकर आती रही तो वह मेरे लिए अत्यन्त पीडाजनक और असहनीय बन जायेगा। अपनी ही आवाज सुननेकी मेरी कोई इच्छा नही। मैं सभाओमें आकर भाषण इसलिए करता हूँ कि मुझे अब भी यह आशा बनी हुई है कि मेरे कुछ शब्द तो श्रोताओके हृदयो-में उतर ही जायेगे। ईश्वर करे, आज शाम यहाँ कहे गये मेरे शब्द आपके मनपर ऐसा ही प्रभाव डाले।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

२०२. भाषण : 'हिन्दू' कार्यालयमे'

२२ मार्च, १९२५

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मुझे जब इस चित्रका अनावरण करनेके लिए आमन्त्रित किया गया था तब मैने उत्तर देते हुए कहा था कि इसे मैं अपना सम्मान मानूंगा। अब मुझे दुहरा सम्मान महसूस हो रहा है। एक तो इसलिए कि आपने मुझे स्वर्गीय श्री कस्तूरी रगा आयगरके चित्रका अनावरण करनेका सौभाग्य प्रदान किया है, और दूसरे इसलिए कि यह अनावरण मैं एक ऐसे व्यक्तिकी अव्यक्षतामे कर रहा हूँ जिसके प्रति मेरा

१ एस० कस्तूरी रगा आग्रके चित्रके अनावरणके अवसरपर वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकी अव्यक्षतामे दिया गया।

प्रेमभाव है और जिनका मैं सम्मान करता हूँ। आमन्त्रणकर्त्ताओंने इस समारोहमें किसी दल विशेषको नहीं, बल्कि सभी दलोको आमन्त्रित करके बहुत बुद्धिमान्नीका परिचय दिया है।

मेरा खयाल है कि श्री कस्तूरी रगा आयगरसे मेरा परिचय पहले-पहल १९१५ में हुआ था। मैं कह सकता हूँ कि उन दिनों मैं अखवार बहुत-कुछ नियमित रूपसे पढता था। आज मैं उतने नियमसे नहीं पढता (हूँसी)। इन अखवारोंमें से एक 'हिन्दू' भी था; और उसका महत्व मैं तभीसे समझने लगा था। मैं मानता हूँ कि श्री कस्तूरी-रगा आयगर भारतीय पत्रकारिताके कुछ श्रेष्ठ गुणोंके प्रतिनिधि थे। मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी एक अलग ही शैली थी। उनकी व्यंग्योक्तियाँ भी अपने ढंगकी अनूठी होती थी। वे चाहे मित्रके रूपमें लिखते, चाहे विरोधीके रूपमें—उनकी शैलीकी प्रशंसा सभीको करनी पडती थी। वे कभी-कभी अपने प्रतिपक्षियोंपर वडे तीखे और सीधे प्रहार करते थे। ये प्रहार यद्यपि उनको उस समय कटु लगते थे, लेकिन उनमें सदा ही बहुत-कुछ सचाई दिखाई पडती थी, क्योंकि श्री आयगरकी शैली अत्यधिक विवेकयुक्त लगती थी। मैं समझता हूँ कि उनके वारेमें बहुत-कुछ निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अपने देशके प्रति उनकी आस्था अडिग थी। हालाँकि उनकी आलोचना सदा ही विनम्रतापूर्ण रहती थी, फिर भी वे सरकारके अत्यन्त निर्भय आलोचक थे।

मुझे कई मौकोंपर उनसे मतभेद भी रखना पडता था पर मैं उनके निर्णयकी हमेशा कद्र करता था, क्योंकि उससे मैं इतना जरूर समझ जाता था कि मेरे तर्क या दृष्टिकोणमें कहाँ कमजोरी है। मुझे ऐसा कोई भी मौका याद नहीं आता जब उनकी दलीलमें कुछ-न-कुछ सार न रहा हो। और तुलना की जाये तो मैं कहूँगा कि अक्सर मुझे लगता था कि मद्रास अहातेमें उनका स्थान वही है जो इंग्लैंडमें 'लन्दन टाइम्स' के सम्पादक का है। (तालियाँ) और बात ऐसी है कि मैंने श्री कस्तूरी रगा आयगरको निरा सुधारक तो कभी नहीं माना। उन्होंने पत्रकारिताका जो उद्देश्य समझा, उसकी सेवामें अपनी सारी प्रतिभा लगा दी। (हर्ष ध्वनि)। तदनुसार वे महसूस करते थे कि यदि उन्हें इसी रूपमें काम करना है, तो उनको देशके नेतृत्वकी, कमसे-कम हर मामलेमें नेतृत्व करनेकी कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, उन्हें तो देशकी जनताकी रायको ही हमेशा सही रूपमें पेश करना चाहिए।

'हिन्दू' के नियमित पाठकोने अवश्य ही महसूस किया होगा कि उन्हें जब भी उसकी सम्पादकीय नीतिमें कोई परिवर्तन हुआ दिखा, तो वह इसलिए हुआ कि देश किस तरफ जा रहा है, या हवाका क्या रख है इसको रगा अच्छी तरह पहचान पाते थे। लोग कह सकते हैं कि यह उनकी खामी थी, पर मैं इसे खामी नहीं मानता। (श्री सी० आर० रेड्डी द्वारा हर्षध्वनि)। अगर उन्होंने सुधारकका काम अपने ऊपर ले लिया होता, जैसा कि मैंने किया है, तो उनको जनताके सामने अपनी निजी राय रखनी पडती। फिर सारा देश उसके वारेमें भले ही कुछ भी क्यों न सोचता। मैं समझता हूँ कि देशके जीवनमें एक दौर ऐसा भी आता है; लेकिन यह पत्रकारका खास काम नहीं है। पत्रकारका खास काम तो देशकी जनताके मनोभावको समझना और उसे निश्चयात्मक शब्दोंमें निर्भयताके साथ व्यक्त करना ही है। और मेरा खयाल है कि जहाँ-

तक इस गुणकी बात है, श्री कस्तूरी रगा आयगर अपना कोई सानी नहीं रखते थे (तालियाँ)।

इतना ही नहीं। मैंने 'हिन्दू' में एक और भी विशेषता देखी है। पूरा समाचार पानेके उत्सुक पाठक भी उसके समाचारोसे सतुष्ट हो जाते हैं (हर्षध्वनि), क्योंकि श्री कस्तूरी रगा आयगर देशमें होनेवाली घटनाओंके विषयमें पाठकोको जो-कुछ दिया जाना चाहिए, वह सभी कुछ दे देते थे। और उन्होंने काट-छाँटकी कला भी सीख ली थी। मैं अपने अनुभवसे कहता हूँ कि काट-छाँट करना भी एक कला है। उनके सक्षिप्त समाचार सचमुच प्रशंसनीय होते थे। और चूँकि उनकी रचि अत्यन्त व्यापक थी, इसलिए 'हिन्दू' के पाठकोको, जहाँतक ससारके समाचारोका सम्बन्ध है, फिर कोई दूसरा अखवार पढ़नेकी जरूरत नहीं रहती थी। वे ससार-भरके समाचारपत्रोको छान डालते, सभी पत्रो और पत्रिकाओमें से सर्वोत्तम अशोके उद्धरण लेते और उनको अपने पाठकोके सामने आकर्षक ढंगसे पेश कर देते थे। इसलिए यदि मद्रास अहातेमें रहनेवाला कोई भी मनुष्य 'हिन्दू'को पढ़ लेता और उसके जवाबमें निकलनेवाले 'मद्रास मेल' को भी देख लेता तो फिर उसे किसी भी प्रश्नके दोनो पहलुओकी पूरी जानकारी मिल जाती। मेरी समझसे तो श्री कस्तूरी रगा आयगरकी पत्रकारिताकी सारी विशेषता इसीमें आ जाती है। और यह कहनेके वाद मुझे लगता है कि मैं उनकी पत्रकारिताकी जितनी प्रशंसा कर सकता था, उतनी मैंने कर दी है।

मैं 'हिन्दू' को उन गिने-चुने समाचारपत्रो—उन थोड़ेसे दैनिक पत्रो—में गिनता हूँ जिसके बिना सचमुच काम नहीं चल सकता, (तालियाँ) अतः श्री कस्तूरी रगाकी मृत्युसे जो उमकी क्षति हुई है, वह दक्षिण भारतमें ही नहीं उत्तर भारतमें भी अनुभव की जायेगी। क्योंकि मद्रास अहातेमें तो पत्रोके पाठकोपर श्री कस्तूरी रगाका प्रभाव अनुपम था ही तथापि समस्त भारतके सार्वजनिक कार्यकर्ताओपर भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं था। वे हमेशा यह जानना चाहते थे कि किसी भी प्रश्न-विशेषके बारेमें 'हिन्दू' का मत क्या है। इसलिए मुझे जेलमें यह जानकर बड़ा सदमा पहुँचा कि श्री कस्तूरी रगा आयगर अब नहीं हैं। मैं सदा अनुभव करता था कि उचित सार्वजनिक अवसर मिले तो मैं उसमें सार्वजनिक रूपसे अपना दुःख प्रकट करूँ। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे एक ऐसे व्यक्तिके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करनेका गौरव दिया गया है जिसका मैं अत्यधिक सम्मान करता था। यद्यपि उनसे बहुत बार मेरा मतभेद हो जाता था और वे कर्त्तव्यभावमें जब भी जरूरत पडती थी अपना मतभेद प्रकट करनेमें जरा भी हिचक नहीं दिखाते थे। उनको जब भी लगता था कि देशके हितकी दृष्टिसे उनके लिए अपना विचार जोरदार शब्दोंमें व्यक्त करना जरूरी हो गया है, और उसके बिना कोई चारा नहीं है, तब वे व्यक्तियो और उनकी भावनाओको अपने आड़े नहीं आने देते थे। ऐसे थे श्री कस्तूरी रगा आयगर।

मैं आपको बतला चुका हूँ कि इधर कई वर्षोंसे मैं अखवारोको नियमित रूपसे नहीं पढ़ पाता। पर मैंने सुना है कि 'हिन्दू' के वर्तमान सम्पादक और श्री कस्तूरी रगा आयगरके सुपुत्र अपने प्रख्यात प्रधान सम्पादककी नीति और परम्पराओका ही सावधानीसे अनुगमन कर रहे हैं। आशा है कि 'हिन्दू' फले-फूलेगा और ठीक उसी

प्रकार देशकी सेवा करता रहेगा जिस प्रकार श्री आयररके सम्पादकत्वमे लम्बे अर्सेसे करता आ रहा है। लोकमतको व्यक्त और प्रचारित करनेमे पत्रकारिताका एक अपना विशिष्ट स्थान है। हम अभी अपने देशमे पत्रकारिताकी सर्वोत्तम परम्पराएँ बना रहे हैं या कहना चाहिए कि हमे अभी बनानी है। हमारे यहाँ कई अत्यन्त सुयोग्य पत्रकार हैं। हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। हमारे देशमे बहुत पहले क्रिस्टोदास पाल^१ जैसे देशभक्त भी हो चुके हैं। जिन दिनों निर्भयताके साथ अपने विचार व्यक्त करना या लिखना बहुत ही कठिन था, उन दिनों उन्होने लोकमतका नेतृत्व किया था और उन्होने खुद जो भी महसूस किया तथा देशने जो-कुछ कहा उसे व्यक्त करनेमे कभी कोई हिचक नहीं दिखाई थी। इसलिए हमारे सामने इतनी श्रष्ट परम्पराएँ हैं, जिनका हमे अनुसरण करना है। फिर भी मुझे पत्रकारिताका जो-थोडा-बहुत अनुभव है उसके आधारपर मैं खयाल करता हूँ कि अभी हमे बहुत-कुछ करना है। मैं जानता हूँ कि हम अपने ध्येयकी ओर जैसे-जैसे आगे बढ़ते जायेगे, पत्रकारिता हमारे देशके भाग्यके निर्माणमे तैसे-तैसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती जायेगी।

मैं इसीलिए अपने परिचित पत्रकारोसे हर अवसरपर यही बात कहता रहता हूँ कि अपने स्वार्थ साधन करने या केवल अपने जीविकोपार्जन करने या उससे भी बुरी बात घन-सचय करनेके लिए पत्रकारिताका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकारिता देशके लिए तभी उपयोगी और कारगर होगी और अपना उचित स्थान प्राप्त करेगी जब वह नि स्वार्थ भावसे चलाई जायेगी, जब उसकी अधिकांश शक्ति सम्पादको या स्वयं पत्र-पत्रिकाओपर आनेवाली किसी भी विपत्तिका विचार किये बिना देशकी सेवामे लगेगी और जब सम्पादक परिणामोकी परवाह छोडकर देशकी जनताके विचारोको व्यक्त करेगे। मैं समझता हूँ कि हमारे देशमे इस तरहकी पत्रकारिता पनप रही है। 'हिन्दू' भी उन चन्द समाचारपत्रोमे से एक है, जो इसे अजाम दे सकते हैं। उसने अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा बना ली है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि 'हिन्दू' के वर्तमान प्रबन्धक और सम्पादक अपनी सर्वोत्तम परम्पराओका अनुसरण करते रहेगे और यहाँ मैं यह भी कह दूँ कि अपनी विरासतको और शानदार बनानेका तरीका उसे ज्योकी-त्यो बनाये रखना नहीं, बल्कि उसे अधिक समृद्ध बनाना है।

मेरा खयाल है कि इजाफा करनेकी, नये विचारोकी हमेशा गुजाइश रहती है और इसीलिए मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि सम्पादक मण्डल इस बातको स्वीकार करेगा कि भारतमे तेजीसे पाठकोका एक नया वर्ग ऐसा पैदा हो रहा है जो विलकुल ही भिन्न प्रकारके विचार, कार्य और कदाचित् समाचार भी चाहता है। यह नया वर्ग जनतामे से खडा हुआ है। आपको शायद मेरी बातपर विश्वास हो जायेगा। मैंने देश-भरमे घूम-घूमकर खुद देखा है कि भारतकी जनतामे अधिक अच्छी व्यवस्थाके लिए एक स्पष्ट आकांक्षा पैदा हो गई है। वह अपने लिए एक अधिक अच्छी व्यवस्था चाहती है। पत्रकार अभीतक भारतकी महान् जनताकी सेवा नहीं कर पाये हैं; अत यदि वे उसके हृदयमे सचमुच बैठना चाहते हैं—तो उन्हें एक विलकुल

दूसरा ही मार्ग ढूँढना होगा, दूसरी ही नीति अपनानी होगी। आप मुझसे यह उम्मीद तो अवश्य ही नहीं करेगे कि मैं यह भी बताऊँ कि वह नीति क्या होनी चाहिए। अगर इसका निर्णय मुझपर छोड़ दिया जाये तो आप जानते ही हैं कि वह नीति क्या होगी या क्या होनी चाहिए। मैं इन विचारोको सिर्फ आपपर छोड़ता हूँ।

मैं इन शब्दोके साथ सम्पादक महोदय और श्री कस्तूरी रंगा आयगरके सुपुत्रोको इस विशिष्ट सम्मानके लिए एक वार फिर धन्यवाद देता हूँ, विशिष्ट इसलिए कि मुझे इस चित्रका अनावरण करनेका सौभाग्य मिला। (जोरसे देरतक तालियाँ)।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

२०३. भाषण : मद्रासकी सार्वजनिक सभामें^१

२२ मार्च, १९२५

सभापति महोदय और मित्रो,

जिन महानुभावो और सस्थाओने मुझे ये अभिनन्दन-पत्र दिये हैं, मैं उन सभीका आभारी हूँ। सभापति महोदय,^२ आपने हिन्दू-मुसलमान एकताके प्रश्नकी चर्चा कुछ विस्तारसे की है। मैं आपके द्वारा व्यक्त किये गये भावोकी पुष्टि करता हूँ। अगर हिन्दू और मुसलमान समझदारीके साथ अपने बीच स्वयं एकता कायम नहीं करेगे तो उनको ऐसा मजबूरन करना होगा, क्योंकि कोई भी एक दल इस देशका नेतृत्व नहीं कर सकता। जबतक देशमें थोड़ेसे भी हिन्दू और मुसलमान ऐसे हैं जो सभी जातियोकी एकतामें सर्वोपरि आस्था रखते हैं, तबतक मुझे पूरी आशा है कि हम सबमें एकता, हार्दिक एकता होगी। कांग्रेसको समाजसेवी सस्था या कताई-सस्था माना जाये तो मुझे खुद अपनी तरफसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि हम सामाजिक और आर्थिक कहे जानेवाले मसलोकी उपेक्षा करेगे तो कोई भी यह देख ले सकता है कि स्वराज्य हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन साथ ही कांग्रेस एक राजनीतिक सस्था भी है, क्योंकि स्वराज्य दल कांग्रेस सगठनका एक अविभाज्य अंग है, और कांग्रेस राजनीतिक महत्वाकाक्षाकी पूर्तिकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक कांग्रेसीको स्वराज्य दलके जरिये उसकी चरम पूर्तिका अवसर देती है। लेकिन जहाँतक मेरा सवाल है, कमसे-कम फिलहाल मेरी राजनीति चरखेसे आगे नहीं जाती। उसका चक्र इतनी तेजीसे और ऐसे निश्चित भावसे घूमता है कि उसकी गतिमें अन्य सभी गतिविधियाँ आ जाती हैं। चरखेका काम सभी जातियोके बीच एकता स्थापित करने और अस्पृश्यता-निवारणके कामके साथ मिलकर एक ऐसी आधारशिला प्रस्तुत कर देता है जिसपर

१ यह भाषण गुजराती सेवक मन्दिर, अमरवाला विलासिनी सभा और तिलक घाट (ट्रिप्लीकेन बीच) स्थित नोरोजी-नोखले सब द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्रोके उत्तरमें दिया गया था।

२ थाकूस हसन।

आप किसी भी राजनीतिक या राष्ट्रीय भवनका निर्माण कर सकते हैं। अस्पृश्यता-निवारणके बिना तो आप जिस भवनका भी निर्माण करेगे, वह रेतपर बने मकानकी तरह ढह जायेगा। इसलिए आपका ध्यान कुछ देरतक वाइकोम सत्याग्रहकी ओर आकर्षित करनेके लिए मुझे कोई सफाई देनेकी जरूरत नहीं रह जाती।

आपमे से जो लोग अखबार पढते हैं, उन्होंने शायद मेरे त्रावणकोरके दौरेके बारेमे सब-कुछ पढा होगा। मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि कट्टरपन्थी हिन्दुओके पूर्वग्रहकी दीवार सुदृढ और सगठित लोकमतके आगे ढह जायेगी। मेरी अपनी राय यह है कि त्रावणकोर-सरकार सुधारके खिलाफ नहीं है। अस्पृश्यता एक ऐसा अभिशाप है जिसे शीघ्रसे-शीघ्र दूर करना हर हिन्दूका कर्त्तव्य है। मैंने अस्पृश्यताका बुरेसे-बुरा स्वरूप देखा है। अन्त्यजोका सवर्णोंके पास आना ही नहीं, उनकी निगाहके सामने आना भी अनुचित माना जाता है। धर्मान्व लोग, कुछ लोगोको देखनातक पाप समझते हैं नयाडी लोगोके लिए तो यह आवश्यक होता है कि वे सवर्णोंकी नजरके सामने भी न आये। मैंने त्रिचूरमे इस जातिके दो मनुष्य देखे थे जिनकी देह तो मनुष्यकी थी और फिर भी वे मनुष्य नहीं थे। (हँसी) भाइयो, यह हँसनेकी बात नहीं, बल्कि खूनके आँसू बहानेकी बात है। आँखोके नामपर वहाँ मात्र दो गड्ढे थे। अगर उनके साथ मान-वीर्यताका वर्ताव किया जाता तो उनके आँखे हो सकती थी। आप लोगोकी आँखोमे जैसी चमक दिखाई देती है, वैसी चमक उनकी आँखोमे नहीं थी। उनको आकर मुझे मानपत्र भेंट करने थे। लेकिन उनको गाडीतक हाथोमे उठाकर लाना पडा था और वे अपने काँपते हुए हाथोसे मानपत्र पकडे हुए थे। मैंने उनको चेतन करनेकी और उनके चेहरोपर थोडी खुशी लानेकी कोशिश की। लेकिन मैं कतई कामयाब नहीं हो सका। वे मानपत्रोको मुझे पकडा नहीं पाये। मुझे स्वयं आगे बढ़कर उनके हाथोसे उन्हें लेना पडा। फिर उन लोगोको, जैसे वे लाये गये थे वैसे ही, उठाकर वापस ले जाना पडा। अगर हममे पर्याप्त विचारशक्ति हो और अगर हमारे दिलोमे अपने देश या धर्मके लिए पर्याप्त प्रेम हो, तो हम जबतक देशको इस अभिशापसे मुक्त नहीं कर लेते तबतक चैनसे न बैठे। यदि कोई मुझसे कहे कि शास्त्रोमे किसी ऐसी बुराईका समर्थन है तो मुझे ऐसे शास्त्रोकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस प्रकार सभामे हमारी उपस्थितिकी बात निश्चित है उसी प्रकार मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ कि शास्त्रोमे ऐसी किसी पैशाचिकताका प्रतिपादन या आदेश नहीं है। यह कहना कि जन्मके कारण कोई भी मनुष्य अस्पृश्य, अनुपगम्य या अदर्शनीय हो जाता है, ईश्वरकी सत्ता माननेसे इन्कार करना है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि त्रावणकोरके सत्याग्रही जो साहसिक सघर्ष चला रहे हैं, आप सार्वजनिक सभाओ और अन्य सभी वैध तरीकोके जरिये लोकमत जगाकर उसका समर्थन करे। मैं पजाबसे कन्याकुमारीतक और असमसे सिन्धतकके हिन्दुओको इस एक बातपर एकमत कर सकूँ तो अवश्य कहूँगा।

अभी-अभी एक सज्जनने मुझे एक पत्रमे इस विषयमे कुछ प्रश्न लिखकर भेजे हैं।

मैं बडी खुशीसे उनके उत्तर देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि यदि अछूतोको सडको-का इस्तेमाल करनेकी इजाजत दे दी जाये तो क्या आप उसके बाद सभी हिन्दुओ-

की तरह हिन्दू मन्दिरोंमें प्रवेशकी उनकी माँगका समर्थन करेगे? मुझे तो इस समय इस प्रश्नके पूछे जानेपर आश्चर्य हो रहा है। मैं इसके उत्तरमें जोर देकर कहता हूँ—हाँ। मैं तो कहता हूँ कि अछूतोंके लिए सब सार्वजनिक सड़के ही नहीं खुली होनी चाहिए, वल्कि ब्राह्मणोंके लिए खुले सब मन्दिर भी उनके लिए खुले रहने चाहिए, और वे सभी सार्वजनिक स्कूल, जिनमें अब्राह्मण और अन्य लोगोंके वच्चे दाखिल किये जाते हैं और सभी सार्वजनिक स्थान, जैसे कुएँ या यात्रियोंके वगले या आम लोगोंके लिए अन्य सभी स्थान अछूतोंके लिए भी उसी तरह खुले रहने चाहिए जैसे कि हम सबके लिए खुले रहते हैं। जबतक ईश्वरकी धरतीके इस खण्डपर यह एक सीवा-सा और बुनियादी मानवीय अधिकार हर मनुष्यके लिए सुनिश्चित नहीं बना दिया जाता तबतक मैं समझता हूँ कि अस्पृश्यताके वारेमें मेरी माँग अपूर्ण ही है। यह जितना अछूतोंका अपना हक है, उससे ज्यादा हम सवर्ण हिन्दुओंका उनके प्रति कर्त्तव्य है। अस्पृश्यों और समस्त ससारके प्रति हमने जो पाप किये हैं उनका यह कमसे-कम प्रायश्चित्त है। किन्तु आप मेरी बातका अर्थ गलत न लगाएँ। मैं इस अधिकारको सत्याग्रहके बलपर इसी समय प्राप्त करना नहीं चाहता। वाडकोम सत्याग्रह तो अस्पृश्योंके लिए खास-खास सड़कोंके खुलते ही बन्द हो जायेगा। मैं महसूस करता हूँ कि मन्दिरोंके प्रश्नपर हमारे खिलाफ पूर्वग्रहकी एक भारी और ठोस दीवार खड़ी हुई है, हालाँकि यह अनुचित है। यह बुराई हिन्दू जातिको सत्वहीन बनाती जा रही है, फिर भी मैं इसका उन्मूलन करनेके लिए किसी भी रूपमें हिंसाका प्रयोग करनेके पक्षमें नहीं हूँ। लेकिन यह बात भी बिल्कुल निश्चित है कि जबतक अछूतोंके लिए यह पूरा अधिकार सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता और जबतक अस्पृश्य और अदर्शनीय शब्द ही कोषसे नहीं निकाल दिये जाते, तबतक प्रत्येक हिन्दूका कर्त्तव्य है कि वह दम न ले।

इस भाईने दूसरे प्रश्नमें मुझसे पूछा है कि सनातनी हिन्दूकी परिभाषा क्या है, और क्या सनातनी हिन्दू ब्राह्मण किसी माँसाहारी अब्राह्मण हिन्दूके साथ बैठकर भोजन कर सकता है? मेरी परिभाषाके अनुसार सनातनी हिन्दू वह है जो हिन्दू धर्मके मूलभूत सिद्धान्तोंमें विश्वास करे और हिन्दू धर्मके मूलभूत सिद्धान्त हैं—सत्य और अहिंसामें पूर्ण आस्था। 'उपनिषदों' ने कहा है और 'महाभारत' ने ऊँचे स्वरमें घोषित किया है कि "यदि तুম अपने सारे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंको और अपने सारे सुकृतोंको तराजूके एक पलडेमें और सत्यको दूसरे पलडेमें रखो तो सत्यका पलडा भारी बैठेगा।" इसलिए जो भी चीज सत्य रूपी निहाईपर रखी जाने और अहिंसारूपी घनसे पीटी जानेपर टूट जाये और उस कसौटीपर खरी न उतरे, उसे अहिन्दू मानकर त्याग दो। इस भाईको और इसी प्रकारकी शिकाएँ रखनेवाले दूसरे भाइयोंको सनातनी हिन्दूकी अधिक विस्तृत परिभाषाके लिए 'यग इंडिया' के पृष्ठ देखने चाहिए। मैंने बार-बार कहा है कि अन्तर्जातीय भोजों और अन्तर्जातीय विवाहोंका अस्पृश्यता-निवारणसे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि अन्तर्जातीय भोज या विवाह तो अपनी-अपनी पसन्दकी बात है और हर मनुष्यको उसे इसी रूपमें लेना भी चाहिए। यह

तो विलास या रुचिकी तृप्ति है, परन्तु अस्पृश्यताका मतलब तो अपने भाइयोकी सेवासे पराङ्मुख होना है, जबकि सत्य और अहिंसाकी अपेक्षा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे मनुष्यको, चाहे वह कैसा ही पापी हो, अपनी सेवासे वंचित न करे।

इस भाईने वर्णाश्रम धर्मके बारेमें मेरे विचार पूछे हैं। मैं चार वर्णों और चार आश्रमोंमें विश्वास करता हूँ। हमने इन चारों वर्णोंकी व्यवस्थाको विगाड दिया है और उनको उचित रूपमें न मानकर एकको दूसरेसे ऊँचा मान लिया है। हमने अपने तीन आश्रम तो विलकुल समाप्त कर दिये हैं और चौथा गृहस्थाश्रम, बस नाम-मात्रका ही रह गया है। हमारी गिरावट और दुर्दशाका कारण यही है। ऋषियोंने हिन्दू धर्ममें अनुशासन और सयम लानेके लिए मनुष्यके जीवनको इन चार अवस्थाओंमें या आश्रमोंमें बाँटा था। गृहस्थाश्रम बहुत वर्षोंके ब्रह्मचर्य-पालनका पूर्ण परिपाक है। हमारी आदत-सी बन गई है कि हम छोटी-छोटी बातोंको लेकर वैचैन हो जाते हैं और बड़ी-बड़ी बुराइयोंको पचा जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रमसे ही हिन्दू-धर्मको स्थिरता मिली है। यहाँतक कि वह युगोंसे चला आता है। अनेक सभ्यताएँ समाप्त हो गई हैं, किन्तु वह अवतक सुरक्षित है। अगर हम वानप्रस्थ और सन्यास दो अन्य आश्रमोंको भी पुनर्जीवित करते, अपना पूरा समय और मन राष्ट्रकी सेवामें लगाते और पूरे तौरपर राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता बन जाते तो हमें यह विडम्बना न देखनी पडती, हमारा इतना पतन न होता और न हमारे सम्मुख बाल-विवाहों और बाल-विधवाओंके दुःखद प्रसंग ही आते। हम वर्णाश्रम धर्मका पालन केवल उनके सही अर्थोंमें करे तो हम इतने कापुरुष न रहे। तब हम केवल ईश्वरका ही भय मानेंगे और किसी भी मनुष्यसे कभी न डरेंगे। आज हम एक-दूसरेसे डरते हैं, मुसलमानोंसे डरते हैं और अंग्रेजोंसे भी डरते हैं। हमने पूर्वजोंसे जो पौरुष पाया था, वह अब हममें नहीं रहा है और अब हम हाड-माँसके पुतले-मात्र रह गये हैं।

उक्त भाईने आखिरी प्रश्न, जो असलमें पहला ही प्रश्न है, यह पूछा है कि “विधान परिषदोंके आगामी चुनावोंमें मतदाताओंका क्या कर्त्तव्य है? क्या आप मुझे मतदान न करनेकी सलाह देते हैं?” यह तो आसमानसे धरतीपर आ गिरने जैसा है। यदि मैं मतदाता होऊँ और इस अधिकारका प्रयोग करूँ तो मैं क्या करूँगा — यह मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले उम्मीदवारोंकी भली-भाँति जाँच-पडताल करूँगा और यदि देखूँगा कि कोई भी उम्मीदवार सिरसे पैरतक खदर नहीं पहने है तो मैं किसीको भी मत न दूँगा, मतदान पत्रको हिफाजतसे अपनी जेबमें ही रखे रहूँगा। किन्तु यदि मुझे यह इत्मीनान हो जायेगा कि उनमें से कमसे-कम एक सज्जन ऊपरसे नीचेतक खदरधारी है तो मैं उनके पास जाकर उनसे पूरी विनम्रतासे पूछूँगा कि उन्होंने इसी अवसरके लिए खदर पहन रखा है या वे आदतन घर और बाहर सर्वत्र हाथकता और हाथबुना खदर पहनते हैं। अगर उनका उत्तर ‘नहीं’ में होगा तो भी मैं अपना मतदान पत्र जेबमें ही रखे रहूँगा। उनसे मैं फिर यह कहूँगा, “आप सदा खदर पहनते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या आप जनताके लिए रोजाना कमसे-कम आधा घटा कताई करते हैं?” उनके उत्तरसे विलकुल पूर्ण

सन्तुष्ट हो जानेपर उनसे मेरा अगला प्रश्न यह होगा, “क्या आप हिन्दू-मुसलमान-पारसी-ईसाई-यहूदी एकतामे विश्वास करते हैं ?” इस प्रश्नका उत्तर भी सन्तोपजनक मिले तो मैं पूछूंगा, “क्या आप हिन्दू हैं और क्या यह सभी जातियोका सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्र है, जिसमे मैं हिन्दुओ, मुसलमानो और अन्य जातियोके लोगोको भी मत दे सकूंगा ? कृपया यह भी बताएँ कि क्या आप उस अर्थमे अस्पृश्यता-निवारणमे विश्वास करते हैं, जिस अर्थमे मैंने उसे आपके सामने रखा है ?” मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और उत्साही मतदाता हूँ। इसलिए मैं उनसे एक प्रश्न और पूछूंगा, “क्या आप मद्यपान-निषेध मन्वन्वी सुधारके पक्षमें हैं और क्या आप तुरन्त पूरी शराबबन्दी करानेके पक्षमें हैं, भले फिर उसके फलस्वरूप राजस्वमे कमी होनेके कारण सभी स्कूल बन्द क्यों न कर देने पडे ?” अगर उनका उत्तर होगा — “हाँ,” तो मैं आश्चर्य हो जाऊँगा और उनसे तुरन्त ब्राह्मण-अब्राह्मण समस्यापर एक-दो अन्य प्रश्न पूछकर यह देख लूँगा कि उनके इस वारेमे भी ठीक विचार है तो मैं उनको मत दूँगा। मैं तो बस यही करूँगा। आप और भी पचासो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप जबतक ये सब और कुछ अन्य प्रश्न भी पूछ न ले तबतक सन्तोप न करे।

अब मैं उस बातके वारेमे कुछ शब्द कहूँ जो मेरे मनमे सर्वोपरि हैं। इस समय तिरुपुरमे १०,००० चरखे और १,००० करघे चल रहे हैं। वहाँ बुनकर वहनोमें तीन लाखसे कुछ ऊपर रुपये बाँटे जाते हैं। तमिलनाडके मन्त्री, श्री सन्तानमको शिकायत है कि आप लोगोको जो खद्दर दिया जाता है, आप उसे नहीं खरीदते, और इसलिए उन्हें, चन्द पैसोपर आठ घंटे रोज खुशीसे कताई करनेके लिए तैयार, कई बुनकर वहनोको बिना काम दिये लौटा देना पडता है। उन्होने मुझे बताया है कि एक उसी जिलेमे साल-भरमें लगभग ५० लाख रुपयेतक का खद्दर तैयार किया जा सकता है। इम अहातेके कई अन्य स्थानोमें भी ऐसी ही स्थिति है। यहाँ यदि कुछ शकालु अब्राह्मण लोग हो, तो मैं उनको बताये देता हूँ कि ये बुनकर और कतैये अब्राह्मण ही हैं। अकेले तिरुपुरमें ही ७५,००० रुपयेकी खादी संचित है। आपके यहाँके महा-मन्त्री श्री भरुचा आज आपसे कहने आये हैं कि आपको अपने देशभाइयोकी खातिर सूत कातना और खद्दर पहनना चाहिए। वे अपने कन्वोपर खद्दरकी गठरी लेकर जगह-जगह और घर-घर जायेंगे और आपसे कहेंगे कि आप अपने देशवासियोकी ओर देखें। भगवानके लिए समय बर्बाद न करे, इसपर बहस न करे कि क्या खद्दर भारतकी नित्य बढ़ती हुई गरीबीकी भागी समस्याको हल कर सकता है या नहीं। मेरी बातपर विश्वास करे कि यदि हम इस एक समस्याको ही उचित रूपसे और पूरी तरह हल कर ले तो उससे हमारी वर्तमान हजारो असाध्य समस्याओके हलका रास्ता खुल जायेगा। जन साधारणको खद्दर सस्ता मिले इसके लिए रोज कमसे-कम आप आधा घंटा सूत कातनेमे सकोच न करे। ईश्वरने चाहा तो मैं तीन महीने बाद यहाँ फिर आऊँगा। (हर्षध्वनि) जब मैं यहाँ आऊँ तब मुझे यह दुःखद स्थिति तो न देखनी पडे कि आप तीन महीने बाद भी जहाँके-तहाँ ही खडे हैं। मेरी प्रार्थना है

कि आप ऐसे प्रयत्न करे कि विभिन्न राष्ट्रीय भण्डारोमे पडा सारा खद्दर खत्म हो जाये और इन तीन महीनोमे आप ऐसे ढगसे सगठित हो जाये कि खद्दरके उत्पादनमे लगे हुए कार्यकर्ता फिर कभी यह शिकायत न कर पाये कि वे खद्दरके खरीदार न मिलनके कारण अनेक बुनकरो और कतैयोकी भूख नही मिटा सकते। मुझे आशा है कि आप ऐसा ही करेगे। आप इस महानगरके वारेमे यह कहनेका अवसर न दे कि वह इस कसौटीपर कच्चा उतरा।

आपने धैर्य और शान्तिके साथ मेरा भाषण सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

कृपया जबतक मैं मुख्य सडकपर न पहुँच जाऊँ तबतक आप सभास्थलको न छोडे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

२०४. भाषण : विद्यार्थियोंकी सभामें'

२२ मार्च, १९२५

मैं इस सुन्दर मानपत्रके लिए आपका आभारी हूँ। मैं अपने भ्रमणमे विभिन्न मतोके हजारो विद्यार्थियोसे मिला हूँ। मैंने उनके साथ राजनीतिपर ही नही, सभी तरहके मामलोपर बातचीत की है। मैं आज भी उनके साथ पत्र-व्यवहार करता रहता हूँ, इसलिए मैं विद्यार्थी समाजकी महती आकाक्षाओसे परिचित हूँ। मैं उनकी कठिनाइयोका अनुभव करता हूँ और उनकी उमगे क्या है यह जानता हूँ। आपने कहा है कि मुझे विद्यार्थी समाजकी ओरसे निराश नही होना चाहिए। मैं हो भी कैसे सकता हूँ? मैं खुद भी विद्यार्थी रह चुका हूँ और जहाँतक मेरा खयाल है मैंने मद्रासमे ही एक सभामे आपको "साथी विद्यार्थी" कहकर सम्बोधित किया था, लेकिन वह एक दूसरे अर्थमे था। यह सही है कि मैं अपनेको विद्यार्थी मानता हूँ और इसलिए मैं आपके साथ अपनी एकात्मता अनुभव कर सकता हूँ। विद्यार्थी सत्यशोधी होता है। मैं यहाँ विद्यार्थी शब्दका प्रयोग उसके सकुचित अर्थमे नही कर रहा हूँ। मैं विद्यार्थीका सिर्फ इतना अर्थ नही लगा रहा हूँ कि वह कुछ पुस्तकोका अध्ययन करके, उनमे से कुछको याद करता है और कक्षाओमे शिक्षकोके व्याख्यान सुनकर परीक्षाएँ पास करता है। मैं समझता हूँ कि यह तो विद्यार्थियोके कार्य या कर्तव्यका न्यूनतम भाग है। विद्यार्थी तो असलमे वह है जो अपनी अवलोकन-शक्तिका निरन्तर उपयोग करता है, उससे ससारके वारेमे सही निष्कर्ष निकालता है और जीवनमे अपने लिए एक मार्ग बनाता है। उसे जीवनमे अपने कर्तव्यकी बात पहले सोचनी चाहिए और अधिकार प्राप्तिकी बात पीछे। अगर आप अपना कर्तव्य पूरा करे, तो

१. 'गोखले हॉल' में मद्रास अन्तर्जावास वाद-विवाद समितिकी ओरसे दिये गये मानपत्रके उत्तरमें।

आपके अधिकार आपको मिलना उतना ही निश्चित है, जितना रातके बाद दिनका होना। विद्यार्थियोंको जीवनके अन्य पहलुओंकी अपेक्षा इस पहलूपर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं देगभरमें विद्यार्थियोंमें यही अनुरोध करता आ रहा हूँ कि वे स्कूलों और कालेजोंमें कुछ भी करे, पर यह बात हमें याद रखे कि वे देशके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और स्कूल-कालेजोंमें पढनेवाले विद्यार्थी देशके युवक समाजका एक बहुत ही छोटा-सा अंग हैं और वर्तमान शिक्षा-व्यवस्थाके कारण हमारे देहातोंके लोग विद्यार्थी समाजके सम्पर्कमें विलकुल ही नहीं आते। जयतक शिक्षाकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी, तबतक मेरा विश्वास है कि विद्यार्थियोंका यही कर्तव्य बना रहेगा कि वे जनताके दिमागको समझे और जनताकी सेवा करे। जनताकी सेवा करने और उसके लिए अपने-आपको तैयार करनेके लिए आपको क्या करना चाहिए— इस सिलसिलेमें मैं आपको एक बड़ी सुन्दर बात सुनाता हूँ। यह बात श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजने शान्तिनिकेतनके विद्यार्थियोंके वारेंमें 'यग इडिया' के लिए लिखी थी।

महात्माजीने इस बातको सुनाते हुए बतलाया कि शान्तिनिकेतन आश्रमके कुछ छात्र जनताकी सेवा करनेके लिए पासके कुछ गाँवोंमें गये थे। लेकिन वे वहाँ सरपरस्तोंके रूपमें गये थे, सेवकोंके रूपमें नहीं। गाँवोंके लोगोंने उनकी बातोंके प्रति उत्साह नहीं दिखाया, इसलिए उन्हें शुरुमें तो निराशा हुई। उन्होंने गाँवोंके लोगोंसे कुछ काम करनेके लिए कहा था, किन्तु जब वे दूसरे दिन यह पता लगाने गये कि कितना काम हो चुका है तब उन्हें मालूम हुआ कि काम विलकुल ही नहीं किया गया है। लेकिन छात्र जब खुद फावड़े और कुदाल लेकर काममें जुट पडे, तब उन्होंने तुरन्त फर्क देखा। महात्माजीने आगे बताया कि छात्रोंने कैसे उन देहातोंमें चरखे चालू करवाये और गाँवोंके लोगोंने फिर कैसे उनके साथ हर सेवा-कार्यमें हाथ बँटाया। इसके बाद उन्होंने भारत सेवक समाजके डा० देवका उल्लेख किया। उनको चिकित्सा सम्बन्धी सेवाकार्यके लिए चम्पारनके पासके कुछ गाँवोंमें भेजा गया था। महात्माजी उन दिनों स्वयं भी वहाँ ग्रामीण जनताकी कुछ शिक्षायत्नें दूर करानेके लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि डा० देव गाँवोंकी सफाई व्यवस्था और गन्दगी तथा रोग दूर करनेसे सम्बन्धित कुछ सुधार करके आदर्श गाँव तैयार करनेकी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि डा० देवने कैसे गाँवोंकी जनताका सहयोग प्राप्त किया और कैसे खुद कुओंकी सफाई करके और घरोंकी गन्दगी दूर करके उन्हें सफाईके सिद्धान्तोंका पालन करना सिखाया। डा० देव और उनके सहयोगियोंको गाँवोंके लोगोंसे इस प्रकारके सेवाकार्योंमें तत्परतापूर्ण सहयोग मिला और गाँवोंके लोग शर्मिन्दा होकर डा० देव और उनके साथियोंकी सहायता करनेके लिए ही नहीं निकल पडे, बल्कि यह भी जानना चाहा कि वे उन कामोंको खुद कैसे कर सकते हैं।

महात्माजीने छात्रोंको इन शब्दोंमें समाज सेवाकी तैयारी करनेका उपदेश दिया :

आपकी वास्तविक शिक्षा तो स्कूल-कालेज छोड़नेके बाद ही शुरू होती है। आप दिन-प्रतिदिन कक्षाओंमें कुछ बातें सीखते हैं, लेकिन उनको अमलमें लाना भी तो

आपको सीखना चाहिए। अक्सर होता यह है कि आपने वहाँ जो भी कुछ सीखा है वह आपको भुलाना पड़ता है, जैसे कि वे गलत-सलत अर्थशास्त्रीय विचार जो आपके दिमागोमे ठूँसे गये हैं और इतिहासके झूठे तथ्य पढाये गये हैं। इसलिए आपको अपनी अवलोकन-शक्तिका उपयोग करना है और उनकी तहमे जाकर असलियत समझनी है। राष्ट्र-सेवा और आपकी शिक्षाकी आधार-शिला शैक्सपियर, मिल्टन और अग्रेजीके अन्य कवियो या कालिदास, भवभूति या अन्य सस्कृत कवियोके अध्ययनपर नहीं रखी जा सकती। वह आधार-शिला तो सूत कातने और खदर वुननेपर ही रखी जा सकती है। मैं यह क्यों कहता हूँ? इसलिए कि आपको करोडो लोगोके बीच काम करना है और आपको खेतीमे एक दानेकी जगह दो दाने पैदा करवाने हैं। यदि आप देशकी सम्पदा और उसके उत्पादनमे वृद्धि करना चाहते हैं तो विश्वास करे कि उसका एकमात्र उपाय चरखा ही है। कालिदास या रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कृतियाँ उच्च वर्गोमे ही पढी जाती हैं। मैं बगालके जीवनसे परिचित हूँ और कह सकता हूँ कि वहाँ ये केवल उच्च वर्गोमे ही पढी जाती हैं। और सबसे बडी समस्या यही है कि उच्च वर्गो ओर जनसाधारणके बीच कडी कैसे कायम की जाये? गुजरात विद्यापीठमे हजारो विद्यार्थी हैं। उनके कल्याणका दायित्व मुझपर भी माना जाता है। मेरे लिए यह एक जटिल समस्या है। लेकिन मेरा खयाल है कि विद्यार्थियोका वास्तविक कार्य उन बडे-बडे शहरोमे नहीं है जहाँ वे शिक्षा पाते हैं, बल्कि गाँवोमे है, जहाँ उन्हें अपनी शिक्षा समाप्त करके जाना चाहिए और अपनी शिक्षा द्वारा उपलब्ध सन्देशको वहाँ पहुँचाना चाहिए, जिससे गाँववालोके साथ एक जीवन्त सम्पर्क स्थापित किया जा सके। मैं ऐसे किसी भी व्यक्तिकी बात नहीं मान सकता जो कहता है कि यह सम्पर्क उनकी अपनी शर्तोपर ही स्थापित किया जा सकता है। गाँवोके लोग रुखी-सूखी रोटी-भर चाहते हैं, वे एक व्यवस्थित ढगका काम चाहते हैं, ऐसा काम जिसे वे खेतीके कामोसे बचे हुए समयमे कर सके, क्योंकि खेतीका काम वारहो महीने नहीं चलता। दोस्तो, आप अगर अपने जीवनके मुख्य कार्यके वारेमे गम्भीरतासे सोचे तो आप उसकी आधार-शिला इसी विचारपर रखें। मुझे भरोसा है कि आप ऐसा ही करेगे (तुमुल हर्षध्वनि)।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-३-१९२५

मित्रो और साथी मजदूरो,

मैं आपके मानपत्रके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मद्रास साहित्य अकादमीके मानपत्रके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। आपको साथी मजदूर कहनेमे मेरा तात्पर्य यह है कि मैं भी अपने-आपको मजदूर मानता हूँ। मुझे अपने आपको कर्तया, वुनकर, किसान और भगी कहनेमे गर्वका अनुभव होता है। मेरे जैसे मनुष्यके लिए जहाँतक सम्भव है, वहाँतक मैंने अपना भाग्य आपके साथ जोड़ दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि मेरा विश्वास है, भारतकी मुक्ति आपके जरिये ही होगी। मैंने ऐसा इसलिए भी किया है कि मैं महसूस करता हूँ कि भारतकी मुक्ति श्रम अर्थात् हाथ-पैरोकी मेहनतके बलपर ही हो सकती है, कितावे पढनेसे या दिमागी कसरत करनेसे नहीं। मैंने महसूस किया है और दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक महसूस करता जा रहा हूँ कि मनुष्य शारीरिक श्रमसे ही अपनी शरीर-रक्षा करनेके लिए पैदा हुआ है। कर्तेयो, वुनकरो और अन्य मजदूरोसे मैं जब मिलता हूँ तब उनमे यही कहता हूँ कि वे शारीरिक श्रम कभी वन्द न करे, बल्कि उसके साथ अपना बौद्धिक विकास भी करे। लेकिन मैं जानता हूँ कि श्रममे जो मुख मुझे मिलता है वह आपको नसीब नहीं है। आपमे से अधिकांशके लिए श्रम कष्टप्रद और सुखहीन है। श्रमके कष्टप्रद और सुखहीन होनेका आंशिक कारण यह है कि घनिक लोग आपके श्रमका शोषण करते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण यह है कि स्वयं आपमें कुछ दोष और त्रुटियाँ हैं। मेरे श्रमिक बननेका तीसरा कारण यह है कि मैं आपके ही घरातलपर रहता हुआ आपके दोषो और आपकी त्रुटियोकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकूँ। आप जानते हैं कि मैं अहमदावादमे व्यवहारत हजारो मजदूरोके साथ रह रहा हूँ। मुझे उनके रहन-सहनकी पूरी जानकारी है और मेरा खयाल है कि आप उनमे अधिक भिन्न नहीं हैं। वहाँ मैंने देखा है कि ये मजदूर, और शायद आप भी, शराब पीनेके आदी हैं। आपमे से अधिकतर लोग जुएमे अपना रुपया गँवा देते हैं। आप अपने पडोसीके साथ शान्तिसे नहीं रहते, बल्कि परस्पर झगडा करते रहते हैं। आप लोग एक-दूसरेसे जलते हैं। अक्सर आप अपना काम ईमानदारीसे पूरा नहीं करते। अक्सर आप ऐसे लोगोको अपना नेता बना लेते हैं, जो आपको सही रास्तेपर नहीं चलाते और मैं जानता हूँ कि वे आपके साथ किये जानेवाले हर अन्यायसे अधीर हो जाते हैं। आप लोग कभी-कभी सोचते हैं कि आप हिंसाका आश्रय लेकर उस अन्यायको मिटा सकते हैं। आपमे से जो भी लोग पचम नहीं हैं, वे पचम

१ सभामें चूँकै काग्रेस और मद्रास साहित्य अकादमीकी ओरसे मानपत्र भेंट किए गए थे। श्री एम० एस० सुब्रह्मण्यम् अख्यर गांधीजीके इस भाषणका तमिल भाषामें वाचपत्र अनुवाद करते गये थे।